द्वादश माला, खंड 6, अंक 5

शुक्रवार, 4 दिसम्बर, 1998
13 अग्रहायण, 1920 (शक)

लोक सभा वाद - विवाद
(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र
(बारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 6 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस० गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा० अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री जे० एस० वत्स
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय सूची

द्वादश माला, खंड 6, तीसरा सत्र, 1998/1920 (शक)

अंक 5, शुक्रवार, 4 दिसम्बर,1998/13 अग्रहायण, 1920 (शक)

विषय	कॉलम
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
* तारांकित प्रश्न संख्या 81 से 84	2–38
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 85 से 100	38–109
अतारांकित प्रश्न संख्या 921 से 1150	109–395
सभा पटल पर रखे गए पत्र	395–406
राज्य सभा से सन्देश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक-सभा पटल पर रखा गया	406
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति की गई कार्यवाही सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा आरक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन	406–407
वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति	407–408
पैंतीसवां और छत्तीसवां प्रतिवेदन	
परिवहन और पर्यटन सम्बन्धी स्थायी समिति	408
चौंतीसवां प्रतिवेदन तथा साक्ष्य	
सभा का कार्य	408–412
समितियों के लिए निर्वाचन	412–413
(एक) सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	412
(दो) निःशक्त व्यक्ति के लिए समान अवसर हेतु केन्द्रीय समन्वय समिति	412–413
आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव - समय का बढ़ाया जाना	413–433
कार्य मंत्रणा समिति के छठे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	
श्री मदन लाल खुराना	435
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक - पुरः स्थापित	454–512
(एक) विशेष शैक्षाणिक सुविधाएं (गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले माता–पिता के बच्चों के लिए) विधेयक	454
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी	
(दो) विद्युत (ग्रामीण क्षेत्रों और कृषि क्षेत्र को अग्रता प्रदाय) विधेयक	
श्री आर. साम्बासिवा राव	454

---

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 324 का संशोधन)	454–455
श्री आर. साम्बासिवा राव	
(चार) राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक (नई धारा 4 का अंतः स्थापन) .	455
श्री आर. साम्बासिवा राव	
(पांच) विवाह समारोह पर अत्यधिक व्यय प्रतिषेध विधेयक	
श्री आर. साम्बासिवा राव .	455–456
(छह) भारत की विदेशी सहायता निधि विधेयक	
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी.	456
(सात) गंदी बस्ती क्षेत्र तथा झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र उन्मूलन विधेयक	
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी .	456
(आठ) छोटा परिवार (अभिप्रेरण) विधेयक	
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी .	457
(नौ) जामिया मिलिया इस्लामिया (संशोधन) विधेयक (पूरा नाम आदि का संशोधन)	
श्री जी. एम. बनातवाला .	457
(दस) बेरोजगारी उन्मूलन विधेयक	
श्री जी. एम. बनातवाला .	457–458
(ग्यारह) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (संशोधन) विधेयक (धारा 1 आदि का संशोधन).	458
श्री बसुदेव आचार्य	
(बारह) पिछड़ा क्षेत्र विकास बोर्ड विधेयक .	458–459
श्री बची सिंह रावत "बचदा"	
(तेरह) नगर–भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) संशोधन विधेयक (धारा 10 का संशोधन)	459
श्री भगवान शंकर रावत	
(चौदह) वाणिज्यिक विज्ञापनों में और उपभोक्ता वस्तुओं के पैकेट पर भारतीय भाषाओं का उपयोग विधेयक	459–460
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	
(पन्द्रह) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक . (अनुसूची का संशोधन)	460
श्री वैको	
(सोलह) इलाहाबाद उच्च न्यायालय (मेरठ में स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक	
श्री वीरेन्द्र वर्मा	460–461
(सत्रह) विदर्भ राज्य विधेयक	
श्री विलास मुत्तेमवार .	461

विषय	कॉलम

(अठारह) संविधान (संशोधन) विधेयक . . . 461–462
(नये अनुच्छेद 330 क आदि का अंतः स्थापन)
श्री मोहन सिंह

(उन्नीस) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक 462
(अनुसूची का संशोधन)
श्री माधव राजवंशी

(बीस) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक. 462–463
(धारा 2 आदि का संशोधन)
डा॰ लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

(इक्कीस) विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक . 463
(पूरा नाम आदि का संशोधन)
श्री मोहन सिंह

(बाईस) संविधान (संशोधन) विधेयक . . 463
(अनुच्छेद 84 और 173 का संशोधन)
श्री चन्द्रशेखर साहू

(तेईस) पर्यावरण संरक्षा परिषद विधेयक
श्री बची सिंह रावत "बचदा" 463–464

(चौबीस) विवाह–पंजीकरण विधेयक
श्री बची सिंह रावत "बचदा" . 464

(पच्चीस) भारतीय शिक्षा बैंक विधेयक
श्री बची सिंह रावत "बचदा" . 464–465

(छब्बीस) फर्जी विज्ञापन और प्रचार निवारण विधेयक
श्री मोहन सिंह . . 465

(सत्ताईस) दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक . 465–466
(धारा 167 आदि का संशोधन)
श्रीमती जयन्ती पटनायक

(अट्ठाईस) राष्ट्रीय बाल आयोग विधेयक
श्रीमती जयन्ती पटनायक . 466

(उनतीस) महिला विकास बैंक विधेयक
श्रीमती जयन्ती पटनायक . 466

(तीस) अनुकल्पिक ईंधन संपदा बोर्ड विधेयक
श्री अन्नासाहिब एम॰ के॰ पाटील . 467

(इकत्तीस) महिलाओं के लिए विशेष न्यायालय विधेयक
श्रीमती जयन्ती पटनायक 467

(बत्तीस) कृषक (ऋणग्रस्तता निराकरण) विधेयक
श्री वैको 467–468

(तैंतीस) संचार विधिक (संशोधन) विधेयक
श्री वैको 468

विषय	कॉलम
(चौंतीस) सिविल अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक (धारा 2 आदि का संशोधन)	468–469
श्री मोहन सिंह	
(पैंतीस) संविधान (संशोधन) विधेयक, (नये अनुच्छेद 51 ख का अतःस्थापन)	477
श्री प्रभुनाथ सिंह	
(छत्तीस) संविधान (संशोधन) विधेयक	469–474
(अनुच्छेद 15 आदि का संशोधन)–वापस लिया गया	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्रीमती मेनका गांधी	469–471
श्री जी. एम. बनातवाला	471–474
(सैंतीस) भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक–विचाराधीन	477–483
(धारा 16 आदि के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)	485–489
विचार करने के लिए प्रस्ताव	499–512
श्री भगवन शंकर रावत	477–483
श्री मोहन सिंह	485–487
श्री के. डी. सुल्तानपुरी	487–489
श्री चन्द्रशेखर साहू	498–501
श्री प्रभुनाथ सिंह	501–503
श्री शैलेन्द्र कुमार	503–505
श्री एम. सेल्वारासु	505–507
श्री बी. एम. मेनसिंकाई	507–508
श्री नकली सिंह	508–510
डा. शकील अहमद	510–512
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) मध्य रेलवे के भुसावल मंडल के मनमाड–जलगांव सेक्शन के कुर्ला–हावड़ा एक्सप्रेस का पटरी से उतर जाना	484
श्री राम नाईक	
(दो) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से संबंधित घटनाएं	492–498
डा. मुरली मनोहर जोशी	
मशहूर लेखक श्री अली मियां के पैतृक घर पर छापा मारे जाने के बारे में	489–491

लोक सभा

शुक्रवार, 4 दिसम्बर, 1998/13 अग्रहायण, 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे सभा को हमारे पूर्व सहयोगी श्री एल. वी. सिंह के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री एल. वी. सिंह नौवीं लोक सभा के सदस्य थे। उन्होंने 1989–91 के दौरान बिहार के बेगूसराय संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री एल. वी. सिंह पेशे से वकील थे और वह 1990–91 के दौरान रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री रहे।

श्री एल. वी. सिंह एक सक्रिय सांसद थे और वह विधि और न्याय मंत्रालय तथा केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की सलाहकार समितियों के सदस्य रहे।

श्री एल. वी. सिंह ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों महिलाओं और दलित वर्गों के कल्याण और उत्थान के लिए अथक कार्य किया। उन्होंने शिक्षा तथा विधि सम्मत शासन को बढ़ावा देने की दिशा में भी कार्य किया।

श्री सिंह एक विद्वान व्यक्ति थे और उन्होंने विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में अनेक लेख लिखे।

श्री एल. वी. सिंह का निधन 8 नवम्बर, 1998 को दिल्ली में हुआ। उस समय उनकी आयु 67 वर्ष थी।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरी संवदेना व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवार को संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

(तत्पश्चात सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े हुए)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महादेय : अब प्रश्न काल लिया जाएगा। प्रश्न संख्या 81 ।

...(व्यवधान)

श्री पी. सी. थामस : अध्यक्ष महोदय मैंने प्रश्न काल को स्थगित करने के लिए सूचना दी है। मुझे एक गंभीर मुद्दा उठाना है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री पी. सी. थामस : महोदय, आज का दिन इस देश में ईसाई समुदाय द्वारा "राष्ट्रीय विरोध दिवस" के रूप में मनाया जा रहा है। विरोध स्वरूप इस देश में कुछ अल्पसंख्यकों और दलितों पर हो रहे अत्याचार के मामलों पर चर्चा करने हेतु मैंने प्रश्न काल के स्थगन के लिए प्रस्ताव पेश किया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम इस विषय पर सोमवार को चर्चा करेंगे। हमने इस मामले को अनुमति दे दी है।

...(व्यवधान)

श्री पी. सी. थामस : सभी ईसाई समुदाय आज के दिन को "राष्ट्रीय विरोध दिवस" के रुप में मना रहे हैं। यह एक गंभीर मामला है। जिस पर चर्चा की जानी चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी : महोदय, हमें इस मुद्दे को शून्यकाल के दौरान उठाने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, कृपया अब बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सोमवार को हम अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आवश्यक हुआ तो मैं इस मुद्दे को आज शून्य काल में उठाने की अनुमति भी दूंगा।

श्री पी. सी. थामस : धन्यवाद, महादेय।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों को पुनः चालू करना

*81. **श्री दिलीप संघाणी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय वस्त्र निगम की घाटे में चल रही मिलों को पुनः चालू करने के लिए त्रिस्तरीय नीति अपनाने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित त्रिस्तरीय नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) पिछले कई वर्षों से राष्ट्रीय वस्त्र निगम की घाटे में चल रही मिलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) नई त्रिस्तरीय नीति को लागू करने से राष्ट्रीय वस्त्र निगम की रुग्ण मिलों को पुनः चालू करने में कहां तक मदद मिलेगी?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (घ) एन टी सी द्वारा किए गए एककवार अर्थक्षमता अध्ययन के आधार पर सरकार एन टी सी के अर्थक्षम सहायक निगमों के साथ-साथ उनके अधीन अर्थक्षम मिलों के लिए एक संशोधित सर्वांगीण सुधार नीति पर विचार कर रही है जिसमें बीआईएफआर द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर इन मिलों की नियल पूंजी के सकारात्मक बन जाने के बीआईएफआर के मानदंड को ध्यान में रखा जा रहा है। पुनरुद्धार योजना में कामगारों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा।

मिलों के नाम तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक मिल को हुए लाभ/घाटे को दर्शाने वाले एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	मिलों का नाम	स्थान	1995-96	1996-97 लाभ + / हानि −	1997-98 (अनंतिम)
1	2	3	4	5	6
	एन. टी. सी. (डी. पी. आ लि.)				
	पंजाब				
1.	दयाल बाग स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स	अमृतसर	−3.69	−3.63	−4.70
2.	खरार टैक्सटाइल मिल्स	खरार	−2.66	−1.46	−2.14
3.	पानीपत वूलन मिल्स	खरार	−2.84	−3.91	5.47
4.	सूरज टैक्सटाइल मिल्स	मलौट	−3.11	−1.88	−2.78
	राजस्थान				
5.	एडवर्ड मिल्स	बीवर	−2.59	−2.46	−3.39
6.	महालक्ष्मी मिल्स	बीवर	−2.24	−2.05	−3.09
7.	श्री बिजय कॉटन मिल्स	बिजयनगर	−1.94	−2.69	−2.87
8.	उदयपुर कॉटन मिल्स	उदयपुर	−3.19	−1.69	−2.45
	एनटीसी (मध्य प्रदेश) लि.				
9.	बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स	राजनंदगाँव	−9.53	−12.06	13.00
10.	बुरहनपुर तापती मिल्स	बुरहनपुर	−5.71	−7.71	−8.97
11.	हीरा मिल्स	उज्जैन	−6.78	−8.04	−8.10
12.	इन्दौर मालवा यूनाइटैड मिल्स	इन्दौर	−10.09	−12.33	−12.52
13.	कल्याणमल मिल्स	इन्दौर	−9.00	−10.26	−11.74
14.	न्यू भोपाल टैक्सटाइल मिल्स	भोपाल	−5.89	−7.67	−8.33

1	2	3	4	5	6
15.	स्वदेशी टैक्सटाइल मिल्स	इन्दौर	−5.62	−6.90	−7.46
	एनटीसी (उत्तर प्रदेश)				
16.	एथरटन वैस्ट मिल्स	कानपुर	−4.73	−5.71	−7.67
17.	बिजली कॉटन मिल्स	हाथरस	−1.85	−1.76	−2.42
18.	लक्ष्मी रतन कॉटन मिल्स	कानपुर	−7.85	−8.72	−11.34
19.	लार्ड कृष्णा टैक्सटाइल मिल्स	सहारनपुर	−4.10	−5.57	−5.78
20.	मुअर मिल्स	कानपुर	−9.88	−12.22	−13.46
21.	न्यू विक्टोरिया	कानपुर	−11.41	−12.58	−13.32
22.	रायबरेली टैक्सटाइल मिल्स	रायबरेली	−2.01	−2.48	−2.74
23.	श्री विक्रम कॉटन मिल्स	लखनऊ	−2.00	−2.78	−2.97
24.	स्वा कॉटन मिल्स मौ.	मौ. भंजन	−2.94	−2.76	−2.86
25.	स्वा कॉटन मिल्स कानपुर	कानपुर	−12.99	−14.91	−14.40
26.	स्वा कॉटन मिल्स नैनी	नैनी	−8.10	−9.92	−10.10
	एनटीसी (साउथ महाराष्ट्र) लि.				
27.	अपौलौ टैक्सटाइल मिल्स	मुम्बई	−5.08	−5.30	−7.82
28.	औरंगाबाद टैक्सटाइल मिल्स	औरंगाबाद	−1.11	−1.23	−1.56
29.	बर्शी टैक्सटाइल मिल्स	बर्शी	−0.24	−0.09	−0.02
30.	भारत टैक्सटाइल मिल्स	मुम्बई	−5.68	−6.65	−7.64
31.	चालीसगाँव टैक्सटाइल मिल्स	चालीसगाँव	−0.80	−1.37	−2.36
32.	धूले टैक्सटाइल मिल्स	धूले	−4.11	−3.95	−4.46
33.	दिगविजय टैक्सटाइल मिल्स	मुम्बई	−10.61	−10.21	−12.69
34.	एलफिन्स्टन मिल्स	मुम्बई	−6.41	−6.54	−8.08
35.	फिनले मिल्स	मुम्बई	−5.65	−6.16	−10.12
36.	गोल्ड मोहर मिल्स	मुम्बई	−3.93	−4.64	−7.47
37.	ज्यूपीटर टैक्सटाईल मिल्स	मुम्बई	−8.43	−9.61	−10.49
38.	मुम्बई टैक्सटाइल मिल्स	मुम्बई	−8.26	−8.85	−10.36
39.	नानदाड टैक्सटाइल मिल्स	नानदाड	−2.68	−3.96	−4.45

1	2	3	4	5	6
40.	न्यू सिटी टैक्सटाइल मिल्स	मुम्बई	−5.14	−4.68	−6.04
41.	न्यू हिन्द टैक्सटाइल मिल्स	मुम्बई	−9.99	−10.41	−8.86
42.	पोदार प्रासेर्स	मुम्बई	−4.37	−5.06	−5.89
43.	श्री मधुसूदन मिल्स	मुम्बई	−3.81	−4.72	−5.30
	एनटीसी (महाराष्ट्र नार्थ) लि.				
44.	इण्डिया यूनाइटेड मिल्स न. 1	मुम्बई	−11.30	−11.93	−13.52
45.	इण्डिया यूनाइटेड मिल्स न. 2	मुम्बई	−8.37	−9.04	−11.41
46.	इण्डिया यूनाइटेड मिल्स न. 3	मुम्बई	−12.32	−14.42	−14.10
47.	इण्डिया यूनाइटेड मिल्स न. 4	मुम्बई			
48.	इण्डिया यूनाइटेड मिल्स न. 5	मुम्बई	−5.23	−6.51	−8.06
49.	इण्डिया यूनाइटेड मिल्स न. 6	मुम्बई	−5.81	−6.03	−6.95
50.	जैम मैनू. मिल्स	मुम्बई	−4.58	−5.27	−6.22
51.	कोहिनूर मिल्स न. 1	मुम्बई	−6.32	−18.07	−9.71
52.	कोहिनूर मिल्स न. 2	मुम्बई			
53.	कोहिनूर मिल्स न. 3	मुम्बई			
54.	पोदार मिल्स	मुम्बई	−4.78	−5.58	−7.23
55.	माडल मिल्स	नागपुर	−9.90	−12.77	−14.96
56.	आरबीबीजी स्पि. एण्ड विव. मिल्स	हिनगानघाट	−2.39	−3.36	−5.04
57.	आर. एस. आर. जी. स्पि. एण्ड विव. मिल्स	अकोला	−3.35	−4.26	−4.71
58.	सवतराम रामप्रसाद मिल्स	अकोला	−2.21	−3.30	−3.16
59.	श्री सीताराम मिल्स	मुम्बई	−2.83	−5.56	−4.41
60.	टाटा मिल्स	मुम्बई	−6.85	−8.46	−11.30
61.	विदर्भ मिल्स	अचलपुर	−3.49	−4.84	−4.90
	एनटीसी (गुजरात) लि.				
62.	अहमदाबाद ज्यूपीटर टैक्सटाइल मिल्स	अहमदाबाद	−7.35	−7.42	−10.73
63.	अहमदाबाद न्यू टैक्सटाइल मिल्स	अहमदाबाद	−7.51	−7.86	−10.57
64.	हिमगिरी टैक्सटाइल मिल्स	अहमदाबाद	−6.21	−6.60	−6.94

1	2	3	4	5	6
65.	जहाँगीर टैक्सटाइल मिल्स	अहमदाबाद	−10.05	−10.04	−12.88
66.	महालक्ष्मी टैक्सटाइल मिल्स	भावनगर	−6.21	−6.79	−9.14
67.	न्यू मानक चौक टैक्सटाइल मिल्स	अहमदाबाद	−6.85	−6.74	−7.32
68.	पैतलद टैक्सटाइल मिल्स	पैतलद	−2.93	−3.01	−3.98
69.	राजकोट टैक्सटाइल मिल्स	राजकोट	−2.35	−2.27	−2.81
70.	राजनगर टैक्सटाइल मिल्स 1	अहमदाबाद	−8.30	−9.03	−11.83
71.	राजनगर टैक्सटाइल मिल्स 2				
72.	विरमगम टैक्सटाइल मिल्स	अहमदाबाद	−4.96	−5.25	−6.59
	एन टी सी (ए पी के के एण्ड एम) लि.				
	आंध्र प्रदेश				
73.	अदोनी कॉटन मिल्स	अदोनी	−2.08	−1.41	−1.37
74.	अनंत पुर कॉटन मिल्स	तादापत्तरी	−2.31	−2.75	−2.37
75.	आजम जाही मिल्स	वारंगल	−3.41	−4.09	−4.54
76.	नटराज स्पिनिंग मिल्स	अदिलाबाद	−3.44	−2.44	−3.37
77.	नेता स्पिनिंग मिल्स	सिकंदराबाद	−2.12	−1.72	−1.63
78.	तिरुपत्ति कॉटन मिल्स	चितूर	−3.04	−2.84	−3.00
	कनार्टक				
79.	एमएसके मिल्स	गुलबर्गा	−5.21	−5.78	−7.24
80.	मिनर्वा मिल्स	बैंगलोर	−7.48	−8.18	−10.43
81.	मैसूर स्पि. एण्ड विव. मिल्स	बैंगलोर	−3.74	−5.93	−6.14
82.	श्री यलम्मा मिल्स	तोलाहुंसे	−3.53	−2.78	−3.87
	केरल				
83.	अलागपा टैक्सटाईल मिल्स	केरल	−3.00	−2.90	−2-93
84.	कनानोर स्पि. एण्ड विव. मिल्स	माहे	−1.22	−1.76	−1.31
85.	कनानोर स्पि. एण्ड विव. मिल्स	कनानोर	−1.05	−1.13	−0.68
86.	केरल लक्ष्मी मिल्स	त्रिचूर	−2.62	−2.69	−3.16
87.	पार्वती मिल्स	कूआलिन	−4.43	−4.36	−7.08

1	2	3	4	5	6
88.	विजय मोहिनी मिल्स	त्रिवेन्द्रम	−0.89	−1.59	−1.70
	पांडेचेरी				
89.	स्वदेशी कॉटन मिल्स	पांडेचेरी	−7.04	−5.21	−4.67
90.	श्री भारती मिल्स	पांडेचेरी	−5.95	−4.88	−3.89
	तमिलनाडू				
91.	बालारामवर्मा टैक्सटाईल मिल्स	कोएमबाटूर	−1.25	−0.69	−1.46
92.	कमबाडिया मिल्स	कोएमबाटूर	−0.99	−0.16	+0.33
93.	कोएमबाटूर मुरुगन मिल्स	कोएमबाटूर	−2.58	−0.42	−0.24
94.	कोएमबाटूर स्पि. एण्ड विव. मिल्स	कोएमबाटूर	−6.47	−6.43	−8.43
95.	कालेशवरार मिल्स न. ए	कोएमबाटूर	−4.93	−5.11	−5.43
96.	कालेश्नवेनी टैक्सटाइल मिल्स	कोएमबाटूर	−2.00	−1.09	−1.10
97.	ओम परसक्ति मिल्स	कोएमबाटूर	−0.37	−0.50	−1.04
98.	पंकज मिल्स	कोएमबाटूर	−0.66	−0.47	−0.34
99.	पाइनियर स्पिनिंग मिल्स	कोएमबाटूर	−0.91	−0.03	+0.35
100.	श्री रंगाविलास मिल्स	कोएमबाटूर	−2.91	−0.29	+0.21
101.	सोमासुन्दरम् मिल्स	कोएमबाटूर	−1.28	−1.54	−0.97
102.	श्री शारदा मिल्स	कोएमबाटूर	−2.76	−1.38	−1.08
103.	कालेशवरार मिल्स न. बी	कोएमबाटूर	−1.80	−0.17	−0.30
	एनटीसी (डब्ल्यू बी ए बी एण्ड ओ) लि. असम				
104.	एसोसिएटिड इण्डस्ट्रिज़	गुवाहाटी	−3.27	−7.39	−2.44
	बिहार				
105.	बिहार को–आपरेटिव मिल्स	मोकामाह	−2.11	−2.26	−2.41
106.	गया कॉटन मिल्स	गया	−3.36	−3.71	−3.86
	उड़ीसा				
107.	उड़ीसा कॉटन मिल्स	भागलपुर	−3.29	−2.38	−3.43
	पश्चिम बंगाल				
108.	आरती कॉटन मिल्स	हावड़ा	−2.12	−2.56	−2.40

1	2	3	4	5	6
109.	बंगसारी कॉटन मिल्स	सुखचर	−2.27	−2.26	−2.25
110.	बंगाल फाइन मिल्स न. 1	कोन्नगर	−3.58	−4.32	−3.77
111.	बंगाल फाइन मिल्स न. 2	कोटानगर	−1.92	−1.89	−1.54
112.	बंगाल लक्ष्मी कॉटन मिल्स	सिरामपुर	−4.27	−4.39	−4.54
113.	बंगाल टैक्सटाइल मिल्स	बेहरामपुर	−3.28	−3.56	−3.33
114.	ज्योति विव. फैक्टर	कलकत्ता	−1.71	−1.86	−1.91
115.	लक्ष्मीनारायण कॉटन मिल्स	हुगली	−3.55	−3.16	−3.10
116.	रामपुरिया कॉटन मिल्स	सिरामपुर	−5.01	−5.34	−5.48
117.	सैंट्रल कॉटन मिल्स	बेलूर मंथ	−4.82	−6.24	−6.24
118.	श्री महालक्ष्मी कॉटन मिल्स	पलटा	−4.67	−4.89	−4.79
119.	सोडेपूर कॉटन मिल्स	सोडेपुर	−1.46	−1.68	−1.55

श्री दिलीप संघाणी : अध्यक्ष महोदय, मैंने गुजराती में बोलने की अनुमति लेने के लिए एक पत्र दिया है। यह सुखद संयोग है कि माननीय वस्त्र मंत्री भी गुजरात के रहने वाले हैं, इसलिए वे गुजराती में उत्तर दे सकते हैं, अन्य सदस्यों की सुविधा के लिए गुजराती में अनुवाद की व्यवस्था की जाए। मुझे आशा है कि मुझे गुजराती में प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : हां, अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री दिलीप संघाणी : *मान्यवर, क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि एन.टी.सी. की कितनी मिलों ने आज तक कितना घाटा किया है? इन मिलों की स्थिति को सुधारने के लिए क्या कोई कार्य योजना लागू की है? क्या केन्द्र सरकार इन बंद मिलों को किसी अन्य को सौंपने पर विचार कर रही है या नहीं तथा इसकी अंतिम स्थिति क्या है?*

[अनुवाद]

श्री काशीराम राणा : महोदय, माननीय सदस्यों की सुविधा के लिए मैं हिन्दी या अंग्रेजी में उत्तर देने का प्रयास करूंगा।

[हिन्दी]

एन.टी.सी. की कुल मिलें 119 हैं। उनमें अभी तक जो लॉस हुआ है, वह निम्न प्रकार से है : 1995 में 518.38 करोड़ रुपये, 1996−97 में 573.21 करोड़ रुपये और 1997−98 में 646.25 करोड़ रुपए।

*गूलतः गुजराती मे दिये गये भाषण का हिन्दी अनुवाद।

जैसा कि माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि इन मिलों को शुरू करने के लिए एन.टी.सी. या मंत्रालय की तरफ से कोई कदम उठाये गये हैं?

इस बारे में मैं कहूंगा कि अभी तक हमने चार बार कोशिश की है। सबसे पहले हमने सभी मिलों का नैशनलाइज किया। उसके बाद सिक्स फाईव ईयर प्लान में हमने मिलों को मॉडर्नाइज करने का प्रयास किया, जिस पर हमने 519 करोड़ रुपये खर्च किये। हमने उन मिलों को चालू करने पर जितना फायदा लगाया था, वह फायदा बहुत कम हुआ। दूसरा प्रयास हमने किया जो कि टर्न एराउंड स्ट्रेटेजी ऑफ 1992 से जानी जाती है। इसमें हमने एक योजना बनाकर भेजी थी लेकिन हमारी नौ में से आठ सबसिडियरीज अभी बी.आई.एफ.आर. में हैं। इसमें हमें फाइनेशियल इंस्टीट्यूशन ने न तो पैसा देने का वायदा किया और न ही देने की कोशिश की इसलिए 1992 की पूरी स्ट्रेटेजी फेल हो गई। जब यहां संगमा जी स्पीकर थे तब एक कमेटी टर्न एराउंड स्ट्रेटजी ऑफ 1995 के आधार पर बनाई गयी थी। उसमें एन.टी.सी. की बंद मिलों को मॉडर्नाइज करने के लिए 2005.72 करोड़ रुपये का प्लान बनाया गया था। वह पैसा सरकार से नहीं आना था बल्कि वह पैसा बंद मिलों की जमीन बेचकर आना था। 2005 करोड़ रुपये में से 1780 करोड़ रुपया महाराष्ट्र में जो मिलें बंद हैं, उससे आना था लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इसकी परमिशन नहीं दी। इस बारे में एक कमेटी भी वहां गई, मैं भी गया था लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया इसलिए वह योजना भी फेल हो गयी। जब यह सरकार आई तो उन्होंने एक नयी स्ट्रेटेजी बनाने का विचार किया। उसकी रिपोर्ट हमारे पास है। इसके अलावा हमने यह भी कोशिश की कि जो बंद मिले हैं जैसे एक बार प्रधान

*मूलतः गुजराती मे दिये गये भाषण का हिन्दी अनुवाद।

मंत्री जी ने सजेशन दिया था, उसके मुताबिक हमने स्टेट के चीफ मिनिस्टरों को लैटर लिखकर कहा था कि उनके जो व्यूज हैं, वे हम ले लेंगे लेकिन वर्कर्स की जिम्मेदारी आप ले लें परंतु किसी ने पोजीटिव रिप्लाई नहीं दिया। हम अब नयी स्ट्रेटेजी पर आगे बढ़ रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री दिलीप संघाणी : अध्यक्ष महोदय, मुझे मंत्री जी से गुजराती में उत्तर देने की अपेक्षा थी किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया, अतः मैं अपना दूसरा प्रश्न गुजराती में पूछता हूँ।

*मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से ऐसी कोई योजना बनाई है जिसके द्वारा इस परिस्थिति से निपटा जाये? मान्यवर, मेरे चारों क, ख, ग और घ चारों प्रश्न के एक ही उत्तर में बताया गया है कि कौन सी मिल कितना घाटा कर रही है और कौन सी मिल कितना मुनाफा कमा रही है?

रूग्ण मिलों की समस्याओं के हल ढूंढने के लिए समय-समय पर अलग-अलग समितियों का गठन किया गया था, उसका परिणाम क्या आया?

इस बारे में, मैं अपना एक सुझाव केन्द्र सरकार को देना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के कई विभागों में चाहे वह समाज कल्याण विभाग हो या रेल मंत्रालय हो, उनके अपने उपयोग के लिए काफी कपड़े की आवश्यकता रहती है।* राज्य सरकार और केन्द्र सरकार खुद यह सूचना जारी करेंगे कि जब तक एन.टी.सी. मिल कपड़ा पैदा करती है, तब तक जरूरत का कपड़ा उसी से खरीदा जाए ताकि कम से कम उन मिलों को थोड़ा सहयोग मिले और काम भी मिले। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और प्राईवेट मिलें जो कहीं और से परचेज करती हैं, वे उससे बाहर आ सकें। कमेटी बनती रहती है और चार-पांच बार कोशिश की गई है। मैं कहना चाहता हूं कि आप कोई ठोस योजना बनाएं जिससे एन.टी.सी. मिलों को काम मिल सके और मजदूर भी लाभान्वित हो सके।

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष जी, माननीय सांसद का सुझाव बहुत अच्छा है। एन.टी.सी. मिलों में जो कपड़ा बनता है, उसे खरीदने के लिए हम राज्य सरकारों को जरूर लिखेंगे।

श्री मोतीलाल वोरा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया कि 1995-96 में 518 करोड़ 30 लाख रुपये का घाटा हुआ, 1996-97 में 573 करोड 21 लाख का घाटा हुआ और 1997-98 में 646 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन नौ महीनों के अंदर केन्द्र सरकार ने 119 एन.टी.सी. मिलों के बारे में कोई योजना बनाई? मुझे लगता है कि आपने नौ महीने यूं ही गुज़ार दिए। आज जो एन.टी.सी. मिल्स चल रही हैं, उनमे मजदूरों को दो-दो महीने तक तनख्वाह नहीं मिली जिसके कारण उनमें भारी असंतोष है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है –

[अनुवाद]

"सरकार एन.टी.सी. के अर्धक्षम सहायक निगमों के लिए एक संशोधित सर्वांगीण सुधार नीति पर विचार कर रही है।"

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह संशोधित सर्वांगीण सुधार नीति क्या है।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने कहा है कि नौ महीने वैसे ही गुजर गए, मैं कहना चाहता हूं कि हमने नौ महीने वैसे ही वेस्ट नहीं किए। इन नौ महीनों के दौरान, एन.टी.सी. मिल्स कैसे चालू हो सकें, इसके लिए हम नया प्रोजैक्ट बनाने जा रहे है। इसमें हमने बहुत कोशिश की है और हमारे पास रिपोर्ट भी आ चुकी है।

श्री मोतीलाल वोरा : नई स्ट्रैटजी बनाने में कितना समय लगेगा?

श्री काशीराम राणा : मैं पहले आपके सवाल का पूरा जवाब दे दूंगा, यदि अध्यक्ष जी परमिशन दें तो आप बाद में जरूर पूछें।

मैं पिछली सरकार को ब्लेम नहीं करना चाहता क्योंकि 1990-95 की जो स्ट्रैटजी थी, बिना कुछ पैसे दिए वह पूरी फेल हो गई। इसके पहले 1992 में जो योजना बनाई थी, वह भी फेल हो चुकी। पिछले नौं महीनों में, एन.टी.सी. मिल्स हमें जिस हालत में मिली, जो वायबल है उन्हें किस तरह से चालू कर सकें, इसके लिए हमने पूरा एक प्रोजैक्ट बनाया है। मुझे लगता है कि हम इस बारे में जरूर आगे बढ़ेंगे।

दूसरा, आपने दो महीने की पगार के बारे में कहा। मैं यह जरूर कहूंगा कि हमने अक्टूबर ऐंड तक की पगार दे दी। ऐसी स्थिति में भी हमारी सरकार सैलरी दिए जा रही है।

आपने योजना के बारे में पूछा है। मैं बताना चाहता हूं कि हमने थ्री फोल्ड स्ट्रैटजी बनाई है। उसका पूरा ब्यौरा हम आपके सामने जल्द लाएंगे :- (1) 119 में से कितनी वायबल है, 37 के करीब मिलें हैं, ऐसी जानकारी है। (2) अनवायवल कितनी हैं। हम चाहते हैं कि अनवायवल मिलों को क्लोज़ करके मजदूरों को वी.आर.एस. दें। (3) वी.आर.एस. की स्ट्रैटजी। आज हमारे करीब 95,000 कामगार वी.आर.एस. लेकर गए हैं। हम नई योजना बना रहे हैं और मुझे लगता है कि इस स्ट्रैटजी से जरूर एन.टी.सी. का मामला ठीक होगा।

---

*मूलतः गुजराती में दिये गये भाषण का हिन्दी अनुवाद।

श्री मोतीलाल वोरा : आप इस योजना को कब तक क्रियान्वित करने वाले हैं, हम यह जानना चाहते हैं? क्या इसकी कोई लिमिट है?

[अनुवाद]

श्री काशीराम राणा : यथाशीघ्र ।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, जैसा अभी इन्होंने कहा कि कुछ मिलों के पास अतिरिक्त भूमि है जिसे बेचकर हम उन्हें रेवाइव कर सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं। उनको ठीक कर सकते हैं। जहां तक आधुनिकीकरण का प्रश्न है, आधुनिकीकरण के बारे में कोई निश्चित प्रस्ताव यहां पर माननीय मंत्री महोदय ने प्रस्तुत नहीं किया है।

मैं मध्य प्रदेश के बारे में जानना चाहूंगा कि इन्दौर और उज्जैन की कुछ मिलें ऐसी हैं, जिनको रिवाइव किया जा सकता है। उनके बारे में पैकेज प्रोग्राम भी बना है। क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि इनके बारे में कब तक अंतिम निर्णय ले लिया जायेगा, ताकि मजदूरों के सामने जो समस्या है, वह हल हो सके और जो मिलें रिवाइव हो सकती हैं, वे ठीक से चलें और उनमें उत्पादन शुरू हो?

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष जी, जैसा मैंने कहा कि जितना भी जल्दी होगा, हम रिवाइवल के लिए या हमारा जो प्रोजैक्ट, स्ट्रेटेजी बनेगी, वह मैं जल्दी लाऊंगा।

मध्य प्रदेश की मिलों के बारे में माननीय सांसद ने जो सवाल उठाया है, जितनी भी मिलें चालू हो सकती हैं, उनको चालू रखने में सरकार बहुत इण्टरैस्टिड है। हम नहीं चाहते कि हमारे वर्कर्स वैसे ही बेरोजगार हो जायें। हम उन्हें जरूर चालू रखेंगे। जैसा उन्होंने एक मुद्दा रखा है कि बहुत सारी जमीनें हैं, हमारे पास कुल एन.टी.सी. की मिलों का एरिया 1514.57 एकड़ है और उसकी एस्टीमेटिड वैल्यू करीब 2349.10 करोड़ रुपये है। लेकिन इसमें भी जो फ्री होल्ड मिलें हमारे पास हैं, उनकी संख्या 104 है और जो लीज होल्ड मिलों की संख्या 13 है।

श्री मधुकर सरपोतदार : अध्यक्ष जी, एन.टी.सी. का जो मसला चल रहा है, सालों से इस बीमारी का ईलाज करने की कोशिश चल रही है, लेकिन उससे कुछ नतीजा नहीं निकला है। इनमें से ज्यादातर मिलें हमारे मुंबई शहर में और महाराष्ट्र में हैं। वहां के मजदूरों को तनख्वाह देना एक काम है। काम नहीं हुआ तो भी उनको तनख्वाह दी जाती है। इन मिलों का काम करने के लिए बाहर भेजा जाता है, मजदूर बैठे रहते हैं और वी.आर.एस. में पैसा देकर यदि उन मिल मजदूरों को बाहर भेज देंगे तो स्टेट की एम्पलायमेंट की प्रोब्लम और भी गहरी हो जायेगी। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आप जो थ्री पाइंट प्रोग्राम बना रहे हैं, इसमें इन मिलों को चलाने के लिए कौन सा ईलाज किया जा रहा है, कितने लोगों का एम्पलायमेंट बचाने की कोशिश हो रही है और जो मिलें ताकत से चल सकती हैं, उनको यदि चलाना है तो कमजोर मिलों को ठीक करने के लिए पावरलूम में जो काम यहां से बाहर भेजा जाता है, वहां पर बहुत सी अंडर हैंड डीलिंग चल रही है, कोई भी कारोबार ठीक नहीं है। आप जिन व्यक्तियों को वहां जिम्मेदारी सौंप देते हैं, वे व्यक्ति वहां पर मजा कर रहे हैं। इसका ठीक ढंग से अध्ययन करके इन मिलों को ठीक करने के लिए सरकार के पास कौन सी योजना है? यदि योजना है तो उसको ठीक ढंग से अमल में लाने के लिए शासन क्या कर रहा है, यह हमारा सवाल है?

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष जी, जैसा माननीय संसद सदस्य ने पूछा है, मैंने पहले भी कहा कि अभी एन.टी.सी. की जो मिलें चालू हो सकती हैं, उनको हम चाहते हैं कि माडर्नाइज करके वे चालू हों और प्रोफिटेबल हों। हमने पूरी कोशिश करने के लिए ही यह थ्री फोल्ड स्ट्रेटेजी बनाई है।

जहां तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है, जो योजना गवर्नमेंट बनाने जा रही है, वह फुल्ली रिजल्ट ओरिएण्टिड हो, इसकी भी हम कोशिश करेंगे। जो स्ट्रेटेजी हम एन.टी.सी. को सुधारने के लिए अपनाना चाहते हैं, उसे आपके सामने जरूर लाएंगे। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि इन मिलों में से बहुत सारी मिलें आज भी ऐसी स्थिति में हैं कि जहां पर ओब्सोलीट मशीनरी है, एक्सेस स्टाफ है, इन सब को ध्यान में रखते हुए हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे।

श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में 11 कॉटन मिल हैं, जिनमें एक इलाहाबाद की नैनी स्वदेशी कॉटन मिल है। इनमें ज्यादातर काटन मिलें बंद होने की कगार पर हैं या बंद हो गई हैं। उनके कर्मचारी भी भुखमरी की कगार पर हैं और उन्हें जबर्दस्ती नोटिस देकर निकाला जा रहा है। ऐसी स्थिति में मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जितनी कताई मिलें बंद हैं उन्हें चालू करने के लिए सरकार के पास क्या योजना है, क्या आर्थिक रूप से सहायता देकर उन्हें चलाया जाएगा तथा उन कर्मचारियों के संरक्षण के लिए आपके पास क्या योजना है?

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष जी, मैंने पहले प्रश्न के जवाब में ही इसका उत्तर दे दिया था। हम कर्मचारियों को जबर्दस्ती वी.आर.एस. दे रहे हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं है। हम किसी मज़दूर को अननसैसरी नहीं निकाल रहे हैं। एन.टी.सी. की मिलों को कैसे चालू किया जाए आपके इस सुझाव पर हम ध्यान देंगे।

श्री शैलेन्द्र कुमार : इलाहाबाद में नैनी काटन मिलों के कर्मचारियों को नोटिस देकर जबर्दस्ती निकाला जा रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अन्य सदस्य भी बोलने वाले हैं।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : एन.टी.सी. का आधुनिकीकरण करने और उसे लाभकारी बनाने का सवाल आज से नहीं, काफी दिनों से चल रहा है। चार साल पहले एक वायबल पैकेज बना था, जिसमें तमाम ट्रेड यूनियंस के नेता और सरकार के लोग भी थे। उसे टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन ने बनाया था। उन्होंने कहा था कि जो सरप्लस जमीन है, उसको बेचकर करीब 2000 करोड़ रुपया आएगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षिप्त अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : मैं सवाल पर ही आ रहा हूं। उस पैसे से एन.टी.सी. मिलों को रिवाइव किया जाएगा, जिनमें से ज्यादातर महाराष्ट्र में हैं। इसके लिए एक कमेटी भी बनी थी, जिसमें मैं भी था, सर्पोतदार जी भी थे और राम नाईक जी भी थे। हम वहां गए थे और मुख्य मंत्री जी से भी बातचीत की थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में पूछिए। अन्य सदस्यों के भी प्रश्न हैं।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : मेरा सवाल है कि जब मंत्री जी ने कहा कि हम किसी को जबर्दस्ती नहीं हटाएंगे, बल्कि रिवाइव करेंगे, तो जो चार साल पहले तमाम डिसकशन के बाद, सबकी राय लेकर रिवाइवल पैकेज बना था, उसको इम्पलीमेंट क्यों नहीं किया गया और कब तक आप उसे इम्पलीमेंट करेंगे?

श्री काशीराम राणा : इसका जवाब भी मैंने पहले दे दिया है। लेकिन मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि 1995 में जो रिवाइवल पैकेज बना था वह किसलिए फेल हुआ, मैं उसमें उल्लिखित एक शर्त को सभा के समक्ष पढ़ रहा हूं। वह किस तरह से इम्पलीमेंट होगा, उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि जो ट्राइपार्टाइट कमेटी बनी थी, उन्होंने लिखा है कि कहां से पैसा आएगा।

[अनुवाद]

> "सर्वांगीण सुधार नीति के लिए संपूर्ण धनराशि की व्यवस्था एन.टी.सी. की अतिरिक्त भूमि और भवनों की बिक्री से की जाएगी।"

[हिन्दी]

जो 2000 करोड़ रुपये का रिवाइवल प्लान बना था, सरकार ने जमीन बेचने की कोशिश नहीं की, थोड़ी बहुत की लेकिन नाकामयाबी मिली।

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू : महोदय, उसी मुद्दे पर इस सभा में अनेक बार चर्चा की गई है और पूर्ववर्ती संयुक्त मोर्चा सरकार और वर्तमान सरकार द्वारा वही उत्तर दिया गया है।

इसीलिए माननीय मंत्री और आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा की अनमुति दी जाए। माननीय सदस्यों ने अनेक सुझाव दिए हैं। अन्यथा इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकलेगा। पिछले तीन वर्षों में सभी 190 मिलों ने लाभ के स्तम्भ में कोई प्रविष्टि नहीं दर्शायी है। सभी प्रविष्टियां घाटे के स्तम्भ में है, हम कर्मचारियों से बिना कोई काम लिए उन्हें सैंकडों करोड़ रुपये का भुगतान कर रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि स्वैच्छिक सेनानिवृत्ति योजना को और आकर्षित करने के लिए धन जुटाए ताकि इस समस्या का समाधान किया जा सके। इसी वजह से हम प्रतिवर्ष 600 करोड़ रुपये से 700 करोड़ रुपये तक व्यय कर रहे हैं। मेरे विचार से इन मिलों को पुनसज्जीवित किए जाने की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि आधुनिकीकरण के बिना हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री से उत्तर की अपेक्षा की जाती है न कि आप से। आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

श्री के. येरननायडू : मैं जानना चाहता हूं कि यह सरकार कब तक इस समस्या का निराकरण कब कर पाएगी। यह मुद्दा विगत छह वर्षों से लम्बित है। इस संबंध में इस सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष महोदय, सरकार एक त्रिस्तरीय नीति बनाने जा रही है, मेरा मानना है कि बहुत जल्द ही यह समस्या हल हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं इस विषय पर अल्पकालिक चर्चा की अनुमति दे सकता हूँ।

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : हां।

डा. सुब्रहमण्यम स्वामी : हम पहले ही नियम 193 के अधीन मुद्रास्फीति पर चर्चा कर रहे हैं। अगला प्रश्न भी मुद्रा स्फीति के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : यह सभा पर छोड़ता हूं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यह माननीय सदस्यों पर निर्भर करता है।

मुद्रा स्फीति की दर

+

*82. **श्री के. एच. मुनियप्पा** :

श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और मुद्रास्फीति की दर में बहुत अधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1998 से अब तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक और मुद्रास्फीति का क्या रुझान रहा और पिछले दो वर्षों के दौरान इनके माहवार तुलनात्मक आकड़े क्या हैं;

(ग) क्या सितम्बर, 1998 के दौरान दर्ज की गई मुद्रा स्फीति की कम दर के बावजूद अधिकांश वस्तुओं की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्पश्चात् मूल्यों और मुद्रा स्फीति में वृद्धि होने के क्या कारण हैं;

(ङ) मूल्य वृद्धि को रोकने और मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है;

(च) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए कुछ उपायों का सुझाव दिया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त उपायों को किस हद तक क्रियान्वित किया गया है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (छ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) और (ख) थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित वार्षिक मुद्रास्फीति दर दिनांक 14 नवम्बर, 1998 को 8.5 प्रतिशत पर पहुंच गई जबकि सी.पी.आई.आई.डब्ल्यू. पर आधारित मुद्रास्फीति दर में अद्यतन उपलब्ध माह अक्तूबर, 1998 में 18.6 प्रतिशत की उच्चता तक वृद्धि हुई। जनवरी 1998 से और पिछले दो वर्षों के दौरान डब्ल्यू.पी.आई, और सी.पी.आई.आई.डब्ल्यू आधारित वार्षिक मुद्रास्फीति दर नीचे सूचीबद्ध की गई है:–

सी.पी.आई. और डब्ल्यू.पी.आई. पर आधारित
वार्षिक मुद्रास्फीति दर (बिन्दु–दर–बिन्दु)

	1996		1997		1998	
	सी. पी. आई.	डब्ल्यू. पी. आई.	सी. पी. आई.	डब्ल्यू. पी. आई.	सी. पी. आई.	डब्ल्यू. पी. आई.
जनवरी	9.0	5.0	11.1	7.5	9.7	5.8
फरवरी	8.6	4.6	10.8	7.9	9.1	4.9
मार्च	8.9	5.1	10.0	7.1	8.3	5.0
अप्रैल	9.8	5.0	9.3	6.4	8.2	5.6
मई	9.3	4.5	7.3	5.8	10.5	6.6
जून	8.8	4.5	6.6	5.7	12.4	7.5
जुलाई	8.3	6.0	5.6	4.0	14.8	8.3
अगस्त	8.9	6.2	4.7	3.7	15.0	8.3
सितम्बर	8.5	6.5	4.9	3.8	16.3	8.1
अक्तूबर	8.5	6.6	5.5	4.4	18.6	8.2

(ग) सितम्बर, 1998 में, डब्ल्यू. पी. आई. पर आधारित वार्षिक मुद्रास्फीति 8.5 प्रतिशत थी। समग्र मुद्रास्फीति दर में मंदी ईंधन, ऊर्जा, बिजली और स्नेहक समूह में कम या कोई वृद्धि दर्ज न किए जाने तथा विनिर्माण क्षेत्र में केवल लगभग 5 प्रतिशत मुद्रास्फीति के कारण थी। अधिकतर वृद्धि प्राथमिक वस्तुओं में देखी गई जो 15.5 प्रतिशत तक बढ़ी और इस समूह में भी तीव्र वृद्धि सब्जियों (128.2 प्रतिशत) और दालों (11.5 प्रतिशत) तथा खाद्य तेलों (22.8 प्रतिशत) में दर्ज की गई। सब्जियों में वर्ष के दौरान आलू में (257.6 प्रतिशत) तथा प्याज में (350.9 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

(घ) इस वर्ष की कीमत वृद्धि मुख्य रूप से दालों, प्याज, आलू और खाद्य तेलों जैसे कुछेक उत्पादों की आपूर्ति में कमी के कारण हुई। 1997–98 के फसल वर्ष के दौरान प्रतिकूल मौसमी दशाओं के कारण दालों, तिलहनों और सब्जियों के उत्पादन में काफी अधिक गिरावट हुई जिसके कारण बाजार में उनकी आवक में काफी कमी आई और इस वजह से उनकी कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई।

(ङ) से (छ) सरकार द्वारा कीमतों को रोकने के लिए अनेक नीतिगत उपाए किए गए हैं। राज्य संरकारों से जमाखोरों, कालाबाजारियों और समाज–विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था। सरकार ने खाद्य तेलों के आयात पर शुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया है। खाद्य तेलों की कीमतों में और कमी लाने के लिए, सरकार स्वयं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति हेतु 1.5 लाख टन खाद्य तेल का आयात कर रही है। ओ.जी.एल. के तहत दालों के आयात की अनुमति दी गई है और निर्यात पर अब रोक लगा दी गई है, तथा दालों पर 10 प्रतिशत के आयात शुल्क को समाप्त कर दिया गया है। प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी गई है और घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने के लिए ओ.जी.एल. के तहत इसके शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी गई है। भारतीय खाद्य निगम के भंडारों से गेहूं की खुले बाजार में बिक्री को अधिकृत किया गया है। वृहत आर्थिक कारकों जैसे कि राजकोषीय घाटा और मुद्रा आपूर्ति वृद्धि जिनका उल्लेख भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भी किया गया है, की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। मुद्रास्फीति के प्रबन्धन और अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए राजकोषीय घाटे का नियंत्रण महत्वपूर्ण है।

श्री के. एच. मुनियप्पा : महोदय, वर्ष 1991–96 के दौरान जब हमारी सरकार सत्ता में थी मूल्य और मुद्रास्फीति दोनों नियंत्रण में थे। यहां तक कि पिछले वर्ष के दौरान अर्थात नवम्बर, 1997 में मुद्रास्फीति की दर केवल 3.5 प्रतिशत थी। लेकिन अब मुद्रास्फीति में असाधारण वृद्धि हुई है जो कि बढ़कर 8.5 प्रतिशत हो गई है। इसका देश भर में लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ा है जो कि कुछ हद तक हाल ही के चुनावों में प्रतिबिम्बित हुआ है।

मुद्रास्फीति में वृद्धि के लिए जिम्मेवार कारकों में केवल प्राथमिक उत्पादों की कीमतों में वृद्धि ही नहीं है जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है बल्कि वित्तीय घाटा, मुद्रा संबंधी नीति, विनिमेय दर और ब्याज दर भी इसके लिए जिम्मेवार हैं। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या उनका निकट भविष्य में वित्तीय घाटे में कमी लाने का विचार है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या वह इस बात से सहमत हैं कि मौद्रिक संबंधी नीति में काफी परिवर्तन लाने की तत्काल आवश्यकता है और यदि हां, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है?

श्री यशवन्त सिन्हा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक कि आंकडों का संबंध है मैं स्पष्ट रिकार्ड रखना चाहूंगा। वर्ष 1991–92 में जो कि कांग्रेस शासन का प्रथम वर्ष था, में मुद्रा–स्फीती की दर, अर्थात थोक मूल्य सूचकांक 13.7 प्रतिशत था। वर्ष 1992–93 में यह 10.1 प्रतिशत था वर्ष 1993–94 में यह 8.4 प्रतिशत था, वर्ष 1994–95 में यह 10.9 प्रतिशत था और वर्ष 1995–96 में यह 7.7 प्रतिशत था। यह कांग्रेस शासन के पांच वर्ष के आंकड़े हैं।

जहां तक कि संयुक्त मोर्चा सरकार के दो वर्षों का संबंध है वर्ष 1996–97 में यह 6.4 प्रतिशत था वर्ष 1997–98 में यह 4.8 प्रतिशत था, और वर्ष 1998–99 में अब तक 33 सप्ताहों में यह औसतन 6.7 प्रतिशत रहा। ये आंकड़े रहे हैं।

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण : प्वाइंट–दर–प्वाइंट आंकड़े क्या है?

श्री यशवन्त सिन्हा : पिछले सप्ताह प्वाइंट–दर–प्वाइंट आंकडे लगभग 8.5 प्रतिशत थे। मेरी अद्यतन जानकारी के अनुसार 34 सप्ताहों में यह 8.1 प्रतिशत तक नीचे आया है।

महोदय, वित्तीय तथा मौद्रिक नीतियों के संबंध में मुद्दे उठाए गए हैं। कल हमने सदन में चर्चा की थी। उस संबंध में मैं कुछ आंकड़े देना चाहूंगा। वर्ष 1985–86 और 1989–90 के बीच, उन पांच वर्षों में औसत वित्तीय घाटा 8.2 प्रतिशत था। वर्ष 1990–91 में यह वित्तीय घाटा 8.3 प्रतिशत था।

वर्ष 1991–92 और 1995–96 के बीच इन पांच वर्षों का औसत वित्तीय घाटा 6.1 प्रतिशत था और वर्ष 1993–94 में यह सबसे अधिक 7.4 प्रतिशत रहा। वर्ष 1996–97 में यह 5.2 प्रतिशत था और वर्ष 1997-98 के संशोधित आंकडों से पता चलता है कि यह 6.1 प्रतिशत था–अभी हमारे पास वास्तविक आंकडें उपलब्ध नहीं हैं। इसका अर्थ है, उन दो वर्षों में इसकी औसत दर 5.7 प्रतिशत थी। वर्ष 1998–99 में बजट अनुमान के अनुसार वित्तीय घाटा 5.6 प्रतिशत है।

एक अन्य मुद्दा जिसका मैंने कल सभा में उल्लेख किया था और जिसे मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगा वह यह है कि थोक मूल्य सूचकांक में तीन बृहत श्रेणियां है एक है ईंधन, विद्युत, बिजली और स्नेहक जिसमें पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 13 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले इस वर्ष 1.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जहां तक कि निर्मित उत्पादों का संबंध है पिछले वर्ष की 3.7

प्रतिशत वृद्धि के मुकाबले इस वर्ष 4.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है इसका अर्थ है एक प्रतिशत की वृद्धि। मैं यह दोहराना चाहूंगा कि प्राथमिक वस्तुओं में पिछले वर्ष इस अवधि के दौरान 1.2 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले इस वर्ष इस अवधि के दौरान 17.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यदि मूल्य–वृद्धि के लिए वित्तीय तथा मौद्रिक नीतियां जिम्मेवार हैं तो निर्मित उत्पादों तथा ईंधन, विद्युत, बिजली और स्नेहकों पर भी अवश्य ही यही प्रभाव पड़ता। लेकिन मैं इस सभा के समक्ष यह कहने की धृष्टता करूंगा कि इन दो श्रेणियों के बीच इस वृद्धि पर काबू पाया गया है। एक मामले में यह वास्तव में धीरे–धीरे कम होते गए हैं और अन्य मामले में बहुत कम वृद्धि हुई है। यह सही है।

श्री के. एच. मुनियप्पा : महोदय, नियम 193 के अधीन चर्चा में भाग लेते हुए अनेक माननीय सदस्यों ने कहा कि जमाखारों, लाभ कमाने वालों, काला–बाजारियों ने भी मूल्य तथा मुद्रास्फीति की अत्याधिक वृद्धि में अपना थोड़ा बहुत योगदान दिया है। इस तथ्य को मद्देनज़र रखते हुए मैं जानना चाहूंगा कि (क) क्या वित्त मंत्री मंत्रिमंडल में अपने साथियों को यह सलाह देंगे कि वह आवश्यक वस्तु अधिनियम के लिए प्रस्तावित संशोधन को वापस ले लें जो कि अब संयुक्त चयन समिति के समक्ष रखा गया है जिसका उद्देश्य सजा कम करना है और सज़ा को गैर जमानती गिरफ्तारी से जमानती गिरफ्तारी में बदलना है, (ख) और क्या वित्त मंत्री का देश में प्रचलित काले धन का पता लगाने के लिए एक और वर्ष के लिए स्वैच्छिक आय घोषणा (वी. डी. आई.) योजना लाने का विचार है? हो सकता है कि इससे मुद्रास्फीति में वृद्धि की दर को कम करने में सहायता मिले। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री यशवन्त सिन्हा : इस अनुपूरक प्रश्न के तीन भाग हैं। पहला, जहां तक कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के कार्यान्वयन का संबंध है, यह पूर्णतः राज्य सरकारों पर निर्भर करता है। राज्य सरकारें आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए प्राधिकृत हैं और जहां तक कि भारत सरकार का संबंध है हमने राज्य सरकारों को बार–बार लिखा है कि वह इस अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही करें।

दूसरा, जहां तक कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन का संबंध है, सभा जानती है कि यह सदन की सम्पति है। यह स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत है और यह स्थायी समिति पर निर्भर है कि वह सिफारिशें प्रस्तुत करे और केवल तभी सरकार निर्णय लेगी।

जहां तक स्वैच्छिक आय घोषणा योजना का संबंध है मैंने पहले ही कहा है कि सरकार को उस अनुभव को दोहराने का कोई इरादा नहीं है। हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कि काला धन एकत्रित नहीं किया जा रहा है इस वर्ष के बजट में अनेक कदम उठाए हैं। सरकार की नीति है काले धन को बढ़ने देने की बजाए काले धन बढ़ने से रोकना और फिर ऐसी योजनाएं लाना.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी भारत सरकार का कसूर राज्य सरकार पर डाल रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, इन्फलेशन तीन महीने में तीन गुना बढ़ा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। चर्चा नहीं चल रही है। इसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र : अध्यक्ष महोदय, जुलाई के अंत तक मुद्रास्फीति की दर 8.3 प्रतिशत से 8.8 प्रतिशत के बीच रही है। अभी मुख्यमंत्रियों की जो बैठक हुई, उसमें बाजार में हस्तक्षेप करने की एक नीति सामने आई। उसमें कहा गया कि हम बाजार में हस्तक्षेप करके कालाबाजारियों, जमाखारों के द्वारा की गयी मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रित करेंगे। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या खाद्य मंत्रालय और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच मुद्रास्फीति की दर और मंहगाई को रोकने के लिए तथा कोई प्रभावी कदम उठाने के लिए विचार–विमर्श या परामर्श हुआ है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि इसके बाद भी मंहगाई पर अंकुश न लगा तो आप आगे क्या करेंगे?

श्री यशवंत सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन अवगत है, राज्य सरकारों से सम्पर्क किया गया था तथा राज्य सरकारों को पत्र लिखे गये थे। मेरे जो सहयोगी खाद्य मंत्री हैं उन्होंने वह पत्र लिखा था तथा खाद्य सचिवों ने मुख्य–सचिवों को पत्र लिखा था। उसके बाद मुख्य–सचिवों की बैठक हुई, जिसके कैबिनेट सेक्रेट्री ने लिया था। उसके बाद 27 नवम्बर को प्रधान मंत्री जी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी। उसमें कई प्रभावकारी कदमों को उठाने पर चर्चा हुई और वह कदम राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार मिलकर उठा रही है। दोनों में पूरी सहमति है और कीमतों के ऊपर नियंत्रण पाने की जो हमारी मंशा है उसमें हम कामयाब हो रहे हैं। हमारे पास अभी जो संकेत आ रहे हैं वह इंगित करते हैं कि कीमतें नीचे आना शुरू हो गयी हैं।

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण : महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने मूल्य वृद्धि के संबंध में और विशेष रूप से मार्च 1998 से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अत्याधिक वृद्धि के बारे में स्पष्ट ब्यौरा दिया है

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रश्न के प्रथम भाग में हमने विशेष रूप से पूछा है कि क्या वह सोचते हैं कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अत्याधिक वृद्धि हुई है। उन्होंने "हां" या "न" कहकर जवाब न देने की कोशिश की। पिछले छह महीनों में लगभग 240 प्रतिशत वृद्धि हुई। अगर यह तीव्र वृद्धि नहीं है तो मैं नहीं जानता कि यह क्या है। परंतु जो भी हो आंकड़े हमारे सामने हैं।

मैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक के संबंध में एक बहुत रोचक बात बताना चाहता हूं। अगर आप पिछले तीन वर्षों के आंकड़े देखें तो आपको पता लगेगा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक के बीच अंतर बहुत अधिक नहीं है। औद्योगिक कर्मचारियों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हमेशा ही थोक मूल्य सूचकांक से कुछ अधिक होता है। परंतु अगर आप मार्च, 1998 से अक्तूबर, 1998 तक के आंकड़े देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बीच तीव्र अन्तर है। अब ऐसी स्थिति से किस को लाभ होता है? जब थोक विक्रेता चीजों को एक ख़ास मूल्य पर बेचते हैं और उपभोक्ताओं को वे चीजें बहुत अधिक मूल्य पर मिलती हैं तो इससे किसको लाभ होता है? इससे व्यापारियों, कालाबाजारियों, जमाखोरों को लाभ होता है। यह बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। उपभोक्ताओं के लिए मुद्रास्फीति की दर 18.6 प्रतिशत है। इसलिए, हमने वित्तमंत्री से यह बातने का अनुरोध किया है कि कौन से विशेष उपाय किए गए हैं। परंतु जमाखोरी, कालाबाजारी इत्यादि का पता लगाने के लिए उन्होंने क्या किया इस बारे में वे पूरी तरह चुप हैं। इस देश में व्यापारियों की लॉबी काफी मजबूत है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया विषय के बारे में ही प्रश्न पूछें। आपको हर जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री पृथ्वीराज दा. चौहान : उन्होंने व्यापारियों की लॉबी पर निगरानी रखने के लिए क्या किया? आर.बी.आई. के संबंध में हमने पूछा था कि आर. बी. आई. ने क्या सुझाव दिया है। परंतु उन्होंने इस सिद्धांत पर भाषण दे दिया कि इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता और यह बहुत गंभीर मामला है। मंत्री जी, आप इस बारे में क्या कर रहे हैं।

मेरे प्रश्न का यह भाग थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बीच तीव्र अंतर के बारे में है। क्या आप इसके बारे में चिंतित नहीं हैं?

आप व्यापारियों और जमाखोरों पर निगरानी रखने के लिए क्या कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : माननीय सदस्य द्वारा किए गए प्रश्न का स्पष्टीकरण काफी आसान है परंतु उसका उत्तर देने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि हम परेशान हैं, हम चिंतित हैं और इसी कारण से मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने जैसे कई कदम उठा रहे हैं। परंतु, औद्योगिक श्रमिकों के लिए थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बीच अंतर क्यों है, जो पहले पता नहीं चला था और जो अब काफी स्पष्ट हो चुका है उसका कारण यह है कि पहले के [वर्]षों में आम मूल्य वृद्धि होती थी जिसमें विनिर्माणकारी उत्पा[द औ]र आवश्यक वस्तुओं सहित अन्य सभी प्रकार के उत्पाद [...] थे। इसलिए भिन्नता नहीं थी। मैं इस सभा के समक्ष यह [ब]ात कहने की कोशिश कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भिन्नता का कारण मुख्यतः यह है कि थोक मूल्य सूचकांक में आवश्यक वस्तुओं का 21.7 प्रतिशत है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आवश्यक वस्तुओं का वज़न 48.8 प्रतिशत है इसलिए आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई थी। फिर यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक काफी बढ़ेगा। इसलिए थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बीच भिन्नता है। थोक मूल्य सूचकांक, जिसमें अब घटती हुई प्रवृति देखी गई है; इतनी चिंता का विषय नहीं है। चिंता का मुख्य कारण आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि वहां भी हमें कमी नज़र आ रही है और हाल ही के सप्ताह में थोक मूल्य सूचकांक दो हफ्तों में 8.8 प्रतिशत से घटकर 8.1 प्रतिशत हो गया है। इससे यह पता चलता है कि आवश्यक वस्तुओं का प्रभाव भी घट रहा है।

इसलिए, अब मूल्यों में आम गिरावट है। जहां तक व्यापारियों और व्यापारियों की तरफ सत्तारूढ़ गठबंधन के रवैये का संबंध है, इस बात को इस सभा में बार-बार स्पष्ट किया गया है कि सरकार की किसी को भी बचाने की इच्छा नहीं है और अगर आप केवल राजनैतिक बात करते हैं तो ऐसा करने के लिए आपका स्वागत है। परंतु प्रश्न यह है मैं अपने मित्र श्री रघुवंश प्रसाद सिंह के दोषारोपण के बावजूद कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है-मैं वह बात दुहराना चाहूंगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको नहीं बुलाया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको पता होना चाहिए कि यह कोई चर्चा नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने मेरा नाम लिया है, इसलिए मैं कुछ कहना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी, कृपया बैठ जाइए। कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। यह कोई चर्चा नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी, आपको पता होना चाहिए कि यह प्रश्न काल है। कृपया बैठ जाइए। कृपया बाधा न डालें। अब बहुत हो गया।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गहलोत : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान समय में गेहूं के भाव तेज गति से बढ़ रहे हैं। हर साल जब गेहूं की बुआई शुरु होती है तो गेहूं के भाव बढ़ते हैं। माननीय मंत्री जी ने बताया कि अनेक सामग्रियों के भाव कम हो रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि गेहूं के भाव जिस तेज गति से बढ़ रहे हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं? केन्द्रीय खाद्य निगम के भंडारों में लक्ष्य से अधिक गेहूं एकत्रित है। वह खुले मैदान में पड़ा है, खराब हो रहा है।

उसे कब रिलीज़ कर रहे हैं और पिछले तीन महीनों में कितना रिलीज़ किया गया है?

श्री यशवंत सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक केन्द्रीय भण्डारों का सवाल है, हालांकि यह विषय मेरा नहीं है फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि केन्द्रीय भण्डारों में अन्न भरा पड़ा है, चाहे गेहूं हो या चावल हो, हमारे पास काफी स्टॉक है। इसलिये सरकार ने ऐसा फैसला कर लिया है कि हम खुले बाजार में गेहूं रिलीज़ करेंगे।

श्री थावरचन्द गहलोत : अभी रिलीज़ नहीं हो रहा है।

श्री यशवन्त सिन्हा : रिलीज़ हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम मूल्य वृद्धि पर भी चर्चा कर रहे हैं। आप उस बहस में भी भाग ले सकते हैं। कृपया बैठ जाइए।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट और सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों द्वारा रिलायन्स उद्योग के शेयरों की खरीद

***83. डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट और सरकारी क्षेत्र के अन्य वित्तीय संस्थानों ने वर्ष 1994 के दौरान 1000 करोड़ रुपए मूल्य के शेयरों की खरीद की थी;

(ख) यदि हां, तो ये शेयर किस मूल्य पर खरीदे गए थे और इन पर गत तीन वर्षों के दौरान किस दर से लाभांश मिला;

(ग) क्या रिलायन्स उद्योग ने उतनी ही बड़ी धनराशि यू. टी. आई. म्यूचुअलफंड्स में निवेश की थी; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा किए गए इस निवेश पर किस दर से लाभांश दिया गया?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (घ) एक विवरण सभा–पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट, जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम ने 1994 में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के शेयरों में निजी तौर पर लगभग 945 करोड़ रुपए की कुल राशि का निवेश किया था।

(ख) ये शेयर 385/– रुपए प्रतिशेयर की कीमत पर खरीदे गए थे। इन शेयरों पर प्राप्त लाभांश की दर 1995–96 में 60 प्रतिशत, 1996–97 में 65 प्रतिशत और 1997–98 में 35 प्रतिशत थी (अक्तूबर, 1997 में घोषित 1 : 1 बोनस के संबंध में समायोजन करने के बाद)।

(ग) और (घ) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय यूनिट ट्रस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ द्वारा किया गया योजनावार निवेश और इन योजनाओं में भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा घोषित लाभांश नीचे दिया गया है:–

1. *भारतीय यूनिट ट्रस्ट की विभिन्न योजनाओं में रिलाएंस इंडस्ट्रीज़ द्वारा किए गए निवेश*

निम्न तिथि को समाप्त वर्ष	योजना	राशि (करोड़ रुपए)	यूनिटों की संख्या (करोड़ रुपए)
31 मार्च, 1996	यू. एस.–64	173.94	11.41
	यू. एस.–65	3.00	.03
31 मार्च, 1997	यू. एस.–64	0.13	.0086
31 मार्च, 1998	यू. एस.–64	0.13	.0086

2. *संबंधित योजना के अंतर्गत भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा दिए गए लाभांश की दर*

निम्न तारीख को समाप्त वर्ष	योजना	लाभांश/आय (रुपए प्रति यूनिट)
30 जून, 1996	यू. एस.–64	2.00
	यू. एस.–65	13.50
30 जून, 1997	यू. एस.–64	2.00
	यू. एस.–65	12.50
30 जून, 1998	यू. एस.–64	2.00
	यू. एस.–65	13.50

[हिन्दी]

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : अध्यक्ष महोदय, अपना अनुपूरक प्रश्न पूछने से पहले मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आपको पहले मुख्य प्रश्न पूछना होगा उसके बाद अनुपूरक प्रश्न।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, मुख्य प्रश्न पूछने से पहले मैं दो बातों के संबंध में स्पष्टीकरण चाहूंगा। पहला, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह यू. एस.–65 है या यू. एस.–95। दूसरा, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या लाभांश की दर 10 रुपये के अंकित मूल्य पर है या 385 रुपये पर, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं किया गया है।

श्री यशवंत सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य डा. स्वामी को यह बताने के लिए आभारी हूँ। उत्तर में टंकण की गलती हुई होगी। यह वास्तव में यू. एस.–95 है, यू. एस.–65 नहीं। इसलिए टंकण की उस गलती को ठीक किया जाना चाहिए। इसके अलावा, लाभांश की दर की बात एक नियमित प्रश्न है। अगर वे अपना प्रश्न नहीं छोड़ना चाहते तो मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : नहीं, अगर वे कहते हैं कि लाभांश की दर 60 प्रतिशत है तो मैं जानना चाहता हूँ कि 60 प्रतिशत किस पर?

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है?

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, मैं आपना प्रश्न पूछूंगा। मेरा ख्याल है यह टंकण की गलती है मुझे बहकाने के लिए नहीं। *(व्यवधान)* मैं मंत्री जी से ये प्रश्न पूछना चाहूंगा। उनके द्वारा लिखित विवरण में दी गई संख्या के अनुसार यू. टी. आई. द्वारा रिलायन्स को दिए जाने वाले लाभांश की दर 2 रुपये प्रति इकाई निर्धारित की गई है और अब तक लगभग 11.5 करोड़ इकाइयां खरीदी जा चुकी हैं। इसका अर्थ है अनुमानतः 174 करोड़ रुपये के निवेश पर 23 करोड रुपये की नियमित आय हुई है। इसका अर्थ है कि लाभांश की दर 12 प्रतिशत थी। मैंने लाभांश की दर पूछी थी। उन्होंने मुझे संख्या बता दी। इसीलिए मैंने यह स्पष्टीकरण मांगा था। इसलिए अगर मैं अर्थशास्त्री न होता तो मैं यह पता न लगा सकता। परंतु यह पता लगाने के बाद कि यह 12 प्रतिशत है जबकि रिलाएन्स के शेयरों से केवल दो प्रतिशत ही लाभांश मिलेगा अर्थात यू. टी. आई. रिलाएन्स के शेयर खरीदकर उसमें 775 करोड़ रुपये निवेश कर रहा है और रिलाएन्स उन्हें केवल दो प्रतिशत ही दे रहा है। 775 करोड़ रुपये में से रिलाएन्स 174 करोड़ रुपये यू टी आई में निवेश कर रही है। 12 प्रतिशत लाभांश कमा रही है जो कुल मिलाकर उसका दुगुणी राशि है जिसका वे घाटा उठा रहे हैं।

इसलिए, क्या मैं मंत्री जी से यह पूछ सकता हूं कि क्या यह सच है कि कुछ समय पहले राज्य सभा में काफी हंगामा होने के बाद सी बी आई को इसकी जांच करने के लिए कहा गया था और सी बी आई ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे सी बी आई के पुलिस अधीक्षक श्री वाई. पी. सिंह ने तैयार की थी। ...*(व्यवधान)* नहीं; मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि क्या यह सच है। क्या आप श्री धीरूभाई अम्बानी की ओर से बोल रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें तंग न करें।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : अब मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि एक दिशा निर्देश के अंतर्गत अनुमति हेतु वित्त मंत्रलय को एक सी बी आई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और यह कि रिपोर्ट में यह कहा गया है कि संस्थाओं ने रिलायंस उद्योगों के साथ 'से बी' की पद्धतियों को अपनाए बिना सौदा करने में आपराधिक षणयंत्र किया है। क्या इस घोटाले के बारे में वित्त मंत्रालय को सी. बी. आई. की ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी?

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, यह सौदा, जिसके बारे में माननीय सदस्य कह रहे हैं, 1994 में हुआ था। इसलिए मुझे ये पूरी तरह स्पष्ट करने दीजिए कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि यह सरकार कोई रक्षात्मक रुख अपना रही हो। अगर प्रश्न का आशय यही है तो सरकार किसी को बचाने की इच्छुक नहीं है।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : परंतु, आप रिलायंस उद्योगों को दोष रहित बता रहे हैं।

श्री यशवंत सिन्हा : नहीं। हम उस पर चर्चा करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें आने दीजिए।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : जी हां, हम कभी वैसा करेंगे।

श्री यशवंत सिन्हा : परंतु मैं कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं। जहां तक लाभांश का सवाल है आय पर की जाने वाली प्राप्ति उसके अंकित मूल्य पर होती है। उन्होंने यही प्रश्न पूछा था। यह हमेशा अंकित मूल्य पर होती है। ये 2 रुपए भी 10 रुपए के अंकित मूल्य पर हैं अर्थात् 20 प्रतिशत न कि 12 प्रतिशत।

डा. सुब्रह्मण्यम सवामी : यह प्रश्न निवेश के संबंध में है।

श्री यशवंत सिन्हा : जैसा कि मैंने कहा है निवेश के संबंध में यू. टी. आई. ने 1994 के अंतिम दिनों में रिलायंस उद्योग की इक्विटी में निवेश किया था। रिलायंस उद्योग अन्य उद्योगों की तरह यू. टी. आई. की यू. एस. 64 स्कीम में धन निवेश करती रही है। मेरे पास 'यथा 31 मार्च 1996 को' के आंकडों के साथ ही इसके आंकड़े हैं। उदाहरण के लिए मार्च 1994 में रिलायंस उद्योग ने यू. एस.–64 स्कीम में 449.40 करोड़ रुपए निवेश किए थे। यथा 31 मार्च 1995 को रिलायंस उद्योगों ने यू. एस. 64 स्कीम में 834.91 करोड़ रुपए का निवेश किया था। 31 मार्च 1996 को यह

घटकर 173.97 करोड़ रुपए रह गया। जैसा कि प्रश्न के मुख्य उत्तर में कहा गया है, उसके बाद यह घटकर 0.13 प्रतिशत हो गया।

अब, यू. एस. 64 प्रचलन होने के कारण जब तक इनको खुले बाजार में नहीं लाया जाता रिलायंस उद्योग ने यू. एस. 64 की खरीद के लिए यू. टी. आई. को प्रत्यक्ष रुप से कोई आर्डर नहीं दिया है। इसलिए मैंने सभी धन के बारे में प्रश्न का उत्तर दे दिया है कि उन्होंने कितना धन कमाया और यू. टी. आई. कितना धन कमा रही है। अपने मुख्य उत्तर में मैंने कहा था कि यू. टी. आई. ने रिलायंस उद्योगों की इक्विटी में अपना धन नहीं गवाया है। जिन दरों पर उन्हें आय मिली उनका उल्लेख मुख्य प्रश्न में किया गया है, अर्थात् 65 प्रतिशत, 35 प्रतिशत आदि।

अब मैं सी. बी. आई. जांच के संबंध में डा. स्वामी द्वारा पूछे गऐ प्रश्न के दूसरे भाग पर आता हूं। यह सच है कि सी. बी. आई. की जांच हुई है और हो रही है। यह चल रही है। यह भी सत्य है कि सी. बी. आई. ने 1996 में मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजी थी जिसका मंत्रालय ने उस समय उत्तर दिया था, "यह मामला उस समय सी. बी. आई. के समक्ष लंबित है।" यह अब भी उनकी जांच के अधीन है।

डा. सुब्रहम्ण्यम स्वामी : मैं उस सी. बी. आई. रिपोर्ट के बारे में जानना चाहूंगा जिसे 1996 में उस समय प्रस्तुत किया गया था जब आप वित्त मंत्री नहीं थे। उस समय वित्त मंत्री कौन था? उस समय श्री पी. चिदंबरम वित्त मंत्री थे।

संसदीय कार्यमंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): वे आपके पुराने मित्र हैं।

डा. सुब्रहम्ण्यम स्वामी : उसी तरह आप भी मेरे मित्र हैं। मेरी स्थिति देखिए। अगर मेरे आप जैसे मित्र होंगे तो मेरा क्या होगा?

1996 से यह मामला लंबित पड़ा है। सी. बी. आई. की रिपोर्ट किस बारे में है? मैंने वह भाग पढ़ा है। उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा।

इसलिए मैं फिर यह प्रश्न फिर पूछ रहा हूं क्योंकि यह मेरे दूसरे अनुपूरक प्रश्न में भी है। श्री वाई. पी. सिंह की सी. बी. आई. जांच रिपोर्ट में 1996 में मुकदमे के लिए अनुमति मांगी थी और वे कहते हैं, "यह अभी भी लंबित है।" मैं माननीय मंत्री जी से यह आश्वासन चाहूंगा कि वित्त मंत्रालय, जिसे एकल निर्देश के अंतर्गत यह अनुमति देनी थी और जो श्री चिदंबरम के नेतृत्व में एकल निर्देश भी है, तुरंत यह अनुमति देगा और वे संसद में जाकर यह बताएंगे कि इस घोटाले के संबंध में रिलायंस उद्योगों पर मुकदमा चलाने के लिए सी. बी. आई. को अनुमति दे दी गई है।

श्री सत्यपाल जैन : यह एक सुझाव है, प्रश्न नहीं।

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, मैं केवल इसी छोटे से कारण से ऐसा कोई आश्वासन देने की स्थिति में नहीं हूं कि, जैसा कि मैंने कहा है, जब 1996 में सी. बी. आई. ने यह उल्लेख किया था... *(व्यवधान)*

डा. सुब्रहम्ण्यम स्वामी : यह मुकदमा चलाने के लिए अनुमति थी।

श्री यशवंत सिन्हा : सरकारी फाइलों में क्या है मैं उनके बारे में नहीं बता सकता। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ऐसा उल्लेख किया गया था...*(व्यवधान)*

डा. सुब्रहम्ण्यम स्वामी : सरकारी फाइलें रिलायंस उद्योगों के कार्यालय में मिल जाएंगी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं।

श्री यशवंत सिन्हा : नहीं आप इस पर चर्चा करें। आपने कुछ टिप्पणियां की हैं और मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूं। हमें यह नही करना चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री पी. सी. चाक्को : इसे वापस लेने का क्या रहस्य है?.. .*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : नहीं इसे वापस लेने का कोई कारण नहीं है...*(व्यवधान)* इन बातों के बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है इसलिए जब तक इन पर कोई फैसला नहीं किया जाता इन पर कोई चर्चा नहीं की जा सकती। मैं यही कह सकता हूं कि इस पर जांच चल रही है। मैं बिना अपना बचाव किए एक बात कहना चाहता हूं कि 1996 में वित्त मंत्रलय में एक निर्देश प्राप्त हुआ था। हमने वह मामला पुनः सी. बी. आई. को भेज दिया था। इस पर सी. बी. आई. जांच कर रही है और यह मामला लंबित है। मैं कोई आश्वासन कैसे दे सकता हूं? मैं सी. बी. आई. का कोई प्रभारी मंत्री नहीं हूं। ...*(व्यवधान)*

डा. सुब्रहम्ण्यम स्वामी : मैंने यह पूछा है कि क्या सी. बी. आई. ने मुकदमें के लिए अनुमति मांगी है। ...*(व्यवधान)* आप उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं।

डा. सुब्रहम्ण्यम स्वामी : मैंने एक स्पष्ट प्रश्न पूछा कि क्या उन्होंने मुकदमें के लिए अनुमति मांगी है?...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : नहीं, उन्होंने नहीं मांगी। ...*(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद : प्रश्न अनुमति से संबंधित था। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय सोनकर शास्त्री : जब जांच चल रही है तो प्रोसीक्यूट करने के लिए कैसे दिया जा सकता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री यशवंत सिन्हा : मैं केवल यही कह सकता हूं ...*(व्यवधान)* कि उस प्रश्न विशेष के उत्तर में जो डा. स्वामी ने पूछा था कि उन्होंने मुकदमें की अनुमति नहीं मांगी थी।

स्क्वाड्रन लीडर कमल चौधरी : महोदय यू. टी. आई. ने निजी क्षेत्र के व्यापारिक संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भी निवेश किया है। इसने भारतीय इस्पात प्राधिकारण में 55 हजार रुपए प्रति शेयर की दर से सैंकड़ों करोड़ रुपए निवेश किए हैं। अब उस शेयर का मूल्य लगभग 10 प्रतिशत तक आ गया है। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि निजी क्षेत्र के व्यापारिक संगठनों में तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विशेषकर भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड में यू. टी. आई. ने कितना निवेश किया है?

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, जहां तक भारतीय इस्पात प्राधिकरण का संबंध है, यथा 30 जून 1998 को यू टी आई द्वारा 'सेल' की इक्विटी में निवेश 872.30 करोड़ रुपए का था और ऋण के लिए यह 369.97 करोड़ रुपये था इस प्रकार यह कुल 1242.27 करोड़ रुपये हुआ।

स्क्वाड्रन लीडर कमल चौधरी : इसने निवेश में कितना धन खोया है?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 84, श्रीमती गीता मुखर्जी।

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण एककों को बंद किया जाना

+

***84. श्रीमती गीता मुखर्जी :**

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी. आई. एफ. आर.) की सिफारिशों पर लम्बे समय से रुग्ण चल रहे सरकारी क्षेत्र के आठ उपक्रमों को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे सरकारी उपक्रमों के नाम क्या हैं तथा उन्हें बंद करने के क्या कारण हैं;

(ग) उनमें कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन सरकारी उपक्रमों में काम कर रहे कर्मचारियों को देय सांविधिक राशि का भुगतान करने और उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए कोई ठोस कार्य योजना बनाई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इनके क्या कारण हैं;

(छ) क्या मजदूर संघों के प्रतिनिधियों ने सरकार से उक्त निर्णय वापस लेने का आग्रह किया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य सभा मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल) : (क) से (ज) एक विवरण सदन के सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) से (ग) सरकार ने भारी उद्योग विभाग के सरकारी क्षेत्र के निम्नलिखित अजैव्य उपक्रमों, जो बंद होने की संभावना का सामना कर रहे हैं, के कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेनानिवृत्ति के लाभ पहुंचाने का निर्णय लिया है।

क्रम सं.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	कर्मचारियों की सं.	स्थिति
1	2	3	4
1.	नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि. (एन. आई. एल.)	863	बी. आई. एफ. आर. द्वारा बंद करने का प्रथम दृश्य निष्कर्ष
2.	भारत आप्थल्मिक ग्लास लि. (बी. ओ. जी. एल.)	472	बी. आई. एफ. आर. द्वारा बंद करने का प्रथम दृश्य निष्कर्ष
3.	वेबर्ड इंडिया लि. (डब्ल्यू. आई. एल.)	183	बंद करने के लिए बी. आई. एफ. आर. द्वारा अंतिम निर्णय
4.	नेशनल बाइसिकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	676	बंद करने के लिए बी. आई. एफ. आर. द्वारा अंतिम निर्णय। न्यायालय ने स्थगन आदेश दे दिया है।
5.	साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सी. सी. आई. एल.)	1718	बी. आई. एफ. आर. द्वारा बंद करने का प्रथम दृश्य निष्कर्ष

1	2	3	4
6.	माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन	4217	बी. आई. एफ. आर. द्वारा बंद करने का प्रथम दृश्य निष्कर्ष। न्यायालय ने स्थगन आदेश दे दिया है।
7.	टेनरी एंड फुटवियर कारपोरेशन लि. (टेफ्को)	1400	बंद करने के लिए बी. आई. एफ. आर. का अंतिम निर्णय
8.	रिहेब्लिटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (आर. आई. सी.)	1272	विनिवेश आयोग ने संचलन को बंद करने की सिफारिश की है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लि. (बी. पी. एम. ई. एल.) के शेष कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम (वी. आर. एस.) की अवधि को और तीन महीने के लिए बढ़ाने का भी निर्णय लिया है जिसके लिए सरकार ने स्वैच्छिक सेनानिवृति स्कीम (वी. आर. एस.) देने संबंधी निर्णय सितम्बर, 1997 में लिया था। बी. आई. एफ. आर. ने इस कंपनी को बंद करने के लिए अपनी अंतिम सिफारिश दे दी है।

(घ) से (च) कर्मचारियों की संवैधानिक देयताओं का भुगतान भी वी. आर. एस. के लाभों के साथ-साथ किया जाएगा।

(छ) और (ज) जी, हां। सरकारी क्षेत्र के चिरकालिक इन रुग्ण उपक्रमों के मामले में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लाभ देने का निर्णय केवल यह स्पष्ट होने पर ही कि इन मामलों में विश्वसनीयता और पुनरुद्धार अथवा पुनर्संरचना स्कीम तैयार नहीं की जाएगी, के बाद मे ही लिया गया है। जो निर्णय लिया गया है वह कामगारों के हित में है जोकि अन्यथा औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के पात्र होंगे। व्यवहारिक रूप से वी. आर. एस. के तहत लाभ अधिक हैं। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि वी. आर. एस. के लाभ के साथ-साथ संवैधानिक देयताओ के दावों का भी भुगतान करे। बंद होने के तहत क्षतिपूर्ति का निपटारा करने में लम्बा समय लगेगा जबकि वी. आर. एस. के लाभ तुरंत उपलब्ध होंगे। अंतिम रूप से बंद करना या फिर, इन इकाइयों के निर्णय बी. आई. एफ. आर./न्यायालयों के निर्णय के अनुसार होंगे।

*बी. आई. एफ. आर. – औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय समय काफी कम होने की वजह से मैं एक बार में दो प्रश्न पूछूंगी। मैं जानना चाहूंगी कि क्या इन कम्पनियों के कर्मचारियों को कोई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम का भुगतान करना शुरू किया गया है। यदि नहीं तो यह कब तक शुरू होगा? और मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या ऐसे संबंधित विचाराधीन कर्मचारियों के पुनःप्रशिक्षण और फिर से रोजगार देने की कोई स्कीम है।

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री सुखबीर सिंह बादल : महोदय सरकार ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम पैकेज को स्वीकृति दे दी है। इस समय इसे वितरित नहीं किया गया है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं यही पूछ रही हूं। स्वीकृति दूसरी बात है। वह मिलने में कितनी देर लगेगी? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : महोदया, आपका दूसरा अनुपूरक प्रश्न भी है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, मंत्री जी ने मेरे पहले अनुपूरक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या संबंधित कर्मचारियों के पुनःप्रशिक्षण और फिर से रोजगार देने की कोई स्कीम है और क्या ऐसी किसी स्कीम पर विचार किया जा रहा है।

श्री सुखबीर सिंह बादल : महोदय, सरकार हमेशा लोगों को प्रशिक्षण देने को बढ़ावा देती है।...*(व्यवधान)*

श्रीमती गीता मुखर्जी : कृपया आम बातों में न जाएं। कृपया 'हां' या 'ना' कहिए। मैंने सीधा-सीधा प्रश्न पूछा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वे आपसे सीधा-सीधा उत्तर चाहती हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहती हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब-प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड

*85. **श्री एस. एस. ओवेसी** :

श्री तथागत सत्पथी :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत छः महीनों के दौरान विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा कंपनीवार क्षेत्रवार और राज्यवार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई;

(ख) प्रत्येक प्रस्ताव में कितनी धन राशि अंतर्ग्रस्त है;

(ग) कंपनीवार, क्षेत्रवार कितने प्रस्ताव सरकार के पास लंबित हैं;

(घ) इनके लंबित होने के क्या कारण है तथा इन्हें कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इन परियोजनाओं को स्वीकृति देते समय घरेलू उद्योग के हितों के संरक्षण के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) अप्रैल से सितंबर, 1998 तक की छः महीने की अवधि के दौरान विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ. आई. पी. बी.) द्वारा 591 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें 15,489.13 करोड़ रु. की विदेशी इक्विटी अंतर्ग्रस्त है।

इन प्रस्तावों के संबंध में क्षेत्रवार तथा राज्यवार ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण–I और II में दिए गए हैं। कंपनीवार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी अनुमोदनों के ब्यौरे इस विभाग द्वारा प्रकाशित एस. आई. ए. न्यूजलैटर में मासिक आधार पर प्रकाशित किए जाते हैं, जो कि संसद पुस्तकालय सहित व्यापक रुप में परिचालित की जाती है। अतः अगस्त, 1998 तक कंपनीवार अनुमोदनों से संबंधित सूचना परिचालित न्यूजलैटरों में उपलब्ध है और सितंबर, 1998 माह की सूचना संलग्न विवरण–III में दी गयी हैं।

(ग) से 30 नवंबर, 1998 की स्थिति के अनुसार, निम्न लिखित क्षेत्रों से संबंधित 24 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी प्रस्ताव, आवेदनों का निपटान किए जाने की निर्धारित 6 सप्ताह की समय सीमा से अधिक समयावधि से लंबित पड़े हैं। इन प्रस्तावों के कंपनीवार ब्यौरे संलग्न विवरण–IV में दिए गए हैं।

	क्षेत्र	प्रस्तावों की संख्या
1.	सूचना और प्रसारण	14
2.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग/ सी एण्ड पी सी	6
	तम्बाकू	1
4.	खनिज	1
5	त्वरित परिवहन	1
6.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	1

(घ) इन प्रस्तावों को प्रिन्ट मीडिया तथा प्रसारण नीति पर क्षेत्रीय नीति को अंतिम रूप दिए जाने, उच्चतम न्यायालय के निर्णय की समीक्षा किए जाने और मद्यसार (ऐलकोहॉल), आदि के संबंध में लाइसेंस देने संबंधी अधिकारों के बारे में विधि आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने तक सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों के अनुरोध पर अंतिम निर्णय के लिए जाने हेतु आस्थगित कर दिया गया है। प्रशासनिक मंत्रालय जैसे ही अपने विचारो को अंतिम रूप देंगे विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा इन प्रस्तावों पर विचार किए जाने संबंधी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

(ङ) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को घरेलू निवेश की प्रतिपूर्ति किए जाने हेतु एक उपाय के रूप में आमंत्रित किया जाता है। पूंजी के प्रवेश के अतिरिक्त, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में प्रायः अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के समावेश के साथ–साथ सार्वभौमिक प्रबंध रीतियों का भी समावेश होता है, जिसके फलस्वरूप वास्तव में भारतीय उद्योग की समग्र रूप में प्रतिस्पर्धा शक्ति सुदृढ़ होती है। तथापि, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमोदन संलग्न विवरण–V में यथा उल्लिखित कतिपय शर्तों के अधीन होते हैं ताकि स्वदेशी उद्योग के लिए स्तरीय कारोबार क्षेत्र सुनिश्चित किया जा सके। ये भी कुछ क्षेत्रीय प्रतिबंधों तथा विदेशी इक्विटी की भागीदारी की सीमाओं की शर्तों के अधीन होते हैं, जो कि संलग्न विवरण–VI में दिए गए हैं।

विवरण-I

1.4.98 से 30.9.98 तक की अवधि में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के क्षेत्रवार ब्यौरे

क्र. सं.	उद्योग का नाम	वित्तीय	अनुमोदित वि.प्र.नि. की राशि (रु. करोड़ में)	कुल अनुमोदित राशि का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	धातुकर्मी उद्योग			
	लौह	7	1716.97	11.08
	अलौह	1	2.12	0.01
	विशेष मिश्रधातु	3	109.20	0.71
	खनन	8	79.79	0.52
	विविध (अन्य मद)– धातुकर्मी	1	0.00	0.00
	योग	20	1908.07	12.32
2.	ईंधन			
	बिजली	10	2537.83	16.38
	तेलशोध शाला	9	1825.83	11.79

1	2	3	4	5
	ईंधन (अन्य)	6	37.99	0.25
	तेलशोध शाला (अन्य)	6	3136.92	20.25
	अन्य (ईंधन)	1	250.00	1.61
	योग	32	7788.57	50.28
3.	वायलर तथा भाप जमित्रण संयंत्र	1	1.38	0.01
4.	प्राइम मूवर्स (विद्युत के अलावा)	1	25.00	0.16
5.	विद्युत उपकरण			
	विद्युत उपकरण	33	345.81	2.23
	कंप्यूटर साफटवेयर उद्योग	97	339.26	2.19
	इलेक्ट्रानिक्स	10	50.20	0.32
	अन्य (एस/डब्लयू.)	2	0.25	0.00
	योग	142	735.53	4.75
6.	दूरसंचार			
	दूरसंचार	11	755.90	4.88
	रेडियो पेजिंग	2	0.00	0.00
	सेल्युलर मोबाइल/बेसिक टेलिफोन सेवा	4	14.30	0.09
	दूरसंचार (आर एंड बी)	8	107.89	0.70
	अन्य (दूरसंचार)	3	6.57	0.04
	योग	28	884.66	5.71
7.	परिवहन उद्योग			
	आटोमोबाइल उद्योग	17	507.02	3.27
	वायुयान/समुद्री परिवहन	5	189.55	1.22
	यात्री कारें	1	28.00	0.18
	आटो आनुषंगिक/पार्ट	11	71.13	0.46

1	2	3	4	5
	पत्तन	2	83.30	0.54
	अन्य (परिवहन)	8	1.55	0.53
	योग	44	960.56	6.20
8.	औद्योगिक मशीनरी	16	61.82	0.40
9.	मशीनी औजार	1	0.01	0.00
10.	मिट्टी हटाने की मशीनरी	1	0.39	0.00
11.	वाणिज्यिक यांत्रिक तथा इंजीनियरी उद्योग	27	96.50	0.62
12.	वाणिज्यिक, कार्यालय तथा घरेलू उपस्कर	5	206.84	1.34
13.	चिकित्सा तथा शल्य उपकरण	2	15.80	0.10
14.	वैज्ञानिक उपकरण	1	1.14	0.01
15.	उर्वरक	0	0.00	0.00
16.	रसायन (उर्वरकों को छोड़कर)	32	270.68	1.75
17.	औषध तथा भेषज	6	44.63	0.29
18.	वस्त्र (रंजक, मुद्रित सहित)	27	156.47	1.01
19.	कागज तथा लगुदी कागज उत्पाद सहित	8	14.82	0.10
20.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	21	389.1	2.51
	खाद्य उत्पाद			
	विविध (खाद्य उत्पाद)	1	2.16	0.01
	योग	22	391.26	2.53
21.	साबुन, कास्मेटिक तथा टायलेट प्रिप्रेशन	1	15.00	0.10
22.	रबड़ की वस्तुएं	5	379.18	2.45

1	2	3	4	5
23.	चमड़ा, चमड़े का सामान व परिष्कारक	11	31.06	0.20
24.	कांच	5	116.70	0.75
25.	सिरेमिक्स	5	38.11	0.25
26.	सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद	3	89.53	0.58
27.	टिम्बर उत्पाद	1	0.00	0.00
28.	परामर्शदायी सेवाएं			
	डिजाइन तथा इंजीनियरी सेवाएं	15	177.34	1.14
	प्रबंध सेवाएं	10	16.04	0.10
	विपणन	5	12.86	0.08
	निर्माण	1	0.50	0.00
	अन्य (परामर्शदायी सेवाएं)	6	1.84	0.01
	योग	37	208.59	1.35
29.	सेवा क्षेत्र			
	वित्तीय	12	215.12	1.39
	गैर–वित्तीय सेवाएं	13	108.76	0.70
	बैंकिंग सेवाएं	4	50.85	0.33
	अस्पताल तथा नैदानिक केन्द्र	6	29.39	0.19
	अन्य सेवाएं	1	13.71	0.09
	योग	36	417.83	2.70
30.	होटल तथा पर्यटन			
	होटल और रेस्तरां	13	62.67	0.40
	पर्यटन	5	412.84	2.67
	योग	18	475.51	3.07
31.	ट्रेडिंग	18	20.50	0.13
32.	विविध उद्योग			
	बागवानी	5	2.14	0.01
	कृषि	2	5.06	0.03
	पुष्प खेती	1	0.50	0.00
	हीरा	1	0.10	0.00
	आभूषण तथा स्वर्ण	1	0.00	0.00
	निर्माण कार्यकलाप	5	3.99	0.03
	अन्य (विविध उद्योग)	20	121.22	0.78
	योग	35	133.01	0.86
	कुल योग	591	15489.13	

विवरण-II

अप्रैल, 1998 से सितम्बर 1998 तक के दौरान अनुमोदित विदेशी सहयोग तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्तावों के राज्यवार ब्यौरे

राज्य	आवेदनों की संख्या	अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि (रु. करोड़ में)	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	33	471.63	3.04
बिहार	3	44.45	0.29
गुजरात	20	818.96	5.29
हरियाणा	19	155.74	1.01
हिमाचल प्रदेश	1	0.33	0.00
कर्नाटक	57	4369.06	28.21
केरल	6	4.48	0.03
मध्य प्रदेश	5	304.64	1.97
महाराष्ट्र	84	1709.31	11.04
मेघालय	2	44.46	0.29
उड़ीसा	6	176.87	1.14
पंजाब	6	53.69	0.35
राजस्थान	8	65.14	0.42
तमिलनाडु	67	2297.76	14.83
उत्तर प्रदेश	23	92.19	0.60

1	2	3	4
पश्चिम बंगाल	19	171.73	1.11
अंडमान और निकोबार	1	12.12	0.08
चंडीगढ़	3	0.98	0.01
दादरा और नगर हवेली	1	0.86	0.01
दिल्ली	41	541.54	3.50
गोवा	9	64.83	0.42
पांडिचेरी	2	0.50	0.00
दमन और दीव	2	3.19	0.02
अन्य (राज्य दर्शाये नहीं गए)	173	4084.65	26.37
योग	591	15489.11	

विवरण-III

सितम्बर, 1998 के दौरान विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड, द्वारा अनुमोदित विदेशी सहयोग के प्रस्ताव

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	विदेशी सहयोगकर्ता का नाम	देश	भारतीय कंपनी का नाम	विनिर्माण की मद	अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि
1	2	3	4	5	6
1.	स्टेसिन प्रा. लि. 12, रनडेल स्ट्रीट पर्थ, 6000, पश्चिमी आस्ट्रेलिया आस्ट्रेलिया	आस्ट्रेलिया	डालफिन अंडरवाटर पार्क प्रा. लि. 57, माउंट रोड गिंडी, चेन्नई–600032 स्थापना स्थल : चेन्नई (तमिलनाडु)	बहुआयामी मनोरंजन (थीम) पार्क	0.00
2.	स्मिथर्स–ओऐसिस एशिया कं.	आस्ट्रेलिया	स्मिथर्स–ओएसिस इंडिया प्रा. लि. मार्फत प्राइस वाटरहाउस बी–102, हिमालय हाउस, 23, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110001 स्थापना स्थल : चेन्नई (तमिलनाडु)	भारत में विदेशी कंपनी के उत्पादों जिसमें फलोरल फोम और मिडीया विस्तार तथा औद्योगिक एवजोरवेंट एल. ग्रीनस्टफ शामिल हैं, के विनिर्माण और वितरण के लिए एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी की स्थापना	0.00
3.	वर्ल्डवाइट बिजनेस लि., बहामा	बहामा	येनेपीया मिनरल एंड ग्रेनाइट्स प्रा. लि., पो. आ. जोडूमर्गा–574219, मुडा ग्राम, बन्तवाल तालुक दक्षिणी भारत स्थापना स्थल : उपलब्ध नहीं हैं।	पौलिश की हुई ग्रेनाइट टाइलें, स्लैब, मोनुमेंट्स	20.00
4.	बैक्वी डी पेरिस, पेरिस, फ्रांस	फ्रांस	बैंक्वी नेशनल डी पेरिस, मार्फत : आर्थर एन्डरसेन एंड कं., टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली–110001	गैर बैंकिंग वित्तीय सेवाओं की व्यापक रेंज के लिए भारत में गैर बैंकिंग वित्त कंपनी की स्थापना करना।	19.00

1	2	3	4	5	6
5.	इन्फोग्राम्स मल्टीमीडिया एस. ए., फ्रांस	फ्रांस	क्रिश्चियन आर्डुले इन्फोग्राम्स ग्रुप, 46, दूसरा क्रास, डकोस्टा लेआउट, कुक टावन, बेंगलूर –560084 स्थापना स्थल : बेंगलूर (शहरी) कर्नाटक	100% विदेशी निवेश कंपनी की स्थापना करना जो दक्षिण–पूर्वी एशिया तथा भारतीय बाजारों के लिए कंप्यूटर सी. डी. रोम साफ्टवेयर से संबंधित मनोरंजन व खेल से सम्बद्ध होगी।	0.17
6.	एअर लिक्विड इंटरनेशनल, फ्रांस	फ्रांस	एयर लिक्विड इंडिया होल्डिंग, प्रा. लि., वैतालिक तीसरी मंजिल, ए–8, यू. एस. ओ. मार्ग, कुतुब इन्स्टीटयूशनल क्षेत्र नई दिल्ली–110067 स्थापना स्थल : उपलब्ध नहीं।	औद्योगिक, चिकित्सा तथा अन्य गैसों के उत्पादन के लिए	0.78
7.	क्रिस्टोफिल (एस. ए.) फ्रांस	फ्रांस	रिवीना इंडस्ट्रीज लि., 28, मनियार भवन, 3, पंजरापोल लेन, सी. पी. टैंक, मुंबई–400004 स्थापना स्थल : जोधपुर राजस्थान	600 मीट्रीक टन वार्षिक अधिस्थापित क्षमता से निर्यात योग्य क्वाल्टि के एस. एस. शीट्स की टेबुल सामान का उत्पादन हेतु	0.80
8.	सोल्लेस, फ्रांस	फ्रांस	आर. एस. झावेरी एंड कं. 836/37, पंचरत्न भवन, मामा परमानंद मार्ग, ओपेरा हाउस, मुंबई–400004 स्थापना स्थल : पूणे (महाराष्ट्र)	इस्पात सेवा केन्द्र की स्थापना जी विशिष्ट प्रयोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार इस्पात प्रसंस्करण कार्य करेगा।	11.80
9.	मैसर्स एस्सीलर इंटरनेशनल, फ्रांस	फ्रांस	मैसर्स एस्सीलर इंटरनेशनल मार्फत एस. आर. एफ. लि. एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9–10, बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली–110002 स्थापना स्थल : उपलब्ध नहीं।	एस्सीलर एंड सोला इंटरनेशनल इंक. द्वारा प्रदत्त प्रौद्योगिकी से प्लास्टिक आप्थालनिक लेन्सों का उत्पादन	0.00
10.	मिलिनेजेज, फ्रांस	फ्रांस	मिल्लीटून एनिमेशन प्रा. लि. 14, बेसमेंट, मेन रोड, गांधी नगर अट्यार, चेन्नई–600020 तमिनलाडु रथापना स्थल : चेन्नई (तमिलनाडु)	रिकार्डों के उत्पादन के लिए मौट्रिस तथा मास्टरों सहित आवाज अथवा अन्य ऐसे ही रिकार्डकृत फिनोंमिना के लिए रिकार्ड, टेप अन्य रिकार्ड मिडीया जिसमें अध्याय–37, के उत्पाद शामिल नहीं हैं, 2 डी/3 डी कंप्यूटर ग्राफिक्स किसी अनुषंगी सहित	0.04
11.	मै. आल्स्टोप एनर्जी सिस्टम एस. ए. फ्रांस	फ्रांस	मै. भारत हेवी इलैक्ट्रीकल्स लि., भेल हाउस, सिरी फोर्ट, नई दिल्ली – 110049 स्थापना : उपलब्ध नहीं	स्टीम टर्बाइन आदि	0.00

1	2	3	4	5	6
12.	माइक्रोमाइनेरल्स माइकेफाइन, जर्मनी	जर्मनी	माइकेफाइन रतन (भारत) प्रा. लि., 11/11 ए. मेफेयर रोड कलकत्ता–700019 स्थापना स्थल : दक्षिण 24 परगना (प. बंगाल)	शुष्क तथा नम ग्राउंड माइका पाउडर का उत्पादन करने हेतु	0.10
13.	वेरनर कमान मस्चोनेनफेब्रिक जीएमबीएच, जर्मनी	जर्मनी	कमान मशीन्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड बी–129, ओशीवारा औद्योगिक केन्द्र, नजदीक ओशीवारा बस डिपो, नई लिंक रोड, गोरेगांव (पश्चिम) मुम्बई–400104 स्थापना – ग्रेटर मुंबई (मुंबई) (महाराष्ट्र)	प्रिन्टिंग स्क्रीन का उत्पादन	1.00
14.	मि. क्लाउस विल्हेल्म, जर्मनी	जर्मनी	कमला ओरनापेक लि. कमला सेन्टर, एससीडी 88–89, सेक्टर 8 सी, चण्डीगढ़–160018 स्थापना स्थल : चंडीगढ़ (चंडीगढ़)	प्रजेन्टेशन बाक्स का उत्पादन	0.49
15.	सिमेन्स एजी, पावर जेनेरेशन (केडब्ल्यूवी) जर्मनी	जर्मनी	सिमेन्स पावर इंजीनियरिंग प्रा. लि. 484–485 फेस 3 सेक्टर 20, उद्योग विहार, गुडगांव, हरियाणा – 122016 स्थापना स्थल : गुड़गांव (हरियाणा)	योजना के लिए ड्राइंग तथा डिजाइनिंग हेतु साफ्टवेयर बनाना और विश्वाभार में पावर प्लांट्स स्थापित करना	7.50
16.	फ्रोइड्रिक बॉयसेन पावर जीएमबीएच इंटरनेशनल वेलीलीगुंगेन, जर्मनी	जर्मनी	कृष्णा बॉयलेन एक्जास्ट प्रा. लि., 409, 12 वीं मेन रोड, राज महल विलास एक्सटेंशन बंगलूर–560080 स्थापना स्थल : बंगलूर (शहरी) (कर्नाटक)	मफलरों, एक्जास्ट साइलेंसरों कैटेलिक कनर्वटरों सहित सभी प्रकार के एक्जास्ट सिस्टमों का उत्पादन तथा विकास और सभी प्रकार के इंटरनेशनल कंवस्टन इंजनों के लिए पाइपें।	6.05
17.	मै. एलिएंज – एक्टेन्जेसेलशाफ्ट जर्मनी	जर्मनी	एलिएंज अल्रीक इंडस्ट्रीयल रीस्क मैनेजमेंट सर्विस प्रा. लि. 6ठी मंजिल, नई एक्सेलसियोर बिल्डिंग, वल्लैस स्ट्रीट फोर्ट मुम्बई–400001, महाराष्ट्र स्थापना स्थल : ग्रेटर मुंबई (मुंबई) (महाराष्ट्र)	जोखिम प्रबंधन कंपनी की स्थापना करना जो जोखिम प्रबंधन कार्य, हानि नियंत्रण कार्य और अन्य कार्यकलाप करेगी जिसमें परामर्शदायी कार्य भी शामिल हैं जो उपर्युक्त से मिलते जुलते अथवा संबद्ध किस्म के हो सकते हैं।	0.63
18.	मानस्मान देमाग एजी जर्मनी	जर्मनी	मानस्मान देमाग एजी वोल्फगैंग रयूटर–प्लाट्ज डी–47047 ब्यूसंबर्ग जर्मनी स्थान : दिल्ली (दिल्ली)	भारतीय मार्किट के लिए सभी संगत इस्पात बनाने वाले उपकरण का डिजाइन निर्माण, आपूर्ति स्थापन और चालू करना	24.53

1	2	3	4	5	6
19.	दोर्मा ए जीएमबीएच + सीडीकेजी 8, ब्रैकर्फेल्डर एसटीआर 42–48 डी–58256 एनेपेटल	जर्मनी	स्थान दिल्ली (दिल्ली)	भारत में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को स्थापित करना ताकि भारत में स्वचालित द्वारों तथा स्वचालित द्वारा प्रचालकों एवं उपांगों का निर्माण व विपणन किया जा सके और भारत में मार्किट स्वचालित द्वार व स्वचालित द्वार प्रचालक तथा उपांगों का आयात एवं परीक्षण किया जा सके।	0.00
20.	सीमंस मत्सुशिता कंपोनेंट जीएमबीएच एंड कं. केजी	जर्मनी	इलैक्ट्रोनिक हाइटैक कंपोनेंट्स लि., प्लाट नं. ई–22–25 एम आईडीसी सतपुर नासिक–422007 स्थान : नासिक (महाराष्ट्र)	डीटीए में एसी कैपिसिटर्स	0.00
21.	जिमर एजी, जर्मनी	जर्मनी	साउथ एशियन पैट्रोकेम लि. धूरेरी हाउस, 44, वूडबर्न पार्क, कलकत्ता – 20 स्थान : मिदनापुर (पं. बंगाल)	ईओयू स्कीम के तहत बॉटल रोड पालिएस्टर चिप	18.42
22.	ऐसोटेक्स फार ईस्ट लि. हांगकांग	हांगकांग	ऐसोटेक्स फार ईस्ट 2/एफ व्हार्फ केबल टावर 9 एचओआई शिंग रोड टश्यूनवान, न्यू टैरिटरीज हांगकांग स्थान : चेन्नई (तमिलनाडु)	स्थानीय साफ्टवेयर उत्पादों को विकसित, निर्यात एवं व्यापार करना	0.26
23.	ऐसोटेक्स फार ईस्ट लि. हांगकांग	हांगकांग	एसोटेक्स फार ईस्ट लि. 2/एफ व्हार्फ केबल टावर 9, एच ओ आई शिंग रोड टश्यूनवान, न्यू टैरिटरीज हांगकांग स्थान : चेन्नई (तमिलनाडु)	मुख्यतः गारमेंट व्यापार से संबंधित हैंगरों, टैगपिनों जैसे स्थानीय विभिन्न प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण, निर्यात और व्यापार के लिए।	0.26
24.	पीटी एशिया सेलुलर सेटेलाइट इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	एसीईएस इंडिया प्रा. लि. ए–6, नारायणा औ. क्षेत्र फेज – 1, नई दिल्ली–28 स्थान : अनुपलब्ध	इंडोनेशियन सैटलाइट (गरूड–1) के फुटप्रिंटों का प्रयोग करके सैटेलाइट (जीएमपीसीएस) द्वारा और भारत में गेटवे भू–स्टेशनों की संस्थापना/चालू करके ग्लोबल मोबाइल वैयक्तिक संचार साधन प्रदान करना।	29.40
25.	आफिसिन मैकाफेरी एसपीए, इटली	इटली	मैकाफेरी एनबायरनमैंटल साल्यूशंस प्रा. लि. 1408 मेकर चैकर्स 5 नरीमन प्वाइंट, मुंबई–21 स्थान : ठाणे (महाराष्ट्र)	डिजाइन कंसलटेंसी, निर्माण सहायता तथा फैबियंस, रेनोमैंटर्स, वार्षिक रूप से टेरामनेश वाले सकतल पर्यावरणीय प्रणाली सॉल्यूशन पैकेज प्रदान करने के लिए 100% विदेशी निवेश हेतु।	5.00

1	2	3	4	5	6
26.	इसाबेल्ला पोलोग्ना इटली	इटली	इसाबेल्ला पोलोग्ना कंचनजंगा, पहली मंजिल 72, गोपालराव देशमुख मार्ग (पेड्डर रोड) मुम्बई–21 स्थान : (महाराष्ट्र)	कशीदाकारीशुदा वस्त्रों का निर्यात तथा निर्यात कार्य हाथ में लेना	0.15
27.	मेग्नेटि लेरेल्लि क्लाई मेटिजाजोइन एस पी ए फ्रजलोन मास्लो – 24 10046, पारिंड (टोरिनो) इटली	इटली	स्थान : फरीदाबाद (हरियाणा)	कार के हीट एक्सचेंजर्स वातानुकुलन सिस्टम रेडिएटर्स कंडेंसर्स और अन्य ऐसे स्वचालित प्रणालियां एवं संघटक जैसे स्वचालित थर्मल संघटकों तथा प्रणालियों का विकास, विर्निमाण, वितरण, विपणन और विक्रय।	13.83
28.	इसवोर फिएट एस. पी. ए., इटली	इटली	इस्वोर फिएट इंडिया प्रा. लि. 77, फ्रैंड्स कालोनी (प.) नई दिल्ली – 110065 स्थान : उपलब्ध नहीं	भारत में फिएट ग्रपु की कम्पनियों और भारत में औद्योगिक एवं सेवाओं के क्षेत्र में तकनीकी तथा प्रबंधकीय प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान करना।	1.90
29.	टोयटा ट्सुशी कार्पो. (टीटीसी) जापान	जापान	किर्लोसकर सिस्टम्स लि. पो. बा. नं. 2475 हेब्बल एग्रीफार्म बंगलौर कर्नाटक–560024 स्थान : बंगलौर (शहरी कर्नाटक)	भारत में आटोमोबाइल के लिए आंतरिक व बाह्य प्लास्टिक के पुर्जों और स्टीरिंग व्हील के निर्माण हेतु	16.28
30.	टोयोटा मोटर कार्पो. जापान	जापान	स्थान : बंगलोर (ग्रामीण) कर्नाटक	टोंयटा किर्लोस्कर मोटर प्रा. लि, के लिए स्वचालित पुर्जों की प्रस्तावित आपूर्ति द्वारा प्रयोग हेतु बिदादी औद्योगिक क्षेत्र बंगलौर में एक औद्योगिक पार्क बनाना।	45.00
31.	टोकिता सीड के. लि. जापान	जापान	टोकता सीड कं. लि. मार्फत रघुनाथ राय एंड 206, मजीशा, 75 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–19 स्थान : दिल्ली (दिल्ली)	बीज के आयात–निर्यात के लिए उसकी खेती, उत्पादन और उसका व्यापार करना।	0.20
32.	टोयोडा आयरन वर्क्स कं. लि. जापान	जापान	टोयोडा आयरन वर्क्स कं. लि., मार्फत मै. सकूरा कैपिटल इंडिया लि., 21 मित्तल चैम्बर्स 228, नारीमन प्वाइंट मुम्बई–400021 स्थान : बंगलौर (ग्रामीण) कर्नाटक	1.5 लाख की वार्षिक क्षमता सहित आटोमोबाइलों और अन्य वाहनों एवं संघटकों के लिए प्रयुक्त स्टैंपिंग, वैल्डिंग द्वारा निर्मित आटो पूर्जों की डिजाइनिंग विकास, इंजीनियरिंग, निर्माण और बिक्री।	1.'40

1	2	3	4	5	6
33.	इटोचु कार्पोरेशन जापान	जापान	इटोचु कारपोरेशन 5–1, किता एडयामा 2, चोमे, मिनाटो क्. टोक्यो, जापान स्थान : कलकत्ता (पं. बंगाल)	पावर/अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को तकनीकी/ इंजीनियरी सेवांए देने के लिए भारत में 100% सहायक कम्पनी की स्थापना।	0.15
34.	मै. होण्डा मोटर कं. 2–1–1 मिनामी–अड्यामा मिनाटो क्. टोक्यो	जापान	होण्डा सियल कार इंडिया लि. प्लाट नं. ए–1, सैक्टर 40/41 सूरजपुर–कासना रोड, डेवलपमेंट एरिया गौतम बुद्ध नगर, उ. प्र. स्थान : दिल्ली (दिल्ली)	मोटर कारें	180.00
35.	एच. एस. केमिकल कं. लि., कोरिया	कोरिया (द.)	मै. एच एस आई आटोमोटिव लि. ए 21–22 गुइंडी इंडस्ट्रियल एस्टेट चेन्नई – 600032 स्थान : चेनगेलपट्टू (तमिलनाडु)	ओटोमोटिव उद्योग के लिए पी. वी. सी. इंजेक्शन हेतु पी वी सी प्रोफाइल्स/रबड़ प्रोफाइल्स रेडिएटर कूलेंट होम के निर्माण के वास्ते	3.10
36.	साविनोडेल बेने फिनाँजियारियप एस ए लक्जमबर्ग	लक्जमबर्ग	साविनोडेल बेन फ्रेट फारवार्ड्स इंडस्ट्री प्रा. लि. 110, गोकुल आरकेड, पहली मंजिल, गरवारे के पास नजदीक अंधेरी शहर रोड, मुम्बई – 400057 स्थान : बृहद् मुम्बई (मुम्बई) (महाराष्ट्र)	"एअर वाटर एण्ड लैण्ड" द्वारा कार्गो ट्रांसपोर्ट हैंडलिंग सेवाएं	0.19
37.	डा. मंसूर मरीकन, मलेशिया	मलेशिया	मैकरॉन पब्लिशिंग (प्रा.) लि., 5–2–15–ई, सत्तूर रोड, सिवाकासी – 626123 स्थापना स्थल : तमिलनाडु (तमिलनाडु)	कापियों, रजिस्टरों, लेटर पैडों की छपाई और विनिर्माण हेतु	0.06
38.	मि. आंग कियम एंड चिन शोय, मलेशिया	मलेशिया	कामा श्रीनिवास राव, मधुकान हाउस साई टैंपल स्ट्रीट द्वारकापुरी कालोनी पुंजगुट्टा हैदराबाद–82 स्थापना स्थल : कृष्णा (आंध्र प्रदेश)	पत्थरों की तुडाई और पिसाई का कार्य हाथ में लेने हेतु	0.07
39.	मैं केपीएस होल्डिंग मारीशस	मारीशस	सृष्टि वीडियोकार्य लि., 13, फिल्मसिटी, सैक्टर 16–ए नोयडा – 201301	डिजिटली कंप्रेस्ड सैटेलाइट टीवी प्लेटफार्म की प्रसारण क्षमता को उसी ट्रांसफोंडर से 6 चैनल बढ़ाकर 14 चैनल करना।	2.34

1	2	3	4	5	6
40.	साउथ एशिया साफ्टवेयर एक्सपोर्ट लि. मारीशस	मारीशस	साउथ एशिया साफ्टवेयर एक्सपोर्टर्स लि., मार्फतः मल्टीकंशल्ट लि., लेस [illegible]क्स वाक्स कंसील स्ट्रीट पोर्ट [illegible]ुई, मारीशस स्थान : उपलब्ध नहीं	भारत में एक 100% स्वामित्व वाली एक साफ्टवेयर प्रोग्राम कंपनी स्थापित करना। कंपनी के कार्यकलापों में शैक्षिक और मनोरंजन साफ्टवेयर पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे :	54.00
41.	नंदी इन्वेस्टमेंट लि.	मारीशस	एनक्लोटैक द रेडी पैनल्स लि. 482, 80 फीटा रोड गंगानगर, बंगलौर – 32 स्थान : बंगलौर (अर्बन) (कर्नाटक)	मॉडुलर शीट माडल एन्क्लोजर के विनिर्माण और दिल्ली तथा पूणे में एसेंबली कम-स्टोरेज/विपणन केन्द्रों की स्थापना हेतु।	4.00
42.	नंदी इन्वेस्टमेंट लि.	मारीशस	हर्मान इंजीनियर्स प्रा. लि. 482, 80 फीटा रोड गंगानगर, बंगलौर – 32	कंट्रोल पैनल और हार्मोनिक फिल्टरों का विनिर्माण	0.05
43.	इंटरनेशनल रेक्टीफायर मारीशस इंक, 100 एन सेपुलवेडा-7वां तल, एल सेगुंडो कैलिफोर्नियां-90245-4359	मारीशस	– स्थान : ग्रेटर मुबई (महाराष्ट्र)	निम्नलिखित कार्यकलापों को लेने हेतु भारत में एक 100% पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने हेतु	6.30
44.	क्लिप्स इंन्वेस्टमेंट प्रा. लि. मारीशस	मारीशस	एल्कान क्लिप्सल इंडिया लि. राखियाल रोड अहमदाबाद – 23 स्थान : अहमदाबाद (गुजरात)	लो टेंशन इलेक्ट्रिकल स्विचर उत्पादों सुरक्षा उत्पादों और वायरिंग एक्सेसरीज के विनिर्माण हेतु।	11.83
45.	टीसीडब्ल्यू/आई सीआई इंडिया प्रा. इक्विटी फंड/ एलएलसी, मारीशस	मारीशस	वर्मा ट्रैफेग प्रा. लि. ए-25, न्यू फ्रेंडस कालोनी नई दिल्ली-65 स्थान : रिवाड़ी (हरि.)	प्रेसर एंड टैंप्रेचर कंट्रोल उपकरणों और उपयोग विशिष्ट एकीकृत सर्किटों के विनिर्माण हेतु जिनके घरेलू और औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग हैं।	4.76
46.	आर्मेस फाइनेंस ट्रेडिंग लि., मार्फत मल्टीकंसल्ट लि., लैस जमालक्स बिल्डिंग वीक्स कंसील, सेंटपोर्ट लुई, मारीशस	मारीशस	– स्थान उपलब्ध नहीं।	निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए एक सहायक कंपनी स्थापित करना।	49.32
47.	टेलीसॉफट लि. मारीशस		मारीशस मफतलाल कंसलटेंसी सर्विसेज इंडिया लि., रंजन हाउस अपोजिट सेचुरी बाजार, प्रभादेवी मुंबई-400026 स्थान : ग्रेटर मुम्बई (महाराष्ट्र)	कम्पयूटर साफटवेयर विकसित करना	3.00

1	2	3	4	5	6
48.	लेटेक्स इन्वेस्ट लि. मारीशस	मारीशस	सूरटैक्स प्रोफिलैक्टिक्स (इंडिया) लि. सं. 65/1 36 वां मेन, चौथा चौराहा, प्रथम चरण, बंगलौर–560068 स्थान बंगलौर (अर्बन) (कर्नाटक)	कंडोम (लेटेक्स प्रोफिल क्टि) 150 मिलियन पीस प्रतिवर्ष	25.00
49.	वेलडन निको मारीशस कं. मारीशस	मारीशस	ग्लोब्सिन टेक्नोलाजीज लि., यू–18, ग्रीन पार्क नई दिल्ली – 110016 स्थान : उपलब्ध नहीं।	आई बी एम मेन फ्रेम पर कोबील में साफ्टवेयर इंजीनियरों को प्रशिक्षण देने के कार्य को जारी रखने हेतु तथा वाई 2 के समस्याओं के समाधान उपलब्ध कराने हेतु साफ्टवेयर का विकास	1.60
50.	इंडोसीम फंड कं. इनवेस्टमेंट (आई) लि., मारीशस	मारीशस	आशीमा सिटेक्स लि., 310, "आशीमा हाऊस" नजदीक एम. जे. लाइब्रेरी, कवि ननालाल मार्ग, अहमदाबाद–380006 स्थान : अहमदाबाद (गुजरात)	धागे से रंगे हुए सूती वस्त्र	8.23
51.	मै. डी बीयर्स मारीशस	मारीशस	डी बीयर्स कंसेलडेटेड माइन्स लि., 44 मेन स्ट्रीट जोहान्सबर्ग, 2001, पी. ओ., बाक्स 61212 मार्शल टाउन, 2107	मध्यप्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में, अन्य राज्यों सहित हीरों के पूर्वेक्षण और खनन कार्य को हाथ में लेना तथा अन्य खनिजों (कोयले और लौह अयस्क को छोड़कर) के लिए भी इन कार्यकलापों को हाथ में लेना।	0.00
52.	मै. आर एक्स 3 एन आर आई		आर एक्स 3 इंडिया 6, जैन भवन, 12, भगत सिंह मार्ग नई दिल्ली–110001 स्थान : उपलब्ध नहीं।	कम्प्यूटर साफ्ट्वेयर और हार्डवेयर का विनिर्माण तथा विकास	0.04
53.			टी.सी.जी. साफ्टवेयर सर्विस प्रा. लि., ब्लॉक जी पी, प्लाट जी, सैक्टर–5 सीमेन्स कैम्पस, साल्ट लेक इलेक्ट्रानि कमप्लेक्स, कलकत्ता–700091	कम्प्यूटर साफ्ट्वेयर	10.00
54.			बी. जे. कोरसाफ्ट प्रा. लि. 1204/24, शिवाजी नगर, अपोजिट जंगल महाराज रोड़, पुणे – 411004 स्थान : पुणे (महाराष्ट्र)	कम्प्यूटर	0.21

1	2	3	4	5	6
55.	एम एन इन्वेस्टमेंट लि.	–	लायड्स ब्रोकरेज लि. 709, राजेहा सेंटर नरीमन प्वाइंट मुम्बई–400021 स्थान : ग्रेटर मुम्बई (मुम्बई) (महाराष्ट्र)	स्टाक ब्रोकिंग	0.00
56.	एन आर आई	–	इंडो जर्मन कार्बन्स लि., एक्स आई/20, चंबाकासरी जंक्सन, आलवे–683101 केरल स्थान : अर्नाकुलम (केरल)	एक्टीवेटेड	0.67
57.	ए. बी. एन. एमरो लीज होल्डिंग नीदरलैंड	नीदरलैंड	ए. बी. एन. एमरो लीज होल्डिंग एन वी मार्फत जे सागर ऐसोसिएटस एडवोकेट तथा सोलिसिटर 84–ई, सी–6 लेन सैनिक फार्म नई दिल्ली–110062 स्थापना स्थल : दिल्ली (दिल्ली)	भारत में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी की स्थापना करना जो बड़े तथा मझौले आकार के बेडों के प्रबंधन का कार्य करेगा और/ अथवा भूतल परिवहन क्षेत्र में प्रबंधन तथा परामर्श सेवाएं प्रदान करना।	0.95
58.	कामरा सिक्योरिटिज कार्पोरेशन, नीदरलैंड	नीदरलैंड	रोज इंटीरियर कन्सेप्टस प्रा. लि., विकास बिजनेस सेंटर 106, एस. बी. रोड़ शान्ताकुज (ग.) मुम्बई – 400054 स्थापना स्थल : रायगढ़ कुलाबा (महाराष्ट्र)	दीवार की यूनिटों, किताबों के कक्ष टी वी स्टेंड, वर्क स्टेशन डेस्क, वार्डरोन, रसोई फर्नीचर तथा अन्य ऐसी मदों जैसी आधुनिक रेंज के फ्लेट पेकेड सेल्फ असेम्बली उत्पादन सिस्टम के विनिर्माण के लिए।	0.44
59.	केरेस्टर होल्डिंग, बी. बी. नीदरलैंड	नीदरलैंड	केरेस्टर होल्डिंग बी. बी. मार्फत चैम्बर आफ जिया मोदी 16, अली चैम्बर एन मास्टर फोर्ट मुम्बई – 400001 स्थापना स्थल : पुणे (महाराष्ट्र)	स्टार्च तथा इसके न्यूत्पन्न जिसमें ग्लूकोज सिरप, डेक्सटरीज मोडीफाईड स्टार्च तथा कोर्न ग्लूटिन भोजन तथा कच्चे बीज तेल शामिल हैं, का विनिर्माण तथा विपणन।	190.00
60.	बी. टी. (नीदरलैंड) होल्डिंग बी. बी. नीदरलैंड	नीदरलैंड	भारतीय इंटरनेट लिमिटेड, 1/6, श्री फोर्ट इंस्टीटयूशनल एरिया, खेल गांव मार्ग, नई दिल्ली – 110049	इंटरनेट सेवाएं, बहु मीडिया सेवाएं बेब साइट संचार तथा अन्य संबद्ध मामलों में सेवाएं प्रदान करना।	9.80
61.	मै. सेगमेंट वी. वी३११ नीदरलैंड	नीदरलैंड	मै. एलेक्टर इलैक्ट्रोनिक्स प्रा. लि., 52–सी, छोटेंट विल्डिंग, प्रोक्टर रोड़, ग्रांट रोड़ (पू.) मुम्बई– मुम्बई – 400007 स्थापना स्थल : ग्रेटर मुम्बई मुम्बई (महाराष्ट्र)	एलेक्टर इंडिया की उनकी मेगजीन के एच. एफ. एल. 3600 प्रति मामले के बढ़ी हुई दर पर रोयल्टी कम करने की अनुमति।	0.00

1	2	3	4	5	6
62.	इलैक्ट्रीन एंयर जेटिका एस. ए. पौलेंड	पौलेंड	इलैक्ट्रीन एनरजेटिका एस. ए. मार्फत श्री ए. के. पाल डी – 29 हौज खास़ नई दिल्ली–110016 स्थापना स्थल : उपलब्ध नहीं	डिजाइन, इंजीनियरिंग संवर्धन प[illegible]र्श, विद्युत संयंत्रों के अंग म[illegible]वा तथा आपूर्ति का व्यापार जारी रखने हेतु पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी स्थापित करने के लिए।	10.00
63.	कुर्गान स्काई मेंशनस्ट्रोलनी	रूस	रूस टेक्नालोजी सेंटर प्रा. लि. रूस, मार्फत श्री मनीष ओबराय ओवरोय सूद एंड कपूर, चार्टेड एकाउंटेंट, 606, विशाल भवन 95, नहेरू प्लेस, नई दिल्ली स्थापना स्थल : उपलब्ध नहीं	एक ऐसी शत प्रतिशत स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करना जो विदेशी कंपनी के लिए होल्डिंग कम्पनी का कार्य करेगी तथा सहयोगी विकास के भविष्य को बढ़ायेगी और विदेशी कंपनी की ओर से अन्य कार्यकलापों को करेगी।	1.14
64.	बेकरी इंटरनेशनल एनर्जी कं. लि. साऊदी अरब	साऊदी अरब	बेकरी इंटर नेशनल एनर्जी कं. लि. पी ओ बोक्स 3757 जद्दाह 2148 साऊदी अरब स्थापना स्थल : दक्षिण परगाना (पश्चिम बंगाल)	आधार भूत, भंडारण तथा टर्मिनल सुविधाओं को विकसित करना तथा निर्मित करना और केमिकल/लूब तथा बंकर आपरेशन/ एयर क्राफ्ट रिफयूलिंग के लिए बेस आयल/ फयूल आयल और पश्चिम बंगाल राज्य में एल. पी. जी के लिए इस प्रकार की सुविधाओं का स्वामित्व लेना और संचालन करना।	12.77
65.	इकॉन इंटरनेशनल लि., सिंगापुर	सिंगापुर	इकॉन पाइलिंग प्री. टी. ई. लि. 2 ए. एन. जी. मो कियो स्ट्रीट, 64 ए. एन. जी. मो. कियो इंडस्ट्रीयल पार्क–3 सिंगापुर – 569084 स्थापना स्थल : चेन्नई (तमिलनाडु)	अवसंरचनात्मक तथा अन्य परियोजनाओं के लिए इंजिनियर, डिजाइनर, बिल्डर ठेकदारों के व्यापार जारी रखने के उद्देश्य से भारत में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए।	1.90
66.	श्री जनूस एंजलब्रेचर दक्षिण अफ्रीका	दक्षिण अफ्रीका	केप क्लीन 9 ईस्ट पी. एच. वेंकटेश्वरा नगर, कोदूनग्यार चेन्नई – 600118 स्थापना स्थल : चेन्नई (तमिलनाडु)	सफाई करने वाले तरल पदार्थ के विनिर्माण हेतु तथा फर्मों द्वारा विनिर्मित रसायन सहित भवनों की सफाई, गलत छतें, दीवार दरवाजों के कालीन इत्यादि के लिए सेवाएं प्रदान करने हेतु।	0.20
67.	डेनिस्को ए/एस, स्वीडन	स्वीडन	शिव कुमार जट्टा, ब्लाक ई–5 कामर्शियल कं. मस्जिद मोठ, ग्रेटर कैलाश–।। नई दिल्ली–110048 स्थापना स्थल : उपलब्ध नहीं	सुगन्धित तथा अन्तर्वर्ती उत्पादों का विनिर्माण वितरण, विपणन/बेचना शुरू करना।	7.03

1	2	3	4	5	6
68.	मार्टिन एचयूजी,	स्विटजरलैंड	अगस्त्य रिसोर्टस एंड टूर (प्रा.) लि., 594, पलाझी हाउस, पुलिन्कुडी, मुल्लुर पी. ओ. विझीन्जम, तिरूवनंतपुरम स्थापना स्थल : तिरूवनंतपुरम केरल	संयुक्त उद्यम की स्थापना करना जो कि विझीन्जम, केरल में पर्यटन संवर्धन का संचालन करेगा	0.99
69.	ट्रेनिंग सेंटर फॉर इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल इंक, स्विजरलैंड	स्विटजरलैंड	कारे साफ्टवेयर डेपलपर्स प्रा. लि., 335, प्रो. डी. कोसोम्बे स्ट्रीट मारगांव गोवा स्थापना स्थल : गोवा (गोवा)	निवेश तथा बैंकिंग प्रयोगार्थ प्रारंभिक सप साफ्टवेयर विकसित करना	0.25
70.	मॉडल होल्डिंग एजी.	स्विटजरलैंड	वैडपैक लिमिटेड 1103, आकाशदीप बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली–1 स्थापना स्थल : बंगलौर (शहरी) (कर्नाटक)	कोरगेटेड पेपर बोर्ड/ फाइबर बोर्ड तथा बक्सों के विनिर्माण हेतु।	0.65
71.	क्रेब्स एंड कं. स्विटजरलैंड	स्विटजरलैंड	फाइन साल्ट वर्क्स लि. 6–2–953, दूसरा तल 201, कृष्णा प्लाजा, खैरताबाद हैदराबाद–500004 स्थापना स्थल : नेल्लौर (आंध्र प्रदेश)	आइयोडायज्ड, फ्री फ्लो नमक तथा व्यूत्पन्न का विनिर्माण	2.12
72.	सी. एंड सी. होल्डिंग लि., यू. के.	यू. के.	स्टार कूलर्स एंड कंडेसनर्स प्रा. लि. 8 अम्बर विहार, कान्ति नगर अंधेरी ईस्ट, मुम्बई – 400059 स्थापना स्थल : जलगांव (महाराष्ट्र)	कोल्ड स्टोरेज के लिए क्षमता विद्युत नियंत्रण प्लांट डीजल जनित्रण सेट्स, रसायन उद्योग तथा प्रशीतक प्रणाली द्वारा प्रायः प्रयोग किये जाने वाले एयर कूल्ड हीट एक्सचेंज तथा फाइंड ट्यूब के विनिर्माण के लिये।	0.60
73.	बूट्स कंपनी लिमिटेड यू. के.	यू. के.	दी बूट्स कंपनी पीएलसी मार्फत, नई दिल्ली लॉ ऑफिस पांचवा तल, राजेन्द्र भवन 210, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली स्थापना स्थल : उपलब्ध नहीं	भारत में भेषजों उत्पादों का आगामी श्रृंखला तथा भेषज उत्पाद के विद्यमान श्रृंखलाओं तथा विपणन तथा विक्रय, विनिर्मित अथवा विनिर्माण	5.10
74.	कांसेंट्रिक पम्पस लि., यू. के.	यू. के.	– स्थापना स्थल : पूणे (महाराष्ट्र)	भारत में एक 100% पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी की स्थापना करना जो कि न केवल भारत में वाणिज्यिक वाहनों के लिए तेल पंप, जल पंप बल्कि आटोमोटिव क्षेत्र के लिए पार्ट तथा अवयवों का विनिर्माण तथा इंजीनियरिंग करेंगे।	7.60

1	2	3	4	5	6
75.	एईएस कारपोरेशन, यू. के.	यू. के.	एईएस कारपोरेशन मार्फत, अर्थुर एंडसन एंड कं. 17 वां तल, जवाहर व्यापार भवन एस. टी. सी. बिल्डिंग, टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली–110001 स्थापना स्थल : उपलब्ध नहीं।	भारत में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की स्थापना करना जो या तो स्वतंत्ररूप से अथवा मूल हस्ती अथवा अन्य मान्यता प्राप्त ग्रुप हस्ती के साथ विद्युत परियोजना के विकास में निवेश बढ़ाने के लिए होल्डिंग कंपनी के रूप में कार्य करेगी।	3.80
76.	वर्ल्डवाईड चैनल इंवेस्टमेंट लि., 80 वूड लेन लंदन डब्लू 120 टीटी यू. के.	यू. के.	– स्थापना स्थल : उपलब्ध नहीं।	विदेशी मीडिया में विज्ञापन के लिए भारतीय विज्ञापनकर्ताओं को विज्ञापन सेवाओं में सहायता मुहैया करने के लिए।	0.70
77.	इंटरनेक्स्स पी एल सी, यू. के.	यू. के.	इंटरनेक्सस पीएलसी, यू. के. मार्फत, संदीपन गंगोपाध्याय, इंडियन कंट्री मैनेजर, डी–53, अरेंजा कॉम्प्लेक्स, सेक्टर–8, सीबीडी बेलापुर, नवीं मुम्बई, महाराष्ट्र स्थापना स्थल : ढाणे (महाराष्ट्र)	डाटा प्रोसेसिंग, साफ्टवेयर डेवलपमेंट, कम्प्यूटर परामर्श सूचना तकनीक आधारित सेवाएं करने के लिए साफ्टवेयर तकनीकी पार्क के संचालन तथा स्थापना करने के लिए।	0.17
78.	जेम्स कैपल एंड कं. टेम्स एक्सचेंज, 10, क्वीन स्ट्रीट प्लेस, लंदन, यू. के	यू. के.	मै. एचएसबीसी सिक्यूरिटिज इंडिया होल्डिंग लि., हांगकांग बैंक बिल्डिंग, 60 महात्मा गांधी रोड, मुम्बई–400001 स्थापना स्थल : दिल्ली (दिल्ली)	स्टाक ब्रोकिंग व्यापार का कार्य करने के लिए	30.41
79.	ओडलिंग्स लि.	यू. के.	ओडलिंग्स (मेमोरियल्स) प्रा. लि. 203, भावनाम एस्टेट, पंजागुट्टा, हैदराबाद – 500482 आंध्र प्रदेश स्थापना स्थल : मेडक (आंध्र प्रदेश)	ग्रेनाईट मेमोरियल्स, ग्रेनाईट वेसेस, अर्नस ग्रेनाईट स्लैब, टाइल्स, ग्रेनाइट आर्ट फैक्ट्स।	0.03
80.	किंगस्टन एन. सी. एल. लि., यू. के.	यू. के.	किंगस्टन एन. सी. एल. लि. 20, एलएससी, पुष्प विहार मदनगीर, नई दिल्ली–62 स्थान : नोएडा (उ. प्र.)	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	1.63
81.	ऐचिशन कास्टिंग कारपोरेशन यू. एस. ए.	यू. एस. ए.	ऐचिशन कास्टिंग कारपोरेशन यू. एस. ए. द्वारा क्रोफोर्ड बेली एण्ड कंपनी स्टेट बैक बिल्डिंग एन. जी. एन. विद्यामार्ग, मुम्बई–400023 स्थापना : उपलब्ध नहीं।	निम्न क्रियाकलाप किए जाने हेतु 100 प्रतिशत स्वयं की अनुषंगी स्थापित किया जाना– 1) भारत में लौह तथा गैर–लौह कास्टिंग का व्यापार तथा उत्पादन और विपणन किया जाना और/अथवा	11.40

1	2	3	4	5	6
				2) कंपनियों, जो कि लौह तथा गैर–लोहे कास्टिंग विपणन और/ अथवा विनिर्माण में कार्यरत है, उनमें निवेश।	
82.	फस्ट नेशनल कारपोरेशन, 164, रोड स्फिटन ब्राइटन न्यू – जरशी–07470 यू. एस. ए.	यू. एस. ए.	बैन्चरा लाइटिंग लि. सी–33, ईस्टआफ कैलाश नई दिल्ली स्थान : नई दिल्ली	बाहर की लाइटिंग प्रणाली (ब्यौरा अनुबंध–1 में दिया गया है)	0.03
83.	सिनिको कैमिकल्स कारपोरेशन, यू. एस. ए.	यू. एस. ए.	सिनिको कैमिकल्स इंडिया प्रा. लि., 13, मुगदली औरशन काम्पलैक्स खाड्की, पूणे–411003 स्थान : उपलब्ध नहीं	संश्लेषात्मक लुब्रिकेंट्स तथा अन्य संबंद्ध उत्पादों का विनिर्माण जिसमें पैट्रोल आसवन शामिल नहीं हैं गैर प्रदूषण और बाईडिग्रेडेबल	0.35
84.	मि. डेली उक्नो द्वारा : ई–जैड डाटा इंक इंक 918 ईस्ट ग्रीन स्ट्रीट पासाडेना, सीए–91106 यू. एस. ए.	यू. एस. ए.	– स्थान : नागपुर (महाराष्ट्र)	साफ्टवेयर विकसित करना, प्रशिक्षण, आयात–निर्यात तथा अनुसंधान संबंधी कार्यकलाप	0.05
85.	ऑगडन एनर्जी इंक यू. एस. ए.	यू. एस. ए.	ऑगडन एनर्जी इंक 40, लेन रोड, सीएन 2615 फयरफील्ड, एनजे–07007 स्थान : कलकत्ता (पं. बंगाल)	भारत में बिजली का स्वतंत्र रूप में उत्पादन करने वालों को प्रचालन तथा रखरखाव के उद्देश्य से सेवा प्रदान किया जाना	0.19
86.	रिज सोल्यूशन इंक यू. एस. ए.	यू. एस. ए.	रिज सोल्यूशन इंक द्वारा : कूपर्स एण्ड लेब्राण्ड प्रा. लि. पांचवीं तल 1, कापरनिक्स मार्ग, नई दिल्ली–110001 स्थान : उपलब्ध नहीं।	होटल तथा पर्यटन उद्योग के लिए केन्द्रीकृत आरक्षण सेवा को प्रदान करना	0.35
87.	मै. जीसी इंटरनेशनल कारपोरेशन, 60 स्टेट स्ट्रीट, एसटीई–700 बोस्टन एम ए–02019 यू. एस. ए.	यू. एस. ए.	गारनर कंपनी (इंडिया) प्रा. लि. चिटनिश हाऊस, 1, कोडाम्बकम हाई रोड, चेन्नई – 600034 स्थान : चेन्नई (तमिलनाडु)	सर्ज सुप्रेसर्स, मोल्डेड केयर सर्किट ब्रेकर्स	0.05
88.	क्रिस्टोफर कलिम यू. एस. ए.	यू. एस. ए.	सी. वाई. एन. कारपोरेशन सी–303 मनुभाई टावर सायाजीगंज, बडौदरा–5 गुजरात स्थान : बडौदरा (गुजरात)	कम्प्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात तथा विकास के लिए	0.17

1	2	3	4	5	6
89.	कंपलाइंस इंटरनेशनल 4713, फस्ट स्ट्रीट सूट 115 प्लीआसेन्टन कैलीफोर्निया–94566 यू. एस. ए.	यू. एस. ए.	– स्थान : उपलब्ध नहीं	टेलीकॉम क्षेत्र में परामर्शी संबंधी क्रियाकलाप किए जाने हेतु	0.10
90.	मि. हबिब एम. रावजी यू. एस. ए.	यू. एस. ए.	जेसमाइन टैक्सटाइल प्रा. लि. 125, अरूप्कोटाई रोड पेरूगुडडी मदुरई – 625022 स्थान : उपलब्ध नहीं	14.24 लाख कि. ग्राम की वार्षिक क्षमता का सूती धागों विनिर्माण	0.80
91.	पी. पी. जी. कंपनी यू. एस. ए./अन्य फिएट ग्रप कंपनी	यू. एस. ए	फिएट इंडिया आटोमोबाइल्स लि. द्वारा : इंडिया आटो लि. एल. बी. एस. मार्ग, कुर्ला, मुम्बई–400070 स्थान : पूणे (महाराष्ट्र)	फिएट संयंत्र के अंदर विक्रेता के रूप में पेंटशॉप का निर्माण तथा प्रचालन किए जाने हेतु	38.00
92.	मै. एटलांटिक डकैस इंटरनेशनल यू. एस. ए.	यू. एस. ए.	– स्थान : दिल्ली (दिल्ली)	भारत में सॉफ्टवेयर विकास केन्द्र (एस. डी. सी.) को स्थापित करने के लिए 100 प्रतिशत अनुषंगी कंपनी की स्थापना किया जाना	7.60
93.	हाइड्रो इनकोरपोरेटेड 834, वेस्ट मेडियन, शिकागो, इलीनडिस–60607	यू. एस. ए.	– स्थान : उपलब्ध नहीं	इस्पात, पेट्रोलियम और रसायन उद्योगों के लिए पम्पों के पुर्ननिर्माण तथा मरम्मत हेतु 100% अनुषंगी की स्थापना किया जाना	0.10
94.	नोवाटेक इन्फोरमेशन सिस्टम इंक यू. एस. ए.	यू. एस. ए.	नोवाटेक इन्फोरमेशन सिस्टम प्रा. लि. 1159, सौवाजस हाऊस सदाशिव पथ, पूणे–411030 स्थान : पूणे (महाराष्ट्र)	प्रशिक्षण तथा श्रम शक्ति विकास नियोजन सेवाओं की सुविधा प्रदान किए जाने हेतु कम्प्यूटर केन्द्रों की स्थापना तथा परिचालन के लिए सूचना सेवाएं, अन्य साफ्टवेयर तथा हार्डवेयर की सुविधाएं प्रदान करना।	0.10
95.	मि. डेविड आर. गुलाहटी यू. एस. ए.	यू. एस. ए.	डायरेक्ट रिसोर्स (इं) प्रा. लि. सी–15, साउथ एक्सटेंशन–1 नई दिल्ली–49 स्थान : दिल्ली (दिल्ली)	भारतीय उत्पादों जैसे कयर हैंडलूम ब्रासवेयर, उत्पादों का संसाधन दिए जाने के माध्यम से विदेशी सहयोगकर्ताओं को सेवाएं प्रदान करना	0.95
96.	मफी – ट्रैंच कारपोरेशन यू. एस. ए.	यू. एस. ए.	मफी–ट्रैंच टरबोमेक हिनरी (इंडिया) प्रा. लि. 205 एस कमल बिल्डिंग लोकमान्य तिलक रोड सायाजीगंज बडौदरा–390005 स्थान : बड़ौदरा (गुजरात)	भारत तथा दक्षिणी पूर्वी एशियन देशों में ट्रबो एक्सपेंडर एक्सपेंडर कंप्रेसर्स की मरम्मत तथा रखरखाव	0.14

1	2	3	4	5	6
97.	बैबकॉक एण्ड विलकैक्स पावर जरनेशन ग्रुप 20 एस. वैन बुरेन एवेन्यू बारवेटन ओएच 44203–035 यू. एस. ए.	यू. एस. ए.	– स्थान : उपलब्ध नहीं	इंजीनियरिंग, अधिप्राप्ति और निर्माण कार्यों के ठेकेदारों के रूप में ठेकों का नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण किया जाना तथा पुराने बिजली संयंत्रों को पुनः चालू करना, बॉयलरों का उन्नयन, नए उपयोगी बॉयलरों तथा अन्य इससे संबंधित अवयवों की बिक्री संबंधी क्रियाकलाप करना।	29.00
98.	लिंकन इलैक्ट्रिक कंपनी यू. एस. ए.	यू. एस. ए.	सरोज कुमार पोद्दार हांगकांग हाऊस 31, डलहौजी एस्क्वायर (एस) कलकत्ता – 700001 (पं. बंगाल) स्थान : उपलब्ध नहीं	ए. आर. सी वैल्डिंग उत्पादों का विनिर्माण	7.40
99.	स्टोन एण्ड वैबस्टर इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन 1430, इन्कलेव पार्कवे हसटन, टैक्सास 77077–2023	यू. एस. ए.	इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि. स्कोप कम्पलैक्स कोर–2 लोदीरोड, नई दिल्ली–110003 स्थान : बेगुसराय (बिहार)	मोटर स्प्रिट, एल. पी. जी. हाई. स्पीड डीजल एल. एच. एस.	0.00
100.	वारविक इंडस्ट्रीज इंक यू. एस. ए.	यू. एस. ए.	वारविक इंडिया प्रा. लि. एम–4, ग्रेटर कैलाश पार्ट–I नई दिल्ली–110048 स्थान : मुरादाबाद (उ. प्र.)	कांच के बर्तन, लौह वस्तुएं तैयार कपड़े, मिट्टी के बर्तनों, चमड़े का सामान आदि जैसे विभिन्न भारतीय हस्तशिल्प वस्तुओं का विनिर्माण	0.05
101.	स्टोन वैबस्टर इंजीनियरिंग कारपोरेशन यू. एस. ए.	यू. एस. ए.	स्टोन एण्ड वैबस्टर इंडिया प्रा. लि. 5वां तल, राजेन्द्र भवन, 210 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली–110002 स्थान : उपलब्ध नहीं।	डिजाइन, इंजीनियरिंग प्रापण, निर्माण प्रबंधन और भारत के बिजली क्षेत्र के लिए परियोजनाओं को चालू किए जाने के लिए सेवाएं प्रदान करने हेतु एक परामर्शदायी उद्यम की स्थापना किया जाना	0.10
102.	मै. डिस्कवरी कम्यूनिकेशन इंक	यू. एस. ए.	डिस्कवरी कम्यूनिकेशन इंक लि. गोपालदास भवन, 9वां तल, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली–110003 स्थान : उपलब्ध नहीं	अन्य गुणवत्ता, उच्च शिक्षा, वास्तविक जीवन के मनोरंजन कार्यक्रमों और डिस्कवरी चैनल के एयर टाइम के विपणन हेतु भारत में एक 100 प्रतिशत पूर्णतः अनुषंगी की स्थापना किया जाना।	0.00
103.	डोनाल्डसन कंपनी इंक 1400 वैस्ट 94वीं गली मिनरापोलिस मिनसोटा 55431 यू. एस. ए.	यू. एस. ए.	डी. आई. फिल्टर सिस्टम प्रा. लि. बी–22, गीतांजलि एन्क्लेव नई दिल्ली–110017 स्थान : गुडगांव (हरियाणा)	इंटरनल कम्बयुशन इंजिनों हेतु इनटेक एयर फिल्टर	0.21

1	2	3	4	5	6
104.	माइक्रोहार्ड टैक्नोलॉजी इंक यू. एस. ए.	यू. एस. ए.	माइक्रोहार्ड टैक्नोलॉजी प्रा. लि. ई–812 8वां तल प्रेस्टिज मेरीडियन–1 एम. जी. रोड, बंगलौर स्थान : बंगलौर (शहरी) (कर्नाटक)	कंप्यूटर साफ्टवेयर	1.00
105.	फनस्कूल, कॉम कारपोरेशन यू. एस. ए.	यू. एस. ए.	फनस्कूल कॉम (इंडिया) प्रा. लि. प्लाट नं. 17, गारडिनिया अपार्टमेंट, अमरपेट, हैदराबाद–500016 स्थान : हैदराबाद (ट्विन सिटीज) (आन्ध्र प्रदेश)	कंप्यूटर साफ्टवेयर	0.10
106.	बी. के. रथ, 1520, रिचर्डसन ड्राइव सूट 512, आर. सवोन टैक्सास, यू. एस. ए.	यू. एस. ए.	– स्थान : भुवनेश्वर (उड़ीसा)	कंप्यूटर साफ्टवेयर	0.11
107.	हैल्थकेयर मीडिया इंटरप्राइज इंक 1301, रेडवूड वे, सूट न. 200, पेटलूमा, कैलीफोर्निया 94954 यू. एस. ए.	यू. एस. ए.	– स्थान : थिरुवैनन्थापुरम (केरल)	कंप्यूटर साफ्टवेयर	1.50
108.	कारपोरेट कम्प्यूटिंग सर्विस, यू. एस. ए.	यू. एस. ए.	सी. सी. एस. साफ्टवेयर इंडिया प्रा. लि. ए 1, टैक्नोलॉजी पार्क एम. आई. डी. सी., टालवडे, पूणे स्थान : पूणे (महाराष्ट्र)	कंप्यूटर साफ्टवेयर	1.00
109.	बरिकमोन्ट इंक 500 टैक्नोलॉजी ड्राइव साउथ पाउन्ट इन्डस्ट्रियल पार्क केनोनसबर्ग पी ए 15317–9584 यू. एस. ए.	यू. एस. ए.	– स्थान : पूणे (महाराष्ट्र)	कंप्यूटर साफ्टवेयर	0.25
110.	पेट्रोसलाइन इक यू. एस. ए.	यू. एस. ए.	पेट्रो इनर्जी प्रोडक्ट्स कं.. इंडिया लि. 23, ओलकोट कुपम रोड, बेसन्त नगर, मद्रास – 600090 स्थान : पांडिचेरी (पांडिचेरी)	मोटरस्प्रिट/नैष्था	0.00
111.	मै. जी. ई. इलैक्ट्रिक कंपनी यू. एस. ए.	यू. एस. ए.	जी. ई. लाइटिंग (इंडिया) लि. ए. आई. एफ. ए. सी. एस. बिल्डिंग 1, रफी मार्ग, नई दिल्ली –110001 स्थान : उपलब्ध नहीं	उच्च दबाव का मर्करी वाष्प लैम्पों, हाई लैम्पों सोडियम वाष्प लैम्पों जी एल एस, फ्लोरोसेंट लैम्पों तथा अन्य प्रकाश के अवयवों	50.00

विवरण - IV

विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के पास लंबित प्रस्ताव

सूचना और प्रसारण क्षेत्र

1. मै. चैन्ना लियो बर्नेट प्रा. लि.
2. मै. डब्ल्यू डी इंडिया प्रा. लि.
3. मै. आशीपिन होल्डिंग्स
4. मै. इनफिनिटी
5. मै. मुद्रा कम्युनिकेशंस प्रा. लि.
6. मै. ज्यूएज प्रोडेक्शन प्रा. लि.
7. मै. यूनाइटेड इंटरटेनमेंट नेटवर्क प्रा. लि.
8. मै. जेन कम्युनिकेशन प्रा. लि.
9. मै. चैफ्मा बी. वी. दि नीदरलैंड्स
10. मै. आई एफ प्रोडक्शंस, फ्रांस
11. मै. सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट इंक, यू एस ए
12. मै. बूमबर्ग डाटा सर्विसेज (आई) प्रा. लि.
13. मै. आप्टिमा इंडिया प्रा. लि.
14. मै. रीडर्स डाइजेस्ट एसोसिएशन इंक

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तथा रसायन तथा पेट्रोरसायन क्षेत्र

15. मै. बिलियन ग्रांट एंड संस
16. मै. विजय ब्रेवरिज लि.
17. मै. कोलनैक ब्रेवरिज एंड प्रोडेक्ट्स (प्रा.) लि.
18. मै. भास्कर एस. कोरियन
19. मै. रेह केन्डरमन्न वेंकल्लेरी जीएमबीएच
20. मै. यूनाइटेड ब्रेवरिज लि.

तम्बाकू क्षेत्र

21. मै. रॉथमन्स ऑफ पॉल माल (इंटरनेशनल) लि.

खनिज क्षेत्र

22. मै. डब्ल्यू एस आई एल मिनरल सैंड्स इंडिया प्रा. लि.

तीव्र परिवहन क्षेत्र

23. मै. यू. बी. ट्रांजिट सिस्टम

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस क्षेत्र

24. मै. ब्रिटिश गैस इंडिया प्रा. लि.

विवरण - V

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में प्रस्तावों पर विचार हेतु विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के दिशा–निर्देशों और क्षेत्र विशिष्ट दिशा–निर्देशों में निम्नलिखित मानदंड अंतर्निहित हैं:

(1) 100% विदेशी स्वामित्व वाली सहायक कंपनी वाले प्रस्तावों पर विचार करते समय निवेश के स्तर तथा प्रौद्योगिकी के स्तर को ध्यान में रखा जाता है;

(2) लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों के विनिर्माण हेतु 24% अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के मामले में निवेशक कंपनी को औद्योगिक लाइसेंस लेना होता है और अपने उत्पादन के 50% भाग का निर्यात दायित्व लेना होता है;

(3) उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र में 22 विनिर्दिष्ट उद्योगों के संबंध में विदेशी निवेशकों को व्यावसायिक उत्पादन आरंभ होने की तिथि से 7 वर्षों के लिए लाभांश स्वदेश भेजने की राशि को उतनी ही राशि की निर्यात आय से संतुलित करना होता है;

(4) लाभांश संतुलन के अतिरिक्त, न्यूनतम पांच वर्ष की अवधि के लिए एल्कोहल क्षेत्र को, आयात के लिए उपयोग होने वाली विदेशी मुद्रा के बर्हिगमन को उतनी ही राशि की निर्यात आय से संतुलित करना होता है;

(5) किसी भारतीय कंपनी में आंशिक/पूर्ण इक्विटी अधिग्रहण हेतु किसी विदेशी बाहरी कंपनी के प्रस्ताव को अनिवार्यतः विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के पास अनुमोदनार्थ भेजना होता है, ऐसे प्रस्तावों के साथ लक्ष्य कंपनी का बोर्ड संकल्प और विदेशी अधिकग्रहणकर्ता से सहमति पत्र लगे होने चाहिए। शेयरों को आगे जारी करना/ हस्तांतरित करना/ मूल्य निर्धारण "सेबी"/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुरूप होगा।

(6) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के ऐसे मामलों में जहां पहले संयुक्त उद्यम मौजूद हो, जहां तक उत्पाद/कार्यकलाप और/अथवा बाजार क्षेत्र सामान हों, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड हेतु प्रस्तावों पर विचार करने से पहले मौजूदा संयुक्त उद्यम भागीदारों से "अनापत्ति" हेतु जोर देता है;

(7) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का स्वतः अनुमोदन मार्ग, निवेश हेतु निर्धारित अधिकतम सीमा के भीतर 69 उच्च प्राथमिकता उद्योग समूहों के लिए लागू है।

(8) स्वतः अनुमोदन मार्ग निम्नलिखित के लिए लागू नहीं है:

* निर्यातोन्मुख एकक।
* लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदें।
* अनिवार्य लाइसेंसिंग की अपेक्षित मदें।
* शेयरों के हस्तांतरण के माध्यम से मौजूदा कंपनी में विदेशी कंपनी द्वारा शेयरों का अधिग्रहण।

विवरण -VI

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर प्रतिबंध

1. कुछ विशेष क्षेत्र जैसे अचल संपत्ति, बागान, कृषि–कार्यकलाप और बीमा अभी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हेतु खुले नहीं है।

2. क्षेत्र–वार संवेदनशीलताओं के आधार पर विदेशी इक्विटी भागीदारी के लिए कुछ विशेष क्षेत्रों में अधिकतम सीमांए निर्धारित की गयी हैं, जैसे – एन बी एफ सी कार्यकलाप (प्रचालन कंपनियों में 75% तक), बैंकिंग (बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के मामले में 40% तक, अन्य विदेशी बैंकिंग कंपनियों के मामले में 20%) नागरिक उड्डयन (40% तक और विदेशी एयरलाइनों द्वारा कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष इक्विटी नहीं), दूरसंचार सेवाएं (49%), इत्यादि;

3. विदेशी इक्विटी वाली ट्रेडिंग कंपनियों को घरेलू खुदरा व्यापार की अनुमति नहीं है।

गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियां

***86. श्री यू. वी. कृष्णामराजु :**

श्री भगवान शंकर रावत :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) इस समय देश में कार्यरत गैर–बैंककारी वित्तीय संस्थाओं /गैर–सरकारी बैंकों/ प्लांटेशन कंपनियों/ कृषि आधारित निवेश कंपनियों/चिट फंड कंपनियों की संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन कंपनियों में निवेशकों द्वारा कुल कितनी धनराशि का निवेश किया गया है;

(ग) उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध उक्त अवधि के दौरान जनता के साथ धोखाधड़ी करने के मामले पंजीकृत किए गए हैं;

(घ) सरकार द्वारा उन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या गैर–सरकारी वित्तीय कंपनियों के संबंध में सरकार द्वारा गठित कृतिक बल ने इन कंपनियों के विनियमन एवं परिचालन में आमूल–चूल परिवर्तन करने की सिफारिश की है;

(च) यदि हां, तो कृतिक बल द्वारा दी गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) उक्त सिफारिशों को लागू करने तथा जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दन) : (क) जनवरी, 1997 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन के अनुसरण में गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया था। इसके बाद, दिनांक 30.11.98 की स्थिति के अनुसार 37788 गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने पंजीकरण के लिए आवेदन किया था, जिनमें से 7063 गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी कर दिए गये हैं और 846 आवदेनपत्र रदद् कर दिए गये हैं। वर्ष 1996–97 के दौरान देश में चिट फंड कंपनियों की कुल संख्या 1376 थी। इस समय तक 35 गैर सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं।

भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) द्वारा दिनांक 18.12.97 को जारी सार्वजनिक सूचना के प्रत्युत्तर में 643 प्लान्टेशन कंपनियों ने सेबी में सूचना दायर की है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन कंपनियों में निवेशकों द्वारा किए गये निवेश की कुल धनराशि निम्नलिखित हैः–

(धन राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	कुल जमाराशियां	सार्वजनिक जमा राशियां
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां		
1995	90092.8	13224.8
1996	108435.5	20792.1
1997	133279.9	28747.0
गैर सरकारी क्षेत्र के बैंक		
1995–96	34314.11 करोड़ रुपए	
1996–97	46147.75 करोड़ रुपए	
1997–98	62703.37 करोड़ रुपए	

भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार एग्रो बौन्ड, प्लान्टेशन बौंड आदि जारी करने वाली संस्थाओं द्वारा 2,400 करोड़ रुपए की धनराशि जुटाई गई है।

(ग) और (घ) उन गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 1.1.97 से 31.10.98 तक प्रतिबंधक आदेश जारी किए हैं, की सूची तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई अन्य कार्रवाई संलग्न विवरण–I में दी गई है। जहां तक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के जमाकर्ताओं से कंपनी कानून बोर्ड को प्राप्त शिकायतों तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45 थ क की शर्तों के अनुसार उनके द्वारा की गई कार्रवाई का संबंध है, ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गये हैं। सेबी ने निवेशकों की शिकातयों के आधार पर निम्नलिखित संस्थाओं के विरुद्ध अदालत में कार्रवाई शुरू की है:–

1. गोल्डन फोरेस्ट्रस (इंडिया) लि.

2. एरोर ग्लोबल एग्रो टेक. लि.

3. लिब्रा प्लांटेशन लि.

4. एस पी जी ग्रीन गोल्ड प्लांटेशन लि.

5. ओंकारा एग्रो इंडस्ट्रीज लि.

(ङ) सिफारिशों का सारांश संलग्न विवरण–III में दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से कृतिक बल की सिफारिशों के कार्यान्वयर के लिए कार्रवाई शुरु कर दी गई है।

विवरण-I

गत दो वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जिन चूककर्ता गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, उनके विवरण

1. उन–गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों की सूची जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक ने 01 जनवरी, 1997 से 31 अक्तूबर, 1998 तक प्रतिबंधक आदेश जारी किए हैं:–

क्रम संख्या	कंपनी का नाम
1	2
1.	चांसलर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लि., नुतन बाजार, पी. ओ. धुबुलिया, जिला नादिया।
2.	वेलफेयर सेविंग्स एंड क्रेडिट लि. स्कूल बागान, बोलापुर, जिला बीरमुम
3.	बित्योदय हाउसिंग फाइनेंस (प्रा.) लि., जिला भोजपुर, बिहार।
4.	रिसर्च सेविंग्स एंड फाइनेंस (प्रा.) लि., मोहिनी मार्केट, एक्जीबीशन रोड, पटना, बिहार–800001
5.	मानव संसाधन विकास फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट (आई) लि., श्रेस भवन, बेली रोड, खाजपुरा, पटना बिहार।
6.	सीआरबी कैपिटल मार्केट्स लि., सीआरबी, हाऊस, पंचकुइयां रोड, नई दिल्ली।
7.	प्रेस्टीज़ीयस फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट (आई) लि., स्वयम सिघी कमर्शियल काम्प्लेक्स, रोड नं. 12, एक्जिबीशन रोड़, पटना, बिहार।
8.	ग्लोबल फाइनेंस कारपोरेशन लि.।
9.	वर्ल्ड लिंक फाइनेंस लि., 151 मेकर चेम्बर्स III, नरीमन प्वाइंट, मुंबई–400021
10.	एशिया पेसिफीक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लि., 60, नागार्जुना हिल्स, पुंजगुट्टा, हैदराबाद–500082
11.	हेलोइस फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लि., हेलोइस भवन, स्टेशन रोड़, पटना–800001
12.	हेलोइस कारपोरेशन लि., हेलोइस भवन, स्टेशन रोड़, पटना–800001
13.	अमनेट इंडिया क्रेडिट कारपोरेशन लि., नलिन एपार्टमेंट्रस (पहला तल) अंधेरी (वेस्ट), मुम्बई–400058
14.	गाडगिल वेस्टर्न कारपोरेशन लि. वेस्टर्न इंडिया हाऊस, बी–6/6, कमर्शियल काम्पलेक्स, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली–110029
15.	एनआईटीएल म्युच्युअल बेनीफिट (आई) लि., 9ए, डीजी–1, विकासपुरी, नई दिल्ली–110018
16.	फ्रुडेंशियल कैपिटल मार्केट लि., टोबेक्को हाउस, दूसरा तल, 1 एवं 2 ओल्ड कोर्ट हाउस कार्नर, कलकत्ता–700001
17.	जेवीजी फाइनेंस लि., बी–22 अन्सल चेम्बर्स–1, भीकाजी कामा पैलेस, नई दिल्ली–110066
18.	जेवीजी फाइनेंस लि., बी–22 अन्सल चेम्बर्स–1, भीकाजी कामा पैलेस, नई दिल्ली–110066
19.	जेवीजी सेक्युरिटीज लि., बी–1, मेहता बिल्डिंग, भीकाजी कामा पैलेस, नई दिल्ली–110066

1	2
20.	वेस्टर्न इंडिया सेक्युरिटीज लि., बी–6/7, डीडीए कमर्शियल काम्प्लेक्स, सफदरजंग एंक्लेव, नई दिल्ली–110029
21	मेकडोवेल क्रेस्ट फाइनेंस लि., 312, अन्ना सलाय, चेन्नई – 600018
22.	डीएसजे फाइनेंस कारपोरेशन लि., 105, श्रेयस बिल्डिंग, मोंगीनिस फैक्टरी के पीछे, न्यू लिंक रोड, अंधेरी (वेस्ट), मुम्बई–400053
23.	स्टैंडर्ड इकानामी (प्रा.) लि., 28/2/1, ओल्ड बालीगंज, दूसरा लेन, कलकत्ता–700019
24.	अनेजा फाइनेंसियल सर्विसेज लि., माडल हाउस के पीछे, पुजागट्टा, हैदराबाद।
25.	जायदीप सेविंग्स एंड क्रेडिट इंडिया लि., डा. अम्बेडकर रोड, पालटा, पी. ओ. बंगाल एनामेल, जिला नार्थ 24–परगना, पश्चिम बंगाल।
26.	बिहार कैपिटल फाइनेन्शिसर्स (आई) लि., सूर्या कम्प्लेक्स, जमाल रोड, पटना–800001
27.	रीच कैपिटल एण्ड फाइनेशियल सर्विसेज लि. 14/123 ए. पांचवी मंजिल, गोपाला चैमवर्स, परेड, दि माल, कानपुर, 208001
28.	पाटलिपुत्र हाऊसिंग देव. एण्ड फीन (आई) प्रा. लि. पश्चिमी बोरिंग केनाल रोड, द्वारका मंदिर के नजदीक पटना–800001
29.	इनट्रस्ट फाइनानस (प्रा.) लि., डी 671, "नयना", मंडीपेट, देवांगिरि 577001
30.	डीसीएम फाइनेनिशयल सर्विसेज लि. 75, अमृत नगर, एनडीएससी पार्ट–1, नई दिल्ली–110003
31.	पाटला सेविंग्स एण्ड इन्वैस्टमैंट प्रा. लि. गंज नं. 2, बेट्टिया (पश्चिम चंपारण), बिहार
32.	सुबिदपुर जनकल्याण इन्वैस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कं. लि., रामनगर रोड़ गांव –सुबिदपुर, पो. पुरन्दरपुर, जिला–24 परगना (उत्तर) पश्चिम बंगाल
33.	रॉकलैण्ड लीजिंग लि. 81ए, हिमालय हाऊस, 23, के. जी. मार्ग, नई दिल्ली–110001
34.	रौनक फाइनान्स लि. 418, तीसरी मंजिल, शालीमार काम्पलेक्स, चर्च रोड, जयपुर–302006
35.	रकीमैटिक फाइनान्श लि., नई दिल्ली।
36.	समृद्धि सेविंग एण्ड इन्वेस्टमेंट (इंडिया) लि., रायपुर
37.	इन्नोबल इंडिया सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कं. लि., बरेली
38.	जीनियस फाइनन्शियल सर्विसेज लि., हैदराबाद
39.	मिडवेस्ट हीरे परचेज लि., हैदराबाद
40.	मिडवेस्ट म्यूचुअल फण्ड लि., हैदराबाद
41.	मिडवेस्ट इंडिया इण्डस्ट्रीज

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, उसने उन चूककर्ता बैंककारी वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध प्रतिबंधक आदेश जारी किए हैं, जिनके विरुद्ध राशियों का भुगतान न करने के बारे में बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और निरीक्षण करने पर उन्हें दिवालिया पाया गया। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने, सी आर बी कैपिटल मार्किट लि., नई दिल्ली, जे वी जी ग्रपु ऑफ कम्पनीज, नई दिल्ली और एशिया पैसिफिक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लि., हैदराबाद के मामलों में संबंधित उच्च न्यायालयों में इन कंपनियों को बन्द करने के लिए याचिकाएं दायर की हैं। जे. वी. जी. फाइनेंस लि., नई दिल्ली, जे. वी. जी. लीजिंग लि., नई दिल्ली, जे. वी. जी. सिक्योरिटीज लि., नई दिल्ली, हाफलैंड फाइनेंस लि., नई दिल्ली, एशिया पैसिफिक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लि., हैदराबाद, एन. आई. टी. एल. म्यूचुअल वेनिफिट्स लि., नई दिल्ली, एनडोमेंट इन्वेस्टमेंट (आई) लि., चण्डीगढ़ और रॉकलैण्ड लीजिंग लि., नई दिल्ली के बारे में भी आर. बी. आई. ने मुकदमा चलाए जाने संबंधी कार्रवाई शुरू की है। इसके अतिरिक्त आर. बी. आई. ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत हॉफलैंड फाइनेंस लि. के विरुद्ध जनता को धोखा देने की शिकायत पुलिस के पास दर्ज कराई है।

गैर बैंककारी वित्तीय संस्थाओं पर कड़ी निगरानी रखने के लिए आर. बी. आई. विभिन्न कार्रवाईयां कर रहा है।

उपरोक्त कार्रवाई के अतिरिक्त, आर. बी. आई. ने गैर–बैंककारी वित्तीय कम्पनियों द्वारा पैसा जमा करने के बारे में बनाई गई रूपरेखा के बारे में जनसाधारण को जागरूक बनाने के लिए कई बार विज्ञापन भी प्रकाशित किए हैं।

विवरण-II

गैर–बैंककारी वित्तीय कंपनियों के जमाकर्ताओं से कंपनी विधि बोर्ड द्वारा प्राप्त शिकायतें

1.	धारा 45 थ क (1) की शर्तों के अनुरूप जमाकर्ताओं से प्राप्त शिकायतों की सं.	13367
2.	उन कंपनियों की संख्या जिनके विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुईं।	109
3.	उन मामलों की संख्या जहां कंपनियों को मूलधन और ब्याज की वापसी करने का निदेश दिया गया है।	10589
4.	कितने मामलों में गैर–बैंककारी वित्तीय कंपनियों ने कंपनी विधि बोर्ड के निदेशों का पालन किया है।	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 थक के अंतर्गत पारित सी एल बी आदेश में यह दर्शाया गया है कि अनुपालना न होने के मामले में जमाकर्ता आवेदक, भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित महाप्रबंधक से संपर्क कर सकता है जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 58 ख (4 क क क) के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई करेगा। कुछ मामलों में यह बताया गया है कि कंपनी द्वारा सी एल बी आदेशों की अनुपालना न होने के मामले में, भारतीय रिजर्व बैंक आवश्यक कार्रवाई कर सकता है। (अर्थात् कपंनी का अभियोजन)।
5.	कितने मामलों में चूककर्ता कंपनियों ने कंपनी विधि बोर्ड के निदेशों का पालन किया है।	
6.	पूरक प्रश्नों का उत्तर तैयार करने के लिए अन्य सूचना।	कुछ मामलों में कंपनी के निदेशकों के पते न होने के कारण इन्हें कंपनी और उसके निदेशकों को नहीं दिया जा सका।

विवरण-III

सिफारिशों का सारांश

1. वित्तीय बाजारों का विशाखीकरण वित्तीय क्षेत्र के सुधारों का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस माहौल में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां फली–फुलीं और किराया खरीद (एच, पी) वित्त, आवास वित्त, उपकरण पट्टेदारी (ई. एल.) वित्त, ऋणों और निवेशों जैसे बहुत से कार्यकलापों में महत्वपूर्ण हो गयीं।

2. यह माना गया है कि मौजूदा विधायी और विनियामक ढांचें को और अधिक परिष्कृत करने तथा उसमें सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि चूक करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की संख्या बढ़ रही है तथा वैयक्तिक जमाकर्ताओं की कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक कारगर और तुरंत कार्य करने वाली प्रणाली की आवश्यकता है। चूक करने वाली और दिवालिया (शोधन में अक्षम) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आस्तियों का अभिग्रहण करने और उनके समापन के लिए प्रक्रिया में कमियां हैं और यह प्रक्रिया न तो आस्ति की बरबादी को रोकने के लिए कारगार है और न ही सभी ऋणदाताओं के लाभ के लिए आस्तियों के शीघ्रता से निपटान में सक्षम है, चाहे ये आस्तियां जमानती हों या गैर जमानती। यह भी धारणा है कि कुछ बातों में विनियामक पद्धति प्रतिबंधात्मक है और अच्छा कार्य करने वाली स्वस्थ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विकास में बाधक है।

3. न्यूनतम शुद्ध स्वाधिकृत निधि प्राप्त करने के लिए तीन वर्ष की अवधि जनवरी 2000 में समाप्त हो जायेगी। इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा यदि कोई अवधि बढ़ायी जायेगी तो वह संबंधित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर लागू इस शर्त पर होगी कि प्रारंभ

के तीन वर्षों में शुद्ध स्वाधिकृत निधि बढ़ाने के लिए पर्याप्त उपाय किये गये हों और उस समय लागू होने वाली न्यूनतम पूंजी आवश्यकता प्राप्त करने के लिए बढ़ायी गयी अवधि में संतोषजनक उपाय किये गये हों। इसके अतिरिक्त और अधिक वित्तीय सुदृढ़ता प्रदान करने की आवश्यकता को देखते हुए तथा परिचालनों की कुशलता एवं उच्चतर प्रबंधकीय निपुणता की दृष्टि से किफाइत करने की आवश्यकता को देखते हुए वर्तमान में 25 लाख रुपये की न्यूनतम पूंजी आवश्यकता को ही बढ़ाने पर विचार करने की आवश्यकता है।

4. किसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के पंजीकरण के लिए आवेदनपत्रों के निपटान के लिए रिजर्व बैंक को एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाना आवश्यक होगा। इस तथ्य को देखते हुए कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्य प्रायः दूर दराज के क्षेत्रों में केन्द्रित होते हैं, रिज़र्व बैंक जिन कंपनियों को पंजीकृत करे उनके बारे में और साथ ही जिन कंपनियों के आवेदन अस्वीकृत हुए हों उनके बारे में संबंधित राज्य सरकारों को सूचित करे।

5. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्य में निहित अपेक्षाकृत उच्चतर जोखिम को देखते हुए बैंकों की तुलना में पूंजी और जोखिम आस्ति के अनुपात का उच्चतर स्तर अनिवार्य है। श्रेणीबद्धताप्राप्त (रेटेड) सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए 12 प्रतिशत का पूंजी और जोखिम आस्ति अनुपात निर्धारण जारी रहना चाहिए, परंतु जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां साख श्रेणीबद्धता (क्रेडिट रेटिंग) प्राप्त किये बिना जनता से जमाराशियों प्राप्त करें उनके लिए उच्चतर पूंजी और जोखिम आस्ति अनुपात, जैसे कि 15 प्रतिशत, निर्धारित किया जाना चाहिए।

6. यह भी आवश्यक है कि अंतरराष्ट्रीय मानदंडों एवं भारत में वाणिज्य बैंकों पर लागू मानदंडों और साथ ही देश की सामान्य आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक को विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा करनी चाहिए। स्थावर संपदा क्षेत्र को ऋण जोखिम के लिए उच्चतम सीमा रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित होनी चाहिए और साथ ही पूंजी बाजारों में, विशेष रूप से दरें न दिये जानेवाले शेयरों में, निवेश के लिए भी सीमा तय की जानी चाहिए। संबंधित कंपनियों को ऋण देने के लिए मानदंडों को भी कठोर बनाया जाना चाहिए। जनता की जमाराशियों को उच्च जोखिम और सट्टेबाजी के कार्यों में लगाने से रोकने के लिए ही उपाय आवश्यक हैं। रिजर्व बैंक यह तय कर सकता है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अपनी प्रारक्षित राशियों का कम से कम 25 प्रतिशत विपणन योग्य प्रतिभूतियों में निवेश करें जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा पहले से धारित सांविधिक चलानिधि अनुपात वाली प्रतिभूतियों से पृथक हो।

7. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के जमाराशि लेने के कार्यकलापों से संबंधित विनियमन की आवश्यकता सूचना की विषमता के कारण पैदा हुई है। यह विषमता सूचना न पानेवाले जमाकर्ता और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के बीच विद्यमान है। इसके अतिरिक्त जनता से जुटायी गयी जमाराशियों के अल्पावधि के होने की अधिक संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप आस्ति और देयता के बीच अवधिपूर्णता का मेल नहीं रहता तथा जोखिम बना रहता है। परन्तु जनता की जमाराशियों की मात्रा को साख श्रेणीबद्धता से सम्बद्ध करने से अलग प्रकार के मुद्दे पैदा होते हैं। श्रेणीबद्धता करने वाली (रेटिंग) एजेंसियों पर विनियामक कार्य सौंपने का प्रभाव डालने के अलावा इससे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बारंबार आस्ति देयता के बेमेल होने की समस्या का सामना करना पड़ता है। यह बेमेल स्थिति साख श्रेणीबद्धता में परिवर्तन से पैदा होती है। किसी साख श्रेणीबद्धता करने वाली एजेंसी द्वारा दी गयी अतिरिक्त सुविधा के स्तर की दृष्टि से रिजर्व बैंक के लिए यह उपर्युक्त होगा कि वह उन कंपनियों के लिए जनता से जमाराशि की उच्चतर सीमा निर्धारित करे जो अपने लिखतों के लिए श्रेणीबद्धता प्राप्त कर चुकी हैं। तथापि ऊपर लिखे कारणों से जमाराशि की मात्रा को श्रेणीबद्धता से जोड़ना आवश्यक नहीं होगा, बशर्ते यह श्रेणीबद्धता न्यूनतम निवेश ग्रेड से ऊपर हो। संक्षेप में प्रस्तावित उच्चतम सीमा निम्नप्रकार हो सकती है:

कंपनी का प्रकार	जनता की जमाराशियों की सीमा
जिन एनबीएफसी की शुद्ध स्वाधिकृत निधि 25 लाख रुपये से कम है	जनता से जमाराशियों तक कोई पहुंच नहीं
बिना साख श्रेणीबद्धता वाली उपकरण पट्टेदारी/किराया खरीद कंपनी	शुद्ध स्वाधिकृत निधि से डेढ़ गुनी अधिक अथवा 10 करोड़ रुपये, जो भी कम हो (15 प्रतिशत का उच्चतर सीआरएआर).
निवेश ग्रेड की साख श्रेणीबद्धता या उससे ऊपर के ग्रेड वाली इएल/एचपी कंपनी	शुद्ध स्वाधिकृत निधि की डेढ़ गुनी
निवेश ग्रेड साख श्रेणीबद्धता या उससे ऊपर वाली ऋण/निवेश कंपनियां	शुद्ध स्वाधिकृत निधि की डेढ़ गुनी (15% का उच्चतर सीआरएआर)

8. भारतीय रिजर्व बैंक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकों से ऋण सुलभ बनाने के लिए उपायों पर विचार करे और तब गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए सुरक्षित और असुरक्षित जमाराशियों के बीच उपयुक्त अनुपात निर्धारित करने का विचार करे।

9. चलानिधि आस्ति अनुपात वर्तमान स्तर से बढ़ाकर जनता की जमाराशियों के 25 प्रतिशत तक का किया जाना चाहिए, जो चरणाबद्ध रूप में हो। उपयुक्त सांविधिक उपबंध के

द्वारा असुरक्षित जमाराशियों को इन चलनिधि आस्तियों पर प्रथम प्रभार दिया जाना चाहिए, ताकि असुरक्षित जमाकर्ता कम से कम इस बात से आश्वस्त हो सके कि उसके द्वारा जमा किये गये प्रत्येक चार रुपये में से कम से कम एक रुपया तो मिलेगा।

10. भारतीय रिजर्व बैंक को जमाकर्ताओं की शिकायतों के निराकरण के लिए प्राधिकारी नियुक्त करने का सांविधिक अधिकार होना चाहिए। इन प्राधिकारियों का विर्निर्दिष्ट कार्यक्षेत्र हो। बैंकिंग लोकपाल का कार्यालय इस प्रकार की नियुक्ति के लिए एक संभावित विकल्प हो सकता है। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन भी करना होगा।

यदि शिकायत समस्यापूर्ण हो तो चलनिधि आस्तियों के जनता की कुल जमाराशियों में अनुपात के बराबर जमाराशि का अंश जमाकर्ता को इस प्राधिकारी के आदेश के अंतर्गत सीधे अदा किया जा सकता है। जहां तक शेष भुगतान का संबंध है, यह प्राधिकारी उपयुक्त आदेश पारित कर सकता है।

12. इस प्रकार के प्राधिकारी को कानूनी शक्ति प्रदान करने की दृष्टि से उक्त आदेश से प्राधिकारी द्वारा उस जिले में प्रधान दीवानी न्यायालय को भेजा जा सकता है जिस जिले में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है अथवा ऐसे सक्षम प्रधान दीवानी न्यायालय को भेजा जा सकता है जिसे जमाकर्ता चाहे और इस प्रकार का आदेश ऐसे प्रधान न्यायालय की डिगरी के रूप में लागू किया जायेगा।

13. जब तक जमाकर्ताओं की शिकायत के निराकरण हेतु प्राधिकरण की स्थापना के लिए संशोधन न हो जाये तब तक यह अनिवार्य है कि कंपनी विधि बोर्ड (कंपनी लॉ बोर्ड) जमाकर्ताओं पर कार्रवाई करने के लिए अपनी क्रियाविधि कठोर बनाये और इन शिकायतों के तत्परता से निपटान के लिए एक तंत्र बनाये। रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय और कंपनी विधि बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय यह सुनिश्चित करें कि किसी विनियामक/सांविधिक अपेक्षा के उल्लंघन के लिए चूककर्ता कंपनियों पर तत्परता से कोर्रवाई की जाये।

14. राज्य सरकारें जमाकर्ताओं की शिकायतों के निराकरण के लिए क्रियाविधि से संबंधित जानकारी के प्रचार में सहायता के लिए राज्य और जिला स्तर पर कक्ष स्थापित करें।

15. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के परिसमापन की क्रियाविधि व्यापक रूप से उसी तरह की हो जैसी बैंकों के लिए है, ताकि इन कार्यवाहियों को शीघ्र पूरा किया जा सके और विभिन्न जमाकर्ताओं तथा अन्य लेनदारों के दावों का यथासंभव शीघ्र निपटान किया जा सके।

16. विज्ञापनों में दिये गये ब्यौरों की समीक्षा की अत्याधिक आवश्यकता है। समूह की कंपनियों पर देह राशियों, जिन पर कारोबारी उद्यमों में निदेशकों का हित हो और इस प्रकार के व्यक्तियों को दी गयी गैर निधिक सुविधाओं सहित जोखिम की राशि का उल्लेख विज्ञापन में शामिल होना चाहिए।

17. रिज़र्व बैंक द्वारा जमाकर्ताओं के लिए जागरूकता अभियान हेतु सघन उपाय जारी रखने की आवश्यकता है। ये प्रचार अभियान प्रेस (प्रिंट) माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम, सेमीनारों, सम्मेलनों आदि के माध्यम से होने चाहिए। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संघ और उपभोक्ता शिक्षा अनुसंधान केन्द्र, निवेशक शिकायत मंच, जमाकर्ता संघ जैसे विभिन्न निवेशक मंचों को भी इन अभियानों में सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए।

18. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के जमाकर्ताओं के लिए जमा बीमा योजना लागू करना न्यायोचित नहीं होगा, क्योंकि इसमें नैतिक संकट के मुद्दे शामिल हैं। आस्तियों के खराब होने की संभावना है और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र के स्वस्थ विकास पर नकारात्मक प्रभाव की आशंका है।

19. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए रिज़र्व बैंक के तत्वावधान में एक पृथक साधन–सहायता (इंस्ट्रूमेंटलिटी) स्थापित की जानी चाहिए। इसमें विशेषज्ञता प्राप्त तथा अन्य पेशेवर व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और भारतीय रिज़र्व बैंक की समग्र पर्यवेक्षक नीतियों की सहायक होनी चाहिए। नयी साधन–सहायता के लिए नियमों और विनियमों में अपेक्षित पर्यवेक्षण निपुणतावाले विशेषज्ञों और निपुण व्यक्तियों को शामिल करने के लिए काफी लचीलापन होना चाहिए। रिज़र्व बैंक में इस प्रयोजन के लिए एक पृथक कार्यपालक निदेशक होमा चाहिए, जिस पर उस गवर्नर का पर्यवेक्षण हो, ताकि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र के विनियमन और पर्यवेक्षण पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जा सके।

20. रिजर्व बैंक छोटी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के निरीक्षण करने के लिए उपयुक्त अनुभव और क्षमता वाले समद्री लेखाकारों की सेवाओं का उपयोग किया जा सके।

21. स्थल से हटकर किया जानेवाला निगरानी तंत्र अनर्जक आस्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि और जमाराशियों की चुकौती के लिए शेष मामलों में अधिकता होने को तत्काल पकड़े।

22. अत्याधिक संवेदनशील आसूचना प्रणाली का होना आवश्यक है, जो स्थल पर जाकर निरीक्षण को प्रेरित कर सके और बाद में उपयुक्त विनियामक कार्रवाई की जा सके।

23. रिज़र्व बैंक को यह अधिकार होना चाहिए कि वह किसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अथवा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के किसी वर्ग को यह निर्देश दे सके कि वे अपने सांविधिक लेखाकारों की नियुक्ति से पहले रिज़र्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त करें।

24. जहां रिजर्व बैंक को यह विश्वास करने का कारण हो कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का प्रबंध तंत्र ऐसी धोखाधड़ी वाले कार्यकलापों में संलग्न हो सकता है जो कंपनी या उसके जमाकर्ताओं के लिए हानिप्रद हो तो रिजर्व बैंक इस प्रकार की कंपनी को अधिसूचित करे और अधिसूचना पर उस कंपनी की आस्तियां कुर्क मानी जायेंगी और आस्तियों का प्रबंधन रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त अभिरक्षक के हाथ में होगा, तब उन आस्तियों को इस प्रयोजन के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित उच्च न्यायालय अथवा विशेष न्यायालय के आदेश के अंतर्गत निपटाया जाये। इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में उपयुक्त संशोधन किये जायें।

25. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में 1997 में किया गया संशोधन सही दिशा में एक कदम है और इस तरह के तत्वों को व्यक्तियों से जमाराशियों की अनुमति देना जमाकर्ताओं के लिए भारी जोखिम होगा। फिर भी जनता की जमाराशि से इतर ऋणों तक उनकी पहुंच की अनुमति दी जा सकती है। उन्हें गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों सहित कंपनी निकायों से ऋणों की प्राप्ति की अनुमति होनी चाहिए।

26. अपंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, अथवा उन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों जिनके पंजीकरण के प्रमाणपत्र के लिए आवेदनपत्र अस्वीकृत कर दिये गये हैं अथवा जिनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है अथवा जिन पर जमाराशियां स्वीकार करने पर पाबंदी लगा दी गयी है, के द्वारा जमाराशियां स्वीकार करने को संज्ञेय अपराध माना जाना चाहिए। इन प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य सरकारों को विशेष अन्वेषण खंड (विंग) स्थापित करने चाहिए।

27. अनिगमित वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं द्वारा अनधिकृत जमाराशियां लेने के अपराध को संज्ञेय बनाया जाना चाहिए। राज्य सरकारें इस मामले पर तमिलनाडु विधान सभा द्वारा पारित किये गये विधान की तरह विधान बनाने पर भी तत्परता से विचार करें।

28. सभी अनिगमित निकायों द्वारा जमाराशियां मांगने के विज्ञापन जारी करने पर पाबंदी होनी चाहिए।

रबड़ का उत्पादन

***87. श्री एन. डेनिस :**

श्रीमती जयंती पटनायक :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन–किन राज्यों में रबड़ का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) आठवीं योजना अवधि के दौरान रबड़ की खेती के उत्पादन में इन राज्यों की क्या उपलब्धि रही है;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा रबड़ की खेती के लिए उन राज्यों को कितनी सहायता प्रदान की गई;

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजनार्थ प्रस्तावित योजनाएं कौन–कौन सी हैं; और इनके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा रबड़ उत्पादन में विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना करने और रबड़ उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) रबड का परम्परागत उत्पादन केरल और तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में किया जाता है। रबड़ का उत्पादन गैर–परम्परागत क्षेत्रों जैसे कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गोआ, मध्य प्रदेश, प॰ बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में भी किया जाता है।

(ख) 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष 1996–97 के अंत तक रबड़ के अंतर्गत राज्यवार क्षेत्र नीचे दिया गया है:-

परम्परागत क्षेत्र

1.	केरल	455,566 हेक्टेयर
2.	तमिलनाडु	18,209 हेक्टेयर

गैर-परम्परागत क्षेत्र

1.	कर्नाटक	17,324 हेक्टेयर
2.	त्रिपुरा	21,982 हेक्टेयर
3.	असम	10,243 हेक्टेयर
4.	मेघालय	4,345 हेक्टेयर
5.	नागालैण्ड	980 हेक्टेयर
6.	मिजोरम	934 हेक्टेयर
7.	मणिपुर	1,214 हेक्टेयर
8.	अरुणाचल प्रदेश	69 हेक्टेयर
9.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	976 हेक्टेयर
10.	गोवा	922 हेक्टेयर
11.	महाराष्ट्र	143 हेक्टेयर
12.	उड़ीसा	277 हेक्टेयर
13.	पश्चिम बंगाल	62 हेक्टेयर
14.	अन्य	43 हेक्टेयर
	कुल	533,289 हेक्टेयर

8वीं पंचवर्षीय अवधि के दौरान देश में रबड़ के अंतर्गत क्षेत्रफल में 9.17 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।

(ग) सरकार रबड़ की खेती के लिए रबड़ बोर्ड के जरिए अनेक योजनाएं चलाती रही है और प्रौद्योगिकी अंतराल को पारकर तथा क्षेत्रफल का विस्तार करके एवं कम पैदावार वाले पौधों के स्थान पर उच्च पैदावार वाली किस्मों को पुनर्रोपण करके रबड़ उत्पादन और इसकी उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए उठाए गए विभिन्न कदम निम्नानुसार हैं:–

– रबड़ रोपण विकास योजना के अंतर्गत उन्नत किस्म की रोपण सामग्री के नव रोपण एवं पुनर्रोपण के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।

– अधिक पैदावार वाली रोपण सामग्री का उत्पादन करना और उसे रबड़ उपज कर्ताओं में वितरित करना।

– परामर्शदात्री, विस्तारण एवं प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान करना।

– लघु जोत कर्ताओं में ग्रुप प्रोसेसिंग विपणन को प्रोत्साहित करना।

– रबड़ की फसल, उत्पादन और प्रसंस्करण पर अनुसंधान करना।

– वर्ष 1993–94 से रबड़ का उत्पादन और इसकी गुणवत्ता बढ़ाने हेतु विश्व बैंक की सहायता से एक परियोजना चल रही है जिसमें पुराने और अलाभकारी रबड़ के पौधों का पुनर्रोपण करने, उन्नत कृषि–प्रबंधन और दोहन तकनीकों और संस्थागत विकास के जरिए परिपक्व लघु जोत क्षेत्रों में नव रोपण, उत्पादकता बढ़ाना।

रबड़ बोर्ड कतिपय पात्रता मानदण्डों के तहत परम्परागत और गैर–परम्परागत क्षेत्रों में नव रोपण/पुनर्रोपण के लिए रबड़ उपजकर्त्ताओं को क्रमशः 18000/– रुपए प्रति हेक्टेयर और 22,000/– रुपए प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहा है। इसके अलावा, लघु उपजकर्ता कच्ची सामग्री, उच्च पैदावार वाली रोपण सामग्री, सीमा संरक्षण, चारदीवारी के लिए (गैर–परम्परागत क्षेत्रों में) एस. सी./एस. टी. श्रेणी के कामगारों को कंटीले तार की मुफ्त आपूर्ति के अतिरिक्त धुआं गृहों के निर्माण, सामुदायिक प्रसंस्करण इत्यादि के लिए शीटिंग रोलर्स की मुफ्त आपूर्ति के लिए इमदाद/सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

(घ) 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित प्लान योजनाओं को लागू करने के लिए 210 करोड़ रुपए का परिव्यय अलग से रखा गया है:–

– रबड़ रोपण विकास योजना (नव रोपण एवं पुनर्रोपण)

– गैर–परम्परागत क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास

– उत्पादकता में वृद्धि

– प्रसंस्करण, विपणन एवं उत्पाद विकास

– अनुसंधान

– विस्तारण, प्रशिक्षण और रोपण सामग्री की आपूर्ति

– विशेष संघटक एवं जनजातीय उप योजना

– श्रमिक कल्याण

(ङ) रबड़ बोर्ड, रबड़ उत्पादन, प्रसंस्करण और उत्पाद विकास संबंधी विभिन्न पहलुओं पर रबड़ ऊपजकर्ताओं को प्रशिक्षण सहायता और उत्पाद की गुणवत्ता सुधारने और उत्पादन की लागत कम करने के लिए रबड़ सामान के विनिर्माताओं को तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। इसके अलावा, घरेलू रबड़ रोपण उद्योग को संरक्षण प्रदान करने के लिए प्राकृतिक रबड़ के आयात पर प्रतिबंध है, सार्क देशों को छोड़कर किसी देश में मुक्त आयात की अनुमति नहीं है। प्रयुक्त/रिट्रिडेड टायरों के अंधाधुंध आयात को रोकने के लिए भारत सरकार 25 यू एस डालर से 175 अमरीकी डालर प्रति टायर तक न्यूनतम सी आई एफ मूल्य पहले ही निर्धारित कर चुकी है।

कोयले का उत्पादन

*88. **डा. रामचन्द्र डोम :**

श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य कोयला उत्पादक राज्यों में कोयले के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो 1996–97, 1997–98 और 1998–99 के दौरान अब तक राज्यवार कोयले का कुल कितना उत्पादन हुआ और इन राज्यों में कार्यरत कोयला कंपनियों के नाम क्या हैं;

(ग) 1997–98 के दौरान पश्चिम बंगाल में कोयले के कम उत्पादन के क्या कारण हैं;

(घ) इस समय देश में कोयले की कितनी मांग है;

(ङ) क्या सरकार ने 1998–99 और 1999–2000 के दौरान कोयले के उत्पादन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ज) क्या कोयला क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी पर विचार किया जा रहा है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) वर्ष 1996–97, 1997–98 और अप्रैल, 1998 से अक्तूबर, 1998 तक की अवधि के दौरान राज्यों में कार्यरत कोयला कंपनियों (को. ई. लि. और सिं. को. कं. लि.) के नाम के साथ-साथ उत्पादन के राज्य-वार ब्यौरे नीचे दर्शाए गए हैं:–

(मिलियन टन में)

अवधि	कोल इंडिया लि.								सिं. को. कं. लि.	कुल जोड़
	पं. बंगाल	बिहार	उड़ीसा	महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश	असम	जोड़	आंध्र प्रदेश	
	ई.को.लि. और भा.को.को.लि.	ई.को.लि., भा.को.को.लि. और से.को.लि.	म.को.लि.	वे.को.लि.	वे.को.लि., सा.ई.को.लि. और ना. को लि.	ना.ई.को.	ना.ई.लि.	को.इ.लि.		
1996–97	17.66	71.31	37.37	24.86	83.28	15.40	0.75	250.63	28.73	279.36
1997–98	16.46	74.96	42.17	26.17	84.43	15.69	0.69	260.55	28.94	289.49
1998–99 (अप्रैल–अक्तूबर)	8.92	36.15	25.16	13.77	46.34	7.73	0.24	138.31 (अनंतिम)	12.94 (अनंतिम)	151.25 (अनंतिम)

उपर्युक्त अवधि में पश्चिम बंगाल और असम, दोनों ही राज्यों में कोयले का उत्पादन धीरे-धीरे कम हुआ है।

(ग) पश्चिम बंगाल राज्य में हो रहे कम उत्पादन में निम्न कारण शामिल हैं;

(1) झांजरा और सतग्राम में लांगवाल फेस होते हुए उपकरण की विलंब से आपूर्ति।

(2) सतग्राम हेतु लांगवाल फेस उपकरण के विलंब से प्राप्त होने के बाद भी स्थानीय आबादी द्वारा कंपनी की निर्धारित नीति से अधिक नौकरी की मांग करते हुए आन्दोलन किए जाने के कारण इसे स्थापित नहीं किया जा सका और अब इसे झांजरा स्थानान्तरित किया जा रहा है।

(3) अप्रत्याशित गतिशील भार के कारण कोठाडीह भूमिगत खान में लांगवाल सपोर्ट गिर पड़े, जिसके परिणामस्वरूप लांगवाल फेस से उत्पादन बंद हो गया।

(4) हड़ताल/बंद होने के कारण काम रुक गया।

(5) कंपनी द्वारा भारी घाटा उठाए जाने के कारण धनराशि की कमी हो गयी जिसके कारण परिणामस्वरूप आवश्यक उपकरण और स्टोर की आपूर्ति समय से नहीं की जा सकी।

(6) कोयले के उठान में आई कमी के कारण भी उत्पादन संबंधी कार्यक्रम पर प्रतिकूल असर पड़ा।

(घ) वर्ष 1998–99 हेतु योजना आयोग ने 325.38 मिलियन टन कच्चे कोयले और 7.50 मिलियन टन मिडलिंग्स की मांग का निर्धारण किया है, जिसमें विद्युत क्षेत्र द्वारा 220.30 मिलियन टन तक कच्चा कोयला और 3.70 मिलियन टन तक मिडिलिंग्स की जाने वाली मांग का प्रक्षेपण शामिल है। तथापि अब विद्युत क्षेत्र ने 2001–02 तक प्रतिवर्ष केवल 211.95 मिलियन टन कोयले की मांग का प्रक्षेपण किया है।

(ड.) और (च) वर्ष 1998–99 और 1999–2000 की अवधि के दौरान कोयले के उत्पादन का निम्न लक्ष्य रखा गया है:–

(मिलियन टन में)

वर्ष	कोयला के उत्पादन का लक्ष्य
1998–99	306.50
1999–2000	308.70

(छ) उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अन्य बातों के अलावा निम्न उपाय शामिल किए हैं:– नई खानों का खोलना, विद्यमान खानों का आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी का उन्नयन, आगतों और बुनियादी ढांचों से संबंधित सुविधाओं की समय से उपलब्धता सुनिश्चित करना, बेहतर क्षमता उपयोगिता, उत्पादकता में सुधार और मधुर औद्योगिक संबंध बनाए रखना।

(ज) सरकार ने कोयला क्षेत्र की प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाने के लिए एकीकृत कोयला नीति पर समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। तदनुसार, ग्रहीत उपभोग के प्रतिबंध के बिना किसी भारतीय कंपनी को कोयले के खनन की अनुमति दिए जाने संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन है।

पर्यटन के लिए हिन्द महासागर के तटवर्ती क्षेत्र

*89. **श्री शंकर प्रसाद जायसवाल** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 6 अक्तूबर, 1998 को पर्यटन के लिए हिन्द महासागर के तटवर्ती क्षेत्रों के निर्धारण के बारे में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो हिन्द महासागर के तटवर्ती देशों के पर्यटन मानचित्र पर भारत का उचित स्थान सुनिश्चित करने के लिए इस सम्मेलन में दिए गए सुझावों और टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय उद्योग परिसंघ (सी आई आई), जिसने भारतीय महासागर पर्यटन संगठन (आई ओ टी ओ) के साथ संयुक्त रूप से यह सम्मेलन आयोजित किया था, ने उपर्युक्त सम्मेलन में दिए गए सुझावों/टिप्पणियों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नारियल रेशे से बने वस्त्रों का पेटेंट

***90. श्री जी. एम. बनातवाला :**

श्री वी. वी. राघवन :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका स्थित एक श्रीलंकाई कंपनी ने "नारियल रेशे से निर्मित वस्त्र जो कि नारियल का उत्पाद है और काफी समय से केरल में विभिन्न प्रकार के उपयोग में लाया जाता रहा है, के लिए पेटेंट प्राप्त कर लिया है तथा यूरोपीय देशों में पहले से स्थापित बाजारों में हमारे देश के नारियल निर्मित वस्त्रों के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका उत्पन्न हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार ने देश में नारियल रेशा उद्योग के हितों की रक्षा के लिए उपयुक्त मंच पर इस मामले को उठाने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ङ) श्रीलंका में लंका सैंथा के नाम से एक पेटेंट स्वीकृत किया गया है, जिसका शीर्षक "एन इरोजन कंट्रोल ब्लैकेट/टर्फ रिइन्फोर्समेंट मैट" है। यह पेटेंट श्रीलंका के पेटेंट कानून के तहत प्रदान किया गया है।

पेटेंटों को स्वीकृति सम्बद्ध सरकारों द्वारा अपने-अपने पेटेंट कानूनों के तहत दी जाती है और उनके तहत अधिकार उस देश की भू-सीमाओं तक प्रतिबंधित होते हैं। जब कभी भी कुछ ऐसे उत्पादों पर पेटेंट प्राप्त करने संबंधी सूचना प्राप्त होती है, जो पेटेंट योग्य नहीं समझे जाते है, उनके संबंध में इस आशय का मूल्यांकन किए जाने हेतु उपाय किये जाते हैं कि क्या पेटेंट की स्वीकृति को चुनौती दी जा सकती है।

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

***91. श्री अशोक प्रधान :**

श्री राजो सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन शर्तों का ब्यौरा क्या है जिन पर विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष द्वारा ऋण/सहायता दी जाती है तथा परमाणु परीक्षणों के पश्चात् इन शर्तों में किए गए किन्हीं परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विश्व बैंक से धन प्राप्त नहीं होने के कारण विश्व बैंक की सहायता से चल रही कई परियोजनाएं ठप हो गई हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसी परियाजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस समस्या पर विश्व बैंक की बातचीत करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) (i) विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जिन शर्तों पर ऋण/सहायता प्रदान की जाती है, उससे संबंधित विवरण संलग्न है।

(ii) परमाणु परीक्षणों के बाद इन शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ख) विश्व बैंक से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण विश्व बैंक की सहायता से संचालित की जा रही किसी भी परियोजना पर प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक (आईबी आरडी) विश्व बैंक की सामान्य ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। आई बी आरडी द्वारा ऋण प्रदान करने की शर्तों में 20 वर्षों की अदायगी की अवधि शामिल है तथा इसमें 5 वर्ष की रियायती अवधि भी सम्मिलित है। ब्याज की यह दर परिवर्तनीय है तथा अर्द्धवार्षिक

आधार पर इसे संशोधित किया जाता है और वर्तमान में एकल मुद्रा ऋण के सम्बन्ध में यह लगभग 5.5 प्रतिशत है जबकि बहुल मुद्रा ऋणों के संबंध में इसकी दर 6.18 प्रतिशत है। असंवितरित बकाया राशि के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रभार प्रतिवर्ष 0.75 प्रतिशत है तथा समय पर अदायगी किए जाने की स्थिति में 0.5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है। सरकार वचनबद्धता प्रभार के रूप में प्रतिवर्ष केवल 0.25 प्रतिशत का भुगतान कर रही है।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन (आईडीए) विश्व बैंक की तरफ से रियायती दरों पर ऋण प्रदान करने वाला एक संघ है। आईडीए द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता जिसे उधार के रूप मे जाना जाता है, की शर्तों में 35 वर्षों की अदायगी की अवधि शामिल है जिसमें 10 वर्षों की रियायती अवधि भी सम्मिलित है। आईडीए द्वारा प्रदान किए जाने वाले उधारों में कोई ब्याज नहीं लिया जाता लेकिन उधार के संवितरित भाग पर 0.75 प्रतिशत का सेवा प्रभार लगाया जाता है। असंवितरित बकाया उधार राशि पर वचनबद्धता प्रभार प्रतिवर्ष अधिकतम 0.5 प्रतिशत तक लगाया जाता है लेकिन पिछले कई वर्षों में समय पर अदायगी के कारण विश्व बैंक द्वारा कोई वचनबद्धता प्रभार नहीं लगाया गया है।

जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का सम्बन्ध है, आईएमएम के करार विलेखों के अनुच्छेद 1 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है जिसमें कोष द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग, मुद्रा स्थायित्व और विशिष्ट प्रबन्धों के जरिए पर्याप्त सुरक्षा के अधीन सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना शामिल है ताकि वे अपने भुगतान सन्तुलन में निवल समायोजनों को व्यवस्थित कर सकें। भारत का किसी भी आईएमएफ कार्यक्रम से सम्बन्ध नहीं है, इसलिए परमाणु परीक्षणों बाद सहायता सम्बन्धी शर्तों में परिवर्तन होने का प्रश्न नहीं उठता। दि. 31.10.98 की स्थिति के अनुसार, आईएमएफ द्वारा निर्धारित प्रभारों के अनुमान इस प्रकार हैं:–

1.	सामान्य संसाधन	प्रतिवर्ष 3.98 प्रतिशत
2.	एस.डी.आर. (विशेष निकासी अधिकार) धारित आबंटन	प्रतिवर्ष 3.60 प्रतिशत
3.	एस.ए.एफ./ई. एस. एफ. ऋण	प्रतिवर्ष 0.5 प्रतिशत

धनराशि वितरण हेतु फार्मूला

***92. डा. रवि मल्लू :**

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों ने केन्द्र से धनराशि वितरण हेतु शीघ्र एक वैकल्पिक फार्मूला बनाने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने केन्द्रीय सकल राजस्व में से अपने मौजूदा 26 प्रतिशत की हकदारी की तुलना में 33 प्रतिशत राजस्व की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने ग्यारहवें वित्त आयोग से आर्थिक सुधार लागू होने के परिणामस्वरूप राज्य सरकारों पर बढ़े बोझ को देखते हुए केन्द्रीय राजस्व अन्तरणों में निर्धारित मानदण्डों में परिवर्तन की सिफारिश करने का आग्रह किया है;

(ङ) यदि हां, तो वित्त आयोग द्वारा इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाने का सुझाव दिया गया है और सरकार ने किन–किन सुझावों को स्वीकार कर लिया है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ङ) दसवें वित्त आयोग ने केन्द्र और राज्यों के बीच संसाधनों की भागीदारी की एक वैकल्पिक स्कीम की सिफारिश की थी जिसे पहली अप्रैल, 1996 से लागू किया जाना था और जिसके अधीन लगभग सभी केन्द्रीय करों से होने वाली सकल आय का 29 प्रतिशत राज्यों को सौंपा जाना था।

यह स्कीम संकल्पना करती है कि सभी केन्द्रीय करों (स्टाम्प शुल्क, औषधीय/प्रसाधन मदों पर उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय बिक्री कर, पारेषण कर और अधिभार को छोड़कर) की सकल आय में से 26 प्रतिशत हिस्सा राज्यों को आय कर और बुनियादी/विशेष उत्पाद शुल्कों में मौजूदा हिस्से और रेलवे यात्री किराये पर कर के बदले अनुदान के बदले में सौंपा जाए। इसके अतिरिक्त सभी केन्द्रीय करों (स्टाम्प शुल्क, औषधीय/प्रसाधन मदों पर उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय बिक्री कर, पारेषण कर और अधिभार को छोड़कर) की सकल आय में से 3 प्रतिशत हिस्सा राज्यों को तम्बाकू, कपास और चीनी पर बिक्री कर के बदले अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में मौजूदा हिस्से के बदले सौंपा जाए।

कुछ राज्यों ने हस्तांतरण की अधिक प्रतिशतता का अनुरोध किया था। दिनांक 17 जुलाई, 1997 को आयोजित हुई अन्तर्राष्ट्रीय परिषद की तीसरी बैठक में हुई सहमति के आधार पर कतिपय संशोधनों के साथ इस संबंध में दसवें वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकीर करने का निर्णय लिया गया था। परंतु, लोक सभा संविधान संशोधन विधेयक पेश किए जाने के पूर्व ही भंग हो गई थी।

वर्तमान सरकार ने पिछली सरकार द्वारा लिए गए निर्णय की अभिपुष्टि की है। इसकी घोषणा वित्त मंत्री के बजट भाषण (पैरा 84 द्वारा) में की गई थी। दिनांक 14 जुलाई, 1998 को लोक सभा में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया था। माननीय लोक सभा अध्यक्ष ने इस विधेयक को वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेज दिया है।

संविधान के अनुच्छेद 280 के उपबन्धों के अधीन वित्त आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग द्वारा अपेक्षित सूचना को राज्यों द्वारा सीधे ही आयोग को प्रस्तुत किया जाता है। राज्य भी आयोग को अपनी ओर से स्वतः ज्ञापन/सूचना प्रस्तुत कर सकते हैं।

चमड़ा उद्योग

***93. श्री नादेन्दला भास्कर राव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में चमड़ा तथा चमड़ा उत्पादों सहित विभिन्न उत्पादों पर शुल्क वापसी की नई दरों की घोषणा की है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप चमड़ा उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या चमड़ा निर्यात परिषद ने सरकार से चमड़ा उत्पादों के निर्यात में कमी को रोकने की दृष्टि से अपनी सिफारिशों पर विचार करने का आग्रह किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) जी, हां।

(ख) प्रति अदायगी स्कीम में निर्यात उत्पाद के निर्माण में प्रयुक्त निविष्टियों/कच्ची सामग्रियों पर अदा किए गए सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों में छूट की व्यवस्था की गई है। चमडा और चमड़ा उत्पादों पर 2.9.98 से प्रभावी बनायी गई प्रति अदायगी की संशोधित दरों से चमड़ा क्षेत्र से निर्यातों को सहायता मिलने की आशा है।

(ग) और (घ) जी, हां। चमड़ा निर्यात परिषद ने दरों की पुनरीक्षा करने के लिए सरकार को अभ्यावेदन दिया है।

सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रति अदायगी नियमावली, 1995 के अनुसार प्रति अदायगी की सर्व उद्योग दरों को औसत शुल्क भार के आधार पर निर्धारित किया जाता है जैसा कि विनिर्धारित फार्मेट में समर्थनकारी आंकड़ों द्वारा और निर्यात संवर्धन परिषदों तथा वैयक्तिक निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए शुल्क अदायगी दस्तावेजों द्वारा प्रमाणित होता है। जहां किन्हीं वस्तुओं के संबंध में प्रति अदायगी की राशि अथवा दर निविष्टियों/कच्ची सामग्रियों पर अदा किए गए शुल्कों से 4/5 वे भाग से कम हैं, वहां निर्यातक के पास ब्रांड दर रुट के माध्यम से प्रति अदायगी की उपयुक्त राशि अथवा दर के निर्धारण का विकल्प है।

चमड़ा निर्यात परिषद के अभ्यावेदन की, उपरोक्त उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, जांच की गई थी और परिषद को उत्तर भेजा गया था, जिसमें यह सूचित किया गया था कि संशोधित दरों में परिषद द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों को यथोचित महत्व दिया गया है और अधिकांश चमड़ा उत्पादों के संबंध में दरें 0.5 प्रतिशत से 1.5 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई हैं। परिषद को यह भी सूचित किया गया था कि प्रति अदायगी स्कीम में केवल सीमा शुल्कों और केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों की छूट की व्यवस्था है और इससे भिन्न इसमें ऐसा कोई उपबध नहीं है कि निर्यात की समग्र लागत को वहन किया जाए जैसाकि परिषद ने लिखा है। परिषद में यह भी सलाह दी गई थी कि यदि निर्यातक ऊंची दरें प्राप्त करना चाहते हैं, तो वे ब्रांड दर के वैकल्पिक रूट का लाभ उठा सकते हैं जो उस वास्तविक शुल्क भार पर आधारित है जो निर्यात किए गए उत्पादों के संबंध में किसी वैयक्तिक निर्यातक द्वारा अदा किया जाता है।

निर्यातकों की समस्याएं

***94. कर्नल सोनाराम चौधरी : क्या वाणिज्य मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हमारे देश से निर्यात किए जाने वाले सामान की उत्पादन लागत अन्य विकासशील देशों की तुलना में अधिक होती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या निर्यातकों को पुराने उपकरणों, कुप्रबंधन और निम्न श्रम उत्पादकता जैसी मुख्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो क्या निर्यातक अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा में ठहर पाने में असमर्थ हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) निर्यात मदों की उत्पादन लागत प्रत्येक देश में और प्रत्येक मद की भिन्न-भिन्न है जो भूमि, पूंजी, श्रम और प्रौद्योगिकी जैसे उत्पादन कारकों द्वारा प्रदत्त आर्थिक क्षमता पर निर्भर करता है। उपरोक्त से उत्पन्न तुलनात्मक लागत विभिन्न देशों के बीच किसी विशेष मद अथवा किसी उत्पाद समूह की प्रतिस्पर्धात्मकता का व्यापक रूप से निर्धारण करती है। घरेलू मांग के आकार, प्रौद्योगिक स्तर, श्रम और पूंजी उत्पादकता को ध्यान में रखते हुए, भारत का निष्पादन कई विकासशील और विकसित देशों के साथ भली भांति तुलनीय है। कृषि उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, वस्त्र,

साफ्टवेयर, इत्यादि जैसे क्षेत्रों में भारतीय निर्यात की क्षमता स्पष्ट रूप से निष्पादन से पुष्टि होती है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

वर्ष 1994–95 से भारत के आयात की मात्रा में आधुनिक प्रौद्योगिकीय विशेषताओं से युक्त समकालीन पूंजीगत सामान का आयात करना एक महत्वपूर्ण बात रही है। वर्ष 1994–95 से पूंजीगत सामान के आयात में औसत 20 प्रतिशत के आसपास की वार्षिक वृद्धि रही है जिससे उत्पादन में आधुनिकीकरण के प्रति एक स्पष्ट रुख का संकेत मिलता है।

कुछ क्षेत्रों जैसे चर्म, परिधान, वस्त्र, इंजीनियरी सामान, खिलौने इत्यादि में उत्पादकता और क्षमता में सुधार करने की गुंजाइश है। इस बारे में सरकार ने उपरोक्त क्षेत्रों के लिए पूंजीगत सामान के आयात को निर्यात बाजार पर विशेष बल देते हुए उदार बना दिया है।

(ङ) सरकार द्वारा उठाए गए उपचारी कदमों में शमिल हैं–वित्तीय प्रक्रियाओं का उदार और तर्कसंगत बनाना, प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए प्रोत्साहन, अंतर्राष्ट्रीय भावों पर कच्चे माल के आयात में सहायता करना, प्रतिस्पर्धा के जरिए, क्रिया–विधि औपचारिकताओं, इत्यादि को सरल करके सामान के उत्पादन और सेवाओं में कार्यकुशलता बढ़ाना।

इस वर्ष अप्रैल में घोषित एग्जिम नीति मे निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने और निर्यात संबंधी प्रोत्साहनों को सुदृढ़ करने की दृष्टि से अनेक उपाय किए गए हैं। लगभग 2000 मदों के लिए डी ई पी बी दरों की धोषणा करना, निजी बोंडेड भण्डार गृहों की स्थापना करने की अनुमति देना सरकार द्वारा हाल ही में किए गए कुछेक उपाय हैं। अवस्थापना विकास वितत कम्पनी का गठन करना, बुनियादी परियोजनाओं के लिए कर से छुट्टी देना, प्रमुख बन्दरगाहों के लिए एक टैरिफ प्राधिकरण का गठन करना, एक निर्यात संवर्धन बोर्ड का गठन करना, इत्यादि कुछेक किए गए अन्य उपाय हैं।

कुछ आम उपाय जो और निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए हैं उनमें शामिल हैं :– निर्यात ऋण की उपलब्धता को सरल बनाना और निर्यात ऋण की लागत कम करना।

कुछ प्रमुख क्षेत्रों में इस वर्ष निर्यात में कमी आने का प्रमुख कारण भारत द्वारा प्रमुख बाजारों में दी जाने वाली सेवाओं में मांग की कमी का होना है। भारतीय निर्यातों की प्रतिस्पर्धा पर प्रभाव डालने वाले कुछ अन्य कारक हैं – घरेलू बुनियादी सुविधा अपर्याप्त होना, क्रिया–विधि संबंधी विलम्ब होना, उच्च ऋण की अधिक लागत होना।

राष्ट्रीय कृत बैंकों का विलय

***95. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :**

श्री टी. आर. बालू :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों का विलय करने के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ग) बैंक–वार कितने राष्ट्रीयकृत बैंक घाटे में चल रहे हैं, ये कब से घाटे में चल रहे हैं, और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या बैंकों के प्रबंधन मंडलों को पूर्ण स्वायत्तता देने का सरकार का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिनांक 31 मार्च, 1998 को समाप्त वर्ष में केवल दो राष्ट्रीयकृत बैंकों अर्थात यूको बैंक और इंडियन बैंक ने घाटा उठाया है। जहां यूको बैंक पिछले कई वर्षों से घाटा उठा रहा है, वहीं इंडिया बैंक को पिछले तीन वर्षों से घाटा हुआ है। राष्ट्रीयकृत बैंकों को विगत में घाटा होने के प्रमुख कारणों में, अन्य बातों के साथ–साथ, उच्च प्रशासनिक लागत, कर्मचारियों की कम उत्पादकता, अनुपयोज्य आरितयों का ऊंचा स्तर, अपेक्षित सीमा तक प्रौद्योगिकीय उन्नयन को नहीं अपनाया जाना शामिल है।

(घ) और (ङ) वित्तीय क्षेत्र में निरंतर सुधारों के एक भाग के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ने निधियों के कानूनी पूर्व क्रय अधिकार कम कर दिए हैं, जमा राशियों एवं ऋणों पर ब्याज दरें काफी अनियमित कर दी हैं तथा अधिकतम अनुज्ञेय बैंक वित्त एवं अनिवार्य संघीय सहायता व्यवस्थाओं से संबंधित निर्देशों को वापस ले लिया है या रूपान्तरित कर दिया है। इस प्रकार बैंकों के प्रचालन संबंधी व्यापक स्वायत्तता प्रदान की गई है। सरकारी क्षेत्र के बैंक प्रशासनिक एवं संगठनात्मक मुद्दों में भी काफी स्वायत्तता का लाभ उठाते हैं।

आई. एस. आई. द्वारा जाली मुद्रा का चलाया जाना

***96. श्री नृपेन गोस्वामी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आई. एस. आई. पूर्वोत्तर राज्यों को अस्थिर करने के लिए जाली मुद्रा भेज रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों में जाली मुद्रा के प्रचालन के बारे में सभी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को सावधान कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ङ) भारत सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से पाकिस्तानी एजेंसी आई. एस. आई. जाली मुद्रा की तस्करी करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करी के धन्धे में लगे तस्करों को प्रोत्साहन दे रही है।

सरकार स्थिति पर चौकस नजर रखे हुए है और गुप्तचर तंत्र को सुग्राही और चुस्त दुरस्त बनाकर संबंधित केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों द्वारा आसूचना के आदान--प्रदान तथा समन्वित कार्रवाई द्वारा आई. एस. आई. के मंसूबों का सामना करने और उन्हें नाकाम करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। पुलिस तथा गुप्तचर संगठनों को निदेश दिए गए हैं कि देश के सभी भागों में पाक आई. एस. आई. के कारनामों और हरकतों को जहां कहीं और जब कभी वे नजर आएं, निष्प्रभावी किया जाए। सरकार ने कई उपाय किए हैं जिनमें सीमा पर बाड लगाना, सीमा पर गश्त में तेजी लाना, दिन और रात के दौरान कारगर चौकसी के लिए उपस्करों की आपूर्ति, नाकों की संख्या में वृद्धि करना तथा पाक आई. एस. आई. एजेंटों, राष्ट्र विरोधी तत्वों और विद्रोहियों की गतिविधियों के संबंध में राज्य सरकारों को सुग्राही तथा सतर्क बनाना शामिल है।

जाली करेंसियों के खतरे को नियंत्रित करने के उपाय के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में सभी बैंकों को करेंसी नोटों का परीक्षण करते समय सावधानी बरतने के निर्देश पहले ही जारी किए हैं। इन निर्देशों को उत्तर–पूर्वी राज्यों में स्थित शाखाओं सहित सभी बैंकों की शाखाओं को निरपवाद रूप से दोहराया भी जाता है।

इसके अतिरिक्त भारतीय करेंसी नोटों की जाल–साजी को अत्यधिक दुष्कर कार्य बनाने के लिए सरकार ने अब अतिरिक्त सुरक्षा विशेषताओं से युक्त नोटों के नए डिजाइन शुरू किए हैं, जिन्हें नोट प्रिंटिंग के क्षेत्र में उपलब्ध डिजाइनों में सर्वोत्तम समझा जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक भी सही और जाली नोटों के बीच पहचान करने में जनता को सक्षम बनाने के लिए समय–समय पर प्रेस विज्ञप्ति जारी करता रहता है।

निधियों का उपयोग

***97. प्रो. सैफुद्दीन सोज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह देखा गया है कि अनेक मंत्रालय/विभाग व्यय करने के निर्धारित तरीके के बजाए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के केवल मार्च महीने में ही अधिकांश निधियां खर्च करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रक्रिया/नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने और परिहार्य फिजूल खर्ची को न्यूनतम करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) सामान्य वित्तीय नियमावली के अंतर्गत प्रशासनिक तौर पर सम्बद्ध केन्द्रीय सरकारी विभाग या प्राधिकरण, जिसके पक्ष में संसद ने अनुदान या विनियोजन अधिकृत किया होता है, इसके द्वारा स्वीकृत अनुदान और विनियोजन के व्यय के लिए जिम्मेदार होगा। यह नियम यह भी निर्धारित करते हैं कि वित्तीय वर्ष के अन्तिम महीनों में बढ़ा हुआ व्यय वित्तीय नियमितता का उल्लंघन समझा जाएगा और इससे बचा जाना चाहिए। इस मंत्रालय द्वारा जून, 1998 और अगस्त, 1998 में व्यय के प्रबंधन के लिए वित्तीय जागरूकता और किफायत के मार्गदर्शन के लिए अनुदेश भी जारी किए जा चुके हैं। इन दिशा–निर्देशों में अन्य बातों के साथ–साथ मंत्रालयों/विभागों के लिए यह भी अपेक्षित था कि केवल बचत/निधियों की वापसी से बचने के लिए ही व्यय करने के बजाय, यह सुनिश्चित करने के लिए कि, फिजूल खर्ची न हो तथा समापन लक्ष्यों को पूरा कर रही विभिन्न स्कीमों का निष्पादन हो रहा है, वे अपने राजस्व और व्यय के मासिक रोकड़ प्रवाह पर नजर रखें और उसे लगातार मॉनीटर करते रहें।

पुरानी प्रौद्योगिकी का वस्त्रों के निर्यात पर प्रभाव

***98. श्री रामटहल चौधरी :**

डा. मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरानी प्रौद्योगिकी के कारण वस्त्र उद्योग को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण वस्त्र उद्योग के समग्र कार्य निष्पादन और वस्त्रों के निर्यात पर कितना प्रभाव पड़ा है; और

(ग) सरकार ने देश के वस्त्र उद्योग का आधुनिकीकरण करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) जी हां, जबकि कताई क्षेत्र ने कुल मिलाकर स्वतः आधुनिकीकरण करने के कदम उठाए हैं। बुनाई और प्रसंस्करण क्षेत्र प्रौद्योगिकीय रूप से पिछड़े हुए हैं तथा उनमें आधुनिकीकरण की कमी है।

(ख) हालांकि वस्त्र उद्योग के निष्पादन तथा परिधानों के निर्यात पर प्रौद्योगिकीय उन्नयन की कमी के प्रभाव का आकलन करना कठिन है, फिर भी वास्तविकता यह है कि भारत हाल ही के वर्षों में वस्त्रों और क्लोदिंग के विश्वव्यापी बाजार में अपने योगदान को 3% से अधिक नहीं बढ़ा पाया है। इसके अतिरिक्त, विशेषकर परिधानों के संबंध में इकाई मूल्य वसूली वस्तुतः स्थिर बनी हुई है, जिसका कारण देश में उपलब्ध फैब्रिकों सहित अन्तर्निविष्टियों की गुणवत्ता माना जा सकता है।

(ग) वस्त्र उद्योग के प्रौद्योगिकीय उन्नयन के माध्यम से आधुनिकीकरण को सरल बनाने के लिए एक प्रस्ताव बनाया जा रहा है। इसका अभीष्ट उद्देश्य भारतीय वस्त्र उद्योग के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार लाना है ताकि इसे अधिक प्रतियोगी बनाया जा सके। इस प्रस्ताव में प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि की स्थापना करने का प्रावधान है ताकि ऐसे एककों को ब्याज प्रोत्साहन सहित ऋण उपलब्ध कराए जा सकें, जो कि पात्रता के मानदण्डों को संतोषजनक ढंग से पूरा करते हैं और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों से वस्त्र उद्योग के अभिज्ञात क्षेत्रों में आधुनिकीकरण के लिए ऐसे ऋण प्राप्त करना चाहते हैं। इस संबंध में वस्त्र और पटसन उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के ब्यौरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, निर्यातक रियायती शुल्क पर आयातित मशीनों और अन्य अन्तर्निविष्टियों को प्राप्त कर सकते हैं ताकि निर्यात के लिए उत्कृष्ट उत्पाद बनाए जा सकें।

[हिन्दी]

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा समिति का गठन

***99. श्री सदाशिव राव दादोबा मंडलिक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनियों द्वारा अपने शेयरों की पुनर्खरीद से संबंधित नियम तैयार करने हेतु भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा गठित विशेष दल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उस रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं तथा रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या इस रिपोर्ट में लघु निवेशकों के हितों की ओर भी ध्यान दिया गया है/ध्यान दिया जायेगा ताकि संबंधित कम्पनियां अपने शेयर मूल्यों में हेरा–फेरी न कर सकें; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ङ) कंपनी अधिनियम संशोधन अध्यादेश, 1998 दिनांक 30 अक्तूबर, 1998 जिसने कंपनियों को अपने शेयरों को वापस खरीदने की अनुमति दी, की अधिसूचना के बाद, सेबी ने वापस खरीद विनियम, 1998 को अंतिम रूप देने से पूर्व संबंधित विधान के प्रतिनिधियों के साथ विचार–विमर्श किया। इन विनियमों को सेबी द्वारा 14.11.1998 को अधिसूचित किया गया है।

विनियम की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:–

1. वापस खरीद में केवल कंपनी की सूचीबद्ध प्रतिभूतियां शामिल हैं।
2. वापस खरीद टेंडर अथवा बुक बिल्डिंग के माध्यम से होगी तथा यह मौजूदा शेयर होल्डरों से आनुपातिक आधार पर की जाएगी।
3. वापस खरीद के विवरण स्टाक एक्सचेंजों को दैनिक आधार पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
4. वापसी खरीद के विवरण शेयर होल्डरों को बताए जाने चाहिए।
5. वापस खरीदे गए शेयरों को समाप्त किया जाएगा।
6. संवर्धकों को स्टाक एक्सचेंजों के माध्यम से वापस खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी।
7. प्रस्ताव की स्वीकृति की तिथि के सात दिनों के भीतर निवेशकों को भुगतान कर दिया जाना चाहिए।
8. कंपनी एक अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करेगी तथा निवेशक सेवा केन्द्र खोलेगी।

विदेशी निवेश हेतु लक्ष्य

***100. श्री सुरेश चंदेल :**

श्री नरेन्द्र बुडानिया :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा 1997–98 के दौरान विदेशी निवेश के लिए निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त लक्ष्य प्राप्त कर लिया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) चालू वर्ष के दौरान अब तक कुल कितना विदेशी निवेश किया गया है; और

(ङ) लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ङ) विदेशी निवेश का अंतः प्रवाह विभिन्न घटकों पर निर्भर करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ घरेलू आर्थिक परिस्थिति, विदेशी निवेश से संबद्ध नीतिगत तंत्र, विश्व में आर्थिक रुझान और विश्व के निवेशकों की नीतियां शामिल हैं। यद्यपि विदेशी निवेश के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं है, सरकार देश में अधिकतम विदेशी निवेश के अंतः प्रवाह को आकर्षित करने के लिए एक वातावरण तैयार करने की दिशा में सतत प्रयास करती रहती है। विदेशी निवेश आकर्षित करने के बारे में किये गये कुछ उपायों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

(क) स्वतः अनुमोदन के दायरे में शामिल उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों की सूची को 35 से बढ़ाकर 69 किया गया है;

(ख) अधिकांश क्षेत्रों में 100% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गई है;

(ग) निवेश तथा लाभ की राशि को पूर्णरूपेण स्वदेश भेजा जाना; और

(घ) आन्तरिक धन प्रेषणों की प्राप्ति और शेयरों के आबंटन से संबंधित प्रक्रियाओं को सरलीकरण किया जाना।

चालू वर्ष (अक्तूबर, 1998 तक) की अवधि के दौरान दिए गए अनुमोदनों और अंतःप्रवाहों के बारे में विवरण नीचे दिया गया है:–

(करोड़ रुपए में)

अनुमोदन जिनमें विदेशी निवेश अंतर्ग्रस्त है	कुल अनुमोदित विदेशी निवेश	प्राप्त विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अंतःप्रवाह
989	24453.85	11820.89

इंडिया इन्वेस्टमेंट सेन्टर

921. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में "इण्डिया इन्वेस्टमेंट सेंटर" को बन्द करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त सेंटर के बन्द होने के कारण इसके कर्मचारियों के हितों की रक्षा किस प्रकार से की जायेगी?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ग) सरकार विदेशी और अनिवासी भारतीय निवेशों के लिए उदारीकृत माहौल के संदर्भ में भारतीय निवेश केन्द्र की भूमिका और प्राथमिकता की समीक्षा कर रही है।

जम्मू-कश्मीर में पर्यटक

922. श्री विजय गोयल : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू–कश्मीर में अब तक अप्रैल से अक्तूबर, 1998 तक माहवार कितने पर्यटक आए;

(ख) वर्ष 1997–98 के दौरान माहवार कितने पर्यटक राज्य में आए; और

(ग) जम्मू–कश्मीर में आई. टी. डी. सी. के होटलों की कुल संख्या कितनी है और इस समय इनमें से कितने होटल खुले हुए हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) अप्रैल से अक्तूबर, 1998 के दौरान जम्मू और कश्मीर का दौरा करने वाले कुल पर्यटकों की संख्या नीचे दिए गए अनुसार है:–

माह	पर्यटक आगमन
अप्रैल	424737
मई	512135
जून	605770
जुलाई	514173
अगस्त	482081
सितम्बर	431606
अक्तूबर	488999

(ख) वर्ष 1997–98 के दौरान राज्य का दौरा करने वाले पर्यटकों का माह–वार विवरण नीचे दिए गए अनुसार है:–

माह	पर्यटक आगमन,
1	2
अप्रैल, 97	474381
मई, 97	472607

1	2
जून, 97	606379
जुलाई, 97	447179
अगस्त, 97	433816
सितम्बर, 97	353312
अक्तूबर, 97	440921
नवम्बर, 97	345930
दिसम्बर, 97	234557
जनवरी, 98	160741
फरवरी, 98	154539
मार्च, 98	318230

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम का जम्मू और कश्मीर राज्य में केवल एक होटल है जो इस समय भी चल रहा है।

[अनुवाद]

ए. टी. डी. सी. की परिसम्पतियां आई. टी. डी. सी. को हस्तांतरित करना

923. डा. जयन्त रंगपी : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम सरकार ने केन्द्र सरकार को असम पर्यटन विकास निगम (ए.टी.डी.सी.) की कुछ परिसम्पतियां भारतीय पर्यटन विकास निगम (आई. टी. डी. सी.) को हस्तांतरित करने के लिए कोई प्रस्ताव पेश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आई. टी. डी. सी. द्वारा असम में पर्यटन के विकास और संवर्धन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम और असम सरकार का गुवाहटी में, भारत पर्यटन विकास निगम और असम सरकार के बीच 51:49 के शेयर पूंजी स्वामित्व अनुपात में असम अशोक निगम लिमिटेड द्वारा चलाया जा रहा संयुक्त उद्यम होटल, ब्रह्मपुत्र अशोक है।

[हिन्दी]

चित्रकूट को पर्यटन स्थल सूची में सम्मिलित किया जाना

924. श्री रामानंद सिंह : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चित्रकूट को इसके प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इसे केन्द्रीय पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) और (ख) पर्यटन का विकास करना एक सतत प्रक्रिया है और मुख्यतया राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, तथापि भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्राप्त विशिष्ट परियोजना प्रस्तावों और धन की उपलब्धता के आधार पर, पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए सहायता मुहैया कराता है।

केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय ने चित्रकूट में वर्ष 1991–92 के दौरान एक यात्री निवास के निर्माण के लिए 35.74 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है।

[अनुवाद]

कागज उद्योग

925. श्री राम नारायण मीणा : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इंडोनेशिया की कागज कम्पनी (सिनार मास), जो भारत में कागज का उत्पादन करती है, का विचार कारोबार में लगी कम्पनियों को 4 प्रतिशत अतिरिक्त आयात शुल्क की छूट का लाभ उठाने के लिए 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली अनुषंगी एकक स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में घरेलू कागज उद्योग की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) इंडोनेशिया की कागज कंपनी सिनार मास से व्यापारिक गतिविधियों हेतु शतप्रतिशत स्वामित्व वाली अनुषंगी एकक स्थापित करने के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी हां। अभ्यावेदन में एक आशंका व्यक्त की गई थी कि देश में पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी एकक की स्थापना से सिनार मास ग्रुप देश में कागज तथा लुगदी इत्यादि में व्यापार करना शुरू कर देगा।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में फर्जी किसान विकास पत्र

926. **डा. सुगुण कुमारी चलामेला** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में राष्ट्रीयकृत बैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक समूह की बैंकों में फर्जी "किसान विकास पत्रों को जमानत के तौर पर रखने के धोखाधड़ी के मामलों का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें शामिल अधिकारियों, कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों के नाम क्या हैं तथा बैंक-वार एवं शाखा वार इसमें कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है; और

(ग) अब तक कितने मामले दर्ज किए गए तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा कितने मामलों की जांच की जा रही है तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कावम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राज्यों में प्रति व्यक्ति केन्द्रीय निवेश

927. **श्री रूपचन्द मुर्मू :**

श्री समर चौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : केन्द्र सरकार द्वारा सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राज्यों में राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रति व्यक्ति कितना निवेश किया गया?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में सकल ब्लाक के रूप में, केन्द्रीय निवेश की सूचना सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सर्वेक्षण में उपलब्ध है। 1991 की जनगणना के आधार पर सातवीं योजना (31.3.90 तक) और आठवीं योजना (31.3.97 तक) के अंत तक राज्य/संघ राज्य-वार प्रति व्यक्ति सकल निवेश ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य और संघ राज्य	प्रति व्यक्ति कुल निवेश (रु. में) (31.3.90 तक)	प्रति व्यक्ति कुल निवेश (रु. में) (31.3.97 तक)
1	2	3	4
	राज्य		
1.	आंध्र प्रदेश	1715.86	2929.90
2.	अरुणाचल प्रदेश	694.00	17224.99
3.	असम	2252.95	5553.99
4.	बिहार	1115.81	2313.47
5.	गोवा	492.74	1235.86
6.	गुजरात	1370.21	4883.97
7.	हरियाणा	546.03	2643.55
8.	हिमाचल प्रदेश	2509.73	9129.09
9.	जम्मू और कश्मीर	1750.62	8308.88
10.	कर्नाटक	575.61	1431.72
11.	केरल	584.65	1371.81
12.	मध्य प्रदेश	1900.92	3249.19
13.	महाराष्ट्र	2525.22	6949.08
14.	मणिपुर	863.13	807.28
15.	मेघालय	22.59	301.05
16.	मिजोरम	340.70	435.37
17.	नागालैंड	942.25	3847.39
18.	उड़ीसा	1884.50	5401.62

1	2	3	4
19	पंजाब	412.44	1024.48
20.	राजस्थान	390.11	1378.44
21.	सिक्किम	266.20	5932.48
22.	तमिलनाडु	1058.59	2423.83
23.	त्रिपुरा	1280.17	3012.25
24.	उत्तर प्रदेश	632.18	1492.89
25.	पश्चिम बंगाल	1040.60	2743.52
	संघ क्षेत्र		
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	445.73	965.58
2.	चंडीगढ़	486.79	4506.13
3.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00
4.	दमन और दीव	0.00	0.00
5.	दिल्ली	4842.00	15938.20
6.	लक्षद्वीप	0.00	0.00
7.	पांडिचेरी	191.88	376.34

कर्नाटक को फ्रांस से सहायता

928. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने गौण क्षेत्रो जैसे कि परिवहन, जल प्रदाय और आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए फ्रांस का सहयोग मांगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस संबंध में फ्रांस सरकार के साथ कोई चर्चा की गई है; और

(घ) यदि हां, तो वित्तीय और तकनीकी दृष्टि से मिलने वाली सहायता/सहयोग का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (घ) जलापूर्ति के क्षेत्र में कर्नाटक सरकार बंगलौर शहर के लिए जलापूर्ति और मल-निर्यास प्रणाली चला रही है जिसके लिए 19.12.1996 को हस्तांक्षरित 1995 प्रोटोकोल में 50 मिलियन फ्रांसीसी फ्रांक आबंटित किए गए हैं। उपर्युक्त सहायता आसान शर्तों के सरकारी ऋण (जो 1.33% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 30 वर्षों में अदा किए जाने हैं तथा जिसमें 10 वर्ष की छूट-अवधि भी शामिल है) और वाणिज्यिक क्रेडिट (जो निर्यात क्रेडिटों के लिए ओ. ई. सी. डी. सर्वसम्मति के अनुरूप ब्याज दर पर 10 वर्ष के भीतर अदा किए जाने हैं) के 50:50 मिश्रण के आधार पर है। कर्नाटक सरकार के परिवहन, जलापूर्ति और आधारढांचा विकास के क्षेत्रों में फ्रांसीसी सहायता हेतु कोई नया प्रस्ताव इस मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

कॉफी उत्पादक किसानों को दिए गए ऋण पर शास्ति ब्याज में कमी/माफ करना

929. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल कॉफी उत्पादकों के लिए ऋण पर दण्डात्मक ब्याज में कटौती/उसे माफ करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कॉफी उत्पादकों द्वारा ऋण स्वरूप कितनी धनराशि ली गई और कितनी ब्याज राशि को माफ करने के लिए अनुरोध किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा उनके अनुरोध के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दन) : (क) केरल में कॉफी उत्पादक सरकार से यह मांग करते रहे हैं कि कॉफी बोर्ड द्वारा उन्हें दिया गया ऋण माफ कर दिया जाए।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान काफी बोर्ड ने काफी उत्पादकों को कोई ऋण नहीं दिया है।

(ग) सरकार ने 1997 में काफी बोर्ड को अनुमति प्रदान की थी कि जिन उत्पादकों ने मूलधन के साथ साधारण ब्याज की वापसी अदायगी कर दी है इनके दण्डात्मक ब्याज को समाप्त कर दिया जाए।

केरल में पर्यटन का विकास

930. श्री पी. शंकरन : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997 के दौरान और 1998 में अब तक भारत की यात्रा पर आए पर्यटकों का देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा केरल में, जहां पर्यटन की असीम संभावना है, पर्यटन को विकसित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) ऐसे देश जहां से अधिक संख्या में पर्यटक भारत आते हैं, उन देशों में से वर्ष 1997 और 1998 (जनवरी से जुलाई) के दौरान भारत आए कुल विदेशी पर्यटकों की संख्या निम्नलिखित अनुसार है:–

देश		विदेशी पर्यटक आगमन	
		1997	1998 (जुलाई तक)
1.	यूनाइटेड किंगडम	370567	210315
2.	यू एस ए	244239	141046
3.	श्रीलंका	122080	66600
4.	जर्मनी	105979	54118
5.	जापान	99729	46575
6.	फ्रांस	91423	56555
7.	कनाडा	78570	47349
8.	मलेशिया	60401	25519
9.	इटली	53854	29042
10.	सिंगापुर	52004	29430
11.	आस्ट्रेलिया	50647	29879
12.	नीदरलैण्ड	44843	29678
13.	नेपाल	43155	21664
14.	स्विटजरलैंड	31717	18906
15.	स्पेन	22903	10797
16.	दक्षिणी अफ्रीका	22218	9538
17.	बेलजियम	21532	11772
18.	इजराइल	20162	10266
19.	यू. ए. ई.	19828	8274
20.	अन्य	818243	454210
	जोड़	2374094	1311533

(ख) आधारभूत सुविधाओं को बढ़ावा देने, विपणन प्रयासों को सुदृढ़ बनाने, मानव संसाधन विकास को सपोक्षित करने आदि सहित राज्य में पर्यटन का संवर्धन करने के लिए सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं। वर्ष 1997–98 के दौरान, विभिन्न परियोजनाओं के लिए 282.00 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई जिनमें–नालूकेट्ट विश्वदाय इमारत, कुमाराकोम में पर्यटक परिसर, नेलिम्पेथी पालक्कड़ में यात्री निवासों, करुनागापल्ली में मार्गस्थ सुख–सुविधाओं का उन्नयन करना, राइस बोट की खरीद आदि और हाथी दौड़ तथा केरल ग्राम्य उत्सव जैसे उत्सव शामिल हैं। 1996–97 के दौरान बोलघट्टी पैलेस का जीर्णोद्धार, मुन्नार में रिजार्ट, अल्वेई पैलेस का नवीनीकरण आदि सहित कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है।

[हिन्दी]

औद्योगिक घरानों से ऋणों की वसूली

931. श्री मोतीलाल वोरा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई औद्योगिक घरानों तथा औद्योगिक इकाइयों द्वारा बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों की वापसी नहीं की जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान 1 लाख रुपए से अधिक बकाया धनराशि वाले औद्योगिक घरानों तथा इकाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे वसूल नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) ऋणों को वसूली हेतु इन औद्योगिक घरानों तथा इकाइयों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक को आंकड़ा निगरानी प्रणाली से पूछे गए तरीके से सूचना प्राप्त नहीं होती है। दिनांक 31.3.98 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के 27 बैंकों की 44800 शाखाओं की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए तथा इस तथ्य को ध्यान में रखकर कि शाखा प्रबंधकों को ऋण मंजूर करने के लिए विभिन्न स्तरों पर शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं और साथ ही यह कि खातों की अत्यधिक बड़ी संख्या, जिनमें से प्रत्येक में बकाया राशि एक लाख रुपए से अधिक है, इन बैंकों के क्षेत्रीय कार्यालयों से सूचना एकत्र करने का प्रयास संभावित परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

[अनुवाद]

बी. सी. सी. एल. में कामगारों को नौकरी से हटाया जाना

932. श्री बसुदेव आचार्य : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 से अब तक वर्ष–वार बी.सी.सी.एल. में अप्राधिकृत अनुपस्थिति का आरोप लगा कर कितने कामगारों को नौकरी से निकाला गया है;

(ख) उनमें से प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दैनिक मजदूरी के कामगारों का प्रतिशत कितना था;

(ग) उनकी अनुपस्थिति के क्या कारण थे;

(घ) क्या उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय में यह कहा है कि किसी कामगार को अप्राधिकृत रुप से अनुपस्थित रहने पर पदच्युत करना बहुत ही कठोर दण्ड है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1990 से अप्राधिकृत रुप से अनुपस्थित रहने के कारण भा. को. को. लि. की नामावली से हटाए गए मजदूरों की संख्या, उनके वर्ष–वार ब्यौरे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत और उनमें से दैनिक मजदूरी के कामगारों के ब्यौरे नीचे दर्शाए गए हैं:–

वर्ष	मजदूरों की संख्या	अ.जाति की प्रतिशतता	अ.जनजाति की प्रतिशतता	दैनिक मजदूरी की प्रतिशतता
1990–91	176	45	19	48.71
1991–92	277	54.8	25	59.09
1992–93	882	59.7	19.97	91.09
1993–94	607	50.8	20.5	59.3
1994–95	465	49	18	59.1
1995–96	328	45	16	42.28
1996–97	736	57	19	69.68
1997–98	488	49	17	65.88
1998–99	218	45	16	65.7

(अक्तूबर, 98 तक)

(ग) कामगारों द्वारा नियमित रुप से अनुपस्थित रहने के मुख्य कारण, उनके परिवारों में होने वाले विभिन्न सामाजिक उत्सवों और कृषि–कार्य एवं अन्य ऐसे क्रियाकलापों में उनका भाग लेना है।

(घ) ए. आई. आर. 1994 में दर्ज भारतीय संघ एवं अन्य बनाम गिरीराज शर्मा के बीच 1989 के सिविल अपील सं. 2982 से संबंधित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न निर्णय दिए:

"पदधारी ने यह स्वीकार करते हुए कहा कि वह छुट्टी की अवधि से अधिक ठहरा था, उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया जिसके कारण अपनी छुट्टी जारी रखना उसके लिए अपरिहार्य हो गया था, क्योंकि अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण उसे छुट्टी पर रहना पड़ा। हमारा यह मानना है कि उक्त परिस्थितियों में 12 दिनों की अवधि हेतु छुट्टी से अधिक समय तक ठहरने के लिए बरखास्तगी का दंड, जिसके प्रतिकार में इसे अस्वीकार नहीं किया गया, कठोर है, क्योंकि परिस्थितियों से यह पता लगता है कि उसका मंतव्य आदेश का जानबूझकर उल्लंघन करना नहीं था, लेकिन परिस्थितियों ने उसे ऐसा करने के लिए बाध्य किया। उक्त मामले में इस दृष्टिकोण से प्रतिवादी हेतु विद्वान काउंसेल ने स्पष्ट रुप से स्वीकार किया है कि प्राधिकारी के लिए यह विकल्प खुला है कि उसे कम दंड दिया जाए। यदि वे इसके लिए इच्छुक हैं तो सेवा से बरखास्तगी जैसे बड़े दंड की आवश्यकता नहीं थी।"

(ङ) ऐसे मामलों पर निर्णय लेते समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त फैसले का सम्यक ध्यान रखा जाता है।

[हिन्दी]

बिहार में सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रम

933. श्री राजो सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में सरकारी क्षेत्र के कितने रुग्ण उपक्रम हैं;

(ख) सरकार द्वारा इन उपक्रमों के पुनरुद्धार के लिए उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन उपक्रमों में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल) : (क) 30–9–1998 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 6 उपक्रम, जिनका पंजीकृत कार्यालय बिहार राज्य में है, रुग्ण हैं, और वे औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड बी. आई. एफ. आर. के पास पंजीकृत हैं।

(ग) पुनरुद्धार/पुनर्स्थापन पैकेज तैयार करने के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंपा गया है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन 6 उपक्रमों में से औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने सरकारी क्षेत्र के 5 उपक्रमों, अर्थात हैवी इंजिनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इण्डिया लिमिटेड, भारत रिफैक्ट्रीज लिमिटेड, इण्डिया फायरब्रिकस एण्ड इंशुलेशन कम्पनी लिमिटेड, और माइका ट्रैडिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एम. टी. सी. आई. एल.) जिसे अब मिनरल्स एण्ड मेट्लस ट्रेडिंग कारपोरेशन के साथ मिला दिया गया है और जिसे औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा अब रुग्ण नहीं है, घोषित कर दिया गया है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रम अर्थात भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की परिसम्पितयां सकारात्मक होने के पश्चात औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने अब इसके संबंध में कार्रवाई समाप्त कर दी है।

(ग) 31.3.1997 की स्थिति के अनुसार, जिस अवधि के लिए सूचना उपलब्ध है, इन उपक्रमों में काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या 1,58,514 है।

[अनुवाद]

आयकर की वापसी

934. श्री शान्ति लाल पुरषोत्तमदास पटेल :

श्री के. पी. नायडू :

श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछेक मामलों में दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिए गए परिवहन भत्ते पर वसूले गए आयकर को वर्ष 1997-98 के लिए जमा की गई आयकर विवरणी को जमा करते समय ही मूल्यांकिती को वापस कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस विसंगति के क्या कारण हैं और शेष मूल्यांकितियों को आयकर की वापसी कब तक कर दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार वर्ष 1998-99 के दौरान परिवहन भत्ते के लिए जमा कर दिए गए अधिक भुगतान को आगामी मूल्यांकन वर्ष में समायोजित करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) स्रोत पर कर की कटौती के बाद सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिनांक 1.8.97 से परिवहन भत्ते का भुगतान किया गया था। तत्पश्चात् संगत नियमों में भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन के माध्यम से ऐसे परिवहन भत्ते को छूट प्रदान करने का निर्णय किया गया। तदनुसार कर-निर्धारण वर्ष 1998-99 के लिए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मामले में बहुत सी वापसियां उत्पन्न हुईं। जहां बेहतर सेवा प्रदान करने के प्रयास के रूप में विवरणी को प्राप्त करने हेतु विशेष काऊन्टर खोले गए थे, धारा 143 (1) (क) के अन्तर्गत काऊन्टर पर ही विवरणियों पर कार्रवाई की गई और साथ ही साथ वापसियां भी जारी की गईं।

(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अनुसार सभी बकाया वापसियों को विवरणियों पर कार्रवाई पूरा करने के समय जारी किया जाएगा।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

फैशन डिजाइन संस्थान

935. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

श्री रामशकल :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फैशन डिजाइनिंग प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ख) देश में ऐसे प्रशिक्षण संस्थानों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) मार्च, से अक्तूबर, 1998 तक कितने आवेदकों को दाखिला दिया गया;

(घ) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने के लिए कोई अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) के नियमित कार्यक्रमों में दाखिला आवेदकों की वरिष्ठता एवं रुचि के आधार पर होता है बशर्ते कि वे प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित होने के लिए पात्रता के मानदंडों को पूरा करते हों।

(ख) निफ्ट के सात केन्द्र हैं, जो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद, गांधीनगर तथा बंगलौर में स्थित हैं।

(ग) 591 छात्रों को निफ्ट द्वारा 1998 सत्र के नियमित पाठ्यक्रम के लिए दाखिल किया गया था।

(घ) और (ङ) केरल राज्य सरकार सहित विभिन्न राज्य सरकारों से अपने राज्य में निफ्ट के केन्द्र की स्थापना के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं जिसकी जांच की जा रही है।

यू. टी. आई. को ऋण

936. श्री मदन पाटील : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यू. टी. आई.) को स्वीकृत अधिकतम ऋण सीमा उपलब्ध कराने का वायदा किया है बशर्ते कि इस घरेलू संस्था की पुनर्भुगतान प्रतिबद्धता ऊंचे स्तर पर पहुंच जाए; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सिगरेटों का आयात

937. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी मात्रा में सिगरेटों का आयात उन्हें पुनः निर्यात करने के लिए किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष आयात किए गए और पुनः निर्यात किए गए सिगरेट की मात्रा क्या है तथा जिन देशों/एजेंसियों को इनका निर्यात किया गया उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सिगरेट के पुनः निर्यात के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (ग) आयात नीति के अनुसार, सिगरेट (आई टी सी एच एस कोड 24.02) प्रतिबंधित मदों की सूची के अंतर्गत आती है। पुनःनिर्यात के उद्देश्य के लिए सिगरेटों के आयात की अनुमति प्रदान करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। शुल्क छूट योजना के अंतर्गत ऐसा कोई मानदण्ड नहीं हैं जिसके तहत सिगरेटों के पुनः निर्यात के लिए सिगरटों के आयात की अनुमति प्रदान की जाती हो।

[हिन्दी]

रुबल का अवमूल्यन

938. श्री डी. एस. अहिरे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुबल के अवमूल्यन का भारत के निर्यात व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : रुबल के अवमूल्यन से भारत सहित सभी देशों से रूस में होने वाले आयात रूसी आयातकों के लिए पहले से ज्यादा महंगे होने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय वस्तुओं सहित आयातित वस्तुओं की मांग में कमी होने के कारण रूस में होने वाले आयातों में गिरावट आ सकती है। तथापि दो कारकों से रूस को होने वाले भारतीय निर्यातों पर अपेक्षाकृत कम प्रभाव पड़ सकता है। पहला, राज्य ऋणों के पुनर्भुगतान संबंधी करार के अधीन ऋण की एक विनिर्दिष्ट राशि का पुनर्भुगतान प्रत्येक वर्ष रुपए के रुप में भारतीय वस्तुओं के निर्यात द्वारा किया जाना है जिससे कुछ हद तक इसके जरिए भारतीय निर्यातों को समर्थन मिलेगा। दूसरा, रूस को होने वाले भारतीय निर्यातों में मुख्य रूप से चाय, काफी, चावल, औषधियां, तम्बाकू इत्यादि शामिल होते हैं जिनकी मांग अपेक्षाकृत समान रहती है। भारत सरकार ने रुसी प्राधिकारियों से मौजूदा करार के अनुसार भारतीय वस्तुओं के आयात के लिए वार्षिक ऋण पुनर्भुगतान की राशि का पूर्ण उपयोग करने का अनुरोध किया है।

[अनुवाद]

बैंक मामलों में संसद सदस्यों के पत्र

939. श्री के. पी. नायडू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्टेट बैंक समूह के बैंकों के कार्यकरण के संबंध में संसद सदस्यों से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है और सरकार द्वारा बैंकों को क्या निर्देश दिए गए हैं; और

(घ) निर्देश का उल्लंघन किए जाने पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (घ) भारतीय स्टेट बैंक, इसके अनुषंगी बैंकों और साथ ही राष्ट्रीयकृत

बैंकों से संबंधित मामलों के सम्बन्ध में संसद सदस्यों से समय--समय पर सुझाव एवं शिकायतें मिलती हैं। जहां कहीं ऐसी शिकायतें ग्राहक सेवा से संबंधित होती हैं या लोक शिकायत होती है जो ऋण निर्णयों से संबंधित न हों, उनके शिकायतों के संबंध मे संबंधित बैंकों से जांच करने का अनुरोध किया जाता है, ताकि उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई की जा सके। ऋण एवं संबंधित पहलुओं जैसे समझौता प्रस्तावों से संबंधित मामलों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए सरकार द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किए गये हैं। अतः प्रचालन संबंधी मामलों में निर्देशों के उल्लंघन का प्रश्न नहीं उठता।

हथकरघा बुनकरों के लिए बीमा योजना

940. **श्री राजवंशी महतो** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1997-98 के दौरान हथकरघा बुनकरों के लिए नई बीमा योजना शुरु की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) जी, हां।

(ख) नई बीमा स्कीम में प्राकृति आपदा के कारण करघों और/अथवा कच्चे माल, आवास इकाईयों के नुकसान और हानि होने पर शामिल करने का प्रावधान होगा। इसमें दुर्घटना मृत्यु के मुकाबले चिकित्सा व्यय भी शामिल होंगे।

नई बीमा स्कीम के अंतर्गत एक बुनकर को शामिल करने के लिए वार्षिक निधि आधार नीचे दर्शाया गया है:--

–	केन्द्र का अंशदान	60 रुपये
–	राज्य का अंशदान	40 रुपये
–	बुनकर का अंशदान --	20 रुपये

साधारण बीमा निगम (जी. आई. सी.) की परामर्शदात्री समितियों का गठन

941. **श्री सुरेश वरपुडकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साधारण बीमा निगम (जी. आई. सी.) ने प्रमुख केन्द्रों पर आंचलिक परामर्शदात्री समितियों के गठन का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परामर्शदात्री समितियों की संरचना तथा उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं; और

(ग) इन समितियों द्वारा अपना कार्य कब तक शुरू कर देने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) जी, हां। भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा यह सूचित किया गया है कि चार महानगरों में ग्राहकों के साथ पारस्परिक सम्पर्क रखने और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली बीमा सेवाओं के सम्बंध में प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए आंचलिक सलाहकार समितियां स्थापित की जा रही हैं। इन सलाहकार समितियों में व्यापार वाणिज्य और उद्योग से सम्बन्धित प्रतिनिधि, चुनिंदा विशिष्ट पालिसीधारक, और प्रतिष्ठित नामित प्रतिनिधि शामिल होंगे। इन आंचलिक सलाहकार समितियों की बैठक अनुषंगी कम्पनियों के अध्यक्ष--तथा--प्रबंध निदेशकों द्वारा बुलायी जाएगी तथा इनकी अध्यक्षता भारतीय साधारण बीमा निगम के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। महानगर केन्द्रों में स्थित अनुषंगी कम्पनियों के क्षेत्रीय प्रबंधक स्थागी अतिथि होंगे। इस समिति के 31 मार्च, 1999 से कार्य प्रारंभ करने की आशा है।

मसालों का उत्पादन

942. **श्री टी. गोविन्दन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार केरल राज्य में मसाले का उत्पादन बढ़ाने के दृष्टिकोण से प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कब तक स्थापित हो जाएगा?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

निर्यातोन्मुख इकाईयां

943. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को बिहार सरकार से राज्य में शत--प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाईयां स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन इकाईयों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

मेडिकल और इंजीनियरिंग के छात्रों को ऋण

944. श्री हरिभाई चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों ने गुजरात, विशेषकर राज्य के पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल और इंजिनियरिंग के छात्रों में मेडिकल और इंजिनियरिंग के छात्रों को ऋण प्रदान किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंकवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन छात्रों को किन–किन राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण प्रदान नहीं किया गया तथा ऋण न देने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए है अथवा किए जाने का विचार है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की सभी शाखाएं छात्रों को ऋण प्रदान करें?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रेशम कीट का आयात

945. श्री रामशकल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेशम कीट पालन के लिए रेशम कीटों का आयात करती है,

(ख) यदि हां, तो किन–किन देशों से आयात किया गया और इस पर कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ग) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश रेशम कीट पालन विभाग में किसी प्रकार की अनियमितताओं की शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम में परिवर्तन

946. श्री जोगेन्द्र कवाड़े : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की संसद द्वारा पारित "आई एफ सी आई रिपील (ट्रांसफर आफ अंडरटेकिंग) एक्ट, 1993" द्वारा कंपनी में परिवर्तित कर दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो कंपनी में परिवर्तन होने के पश्चात् भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड की मौजूदा स्थिति क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय आई एफसी आई एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित है। 31.08.98 की स्थिति के अनुसार आई एफ सी आई की 51% से अधिक इक्विटी सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा धारित है।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों के निर्यात/आयात मानदण्ड

947. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन खाद्यान्नों का ब्यौरा क्या है जिनका आयात/निर्यात मुक्त रूप से किया जा सकता है; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा उनके आयात–निर्यात का निर्णय किस आधार पर लिया गया?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) मुक्त निर्यातों/आयातों के संबंध में नीति संबंधी निर्णय संबद्ध मंत्रालयों के साथ विचार–विमर्श करके लिए जाते हैं। प्रतिबंधित मदों के संबंध में विशिष्ट आयातों/निर्यातों के विषय में निर्णय सरकार की मांग/आपूर्ति संबंधी स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर लिए जाते हैं।

विवरण

खाद्यान्नों के लिए आयात नीति

एक्जिम कोड	मद	नीति	नीति से संबंधित शर्तें
10011000.20	दूरुम गेहूं, बीज क्वालिटी को छोड़कर	सरणीकृत	भारतीय खाद्य निगम के जरिए आयात
10019002	मानवी खपत के लिए गेहूं	सरणीकृत	भारतीय खाद्य निगम के जरिए आयात
10019003.90	मेसलीन बीज क्वालिटी को छोड़कर	सरणीकृत	भारतीय खाद्य निगम के जरिए आयात
10020000.20	राई, बीज क्वालिटी को छोड़कर	सरणीकृत	भारतीय खाद्य निगम के जरिए आयात
10030000.20	जौ, बीज क्वालिटी को छोड़कर	सरणीकृत	भारतीय खाद्य निगम के जरिए आयात
10040000.20	जई, बीज क्वालिटी को छोड़कर	सरणीकृत	भारतीय खाद्य निगम के जरिए आयात
10059000.20	अन्य मक्का	सरणीकृत	भारतीय खाद्य निगम के जरिए आयात
10061000.30	अन्य चावल	सरणीकृत	भारतीय खाद्य निगम के जरिए आयात
10062000	भूसी (भूरा चावल)	सरणीकृत	भारतीय खाद्य निगम के जरिए आयात
10063001	सेला चावल	सरणीकृत	भारतीय खाद्य निगम के जरिए आयात
10063002	बासमती चावल	सरणीकृत	भारतीय खाद्य निगम के जरिए आयात
10063009	सेला को छोड़कर चावल (बासमती चावल को छोड़कर)	सरणीकृत	भारतीय खाद्य निगम के जरिए आयात
10064000	टूटे चावल	सरणीकृत	भारतीय खाद्य निगम के जरिए आयात
1007000.20	सॉरघम दाना, बीज क्वालिटी को छोड़कर	सरणीकृत	भारतीय खाद्य निगम के जरिए आयात
10081000.90	साबूत गेहूं, बीज क्वालिटी को छोड़कर	सरणीकृत	भारतीय खाद्य निगम के जरिए आयात
10082001.90	ज्वार, बीज क्वालिटी को छोड़कर	सरणीकृत	भारतीय खाद्य निगम के जरिए आयात
10082003.90	बाजरा, बीज क्वालिटी को छोड़कर	सरणीकृत	भारतीय खाद्य निगम के जरिए आयात
10082009.90	रागी (फिंगर, मिलेट), बीज क्वालिटी को छोड़कर	सरणीकृत	भारतीय खाद्य निगम के जरिए आयात
10083000.90	कनारी बीज, बीज क्वालिटी को छोड़कर	सरणीकृत	भारतीय खाद्य निगम के जरिए आयात
10089000.90	अन्य अनाज, बीज क्वालिटी को छोड़कर	सरणीकृत	भारतीय खाद्य निगम के जरिए आयात

खाद्यान्नों के लिए निर्यात नीति

कोड़	मद	नीति	शर्तें
1	2	3	4
1006	धान (चावल की भूरी)	प्रतिबंधित	लाइसेंस के अंतर्गत निर्यात की अनुमति दी जाती है।
1001	क) गेहूं और गेहूं के उत्पाद	मुक्त	क) डी जी एफ टी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अनुसार मात्रा की उच्चतम सीमा तक

1	2	3	4
	ख) अनाज और जौ का आटा, मकई, बाजरा, रागी और ज्वार (खरीफ उपज के बतौर उपजाई गई मिश्रित ज्वार को छोड़कर)		ख) कृषि एवं संसाधित खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), द्वारा जारी पंजीकरण सह आबंटन प्रमाण पत्र
1006	बासमती चावल	मुक्त	क) निर्यात की अनुमति कृषि एवं संसाधित खाद्य निर्यात, विकास प्राधिकरण (एपीडा), नई दिल्ली के साथ संविदाओं के पंजीकरण के अध्यधीन दी जाती है। ख) ऐसे खाली गन्नी बोरों जिन पर भारतीय बासमती चावल होने की किसी भी विधि से मार्किंग की गई हो, के निर्यात की अनुमति नहीं दी जाती है। इनमें वो मामले शामिल नहीं हैं जिनमें इनका निर्यात बासमती चावल की खेप के साथ किया जाता है और ऐसे मामलों में निर्यात किए जा रहे बासमती चावल के गन्नी बोरों की कुल संख्या में से ऐसे बोरों की सख्या 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। ग) 50 कि.ग्रा. के बोरों में अथवा उससे अधिक या बड़ी मात्रा में खुल हुए भारतीय बासमती चावल का निर्यात किए जाने के मामले में किसी भी तरीके से भारतीय बासमती चावल के उत्पाद को चिन्हित करने वाले खाली प्रिंटैड गनी बोरों को वास्तविक आवश्यकताओं तक निर्यात करने की अनुमति भी दी जाएगी जिसके लिए प्रेषण की कुल मात्रा और निर्यात किए जा रहे खाली बोरों के आकार को ध्यान में रखा जाएगा।
1006	गैर बासमती चावल	मुक्त	निर्यात की अनुमति, कृषि एवं संसाधित खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) नई दिल्ली के साथ संविदाओं के पंजीकरण के अध्यधीन दी जाती है।

[अनुवाद]

विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड द्वारा स्वीकृत संयुक्त उद्यम

948. श्री सुनील खां :

श्री विकास चौधरी :

श्री अजय मुखोपाध्याय :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995 से 1998 के दौरान विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफ. आई. पी. बी.) द्वारा कुल कितने संयुक्त उद्यम स्वीकृत किए गए हैं;

(ख) इन संयुक्त उद्यमों में विदेशी कम्पनियों की कुल कितनी धनराशि की इक्विटी सहभागिता है; और

(ग) इन संयुक्त उद्यमों में कुल कितनी इक्विटी शामिल है और किन-किन क्षेत्रों में इन उद्यमों को स्वीकृति प्रदान की गई है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ. आई. पी. बी.) ने 1 जनवरी 1995 से 30 सितम्बर, 1998 की अवधि के दौरान 4180 विदेशी सहयोग प्रस्तावों कों अनुमोदित किया है जिसमें 1,33,691.68 करोड़ रुपये की राशि विदेशी इक्विटी भागीदारी के रूप में शामिल हैं। निवेश का क्षेत्रवार विवरण संलग्न है।

विवरण

विदेशी निवेश का क्षेत्रवार ब्यौरा

क्रम सं.	उद्योग का नाम	कुल			विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमोदित राशि (करोड़ रुपये में)	अनुमोदित राशि का %
		कुल	तकनीकी	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7
1.	धातुकर्म उद्योग					
	लौह	54	2	52	5371.05	4.02
	गैर लौह	3	0	3	8.75	0.01
	विशेष मिश्र धातु	6	1	5	118.80	0.09
	खनन सेवाएं	11	0	11	1640.29	1.23
	विविध (अन्य मदें) धातुकर्मी	23	0	23	1096.45	0.82
	जोड़	97	3	94	8235.34	6.16
2.	ईंधन					
	बिजली	111	7	104	21310.92	15.94
	तेल शोधन	63	7	56	12393.10	9.27
	बिजली (अन्य)	18	1	17	766.88	0.57
	तेल शोधन (अन्य)	17	0	17	3907.02	2.92
	अन्य (ईंधन)	47	1	46	1380.60	1.03
	कुल	256	16	240	39758.52	29.74
3.	वायलर तथा आग्र निर्माण संयंत्र	6	1	5	45.72	0.03
4.	प्राइम मूवर्स अन्य यान इलैक्ट्रीकल्स	2	0	2	25.42	0.02
5.	इलैक्ट्रीकल्स उपकरण					
	इलैक्ट्रीकल्स उपकरण	206	14	192	2203.11	1.65
	कम्पयूटर साफ्टवेयर उद्योग	386	9	377	2182.87	1.63

1	2	3	4	5	6	7
	इलैक्ट्रोनिक्स	130	8	122	1742.96	1.30
	कम्प्यूटर हार्डवेयर	1	0	1	0.00	0.05
	अन्य (एस/डब्ल्यू)	11	0	11	55.81	0.00
	जोड़	734	31	703	6184.75	4.63
6.	दूर संचार					
	दूर संचार	134	9	125	84554.16	6.32
	रेडियो पेजिंग	45	3	42	1166.39	0.87
	सेल्लुर मोबाइल/बेसिक टेलीफोन सेवाएं	108	8	100	20257.29	15.15
	दूरसंचार (आई एण्ड बी)	32	0	32	259.91	0.19
	अन्य (दूरसंचार)	15	1	14	707.40	0.53
	जोड़	334	21	313	30845.16	23.07
7.	परिवहन उद्योग					
	ऑटोमोबाइल उद्योग	119	8	111	2465.15	1.84
	वायु/समुद्री परिवहन	55	2	53	1166.96	0.87
	यात्री कारें	18	1	17	3808.87	2.85
	ऑटो उपकरण/पुर्जे	39	3	36	332.08	0.25
	बन्दरगाह	7	0	7	520.50	0.39
	अन्य (परिवहन)	42	2	40	525.97	0.39
	जोड़	280	16	264	8819.52	6.60
8.	औद्योगिक मशीनरी	125	7	118	913.89	0.60
9.	मशीन टूल्स	27	0	27	205.27	0.15
10.	कृषि मशीनरी	4	0	4	272.71	0.20
11.	भूस्खलन मशीनरी	2	0	2	1.09	0.00
12.	विविध मेकेनिकल एण्ड इंजिनियरिंग	206	10	196	926.37	0.69
13.	वाणिज्यिक कार्यालय तथा घरेलू उपकरण	23	0	23	866.66	0.65
14.	स्वास्थ्य तथा सर्जीकल उपकरण	21	1	20	212.51	0.16
15.	औद्योगिकी उपकरण	14	1	13	13.08	0.01
16.	वैज्ञानिक उपकरण	3	0	3	14.93	0.01

1	2	3	4	5	6	7
17.	गणितिय, सर्वेक्षण तथा ड्राइंग	3	0	3	38.37	0.03
18.	खादें	3	1	2	211.20	0.16
19.	केमिकल (अन्य थान खादें)	302	14	288	7007.09	5.24
20.	फोटोग्राफिक सामग्री फिल्म तथा पेपर	4	0	4	196.57	0.15
21.	शुष्क पदार्थ	8	0	8	95.46	0.87
22.	औषधी तथा फार्मास्यूटीकलस	59	8	51	387.17	0.29
23.	वस्त्र (शुष्क प्रिंटेड सहित)	245	2	243	1503.80	1.12
24.	पेपर तथा लुगदी पेपर उत्पाद सहित	48	1	47	1711.84	1.20
25.	चीनी	4	0	4	947.25	0.71
26.	खमीर उद्योग	20	3	17	916.71	0.69
27.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग					
	खाद्य उत्पाद	223	9	214	5954.83	4.45
	जल उत्पाद	5	0	5	6.52	0.00
	विविध (खाद्य उत्पाद)	1	0	1	2.12	0.00
	जोड़	229	9	220	5963.47	4.46
28.	वनस्पति तेल तथा वनस्पति	10	0	10	154.50	0.12
29.	साबुन सौन्दर्य तथा शौचालय संबंधी वस्तुएं	19	1	18	271.97	0.20
30.	रबर, समान	35	1	34	781.12	0.58
31.	चमड़ा, चमड़ा सामान तथा फिक्सस	63	1	62	198.00	0.15
32.	शीशा	35	1	34	955.91	0.72
33.	शिरेमिक्स	57	1	56	451.72	0.34
34.	सीमेन्ट तथा जिप्सम उत्पाद	23	0	23	284.12	0.21
35.	लकड़ी उत्पाद	6	0	6	12.01	0.01
36.	परामर्शी सेवाएं					
	डिजाइनिंग तथा इंजिनियरिंग सेवाएं	117	5	112	575.94	0.43
	प्रबंधन सेवाएं	88	3	85	314.34	0.24

1	2	3	4	5	6	7
	विपणन	25	1	24	47.81	0.04
	निर्माण	4	0	4	2.59	0.01
	अन्य (परामर्शी सेवाएं)	18	0	18	374.81	0.28
	जोड़	252	9	243	1315.49	0.98
37.	सेवा क्षेत्र					
	वित्तीय	170	3	167	6152.02	4.60
	गैर वित्तीय सेवाएं	117	4	113	1667.41	1 25
	बैंकिंग सेवाएं	10	0	10	91.28	0.07
	हास्पीटल तथा उपचार केन्द्र	29	1	28	346.23	0.26
	अन्य सेवाएं	7	2	5	145.29	0.11
	जोड़	333	10	323	8402.23	6.28
38.	होटल तथा पर्यटन					
	होटल तथा रेस्टोरेन्ट	54	4	50	1342.99	1.00
	पर्यटन	25	0	25	707.19	0.53
	जोड़	79	4	75	2050.18	1.53
39.	व्यापार	136	15	121	1027.55	0.77
40.	विविध उद्योग					
	बागवानी	21	1	20	61.83	0.05
	कृषि	30	2	28	78.85	0.06
	पुष्प खेती	46	2	44	212.66	0.16
	डायमंड	3	0	3	37.56	0.03
	आभूषण और सोना	3	0	3	3.00	0.00
	निर्माण और कार्यकलाप	9	0	9	9.63	0.08
	सिगरेट	1	0	1	7.35	0.01
	केयर	2	0	2	2.43	0.00
	अन्य (विविध उद्योग)	158	7	151	1058.69	0.79
	जोड़	273	12	261	1472.01	1.10
	कुल जोड़	4380	200	4180	133691.60	

आयकर निपटान आयोग

949. श्री विकास चौधरी :

श्री सुनील खां :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयकर निपटान आयोग का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो आयोग के सदस्यों के नाम क्या हैं, और उसके विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) उक्त आयोग को अब तक कितने मामले निर्दिष्ट किए गए हैं और इन मामलों में कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है; और

(घ) कुल कितने मामलों का निपटान किया गया है और उनमें कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त थी?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) जी, हां।

(ख) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के पदों के मौजूदा पदाधिकारियों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। आयकर समझौता आयोग एक स्थायी आयोग है जिसे आयकर अधिनियम 1961 के अध्याय XIX–क और धनकर अधिनियम 1957 के अध्याय–V–क के अंतर्गत आने वाले मामलों के निपटान का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

(ग) इसके प्रारम्भ होने की तारीख से 31.10.1998 तक आयोग के समक्ष दायर किए गए आवेदनों की संख्या 10,681 है। वित्तीय वर्ष 1990–91 से 31.10.1998 तक आवेदन दाखिल करने के लिए एकत्र की गई राशि 212 करोड़ रु. है।

(घ) दिनांक 31.10.1998 तक 8591 मामलों का निर्णय निपटान हो चुका है। निपटा दिए गए मामलों से वर्ष 1990–91 से 1996–97 तक 217 करोड़ रु. की राशि एकत्र की गई थी/की जानी थी।

विवरण

आयकर समझौता आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सदस्यों के पदों के मौजूदा पदाधिकारियों की सूची

1.	श्री एन. के. नायक	–	अध्यक्ष
2.	श्री जी. एस. सिंदु	–	उपाध्यक्ष
3.	श्री एस. के. लाल	–	उपाध्यक्ष
4.	श्री एस. गोविन्दराजन	–	उपाध्यक्ष
5.	श्री बी. पी. गुप्ता	–	सदस्य
6.	श्री ए. के. बटब्याल	–	सदस्य
7.	श्री डी. लक्ष्मीनारायण	–	सदस्य
8.	श्री एन. सी. जैन	–	सदस्य
9.	श्री के. पी. सिंह	–	सदस्य
10.	श्री अमिताब चटर्जी	–	सदस्य
11.	श्री पी. राधाकृष्णन	–	सदस्य
12.	श्री के. सुब्रमण्यम	–	सदस्य

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा नए विद्युत संयंत्र के लिए ठेका

950. श्री लक्ष्मण चन्द्र सेठ : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेवली लिग्नाइट कारपोरेशन (एन. एल. सी.) ने नए विद्युत संयंत्र के लिए ठेका दिया है;

(ख) यदि हां, तो यह ठेका किस संगठन को दिया गया है;

(ग) क्या संगठन द्वारा पेश की गई यह प्रौद्योगिकी आजमाई हुई प्रौद्योगिकी थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन ने यह ठेका "मेल" की बजाय किसी निजी कम्पनी को दिया है, और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) जी हां। नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (ने.लि.का.) की तापीय विद्युत गृह–1 विस्तार परियोजना हेतु मुख्य संयंत्र पैकेज इटली के मैसर्स अनसालदो को प्रदान किया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। मैसर्स अनसालदो द्वारा प्रस्तावित प्रौद्योगिकी, उनके निविदा दस्तावेज में नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा निर्धारित निविदा योग्यता संबंधी आवश्यकताओं में निहित विशिष्ट अनुभव संबंधी मानदण्डों को पूरा करती है।

(ङ) और (च) जी, हां। ने. लि. का. ने एल–1 पार्टी मैसर्स अनसालदो पर मुख्य संयंत्र पैकेज हेतु एक वाणिज्यिक रुप से विवेकपूर्ण आर्डर दिया। मैसर्स अनसालदो को अनुबंध प्रदान करने में ने.लि.का. द्वारा इन्जीनियरिंग की दृष्टि से और व्यवसायिक दृष्टि से भी अनुबंध प्रदान किए जाने हेतु निर्धारित सभी कदम उठाए गए हैं। ने.लि.का. द्वारा सभी सरकारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

साधारण बीमा निगम के कर्मचारी

951. श्री राम चन्द्र मलिक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साधारण बीमा निगम एवं इसकी सहायक कंपनियों के उन कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है जो बीमा विनियामक प्राधिकरण (आई. आर.ए.) में प्रतिनियुक्ति/मांग आधार (लोन बेसिस) पर कार्य कर रहे हैं तथा ऐसा प्रत्येक कर्मचारी किस तिथि से बीमा विनियामक प्राधिकरण में कार्य कर रहा है;

(ख) कर्मचारियों को अन्य संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर भेजने संबंधी प्रावधानों का ब्यौरा क्या है तथा इसकी अवधि कितनी होती है;

(ग) बीमा विनियामक प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति/मांग आधार (लोन बेसिस) पर प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति संबंधी समाप्ति अवधि एवं बढ़ाई गई अवधि का ब्यौरा क्या है;

(घ) बीमा विनियामक प्राधिकरण के भर्ती संबंधी नियम क्या हैं; और

(ङ) इस समय बीमा विनियामक प्राधिकरण में कार्यरत अध्यक्ष, सदस्य तथा अन्य अधिकारियों का विवरण क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ङ) वर्तमान अंतरित बीमा विनियामक प्राधिकरण की स्थापना दि. 23.1.1996 के सरकार के एक संकल्प द्वारा की गई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ उन शक्तियों की जांच करना शामिल है जो सांविधिक निकाय के रूप में जब कभी स्थापित किए जाने वाले बीमा विनियामक प्राधिकरण को शक्तियों की पुनः बहाली/शक्तियों को प्रदान करने के संबंध में अपेक्षित हैं। बीमा विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष को "बीमा नियंत्रक" के रूप में पदनामित किया गया। इसलिए, बीमा विनियामक प्राधिकरण के लिए अपने दैनिक कार्य सम्पन्न करने के लिए व्यापक प्रशासनिक तंत्र की आवश्यकता नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार के भरती नियम तैयार नहीं किए गए और न्यू इंडिया एश्यारेंस कम्पनी लि. ओरिएन्टल इंश्योरेंस कम्पनी लि., नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लि. और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लि. से मांग के आधार पर अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाएं ली गयी थी। मांग के आधार पर लिए गए कर्मचारियों का ब्यौरा संलग्न विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

भाग "क"

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम	कम्पनी का नाम	कार्यग्रहण की तिथि
1	2	3	4
1.	प्रबाध चन्द	न्यू इंडिया एश्यारेंस क. लि.	04.03.96
2.	कमल चौधरी	न्यू इंडिया एश्यारेंस क. लि.	01.01.97
3.	राकेश बजाज	न्यू इंडिया एश्यारेंस क. लि.	09.12.96
4.	सुरेश माथुर	न्यू इंडिया एश्यारेंस क. लि.	01.10.96
5.	मुकेश कुमार शर्मा	न्यू इंडिया एश्यारेंस क. लि.	07.05.96
6.	अरूप चटर्जी	ओरिएन्टल इंश्यारेंस क.लि.	17.03.97
7.	बी राघवन	ओरिएन्टल इंश्यारेंस क.लि.	06.03.96
8.	मंजू अरोड़ा	ओरिएन्टल इंश्यारेंस क.लि.	10.08.98
9.	पी. के. शर्मा	ओरिएन्टल इंश्यारेंस क.लि.	31.07.96
10.	शिक्षा साहा	ओरिएन्टल इंश्यारेंस क.लि.	31.07.96
11.	शेखर आहूजा	ओरिएन्टल इंश्यारेंस क.लि.	30.09.96
12.	सरोजन सिंह	नेशनल इंश्यारेंस कं. लि.	28.04.97
13.	अमनप्रीत कौर	यूनाइटेड इंडिया इंश्यो. कं.लि.	09.06.97
14.	आशीष जैन	यूनाइटैड इंडिया इश्यो. कं.लि.	09.04.98
15.	कांता लूथरा	यूनाइटेड इंडिया इश्यो. कं. लि.	07.04.98
16.	आर. एल. जगपाल	नेशनल इंश्यारेंस कं.लि.	30.07.98

भाग "ङ"

नाम सर्व/श्री	पद	जन्म तिथि	कार्यग्रहण की तिथि	सेवावधि के समापन की तिथि
एन रंगाचारी	अध्यक्ष	10.6.38	1.8.96	1.8.2001
डी. एस. नारायण	सदस्य	29.11.38	20.11.96	20.11.99

[हिन्दी]

गुजरात में बेरोजगार युवाओं को ऋण

952. **श्री जयसिंहजी चौहान :**

श्री पून्नू लाल मोहले :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में उन शिक्षित बेरोजगार युवाओं की संख्या कितनी है जिन्होंने स्वव्यवसाय शुरू करने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों में ऋण के लिए आवेदन किया है;

(ख) कितना ऋण मंजूर और संवितरित किया गया और इन बैंकों ने उक्त अवधि के दौरान वर्षवार कितने युवाओं को ऋण मंजूर किया;

(ग) कितने आवेदन–पत्र अभी तक लंबित हैं और इनके लंबित होने के क्या कारण हैं;

(घ) लंबित आवेदन–पत्रों को कब तक निपटा दिए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार का उन्हें ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) गुजरात राज्य के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के नियोजक देना बैंक ने सूचित किया है कि गुजरात में उन बेरोजगार शिक्षित युवाओं की संख्या जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान अपना स्वयं का कारोबार प्रारंभ करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण के लिए आवेदन किया है, निम्नलिखित है:–

वर्ष	आवेदनों की संख्या
1995–96	18438
1996–97	17132
1997–98	22188

(ख) ऋणों की संख्या और मंजूर और संवितरित ऋणों की राशि नीचे दी गई है:–

(राशि : लाख रुपए)

वर्ष	मंजूर की गई		संवितरित की गई	
	ऋणों की सं.	राशि	ऋणों की सं.	राशि
1995–96	10103	4429.24	7668	3318.94
1996–97	9321	3939.96	7847	3246.48
1997–98	10912	4914.10	9936	4337.09

(ग) और (घ) 31 अक्तूबर, 1998 की स्थिति के अनुसार विभिन्न बैंकों के पास 2955 आवेदन लम्बित थे। आवदेनों, मंजूरियों और संवितरण का प्रवाह एक सतत प्रक्रिया है।

(ङ) और (च) प्रधानमंत्री की रोजगार योजना (पी एम आर वाई) के अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराने में देरी में बचने के लिए इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:–

i) योजना के अंतर्गत, अर्धक्षम परियोजना के वित्तपोषण हेतु पात्र उधारकर्ताओं से सीधे आवेदन प्राप्त करने के लिए अब बैंकों को अनुमति दे दी गई है। ऐसे आवेदनों को बैंक की टिप्पणियों के साथ जिला उद्योग केन्द्रों (डी आई सी) को भेजा जाता है। इसके बाद, डीआईसी, अपने रिकार्ड में आवेदनों को दर्ज करने के बाद मंजूरी के लिए उन्हीं बैंक शाखाओं को लौटाते हैं।

ii) बैंकों को अनुमति दी गई है कि जहां कहीं उनके पास आवश्यक प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं, वे वहां पर पी एम आर वाई के अंतर्गत उधारकर्ताओं को प्रशिक्षण दें।

पर्यटकों द्वारा सिक्किम का भ्रमण

953. **श्री भीम दाहाल** : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1998–99 के पहले छः माह के दौरान कितने पर्यटकों ने सिक्किम का भ्रमण किया है;

(ख) क्या पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) से (ग) सिक्किम सरकार से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 1997–98 और 1998–99 के पहले छः महीनों के दौरान सिक्किम आने वाले पर्यटकों की संख्या क्रमशः 68865 और 76642 थी। वर्ष 1998–99 के दौरान पर्यटक आगमनों में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 11.3% की वृद्धि हुई।

(घ) राज्य में पर्यटन को बढ़ाने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों में, पर्यटन आधारभूत सुविधाओं में सुधार और उत्पाद विकास और राज्य में पर्यटक आकर्षणों के प्रचार हेतु वित्तीय सहायता सम्मिलित है। राज्य सरकार ने राज्य में पर्यटन के लिए एक मास्टर प्लान भी तैयार किया है।

[अनुवाद]

इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड का पुनरुद्धार

954. **श्री एन. एन. कृष्णदास** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की पुनरुद्धार योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इसके पालघाट एकक को संयुक्त उद्यम बनाने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य सरकार द्वारा दी गई लगभग 300 एकड़ पालघाट की भू–सम्पति अंशदान के रूप में दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संपत्ति के मूल्य को पालघाट एकक का दायित्व मान लिए जाने के क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल): (क) से (ङ) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की पुनरुद्धार योजना में तकनीकी उन्नयन, लागत में कटौती और कर्मचारियों का युक्तिकरण करने के लिए समुचित पुनर्संरचना करने की परिकल्पना की गई है। समुचित पुनर्संचना में इंस्ट्रूमेंटेशन की केवल कोटा स्थित प्रमुख इकाई को रखते हुए और अन्य इकाइयों अर्थात् (i) पालघाट इकाई (ii) कोटा की डी डी सी इकाई (iii) जयपुर की यू. पी. एस. इकाई को इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की सहायिकाओं के रूप में अलग कंपनी में बदलने की अपेक्षा की गई है। पुनरुद्धार योजना में प्रमुख इकाई और पालघाट इकाई सहित इसकी सहायिकाओं के लिए संयुक्त उद्यम का गठन करने की भी परिकल्पना की गई है।

70 के दशक में केरल सरकार ने कंपनी को पालघाट यूनिट की स्थापना करने के लिए 99 वर्ष के पट्टे पर 300 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई थी। भूमि को पालघाट यूनिट की एक निर्धारित परिसंपति के रूप में माना गया है।

अनुसंधान और विकास कार्य के लिए आबंटन

955. **श्री नरेश पुगलीया** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा अनुसंधान और विकास कार्य के लिए कोल इंडिया लिमिटेड और इसके अनुषंगी एककों को वर्षवार कुल कितना आबंटन किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान आबंटन में से कुल कितनी धनराशि खर्च की गई और प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ आबंटित धनराशि का उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयले तथा लिग्नाइट क्षेत्र में आर. एवं डी. क्रियाकलापों हेतु वर्षवार बजटीय प्रावधान तथा उपयोगिता नीचे दी गई है:–

(लाख रु. में)

	बजटीय अनुमान प्रावधान	संशोधित अनुमान प्रावधान	प्रदान की गई वास्तविक राशि	वास्तविक उपयोग
1995–96	2020	1000	270	232
1996–97	1460	600	600	1165
1997–98	987	938	850	456

उक्त अवधि के दौरान भौतिक लक्ष्य और उनकी उपलब्धि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

	परियोजना का नाम	
	लक्ष्य	प्राप्ति
1995–96	05	05
1996–97	15	08
1997–98	07	11

बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमान किसी विशेष वर्ग में परियोजना को पूर्ण किए जाने के भौतिक लक्ष्यों से प्रत्यक्ष रूप में संबंधित नहीं होता है क्योंकि परियाजनाओं की लागत 5 लाख से कम की राशि से लेकर 10 करोड़ रु. तक के विस्तृत रेंज में है। स्वीकृत एस. एण्ड टी. परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कार्यान्वयन अभिकरणों को परियोजनाओं के कार्यक्रमों के एवज मे निधियों का भुगतान अग्रिम रूप में किया जाता है। पूर्ववर्ती वर्ष के कार्यक्रमों को आने वाले वर्ष में कार्यान्वित किया जाता है, और, इस प्रकार वर्ष 1996–97 में निधियां का वास्तविक उपयोग कोयला मंत्रालय द्वारा जारी की गई धनराशि से बहुत अधिक था।

(ग) इस प्रयोजन हेतु आबंटित निधियों के कम उपयोग के मुख्य कारण निम्नलिखित है:–

(i) उपयुक्त गुणवत्ता वाली ऐसी अनुसंधान परियोजनाओं को सीमिति संख्या में प्रस्तुत किया जाना, जिन्हें स्वीकृति दी जा सकती थी।

(ii) विभिन्न परियोजनाओं प्रस्तावकों द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की धीमी प्रगति।

(iii) कुछ परियोजनाओं में बहु–संस्थानीय सहयोग के कारण हुआ विलंब।

(iv) परिचालन यूनिटों/खानों में आरंभ किए जा रहे कुछ आर. एण्ड डी. क्रियाकलापों को उत्पादन संबंधी प्राथमिकताओं और अन्य क्रियाकलापों संबंधी कारणों से प्रतीक्षा करनी पड़ी।

[हिन्दी]

सेन्ट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड द्वारा रेलवे को अदा की गई राशि

956. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के अंतर्गत घोरी एवं

बी. एण्ड के क्षेत्र में वर्ष 1996-97, 1997-98 के दौरान एल. बी. (लेफ्ट बिहाइन्ड) और वारफेज-डैमरेज में सी. सी. एल. द्वारा कुल कितना रुपया रेलवे को भुगतान किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के अन्तर्गत प्रत्येक कोयला खदान को एल. बी. (लेफ्ट बिहाइन्ड) एवं खराब कोयले के कारण आपूर्ति नहीं होने से कितने रुपए की हानि हुई है; और

(ग) इस हानि के लिए दोषी प्रबंधकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान विलंब शुल्क के कारण से को. लि. के धोरी और बी. एण्ड के. क्षेत्र द्वारा रेलवे को निम्न राशि की अदायगी की गई:-

(राशि लाख रुपए में)

	1996-97	1997-98
धोरी	30.67	6.23
बी. एण्ड के.	7.61	–

(ख) वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान कंपनी द्वारा लेफ्ट बिहाइन्ड/विलंब शुल्क/गुणवत्ता संबंधी कटौती के संबंध में उठाए गए घाटों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(i) वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान लेफ्ट बिहाइन्ड की मात्रा के परिणामस्वरूप से को. लि. द्वारा निम्न घाटा उठाया गया :-

(राशि लाख रुपए में)

1996-97	1997-98
251.25	369.14

(ii) वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान सी. सी. एल. द्वारा गुणवत्ता में कमी के कारण स्वीकार की गई कटौती इस प्रकार है:-

(राशि लाख रु.)

1996-97	1997-98
7386.51*	7769.46*

* वर्ष 1996-97 में 1627.66 लाख रु. तथा 1997-98 में 2962.64 लाख रु. के पूर्वावधि समयोजन सहित।

(ग) विलंब शुल्क तथा कोयले के वैगनों के पीछे छूट जाने की घटनाओं को कम करने के लिए कोयला कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से उपाय किए जा रहे हैं। गुणवत्ता संबंधी कटौतियों के मामलों की गहराई से जांच की जा रही है और इस कारण होने वाले घाटों में कमी किए जाने/दूर किए जाने के लिए उपयुक्त निवारक उपाय किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान सॉल्ट लिमिटेड

957. श्रीमती भावना कर्दम दवे : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नमक संचय हेतु हिन्दुस्तान सॉल्ट्स लिमिटेड भूमि के अतिरिक्त भाग, खाराघुड़ा, गुजरात को अन्य नमक उत्पादकों को पट्टे पर देने के लिए विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और इसे कब तक कार्यान्वित किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अन्य नमक निर्माताओं को भूमि का पट्टे पर दिया जाना कंपनी के हित में नहीं समझा जाता।

भारत का गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

958. श्री के. एस. राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि "भारत का गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और सरकार द्वारा स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च की जाने वाली धनराशि" निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप नहीं है;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक द्वारा भारत की समग्र आर्थिक स्थिति पर उठाये गये मुद्दों का ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस टिप्पणी पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, नहीं। तथापि, रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष में गरीबी को कम करने के लिए शिक्षा के संशोधित प्रसार और स्वास्थ्य सुरक्षा पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

(ख) रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में प्रजातांत्रिक राजनैतिक व्यवस्था से बहुत सी उल्लेखनीय सामाजिक तथा आर्थिक उपलब्धियां प्राप्त की हैं, इनमें अन्य बातों के साथ-साथ, भुखमरी में कमी, जनसंख्या में वृद्धि में कमी और तकनीकी एवं वैज्ञानिक प्रतिभाओं का एक बड़े समूह के रूप में सर्जन शामिल है। इससे गरीबी को कम करने में सहायता मिली है। वर्ष 1975 से इसमें निरंतर कमी आई है। वर्ष 1950 से 1993-94 के बीच गरीबी 45 प्रतिशत से घटकर 36 प्रतिशत हो गई है। परंतु जनसंख्या वृद्धि के कारण इसी अवधि के दौरान गरीबों की संख्या लगभग दुगुनी अर्थात् 16.40 करोड़ से बढ़कर 32 करोड़ हो गई है। उक्त कुल जनसंख्या में से तीन-चौथाई से अधिक (76 प्रतिशत) जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है।

(ग) शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल संबंधी क्षेत्र में सुधार का विवरण आर्थिक समीक्षा 1997-98 के अध्याय 10 (पैरा 24 से 42) में दिया गया है।

[हिन्दी]

ड्रग माफिया द्वारा रसायनों की आपूर्ति

959. श्री चिन्मयानंद स्वामी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण कार्यक्रम की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार भारत मे ड्रग माफिया अफीम को हेरोइन बनाने में प्रयुक्त होने वाले कतिपय रसायन यथा एसिटिक, एनोहाइड्राइट, एनथेलेनिक, स्यूडोअफिड्राइन की आपूर्ति हेरोइन उत्पादक देशों को कर रहे हैं तथा देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का कौन-कौन से कदम उठाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) महोदय, अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण बोर्ड की "प्रिकर्सर्स एंड केमिकल्स फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन दि इलिसिट मैन्यूफैक्चर ऑफ नार्कोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोफिक सब्स्टांसेस" शीर्षक से प्रकाशित हाल की रिपोर्ट के अनुसार, एसिटिक एनहाइड्राइट को विगत समय में भारत से अपवर्तित/तस्करी करके पाकिस्तान के जरिए पाकिस्तान अथवा अफगानिस्तान ले जाया गया था, किन्तु भारत में एसिटिक एनहाइड्रेड पर कड़ा नियंत्रण लगाने के बाद उक्त देश इस उप-क्षेत्र में हेरोइन के अवैध निर्माण में प्रयुक्त एसिटिक एनहाइड्राइड का प्रमुख स्रोत नहीं बना रह सकेगा। हेरोइन के अवैध निर्माण में स्यूडोअफिड्राइन और एनथ्रेलिक एसिड जैसी पूर्वगामी सामग्री के उपयोग के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) पूर्वगामी रसायनों को गलत हाथों में जाने से रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(i) एसिटिक एनहाइड्राइड को स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी द्रव्य पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 9-क के अंतर्गत नियंत्रित पदार्थ के रूप में घोषित किया गया है।

(ii) एसिटिक एनहाइड्राइट, एफेड्राइन और स्यूडोओफ-ड्राइन के निर्यात की केवल तभी अनुमति दी जाती है जब प्रत्येक लेन-देन की वास्तविकता सिद्ध हो जाने के बाद भारत के नार्कोटिक्स आयुक्त द्वारा "अनापत्ति" प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाता है।

(iii) भारत-पाकिस्तान सीमा पर बाड़ लगा दी गई है और हेरोइन तस्करों की गतिविधि को रोकने के लिए फ्लड लाइटों की व्यवस्था कर दी गई है।

(iv) नार्कोटिक्स से संबंधित मामलों में लाभप्रद आसूचना का आदान-प्रदान करने के लिए पाकिस्तान के साथ एक द्विपक्षीय करार किया गया है।

[अनुवाद]

उत्तरी बंगाल में भूटानी मुद्रा का प्रचलन

960. श्री श्रीराम चौहान : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 सितम्बर, 1998 के "द हिन्दू" दिल्ली संस्करण में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि उत्तरी बंगाल क्षेत्र में कम राशि वाले भारतीय नोट की अत्यधिक कमी के कारण इस क्षेत्र में भूटानी नोट चलाए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय भूमि पर विदेशी मुद्रा चलाए जाने को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

नशीले पदार्थों की बड़े पैमाने पर तस्करी

961. श्री के. पी. मोहन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वापक नियंत्रण केन्द्र ने भारत में नशीले पदार्थों की बड़े पैमाने पर तस्करी को रोकने के लिए रक्षा सेवा मुख्यालय से सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण और ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) जी, नहीं।

(ख) इसका प्रश्न नहीं उठता।

कृषि उत्पादों का निर्यात

962. श्री चेतन चौहान : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कृषि उत्पादों के निर्यात के संबंध में नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किन कदमों को उठाया जाएगा?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) कृषिजन्य उत्पादों की निर्यात नीति देश की आयात निर्यात नीति का एक अभिन्न अंग है। कृषिजन्य उत्पादों के निर्यातों से संबंधित नीति मुख्य रुप से भारत की खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताओं, कृषि आय को अधिकतम बनाने और विदेशी मुद्रा के अर्जन से शासित होती है। कृषि उत्पादों के निर्यात निष्पादन की समीक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और जब कभी आवश्यक समझा जाता है, कृषि निर्यातों को उत्तरोत्तर व्यावहारिक बनाने की दृष्टि से उसमें तदनुसार नीति संबंधी परिवर्तन किए जाते हैं।

(ग) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य–उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कदमों में शामिल हैं:–

(1) अच्छी क्वालिटी की रोपण सामग्री के उत्पाद के लिए छोटी और बड़ी पौधशालाएं लगाने के लिए सहायता प्रदान करना, प्रदर्शनों, प्रशिक्षणों और प्रचार के माध्यम से किसानों की तकनीकी जानकारी का उन्नयन, पुराने फलोधानों का नवीकरण, क्षेत्र विस्तार सब्जियों के लिए छोटे टोकरों (मिनी क्रिट्स) की आपूर्ति और उत्पादकता में सुधार लाना तथा किसानो को प्रशिक्षण प्रदान करना;

(2) श्रेणीकरण/प्रसंस्करण केन्द्रों, नीलामी प्लेटफार्मो, प्रकलन/क्योरिंग चेम्बर और गुणात्मकता परीक्षण उपकरणों की स्थापना के लिए सुलभ ऋणों का प्रावधान;

(3) विशिष्टीकृत परिवहन इकाइयों की खरीद, पूर्व प्रशीतन/शीतागार सुविधाओ की स्थापना, एकीकृत फसलोत्तर हैंडलिंग प्रणालियों (चैक हाउसेज) जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए निर्यातकों/उत्पादकों/सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना;

(4) उन्नत पैकेजिंग और गुणवत्ता नियंत्रण के सुदृढ़ीकरण और प्रसंस्कृत इकाइयों के नवीनीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना;

(5) विदेशी बाजारों में उत्पादों, विशेषकर आमों की ग्राह्यता में सुधार लाने के लिए वाष्प ताप अभिक्रिया सुविधाओं की संस्थापना;

(6) चुनिन्दा ताजी सब्जियों और फलों के निर्यात के लिए हवाई भाड़ा इमदाद की मंजूरी;

(7) क्रेता–विक्रेता बैठकों, और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में सहभागिता जैसे संवर्धनात्मक अभियानों की व्यवस्था करना;

(8) ताजे फलों और सब्जियों जैसे नष्ट होने वाली मदों के निर्यात के संचालन के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों पर एकीकृत कार्गो संचालन और शीतागारों की स्थापना करना;

(9) डाटा बेस के विकास तथा बाजार सूचना के प्रसार में सहायता देना;

(10) गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण उन्नयन प्रक्रिया और उत्पाद विकास सुनिश्चित करने के लिए उत्पादों की जांच के लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करना।

[हिन्दी]

विदेश यात्राएं

963. डा. चिन्ता मोहन :

प्रो. प्रेमसिंह चन्दू माजरा :

श्री विजय गोयल :

श्री प्रमथेस मुखर्जी :

श्री मदन पाटील :

श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री महोदय ने अपने केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा की जाने वाली विदेशी यात्राओं में अवांछित वृद्धि पर असंतोष व्यक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय मंत्रियों एवं अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों द्वारा गत आठ माह के दौरान की गई विदेशी यात्राओं का ब्यौरा क्या है और ये यात्राएं किस–किस प्रयोजन से की गईं;

(ग) प्रत्येक केन्द्रीय मंत्री की विदेश यात्रा पर सरकार को कुल कितनी राशि वहन करनी पड़ी और उनके द्वारा की गई यात्रा के क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या सरकार का विचार विदेश यात्रा पर होने वाले व्यर्थ खर्च में कटौती करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) से (ङ) तत्काल सूचना उपलब्ध नहीं है और सभी मंत्रालयों/विभागों से एकत्रित की जाएगी तथा उपलब्ध होते ही सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

"वेचर गाय" के पेटेन्ट अधिकार

964. श्री कमलनाथ : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पारिस्थितिकी अनुसंधान फाउंडेशन के निदेशक ने आरोप लगाया है कि स्काटलैंड के रॉसलिन इन्स्टीट्यूट द्वारा "वेचर गाय" के आनुवांशिक पदार्थ के लिए पेटेन्ट अधिकार लेने से संबंधित विषय पर आपत्ति की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) पेटेंट कार्यालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत में "वेचर गाय" के आनुवांशिक सामग्री के पेटेंट अधिकार हेतु कोई अभ्यावेदन दायर नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री रोजगार योजना

965. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :

श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी :

श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया :

श्री राजो सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान राज्य–वार प्रधानमंत्री की रोजगार योजना से कुल कितनी धनराशि के ऋण प्रदान किए गए हैं;

(ख) लम्बित आवेदनों की संख्या कितनी है;

(ग) लम्बित होने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने योजना को अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) जैसाकि भारतीय रिज़र्व बैंक (आर बी आई) ने सूचित किया है, देश में प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी एम आर वाई) के तहत 01 अप्रैल, 1998 और 30 सित., 1998 के बीच 8607.80 लाख रुपए की राशि संवितरित की गई थी। राज्यवार संवितरित राशि के आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) आर बी आई ने आगे सूचित किया है कि इस योजना के तहत ऋण मंजूरी और संवितरण एक निरंतर प्रक्रिया है। प्रायोजक अभिकरणों को लक्ष्य के 150% तक की सीमा तक के आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित करने होते हैं। इसलिए, एक वर्ष के लिए लक्ष्य नियत होने के बावजूद वर्ष के अंत तक सामान्यतः कई आवेदन संवीक्षा के लिए लम्बित पड़े रह जाते हैं। फिर भी, इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए, बैंकों को यह सलाह दी गई है कि वे आवेदनों की जांच करें और पूर्ववर्ती वर्ष के अन्त तक लम्बित आवेदनों पर स्वीकृति दें। आवेदनों को प्रायोजित करने, उनकी स्वीकृति और ऋण राशि का संवितरण करने का तिमाही लक्ष्य भी निश्चित कर दिया गया है ताकि कार्यक्रम के वर्ष की अंतिम तिमाही में आवेदन इकट्ठे न हो जाएं और योजना का कार्यक्रम सही ढंग से हो पाए।

विवरण

प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी एम आर वाई) के अंतर्गत 1998–99 (1 अप्रैल, 1998 से 30 सितम्बर, 1998) के दौरान संवितरित राशि का विवरण

बैंक का नाम	कार्यान्वयन करने वाले सभी बैंक
	(राशि लाख रुपये में)
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संवितरित राशि
1	2
आंध्र प्रदेश	877.60
अरुणाचल प्रदेश	0.73

1	2
असम	61.44
बिहार	344.47
गुजरात	1244.32
गोवा	19.20
हरियाणा	100.40
हिमाचल प्रदेश	146.45
जम्मू और कश्मीर	269.16
कर्नाटक	357.25
केरल	282.27
महाराष्ट्र	1685.02
मणिपुर	2.52
मध्य प्रदेश	493.12
मेघालय	1.18
मिजोरम	–
नागालैंड	5.90
उड़ीसा	41.24
पंजाब	171.15
राजस्थान	127.99
सिक्किम	–
त्रिपुरा	3.32
तमिलनाडु	452.74
उत्तर प्रदेश	1728.69
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	43.64
अंडमान व निकोबार	7.26
चंडीगढ़	4.19
दादरा व नगर हवेली	2.76
दमन व दीव	4.95
लक्षद्वीप	0.95
पाण्डिचेरी	9.61
पश्चिम बंगाल	118.28
अखिल भारत	3107.80

आर्थिक मामलों संबंधी समिति

966. श्री आर. एस. गवई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैक्रो और माइक्रो आर्थिक मामलों पर प्रधानमंत्री को परामर्श देने के लिए कोई उच्चाधिकार प्राप्त परामर्शदात्री समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या लघु उद्योगों और सरकारी क्षेत्र को इस समिति में प्रतिनिधित्व न देने के लिए कोई विरोध किया गया है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) 27 अगस्त, 1998 को सरकार ने प्रधान मंत्री की एक आर्थिक सलाहकार परिषद् का गठन किया जिसकी संरचना निम्नलिखित है;

अध्यक्ष :	प्रधान मंत्री
सदस्य	डा. आई. जी. पटेल
	डा. पी. एन. धर
	डा. मोंटेक सिंह आहलुवालिया
	डा. अर्जुन सेनगुप्ता
	डा. किरीट पारिख
	डा. अमरेश बागची
	डा. अशोक देसाई
	श्री जी. वी. रामाकृष्णन, प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव

सदस्य सचिव : प्रधान मंत्री के सचिव

परिषद् अध्यक्ष की अनुमति से, विशेष अतिथि (अतिथियों) के रूप में इसके किसी भी सत्र में भाग लेने के लिए, ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) को, जिन्हें वह उपयुक्त समझती हो, सहयोजित या आमंत्रित कर सकती है।

आर्थिक सलाहकार परिषद् प्रधानमंत्री और परिषद् के सदस्यों के बीच अतिमहत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दों पर नीतिगत विचार–विमर्श के लिए एक अवसर प्रदान करेगी।

(ग) परिषद को विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व न दिए जाने से संबंधित अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें लघु कुटीर उद्योग से संबंधित लघु उद्योग भारती से प्राप्त एक अभ्यावेदन शामिल है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट

967. श्री संदीपान थोरात :

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

श्री माधवराव सिंधिया :

श्री सुशील कुमार शिंदे :

श्री नादेन्दला भास्कर राव :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1991 से आज तक अनुमोदित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित स्थिति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्रवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई क्षेत्रीय असमानताएं हैं;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या चालू वर्ष की पहली छमाही के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का वास्तविक आगम पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले घटा है;

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाने तथा प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) जी, हां। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के 1.1.91 से 30.9.98 तक की अवधि में कुल अनुमोदन और अंतःप्रवाह के आंकड़े इस प्रकार हैं:–

कुल अनुमोदन	कुल अंतः प्रवाह
1,74,577 करोड़ रुपये	51,250 करोड़ रुपये

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी अनुमोदन और अंतः प्रवाह के बारे में वर्षवार स्थिति संलग्न विवरण–। में दी गई है।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के 1.8.91 से 30.9.98 तक की अवधि में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अनुमोदनों की क्षेत्रवार और राज्यवार आंकड़े क्रमशः संलग्न विवरण–।। और ।।। में दिये गये हैं।

(ग) और (घ) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ. डी. आई.) वाली परियोजनाओं के स्थापना स्थल का निर्धारण विभिन्न कारकों के आधार पर किया जाता है। जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता, दक्ष मानवशक्ति, घरेलू बाजार, प्राकृतिक संसाधन तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त अन्य प्रोत्साहन शामिल है। ि ें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्ग्रस्त रहता है ऐसी परियोजनाअ े स्थापना स्थल का निर्धारण किसी भी रूप में एफ. आई. पी. बी. की दिशानिर्देशों के तहत नहीं होता है और इसका निर्धारण निवेश, जैसा कि ऊपर कहा गया है; व्यावसायिक और वाणिज्यिक मान्यताओं के आधार पर स्वयं करते हैं। अब तक स्वीकृत अनुमोदनों के बारे में, यह देखा गया है कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की परियोजनाएं मुख्य रूप से महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में केन्द्रित हैं।

(ङ) और (च) जी, नहीं। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतः प्रवाह में जनवरी से जून 1998 की अवधि में पिछले वर्ष में इसी अवधि की तुलना में कोई ज्ञातव्य गिरावट नहीं आई है। वर्ष 1998 की पहली तिमाही (जनवरी से जून) में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अंतःप्रवाह 6,233.39 करोड़ रुपए था। जबकि पिछले वर्ष (जनवरी से जून, 1997) में यह अंतःप्रवाह 7,000.90 करोड़ रुपए था। चूंकि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतःप्रवाह अनेक कारकों पर निर्भर होते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ धन का अभाव भी एक पहलू है, इसलिए इसे माह प्रति माह की तुलना से जांचा नहीं जा सकता है। यद्यपि चालू वर्ष (जनवरी से जून, 1998) के दौरान, अंतःप्रवाह पिछले वर्ष (जनवरी से जून, 1997) की तुलना में कुछ कम रहे हैं, जून 1998 में हमने पिछले वर्ष की इसी अवधि के 948 करोड़ रुपए की तुलना में 1594 करोड़ रुपए का अधिकतम अंतःप्रवाह दर्ज किया था।

(छ) सरकार ने विदेशी निवेश के लिए भारत को एक आकर्षण स्थल बनाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इस दिशा में किए गए कुछ उपायों में अन्य बातों के साथ–साथ विद्युत क्षेत्र परियोजनाओं (आटोमेटिक रिएक्टर पावर परियोजनाओं को छोड़कर) में 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति शामिल है, बशर्ते कि विदेशी स्थिति 1500 करोड़ रुपए से अधिक न हो, ग्लोबल मोबाइल निजी संचार प्रणालियों में 49 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देना; विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए अनुमोदित एन. बी. एफ. सी. कार्यकलापों की सूची में क्रेडिट कार्ड बिजनेस और मनी चेंजिंग बिजनेश को शामिल करना, निजी क्षेत्र के बैंकों में 40 प्रतिशत तक बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों द्वारा विदेशी निवेश की अनुमति देना, तथा आन्तरिक प्रेषणों (इनवर्ड रेमिटेंस) की प्राप्ति और विदेशी निवेशकों को शेयर आबंटित करने से संबंधित नियमों का उदारीकरण करना शामिल है।

विवरण-I

वर्षवार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) अनुमोदन तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्वाह इस प्रकार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष (जनवरी–दिसम्बर)	अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की कुल राशि रुपये में	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश राशि का कुल अंतर्वाह रुपये में
1	2	3
1991	534	351
1992	3888	675
1993	8859	1787
1994	14187	3289
1995	32072	6820
1996	36147	10389
1997	54891	16425
1998 (जनवरी–सितम्बर)	23999	11514

विवरण – II

1.8.91 से 30.9.98 की अवधि के दौरान अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा तकनीकी सहयोग का क्षेत्रवार ब्यौरा

क्र. सं.	उद्योग का नाम	कुल	तक.	वित्त	एफडीआई की राशि अनुमोदित (करोड़ रु.)	अनुमोदित कुल राशि का %
1	2	3	4	5	6	7
1	धातुकर्मी उद्योग					
	लौह	335	197	138	7274.77	4.17
	अलौह	60	29	31	770.84	0.44
	विशेष मिश्रधातु	52	35	17	142.52	0.08
	खनन सेवा	18	4	14	1642.22	0.94
	विविध (अन्य मद)–धातुकर्मी	60	22	38	1175.00	0.67
	योग :	525	287	238	11005.35	6.31
2.	ईंधन					
	विद्युत	145	13	132	28363.39	16.26
	तेलशोधक कारखाना	184	86	98	15501.87	8.88
	विद्युत (अन्य)	27	3	24	4317.47	2.47
	तेलशोधक कारखाना	36	18	18	3907.90	2.24
	अन्य (ईंधन)	113	39	74	2030.41	1.16
	योग:	505	159	346	54121.04	31.02

1	2	3	4	5	6	7
3.	वायलर्स तथा भाप जनित्रण संयंत्र	68	39	29	118.02	0.07
4.	प्राइम मूवर्स, इलेक्ट्रिकल से भिन्न	60	38	22	91.32	0.05
5.	इलेक्ट्रिकल उपकरण					
	इलेक्ट्रिकल उपकरण	1324	760	564	4009.57	2.30
	कंप्यूटर साफ्टवेयर उद्योग	706	65	641	2956.86	1.69
	इलेक्ट्रोनिक्स	339	125	214	2079.54	1.19
	कंप्यूटर हार्डवेयर	1	0	1	0.00	0.00
	अन्य (एस/डब्ल्यू)	34	13	21	62.97	0.04
	योग :	2404	963	1441	9108.95	5.22
6.	दूरसंचार					
	दूरसंचार	252	91	161	8740.76	5.01
	रेडियो पेजिंग	46	4	42	1166.39	0.67
	सेल्यूलर मोबाइल/मूल टेलीफोन सेवा	111	9	102	20734.39	11.88
	दूरसंचार (आइ एंड बी)	36	2	34	262.17	0.15
	अन्य (दूरसंचार)	15	1	14	707.40	0.41
	योग :	460	107	353	31611.12	18.12
7	परिवहन उद्योग					
	आटोमोबाइल उद्योग	564	336	228	2965.34	1.70
	वायु/समुद्र परिवहन	101	11	90	2242.34	1.29
	पैसेंजर कार	28	3	25	4324.96	2.48
	आटो अनुषंगी/पार्टस	82	45	37	336.12	0.19
	पत्तन	7	0	7	520.50	030
	अन्य (परिवहन)	75	26	49	552.02	0.32
	योग :	857	421	436	10941.28	6.27
8.	औद्योगिक मशीनरी	1148	730	418	1933.16	1.11
9	मशीन औजार	157	74	83	278.54	0.16
10.	कृषि मशीनरी	34	25	9	434.11	0.25

1	2	3	4	5	6	7
11.	अर्थ मूविंग मशीनरी	50	31	19	83.34	0.05
12.	विविध यांत्रिकी व इंजी.	558	237	321	1095.41	0.63
13.	वाणिज्यिक, कार्यालय तथा घरेलू उपकरण	69	27	42	971.74	0.56
14.	मेडिकल तथा सर्जिकल उपकरण	63	23	40	239.97	0.14
15.	औद्योगिक औजार	156	89	67	116.58	0.07
16.	वैज्ञानिक औजार	40	14	26	61.43	0.04
17.	गणितीय, सर्वेक्षण तथा ड्राइंग	4	1	3	38.37	0.02
18.	उर्वरक	57	51	6	246.88	0.14
19.	रसायन (उर्वरक के अलावा)	1341	688	653	11097.10	6.36
20.	फोटोग्राफिक रॉफिल्म तथा पेपर	18	9	9	225.45	0.13
21.	रंजक सामग्री	17	3	14	104.72	0.06
22.	औषध तथा भेषज	296	164	132	791.11	0.45
23.	वस्त्र (रंगाई, छपाई सहित)	535	113	422	2773.26	1.59
24.	कागज तथा लुगदी, कागज उत्पाद सहित	150	62	88	2285.26	1.30
25.	चीनी	7	1	6	1000.75	0.57
26.	किण्वन उद्योग	56	17	41	1125.51	0.65
27.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग					
	खाद्य उत्पाद	596	118	476	8236.06	4.72
	मेरिन उत्पाद	87	19	68	85.37	0.05
	विविध (खाद्य उत्पाद)	3	0	3	10.12	0.01
	योग	686	137	549	8331.54	4.78
28.	वनस्पति तेल तथा वनस्पति	34	3	31	193.06	0.11
29.	साबुन, सौंदर्य प्रसाधन तथा टॉयलेट प्रीपेरेशन	46	15	31	318.18	0.18
30.	रबड़, वस्तु	170	89	81	1015.96	0.58

1	2	3	4	5	6	7
31.	चमड़ा, चमड़ा सामान तथा पिकर्स	162	33	129	274.22	0.16
32.	कांच	77	28	49	1341.68	0.77
33.	सिरामिक	179	51	126	790.37	0.45
34.	सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद	79	33	46	702.63	0.40
35.	टिम्बर उत्पाद	10	2	8	16.32	0.01
36.	रक्षा उद्योग	4	4	0	0.00	0.00
37.	परामर्शदायी सेवाएं					
	डिजाइन तथा इंजी॰ सेवाएं	213	50	163	599.05	0.34
	प्रबंधन सेवाएं	120	16	104	431.77	0.25
	विपणन	41	7	34	50.42	0.03
	संरचना	11	2	9	12.20	0.01
	अन्य (परामर्श सेवा)	25	2	23	380.04	0.0[illegible]
	योग :	410	77	333	1473.48	0.63
38.	सेवा क्षेत्र					
	वित्तीय	232	4	228	7008.14	4.02
	गैर वित्तीय सेवाएं	239	17	222	2533.76	1.45
	बैंकिंग सेवाएं	15	0	15	171.11	0.10
	अस्पताल तथा निदान केन्द्र	55	7	48	494.13	0.28
	अन्य सेवाएं	25	4	21	806.85	0.46
	योग :	566	32	534	11013.99	6.31
39.	होटल तथा पर्यटन					
	होटल तथा रेस्टोरेंट	262	93	169	2763.65	1.58
	पर्यटन	48	9	39	708.80	0.41
	अन्य (होटल तथा पर्यटन)	8	2	6	17.50	0.01
	योग :	318	104	214	3489.95	2.00
40.	ट्रेडिंग	339	16	323	1212.15	0.69

1	2	3	4	5	6	7
41.	विविध उद्योग					
	बागवानी	83	37	46	117.34	0.07
	कृषि	101	47	54	121.04	0.07
	फूलों की खेती	174	68	106	282.17	0.16
	हीरा	3	0	3	37.56	0.02
	आभूषण तथा सोना	3	0	3	3.00	0.00
	**चाय/कॉफी	2	2	0	0.00	0.00
	सिगरेट	2	1	1	7.35	0.00
	कॅयर	2	0	2	2.43	0.00
	अन्य (विविध उद्योग)	755	449	306	1845.57	1.06
	**संरचना गतिविधियां	12	0	12	15.15	0.01
	योग :	1137	604	533	2431.62	1.39
	योग :	13854	5601	8253	174481.96	

विवरण-III

अगस्त 1991 से सितम्बर, 1998 के दौरान अनुमोदित विदेशी सहयोग तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा

राज्य	अनुमोदनों की सं.			(वि.प्रा.नि. की राशि)	कुल का %
	कुल	तक.	वित्त	(करोड़ रुपये)	
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	582	173	409	6117.29	3.51
असम	10	6	4	1.50	0.00
बिहार	93	54	39	227.47	0.13
गुजरात	729	382	347	9274.40	5.32
हरियाणा	553	218	335	2182.92	1.25
हिमाचल प्रदेश	78	51	27	344.16	0.20
जम्मू और कश्मीर	3	2	1	8.01	0.00
कर्नाटक	973	322	651	13079.79	7.50

1	2	3	4	5	6
केरल	126	44	82	551.79	0.32
मध्य प्रदेश	212	85	127	7464.07	4.28
महाराष्ट्र	1929	730	1199	21782.16	12.48
मणिपुर	1	0	1	3.19	0.00
मेघालय	4	0	4	52.96	0.03
नागालैंड	2	1	1	3.68	0.00
उड़ीसा	103	334	69	7763.10	4.45
पंजाब	132	43	89	1859.28	1.07
राजस्थान	241	79	162	2246.28	1.29
तमिलनाडु	1168	371	797	12038.24	6.90
त्रिपुरा	1	0	1	0.68	0.00
उत्तर प्रदेश	537	226	311	2954.21	1.69
पश्चिम बंगाल	378	133	245	7344.58	4.21
अण्डमान और निकोबार	6	0	6	13.11	0.01
अरुणाचल प्रदेश	2	0	2	11.06	0.01
चंडीगढ़	18	2	16	73.50	0.04
दादरा और नागर हवेली	61	40	21	88.03	0.05
दिल्ली	727	106	621	23309.01	13.0
गोवा	104	41	63	468.41	0.27
लक्ष्यद्वीप	1	0	1	0.50	0.00
पाण्डिचेरी	68	30	38	351.34	0.20
दमन और दीप	26	12	14	20.05	0.01
अन्य	4986	2416	2570	54847.17	31.43
जोड़	13854	5601	8253	174481.94	

सोयाबीन और सूरजमुखी का आयात

968. श्री अमर पाल सिंह :

श्रीमती जयन्ती पटनायक :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत सोयाबीन और सूरजमुखी का आयात करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इन्हें किस–किस देशों से आयात किया जाएगा;

(ग) इनका कितनी–कितनी मात्रा में आयात किया जाएगा और आयात मूल्य कितना होगा;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे आयात के सम्भावित खतरों के बारे में कोई अध्ययन कराया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) सोयाबीन और सूरजमुखी का घरेलू उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) खाद्य ग्रेड (आई टी सी (एच एस) कोड 15121901.10) के सूरजमुखी बीज तेल को मुक्त आयात सूची में पहले से ही रखा गया है। सूरजमुखी बीज तेल अपरिष्कृत (आई टी सी (एच एस) कोड 151211.01) का आयात या तो भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, हिन्दुस्तान वैजीटेबल ऑयल्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा सरणीकृत किया जाता है या फिर विशेष आयात लाइसेंस पर आयात की अनुमति दी जाती है। विखंडित तथा चटखे हुए सोयाबीन के आयात की अनुमति 15 अक्तूबर, 1998 में दी गई है।

(ख) और (ग) जहां तक मुक्त आयात सूची की मदों का संबंध है, जिन देशों से इनका आयात किया जाना है तथा उनकी मात्रा के बारे में कोई अनुबंध नहीं है। अतः इस बारे में ब्यौरे देना संभव नहीं हो सकता है।

(घ) और (ङ) यद्यपि इस बारे में कोई अध्ययन नहीं किया गया है, तथापि सरकार को बीजों के आयातों के संभावित खतरों की जानकारी है। केवल बिखंडित तथा चटखे हुए सोयाबीन को मुक्त आयात सूची में रखा गया है क्योंकि यह देश के भीतर बुआई के प्रयोजन के लिए उपयुक्त नहीं होता है।

(च) तिलहन का विकास कृषि विभाग के अंतर्गत तिलहन और दाल संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन का एक अंग है। तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए तिलहन उत्पादन कार्यक्रम पर केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना कार्यान्वित की जा रही है। बीज, मिनीकिट्स तथा फार्म उपकरणों आदि जैसे निविष्टियों तथा अन्य क्रियाकलापों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। किसानों के खेतों पर फ्रंटलाइन प्रदर्शनों का भी आयोजन किया जाता है।

मादक पदार्थों का व्यापार

969. श्री भर्तृहरि मेहताब : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में मादक पदार्थों का व्यापार जोरों से चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच से इस अपराध में उच्चपदासीन व्यक्तियों के संबंधित होने का पता चला है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा मादक पदार्थों के व्यापार की रोकथाम हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

(घ) भारत पाक सीमा के अधिकतर हिस्से पर जो कि नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए सुगम्य क्षेत्र हैं; बांड लगा दी गई है और फ्लड़ लाइटों की भी व्यवस्था कर दी गई है। म्यॉन्मार और पाकिस्तान के साथ हुए द्विपक्षीय करारों में नशीले पदार्थों की मांग में कमी करने और उसके अवैध व्यापार को रोकने से सम्बंधित मामलों में सहयोग बढ़ाने की व्यवस्था है। सीमा सुरक्षा बल और तटरक्षकों को नशीले पदार्थों पर निषेध लगाने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत शक्तियां दी गई हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त, एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अंतर्गत शक्ति प्राप्त सभी प्रवर्त्तन एजेंसियां देश में नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार पर लगातार निगरानी रखती हैं।

शीतल पेय निर्यात

970. श्री रवि सीताराम नायक : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष 30 अक्तूबर, 1998 तक देशवार कितनी मात्रा में शीतल पेयों का निर्यात किया गया; और

(ख) उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) कलकत्ता से चालू वर्ष के लिए केवल अप्रैल से अगस्त, 1998 तक के निर्यात आकंड़े उपलब्ध हैं। अप्रैल–अगस्त

1998 की अवधि के दौरान सांद्रित शीतल पेय और प्रसंस्कृत फलों और जूस के कुल निर्यात का मूल्य 124.02 करोड़ रु. था। (स्रोत डी जी सी आई एंड एस, कलकत्ता और एपीडा) निर्यात मुख्य रूप से यू. एस. ए., यू. के., जापान, नीदरलैंड, कनाडा, जर्मनी, रूस, जोर्डन, यू. ए. ई., दक्षिण अफ्रीका, बंगलादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और सिंगापुर को हुआ है। निर्यातों के देश-वार ब्यौरे डी जी सी आई एंड एस द्वारा एकत्रित भारतीय विदेश व्यापार सांख्यिकी के मासिक/वार्षिक बुलेटिन में उपलब्ध हैं, जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय को भेजी जाती हैं।

गुजरात में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों को बंद करना

971. **डा. वल्लभभाई कथीरिया :**

श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह **बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एन. टी. सी.) की मिलों तथा कताई खण्ड जैसी उन अन्य मिलों को जिन्हें आंशिक रुप से पुनः शुरु किया जा सकता है, को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम की ऐसी कितनी मिलें हैं जिन्हें कुछ प्रयास करने से खोला जा सकता है या मिल में किसी खंड विशेष को खोला जा सकता है;

(ग) क्या सरकार ने इनके तकनीकी कर्मचारियों और अधिकारियों की समयापूर्व सेवानिवृत्ति योजना को अंतिम रुप दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) एन. टी. सी. (गुजरात) जो कि गुजरात राज्य में एन. टी. सी. की ग्यारह मिलों का प्रबंध करता है, का मामला रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के उपबंधो के अंतर्गत बी. आई. एफ. आर. को भेजा हुआ है। बी. आई. एफ. आर. ने एन. टी. सी. गुजरात के साथ-साथ उसके संघटक एककों को रुग्ण कम्पनी के बतौर घोषित कर दिया है तथा कम्पनी को बंद करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

गुजरात राज्य में एन. टी. सी. की कोई भी मिल बंद नहीं है। तथापि, कार्यशील पूंजी की कमी के कारण अधिकांश मिलों में क्रियाकलाप बंद हैं। सरकार निर्धारित अवधि के भीतर निवल पूंजी के सकरात्मक बन जाने के बी. आई. एफ. आर. के मानदण्ड को ध्यान में रखते हुए एन. टी. सी. की अर्धक्षम कम्पनियों के साथ-साथ उनके अंतर्गत अर्धक्षम मिलों के लिए एक संशोधित सर्वांगीण सुधार नीति पर विचार कर रही है। संशोधित सर्वांगीण सुधार नीति को ध्यान में रखते समय कामगारों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा।

(ग) और (घ) एन.टी.सी. में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लागू की गई है तथा 31.10.1998 तक की स्थिति अनुसार एन. टी. सी. (गुजरात) लि. में 8584 कर्मचारियों ने पहले से ही स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के लाभ प्राप्त कर लिए हैं। तकनीकी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए कोई पृथक विशेष सेवा निवृत्ति योजना नहीं है। स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अंतर्गत अधिशेष सेवा के लिए वेतन/मजदूरियों अथवा सेवा के पूरे किए गए प्रत्येक वर्ष के लिए 45 दिन के वेतन/मजदूरी की दर, इनमें से जो भी कम हो, के समान मुआवजा दिया जाता है, जो कि कर्मचारियों को अदा किए जाने वाले सामान्य अंतिम लाभ के अतिरिक्त होता है।

[हिन्दी]

महिलाओं के लिए राज-राजेश्वरी और भाग्यश्री योजनाएं

972. **श्री ब्रजमोहन राम :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औरतों और लड़कियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्रमशः राज-राजेश्वरी और भाग्यश्री बीमा योजनाएं लागू की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके लागू होने के बाद से अब तक कितनी औरतें और लड़कियां लाभान्वित हुई हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) भारतीय साधारण बीमा निगम की चार अनुषंगी कम्पनियों द्वारा राज-राजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना (नई) और भाग्यश्री बाल कल्याण पालिसी 18 अक्तूबर, 1998 से शुरु की गई है। इन दो योजनाओं की मुख्य बातें क्रमशः विवरण-I और II में दी गई हैं।

(ग) इनके प्रभाव का मूल्यांकन एक वर्ष के पश्चात् किया जाएगा।

विवरण-I

राज–राजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना
(महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा हेतु साधारण बीमा पॉलिसी)

इस योजना का मंतव्य महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। 10 से 75 वर्ष की आयु वर्ग वाली किसी भी आय, व्यवसाय अथवा अवकाश वाली महिलाओं के वर्गों को इस योजना के अंतर्गत कवच प्रदान किया जाएगा।

देय क्षतिपूर्ति :

प्राथमिक कवच

बीमाकित महिलाओं की विकलांगता की स्थिति में

स्थायी पूर्ण विकलांगता	35000/–रुपए
दो अंगों/दोनों आंख/एक अंग एवं एक आंख के खराब होने की स्थिति में	25000/– रुपए
एक अंग/एक आंख के खराब होने की स्थिति में	12,500/– रुपए

मृत्यु की दशा में

* विवाहित महिलाओं हेतु – इस पालिसी के अन्तर्गत पति की मृत्यु पर कवच प्रदान किया जाता है–पत्नी को रु. 25,000/– की क्षतिपूर्ति देय होगी।
* अविवाहित महिलाओं हेतु –इस पालिसी के अंतर्गत बीमांकित व्यक्ति की मृत्यु पर कवच प्रदान किया जाता है–नामांकित व्यक्ति/कानूनी वारिस को रु. 25,000/– की क्षतिपूर्ति देय होगी।

अतिरिक्त कवच

अस्थायी पूर्ण विकलांगता	रु. 500/–प्रति माह बशर्ते कि यह रु. 1500/– से अधिक न हो
कानूनी तलाक की कार्रवाई पर हुआ व्यय	रु. 2000/–से अनाधिक वास्तविक
आग, बाढ़, दंगा, आतंक के कारण घरेलू वस्तुओं की क्षति/खोना	रु. 2000/–की सीमा तक

मृत्यु/विकलांगता का तात्पर्य दुर्घटना से होने वाली मृत्यु/विकलांगता से ही नहीं होगा, अपितु इसमें अस्पताल में होने वाले बच्चे के जन्म के कारण, और बन्ध्याकरण, सिजेरियन, गर्भाशय की शल्य–चिकित्सा और कैंसर के कारण स्तन निकालना जैसे शल्य आपरेशन के दौरान होने वाली मृत्यु भी शामिल है, बशर्ते कि मृत्यु आपरेशन के 7 दिन के अन्दर हो।

प्रीमियम : प्राथमिक कवच के लिए प्रति महिला 15/–रुपए प्रतिवर्ष और प्राथमिक एवं अतिरिक्त कवच के लिए प्रति महिला 23/– रुपए प्रतिवर्ष

छूट : समूह में छूट की 5 प्रतिशत से 60 प्रतिशत भिन्नता है, जो समूह के आकार पर आधारित है। दीर्घावधिक छूट 5 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक है, जो बीमा की अवधि पर आधारित है।

अद्वितीय विशेषताएं

* इस पालिसी के अंतर्गत महिला की विकलांगता पर ही कवच नहीं प्रदान किया जाता है अपितु उसके पति की मृत्यु पर भी दिया जाता है।
* अस्थायी पूर्ण विकलांगता और घरेलू सामान की क्षति/होने पर भी अतिरिक्त कवच प्रदान किया जाता है।

विवरण –II

भाग्य बाल कल्याण योजना
(अनाथ बालिका की सहायता हेतु साधारण बीमा योजना)

* यह कवच शून्य से 18 वर्ष की आयु वर्ग वाली बालिका हेतु लागू है, जिनके माता–पिता की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं है।
* इस कवच के अंतर्गत माता–पिता दोनों अथवा इनमें से एक की मृत्यु होने पर बीमांकित बालिका को सहायता प्रदान की जाती है।

देय हितलाभ

बालिका की आयु	सहायता की धनराशि	किसको देय
1–5 वर्ष	रु. 1200/– प्रतिवर्ष	जीवित माता–पिता अथवा अभिभावक को
6–11 वर्ष	रु. 1200/– प्रतिवर्ष	जीवित माता–पिता अथवा अभिभावक को, बशर्ते कि व्यय बालिका की शिक्षा पर किया गया हो।
12–17 वर्ष	रु. 2400/– प्रतिवर्ष	जीवित माता–पिता अथवा अभिभावक को, बशर्तें की व्यय बालिका की शिक्षा पर किया गया हो।
18 वर्ष	शेष राशि बालिका को देय	बालिका को उसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण होने पर

18 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पहले बालिका की मृत्यु होने की स्थिति में, बालिका को देय शेष राशि, जीवित माता–पिता/अभिभावक को प्रदान की जाएगी।

प्रीमियम : रु. 15/– प्रतिवष प्रति बालिका

छूट : 5 से 45 प्रतिशत भिन्न–भिन्न है जो वर्ग के आकार पर आधारित है।

अद्वितीय विशेषताएं

* माता–पिता में से किसी की भी मृत्यु होने पर बालिका को सहायता।
* अनाथ बालिका को रहन–सहन तथा शिक्षा हेतु सहायता।
* आयु 18 वर्ष पूर्ण होने पर एक मुश्त भुगतान।

[अनुवाद]

आयात तथा निर्यात अदायगियों में छूट

973. **श्री एम. बागा रेड्डी :**

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्यात–आयात अदायगियों में छूट देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह किस हद तक देश से आयात–निर्यात में सुधार लाएगा?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) ये रियायतें निर्यातकों को निर्यात बढ़ाने में सहायता करेंगी। तथापि, निर्यातों और आयातों की वृद्धि के विस्तार की मात्रा को बता पाना संभव नहीं है।

विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ शर्तों के अधीन बिना किसी मौद्रिक सीमा के निर्यातों से सम्बन्धित सभी प्रकार के प्रेषणों में उल्लेखनीय छूट दी है। निर्यातकों को विदेश में भांडागारों/व्यापारिक कार्यालयों की सुविधा के अतिरिक्त, अलग–अलग मामले के आधार पर अधिक लम्बी अवधियों के लिए विदेशी क्रेताओं को ऋण देने की पेशकश करने की अनुमति दी गई है। म्यांमार और रोमानिया के साथ हाल ही में प्रति–व्यापार प्रबन्धों को अंतिम रूप दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्यातक व्यापार निकायों के साथ पारस्परिक संव्यवहार के लिए एक निकाय की स्थापना की है।

जहां तक आयातों का संबंध है, आयात संबंधी दस्तावेजों का निपटान करते समय सावधानी बरतने के लिए प्राधिकृत डीलरों (ए. डी.) को विस्तृत मार्ग दर्शिकाएं व वशिष्ट प्रचालन सम्बन्धी निर्देश जारी किए गए हैं। केवल बैंक के जरिए आयात सम्बन्धी दस्तावेजों की प्राप्ति से सम्बन्धित प्रतिबंध में निम्न श्रेणियों में छूट दी गई है:

(i) सुपर स्टार ट्रेडिंग घराने

(ii) स्टार ट्रेडिंग घराने

(iii) ट्रेडिंग घराने

(iv) निर्यात घराने

(v) मुक्त व्यापार क्षेत्र में शत–प्रतिशत ई.ओ.यू./ई–काई

(vi) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

(vii) पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां

(viii) पूर्ण स्वामित्व प्राप्त सहायक कम्पनियों को उनकी विदेशी मुख्य कम्पनियों के द्वारा आपूर्ति किए गए सामानों के सबंध में।

इसके अतिरिक्त पुस्तक विक्रेताओं द्वारा पुस्तकें तथा पत्रिकाओं का अयात करने के संबंध में विदेशी विक्रेता से आयातक द्वारा सीधे आयात सम्बन्धी दस्तावेजों को स्वीकार करने के लिए वैयक्तिक सीमा को 10,000 अमरीकी डालर से बढ़ा कर 25,000 अमरीकी डालर कर दिया गया है।

[हिन्दी]

शिक्षित बेरोजगार युवकों को ऋण

974. **श्रीमती शीला गौतम :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वरोजगार योजना के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगारों युवकों को दिए गए ऋणों के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किस प्रकार निगरानी की जाती है; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा इन ऋणों की समय पर वसूली करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) संभवतः माननीय सदस्य प्रधान मंत्री की रोजगार योजना (पी एम आर वाई) के बारे में जानना चाहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इस योजना के अंतर्गत, बैंकों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे उधारकर्ताओं द्वारा ऋण राशि से सृजित की गई परिसम्पतियों का सत्यापन करें और उनसे उपयोग प्रमाण–पत्रों की मांग भी करें। बैंक उधारकर्ता के कार्य स्थल का आवधिक दौरा भी करते हैं और उधारकर्ताओं से उनकी गतिविधियों के संबंध में वित्तीय विवरण भी मंगवाते हैं, ताकि उन्हें प्रदान किए गए ऋणों और कार्यशील पूंजी सहायता का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। जिला कलेक्टर/उप आयुक्त की अध्यक्षता वाली जिला पी एम आर वाई समितियों को भी योजना की निगरानी और मूल्यांकन की जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि इसका कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। बैंक इन ऋणों की वसूली और समय पर उगाही के लिए उपाय करते हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उगाहे गए ऋण

975. **श्री चन्द्रशेखर साहू** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान समय में कितने सरकारी क्षेत्र के उपक्रम जनसामान्य से सावधि जमा के रूप में ऋण स्वीकार करते हैं;

(ख) क्या इसके फार्म हिन्दी–अंग्रेजी, अर्थात् द्विभाषाई होते हैं या केवल अंग्रेजी में होते हैं;

(ग) क्या फार्म को हिन्दी में भरने का विकल्प है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन फार्मों को कब तक द्विभाषाई रुप से मुद्रित किया जाएगा तथा इन्हें हिन्दी में भरने की अनुमति कब तक दी जाएगी?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल): (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्तमानतः नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, आई. टी. आई. लिमिटेड तथा मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड नामक सरकारी उपक्रम सावधिक निक्षेप के रूप में आम जनता से ऋण प्राप्त कर रहे हैं।

(ख) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड आवदेन पत्रों तथा सम्बन्धित निबन्धन एवं शर्तों को द्विभाषिक रुप से अर्थात हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों में मुद्रित करवाता है, उक्त उपक्रम के अतिरिक्त अन्य उपक्रमों के आवेदन–पत्र सिर्फ अंग्रेजी में होते हैं।

(ग) से (ङ) सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रम हिन्दी में भरे गए आवेदन–पत्रों को स्वीकार कर रहे हैं।

[अनुवाद]

गैर-बैंकिंग कंपनियों में लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

976. **श्री दिन्शा पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए पैनेल के लेखापरीक्षकों को भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकृत गैर–बैंकिंग तथा अन्य वित्तीय कंपनियों में नियुक्त किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन वित्तीय संस्थाओं को शेयर–होल्डरों के प्रति जिम्मेदार बनाने के लिए इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में लाने के लिए कोई कदम उठाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या लेखा परीक्षकों की भूमिका की समीक्षा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की कोई बैठक "इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स ऑफ इंडिया" के साथ हुई थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बारगी उपाय के रूप में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अनुमोदित लेखा परीक्षा फर्मों की सूची से चार्टर्ड लेखाकारों की नियुक्ति की है, ताकि उन गैर–बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की विशेष लेखा परीक्षा की जा सके जिन्होंने पंजीकरण के लिए आवेदन किया था। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में बाहर के लेखा परीक्षकों को शामिल करने का प्रावधान है।

(ख) और (ग) गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर भारतीय रिजर्व बैंक का विनियामक एवं पर्यवेक्षण संबंधी नियंत्रण होना वित्तीय प्रणाली के हित में है और इससे ऐसी कंपनियों के जमाकर्ताओं के हित सुरक्षित होते हैं।

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय चार्टड लेखाकार संस्था (आई सी ए आई) की बैठकें समय–समय पर आयोजित की जाती हैं। गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखे का एक भिन्न प्रपत्र तैयार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक अध्ययन दल गठित किया है, ताकि इन वित्तीय विवरणों को अधिक पारदर्शी बनाया जा सके।

इसके अलावा गैर–बैंककारी वित्तीय कंपनियों की लेखा–परीक्षक रिपोर्ट (रिजर्व बैंक) निदेश, 1998 की शर्तों के अनुरुप, लेखा–परीक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे कंपनियों के निदेशक मंडल के समक्ष निम्नलिखित मामलों के संबंध में रिपोर्ट करें:–

(क) क्या कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45 झ क के अंतर्गत पंजीकरण के प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवदेन किया है और आवेदनों की स्थिति।

(ख) क्या कंपनी द्वारा स्वीकार की गई जमाराशियां सीमाओं के अंदर हैं, क्या कंपनी ने जमाराशियों की वापसी अदायगी में चूक की है।

(ग) क्या कंपनी ने उस पर लागू विवेक पूर्ण मानदण्डों की अनुपालना किया है।

(घ) क्या कंपनी ने निर्धारित चल निधि संबंधी आवश्यकताओं की अनुपालना की है और नामोदिष्ट बैंक के पास अनुमोदित प्रतिभूतियों को रखा है। क्या कंपनी विवेकपूर्ण मानदंडों और वार्षिक प्रतिफलों के संबंध में विवरणियां भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करती है।

लेखा–परीक्षकों के लिए यह भी अनिवार्य है कि यदि लेखा–परीक्षकों की राय में कंपनी ने उस पर लागू बैंक निदेशों के प्रावधानों और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के सम्बद्ध उपबंधों की अनुपालना नहीं की है तो वे भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्ट करें।

[हिन्दी]

स्थानीय निकायों द्वारा बांड्स जारी करना

977. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बांड्स जारी करने के लिए स्थानीय निकायों को अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) स्थानीय निकायों द्वारा उक्त बांड्स कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ग) सरकार ने नगर पालिकाओं द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 200 करोड़ रुपए तक की राशि के कर–मुक्त बांड जारी करने की अनुमति देने का निर्णय पहले ही ले लिया है। नगर पालिकाओं द्वारा बांड जारी करना सरल करने के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश तैयार किए जा रहे हैं।

प्लास्टिक का निर्यात

978. श्री प्रभूदयाल कठेरिया : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्लास्टिक का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) वर्ष 1996 तथा 1997 के दौरान निर्यात में वृद्धि गिरावट की प्रतिशतता वर्ष 1994 तथा 1995 के मुकाबले अलग अलग क्या रही;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान निर्यात में गिरावट आई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(च) सरकार द्वारा प्लास्टिक के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) प्लास्टिक उत्पादों के निर्यात के मात्रा–वार आंकडें नहीं रखे जाते हैं।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान प्लास्टिक उत्पादों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नानुसार है;

(मिलियन अमरीकी डालर)

1996–97	539.43
1997–98 (अनन्तिम)	512.35

स्रोत (डीजीसीआई एण्ड एस)

(ग) वर्ष 1994–95 की तुलना में 1996–97 के दौरान किए गए निर्यात में मूल्य के रुप में प्रतिशत वृद्धि 12.80 की है। किंतु वर्ष 1995–96 की तुलना में 1997–98 के दौरान निर्यात में मूल्य के रूप में 12.50% की गिरावट दर्ज हुई है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त अवधि के दौरान निर्यात में गिरावट मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी के कारण और दक्षिण–पूर्व एशियाई देशों में मुद्रा संकट के कारण हुई है।

(च) निर्यातों से संबंधित समस्याओं की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए व्यापार और उद्योग जगत में लगातार संपर्क बनाए रखना तथा विशिष्टीकृत व्यापार मेलों, प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद के द्वारा निर्यातक समुदाय को बाजार विकास सहायता प्रदान करना, क्रेता विक्रेता बैठक तथा अन्य संवर्धानात्मक क्रियाकलापों का आयोजन, निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे सतत प्रयासों के भाग है।

[अनुवाद]

लघु उद्योगों को ऋण

979. श्रीमती कमल रानी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में जिला–वार राष्ट्रीयकृत बैंकों को ऋण प्रदान करने हेतु लघु उद्योगों से कितने आवेदन प्राप्त हुए और उन्हें कितना ऋण प्रदान किया गया;

(ख) क्या बैंकों द्वारा आवेदकों को ऋण प्रदान नहीं किए गए जिसके कारण कुछ उद्योग खराब हो गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का विचार है;

(घ) क्या इस संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को उद्यमियों से कोई शिकायतें मिली हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

राज्यों को ऋण

980. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा राज्य सरकारों को लघु बचत से ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को कितना ऋण उपलब्ध कराया गया;

(ग) क्या राज्य सरकारों को शत–प्रतिशत वसूली करने की अनुमति दी गई है;

(घ) यदि नहीं, तो शत–प्रतिशत वसूली प्रदान न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस ऋण को निरन्तर ऋण में न बदलने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को उपलब्ध कराए गए ऋण दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) निवल संग्रहणों का 75 प्रतिशत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ऋण के रूप में दिया जाता है क्योंकि भारत सरकार को अभिदाताओं को ब्याज भुगतान, डाक विभाग और बैंकों को एजेंसी भुगतान के रूप में भुगतान, एजेन्टों की कमीशन आदि का भुगतान जैसी कतिपय लागतें वहन करनी पड़ती हैं।

(ङ) ये धनराशियां ऋण के रूप में संवितरित की जाती हैं क्योंकि वे भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियां नहीं हैं बल्कि उधार हैं जिनकी अभिदाताओं को वापसी अदायगी की जानी हैं।

विवरण

वर्ष 1995–96 से 1997–98 तक राज्यों/संघ क्षेत्रों की सरकारों को स्वीकृत लघु बचत ऋण

(करोड़ रुपए)

		1995–96	1996–97	1997–98
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	621.38	212.11	435.87
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.56	2.75	6.67
3.	असम	183.86	321.45	210.77
4.	बिहार	428.49	510.06	841.74
5.	गोवा	21.83	27.74	36.33

1	2	3	4	5
6.	गुजरात	1004.87	911.48	1418.14
7.	हरियाणा	287.13	256.45	484.03
8.	हिमाचल प्रदेश	134.20	276.09	648.88
9.	जम्मू और कश्मीर	63.34	181.91	154.16
10.	कर्नाटक	434.43	479.30	491.88
11.	केरल	338.41	180.25	182.65
12.	मध्य प्रदेश	295.18	363.37	562.70
13.	महाराष्ट्र	990.11	1518.00	2521.69
14.	मणिपुर	1.44	9.48	12.60
15	मेघालय	2.28	2.94	15.16
16.	मिजोरम	1.54	1.45	3.27
17.	नागालैण्ड	0.45	4.78	4.68
18.	उड़ीसा	209.91	111.92	263.53
19.	पंजाब	560.00	573.01	990.26
20.	राजस्थान	499.96	563.82	782.64
21.	सिक्किम	0.00	4.01	4.74
22.	तमिलनाडु	291.40	390.61	396.99
23.	त्रिपुरा	2.28	17.32	43.30
24.	उत्तर प्रदेश	1462.98	1329.67	1991.47
25.	पश्चिम बंगाल	1541.86	1744.79	2550.54
	जोड़	9377.89	9994.76	15054.69
विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र				
1.	दिल्ली	607.38	666.61	668.32
2.	पांडिचेरी	4.82	9.68	9.18
	जोड़	612.20	676.29	677.50
	कुल योग	9990.09	10671.05	15732.19

बैंकों का कम्प्यूटरीकरण

981. श्री सी. डी. गामीत :

श्री ए अजय कुमार :

श्री ए. सी. जोस :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सभी सरकारी बैंकों को कम्प्यूटरीकृत करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कम्पयूटरीकृत शाखाओं की बैंकवार संख्या कितनी है; और

(घ) देश में बैंकों को कम्प्यूटरीकृत करने की भावी योजना का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (घ) बैंकिंग उद्योग में कंप्यूटरीकरण न केवल भ्रष्टाचार की संभावनाओं को कम करने के लिए है, बल्कि बैंकों की कार्यक्षमता बढ़ाने तथा बेहतर ग्राहक सेवा उपलब्ध कराने के लिए भी है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी वी सी) ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश 1998 की धारा 8(1) (ज) द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश जारी किए हैं कि सभी बैंक यह सुनिश्चित करें कि दिनांक 1.1.2001 से पहले वे अपने कारोबार का 70% कम्प्यूटरीकृत कर लेंगे।

(ग) दिनांक 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 3383 शाखाएं पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत की जा चुकी हैं, जबकि 6506 शाखाओं और 204 कार्यालयों का आंशिक रूप से कम्प्यूटरीकरण हुआ है।

द्विपक्षीय समझौते

928. श्री अरविंद कांबले : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा पोखरण परीक्षण के पश्चात् आयात, निर्यात तथा अन्य मामलों के संबंध में जिन–जिन

देशों के साथ द्विपक्षीय समझौता किया गया है उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यापार संबंधी आदान–प्रदान करने वाले अन्य देशों की संख्या में कमी आ रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाने की कोशिश की है; और

(घ) सरकार द्वारा 31 अक्तूबर, 1998 तक कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) पोखरण परीक्षण के पश्चात भारत और सेशेल्स के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के एक प्रयास के रूप में दिनांक 18.9.98 को एक औपचारिक व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

भारत और रूस ने "व्यापारिक, आर्थिक, औद्योगिक, वित्तीय, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग के विकास के संबंध में एक संयुक्त दस्तावेज" का निष्पादन किया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अप्रैल–सितम्बर, 1998 के दौरान 16269.74 मिलियन अमरीकी डालर का निर्यात होने का अनुमान है।

खादी उद्योग

983. श्री बालासाहिब विखे पाटील :

श्री टी. गोविन्दन :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ रियायतें/छूट वापस लिए जाने के बाद खादी उद्योग को गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है; और खादी इकाइयों के देय शेयर का समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त उद्योग को दबाने और बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) खादी उद्योग के संदर्भ में सरकार द्वारा रियायतें/छूट वापस नहीं ली गई है। जहां तक कार्यशील पूंजी का संबंध है, वितरण मामले में बजटीय निधियों की कमी के कारण के. वी. आई. सी. ने खादी एककों को के. वी. आई. सी. की व्यापक ब्याज राजसहायता योजना के अंतर्गत बैंकों से कार्यशील पूंजी प्राप्त करने की सलाह दी है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठते हैं।

बेरोजगार वस्त्र श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

984. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार वस्त्र मिलों के बंद हो जाने के कारण कितने वस्त्र कामगार बेरोजगार हुए हैं;

(ख) राज्यवार इनमें से कितने कामगारों को स्वरोजगार अथवा वैकल्पिक रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया गया है;

(ग) क्या कामगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए शेष कामगारों की सहायतार्थ कोई समयबद्ध कार्यक्रम है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (घ) 31.8.1998 तक की स्थिति अनुसार विभिन्न राज्यों में बंद पड़ी सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलों में कामगारों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

वस्त्र मंत्रालय की वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना में बंद पड़ी वस्त्र मिलों के कामगारों को सहायता के पैकेज की व्यवस्था है। इस योजना के अंतर्गत जो कि 15 सितंबर, 1996 से लागू है, कामगारों को केवल 3 वर्षों के लिए ही टैपरिंग आधार पर राहत प्रदान की जाती है अर्थात प्रथम वर्ष वेतन के 75 प्रतिशत के बराबर, द्वितीय वर्ष 50 प्रतिशत तथा तृतीय वर्ष वेतन के 25 प्रतिशत के बराबर की राहत दी जाती है। ऐसे कामगारों को प्रशिक्षण देने के लिए मंत्रालय की कोई विशिष्ट योजना नहीं है। राष्ट्रीय फैशन टैक्नोलोजी संस्थान के गांधी नगर स्थित केन्द्र निम्नलिखित तीन क्षेत्रों में कुछ ऐसे कामगारों को प्रशिक्षण प्रदान करने पर विचार कर रहा है ताकि वे रोजगार प्रापत करने के लिए सक्षम हो सकें:–

1. सिलाई मशीन आपरेटर्स

2. गुणवत्ता नियंत्रण पर्यवेक्षक

3. लाइन पर्यवेक्षक

प्रत्येक पाठ्यक्रम की प्रशिक्षण अवधि 70 घंटे होगी।

विवरण

दिनांक 31.8.98 को विभिन्न राज्यों में बन्द पड़ी सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलों (एसएसआई रहित) कामगारों की कुल संख्या

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	कामगार
1.	आंध्र प्रदेश	7023
2.	असम	572
3.	बिहार	501
4.	गुजरात	109574
5.	हरियाणा	3985
6.	कर्नाटक	8815
7.	केरल	2178
8.	मध्य प्रदेश	21091
9.	महाराष्ट्र	35446
10.	उड़ीसा	2375
11.	पंजाब	5516
12.	राजस्थान	8393
13.	तमिलनाडु	20216
14.	उत्तर प्रदेश	32510
15.	प. बंगाल	24619
16.	दिल्ली	6117
17.	मणिपुर	475
	कुल	289406

भारतीय पटसन निगम के क्रय केन्द्रों का बंद होना

985. श्री खारबेल स्वाइन :

प्रो. अजित कुमार मेहता :

श्री पी. एस. गढवी :

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भारतीय पटसन निगम (जे.सी.आई.) को देश में कुछ पटसन क्रय केन्द्रों को बंद करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बिहार और पश्चिम बंगाल मुख्य पटसन उत्पादक राज्य हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय पटसन निगम ने पटसन के समर्थन मूल्य में कमी की है;

(च) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार और पश्चिम बंगाल में पटसन की खरीद में औसतन कितनी कमी हुई है;

(छ) क्या सरकार की इन पटसन क्रय केन्द्रों को फिर से खोलने की कोई योजना है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो सरकार ने पटसन उत्पादक राज्यों में कच्चे पटसन की खरीद हेतु क्या वैकल्पिक प्रबंध किए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) भारतीय पटसन निगम को अधिक लागत प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि इसकी क्रय प्रक्रिया के ढांचे को पुनः बनाया जाए और इसके 43 अनार्थिक केन्द्रों को बंद कर दिया जाए। उन केन्द्रों को बंद करने के लिए चुना गया है जिन्हें निम्नलिखित कारणों से अनार्थिक पाया गया है:–

1. वाणिज्यिक प्रचालनों के लिए सार्थक नहीं है।

2. केन्द्र के प्रचाचन अनार्थिक हैं।

3. केन्द्रों में बेलिंग प्रेस सुविधा उपलब्ध नहीं है।

जिन केन्द्रों को बंद करने का प्रस्ताव है उनके राज्य–वार ब्यौरे संलग्न विवरण में देखे जा सकते हैं।

(ग) और (घ) देश के कुल पटसन ओर मेस्टा उत्पादन में बिहार का योगदान औसतन 10 प्रतिशत है, जिसकी तुलना में पश्चिम बंगाल का उत्पादन 60 प्रतिशत है।

(ङ) और (च) वर्ष 1993–94 से 1996–97 तक की अवधि के दौरान भारतीय पटसन निगम द्वारा कोई खरीद अभियान नहीं

चलाया गया। वर्ष 1997-98 के दौरान भारतीय पटसन निगम ने कुल 17.63 लाख क्विंटल (9.82 लाख गांठ) की खरीदारी की जिसमें से पश्चिम बंगाल में खरीद की गई मात्रा 10.80 लाख क्विंटल (6 लाख गांठ) और बिहार में 2.40 लाख क्विंटल (1.3 लाख गांठ) थी।

(छ) से (झ) भारतीय पटसन निगम ने बोर्ड द्वारा स्थिति की नियमित रूप से पुनरीक्षा तथा आवश्यक कार्रवाई की है।

विवरण

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड़

1, शैक्सपिअर सारणी, कलकत्ता–71

संरचनात्मक नेटवर्क

राज्य	क्र. सं.	क्षेत्र	क्रय केन्द्रों की संख्या	
			1996–97	1998–99
पश्चिम	1.	बरसात	17	16
बंगाल	2.	शैओराफुली	15	11
	3.	कृष्णागोर	16	15
	4.	बेथुआदाआरी	13	11
	5.	बेहरामपुर	16	12
	6.	मालदा	11	10
	7.	सिलीगुड़ी	13	10
	8.	कूचबिहार	15	12
			116	97
बिहार	1.	पुरनिया	12	11
	2.	सहरसा	18	9
			30	20
असम/	1.	नागाँव	13	12
मेघालय	2.	मुवाहटी	6	6
	3.	धुबरी	11	8
त्रिपुरा	1.	अगरतला	8	3
उड़ीसा	1.	कटक	10	6
आंध्र प्रदेश	1.	विज़िअनग्राम	14	13
			208	165

[हिन्दी]

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देय राजसहायता

986. डा. प्रभा ठाकुर : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम के कर्मचारियों को यह कह कर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अपनाने के लिए लुभाने की कोशिश की है कि यदि वे अपनी परियोजना शुरू करते हैं तो उन्हें 33 प्रतिशत राजसहायता दी जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो यह राजसहायता अभी तक कितने कर्मचारियों को दी गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) सरकार ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अंतर्गत सुव्यवस्थित किए गए कामगारों के पुनर्वासन के लिए एक योजना बनाई है। इस योजना के अंतर्गत कामगार सामान्य कीमत पर एन. टी. सी. से पुराने करघे खरीद कर अथवा मशीन विनिर्माताओं से नए विद्युतकरघा/रीलिंग मशीनें खरीद कर अपनी निजी परियोजना शुरू कर सकते हैं। बैंकों से आवश्यक वित्त उपलब्ध है। कम्पनी ऐसे उद्यमों के शुरू होने की तारीख से छह महीने तक उनके सफलतापूर्वक चलने के बाद उत्पादन प्रोत्साहन भी प्रदान करेगी।

30.9.1998 तक की स्थिति के अनुसार इस योजना के अंतर्गत 431 कामगारों को करघे प्रदान किए गए हैं। तथापि, उत्पादन प्रोत्साहन जारी करने का मामला विचाराधीन है।

[अनुवाद]

कोयला क्षेत्र के लिए बजटीय आबंटन

987. श्री फ्रांसिस्को सारदीना : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र के लिए कितना बजटीय आबंटन किया गया है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान कोई बाह्य सहायता भी मांगी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र को निम्नलिखित बजटीय आबंटन किये गए।

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान
1997–98	485.63 करोड़ रु.	413.16 करोड रु.
1996–97	530.88 करोड रु.	390.46 करोड रु.
1995–96	606.43 करोड़ रु.	539.69 करोड रु.

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न के भाग (क) में निर्दिष्ट बजट आबंटन में बजट के माध्यम से किए जाने वाले बाह्य वित्त पोषण शामिल है। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बाह्य ऋण की उपयोगिता, तकनीकी सहायता और प्रौद्योगिकी में सुधार आदि हेतु बाह्य वित्त पोषण की मांग की गयी थी। पिछले तीन वर्षों के दौरान बजट के माध्यम से बाह्य वित्त पोषण के किए गए प्रावधानों का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है:–

(करोड़ रू. में)

		को.ई.लि.	सि.को.क. लि.	ने.लि.का.	जोड़
1997–98	ब.अ.	0.00	18.50	0.35	18.85
	स.अ.	0.00	41.77	10.25	52.02
1996–97	ब.अ.	0.00	42.78	21.10	63.88
	स.अ.	0.00	37.10	21.10	58.20
1995–96	ब.अ.	41.00	22.00	38.57	101.57
	स.अ.	41.00	58.36	39.12	138.48

को.इ.लि. : कोल इंडिया लिमिटेड

सिं.को.क. लि. : सिगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड

ने.लि.का. : नेगवली लिग्नाइट कारपोरेशन लि.

निर्यात-आयात हेतु उच्चाधिकार प्राप्त समिति

988. श्री मगन्ती बाबू :

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **वाण्जिय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि** :

(क) क्या सरकार ने निर्यात–आयात नीति के लिए दो उच्चाधिकार प्राप्त समितियां गठित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो ये समितियां कब तक गठित की जाएंगी;

(ग) इन समितियों के अन्य मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(घ) ये समितियां अपनी रिपोर्ट कब तक दे देंगी?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (घ) सरकार ने लोक लेखा समिति की 24 वीं रिपोर्ट (1997–98) में निहित सिफारिशों के आधार पर जून, 1998 में अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के बारे में एक उच्चधिकार प्राप्त समिति का गठन किया था, जिसका मुख्य कार्य अग्रिम लाइसेंस (शुल्क छूट योजना) के प्रचालन के ढंग की जांच करना, अग्रिम लाइसेंसिंग स्कीम विशेषकर मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंसिंग दुरुपयोग के लिए उत्तर–दायी तथ्यों का पता लगाना तथा ऐसे दुरुपयोगों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अपेक्षित उपायों और निर्यात में दोषी लोगों से सरकार की बकाया राशि की शीघ्र वसूली के लिए आवश्यक निदानकारी कदम उठाने की सिफारिश भी करना है। समिति ने अपनी रिपोर्ट 3 दिसम्बर, 1998 को सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

भारतीय जूट निगम द्वारा की गई खरीद

989. श्री प्रमथेस मुखर्जी :

श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत वर्ष के दौरान भारतीय जूट निगम के द्वारा जूट की खरीद का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय जूट निगम जूट उत्पादकों से जूट की खरीद के लिए समय पर कार्रवाई करने में असफल रही है;

(ग) क्या इस विलम्ब के कारण जमाखोर जूट उत्पादकों के लिए खरीद मूल्य में कमी कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो जूट उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) वर्ष 1997–98 में मूल्य समर्थन अभियान के दौरान भारतीय जूट निगम के कुल 9.85 लाख गांठों (कुल उत्पादन का 9.04%) की अधिप्राप्ति की।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

ललमटिया कोयला खान

990. श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी :

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजमहल परियोजना की ललमटिया कोयला खान लाभार्जन कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसे रुग्ण कोयला खान घोषित करने के क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) लालमटिया भूमिगत खान मई, 1989 में बंद की गई थी और लालमटिया ओपनकास्ट (प्रमुख खदान) को मार्च, 1986 में बंद करके राजमहल ओपनकास्ट परियोजना के साथ मिला दिया गया, जो लाभ अर्जित कर रही है। राजमहल परियोजना को रुग्ण घोषित नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

बंद पड़ी वस्त्र मिलों पर व्यय

991. श्री चाडा सुरेश रेड्डी :

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद) :

श्री मोहन रावले :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन. टी. सी. की अनेक मिलें बन्द पड़ी हैं परंतु इनमें कार्यरत कामगारों को बिना काम के भी वेतन मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन मिलों के कामगारों के वेतन पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा वस्त्र उत्पादन को बढ़ावा देने और उसे लाभकारी बनाने के लिए रुग्ण वस्त्र मिलों के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) एन.टी.सी. के अंतर्गत 120 मिलों में से कोई मिल बंद नहीं है सिवाय अजुध्या टेक्सटाइल मिल, दिल्ली के जिसे उच्चतम न्यायालय के प्रदूषक एककों पर आदेशों के अनुसार बंद कर दिया गया है। शेष 119 मिलों में से फिलहाल 35 मिलों में कोई उत्पादन क्रियाकलाप नहीं होता है जबकि 84 मिलें या तो अंशतः अथवा पूर्णतः चालू हैं। तथापि, सभी 119 मिलों के कामगारों को उनकी मजदूरी दी जाती है। इन 119 मिलों के राज्य-वार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण-। संलग्न है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान वेतनों एवं मजदूरियों के भुगतान के प्रति एन.टी.सी. की सहायक निगमों को जारी की गई निधि का ब्यौरा संलग्न विवरण-॥ में दिया गया है।

(घ) एन.टी.सी. द्वारा किए गए एकक-वार व्यवहार्यता अध्ययन के आधार पर, सरकार उनके अंतर्गत अर्धक्षम मिलों के लिए एक संशोधित सर्वांगीण सुधार नीति पर विचार कर रही है जिसमें इन मिलों की निवल पूंजी के बी.आई.एफ.आर. द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर घनात्मक होने के बी.आई.एफ.आर. मानदण्ड को ध्यान में रखा गया है। पुनरुद्धार योजना में कामगारों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा।

विवरण - ।

क्रम सं.	राज्य का नाम	मिलों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	6
2.	कनार्टक	4
3.	केरल	5
4.	पंजाब	4
5.	राजस्थान	4
6.	गुजरात	11
7.	मध्य प्रदेश	7
8.	महाराष्ट्र	35
9.	तमिल नाडु	13
10.	पांडिचेरी (केन्द्र शासित क्षेत्र)	3
11.	उत्तर प्रदेश	11
12.	पश्चिमी बंगाल	12
13.	असम	1
14.	बिहार	2
15.	उड़ीसा	1
	कुल	119

विवरण – II

रु. (लाख में) जारी की गई निधि

सहायक निगम	1995–96	1996–97	1997–98
एनटीसी (डीपीआर)	1313.54	2033.00	1624.00
एनटीसी (एमपी)	2814.81	3140.00	3070.77
एनटीसी (यूपी)	4072.37	4471.00	4902.62
एनटीसी (एसएम)	2430.55	3221.00	2976.58
एनटीसी (एमएन)	2617.25	3810.00	3954.02
एनटीसी (गुजरात)	3317.08	4130.00	4211.41
एनटीसी (एपीकेकेएम)	1017.62	2210.00	2238.22
एनटीसी (टीएन एण्ड पी)	0.00	835.00	772.55
एनटीसी(डब्ल्यू बी ए बी ओ)	3267.50	3732.00	4074.99
13 अधिग्रहित मिलें, मुबई (राष्ट्रीयकरण से)	3468.87	4414.00	4940.50
कुल	24319.59	31996.00	32765.66

कोयले की रायल्टी

992. **श्री रंजबी बिस्वाल : क्या कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की रायल्टी दर में काफी समय से संशोधन नहीं किया गया है,

(ख) क्या कोयला उत्पादन करने वाले राज्यों को इस कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) क्या सरकार का विचार रायल्टी दर में संशोन करने का है;

(घ) क्या सरकार ने कोयले की रायल्टी दरों में संशोधन करने हेतु गठित अध्ययन दल की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा उक्त सिफारिशों के आधार पर रायल्टी दर में संशोधम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) से (च) कोयले पर रॉयल्टी की दरें पिछली बार दिनांक 11.10.94 को संशोधित की गईं थी। खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9 (3) के परन्तुक के माध्यम से, केन्द्रीय सरकार 3 वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान सिर्फ एक बार रॉयल्टी की दरों में वृद्धि किए जाने हेतु प्राधिकृत है। रायल्टी की दरों में प्रत्येक 3 वर्षों में संशोधन किए जाने की कोई बाध्यता नहीं है। जैसा कि 1981–91 के दौरान किया गया था, केन्द्रीय सरकार के पास रॉयल्टी की दरों को अपरिवर्तित रखे जाने का विकल्प है।

अध्ययन दल ने रॉयल्टी की दरों के निर्धारण के उद्देश्य से कोयले के विभिन्न ग्रेडों को 2 समूहों में वर्गीकृत किया था। दल ने सिफारिश की कि समूह। जिसमें कोककर कोयला तथा ए, बी और सी ग्रेड का अकोककर कोयला शामिल है, की रायल्टी आधार कीमत की 25 प्रतिशत होनी चाहिए तथा समूह II जिसमें डी., ई., एफ. और जी. ग्रेड का अकोककर कोयला शामिल हैं, की रायल्टी आधार पर कीमत की 20 प्रतिशत होनी चाहिए। अध्ययन दल की सिफारिशें कोयला मंत्रालय के विचाराधीन हैं।

गुजरात में हस्तशिल्प को बढ़ावा देना

993. **श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया :**

श्री तेजवीर सिंह :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्यवार हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए है;

(ख) इनमें से कितने प्रस्ताव आज तक विचाराधीन अथवा लंबित पड़े हैं।

(ग) क्या सरकार ने कच्छ जामनगर और अहमदाबाद में हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान चालू वर्ष में आज तक राज्य वार हस्तशिल्प को बढ़ावा देने पर कितनी धनराशि खर्च की गयी?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान हस्तशिल्पों के संवर्द्धन के लिए विभिन्न राज्य निगमों से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। पिछले तीन वर्षों की अवधि

के दौरान प्रत्येक वर्ष प्राप्त हुए प्रस्तावों तथा उनमें से विचाराधीन प्रस्तावों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण–। में निर्दिष्ट है।

(ग) और (घ) कच्छ जामनगर और अहमदाबाद में हस्तशिल्पों के संवर्द्धन के लिए कोई विशेष योजना नहीं बनाई गयी है। तथापि, सरकार की मौजूदा योजनाएं उपर्युक्त जिलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हस्तशिल्प के संवर्द्धन के प्रयोजनार्थ पर्याप्त हैं जिनमें प्रशिक्षण, डिजाइन विकास, शिल्प विकास केन्द्र की स्थापना करना, नए इम्पोरियम खोलना तथा नए मौजूदा इम्पोरियमों को नवीकरण एवं विस्तार करना, प्रदर्शनी व प्रचार करना आदि शामिल है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में नवंबर, 1998 तक हस्तशिल्पों के संवर्द्धन के लिए स्वीकृत राशि के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण–॥ में निर्दिष्ट हैं।

विवरण-।

क्रम सं.	राज्य	1995–96		1996–97		1997–98	
		प्राप्त प्रस्तावों की सं.	लम्बित	प्राप्त प्रस्तावों की सं.	लम्बित	प्राप्त प्रस्तावों की सं.	लम्बित
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	6	–	3	–	9	4
2.	असम	12	–	10	–	12	7
3.	बिहार	–	–	–	–	5	2
4.	दिल्ली	6	–	3	–	5	–
5.	गोवा	1	–	1	–	6	–
6.	गुजरात	9	–	5	–	35	4
7.	हरियाणा	10	–	8	–	7	–
8.	हिमाचल प्रदेश	2	–	1	–	9	6
9.	जम्मू एवं कश्मीर	4	–	2	–	4	2
10.	कर्नाटक	3	–	5	–	12	1
11.	केरल	1	–	5	–	3	–
12.	मध्य प्रदेश	65	–	8	–	21	3
13.	मणिपुर	2	–	1	–	2	–
14.	मिजोरम	2	–	1	–	2	–
15.	नागालैंड	1	–	2	–	6	–
16.	उड़ीसा	8	–	4	–	12	–
17.	पंजाब	1	–	1	–	10	–
18.	राजस्थान	5	–	4	–	4	1
19.	तमिलनाडु	8	–	3	–	7	–

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	त्रिपुरा	2	–	2	–	9	1
21.	उत्तर प्रदेश	12	–	17	–	12	2
22.	पश्चिमी बंगाल	6	–	3	–	11	–
23.	मेघालय	1	–	1	–	2	–
24.	पाण्डिचेरी	1	–	1	–	1	–
	कुल	170	–	91	–	184	33

विवरण – II

(लाख रुपये में)

क्रमांक	राज्य	1995–96	1996–97	1997–98	1998–99 (नवम्बर, 98 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	63.18	36.61	49.56	37.43
2.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1.50	1.38	2.26	2.91
3.	अरुणाचल प्रदेश	3.71	1.34	6.18	3.13
4.	असम	130.74	106.83	142.87	44.23
5.	बिहार	26.44	28.43	19.13	19.76
6.	दिल्ली	202.31	69.47	105.53	49.85
7.	गोवा	5.08	8.64	47.65	8.58
8.	गुजरात	80.42	45.65	79.65	40.13
9.	हरियाणा	33.47	62.80	54.52	24.13
10.	हिमाचल प्रदेश	99.55	64.32	66.93	31.25
11.	जम्मू एवं कश्मीर	40.61	21.49	38.92	43.41
12.	कर्नाटक	21.89	71.12	46.29	22.02
13.	केरल	70.02	67.55	32.57	9.98
14.	मध्य प्रदेश	127.51	70.27	58.89	25.25
15.	महाराष्ट्र	40.79	37.86	53.27	35.53

1	2	3	4	5	6
16.	मणिपुर	15.43	9.30	27.76	19.42
17.	मेघालय	6.41	2.73	1.02	9.91
18.	मिजोरम	1.70	3.01	7.05	8.77
19.	नागालैंड	11.90	6.18	22.27	11.07
20.	उड़ीसा	110.50	85.22	109.01	52.37
21.	पंजाब	23.75	16.41	20.77	13.72
22.	पांडिचेरी	3.86	3.00	2.80	8.76
23.	राजस्थान	50.52	18.19	31.31	18.12
24.	सिक्किम	2.14	1.17	2.01	1.10
25.	तमिलनाडु	82.33	84.15	36.45	43.43
26.	त्रिपुरा	12.94	16.27	54.33	31.42
27.	उत्तर प्रदेश	606.20	297.78	206.44	124.72
28.	पश्चिमी बंगाल	64.03	83.10	83.24	48.90
	कुल	1938.93	1320.27	1404.57	789.08

टिप्पणी : इन आंकड़ों में बहु राज्य कार्यकलापों के लिए स्वीकृत अनुदान शामिल नहीं है। इसमें संवर्धनात्मक तथा विकासात्मक कार्यकलापों पर विभाग द्वारा सीधे स्वीकृत योजना निधियां भी शामिल नहीं हैं।

[हिन्दी]

बिहार को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता का लम्बित रहना

994. **श्री रघुवंश प्रसाद सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1998–99 के लिए बिहार सरकार को दी जाने वाली 223.36 करोड़ रुपए की फार्मूला आधारित केन्द्रीय सहायता केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक जारी नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार को इसे कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) राज्य सरकारों को आबंटित फार्मूला आधारित केन्द्रीय सहायता मासिक किस्तों में जारी की जाती है। राज्य की वार्षिक योजना 1998–99 के लिए बिहार को आबंटित की गई फार्मूला आधारित केन्द्रीय सहायता 1191.76 करोड़ रुपए है। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रत्याशित योजना व्यय आंकड़ों के आधार पर इस आबंटन में से पहली दिसम्बर, 1998 तक 786.10 करोड़ रुपए पहले ही राज्य सरकार को जारी किए जा चुके हैं और शेष 405.66 करोड़ रुपए बाकी तीन महीनों में जारी कर दिए जाएंगे।

[अनुवाद]

कर्नाटक में होटलों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता

995. **श्री एच. जी. रामुलु** : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाए जा रहे होटलों के विकास के लिए 4.50 करोड़ रुपए जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त केन्द्रीय सहायता से राज्य में होटलों के विकास हेतु चयन किए गए स्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन होटलों के विकास हेतु और कितनी धनराशि जारी की गई है अथवा जारी किए जाने का विचार है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 1998–99 के दौरान राज्य सरकार को 14 परियोजनाओं के लिए 455.30 लाख रुपए राशि की वित्तीय सहायता को प्राथमिकता दी है। इन 455.30 लाख रुपयों में से 240.30 लाख रुपए उन होटल परियोजनाओं के उन्नयन के लिए हैं जिनका अनुरक्षण कनार्टक राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा वर्तमान में किया जा रहा है। राज्य सरकार को ये धनराशि उनसे प्राप्त पूर्ण एवं विस्तृत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर दी जाती है।

(ख) और (ग) उन होटल परियोजनाओं के ब्यौरे और प्रत्येक परियोजना के लिए निर्धारित राशि नीचे दी गई है जिनके उन्नयन के लिए प्राथमिकता दी गयी है:–

	परियोजना	प्रस्तावित राशि (लाख रुपयों में)
1.	बीजापुर	25.00
2.	मैसूर	60.00
3.	गुलबर्गा	67.50
4.	जोग	24.80
5.	टी.बी. डैम (बांध)	50.00
6.	मंगलूर	13.00
	कुल	240.30

एन. टी. पी. सी. को आई. डी. बी. आई. तथा एस. बी. आई. द्वारा ऋण

996. **प्रो. अजित कुमार मेहता :**

श्री राजवंशी महतो :

क्या **वित्त** मंत्री 29 मई, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 470 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसे कब तक एकत्र कर लिए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री क़ादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने परियोजना की प्रगति के आधार पर और सामान्य प्रथा के अनुसार मंजूरी की विभिन्न शर्तों की अनुपालना को देखते हुए वित्तीय सुविधाएं प्रदान की थी। सरकार ने कम्पनी के लिए विदेशी उधारों का अनुमोदन किया था। स्पेक्ट्रम टेकनालॉजी, यूएसए के अनिवासी भारतीयों ने विदेशी मुद्रा में कम्पनी की इक्विटी में अंशदान किया है और एनटीपीसी का अंशदान, अन्य बातों के साथ–साथ प्रवर्तक के करार भंग के बारे में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिका के कारण न्यायाधीन है। तथापि यह, विद्युत क्षेत्र में भविष्य के निवेश को प्रभावित नहीं करने वाला है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विशेष श्रेणी के राज्य

997. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :**

श्री गिरिधर गमांग :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा घोषित करने हेतु क्या मापदंड अपनाए गए हैं;

(ख) अब तक किन–किन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की वर्षवार किस–किस तारीख से विशेष श्रेणी वाले राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को हाल के वर्षों में किसी राज्य से विशेष श्रेणी के राज्य की सूची में शामिल किए जाने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ था; और

(घ) यदि हां, तो इन राज्यों के नाम क्या–क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) विशेष श्रेणी के राज्य सामान्यतया वे राज्य हैं जो पहाड़ी क्षेत्र कम जनसंख्या घनत्व और कुल मिलाकर आर्थिक पिछड़ापन वाले क्षेत्र हैं। ये राज्य देश की सीमा पर भी स्थित हैं और कमजोर संसाधन आधार वाले हैं।

(ख) अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा विशेष श्रेणी के राज्य हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के 1968 के निर्णयानुसार असम, जम्मू व कश्मीर, नागालैंड को विशेष श्रेणी के राज्य में वर्गीकृत किया जाना था। कालान्तर में हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश ने भी राज्य का दर्जा हासिल किया और चूंकि ये राज्य भी वित्तीय दृष्टि से कमजोर और सीमावर्ती क्षेत्र वाले हैं अतः इनके साथ भी राज्य का दर्जा हासिल होने की तारीख से विशेष श्रेणी के राज्यों जैसा व्यवहार किया जाता रहा है। संघ शासित प्रदेशों को विशेष और सामान्य श्रेणियों में विभक्त नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) बिहार, गोवा, उड़ीसा और राजस्थान की राज्य सरकारों ने भूतकाल में उन्हें विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की थी। इन मांगों को स्वीकृत नहीं किया गया क्योंकि इनमें से कोई भी राज्य विशेष श्रेणी के राज्य के मानकों को पूरा नहीं करता है।

प्राकृतिक रबड़ के लिए निर्दिष्ट मूल्य

998. श्री पी. सी. थामस : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में प्राकृतिक रबड़ के लिए निर्दिष्ट मूल्य की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1995–96 के दौरान रबड़ का उत्पादन मूल्य कितना है;

(घ) क्या सरकार ने प्राकृतिक रबड़ को घोषित निर्दिष्ट मूल्य पर प्राप्त किया है; और

(ङ) यदि हां, तो घोषणा के पश्चात प्रत्येक सप्ताह बाजार मूल्य क्या रहे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) जी, हां। वित्त मंत्रालय की लागत लेखा शाखा द्वारा फरवरी–अप्रैल, 1998 तक किए गए अध्ययन के आधार पर भारत सरकार ने 28.9.98 को आर एस एस 4 और आर एस एस 5 ग्रेडों की प्राकृतिक रबड़ की बेंच मार्क कीमत को क्रमशः 3405/– रुपये प्रति क्विंटल और 3355/– रुपये प्रति क्विंटल तक संशोधित किया है।

(ग) वर्ष 1995 और 1996 के दौरान रबड़ उत्पादन के बारे में लागत अध्ययन नहीं किया गया है।

(घ) जी, नहीं । बेंच मार्क कीमत सितम्बर, 1998 में घोषित की गई थी। प्राकृतिक रबड़ की बेंच मार्क कीमत केवल सांकेतिक कीमत होती है और न कि उसका समर्थन मूल्य। एस.टी. सी. को मई, 1998 में प्रचलित बाजार कीमत पर किंतु जो 34/– रुपये प्रति कि.ग्रा. से अधिक नहीं होगी, सरकारी खाते से 20,000 मी. टन प्राकृतिक रबड़ की खरीद करने का निर्देश दिया गया है।

(ङ) प्राकृतिक रबड़ के विभिन्न ग्रेडों की साप्ताहिक औसत कीमत नीचे दी गई है:–

साप्ताहांत	आर एस एस–1	आर एस एस–2	आर एस एस–3	आर एस एस–4	आर एस एस–5
03.10.98	3650	3450	3150	3055	2995
10.10.98	3700	3600	3425	3367	3150
17.10.98	3850	3700	3600	3368	3150
24.10.98	3925	एन.टी.	3400	3315	3110
31.10.98	3950	एन.टी.	3350	3300	3075
07.11.98	3850	3600	3450	3300	3075
14.11.98	3800	3600	3400	3308	3080

(एनटी : कोई सौदा नहीं)

[हिन्दी]

वृद्धि दर में कमी

999. श्री रिजवान जहीर खां : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वृद्धि दर का लक्ष्य कम किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके प्रमुख कारण क्या है; और

(ग) वृद्धि का लक्ष्य बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने/योजना बनाये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ग) योजना आयोग ने, नवम्बर 1998 में हुई अपनी पिछली बैठक में राष्ट्रीय विकास परिषद की नौवीं योजना (1997-2002) के पाचं वर्षों के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की लक्षित वृद्धि दर को औसतन प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत से घटाकर 6.5 प्रतिशत करने की सिफारिश करने का निर्णय किया। लक्ष्य को 1997-98 में धीमी आर्थिक वृद्धि के मद्देनजर अद्योगामी रूप से संशोधित किया गया है। सरकार वृद्धि दर की मानीटरिंग कर रही है। सरकार द्वारा वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए हाल में अनेक उपायों की घोषणा की गई है।

बैंकों द्वारा ऋण का संवितरण

1000. श्री मित्रसेन यादव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक प्रबंधकों ने कम्प्यूटर उद्योगों और अन्य प्रभावशाली/चूककर्ता लोगों को करोड़ों रुपए का ऋण देकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया है और जिस कारण से यह राशि अशोध्य ऋण में डाली जाने वाली है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में भारतीय स्टेट बैंक की उन शाखाओं का ब्यौरा क्या है जिन्होंने चालू वर्ष के दौरान ऋण का संवितरण किया और इन बैंकों ने कितनी राशि के ऋण का वितरण किया तथा बैंकवार तथा शाखावार हेरा-फेरी के कितने मामले प्रकाश में आए;

(ग) इन मामलों में कितनी राशि और उच्च अधिकारी तथा प्रबंधक शामिल पाए गए हैं;

(घ) क्या इन मामलों की उच्चस्तरीय जांच कराई गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि बैंक प्रबंधक कंप्यूटर उद्योगों को करोड़ों रुपए के ऋण देकर सरकारी निधियों का व्यापक दुरुपयोग कर रहे हैं।

(ख) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी पर्यटकों के लिए योग

1001. डा. अशोक पटेल :

श्री रामपाल सिंह :

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटक वीजा पर देश की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों को अब योग ध्यान और अध्यापन कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय लिए जाने का क्या औचित्य है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) और (ख) मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे दीर्घावधि योग और ध्यान पाठ्यक्रमों में भाग लेने के इच्छुक जो विदेशी भारत आते हैं, उन्हें विशिष्ट योग और विद्यार्थी वीजा प्रदान किया जाता है। उन विदेशी पर्यटकों के लिए भी कोई आपत्ति नहीं है जो पर्यटक वीजा पर भारत सरकार कैज्युअल विजिटर के रूप में योग कक्षाओं में भाग लेते हैं।

[अनुवाद]

रेशम का आयात

1002. श्री अन्नासाहिब एम. के. पाटिल : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को नई रेशम आयात नीति की पुनः जांच करने और रेशम को खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत लाने के भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद से कोई मांग प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितना कच्चा रेशम आयात और निर्यात किया गया?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) भारतीय रेशम निर्यात संवर्द्धन परिषद आयात की निषिद्ध सूची में से शहतूती अपरिष्कृत रेशम को हटाने के लिए भारत सरकार से अनुरोध कर रही है। निर्यातक इस आशा का प्रतिवेदन दे रहे हैं कि उनकी मांग को पूरा करने के लिए उच्च ग्रेड की अपरिष्कृत रेशम की घरेलू उपलब्धता पर्याप्त नहीं है।

इस दिशा में भारत सरकार ने हाल ही में विशेष आयात लाइसेंस (एसआईएल) के आधार पर ग्रेड-2 ए तथा उससे ऊपर की कोटि के अनुरूप शहतूती अपरिष्कृत रेशम के आयात की अनुमति इस शर्त पर दी है कि अभ्यर्पित एस आई एल का सीआईएफ (लागत, बीमा तथा भाड़ा) मूल्य आयातित सामान के सीआईएफ मूल्य से तिगुना होगा।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित अपरिष्कृत रेशम तथा केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अंतर्गत प्रमाणन केन्द्रों के माध्यम से निर्यातित प्रमाणित अपशिष्ट रेशम और रेशम के समान तथा रेशम यार्न के ब्यौरे संलग्न विवरण में निर्दिष्ट हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान अपरिष्कृत रेशम का आयात

वर्ष	आयातित मात्रा (टन में)
1995-96	4149
1996-97	2911
1997-98 (अनंतिम)	2760
1998-99 (अनंतिम) (अप्रैल-अगस्त, 98)	712

स्रोत : डीजीसीआईएस कलकत्ता

पिछले तीन वर्षों के दौरान रेशम के सामान, रेशम यार्न तथा रेशम अपशिष्ट का निर्यात :

इकाई : रेशम का सामान लाख वर्ग मीटर में
रेशम यार्न लाख कि.ग्रा. में
रेशम अपशिष्ट लाख कि.ग्रा. में

वर्ष	रेशम का सामान	रेशम यार्न	रेशम अपशिष्ट
1995-96	492.56	0.05	0.31
1996-97	480.83	0.06	2.47
1997-98	402.23	0.25	10.38
1998-99 (अप्रैल-सितम्बर)	188.72	नगण्य	5.67

स्रोत : केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में आर्थिक संकट

1003. श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

श्री डी. एस. अहिरे :

श्री अभयसिंह एस. भोंसले :

श्री विठ्ठल तुपे :

श्री माधव राव पाटील :

श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार इस समय आर्थिक तंगी का सामना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस आर्थिक तंगी से उबरने के लिए केन्द्र सरकार से कोई वित्तीय सहायता मांगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार का भारतीय रिजर्व बैंक के खाते में यथेष्ठ रोकड़ बकाया है। राज्य सरकार पिछले वर्ष तथा इस वर्ष अभी तक कभी ओवरड्राफ्ट में नहीं रही है।

(ग) और (घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय पर्यटन नीति

1004. श्री कृष्ण लाल शर्मा :

श्री अजय कुमार एस. सरनायक :

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राज्यों के पर्यटन मंत्रियों की राष्ट्रीय पर्यटन नीति को अंतिम रूप देने के लिए अपने सुझाव देने हेतु अगस्त के प्रथम सप्ताह में राजधानी में बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों का प्रतिनिधित्व वहां के मुख्य मंत्रियों ने किया और उन्होंने बेहतर अवसंरचनात्मक संपर्कों और पूरे विश्व के पर्यटकों के निर्बाध आवागमन हेतु क्या सुझाव दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और दलालों, भिखारियों, ठगों, और पर्यटकों को गुमराह करने, जिनके कारण भारत में पर्यटकों की छुट्टियां बेकार हो जाती हैं, जैसी समस्याओं की रोकथाम के लिए सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार कर रही है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) और (ख) : जी, हां। राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन में 16 राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल भी उपस्थित थे। इस सम्मेलन में पर्यटकों के आवागमन को सुचारू बनाने के लिए बेहतर बुनियादी सुविधाओं के लिए राज्यों के पर्यटन मंत्रियों द्वारा दिए गए सुझावों में से कुछ इस प्रकार हैं-बोधगया, अमृतसर, भुवनेश्वर और बागडोगरा में हवाईअड्डों का उन्नयन एवं विकास, पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों तथा सिक्किम तथा देश के महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्रों के मध्य बेहतर उड़ान सम्पर्क, पूर्वोत्तर राज्यों में आर ए पी/पी ए पी का लोप किया जाना तथा त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और दार्जिलिंग के मध्य राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास।

पलान्टेशन कंपनियां

1005. श्री चमन लाल गुप्ता : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कंपनी रजिस्ट्रार एवं "सेबी" द्वारा पृथक-पृथक पंजीकृत की गई प्लांटेशन कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) निवेश दर्जा प्राप्त कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) निवेश दर्जा प्राप्त न करने वाली कंपनियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन फर्मों को नियंत्रित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) अब तक, सामूहिक निवेश योजनाएं चलाने वाली 643 कंपनियों ने सेबी के पास सूचना दर्ज की है।

(ख) और (ग) सेबी ने बताया है कि अभी तक किसी भी कंपनी ने निवेश ग्रेड प्राप्त नहीं किया है। निवेश ग्रेड से कम कोटिनिर्धारण की गई कंपनियों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) सरकार ने सामूहिक निवेश योजनाओं के स्वरूप की बागान योजनाएं सेबी के विनियात्मक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लाने वाली एक प्रेस विज्ञप्ति नवम्बर, 1997 में जारी की है। इसके पश्चात् सेबी ने इन योजनाओं हेतु विनियम बनाने के लिए डा. एस.ए. दवे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। सेबी ने विद्यमान कंपनियों को और निधियां जुटाने से पूर्व क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करने के भी निदेश दिए हैं।

विवरण

निवेशग्रेड से निम्न कोटि निर्धारण वाली सामूहिक निवेश योजनाओं की सूची

1. स्वर्णभूमि फारेस्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
2. रौजवैली रिजोर्ट्स एंड प्लांटेशंस लिमिटेड

3. टिंबर वर्ल्ड रिजोर्टस एंड प्लांटेशंस इंडिया लिमिटेड

4. हरियाली प्लांटेशंस (इंडिया) लिमिटेड

5. ला मार्क फामर्स लि.

6. शिवाजी इस्टेट एंड लाईव स्टाक फामर्स लि.

7. राजमुंद्रा एग्रोटैक लि.

8. स्पैरो एग्रो फारेस्टस लि.

9. महाकौशल प्लांटेशंस लि.

10. गोल्डनलैंड डेवलपमेंट (ई.) लि.

11. एनबी प्लांटेशंस लि.

12. मारूति कृषि उद्योग (इंडिया) लि.

13. संदर्न होर्टीकल्चर एंड रबर प्लांटेशंस लि.

14. यू. पी. फारेस्ट प्लांटेशंस लि.

15. सुप्रीम फारेस्ट्स इंडिया लि.

16. एश्योर्ड एग्रो पार्क लि.

17. मेहना प्लांटेशंस प्राईवेट लि.

18. सोनाली एग्रो इंडस्ट्रीज एंड रिजोर्टस लि.

19. निसर्ग फारेस्ट्स (इंडिया) लि.

20. एग्रियोटेक इंडिया लि.

21. कल्प वृक्ष प्लांटेशंस लि.

22. अनुभव प्लांटेशंस लि.

23. नैयुरोवर्थ एंड मैडिको प्लांट लि.

24. एण्डोमेंट एग्रो प्रोजेक्ट (इंडिया) लि.

25. यूनाइटेड एग्रोग्रोथ एण्ड रिजोर्ट लि.

26. ट्विंकल प्लांटेशंस लि.

27. आर्या प्लांटेशंस एण्ड फार्म डेवलपर्स लि.

28. समर्पण एग्रो एंड लाईव स्टाक लि.

29. पैरागोन फिनलीज एग्रो फारेस्ट लि.

30. शालीमार फोरेस्ट्स (इंडिया) लि.

31. भावना एग्रो लि.

32. सुरभि एग्रो टैक लि.

33. एग्रो बायोटैक इंटरनेशनल लि.

34. परसरामपुरिया प्लांटेशंस लि.

35. पायोनियर फॉरेस्ट्स लि.

36. झेलम एग्रो फॉरेस्ट्स इंडिया लि.

37. हिमगिरी प्लांटेशंस लि.

38. सिम्बक एग्रो प्लांटेशंस (ई.) लि.

39. ग्रीन एस्टेट्स (इंडिया) लि.

40. एरो विनटैक इंटरनेशनल लि.

41. ऑरोश्री एग्रो इंडस्ट्रीज लि.

42. गोल्डन फॉरेस्ट्स (इंडिया) लि.

विदेशी मुद्रा

1006. **डा. रामकृष्ण कुसमरिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को विदेश यात्रा के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा ले जाने की अनुमति है;

(ख) इस संबंध में उच्च अधिकारियों और राजनेताओं के लिए कितनी अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार विदेशी मुद्रा की बचत करने की दृष्टि से इस सीमा को कम करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी राशि कम करने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है

(ग) और (घ) जी, नहीं।

विवरण

विदेश में विभिन्न प्रकार की यात्राओं के संबंध में प्रवासियों को स्वीकृत की गयी विदेशी मुद्रा राशि का ब्यौरा निम्नलिखित है :–

प्रयोजन	अनुरक्षण व्ययों के संबंध में विदेशी मुद्रा की मात्रा		अन्य व्यय
	विशेष स्लैब चेयरमैन, प्रबन्धन कार्यकारी निदेशक आदि जैसे मुख्य/वरिष्ठ कार्यकारियों के लिए	सामान्य मानदंड (अन्यों के लिए)	
1	2	3	4
(i) भारत में फर्मों/कम्पनियो/संगठनों, स्वनियोजित व्यावसायिकों ट्रेड निकायों द्वारा प्रायोजित शिष्टमंडलों, सरकारी तथा प्राइवेट क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों, भारत में विदेशी बैंकों की शाखाओं, राज्य/शहरी सहकारी बैंक जोकि प्राधिकृत डीलर हैं, आईडीबीआई/यूटीआई/नाबर्ड/एनएचबी/एक्सिम बैंक/आईसीआईसीआई आदि जैसे वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व्यापार संबंधी दौरे।	45 दिनों की अवधि तक के लिए 500 अमरीकी डालर प्रतिदिन	45 दिनों की अवधि तक के के लिए 350 अमरीकी डालर प्रतिदिन	
(ii) वैज्ञानिक, तकनीकी अथवा शैक्षणिक प्रवृत्ति के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन/सेमिनारों में भाग लेना	सम्मेलन/सेमिनार की अवधि के अतिरिक्त 2 दिन के लिए 500 अमरीकी डालर प्रतिदिन	सम्मेलन/सेमिनार की अवधि के अतिरिक्त 2 दिन के लिए 350 अमरीकी डालर प्रतिदिन	ब्रोचर के अनुसार पंजीकरण फीस
(iii) संस्थाओं अथवा व्यावसायिकों द्वारा प्रायोजित विशेष प्रशिक्षण अध्ययन दौरे।	—	30 दिनों तक की अवधि के लिए 300 अमरीकी डालर तक प्रतिदिन	5000 अमरीकी डालर तक पाठ्यक्रम शुल्क (केवल प्रशिक्षण के लिए)
(iv) विदेशों में रोजगार	2500 अमरीकी डालर तक प्रति व्यक्ति		
(v) उत्प्रवास	3000 अमरिकी डालर तक परिवार के प्रत्येक व्यक्ति/प्रत्येक सदस्य अथवा उत्प्रवास देश द्वारा अपेक्षित राशि		
(vi) विदेश में चिकित्सा उपचार	2 महीने की अधिकतम अवधि के लिए 150 अमरीकी डालर प्रतिदिन		विदेश स्थित डाक्टर/हस्पताल के अनुमान के अनुसार चिकित्सा संबंध व्यय
(vii) विदेश में अध्ययन	ट्यूशन फीस, रख–रखाव, किताबों इत्यादि के लिए प्रतिवर्ष 30,000 अमरीकी डालर तक		

1	2	3	4
(viii) बुनियादी यात्रा कोटा		प्रति कलेंडर वर्ष में प्रतिव्यकित 3000 अमरीकी डालर	

निर्धारित मानदंड में और/ अथवा उक्त वार्गत विदेशी दौरे की अवधि में बल॰॰री से मुद्रा को प्राधिकृत डीलर द्वारा गुणावगुण आधार पर जारी किया जा सकता है। (बुनियादी यात्रा कोटा को छोड़कर)

संसंद सदस्यों/राज्य विधायकों (अपने निजी कारोबार अथवा डाक्टरी चिकित्सा के कारण विदेशी यात्राओं को छोड़कर, केन्द्र/राज्य सरकारों के अधिकारी (जब वे स्वयं अपने व्यय पर यात्रा कर रहे हो कों छोडकर), केन्द्रीय/किसी राज्य सरकार की निधियों से वित्तपोषित सरकारी/गैर सरकारी प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों द्वारा की गयी विदेशी यात्राओं के संबंध में विदेशी मुद्रा सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार जारी की जाती है।

इसके अतिरिक्त, संसद सदस्य, विधायक, विधान परिषद के सदस्य अपने संसद सदस्य/विधायक/विधान परिषद के सदस्य बनने की अवधि के दौरान क्रमशः एक लाख रुपए और 50,000 रुपये के अध्ययन यात्रा कोटा के हकदार हैं।

[हिन्दी]

पेंशनधारियों के बैंक खाते खोलना

1007. श्री आनन्दरत्न मौर्य :

श्री पंकज चौधरी :

श्री सुरेश वरपुडकर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को शिकायतें मिली हैं कि दिल्ली में कार्यरत अनेक बैंक वृद्ध पेंशनभोगियों के बैंक खाते नहीं खोल रहे हैं और उन्हें ग्राहक सेवाओं से वंचित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) भारतीय रिर्जव बैंक ने बीमार, वृद्ध और अक्षम खाताधारियों को अपने खातों के संचालन हेतु क्या मार्गनिर्देश/प्रक्रिया निर्धारित की है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक और दिल्ली में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसा नहीं प्रतीत होता कि वृद्ध पेंशनरों के बैंक खाते न खोलने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने वृद्धों, रोगियों तथा शारीरिक रूप से असमर्थ गैर–पेंशन खाता धारकों द्वारा खाते खोलने के लिए बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में सभी अनूसूचित वाणिज्यिक बैंकों को जारी किए गए अपने अनुदेशों पर हाल ही में पुनः बल दिया है। इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश/प्रक्रिया निम्नानुसार है:–

कोई खाताधारक जो इतना बीमार है कि वह चेक पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता। अपने बैंक से धन आहरित करने के लिए बैंक स्वयं उपस्थित नहीं हो सकता परंतु चैक/निकासी पत्र पर अपना अंगूठा लगा सकता है; और

कोई खाताधारक जो न केवल बैंक में उपस्थित होने में असमर्थ है बल्कि कुछ शारीरिक दोष/अक्षमता के कारण चेक/निकासी पत्र में अपना अंगूठा लगाने में भी अक्षम है।

वृद्धों एवं रोगियों या शारीरिक रूप से अक्षम खाताधारकों को अपने बैंक खाते चलाने के योग्य बनाने के लिए बैंक निम्नानुसार प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं;

जब कभी भी किसी रोगी, वृद्ध तथा शारीरिक रूप से अक्षम खाता धारक के अंगूठे या पंजे का निशाम लिया जाए, उसकी पहचान दो स्वतंत्र साक्षियों द्वारा की जानी चाहिए। जिन्हें बैंक जानता हो तथा उनमें से एक बैंक का उत्तरदायी कर्मचारी होना चाहिए; और

ऐसी स्थिति में जब ग्राहक अपने अंगूठे का निशान लगाने में असमर्थ है तथा बैंक में भी नहीं आ सकता है तो चेक/निकासी पत्र में एक चिन्ह लिया जा सकता है जिसकी दो स्वतंत्र साक्षियों द्वारा पहचान की जानी चाहिए तथा जिनमें से एक बैंक का उत्तरदायी कर्मचारी होना चाहिए।

उपुर्यक्त के अलावा ग्राहक से भी पूछा जा सकता है कि वह बैंक को इस बात की सूचना दे कि उपुर्यक्त आधार पर प्राप्त किए गए चेक/निकासी पत्र से धन कौन आहरित करेगा तथा ऐसा व्यक्ति की दो स्वतंत्र साक्षियों द्वारा पहचान की जानी चाहिए। वास्तविक रूप से बैंक से धन आहरित करने वाले व्यक्ति से कहा जाना चाहिए कि वह बैंक में इस आशय के अपने हस्ताक्षर करे।

[अनुवाद]

अनुसंधान और विकास हेतु कर मुक्ति

1008. **डा. असीम बाला** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कम्पनियों के अनुसंधान और विकास के लिए पंचवर्षीय कर छूट का लाभ उठाने की अंतिम अवधि को बढ़ा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन कम्पनियों के पास अपनी अनुसंधान और विकास की व्यवस्था है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कम्पनी-वार और वर्ष-वार बजट आबंटन कितना था?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) जी, हां।

(ख) धारा 80झक के अंतर्गत भारत में पंजीकृत कोई भी कंपनी, जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान और विकास का कार्य कर रही है, को 5 वर्ष की अवधि के लिए ऐसे कारोबार से प्राप्त लाभों और अभिलाभों से 100 % कटौती की अनुमति दी जाती है ऐसी कटौती की अनुमति तभी दी जाती है जब कम्पनी का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान और विकास करना हो और जिसे 1.4.99 से पहले सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कराया जाता हो। (इस विस्तार से पहले कटौती की तारीख 1.4.98 थी)

(ग) उन कम्पनियों के नामों का रख-रखाव नहीं किया जाता है जिनके अपने अनुसंधान एवं विकास कार्य अर्थात इन हाऊस अनुसंधान एवं विकास कार्य हैं। तथापि, धारा 80झक (4ख) के अंतर्गत वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा लाभों के लिए अनुमोदित कम्पनियों के विवरण इस प्रकार हैं :-

मै. स्पेकट्रम इनफोटेक प्राइवेट लि., बंगलौर, मै. वरूण हर्बल प्रा. लि., हैदराबाद, मै. सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लि. मुम्बई, मै. सिनर्जी रिसर्च सेंटर लि., चेन्नई और मै. चेन्नई और मै. आदिमन्स टेक्नोलॉजी › ेट लि., अहमदाबाद।

(घ) संद ोन कंपनियों की श्रेणियों को कोई बजटीय सहायता प्रदान नहीं की जाती।

[हिन्दी]

किसानों को ऋण

1009. **श्री मोहन सिंह :**

श्री रूप चन्द मुर्मु :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों ने बड़े, मध्यम और छोटे किसानों तथा कृषि उद्यमियों को राज्य-वार कितनी राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराई तथा ऐसे ऋणों पर कितनी ब्याज दर वसूल की गई;

(ख) इन बैंकों के द्वारा ऐसे उद्यमियों को दिए गए ऋण की वसूली नहीं होने के कारण अशोध्य ऋण के रूप में कितनी राशि बट्टे-खाते में डाली गई तथा कितनी राशि वसूल नहीं की जा सकी;

(ग) अशोध्य ऋण के रूप में ऋण को बट्टे खाते में डालने हेतु क्या मापदंड अपनाए गए;

(घ) क्या सरकार का विचार प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत स्वयं का उद्यम शुरू करने हेतु किसानों तथा बेरोजगार युवकों को दिए गए ऋण की राशि को अशोध्य ऋण के रूप में बट्टे खाते में डालने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसकें क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही हैं और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

कोयला कंपनी की बकाया धनराशि

1010. **श्री के. डी. सुल्तानपुरी** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन कोयला खानों के नाम क्या-क्या हैं जहां से पिछले छः महीनों के दौरान विद्युत उत्पादन हेतु कोयले की आपूर्ति की गई थी;

(ख) क्या कोल इंडिया लि. को आपूर्ति किए गए कोयले का पूरा भुगतान मिल गया है;

(ग) क्या राज्य विद्युत बोर्डों पर कोल इंडिया लि. की कोई राशि बकाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) उन कोयला खानों के नाम विवरण-। के रूप में संलग्न है, जहां से कोल इंडिया की सहायक कंपनियों द्वारा पिछले छः माह के दौरान तापीय विद्युत गृहों को कोयले की आपूर्ति की गई थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) दिनांक 31.10.98 की स्थिति के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड की और रा.वि.बोर्ड-वार/विद्युत उपयोगिता-वार देय राशि संलग्न विवरण-॥ में दी गई है।

विवरण-।

उन कोयला खानों के नाम जिनमें से विद्युत उत्पादन हेतु कोयले की आपूर्ति की गई है।

क्र. सं.	कोलियरी का नाम	क्र. सं.	कोलियरी का नाम	क्र. सं.	कोलियरी का नाम
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.		16.	गिड्डी वाशरी	31.	बोकारो कारो
1.	पिपरवार	17.	आरा	32.	खासमहल
2.	बचारा	18.	सरूबेरा	33.	करगली वाशरी
3.	अशोका	19.	कूजू	34.	केडला वाशरी
4.	के. डी. एच.	20.	पुंडी	35.	सेले, धोरी
5.	के.डी.	21.	टोपा	36.	धोरी खास
6.	डकरा	22.	सयाल-डी	37.	एन.एस.डी.
7.	चुरी	23.	उरीमारी	38.	अमलो
8.	करकेटा	24.	यू. उरीमारी	39.	जसरंगडीह
9.	रोहिणी	25.	हिंदगिर	40.	गिविंदपुर
10.	राजहारा	26.	के. के.	41.	कथारा वाशरी
11.	तितेरियाखर	27.	सी-सौंदा	42.	सवांग वाशरी
12.	सिरका	28.	सौंदा-डी	43.	गिरीडीह
13.	अरगदा	29.	भूरकुंदा	44.	राजरप्पा
14.	गिड्डी-सी	29.	भूरकुंदा		
15.	रेलीगारा	30.	ए. के.		

मिडलिंग वाशरी से आपूर्ति की जा रही थी।

गिड्डी (डब्ल्यू) से अकोकफर कोयला और मिडलिंग की आपूर्ति की जा रही थी।

क्रं. सं.	कोलियरी का नाम	क्रं. सं.	कोलियरी का नाम	क्रं. सं.	कोलियरी का नाम
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.		24.	बारमुरी परियोजना	47.	दालुरबंद
1.	चिनाकुरी – II	25.	डाबोर	48.	पांडेश्वर
2.	मेथानी	26.	गौरानडीह	49.	बहुले
3.	बेजडीह	27.	कुमारडीह ए/बी	50.	भनोरा वेस्ट ब्लॉक
4.	चिनाकुरी – III	28.	तिलाबोनी	51.	अमृतनगर
5.	सोदेपुर 9 और 10	29.	जामबाद ओकाप	52.	कालीदासपुर परि.
6.	सोदेपुर 3 ए	30.	हरियाजाम	53.	अर्द्धगाग्रान ओकाप
7.	पारबेलिया	31.	पारसकोली	54.	चापापुर–II
8.	बनकोला	32.	मोधायोपुर	55.	लखीमाटा
9.	सोनपुर बाजारी परि.	33.	मंडेरबोनी	56.	कापासारा
10.	कोट्टाडीह भू. गत	34.	सतग्राम	57.	निरशा
11.	मोहनपुर	35.	शंकरपुर ओकाप	58.	खूडीह
12.	बोनजेमाहारी	36.	मोयरा	59.	बजना
13.	चाकबल्लभपुर	37.	न्यू केंदा	60.	मनोहरबहाल
14.	दामरा ओ. का. प.	38.	चीनाकुरी– I	61.	नार्थ सियरसोले
15.	परेसिया ओ.का.प.	39.	जे. के. नगर	62.	सतग्राम (आर)
16.	मधुसूदनपुर	40.	मॉडर्न सतग्राम	63.	दुबेश्वरी
17.	मधुजोड़े	41.	धेमोमेन	64.	चपुईखास
18.	खासकजोड़ा	42.	कुशाडंगा	65.	रतीबाती
19.	झांजरा	43.	निन्गाह	66.	सतग्राम (पी)
20.	दलूरा	44.	एस. एस. इन्क्लाइन	67.	कुमारडीही "बी"
21.	खोयराबाद	45.	बांसरा ओकाप	68.	कुनुस्टोरिया
22.	कुमारधोबी	46.	एज्वाय इंड	69.	बांसरा
23.	राजपुरा				

क्रं. सं.	कोलियरी का नाम	क्रं. सं.	कोलियरी का नाम	क्रं. सं.	कोलियरी का नाम
70.	बरसिया	94.	बेनगुनिया	19.	के. कुसंडा
71.	मंडमान	95.	सीतलदासजी ओकाप	20.	बसुरिया
72.	एस. पी. माइन्स	96.	दुबेश्वरी	21.	कुस्टोरे
73.	चित्रा	97.	लोचीपुर	22.	एस. झरिया
74.	निमचा	98.	राजमहल	23.	आर ओ सी पी
75.	कुवारडीह	**भारत कोकिंग कोल लि.**		24.	गुनहुडीह
76.	सिदुली	1.	मुरईडीह	25.	जी ओ सी पी
77.	बेलबाद	2.	दामोदा	26.	बस्ताकोला
78.	परसिया 6 और 7	3.	फुलारीटांड	27.	बेरा
79.	श्रीपुर	4.	ब्लाक–IV	28.	दोबारी
80.	गिरमिंट	5.	गोविंदपुर	29.	जीनागोरा
81.	शंकरपुर	6.	अकाशकिनारी	30.	एस. तिसरा
82.	बारमुरी	7.	अंगरापथारा	31.	एन. तिसरा
83.	संग्रामगढ़	8.	वेस्ट मूडीडीह	32.	लोडना वाशरी
84.	नवाकजोरा	9.	केशलपुर	33.	जयरामपुर
85.	माधवपुर	10.	रामकनाली	34.	लोडना
86.	टोपोसी	11.	ईस्ट कटरास	35.	भवरा ओकाप
87.	मीठापुर	12.	सालनपुर	36.	सुदामडीह वाशरी
88.	नागेश्वर सतग्राम	13.	सेन्दा बांसजोरा	37.	जे ओ सी पी
89.	नरसुम्दा	14.	तेतुलमारी	38.	बेनीडीह
90.	पूरे सियरसोले	15.	निचितपुर	39.	नूडकुरखी
91.	तिरत	16.	धानसार	40.	एन एल ओ सी पी
92.	घुसिक	17.	कुसुंडा	41.	दामगोरिया
93.	माउथडीह	18.	गोधर	42.	भोजूडीह वाशरी

क्रं. सं.	कोलियरी का नाम
43.	बरोरा वाशरी
44.	दुग्दा वाशरी
45.	पाथेरडीह
46.	लोहापाती

टिप्पणी : मिडलिंग्स वाशरी से आपूर्ति की जा रही है।

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि., नागपुर

क्रं. सं.	कोलियरी का नाम
1.	नंदगांव
2.	हिन्दुस्तान लालपेठ ओका
3.	हिन्दुस्तान लालपेठ वि. ओका
4.	दुर्गापुर ओका
5.	पदमपुर ओका
6.	भाटाडीह ओका
7.	चंदा रैयतवारी भू. ग.
8.	दुर्गापुर रैयतवारी भू. ग.
9.	महाकाली भूमिगत
10.	सास्ती
11.	बल्लौरपुर भू. ग.
12.	सास्ती ओ. का.
13.	गौरी ओ. का. सं. 1
14.	माजरी भू. ग. सं. 2 और 3
15.	माजरी ओका
16.	कवाडी ओका
17.	चारगांव ओका
18.	नकोडा भूमिगत
19.	घुगुस ओका
20.	नईगांव ओका
21.	नीलजय 1 और 2
22.	मुन्गोली ओका
23.	राजपुर भू. ग.
24.	उकनी ओका
25.	कोलार पिम्परी ओका
26.	पिंपलगांव ओका
27.	सिलेवारा
28.	वालनी
29.	पिपला
30.	पाटनसवांगी
31.	कम्पटी भू. ग.
32.	कम्पटी
33.	इन्दर
34.	गोंडेगांव ओका
35.	साओनेर I–II–III
36.	उमरेद ओका
37.	पी. के. डी I II
38.	सतपुरा I II
39.	शोभापुर
40.	सरनी
41.	तवा
42.	चत्तरपुर I–II
43.	ऐकलेहरा
44.	चंदामोटा
45.	ई. डी. सी.
46.	महादेवपुरी
47.	गनपती
48.	रावनवारा
49.	रावनवारा खास
50.	न्यू सेतिया ओका
51.	विष्णुपुरी I–II
52.	थेसगोरा
53.	मथानी
54.	हरनभट्ठा
55.	मोहन भूमिगत
56.	अम्बारा भू. ग.
57.	घोरावारी भू. ग.

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.

क्रं. सं.	कोलियरी का नाम
1.	मानिकपुर
2.	कुसमुंडा ओका
3.	लक्ष्मण ओका
4.	गेवरा ओका
5.	दीपिका ओका
6.	चिरीमिरी ओका
7.	दुमनहिल
8.	कोरिया
9.	कुरसिया

क्रं. सं.	कोलियरी का नाम	क्रं. सं.	कोलियरी का नाम	क्रं. सं.	कोलियरी का नाम
10.	एनसीपीएच	25.	बंगवार	40.	बरतराय परियोजना
11.	चुरचा	26.	राजेन्द्र भू. ग.	41..	विरसिंहपुर
12.	काठकोना	27.	सुभाष भू. ग.	42.	नौराजाबाद
13.	चूरचा वेस्ट	28.	नवगांव भू. ग.	43.	उमेरिया
14.	पांडवफारा वेस्ट	29.	न्यू अमलाई	44.	पाली
15.	भटगांव	30.	भद्रा ओल्ड	45.	पिंडुरा भू. ग.
16.	महामाया भू. ग.	31.	जमुना भू. ग.	46.	पिपरिया
17.	दुग्गा ओ. का.	32.	जमुना ओका	47.	बिंध्या
18.	अमलाई भू. गत	33.	कोटमा भू. ग.	48.	बिसरामपुर
19.	चचाई	34.	गोविंदा	49.	कुम्दा
20.	धानपुरी ओ. का	35.	कोटमा वेस्ट 3 और 4	50.	कुम्दा 1 और 2
21.	अमलाई ओ. का.	36.	जमुना इन्क्लाइन 3 और 4	51.	बिजुरी
22.	बैगा ओका	37.	हरड़ इन्क्लाइन	52.	राजनगर भूग
23.	सरद ओका	38.	मीरा इन्क्लाइन	53.	राजनगर ओका
24.	धानपुर भूग	39.	कोटना ओ. का.	54.	वेस्ट झागराखंड

अप्रैल, 98 से सितम्बर, 98 की अवधि के दौरान विद्युत गृहों को कोयले की आपूर्ति करने वाली खानों का नाम

क्र. सं. कोलियरी का नाम	क्र. सं. कोलियरी का नाम	क्र. सं. कोलियरी का नाम
1	2	3
ना. को. लि.	**म. को. लि.**	**ना. ई. को.**
1. झिंगुर्दा	1. लाजकुरा ओका	1. तिरप
2. गोरबी – बी	2. लिलारी ओकाप	2. टिकाक
3. बीना	3. समलेश्वरी ओकाप	
4. जयंत	4. लखनपुर ओकाप	
5. काकरी	5. बेलपहाड़ ओकाप	
6. दुधीचुआ	6. जगन्नाथ ओकाप	
7. अमलोहरी	7. अनाता ओकाप	
8. निगाही	8. बलंदा ओकाप	
9. खादिया	9. लिंगराज ओकाप	

विवरण-II

31.10.1998 की स्थिति के अनुसार राज्य विद्युत बोर्डों/सार्वजनिक उपक्रमों की ओर देय बकाया राशि

रा. वि. बो./सा. उप.	विवादित	अविवादित	जोड़
1	2	3	4
बी एस ई बी	61.53	268.93	330.46
यू पी एस ई बी	48.25	458.37	506.82

1	2	3	4
पी एस ई बी	202.76	64.75	267.51
टी एन ई बी	93.21	176.73	269.94
एच एस ई बी	23.54	102.68	126.22
आर एस ई बी	7.32	80.38	87.70
एम एस ई बी	437.62	248.26	685.88
एम पी ई बी	41.89	425.43	467.32
जी ई बी	27.94	470.52	498.46
डब्ल्यू बी एस ई बी	198.93	216.69	415.62
डब्ल्यू बी पी डी सी, डी पी एल, ए पी ई बी	4.44	2.32	6.76
ए एस ई बी	–	0.29	0.29
के पी सी एल	6.41	39.44	45.85
डी वी सी	96.84	(–)12.21	84.63
डी बी बी	19.05	11.99	31.04
बी टी पी एस	273.29	274.29	547.58
एन टी पी एस	89.58	106.81	196.39
सी ई एस सी	1.19	30.53	31.72
ए ई सी	18.22	18.57	36.79
बी एस ई एस	0.03	1.14	1.17
अन्य	0.22	19.12	19.34
कुल जोड़	1652.26	3005.03	4657.29

[अनुवाद]

प्रतिबंधों में ढील

1011. **श्री अजय कुमार एस. सरनायक :**

श्री माधवराव सिंधिया :

श्री सुनील कुमार शिंदे :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत एवं पाकिस्तान द्वारा इस वर्ष मई में किये गये परमाणु परीक्षणों के पश्चात दोनों देशों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद केवल पाकिस्तान को जारी की गई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सहायता की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीका ने इस मामले में पाकिस्तान का समर्थन किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा इस तरह की सहायता भारत को भी पुनः आरंभ कर दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों को भारत के मामले में भी इसी तरह के प्रतिबंधों में ढील देने हेतु राजी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जहां एक ओर पाकिस्तान की सरकार तथा आईएमएफ के बीच आईएमएफ सहायता पुनः आरंभ करने के संबंध में विचार-विमर्श जारी है वहीं दूसरी ओर कोई औपचारिक निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है।

(ख) अमरीकी समर्थन का प्रश्न तभी उठेगा जबकि इस मुद्दे को निर्णय लेने हेतु कार्यकारी बोर्ड के समक्ष लाया जाएगा; और

(ग) और (घ) चूंकि भारत का किसी आई एम एफ कार्यक्रम से संबंध नहीं है, इसलिए भारत को प्रदान की जा रही आई एम एफ सहायता को पुनः आरम्भ करने का प्रश्न नहीं उठता।

विकासशील देशों की आर्थिक समस्याएं

1012. **श्री बलराम सिंह यादव :**

श्री माधवराव सिंधिया :

श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जी-77 के देशों, विकाशील देशों और चीन की मंत्रीस्तरीय वार्षिक बैठक में अपने भाषण के दौरान विकासशील देशों की आर्थिक समस्याओं के अन्तराष्ट्रीय समाधान खोजने की आवश्यकता पर बल दिया था;

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) जी-77 के विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार करने के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारत ने विकासशील देशों के लिए एक अधिक हितकर और साम्यपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित रणनीति सामने रखी हैं :

(i) सुदृढ़ राष्ट्रीय शासन तथा बहुराष्ट्रीय कारपोरेशनों की भूमिका को इसका अनुपूरक बनाने का प्रयास करते हुए अन्तः सरकारी कार्रवाई और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक कल्याण की संकल्पना को भूमंडलीय आर्थिक नीति का रूप देने पर दोबारा ध्यान केन्द्रित करना।

(ii) हमारे साथी विकसित देशों को हमारी विकास संबंधी विशिष्ट उलझनों और विशेष जरूरतों को, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि बड़े और बढ़ते बाजारों के रूप में तथा संचलन शील अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हमारी क्षमता से लाभ उठाने के लिए उनके निवेश के रूप में भी भूमंडलीय आर्थिक नीति–निर्माण में अलग–अलग करके देखने के लिए मनाना।

(iii) विकासशील देशों को रिआयती संसाधन–अंतरणों, अनुकूल प्रौद्योगिकी अंतरणों और व्यापार में विशिष्ट व्यवहार के बुनियादी मुद्दों वाले परंपरागत विकासात्मक सहयोग की कार्य सूची को पुनरुज्जीवित करना तथा इसे उदारीकरण की नई कार्य सूची तथा मांगों के साथ मिलाना।

(iv) भूमंडलीकरण और इसकी प्रक्रियाओं का निरंतर मूल्यांकन करना तथा भूमंडलीकरण के कारगर और न्यायपूर्ण शासन के तरीके खोजना, प्रणालियों और संस्थाओं को व्यापक स्तर पर कायाकल्प करना और निर्णय लेने तथा बेंचमार्क सेटिंग में विकासशील देशों की भागीदारी सुनिश्चित करना।

(v) भूमंडलीय या विकसित देशों की सनक का शिकार हुए बिना विकासशील देशों को सदैव अपनी खाद्य, ऊर्जा और सामाजिक सुरक्षा और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों तथा वित्त हेतु पहुंच की रक्षा करने में मदद देने के लिए आवश्यक सुरक्षोपाय करना।

(vi) विकासात्मक सहयोग और सुदृढ़ अन्तर्राष्ट्रीय भूमंडलीय शासन को पुनरुज्जीवित करने हेतु मुद्दों और मौकों के आधार पर अपनी दखल कार्रवाई करना, उसे विनियोजन, परस्पर लाभ और व्यावहारिकता की सकारात्मक भावना से प्रस्तुत करना।

जी–77 की बैठक ने आर्थिक सहयोग और विकास के संबंध में एक अधिक सार्थक उत्तर–दक्षिण वार्ता को पुनरुज्जीवित करने तथा बढ़ावा देने की ज़रूरत को रेखांकित किया। इसमें विश्व अर्थव्यवस्था में साम्यपूर्ण वृद्धि को बढ़ावा देने के लक्ष्य से बहुपक्षवाद को मजबूत बनाते हुए निर्यात लेने, मानक तय करने और विश्व की आर्थिक समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया में विकासशील देशों की पूर्ण और कारगर भागीदारी की मांग की। बैठक में अन्तराष्ट्रीय विकास–सहयोग में जान डालने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने के उद्देश्य से विकास हेतु वित्त–पोषण के अनेक मुद्दों पर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत को भी रेखांकित किया गया।

राजकोषीय घाटा

1013. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार का मुद्रास्फीति को कम करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(ख) राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष योजना बनाई गई है; और

(ग) सकल घरेलू उत्पादन में 6 प्रतिशत वृद्धि हासिल करने के लिए सरकार का कौन से अल्पकालिक उपाय करने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) सरकार द्वारा कीमतों को रोकने के लिए अनेक नीतिगत उपाय किए गए हैं। राज्य सरकारों से जमाखोरों, काला बाजारियों और समाज–विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था। सरकार ने खाद्य तेलों के आयात पर शुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया है। खाद्य तेलों की कीमतों में और कमी लाने के लिए, सरकार स्वयं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति हेतु 1.5 लाख टन खाद्य तेल का आयात कर रही है। ओ जी एल के तहत दालों के आयात की अनुमति दी गई है और निर्यात पर अब रोक लगा दी गयी है, तथा दालों पर पर 10 प्रतिशत के आयात शुल्क को समाप्त कर दिया गया है। प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी गई है और घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने के लिए ओ जी एल के तहत इसके शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी गई है। कुछ राज्यों, विशेषकर दिल्ली में सुपर बाजार, केन्द्रीय भण्डार तथा मदर डेयरी आदि जैसी खुदरा दुकानों के माध्यम से प्याज की आपूर्ति की व्यवस्था की गई है।

(ख) राजकोष घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में कराधार को विस्तृत करके राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाना, कर संरचना का यौक्तिकीकरण तथा व्यय को नियंत्रित करना शामिल हैं।

(ग) सरकार सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर की निरंतर मानीटरिंग कर रही है। आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए हाल में अनेक उपायों की घोषणा की गई है।

[अनुवाद]

आर्थिक प्रतिबंध

1014. प्रो. पी. जे. कुरियन :

श्री मधुकर सरपोतदार :

श्री अनंत गंगाराम गीते :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के वित्तीय और आर्थिक परिदृश्य के संबंध में लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों (पोखरण परीक्षण के बाद की परिस्थितियों में) के बारे में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या परिणाम रहे;

(ग) इन आर्थिक प्रतिबंधों के कारण किस सीमा तक आर्थिक ह्रास हुआ है; और

(घ) सरकार ने इस स्थिति से बचाव के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) चूंकि आधिकारिक ऋणों के प्रतिबंध/आस्थगन अधिकांशतः नए ऋणों पर लागू होने थे इसलिए पहले से स्वीकृत ऋणों के संवितरण पर कुल मिलाकर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अर्थव्यवस्था और चालू परियोजनाओं पर बहुत सीमित प्रभाव पड़ा।

(घ) प्रतिबंधों के प्रभाव को निष्फल बनाने में सरकार की सामान्य नीति अन्य देशों को हमारी स्थिति के बारे में बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करना और सरकारी प्रवाहों में जो भी कमी हुई है उसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए गैर-सरकारी पूंजी प्रवाहों को प्रोत्साहन देना रही है। सरकार इस उद्देश्य के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अन्तर्प्रवाहों अथवा अनिवासी भारतीय प्रवाहों को प्रोत्साहन देने की ओर यह सुनिश्चित करने कि हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और इससे वित्तीय बाजारों में विश्वास कायम हो अपनी घोषित नीतियों का अनुपालन कर रही है। यह विभिन्न कार्यक्रमों और परिवर्तनों को भी तेजी से अमल में ला रही है जिनसे निवेश, संवृद्धि और इक्विटी के आम माहौल में सुधार होगा।

हथकरघा बुनकरों को सहायता

1015. श्री विजय कुमार 'विजय' :

श्री राजवंशी महतो :

क्या **वस्त्र** मंत्री 3 जुलाई, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2749 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हथकरघा संबंधी उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने हथकरघा बुनकरों को सहायता देने के लिए सिफारिशें की थी;

(ख) यदि हां, तो की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार को राज्य में हथकरघा बुनकरों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए बिहार सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हां।

(घ) बिहार राज्य सरकार को 1998–99 के दौरान नई बीमा स्कीम के अंतर्गत 3896 बुनकरों को शामिल करने हेतु 233760 रुपये की केन्द्रीय सहायता तथा प्रोजेक्ट पैकेज स्कीम के अंतर्गत 8,50,000 रुपये की राशि जारी की गई थी। यद्यपि 22.58 लाख रुपये के प्रस्तावों को बिहार राज्य सरकार को बाजार विकास सहायता/छूट दावों के अंतर्गत राज्य हिस्से हेतु जारी आदेश तथा पूर्व में जारी राशि के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्रों के लिए वापिस किया गया था।

विवरण

हथकरघा उद्योग पर गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की मुख्य सिफारिशें तथा उन पर कृत कार्रवाई

1. सभी प्रमुख हथकरघा बाहुल्य राज्यों में प्रथक हथकरघा विभाग स्थापित किए जायें। राज्य हथकरघा निगमों और शीर्ष समितियों को उपर्युक्त पुनः स्थापना सहायता प्रदान करके पुनर्जीवित किया जाये।

राज्य सरकारों को अलग विभाग स्थापित करने के लिए अनुरोध किया गया है जहां यह अभी स्थापित नहीं किये गये हैं।

2. सहकारी क्षेत्र से बाहर के बुनकरों को क्रेडिट सुविधा देने के लिए कम से कम 500 करोड़ रुपये की राशि का एक राष्ट्रीय हथकरघा क्रेडिट फंड स्थापित किया जाये।

बुनकरों की समस्याओं के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने हेतु कृषि वित्त निगम को एक अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया है।

3. नाबार्ड द्वारा दी जाने वाली क्रेडिट लिमिट के संबंध में गारंटी देने के प्रावधानों पर छूट देने के लिए नाबार्ड विचार करें। बैंकों के हितों के सरक्षण के लिए "लोस गारंटी स्कीम" आरंभ की जाये। धागे के व्यापार के लिए क्रेडिट भी 9.50% ब्याज दर पर पुनर्वित्त किया जाये।

नाबार्ड हथकरघा बुनकरों की मांग और अतिरिक्त साख (क्रेडिट) सीमा के लिए कार्यशील पूंजी हेतु बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान करता है। नाबार्ड ने अच्छे कार्यशील बैंकों और समितियों के संबंध में राज्य सरकार गारंटी की आवश्यकता के बिना अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों की निश्चित श्रेणियों को क्रेडिट लिमिट की स्वीकृति के लिए नीति में एक मुख्य परिवर्तन किया है। हथकरघा बुनकरों की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के लिए वाणिज्यक बैंकों को भी पुनर्वित्त प्रदान किया गया है। पुनर्वित्त पर ब्याज दर में कमी की गई है। विपणन कार्यकलापों तथा सूत व्यवसाय के लिए भी ब्याज दर में कमी की गई है।

4. सभी राज्य सरकारें हैंक यार्न और हथकरघा उत्पादों को सभी करों से मुक्त रखें जिनमें बिक्रीकर, प्रवेश कर और चुंगी शामिल है।

राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि हैंक यार्न तथा हथकरघा उत्पादों को किसी भी कर आदि से छूट पर विचार करें।

5. केन्द्र/राज्य सरकारों अथवा उसके अभिकरणों द्वारा कम्पलैक्स स्थापित किए जायें जिनमें ग्राम, उपखंड, जिला और शहरी स्तर पर हथकरघा हाट और स्थाई स्थल की स्थापना शामिल हैं।

जयपुर, अहमदाबाद, हैदराबाद, कानपुर, मुम्बई, इंदौर, कोचीन, कलकत्ता और कोलाम में विपणन काम्पलैक्सों की स्थापना की गई।

6. निर्यात्य उत्पादों के विकास के लिए एक व्यापक परियोजना विकसित की जाये। हथकरघा निर्यात के लिए योजना के अंतर्गत 1998-99 के दौरान 500 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया था।

7. एक विपत्ति राहत योजना आरंभ की जाये ताकि राज्य सरकारों की विभिन्न वर्तमान योजनाओं के अंतर्गत हथकरघों और उनके उपकरणों की खरीद, हैंक यार्न सब्सिडी योजना के अंतर्गत हैंक यार्नकी खरीद पर सब्सिडी, क्रेडिट उपलब्ध करवाने, उत्पादन को पुनः खरीदने हेतु सहायता दी जा सके।

नई बीमा योजना लागू की गई हैं जिसमें प्राकृतिक आपदा सहायता के साथ दुर्घटना मृत्यु, बाढ़ के कारण निवास इकाईयों का नुकसान एवं हानि, आग तथा भूकम्प आदि शामिल हैं।

8. कल्याणकारी योजनाओं में केवल बुनकरों को ही नहीं अपितु सभी हथकरघा कार्मिकों को शामिल किया जाये। हथकरघों की कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत सहकारी और गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में हथकरघा कार्मिकों की कवरेज को बढ़ाया जाये। कल्याण योजना की श्रेणी के अंतर्गत नई बीमा योजना में सभी प्रकार के हथकरघा बुनकरों को शामिल किया गया है। इसमें सहकारी क्षेत्र तथा बाहरी क्षेत्र दोनों के बुनकर शामिल होंगे।

9. हथकरघा क्षेत्र की वर्तमान योजनाओं के अंतर्गत यथापेक्षित अतिरिक्त वित्तीय निवेश देकर उत्तर पूर्वी राज्य के समूचे विकास के लिए विशेष बल दिया जाये।

उत्तर पूर्वी राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उत्तर पूर्वी राज्यों को विभिन्न वर्तमान योजनाओं के अंतर्गत विशेष प्रबंध किया जा रहा है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोयले के भंडार

1016. श्री विजय हान्दिक : क्या कोयला मंत्री **यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोयले का कुल कितना भंडार है;

(ख) क्या सरकार को पूर्वोत्तर क्षेत्र के कोयले के अनुपम स्वरूप तथा विभिन्न गुणों के संबंध में जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो कोयले के विकास तथा उसके उपयोग के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोयला आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) भारतीय भू-सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 1.1.1998 की स्थिति के अनुसार, पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोयले के कुल भण्डार 889.81 मिलियन टन था।

(ख) और (ग) जी, हां। पूर्वोत्तर कोयले में राख की मात्रा निम्न है परंतु सल्फर तत्व अधिक है। केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लिमिटेड ने मेघालय औद्योगिक विकास निगम हेतु निम्न राख तत्व वाले कोककर मेघालय कोयले का उपयोग करने वाले बी-हाइव कोक ओवन की स्थापना किए जाने हेतु तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की है। कोयला आधारित घरेलू ईधनों, जैसे असम कोयले के छोटे-छोटे टुकडों/ब्रिकेट्स के उत्पादन हेतु परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई थी, पर चूंकि निवेश हेतु कोई उद्यमी आगे नहीं आया है, अतः उनमें से किसी को भी कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

फलों और सब्जियों का निर्यात

1017. श्री गोरधनभाई जादवभाई जाटिया : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी मात्रा में फलों और सब्जियों का निर्यात किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान फलों और सब्जियों का निर्यात्त बढ़ाने के लिए किन्हीं प्रोत्साहनों की घोषणा की है; और

(ग) यदि हां, तो इन प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित फलों और सब्जियों की राशि एवं मात्रा निम्नानुसार है:-

वर्ष	ताजी सब्जियां		ताजे फल	
	मात्रा (मी. टन)	मूल्य (करोड़ रु. में)	मात्रा (मी. टन)	मूल्य (करोड़ रु. में)
1995-96	434401	301.19	109704	229.96
1996-97	498863	341.16	217753	241.17
1997-98*	उपलब्ध नहीं है।	319.45	उपलब्ध नहीं है।	268.98

*अनन्तिम (स्त्रोत : डीजीसीआईएंडएस, कलकत्ता/एपीडा)

(ख) और (ग) बागवानी उत्पादों जैसे फलों और सब्जियों के निर्यात का संवर्धन करने के लिए चालू वर्ष के दौरान उठाए गए कुछ कदम/जारी रखने हेतु प्रस्तावित उपाय निम्नानुसार है:-

(i) उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण और शुष्क फलों के क्षेत्र के एकीकृत विकास पर केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत अच्छी क्वालिटी की रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए छोटी और बड़ी पौधशालाए लगाने के लिए सहायता प्रदान करना, प्रदर्शनों, प्रशिक्षणों और प्रचार के माध्यम से किसानों की तकनीकी जानकारी का उन्नयन, पुराने फलोद्यानों का नवीकरण, क्षेत्र विस्तार सब्जियों के लिए छोटे टोकरों (मिनीकिट्स) की आपूर्ति और उत्पादकता में सुधार लाना तथा किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करना;

(ii) श्रेणीकरण/प्रसंस्करण केन्द्रों, नीलामी प्लेटफार्मों, पक्कवन/क्योरिंग चेम्बर और गुणात्मकता परीक्षण उपकरणों की स्थापना के लिए सुलभ ऋणों का प्रावधान;

(iii) विशिष्टीकृत परिवहन इकाइयों की खरीद, पूर्व प्रशीतन/शीतागार सुविधाओं की स्थापना, एकीकृत फसलोत्तर हैंडलिंग प्रणालियों (पैक हाउसेज) जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए निर्यातकों/उत्पादकों/सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना;

(iv) निर्यात इकाइयों में नवीनतम आई एस ओ 9000/एच ए सी सी पी उपकरण लगाने सहित उन्नत पैकेजिंग और गुणवत्ता नियंत्रण के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(v) चुनिन्दा ताजी सब्जियों और ताजे फलों के निर्यात के लिए हवाई भाड़ा इमदाद की मंजूरी;

(vi) विदेशी बाजारों में उत्पादों विशेषकर आमों की ग्राह्यता में सुधार लाने के लिए वाष्प ताप अभिक्रिया सुविधाओं की स्थापना। नष्ट होने योग्य उत्पादों की शैल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए परिवहन में नियंत्रित संशोधित वातावरण प्रौद्योगिकी जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए अनुसंधान प्रयास जारी हैं।

(vii) क्रेता–विक्रेता बैठकों और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में सहभागिता जैसे संवर्धनात्मक अभियानों की व्यवस्था करना;

(viii) ताजे फलों और सब्जियों जैसे नष्ट होने वाली मदों के निर्यात के संचालन के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों पर एकीकृत कार्गो संचालन और शीतागारों की स्थापना करना;

(ix) निर्यात उत्पादन, मात्रा नियंत्रण पैकेजिंग, परिवहन इत्यादि में कृषकों को प्रशिक्षण देने सहित व्यापार और उद्योग जगत को तकनीकी परामर्शी सेवाएं और अन्य सहायक सेवाएं प्रदान करना।

लदानोत्तर निर्यात ऋण नीति

1018. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लदानोत्तर निर्यात ऋण नीति में कुछ परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को निर्यातकों से प्राप्त फीडबैक का ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तारीख के अनुसार जिन क्षेत्रों के लिए लदानोत्तर निर्यात ऋण नीति बनायी गयी है/बनाने का विचार किया जा रहा है, ब्यौरा क्या है; और

(घ) निर्यात ऋण देने संबंधी प्रणाली में सुधारों का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश सभी निर्यातकों पर सामान रूप से लागू होते हैं। अभी तक क्षेत्र विशेष के लिए कोई भी लदानोत्तर ऋण नीति न तो बनाई गई है और न ही विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 31 अक्तूबर, 1998 को एक कार्य–दल बनाया गया है, ताकि मौजूदा ऋण वितरण प्रणाली की जांच की जा सके तथा ऋण वितरण की प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए उसमें सुधार किए जा सके और निर्यातकों को उपलब्ध सुविधाओं की पुनरीक्षा की जा सके। आशा है कि यह कार्यदल 31 दिसम्बर, 1998 तक भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी सिफारिश प्रस्तुत कर देगा।

लघु उद्योगों में विदेशी प्रौद्योगिकी

1019. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेष रूप से गुजरात में लघु उद्योगों में विदेशी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इसका लघु उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ने की आशा है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) लघु उद्योगों में विदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोगार्थ कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है तथापि, नई औद्योगिक नीति, 1991 के अनुसार उद्योग के सभी क्षेत्रों में विदेशी प्रौद्योगिकी का उपयोग स्वतंत्र रूप से करने की अनुमति है तथा अन्य उद्योगों की तुलना में इसके उपयोग के लिये लघु उद्योगों के साथ कोई भेद–भाव नहीं है। विदेशी प्रौद्योगिकी करारों के लिये सभी उद्योगों हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वतः अनुमोदन दिया जाता है जो कि निम्नलिखित वित्तीय सीमाओं के भीतर दिया जाता है। अर्थात 2 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक एक मुश्त भुगतान नहीं हो तथा घरेलू बिक्री के लिये 5% तक रायल्टी तथा निर्यात के लिये 8% हो, बशर्ते कि 10 वर्षों की अवधि में बिक्री पर 8% का कुल भुगतान हो। विदेशी प्रौद्योगिकी करारों के लिये सभी अन्य प्रस्तावों पर अनुमोदन हेतु सरकार द्वारा गुणागुणों के आधार पर विचार किया जाता है।

तकनीकी सहयोग का लाभ–प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाइयों में लघु उद्योग क्षेत्र सहित सभी क्षेत्र शामिल हैं। विदेशी प्रौद्योगिकी प्राप्ति से लघु उद्योग क्षेत्र से यह अपेक्षा है कि वह अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करे तथा उन्हें प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाए।

रेशम कीट पालन उद्योग को जापान से सहायता

1020. श्री माधवराव सिंधिया :

श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के बिलासपुर, रायगढ़, छत्तीसगढ़ और अन्य क्षेत्रों की पहचान महत्वपूर्ण सिल्क उत्पादन क्षेत्रों के रूप में की गयी है जहां रेशम कीट पालन उद्योग की भारी संभावनाएं हैं;

(ख) क्या मध्य प्रदेश के बिलासपुर और अन्य सिल्क उत्पादक क्षेत्रों में पारंपरिक कुटीर उद्योग के संवर्धन करने के लिए 749 करोड़ रु. की जापानी सहायता से "सोयल टू सिल्क" नामक परियोजना शुरू की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) जापानी सहायता की शर्तें तथा परियोजना के अन्य ब्यौरे क्या हैं एवं केन्द्र सरकार द्वारा परियोजनाओं के प्रति तकनीकी अथवा अन्य क्या योगदान दिया गया है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। मध्य प्रदेश रेशम उत्पादन परियोजना की परिकल्पना 2 चरणों में की गई है। प्रथम चरण 4000 हेक्टेयर वन क्षेत्र राजस्व भूमि में तसर की कृषि का विकास करने के लिए है तथा दूसरा चरण 3000 हेक्टेयर क्षेत्र में शहतूती रेशम उत्पादन का विकास करने के लिए है। प्रथम चरण की परियोजना लागत 117.10 करोड़ रु. है और दूसरे चरण की अनुमानित लागत 631.45 करोड़ रु. है। ओ ई सी एफ जापान अब केवल प्रथम चरण के लिए ही निधियां जुटाने के प्रति सहमत हो गया है अर्थात तसर क्षेत्र का विकास करने के लिए तथा शहतूती रोपण के केवल आधारभूत सर्वेक्षण के लिए विकास योजना का विस्तृत डिजाइन प्रथम चरण में तैयार किया जाएगा। ओ ई सी एफ ने बताया है कि समग्र परियोजना के बाकी भाग (अर्थात दूसरे चरण) के लिए वित्त व्यवस्था करने पर भारत सरकार के दुबारा ऋण देने के अनुरोध प्राप्त होने और परियोजना के चरण–1 के अंतर्गत नियोजित परामर्शदाता द्वारा समग्र विकास योजना पर विस्तृत अध्ययन तथा परियोजना के विस्तृत डिजाइन के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने के साथ–साथ चरण–1 की संतोषजनक प्रगति और कार्यनिष्पादन के बाद ही विचार किया जाएगा। 2212 मिलियन जापानी येन के लिए परियोजना के प्रथम चरण के ऋण करार पर 12 दिसंबर, 1997 को हस्ताक्षर किए गए थे। यह करार 5 फरवरी, 1998 से प्रभावी हो गया था। रेशम उत्पादन के आयुक्त निदेशालय, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्दिष्टअनुसार 1 अप्रैल, 1998 से क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है।

(घ) जापानी सहायता की मुख्य शर्त यह है कि 3995 मिलियन येन की कुल परियोजना लागत की तुलना में 2212 मिलियन जापानी येन तक की राशि की ही परियोजना का वित्त पोषण किया जाएगा। ऋण से प्राप्त होने वाली राशि निम्नलिखित मदों के लिए उपलब्ध है।

(1) तसर क्षेत्र के रेशम उत्पादन से संबंधित आवश्यक इन्फास्ट्रक्चर का निर्माण तथा विस्तार करना।

(2) तसर खाद्य पादप के रोपण का विकास करना।

(3) रीलिंग, टूस्टिंग और कताई सुविधाओं का निर्माण करना और/अथवा प्रदान करना।

(4) कीटपालकों, रीलरों और स्पिनरों के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना।

(5) तसर और शहतूती क्षेत्र के लिए परामर्श सेवाएं।

ऋण की राशि का संवितरण निधि के लिए जापानी सरकार की वार्षिक बजटीय विनियोजन की सीमा के भीतर किया जाएगा। ऋण के वित्त पोषण के अंतर्गत सामान्य प्रशासन के खर्चों, करों और शुल्कों, भूमि की खरीद तथा अन्य वास्तविक परिसंपत्तिं की खरीद प्रतिपूर्ति तथा अन्य अप्रत्यक्ष मदों को शामिल नहीं किया जाएगा। इनकी लागत को मध्यप्रदेश सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा।

ऋण प्राप्त करने वाली मध्य प्रदेश सरकार ऋण चुकाने की अनुसूची में निर्दिष्टानुसार ऋण की मूल राशि का पुनर्भुगतान करेगी:–

देय तारीख	राशि (जापानी येन में)
20 दिसम्बर 2007	53,960,000
प्रत्येक 20 जून तथा 20 दिसम्बर 20 जून 2008 से प्रारंभ अवधि से लेकर 20 दिसम्बर 2027 तक	53,951,000

वस्त्र उत्पादों का आयात

1021. **श्री चंदू लाल अजमीरा** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वस्त्र उत्पादों का आयात बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो घरेलू वस्त्र उत्पादों के संरक्षण हेतु किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) जी, हां। डी. जी. सी. आई. एस. के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1997–98 के दौरान वस्त्र उत्पादों के आयात 3116.25 करोड़ रु. (अनंतिम) मूल्य के हुए, जो कि वर्ष 1996–97 की तुलना में 12.1% की वृद्धि दर्शाते हैं।

(ग) डब्ल्यू. टी. ओ. के विभिन्न करारों में भारत सहित किसी भी सदस्य देश को निकृष्ट आयात के लिए सुरक्षात्मक उपाय करने के कुछ उपबंध विद्यमान हैं। सरकार वस्त्र उत्पादों के आयात की प्रवृत्तियों पर कड़ी निगरानी रख रही है और यदि आवश्यकता पड़ती है तो सरकार आवश्यक सुरक्षात्मक कार्रवाई करने प्रतिकारी शुल्क, प्रति–पाटन शुल्क आदि लगाने जैसे कदम उठाएगी ताकि कम लागत के वस्त्र उत्पादों का आयात रोका जा सके तथा घरेलू उत्पादों को सुरक्षित रखा जा सके।

नमक की मांग और उत्पादन

1022. वैद्य विष्णु दत्त :

श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में नमक की आवश्यकता और उत्पादन की मात्रा कितनी है;

(ख) देश में नमक के कुल उत्पादन में महाराष्ट्र और गुजरात का कितने प्रतिशत योगदान रहता है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र और गुजरात में, विशेषकर कच्छ क्षेत्र के नमक उद्योग द्वारा उत्पादित नमक का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन राज्यों में नमक के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जाने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) देश में नमक की वार्षिक औसत मांग लगभग 110 लाख टन है। देश में नमक का वार्षिक औसत उत्पादन 135 लाख टन है।

(ख) देश में उत्पादित करीब 135 लाख टन साधारण नमक के औसतन वार्षिक उत्पादन में से महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का हिस्सा इस प्रकार है:–

महाराष्ट्र 2%

गुजरात 72%

(ग) गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में उनका नमक उत्पादन संबंधी कार्य निष्पादन पिछले तीन वर्षों में इस प्रकार रहा:

क्र. सं.	राज्य	नमक का उत्पादन हजार टन में		
		1995	1996	1997
1.	गुजरात	8824.4	10403.5	10096.2
2.	महाराष्ट्र	224.3	245.9	200.6

गुजरात का कच्छ क्षेत्र गुजरात के कुछ नमक उत्पादन में 45 लाख टन से अधिक मात्रा का अंशदान करता है। कच्छ क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों के नमक उत्पादन के विवरण इस प्रकार हैं:–

नमक उत्पादन हजार "000 टन में

	1995	1996	1997
कच्छ क्षेत्र	4,524.4	4,995.5	4,586.1

(घ) नमक उत्पादन में और वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:

– राज्य सरकारों के द्वारा नमक उत्पादन के लिए नयी भूमि आबंटन करने के लिए नमक विभाग द्वारा "अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी किये जा रहे हैं।

– नवीनतम तकनीकी ज्ञान से वैज्ञानिक आधार पर नमक निर्माण कार्य के लिए तकनीकी दिशानिर्देश दिये गये हैं।

– खाद्य प्रयोजन के लिए बढ़िया किस्म के नमक की मांग को बढ़ाने के लिए राज्यों में नमक शोधशालाओं की अनुमति दी जा रही हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि बाढ़ से प्रभावित हो जाने पर पुनः नमक उत्पादन शुरू करने के लिए प्रभावित नमक निर्माण क्षेत्र को वित्तीय सहायता देकर पुनर्स्थापना संबंधी उपाय किये जाते हैं।

(ङ) और (च) विभिन्न श्रमिक कल्याण और विकास कार्यों हेतु नमक उपकर आय से सहायता दी जाती है। इनमें चिकित्सा सुविधाएं, पेय जल सुविधाएं, शिक्षा सुविधाएं, कार्यस्थल पर आराम गृह एवं क्रेच और श्रमिक तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिए मनोरंजन सुविधाओं के प्रावधान शामिल हैं। पिछले तीन वर्षों में श्रम कल्याण तथा विकास कार्यों के लिए दी गई सहायता के विवरण इस प्रकार हैं:—

वर्ष	रकम (लाख रुपये में)
1995—96	94.4
1996—97	72.7
1997—98	69.0

उन नमक उत्पादकों को अनुग्रह सहायता भी दी जाती है जिनके नमक निर्माण के कार्य बाढ़, बरसात आदि जैसी प्राकृतिक विपदाओं से प्रभावित होते हैं। पिछले तीन वर्षों में दी गई ऐसी सहायता के विवरण इस प्रकार है:—

वर्ष	रकम (लाख रुपये में)
1995—96	27.0
1996—97	39.5
1997—98	38.0

चालू वित्तीय वर्ष 1998—99 के दौरान उन नमक विनिर्माताओं को, जिनका उत्पादन गुजरात में जून, 1998 में समुद्री तूफान से प्रभावित हुआ था, अनुदान सहायता के रूप में 3.65 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई हैं।

जस्टिस धनुका समिति

1023. **श्री अजय चक्रवर्ती** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जस्टिस धनुका समिति की सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या "सेबी" ने जस्टिस धनुका समिति की सिफारिशों को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) "सेबी" यू. टी. आई. अधिनियम के विरुद्ध व्यवस्था देने और बड़ी संख्या में घरेलू निवेशकों को शेयर बाजार की कठिन परीक्षा में डालने का हर संभव प्रयास कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) सेबी द्वारा गठित न्यायमूर्ति धनुका समिति की मुख्य सिफारिशों में ये शामिल हैं:— प्रतिभूति कानूनों का समेकन, अब तक विनियमित न की गई गतिविधियों को शामिल करने के लिए प्रतिभूति बाजार में कानून के कार्यक्षेत्र को बढ़ाना, कतिपय अन्य कानूनों की अपेक्षा प्रतिभूति कानूनों की पूर्ववर्तिता, प्रतिभूति बाजार के लिए एकमात्र विनियामक अभिकरण, सेबी की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र को बढ़ाना आदि।

(ख) और (ग) सेबी ने कुछ शर्तें लगाते हुए समिति की सिफारिशों के प्रति सहमति दिखाई है।

(घ) और (ङ) चूंकि भारतीय यूनिट ट्रस्ट यू.टी.आई. अधिनियम, 1963 के अंतर्गत शासित किया जाता है, इसलिए सेबी ने भारतीय यूनिट ट्रस्ट के लिए एक पृथक विनियामक ढांचे की व्यवस्था की है जिसके तहत 1 जुलाई, 1994 के बाद शुरू की गई भारतीय यूनिट ट्रस्ट की सभी योजनाएं सेबी द्वारा विनियमित की जाएंगी। सेबी के म्यूचुअल फंड संबंधी विनियमन भी आवश्यक परिवर्तन सहित इन योजनाओं पर लागू होंगे।

अनुसंधान और प्रौद्योगिकी पर आधारित पेटेन्ट

1024. **श्री मधुकर सरपोतदार :**

श्री अनंत गंगाराम गीते :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी—विदों द्वारा भारतीय प्रयोगशालाओं और विश्वविद्यालयों में अनुसंधान और प्रौद्योगिकी पर आधारित कितने पेटन्टों को वरीयता दी गई है; और

(ख) इन मामलों में स्वीकृत पेटेन्टों की कुल संख्या कितनी है और उनका ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) भारतीय प्रयोगशालाओं तथा विश्वविद्यालयों द्वारा पिछले 2 वर्षों के दौरान पेटेंट के लिए 1225 आवेदन दायर किये गये हैं। वर्तमान में ये आवदेन पेटेंट अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अनुसार परीक्षण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम में संशोधन

1025. **श्री सुब्रत मुखर्जी** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोयला खदानों के निजीकरण की दिशा में "कौयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम" में संशोधन करने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन ट्रेड यूनियनों से बातचीत की है जो सरकार के इस कदम के विरुद्ध हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) सरकार ने एकीकृत कोयला नीति पर समिति की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है कि किसी भी भारतीय कंपनी को कोयला खनन किए जाने की अनुमति होनी चाहिए। ग्रहीत उपभोग के विद्यमान प्रतिबंध के बिना भारतीय कंपनियों द्वारा कोयला खनन की अनुमति दिए जाने के लिए कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता होगी। इस प्रकार के संशोधन में कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) अथवा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (सि.को.कं.लि.) की किसी भी विद्यमान कोयला खान का निजीकरण नहीं किया जाएगा।

(ख) और (ग) इस प्रस्ताव पर मजदूर यूनियनों के साथ कई अवसरों पर विचार-विमर्श किया गया। यद्यपि यूनियनों ने माना कि मांग और आपूर्ति के बीच अंतराल नौवीं योजना के अंत तक रहेगा, उन्होंने इस बात पर बल दिया कि राष्ट्रीयकृत कोयला कंपनियों द्वारा उत्पादन में वृद्धि उनको दी जाने वाली बजटीय सहायता में वृद्धि करके संभव की जा सकती है। उन्हें यह बात स्पष्ट कर दी है कि को.इं.लि. को बजटीय सहायता का प्रावधान 1995-96 से बंद कर दिया गया है और इस सहायता को पुनः आरंभ किया जाना संभव नहीं है।

(घ) प्रश्न के पैरा (ख) तथा (ग) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न हीं नहीं उठता है।

आंध्र प्रदेश से कृषि उत्पादों का निर्यात

1026. **श्री के. येरननायडू** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान निर्यात के लिए आंध्र प्रदेश में प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आंध्र प्रदेश से कृषि उत्पादों के निर्यात पर अधिक ध्यान देने के लिए प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) वाणिज्य मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश से 1996-97, 1997-98 और 1998-99 में निर्यात करने हेतु किन्हीं थ्रस्ट क्षेत्रों की विशेष रूप से पहचान नहीं की है। कृषि उत्पादों सहित विभिन्न पण्यों के निर्यात को बढ़ाने के लिए मंत्रालय योजनाएं और नीतियां बनाता है।

(ग) आंध्र प्रदेश से निर्यात किए गए प्रमुख कृषि उत्पाद हैं:- ताजे आम और अंगूर, संसाधित फल और सब्जियां, कुक्कुट उत्पाद, ताजे अंडे और अंडे का पाउडर, चावल और मांस। आंध्र प्रदेश से कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) ने निम्नांकित कदम उठाए हैं:-

(1) मुख्य उत्पादन केन्द्रों में किसानों के लाभ हेतु आम और अंगूर के लिए एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।

(2) राज्य से कुक्कुट उत्पादों के निर्यात की संभावना का पता लगाने के लिए तथा निर्यात के विकास के लिए अवस्थापना आवश्यकता का सुझाव देने के लिए अध्ययन किया जा रहा है।

(3) कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) ने राज्य में निजी क्षेत्र में स्थित अत्याधुनिक बूचड़खानों में से एक आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर दी है।

(4) निर्यात बाजार में उत्पाद संवर्धन के लिए एम्पीडा की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत अलग-अलग निर्यातकों ने 34.67 लाख रु. प्राप्त किए हैं।

(5) हैदराबाद हवाई अड्डे पर नष्ट होने वाले माल के रखरखाव के लिए समर्पित सुविधा की स्थापना की जा रही है।

(6) तम्बाकू बोर्ड ने तम्बाकू के निर्यात के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जिनके कारण 1997–98 में तम्बाकू निर्यात में मूल्य के रूप में 32% वृद्धि देखी गई। वर्ष 1997–98 में 972.83 करोड़ रु. के निर्यात हुए।

(7) स्पाइसेज बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद और गुंण्टुर में हैं जो कि मसालों की कटाई के बाद रख–रखाव और गुणवत्ता प्रबंध के क्षेत्र में कार्यक्रमों को लागू करने तथा मानीटरिंग का काम करते हैं।

[हिन्दी]

खिलौना उद्योग

1027. श्री रामपाल सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अंतर्राष्ट्रीय खिलौना बाजार में घरेलू (खिलौना) उद्योग की स्थिति को मजबूत बनाने हेतु देश में शीघ्र ही "टॉय सिटी" स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन–किन राज्यों में "टॉय सिटी" स्थापित किए जाने की संभावना है, तथा इन पर कितनी राशि व्यय होने की संभावना है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) घरेलू उद्योग की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए टॉय सिटी स्थापित करने की केन्द्र सरकार की कोई योजना नहीं है। फिर भी, उत्तर प्रदेश सरकार जिला गौतमबुद्ध नगर के ग्रेटर नोयडा में टॉय सिटी की स्थापना कर रही है।

(ख) और (ग) टॉय सिटी 125 एकड़ में स्थापित किया जा रहा है। टॉय विनिर्माताओं को 118 औद्योगिक प्लाटों का आबंटन किया जा चुका है जिसके अंतर्गत 31.05 एकड़ औद्योगिक भूमि शामिल है। इस क्षेत्र में लगभग 400 करोड़ रु. के निवेश होने का अनुमान है। इस टॉय सिटी को विकसित करने पर 6 करोड़ रु. खर्च किये जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

ऋणों की वसूली

1028. डा. विजय सोनकर शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी और गैर–सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने बिना समर्थक जमानत के ऋण दिये हैं और जिसकी राशि वसूल नहीं हो रही है;

(ख) यदि हां । इन ऋणों में बैंकवार कितनी राशि सम्मिलित है;

(ग) अनुपयोज्य आस्तियों की वसूली हेतु बैंकों द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) बैंकवार उन बैंक अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है जिन्होंने बिना समर्थक ऋणाधार के और निर्धारित मानदण्डों का उल्लंघन करके ये ऋण स्वीकृत/प्रस्तावित किए?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (घ) ऋणकर्ताओं को ऋण/ऋण सीमाएं मंजूर करने के लिए बैंकों की अपने ऋण नीति मानदंड एवं निर्धारित प्रक्रियाएं हैं। प्रत्येक बैंक की नीति इसके निर्देश बोर्ड द्वारा अनुमोदित होती है। मंजूर करने वाले प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना होता है कि बैंक निधियों की सुरक्षा संपार्श्विक प्रतिभूति स्वीकृत करके की जाए या अन्यथा की जाए और यदि अग्रिम राशियां अनुपयोज्य आस्तियों (एन पी ए) मे परिवर्तित हो जाती हैं तो कर्मचारियों की जिम्मेदारी के पहलू पर भी गौर करना अपेक्षित होता है। ऋण की वसूली/अनुपयोज्य आस्तियों में कमी के लिए बैंकों की अपनी आंतरिक प्रक्रियाएं एवं तंत्र भी हैं। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक स्थलेतर निगरानी प्रणाली एवं वित्तीय निरीक्षणों के जरिए अनुपयोज्य आस्तियों के स्तरों पर लगातार निगरानी रखता है। बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अनुपयोज्य आस्तियों को बट्टे खाते डालते समय सामान्यतः कर्मचारियों की जिम्मेदारी की जांच करें। जहां कहीं कर्मचारियों की जिम्मेदारी ठहराई जाती है वहां पर आचरण नियमों के तहत बैंक उपयुक्त कार्रवाई करता है।

कागज का आयात

1029. श्री अनन्त कुमार हेगड़े : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान अखबारी कागज तथा अन्य कागज संबंधी सामग्रियों के आयात ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार ने कागज उद्योग के कच्चे माल के

उपयोग के संबंध में पर्यावरण पर पड़ने वाले भार को कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) प्लास्टिक बैगों के बदले में कागज के पुनः प्रयोग किए जाने वाले बैगों को विकसित करने की दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान अखबारी कागज तथा अन्य कागज संबंधी सामग्रियों के आयात के ब्यौरे निम्नानुसार है:–

मात्रा मी. टन में
मूल्य लाख रु. में

	मात्रा	मूल्य
1996-97		
अखबारी कागज	494038	189611.43
गत्ता तथा निर्मित वस्तुएं	106553	67420.76
1997-98		
अखबारी कागज	497611	99961.32
गत्ता तथा निर्मितियां	304888	84461.24
1998-99 (अगस्त, 1998 तक)		
अखबारी कागज	181986	43303.15
गत्ता तथा निर्मित वस्तुएं	90762	38850.94

(स्रोत : डीजीसीआईएंडएस, कलकत्ता)
(आंकड़े अनंतिम हैं)

(ख) सरकार राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के पैराग्राफ 4.9 के उपबंधों के अनुसार आवश्यक उपाय कर रही है जिसमें उद्योग तथा उपयोक्ताओं के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने के लिए कच्चा माल प्राप्त करने हेतु हमारे वन पर आधारित उद्योगों पर बल दिया गया है। उक्त उपबंधों में वन पर आधारित उद्योगों की स्थापना तथा उसको कच्चे माल की आपूर्ति के लिए सरकार की नीति को शासित करने वाली मुख्य बातों का उल्लेख किया है।

(ग) पर्यावरण के स्तर को सुरक्षित करने तथा उसमें सुधार करने के प्रयोजन से भारत सरकार, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने 20.11.1998 को एक अधिसूचना जारी की है जिसमें रीसाईकल्ड प्लास्टिक उपयोग नियम, 1998 तैयार किए हैं। उक्त नियमों में अन्य बातों के साथ–साथ रीसाईकल्ड प्लास्टिक से बनी थैलियों के प्रयोग पर रोक लगाने की व्यवस्था की है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में सिक्कों की कमी

1030. श्री दादाबाबूराव परांजपे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय रिजर्व बैंक भोपाल के काउंटर पर कम मूल्य वर्ग के, अर्थात एक, दो और पांच रुपए के सिक्कों को उपलब्ध कराए जाने के बावजूद मध्य प्रदेश में कम मूल्य वर्ग के सिक्कों की भारी कमी है; और जिसके कारण फटे पुराने नोट परिचालन में हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में सिक्कों की कमी है और उसने सिक्कों का उत्पादन एवं आपूर्ति बढ़ाने के लिए पहले ही कदम उठाए हैं। कलकत्ता/हैदराबाद/मुम्बई स्थित टकसालों की क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें आधुनिक बनाया जा रहा है। सरकार ने अल्पावधि उपाय के तौर पर पिछले वर्ष एक रुपए के 700 मिलियन सिक्कों और 2 रुपये के 300 मिलियन सिक्कों का आयात किया था। चालू वर्ष के दौरान भी इतनी ही मात्रा में सिक्कों का आयात किया जा रहा है और आपूर्ति की स्थिति में आगे और सुधार होगा। 1, 2 और 5 रुपए के मूल्य–वर्ग के नोटों के स्थान पर सिक्के चला दिए गए हैं। पुराने नोटों को यथासमय सिक्कों से बदल लिया जाएगा।

बैंकों द्वारा ऋणों को बट्टे खाते में डालना

1031. श्री रामपाल उपाध्याय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अशोध्य ऋणों के रूप में कितनी धनराशि बट्टे खाते में डाल दी गई तथा प्रत्येक बैंक द्वारा बट्टे खाते में डाली गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इन बैंकों ने चूककर्ताओं को पुनः ऋण दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व, तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम॰ आर॰ जनार्दनन) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा भेजे गए अनुसार वर्ष 1995–96 और 1996–97 (अद्यतन उपलब्ध) के दौरान, राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बट्टे खाते डाली गई अशोध्य ऋण की राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को सचेत करने और अन्य उधारदाता संस्थाओं को चूककर्ताओं से बचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के कुल 1 करोड़ रुपए और उससे अधिक की बकाया राशि वाले उधारकर्ताओं के बारे में विवरण एकत्रित करने के लिए एक योजना प्रारंभ की है। इन्हें "संदिग्ध" अथवा "घाटे वाले" के रूप में वर्गीकृत किया गया है अथवा प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च और 30 सितम्बर को उनके विरुद्ध मुकदमें दायर किए गए हैं। उन उधारकर्ताओं की सूची (कुल 1 करोड़ रुपए और उससे अधिक की बकाया वाले) जिनके विरुद्ध प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च को मुकदमें दायर किए जाते हैं, को प्रकाशित किया जाता है। ऐसे मुकदमा दायर किए गए खाते की सूचना साथ ही 1 करोड़ रुपए के अन्य संदिग्ध और हानि संपत्तियों के संबंध में गोपनीय सूचना फलापी के रूप में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को प्रचारित की जाती है।

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से कहा जाता है कि चूककर्ता उधारकर्ता इकाइयों, उनके मालिकों/भागीदारों/निदेशकों आदि नए अथवा अतिरिक्त सीमाओं के लिए प्राप्त अनुरोधों पर गुणदोषों के आधार पर विचार करते समय उपरोक्त विवरण का उपयोग करें। बैंक, कभी–कभी पुनरुज्जीवन/पुनर्वास के लिए चूककर्ता इकाइयों आदि का गुण–दोषों के आधार पर ऋण/अतिरिक्त सुविधा मंजूर करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने उन्हे ऐसा कोई मार्गनिर्देश जारी नहीं किया है जिसमें उन्हें चूककर्ताओं को नई/अतिरिक्त सीमा मंजूर करने से रोका गया हो और बैंक और वित्तीय संस्थाएं, वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर अपना स्वयं का ऋण निर्णय करने के लिए स्वतंत्र है।

विवरण

पिछले दो वर्ष के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण

(राशि करोड़ में)

क्र॰ सं॰	बैंक का नाम	1995–96	1996–97
1	2	3	4
1.	इलाहाबाद बैंक	6.71	21.39
2.	आन्ध्रा बैंक	1.95	37.42
3.	बैंक आफ बड़ौदा	46.42	70.17
4.	बैंक आफ इंडिया	307.08	217.15
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	56.52	47.30
6.	केनरा बैंक	169.49	18.20
7.	सेम्ट्रल बैंक आफ इंडिया	138.44	156.83
8.	कार्पोरेशन बैंक	19.13	0.94
9.	देना बैंक	51.92	58.76
10.	इंडियन बैंक	115.94	10.28
11.	इं॰ ओवरसीज बैंक	75.01	375.73
12.	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	0.82	46.22
13.	पंजाब नेशनल बैंक	53.14	150.34
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	2.86	9.93
15.	सिंडिकेट बैंक	8.03	58.79
16.	यूनियन बैंक	38.81	30.57
17.	यूको बैंक	110.98	220.57
18.	युनाइटेड बैंक	36.51	65.48
19.	विजया बैंक	13.26	12.72
	कुल	1253.02	1608.79

एस्सार समूह की कंपनियों को सहायता

1032. श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह सूचना कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य

मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

एस्सार ग्रुप आफ कंपनीज को दिए गए ऋणों का विवरण

सरकारी वित्तीय संस्थाओं ने एस्सार ग्रुप आफ कम्पनीज को ऋण प्रदान किए हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिनांक 30.8.98 की स्थिति के अनुसार एस्सार ग्रुप आफ कंपनीज को स्वीकृत और संवितरित किए गए संस्थावार ऋण निम्नानुसार है:–

(राशि करोड़ रुपये में)

संस्था	स्वीकृत राशि	संवितरित राशि
आईडीबीआई	2141.99	1558.54
आईएफसीआई लि.	748.32	690.93
आईसीआईसीआई लि.	3370.39	2257.44
आईआईबीआई लि.	42.00	7.00
एक्जिम बैंक	208.15	183.86
यूटीआई	764.02	729.20
एलआईसी	264.80	235.70
जीआईसी	147.02	144.92

सरकारी वित्तीय संस्था (गोपनीयता एवं विश्वस्तता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के संदर्भ में कंपनियों के नाम घोषित करने की अनुमति नहीं है।

आईडीबीआई ने आगे सूचित किया है कि अस्थाई चलनिधि समस्याओं के कारण एस्सार ग्रुप की कुछ कंपनियों से प्राप्य राशियां प्राप्त करने में देरी हुई। अतिदेय राशियों की प्राप्ति के लिए संस्थाएं नियमित रूप से कंपनियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करती हैं।

भारत पर आर्थिक प्रतिबंध

1033. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने पोखरण परीक्षणों के पश्चात भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं तथा सरकार इनसे किस प्रकार निपट रही है;

(ख) अब तक प्रतिबंधों का क्या प्रभाव रहा है तथा सरकार द्वारा इनसे किस प्रकार निपटने का विचार है;

(ग) क्या विश्व के प्रमुख ऋणदाता देशों ने इन प्रतिबंधों को निरर्थक पाया है और उनको हटाए जाने के पक्ष में है;

(घ) यदि हां, तो व्यापार एवं वाणिज्य पर इन प्रतिबंधों का कोई प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (ङ) संयुक्त राज्य ने अपने परमाणु प्रसार निवारण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत कुछ प्रतिबंधात्मक आर्थिक उपायों को लागू किया है। कनाडा, जापान, जर्मनी, नार्वे, स्वीडन, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्वीडन और स्विटजरलैंड द्वारा घोषित किए गए उपाय मुख्य रूप से विकास संबंधी सहायता से या रियायती ऋण से सम्बन्धित हैं। किन्तु अधिकांश देशों ने उन ऋणों और वित्तीय सहायता से छूट प्रदान की है जो कि मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हैं। सरकार अवपीडक आर्थिक उपायों द्वारा उत्पन्न हुई चुनौतियों के प्रति पूर्णतया सजग है और देश के आर्थिक और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।

सरकार भारत के विरुद्ध घोषित आर्थिक उपायों की गहन मानिटरिंग करती आ रही है और व्यापार तथा वाणिज्य पर प्रभाव सहित उनके संभावित प्रभाव का लगातार आकलन कर रही है। यद्यपि आर्थिक उपायों के प्रभाव की ठीक–ठीक मात्रा का पता लगा पाना कठिन है, तथापि अभी तक इनका प्रभाव न्यूनतम रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मूलभूत ढांचा इतना मजबूत है कि वह आर्थिक प्रतिबंधों से पड़ने वाले किसी भी दबाव का मुकाबला कर सकता है।

भारत ने लगातार अपना यह पक्ष रखा है कि एकपक्षीय अवपीड़क उपाय अन्यायपूर्ण, अनुत्पादव हैं तथा व्यापार, प्रौद्योगिकी एवं पूंजी के मुक्त प्रवाह में इनसे रुकावट आती है और आपसी लाभ वाले आर्थिक संपर्क पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। प्रमुख देशों ने खुद ही द्विपक्षीय प्रतिबंध नहीं लगाए हैं और खुद संयुक्त राज्य के अंदर ही एकपक्षीय उपायों की क्षमता के बारे में काफी पुनर्विचार होता जा रहा है। ऐसा भारत के विरुद्ध लगे

अधिकांश प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए अमरीकी कांग्रेस द्वारा अमरीकी राष्ट्रपति को हाल ही में दिए गए प्राधिकार से प्रदर्शित होता है और इस प्राधिकार का प्रयोग करने में हुए अमरीकी प्रशासन ने हाल ही में कुछ वित्तीय प्रतिबंधों को आंशिक रूप से हटाने का निर्णय लिया है।

[अनुवाद]

एम. एम. टी. सी. द्वारा उंड़ीसा में इस्पात संपत्र की स्थापना किया जाना

1034. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम. एम. टी. सी. लिमिटेड ने उड़ीसा राज्य के सुखिण्डा क्षेत्र में इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चुरल प्रोडक्सन एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड उड़ीसा सरकार के साथ कोई करार किया है;

(ख) यदि हां, तो किए गए/हस्ताक्षरित करार का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कार्य-स्थल पर चल रहे कार्य की प्रगति नियम कार्यक्रम के अनुसार संतोषजनक है; और

(घ) यदि हां, तो अब तक की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, हां।

(ख) आई. पी. आई. सी. ओ. एल. और एमएमटीसी के बीच उक्त करार पर दिसम्बर, 97 में हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें एमएमटीसी और आईपीआईसीओएल की इक्विटी का योगदान 151.0 करोड़ रुपये की परियोजना लागत में क्रमशः 100 करोड़ रुपये और 73 करोड़ रुपये है।

(ग) और (घ) स्थल पर कार्य की प्रगति इस समय निर्धारित समय से लगभग चार माह पीछे चल रही है। कार्यान्वयन को समय पर पूरा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। स्थल पर, संरचना और निर्माण-कार्य के संबंध में की गई प्रगति का संक्षिप्त विवरण संलग्न है।

विवरण

स्थल कार्यकलाप (संरचना/स्थापना/निर्माण-कार्य)

क्र.सं.	मुख्य संयंत्र इकाइया	कार्याकलाप	इकाई	अक्तूबर, 98 तक संचयन	नव. 98 की योजना
1	2	3	4	5	6
क.	**प्रौद्योगिकीय इकाइयां**				
I.	*ब्लास्ट फर्नेस*				
I.	ब्लास्ट फर्नेस	रिकर्ब	एमटी	774	345
ख.	**सेवा सुविधाएं**				
I.	*सिविल निर्माण*				
	1. सिन्टर प्लांट	आरसीसी	एम³	1533	1200
	2. ब्लास्ट फर्नेस	आरसीसी	एम³	19561	3200
	3. आरएमएचएस	आरसीसी	एम³	4961	2500
	4. सामान्य सुविधाएं	आरसीसी	एम³	40	
	5. अवस्थापना	आरसीसी	एम³	345	
	जल आपूर्ति				

1	2	3	4	5	6
II.	*संरचनात्मक कार्य*	संरचना	एमटी	1668	814
	1. ब्लास्ट फर्नेस	रिबर्ब	एमटी	3418	250
		स्थापना	एमटी	2509	734
	2. सामान्य सुविधाएं	संरचना	एमटी	345	203
		स्थापना	एमटी	271	131

रिबर्ब :– रिबर्बिशिंग

आरसीसी :– प्रबलित सीमेंट कंक्रीट

कम्पनियों द्वारा शेयर वापस खरीदना

1035. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) सरकार की पूर्व अनुमति लिए बिना शेयर और स्टाक वापस खरीदने के तरीके को मंजूर कर रहा है;

(ख) क्या ऐसे विनियमन भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड और कंपनी मामले विभाग के बीच अधिकारिकता के मामले में निर्णायक होंगे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) 31 अक्तूबर, 1998 के कंपनी संशोधन अध्यादेश द्वारा कंपनियों को शेयरों की वापस खरीद की अनुमति दी गई है। अध्यादेश में यह व्यवस्था भी की गई है कि इस संबंध में आवश्यक विनियम सेबी द्वारा तैयार किए जाएंगे।

(ख) और (ग) सेबी (प्रतिभूतियों की वापस खरीद) विनियम, 1998 किसी स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी के इक्विटी शेयरों की वापस खरीद पर लागू होंगे।

[हिन्दी]

''इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिटिवल बेलेंस स्कीम''

1036. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार की सहायता से क्रियान्वित की जा रही ''इंफ्रास्टक्चर क्रिटिवल बेलेंस स्कीम'' के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लगभग एक दर्जन औद्योगिक क्षेत्रों को चुना गया है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) जिन क्षेत्रों में इस योजना को क्रियान्वित किया गया है, वहां उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या सरकार का विचार सभी राज्यों में इस योजना को क्रियान्वित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी उद्योगवार, राज्यवार ब्यौरा क्या है, और इसे कब तक क्रियान्वित करने का विचार है और इसे किस तरह क्रियान्वित किया जाएगा?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में क्रिटिक्ल इंफ्रास्ट्रक्चर बैलेंस स्कीम (सी.आई.बी.एस.) के अंतर्गत 5 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है जो कि निम्नानुसार हैं:–

(करोड़ रुपए में)

परियोजना का नाम	कुल परियोजना लागत	सीआईबीएस द्वारा स्वीकृत राशि	अभी तक जारी
1	2	3	4
1. पावर सिस्टम सुधार योजना, मुरादाबाद	21.00	8.00	6.50
2. बाबालपुर हवाई अड्डे और भदोही को जोड़ने वाली सड़क	6.29	3.15	1.57
3. जजमऊ, में अवस्थापना विकास	5.42	1.75	1.25

1	2	3	4
4. पावर सिस्टम सुधार योजना, अलीगढ़	7.00	3.50	2.00
5. पावर सुधार संघटक, भदोही	2.99	2.99	—

(ग) सीआईबीएस का मूल उद्देश्य बाधाओं, विशेषकर निर्यात की अवस्थापना बाधाओं को दूर करना है।

(घ) और (ङ) सीआईबीएस के दिशानिर्देशों के अनुसार इस योजना में लागू किए जाने के लिए सभी राज्य और संघशासित क्षेत्र शामिल किए जाते हैं। राज्य सरकारों या उनकी एजेंसियों तथा/या केन्द्र सरकार के मंत्रालयों और उसको एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर इस योजना के अंतर्गत स्वीकृति के लिए परियोजनाओं/कार्यों का चयन किया जाता है। इस योजना के प्रमुख उददेश्य निम्नानुसार दिए गए हैं:–

1. इस योजना में बाधाओं को ज्यादा तेज तथा रणनीति से दूर करने के लिए अपेक्षित निवेश और निर्यात को सामान्य रूप से सुविधाजनक बनाना शामिल है। पूंजी निवेश का संबंध निर्यात संवर्धन से अवश्य होना चाहिए।

2. इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकार की एजेंसियों को निधियां दी जा सकती हैं। यह निधि व्यक्तिगत उत्पाद्द यूनिटों के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

3. प्रस्तावित निवेश को संबंधित विभाग/एजेंसी की वार्षिक योजना में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

4. प्रस्तावित निवेश में उन्नयन की जाने वाले/दी जाने वाली या सुदृढ़ की जाने वाली अवस्थापनात्मक सुविधा के प्रकार को स्पष्ट रूप से इंगित किया जाना चाहिए। यह व्यवहार्य होना चाहिए और निश्चित समय-अवधि में पूरा किया जाना चाहिए।

5. संतुलनकारी निवेश या योजना के अंतर्गत स्वीकृत निधियों को सामान्यतः अपने आप में कुल परियोजना के स्वरूप का नहीं होना चाहिए लेकिन चालू या प्रस्तावित सुविधा का योग जमा होना चाहिए।

6. इन प्रस्तावों पर वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता वाली एक अधिकार-प्राप्त समिति द्वारा विचार किया जाता है। जिसमें योजना आयोग, वाणिज्य मंत्रालय, जल भूतल परिवहन मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के सदस्य होते हैं। उपयुक्त मामलों में अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों को भी सहयोजित/निमंत्रित किया जा सकता है।

7. स्वीकृत प्रस्तावों में से प्रत्येक को लागू करने और उस पर निगरानी रखने के लिए संबंधित राज्य सरकार या संघशासित सरकार/एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा एक समिति का विधिवत गठन किया जाना है। इस समिति में सामान्य रूप से वाणिज्य मंत्रालय के प्रतिनिधि को शामिल किया जाता है।

[अनुवाद]

नागालैंड का विकास

1037. श्री के. ए. सांगतम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार और नागा लोगों के बीच 16 सूत्रीय समझौते के 11वें प्वाइंट के अंतर्गत नागालैंड राज्य के विकास के संबंध में सभी विकास प्रभार भारत की संचित निधि में से केन्द्र सरकार को वहन करने हैं;

(ख) यदि हां, तो मूल प्रतिबद्धता के पीछे हटने के क्या कारण हैं;

(ग) 18 सूत्रीय समझौते के विपरीत नागालैंड की योजना मांगों को अनेक वित्त आयोगों को भेजे जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस अति पिछड़े राज्य के विकास के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) नागालैंड राज्य की योजना मांगों को वित्त आयोग को नहीं भेजा गया है।

(घ) योजना आयोग द्वारा नागालैंड राज्य की वार्षिक

योजनाओं और पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करते समय नागालैंड राज्य का विकास आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है।

[हिन्दी]

हरियाणा में बैंकों द्वारा अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्गों को ऋण

1038. श्री अमन कुमार नागरा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंक हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर अम्बाला क्षेत्र में रहने वाले पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जनजाति के गरीब लोगों, जिनके मिट्टी के घर ढह गए हैं, को ऋण नहीं दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान हरियाणा में बैंकों द्वारा कितने व्यक्तियों को ऋण दिया गया और उन्हें ऋण के रूप में कितनी राशि दी गई?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) सरकार द्वारा प्रायोजित तथा केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा शासित गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सृजन करने वाली विभिन्न योजनाओं, जैसे समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी), प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) मैला ढोने वालों के पुनर्वास एवं उदारीकरण योजना (एसएलआरएस), स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) तथा विभेदी ब्याज दर योजना (डीआरआई), के अंतर्गत बैंक ऋण प्रदान करते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान, हरियाणा में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बैंकों के बकाया ऋण के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:–

आईआरडीपी

वर्ष	कुल परिवारों को दी गई सहायता	जिनमें से अ.जा. परिवारों को	कवरेज का प्रतिशत
1995–96	29771	14560	48.91
1996–97	17202	8424	48.97
1997–98	10853	5243	48.31

एसएलआरएस

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	संवितरित राशि (लाख रुपए)	इनमें से अ.जा./अ.ज.जा. (को लाख रुपए)
1995–96	1300	121.28	114.96
1996–97	986	108.21	63.02
1997–98	758	74.98	10.19

पीएमआईयूपीइपी (प्रधान मंत्री की समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम)

वर्ष	योजना	लाभार्थियों की संख्या	संवितरित राशि	इनमें से अ.जा./ अ.ज.जा. को
1996–97	एसईएस/एसयूएस*	194	52.94	4.55
1996–97	एसईएस	211	55.38	11.50
	एसयूएस	169	55.73	1.78

*अलग अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

एसईएस : स्व–रोजगार योजना।

एसयूएस : आश्रय उन्नयन योजना

पीएमआरवाई

वर्ष	संवितरित कुल ऋण		इनमें से अ.जा./अ.ज.जा. को	
	संख्या	राशि (लाख रुपए)	संख्या	राशि (लाख रुपए)
1995–96	7199	3649.16	561	299.37
1996–97	6370	3348.74	491	240.36
1997–98	905	474.44	66	31.92

डीआरआई

वर्ष	संवितरित ऋण की कुल राशि		उसमें से अ.जा./अ.ज.जा. को	
	खाते (वास्तविक)	राशि (लाख रु.)	खाते (वास्तविक)	राशि (लाख रु.)
1994	3600	146.94	1104	53.58
1995	2198	79.57	544	24.25
1996	2158	76.82	उपलब्ध नहीं	
(अद्यतन उपलब्ध)				

चीनी उद्योग का लाइसेंस समाप्त करना

1039. श्री एस. एस. ओवसी :

श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अंतर्गत लाइसेंस लेने वाले उद्योगों की सूची में से चीनी उद्योग को निकाल दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्मुक्त लाइसेंस योजना के अंतर्गत उद्योग के लिए कोई प्रोत्साहन अधिसूचित नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं और सरकार चीनी उद्योग के लिए प्रोत्साहनों को कब तक अधिसूचित करेगी?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) और (ख) जी, हां। चीनी उद्योग को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के अंतर्गत इस शर्त के तहत अपेक्षित अनिवार्य लाइसेंस हेतु उद्योगों की सूची से हटा दिया गया है कि गन्ना नियंत्रण आदेश, 1966 के अंतर्गत शक्तियों के प्रयोग द्वारा विद्यमान चीनी मिल तथा नये चीनी मिल के बीच न्यूनतम 15 कि.मी. की दूरी को ध्यान में रखा जाना जारी रहेगा।

(ग) और (घ) लाइसेंस मुक्त क्षेत्र के अंतर्गत चीनी मिलों की स्थापना करने के लिए सरकार ने कोई प्रोत्साहन योजना नही बनायी है।

[अनुवाद]

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

1040. श्रीमती रानी नरह :

श्री तारिक अनवर :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास निरंतर हानि में चल रहे केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को शीघ्रता से बन्द किए जाने

हेतु कर्मचारियों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु और अधिक मुआवजा पेशकश करने वाला कोई सुझाव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल): (क) और (ख) सरकार ने भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन 10 सरकारी उद्यमों, जिन्हें अर्थअक्षम माना गया है, के मामले में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति संबंधी एक पैकेज का अनुमोदन कर दिया है। इस पैकेज की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:–

(i) उपदान, भविष्य निधि आदि जैसे अन्त्य लाभों के अतिरिक्त कर्मचारी सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए डेढ़ माह की की परिलब्धियों (वेतन+मंहगाई भत्ता) के तुल्य अथवा सेवानिवृत्ति के समय की मासिक परिलब्धियों और सेवा निवृत्ति की सामान्य तारीख तक सेवा के शेष माह के गुणनफल के तुल्य अनुग्रह राशि, इनमें से जो भी कम हो, का भुगतान प्राप्त करने का हकदार होंगे।

(ii) ऐसे सभी कर्मचारी जिन्होंने कम से कम 30 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, अधिकतम 60 माह के वेतन/की मंजूरी के तुल्य धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त करने के पात्र होंगे। यह इस शर्त के अध्याधीन होगा कि देय राशि सेवा की शेष अवधि के वेतन/की मजूरी से अधिक नहीं हो (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय मासिक वेतन/मजूरी की दर पर)।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सेवा नियमों में संशोधन

1041. श्री तारिक अनवर : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने हेतु सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सेवा नियमों में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल): (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संस्था के अन्तर्नियमों के अनुसार आचरण, अनुशासन तथा अपील नियमावली सहित सेवा नियमों से संबंधित मामले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधन के अधिकार क्षेत्र में आते है। तथापि, प्रशासनिक सुधार तथा जन शिकायत विभाग ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सतर्कता तंत्र का अध्ययन किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए आचरण, अनुशासन तथा अपील नियमावली में संशोधन करने का प्रावधान है, ताकि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सके। इस संबंध में विवरण तैयार किया जा रहा है।

बकाया आय-कर

1042. श्री मोहन रावले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 1998 तक व्यक्तियों और कम्पनियों पर कुल कितना बकाया आयकर था;

(ख) उन व्यक्तियों और कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन पर आज तक 50 लाख रुपए से अधिक आयकर बकाया है, और उनसे प्रत्येक के पास कितनी धन–राशि बकाया है;

(ग) इतनी बड़ी धनराशि के बकाया होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस बकाया राशि की वसूली करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं और इसके क्या परिणाम निकले?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार व्यष्टियों, हिन्दू अविभाजित परिवारों फर्मों तथा अन्य गैर निगमित कर निर्धारितियों की तरफ कुल 21,168 करोड़ रुपये की आयकर की राशि बकाया है और कम्पनियों की तरफ 20,062 करोड़ रुपये बकाया है।

(ख) चूंकि उन व्यष्टियों तथा कम्पनियों जिनकी तरफ 50 लाख रु. की आयकर राशि बकाया है, के नामों की सूची काफी बड़ी है और इसकी तैयारी में लगने वाला समय एवं प्रयास वांछित उद्देश्यों के अनुरूप नहीं होंगे।

(ग) बकाया राशियों के संचयन के कारणों में मुख्यतया निम्नलिखित शामिल है:–

(i) कर–मांगें अपील में विवादाग्रस्त हैं।

(ii) मांगे न्यायालय, न्यायधिकरणों तथा विभागीय प्राधिकरणों के आदेशों के अंतर्गत स्थगित है।

(घ) कर की वसूली एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें सांविधिक प्रक्रियाओं को शामिल करना होता है। इनमें ब्याज प्रभारित करना, अर्थ–दण्ड लगाना, बैंक खातों की कुर्की, चल एवं अचल परिसम्पत्तियों आदि की कुर्की एवं बिक्री शामिल करना है। उच्च मांगों वाले मामलों की आवधिक रूप से संवीक्षा एवं मानिटरिंग उच्च प्राधिकारियों द्वारा सतत आधार पर की जाती है तथा कर की वसूली को प्रभावी बनाने हेतु समय–समय पर आवश्यक अनुदेश जारी किये जाते हैं।

[हिन्दी]

शिलिका सैंड पर आधारित लघु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना

1043. श्री चंद्रमणि त्रिपाठी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के रीवा जिले के दभोरा क्षेत्र में सिलिका रेत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त अयस्क के औद्योगिक दोहन के लिये सरकार की क्या योजना है;

(ग) क्या सरकार का विचार उपर्युक्त क्षेत्र में सिलिका रेत आधारित लघु उद्योग अथवा कोई अन्य उद्योग स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में दभोर, उचिराया, माझीहार तथा पोकरग्राम क्षेत्र में सिलिका रेत की मात्रा उपलब्ध है।

(ख) से (घ) सिलिकेटो जैसे सिलिका आधारित उद्योग की स्थापना हेतु इच्छुक उद्यमियों को लघु उद्योगों की स्थापना करने हेतु उपलब्ध आधारभूत सुविधाएं तथा प्रोत्साहन भी प्रदान किये गये हैं। तथापि, सरकार द्वारा सिलिका रेत पर आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए कोई विशिष्ट योजना नहीं बनाई गई है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में पर्यटन सर्किट

1044. श्री प्रभात कुमार सामन्तराय : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रपाड़ा में ललितागिरि, रत्नागिरी, उदयगिरि, केन्द्रपाड़ा, हुकीटोला, भिटारकानिका, चांदवाली, भद्रक और जाजपुर (उड़ीसा में) क्षेत्रों में अनुमानतः 348 करोड़ रुपये की लागत वाले एक नए पर्यटन सर्किट के सृजन के लिए जापान सरकार को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) और (ख) जी, हां। आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा उड़ीसा के पारिस्थितिकी पर्यटन और सांस्कृतिक आदान–प्रदान हेतु आधारिक संरचना के विकास के लिए (ओ.ई.सी.एफ.) विदेशी आर्थिक सहयोग कोष 1998–99 ऋण पैकेज के अंतर्गत सहायता हेतु एक परियोजना प्रस्ताव रखा गया था। इस परियोजना में लगभग 348 करोड़ रुपए का कुल निवेश हुआ था। परियोजना में, पर्यटक सुविधाओं के सुधार और धौली, नंदनकानन परिसर, उदयगिरि, ललितगिरि, रत्नागिरि, पथराजपुर, लांगुडी, केन्द्रपाड़ा, हुकीटोला, गुप्ती, भीतरकनिका, चांदबली और अरादी जैसे विभिन्न स्थलों के आकर्षणों के सुधार के लिए विशिष्ट योजनाएं थीं।

जापान से तथ्यों की जांच करने वाला एक मिशन परियोजना पर विचार–विमर्श करने के लिए दिनांक 10 फरवरी, 1998 को भारत आया था। बाद में, आर्थिक कार्य विभाग ने अप्रैल, 1998 में पर्यटन मंत्रालय को सूचित किया कि जापान सरकार ने उड़ीसा परियोजना को "वित्त पोषण के अयोग्य" के रूप में घोषित किया है।

कर और सकल घरेलू उत्पाद अनुपात

1045. श्री पी. आरद किंडिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक न्यूनतम विकसित देशों में उच्च कर और "सकल घरेलू उत्पाद अनुपात" की तुलना में भारत में कर और सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में कमी आई है;

(ख) क्या भारतीय उद्योग के कर भुगतान का रिकार्ड चालू बजट में घोषित प्रोत्साहनों और रियायतों के अनुरूप नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि उद्योग सरकार द्वारा दिखाई गई सद्भावना के अनुरूप कर का भुगतान करें?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) 1980 और 1996 में भारत में और चुनिन्दा कम आय वाले देशों में सकल घरेलू उत्पाद से चालू कर राजस्व के अनुपात नीचे दिए गए हैं:–

कर/सकल घरेलू उत्पाद अनुपात (प्रतिशत)

	देश	1980	1996
	1	2	3
1.	बुरूंडी	13.2	11.2
2.	कैमरून	15.0	9.4

1	2	3
3. भारत	9.8	10.3
4. केन्या	19.1	20.2
5. मेडागास्कर	12.9	8.4
6. नेपाल	6.6	8.8
7. पाकिस्तान	13.3	15.3
8. श्रीलंका	19.1	16.9
9. जाम्बिया	23.1	16.7

(ख) और (ग) कर भुगतान न केवल विभिन्न क्षेत्रों को दिए गए प्रोत्साहनों और रियायतों के द्वारा प्रभावित होता है बल्कि बहुत से तथ्यों जैसे कर ढांचा, कर आधार और नियमों तथा कार्यप्रणालियों द्वारा भी प्रभावित होता है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने दरों को संतुलित करने, छूटों की संख्या में कमी करने, प्रक्रियागत नियमों और विनियमों का सरलीकरण करने, बेहतर भुगतान प्राप्त करने तथा कर आधार का विस्तार करने के उद्देश्य से संशोधित तरीके से जटिल और अपारदर्शी कर ढांचे का सरलीकरण किया है और उसे युक्तियुक्त बनाया हैं 1998-99 के बजट में सरलीकरण, कम दरों और अधिक उत्पलावकता पर जोर देना जारी रहा है।

राज्य सरकारों को राजसहायता

1046. श्री के. कृष्ण मूर्ति : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य उत्पादों की खरीद के लिए हाल ही में राज्य सरकारों को राज-सहायता देने के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तमिलनाडु सरकार को अब तक कितनी राजसहायता दी गई है;

(घ) क्या इस संबंध में कृषि मंत्रालय तथा खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय द्वारा कोई खास सुझाव दिए गए थे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस संबंध में तमिलनाडु सरकार को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई है।

(घ) और (ङ) पश्चिम बंगाल सरकार 1997-98 के खरीफ विपणन सीजन से विकेन्द्रीकृत स्कीम के तहत चावल की अधिप्राप्ति कर रही है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार से खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग को प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। भारत सरकार की जिम्मेवारी भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और केन्द्रीय निर्गम मूल्य के बीच अंतराल की प्रतिपूर्ति तक सीमित है।

[हिन्दी]

विदेश स्थित पर्यटन विभाग के कार्यालय

1047. श्री प्रदीप कुमार यादव : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटन विभाग के अन्य देशों में चल रहे कार्यालयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन कार्यालयों द्वारा क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं;

(ग) क्या इनका कार्य-निष्पादन संतोषजनक रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने अन्य देशों में इस तरह के और कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ये कार्यालय किन-किन देशों में कहां-कहां खोले जाएंगे?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) विदेशों में स्थित कार्यालयों का कार्य-निष्पादन संतोषजनक है। वर्ष 1996 के मुकाबले 1997 में पर्यटक आगमन में 3.8% की वृद्धि हुई और वर्ष 1997 की तुलना में वर्ष 1998 में 1% की वृद्धि हुई। विदेशी मुद्रा आय में वर्ष 1996 के मुकाबले वर्ष 1997 में 13.9% की वृद्धि हुई और वर्ष 1997 के मुकाबले 1998 में 8.1% की वृद्धि हुई।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं.	कार्यालय की अवस्थिति	देश
1.	न्यूयार्क	यूएसए
2.	लॉस एंजेलस	यूएसए
3.	टोरांटो	कनाडा
4.	लंदन	यू.के.
5.	मैड्रिड	स्पेन
6.	पेरिस	फ्रांस
7.	फ्रैंकफर्ट	जर्मनी
8.	मास्को	रूस
9.	स्टॉकहोम	स्वीडन
10.	एम्स्टर्डम	नीदरलैण्ड
11.	मिलान	इटली
12.	दुबई	यूएई
13.	तेल अवीव	इज़राइल
14.	सिडनी	आस्ट्रेलिया
15.	टोकियो	जापान
16.	सिंगापुर	सिंगापुर
17.	जोहानिसबर्ग	दक्षिण अफ्रीका
18.	ब्यूनोस आयरस	अर्जेंटीना

सीमेंट की मांग और आपूर्ति

1048. श्री राजबीर सिंह : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमेंट की कितनी मांग और आपूर्ति है;

(ख) गत–तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितना सीमेंट निर्यात और आयात किया गया;

(ग) क्या सीमेंट का उत्पादन मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) वर्ष 1997–98 के लिए सीमेंट उद्योग पर कार्य बल द्वारा प्रायोजित 79 मिलियन टन की मांग के प्रति उद्योग ने 1997–98 के दौरान 83.16 मिलियन टन का उत्पादन लक्ष्य प्राप्त किया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किये गये तथा आयात किये गये सीमेंट तथा खंगर की मात्रा निम्नानुसार है:–

वर्ष	निर्यात (मिलियन टन में)	आयात टन में
1995–96	2.4	2521
1996–97	2.7	2944
1997–98	4.4	3855

(ग) जी, नहीं। सीमेंट का उत्पादन मौजूदा मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

समाचार पत्रों पर आय-कर

1049. श्री रूपचन्द मुर्मू :

श्री समर चौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष–वार और समाचारपत्र–वार राष्ट्रीय समाचारपत्रों से कितना आयकर वसूल किया गया?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : अद्यतन सूचना तुरंत उपलब्ध नहीं है। उक्त सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आंध्र प्रदेश में पर्यटन विकास

1050. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार पर्यटन के **विकास** हेतु तीन केन्द्रों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इन केन्द्रों के विकास की अनुमति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो इन तीनों केन्द्रों के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरूपति/हैदराबाद सहित राज्य भर में पर्यटन तथा तटीय पर्यटन के विकास हेतु वृहद् एवं लघु परियोजनाएं तैयार करने के लिए परामर्शदाता फर्मों की सेवाएं ली हैं।

(ग) और (घ) पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी प्रथमतः राज्य सरकार की है। केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकार से प्राप्त पर्यटक स्थलों के विकास संबंधी विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान कराता है। मंत्रालय ने वर्ष 1998–99 के दौरान आंध्र प्रदेश के 14 केन्द्रों को 367.08 लाख रु. के वित्तीय सहायता को प्राथमिकता दी है। ये केन्द्र हैं:–

क्रम सं.	परियोजना/योजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)
1	2	3
1.	डब्ल्यू. जी. जिले के एलुरू में मार्गस्थ सुविधाएं	19.44
2.	नालगोंडा जिले के डिंडी में मार्गस्थ सुविधाएं	19.44
3.	कुर्नूल जिले के श्रीसेलम में यात्रिका	54.00
4.	पुलीकट, नेल्लौर	34.00
5.	हैदराबाद के बुद्ध पूर्णिमा में पर्यटक सूचना केन्द्र	28.00
6.	कृष्णा जिले के कोंडापल्ली में स्मारक का सौंदर्यीकरण	20.00
7.	चित्तूर जिले के चंद्रगिरि किले के स्मारक का सौंदर्यकरण	30.00
8.	कृष्णा जिले के विजयवाड़ा में यात्री निवास	50.00
9.	चित्तूर जिले के पुत्तूर में मार्गरथ सुविधाएं	19.44
10.	महबूब नगर जिले के जदचेरला में मार्गस्थ सुविधाएं	19.44
11.	मेडाक जिले के संगारेडी में मार्गस्थ सुविधाएं	19.44
12.	निज़ामाबाद जिले के कामारेड्डी में मार्गस्थ सुविधाएं	19.44
13.	प्रकाशम जिले के ओंगोल में मार्गस्थ सुविधाएं	19.44
14.	हैदराबाद स्थित कुतुब शाही मकबरा में प्रकाश व्यवस्था .	15.00
	कुल	367.08

प्रत्येक परियोजना के संदर्भ में विस्तृत और पूर्ण प्रस्ताव के प्राप्त होने पर मंत्रानलय द्वारा धन निर्गत किया जाता है।

[हिन्दी]

बैंकों की सुरक्षा

1051. श्री मोतीलाल वोरा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 अगस्त, 1998 के "राष्ट्रीय सहारा" में "कनाट प्लेस में केनरा बैंक की शाखा का ताला खुला मिला" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस समाचार में दिए गए मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में कितने अधिकारियों को दोषी पाया गया है और उनके खिलाफ क्या कार्यवाई की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केनरा बैंक की दिल्ली स्थित ओवरसीज शाखा में चोरी की घटना 29 अगस्त, 1998 को सायं और 30 अगस्त, 1998 की सायं के बीच में हुई। बताया गया है कि मुख्य

दरवाजे का ताला काटकर व तोड़कर कुछ चोरों ने शाखा परिसर में प्रवेश किया और सात कंप्यूटरों में फेरबदल करने के बाद उनके हार्ड–डिस्क और मैमोरी–चिप्स को लेकर चम्पत हो गए। तथापि इन पीसी यूनिटों/डिस्कों में कोई आंकड़े नहीं थे। क्योंकि ये पीसी केवल टर्मिनल के रूप में प्रयोग में लाए जा रहे थे। कुछ फ्लापियां और मेजों के कुछ दराजों के तालों को भी नुकसान पहुंचाया गया था। कंप्यूटर अवयवों की चोरी की अनुमति हानि लगभग एक लाख रुपए है। बैंक की शिकायत पुलिस के पास 30 अगस्त, 1998 को करवाई गई। पुलिस ने आईपीसी की धारा 457/380 के अन्तर्गत मामला दर्ज किया है किन्तु अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है।

[अनुवाद]

बैंकों में जमा सोना

1052. श्री एस. एस. ओवेसी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने बैंकों को सोना जमा करने के लिए प्राधिकृत किया गया है और उनके नाम क्या हैं तथा वे कहां–कहां स्थित हैं;

(ख) क्या भारतीय स्टेट **बैंक** स्वर्ण खाते शुरू करने जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस योजना से विदेशी मुद्रा की कितनी बचत होगी;

(घ) राज्यवार किन–किन शाखाओं में स्वर्ण खाते खोले जा सकते हैं; और

(ङ) उससे जमाकर्ताओं को क्या मुख्य लाभ होंगे?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (घ) संभवतः यह संदर्भ उन बैंकों के लिए है जिन्हें स्वर्ण आयात करने की अनुमति है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 12 बैंक स्वर्ण आयात करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। नामोद्दिष्ट शाखाओं के नाम व पते संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) स्वर्ण जमा करने **की योजना की मुख्य विशेषताएं** निम्नलिखित हैं:–

(i) जमा ा। उसके द्वारा बैंक में जमा किए गए स्वर्ण पर आय प्राप्त करते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय दरों के अनुरूप होगी।

(ii) धारित स्वर्ण की मात्रा आसान चलनिधि की सहगामी सुविधा के साथ स्वर्ण की वित्तीय परिसंपत्तियों में परिवर्तित हो जाती है।

(iii) स्वर्ण धारित करने से उसके रखने तथा उसकी सुरक्षा की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं।

विवरण

उन बैंकों के नाम जो 31.10.98 तक स्वर्ण आयात करने के लिए अधिकृत किए गए हैं तथा उनकी नामोद्दिष्ट शाखाओं के पते

बैंक का नाम		शाखाओं की संख्या एवं पते
1		2
इलाहाबाद बैंक	–	मुम्बई (3), अहमदाबाद (1), नई दिल्ली (2), कलकत्ता (1) बंगलौर (1), चेन्नई (1)
बैंक आफ इंडिया	–	मुम्बई (4), अहमदाबाद (1)
बैंक आफ बड़ौदा	–	आयात अभी तक शुरू नहीं हुआ है।
ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	–	आयात अभी तक शुरू नहीं हुआ है।
केनरा बैंक	–	मुम्बई (1), नई दिल्ली (1), चेन्नई (1), कोचीन (1), अहमदाबाद (1), बंगलौर (1)
कारपोरेशन बैंक	–	नई दिल्ली (1), अहमदाबाद (1), मुम्बई (1), बंगलौर (1), मंगलौर (1), हैदराबाद (1), एरनाकुलम (1), कलकत्ता (1)
इंडियम ओवरसीज बैंक	–	चेन्नई (1), मुम्बई (5), कोयम्बटूर (1), नई दिल्ली (3), अहमदाबाद (1), बंगलौर (5) कलकत्ता (3), एरनाकुलम (1), हैदराबाद (1), जयपुर (1), मदुरै (1), पांडिचेरी (1), मथुरा (1), मेरठ (1), त्रिचुर (1), आगरा (1)

1		2
भारतीय स्टेट बैंक	–	अहमदाबाद (1), बंगलौर (2), चेन्नई (2), कलकत्ता (1), मुम्बई (2), नई दिल्ली (6), जयपुर (1), कोचीन (1), अहमदाबाद (1), हैदराबाद (1), तिरूपति(1), क्रिष्णाा (1), विशाखा–पत्तनम (1), सिकन्दराबाद (1), नागपुर (1), अमृतसर (1), चंडीगढ़ (1), जालंधर (1), आगरा (1) दिल्ली (3), मेरठ (1), पांडिचेरी (1), जयपुर (1), गुड़गांव (1), फरीदाबाद (1), बंगलौर (1)
पंजाब एंड सिंध बैंक	–	आयात अभी तक शुरू नहीं हुआ है।
एबीएन एमरो बैंक	–	मुम्बई (1), नई दिल्ली (1)
द बैंक आफ नोवा स्कोटिया	–	नई दिल्ली (1), मुम्बई (1), बंगलौर (1)
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	–	मुम्बई (1), नई दिल्ली (1)

[हिन्दी]

किसानों और बेरोजगार युवकों को ऋण माफ करना

1053. श्री राजो सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के किसानों और बेरोजगार युवकों को 10,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का दिया गया ऋण माफ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य राज्यों के लिए भी ऐसी योजना शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

(ङ) भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक का यह मत है कि ऋण माफी योजनाएं वसूली वातावरण और ऋण की परिस्थिति को बिगाड़ देती हैं। यह देखा गया है कि इस प्रकार की योजनाएं सामान्य वसूलियों के प्रयासों के प्रति बैंकों को हतोत्सहित करती हैं और ग्रामीण बैंकिंग के उन्नयन के प्रति किए जाने वाले प्रयासों को विफल करती हैं।

[अनुवाद]

रबर का आयात

1054. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष कितनी मात्रा में कच्चे रबर का आयात किया गया;

(ख) क्या केरल के रबर उत्पादकों ने अपरिष्कृत रबर का आयात रोकने के लिए अभ्यावेदन दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाई की है; और

(घ) सरकार द्वारा रबर उत्पादों को रबर का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) वर्ष 1998–99 (अप्रैल–अगस्त) के दौरान 11020 मी. टन प्राकृतिक रबड़ का आयात किया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। रबड़ के आयात को पहले ही प्रतिबंधित सूची में रखा गया है और इसके मुक्त आयात की अनुमति नहीं दी जाती है। तथापि, अग्रिम लाइसेंस विशेष आयात लाइसेंस पर ही पुनः निर्यात के प्रयोजनों के लिए रबड़ के आयात की अनुमति दी जाती है। सार्क देशों से प्राकृतिक रबड़ के आयात की अनुमति अगस्त, 1998 से प्रदान की गई है।

(घ) प्राकृतिक रबड़ की घरेलू कीमत में सुधार लाने के लिए सरकार ने एस.टी.सी. द्वारा रबड़ की खरीद किए जाने के आदेश दिए हैं।

इंडियन बैंक में घोटाला

1055. श्री सुरेश वरपुडकर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 अगस्त, 1998 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "4 करोड़ स्कैम डिक्टेक्टिड इन इंडियन बैंक" शीर्ष से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किया है कि उसकी जमशेदपुर शाखा में 3.10 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। बैंक को इस धोखाधड़ी का पता 17 जुलाई, 1998 को लगा। बैंक ने सूचित किया है कि 5 जुलाई, 1998 को शाखा परिसर में आग लगने के बाद एक जांच की गई जिससे यह पता लगा कि शाखा की बही पुस्तिकाओं में उचित प्रविष्टियां और जांच पड़ताल किए बिना मांग-पत्र (डीडी) जारी कर दिए गए थे। यह भी पाया गया कि कुछ मांग पत्रों के पन्ने गायब थे तथा उनसे संबद्ध रजिस्टर, जिसमें डीडी जारी करने के बाद उसकी प्रविष्टि की जाती है, के पृष्ठ या तो फाड़ दिए गए थे या गायब थे। बैंक की सेवा शाखाओं से जांच करने और असमाशोधित प्रविष्टियों के सत्यापन से अब तक पता चला है कि 3.10 करोड़ रु. के मांग पत्र, बैंक की नई दिल्ली और कलकत्ता स्थित सेवा शाखाओं के माध्यम से भुनाए गए थे। एचडीएफसी बैंक लि. तथा केनरा बैंक, नई दिल्ली में दो व्यापारियों के खातों में 2.60 करोड़ रुपए की राशि एकत्रित किए जाने का पता चला। इन खातों में अधिशेष (एचडीएफसी बैंक लि. में 90.44 लाख तथा केनरा बैंक में 1.43 लाख रु.) पर रोक लगा दी गई है। बैंक ने 22.7.98 को सीबीआई में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। 4 अगस्त, 98 को सीबीआई को जांच करने के लिए भी अनुरोध किया गया। पुलिस ने शाखा के सहायक प्रबंधक को गिरफ्तार किया है तथा बैंक द्वारा उसे निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने इसमें शामिल व्यापारियों से एक कंपनी के 23,600 शेयर तथा दो अन्य कंपनियों के कुछ शेयर बरामद किए हैं। पुलिस ने जमशेदपुर के एक दलाल और वित्तीय परामर्शदाता के बैंक खातों से निकासी पर रोक लगा दी है। बैंक ने बीमा कंपनी में दावा दर्ज किया है और खोई हुई खाली मांग पत्रों के बारे में अपनी शाखाओं को सावधान किया है।

(ग) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को अनुदेश दिए हैं कि रिक्त मांग पत्र और डाक अंतरण फार्मों को सुरक्षा मदों के रूप में माना जाए और इनकी चोरी रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था दी जाए तथा उन्हें संयुक्त अधिरक्षण में रखा जाए तथा प्रतिदिन उनका मिलान किया जाना चाहिए। 10,000 रुपए और उससे अधिक राशि के ड्राफ्ट/डाक अंतरणों को दो अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। इन सुरक्षोपायों को अपनाने से केवल उन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों में छूट दी जानी चाहिए जहां एक व्यक्ति शाखा हैं या जहां छोटी शाखाएं हैं जिनमें एक समय में दो अधिकारी नहीं होते हैं।

अगस्त, 1998 में, बैंकों से कहा गया है कि डीडी/टीटी/एमटी के संबंध में सभी लेन देनों को अंतर शाखा मदों से अलग किया जाना चाहिए। इसका समाधन साप्ताहिक अंतरालों पर किया जाना चाहिए तथा अधिक मूल्यों वाले लेन देनों की निगरानी निकट रूप से होनी चाहिए।

हथकरघा निर्मित वस्त्रों की किस्मों का विकास

1056. श्री टी. गोबिन्दन : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा निर्मित वस्त्रों की किस्में विकसित करने के लिए कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) प्रस्तावों की प्राप्ति एक नियमित प्रक्रिया है। यद्यपि योजनाओं के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्यों/सहकारी समिति/कार्यान्वयन अभिकरण वित्तीय अंशदान के साथ भेजे गये वैध तथा व्यवहार्य प्रस्तावों पर विचार हेतु उच्चतम प्राथमिकता दी जाती है।

[हिन्दी]

बिहार में यात्री निवास का निर्माण

1057. डा. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार सरकार से राज्य में यात्री निवास के निर्माण हेतु प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई तथा इस प्रयोजनार्थ वर्ष 1997-98 के दौरान कितनी धन राशि जारी की गई; और

(ग) इस समय बिहार में किन–किन स्थानों पर यात्री निवास हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओपाक अपांग) : (क) यात्री निवासों के निर्माण के लिए वर्ष 1997–98 के दौरान, राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ हैं, तथापि, पर्यटक–परिसरों के निर्माण के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

(ख) पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 1997–98 के दौरान विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं के लिए 233.07 लाख रुपए स्वीकृत किए।

(ग) बिहार में, निम्नलिखित स्थानों पर यात्री निवास हैं:–

1. गया में यात्रिका
2. पटना साहिब में यात्रिका
3. देवघर में यात्रिका

[अनुवाद]

नाबार्ड द्वारा कर्नाटक को ऋण दिया जाना

1058. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाबार्ड ने हाल ही में कर्नाटक को 50 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस ऋण की ब्याजदर, वापसी की शर्तें क्या हैं और इसे किस कार्य पर खर्च किया जाएगा?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उसने कर्नाटक राज्य के 50 करोड़ रुपए के ऋणों की कोई घोषणा नहीं की है। तथापि, नाबार्ड मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (सीसीबी) की ओर से राज्य सहकारी बैंकों (एससीबी) को कृषि कार्यों के लिए अल्पावधि तथा मध्यावधि ऋण प्रदान करता है। हाल ही में, नाबार्ड ने कर्नाटक जिला मध्यवर्ती राज्य सहकारी बैंक लि., धारवाड़ की ओर से कर्नाटक सहकारी एपेक्स बैंक लि. को (मौसमी कृषि कार्यों के लिए) अल्पावधि ऋण–सीमाएं स्वीकृत की हैं।

[हिन्दी]

कोयला खानों का पता लगाना

1059. श्री राम शक्ल : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कोयला खानों का पता लगाने के लिए कोई समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्यवार कितनी कोयला खानों का पता लगाया गया है;

(घ) उत्तर प्रदेश के सोनभद्रा जिले में पता लगाई गई कोयला खानों की खस्ता हालत होने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार एक विशेष योजना के अंतर्गत इस खान के लिए धन उपलब्ध कराने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क)जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

(घ) नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. सोनभद्रा जिले के चार खानों का उत्खनन कर रहा है और ये खानें उपयुक्त रूप से कार्य कर रही हैं तथा लाभ भी कमा रही हैं।

(ङ) और (च) उपर्यक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड में अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति

1060. श्री रामचन्द्र मलिक :

श्री भीष्म दाहाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के उन

कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है जिनका वर्ष 1997 और 1998 के दौरान निधन हो गया;

(ख) उन मृतकों का ब्यौरा क्या है जिनके आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर रोजगार नहीं दिया गया तथा ऐसे प्रत्येक मामले के कारण क्या थे; और

(ग) उन्हें किस समय तक कम्पनी में रोजगार मिलने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) विवरण-I संलग्न है।

(ख) विवरण–II संलग्न है।

(ग) न्यू इंडिया ने सूचित किया है कि कम्पनी के नियम और प्रक्रियाओं के अनुसार इन मामलों को शीघ्र ही निपटाए जाने की संभावना है।

विवरण – I

वर्ष 1997 और 1998 के दौरान मृत कर्मचारियों का ब्यौरा

	1997	1998
श्रेणी – I	9	7
श्रेणी – II	6	5
श्रेणी – III	45	35

विवरण – II

मृतक के आश्रित जिन्हें अनुकम्पा आधार पर रोजगार प्रदान नहीं किया गया है उनका ब्यौरा निम्नलिखित है:–

		अस्वीकृति के कारण
1	2	3
श्रेणी – I	शून्य	
श्रेणी– I	1. श्री राजाराम विकास अधिकारी	रिक्त स्थान नहीं
	2. श्री आर. एन. धगट	रिक्त स्थान नहीं
श्रेणी – III	1. श्री यू. जी. राणे	रिक्त स्थान नहीं
श्रेणी–IV	2. श्री आर. के. सैनी	सहमति पत्र प्रतीक्षित
	3. श्री डी. वी. ठक्कर	दस्तावेज प्रतीक्षित
	4. श्री आर. ए. मयेकर	प्रक्रियाधीन
	5. श्री सी. जी. मोहन्ती	प्रक्रियाधीन
	6. श्री ए. आर. कांवले	प्रक्रियाधीन
	7. श्री ई. धनशेखरन	दस्तावेज प्रतीक्षित
	8. श्री ए. बी. गोरेगांवकर	चिकित्सा राय प्रतीक्षित

कोफेपोसा में संलिप्त व्यक्ति

1061. श्री रामनारायण मीणा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1992–97 के दौरान मुम्बई महानगर में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम (कोफेपोसा) की गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कोई मुकदमें दर्ज किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन मामलों में राजस्थान के कितने लोग संलिप्त हैं;

(घ) क्या सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है/की जा रही है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नमक की कमी

1062. श्री वी. वी. राघवन :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री ए. एफ. गुलाम उस्मानी :

श्री के. सी. कोंडय्या :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में तकरीबन सारे देश में नमक की कमी हो गई थी जिसके परिणामस्वरूप हड़बड़ाहट में नमक की खरीद की गई तथा इसकी कीमत में अत्याधिक वृद्धि हुई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश के कुछ पत्तनों में नमक की जमाखोरी की गई;

(घ) यदि हां, तो कितने व्यापारियों को गिरफ्तार किया गया; और

(ङ) स्थिति में सुधार हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) जी, नहीं। बाजार में नमक की कोई कमी नहीं थी। 1 नवम्बर, 1998 की स्थिति के अनुसार, देश में 68 टन नमक का भंडार था। इस 68 टन में से 40 लाख टन खाने के उद्देश्य हेतु तथा 28 लाख टन औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए था। देश में खाने के नमक की मासिक आवश्यकता लगभग 5 लाख टन होती है। इस प्रकार उपलब्ध नमक के भंडार से अगले 6 माह, और उससे भी अधिक समय तक खाने के नमक की मांग पूरी हो सकती थी। इसके अलावा, जनवरी 1999 के आरंभ से ही नमक की एक नयी खेप उपलब्ध हो जाने की आशा है।

नवम्बर, 1998 के प्रथम सप्ताह में ऐसी खबरें थीं कि देश के कुछ भागों में नमक की कमी के डर से इसकी घबराहटपूर्ण खरीददारी को बल मिला, और कुछ भागों में नमक के दामों में असाधारण रूप से उछाल आने की खबरें थी। किंतु, केन्द्र और संबंधित राज्य सरकारों के सामयिक हस्तक्षेप से इस समस्या को सुलझा लिया गया और स्थिति को सामान्य कर दिया गया था।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से नमक की जमाखोरी की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) लोगों को उचित दामों पर आयोडीनयुक्त नमक की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:

* नमक विभाग द्वारा साप्ताहिक आधार पर उत्पादन केन्द्रों में भंडारों तथा थोक कीमतों की निगरानी की जा रही है।
* नमक विभाग द्वारा रेल इंडेन्टों के पंजीकरण और रेल द्वारा आपूर्ति की निगरानी की जाती है।
* रेलवे द्वारा आयोडीनयुक्त नमक को लाने ले-जाने हेतु इंडेंटों की स्वीकृति को वरीयता के आधार पर सुनिश्चित किया जा रहा है।
* राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि वे आयोडीन नमक की उपलब्धता और कीमतों की नियमित रूप से निगरानी करें और नमक विभाग के परामर्श से उपचारात्मक कार्यवाही करें।

परिमाणात्मक प्रतिबंध

1063. श्री के. पी. मोहन : क्या **वाणिज्य मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार है दक्षिण एशियाई देशों में कुछ मदों के आयात पर से परिमाणात्मक प्रतिबंध हटाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या दक्षिण भारत की यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ने सरकार के कुछ समय तक परिमाणात्मक प्रतिबंध को जारी रखने का अनुरोध किया है क्योंकि चाय/रबड़ इत्यादि का मूल्य न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है तथा ये मंदी का सामना कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा घरेलू, प्लांटेशंस इंडस्ट्री को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) दिनांक 1 अगस्त 1998 से भारत ने केवल सार्क देशों से होने वाले आयात का 2307 मदों पर भुगतान संतुलन (बी ओ पी) के विचार से लगाए गए मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया है। ऐसा अंतर-क्षेत्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है।

(ख) और (ग) यूपीएएसआई सहित चाय उद्योग ने भारतीय बाजार में घटिया चाय के प्रवेश तथा सार्क देशों से आने वाली चाय के द्वारा भारतीय चाय की अप्रासंगिक होती कीमतों के बारे में आशंका व्यक्त की है।

तथापि विदेश व्यापार (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत आदेश तथा विनियमन तथा मूल नियमों सहित साप्ता करार में निहित सुरक्षात्मक उपाय आयातों के प्रवाह को रोकने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए भी कि देश में केवल अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद ही लाए जाते हैं, पर्याप्त समझे जाते हैं।

कृषि निर्यात

1064. श्री आर. एस. गवई :

श्री प्रसाद बाबूराव तनपूरे :

श्री एस. एस. ओवेसी :

डा. मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु विदेश में फसल विशिष्ट रणनीति तथा उपभोक्ता बाजार तैयार किए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कतिपय विदेशी देशों द्वारा रुचि दिखायी गई है तथा उनके द्वारा कतिपय सब्जियों के निर्यात की पेशकश की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनके द्वारा इस संबंध में कौन–कौन से स्थान चुने गए हैं;

(ङ) क्या कतिपय देशों द्वारा भारत को दालों की खेती में सहायता करने का भी अनुरोध किया गया है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कृषि उत्पाद से कतिपय प्रतिबंध वापिस लेने का है; और

(छ) यदि हां, तो प्रतिबंध को वापिस लेने से क्या लाभ होने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) कृषि उत्पादों के निर्यात की नीति अंतर्राष्ट्रीय मांग तथा आपूर्ति स्थिति, घरेलू अधिशेष, घरेलू तथा अंतराष्ट्रीय कीमतों, उपभोक्ता वरीयताओं इत्यादि के द्वारा तय की जाती है। इस नीति को बनाने का मुख्य उद्देश्य उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाना हैं जिससे निर्यात योग्य अधिशेष का सृजन, अंर्तराष्ट्रीय गुणवत्ता मापदण्डों को पूरा करने वाली वस्तुओं का उत्पादन, प्रौद्योगिकी उन्नयन, पैकेजिंग में सुधार, गुणवत्ता उन्नयन तथा मेलों/उत्सवों में भागीदारी के माध्यम से विदेशी बाजारों में उत्पाद संवर्धन तथा व्यापारिक प्रतिनिधि मण्डलों के दौरों को प्रोत्साहित किया जा सके।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) कृषि उत्पादों के निर्यातों की अनुमति प्रदान करने की सरकार की नीति मुख्य रूप से भारत की खाद्‌य सुरक्षा संबंधी चिन्ताओं, कृषि आय को अधिकतम करने तथा विदेशी मुद्रा अर्जन के द्वारा शासित होती है। निर्यात नीति को लगातार अद्यतन बनाया जा रहा है तथा कृषि उत्पादों के संबंध में निर्यात क्षेत्र को उदार बनाया गया है। निर्यात के लिए बहुत कम मदों पर या तो प्रतिबंध है अथवा उनका निर्यात सीमित प्रतिबंधित है। अथवा उन्हें मात्रात्मक सीमाओं के अधीन रखा गया है। जिन मुख्य मदों के निर्यात पर प्रतिबंध है, उनमें शामिल हैं यूरोपीय संघ/यूएसए को वरीयता कोटे के अंतर्गत आने वाली चीनी को छोड़कर गेहूं, प्याज।

तकनीकी समितियां

1065. श्री दिलीप संघाणी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बैंकों द्वारा फसल ऋण और इसकी समान स्वीकृति के लिए देश के प्रत्येक जिले में तकनीकी समिति (टी. सी.) गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा विशेषकर गुजरात में बैंकों से किसानों को ऋण सुलभ कराने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के स्थायी अनुदेशों के क्रम में ऋणदात्री संस्थाओं से फसल ऋण के संवितरण, पर्यवेक्षण और वसूली से संबंधित उधार की उत्पादनोन्मुख प्रणाली अपनाने की अपेक्षा की जाती है। इन मार्गनिर्देशों के अनुसार, अन्य बातों के साथ–साथ, जिले में उपजाई जाने वाली प्रत्येक फसल के लिए वित्तमान नियत करने के लिए प्रत्येक जिले में राज्य सरकार, बैंकों और प्रगतिशील किसानों के प्रतिनिधियों वाली तकनीकी समिति गठित की गई है। पारिवारिक श्रम की आरोपित लागत, कृषि जलवायु के पहलुओं, उच्च तकनीक और बागान वाली फसलों की विशेष अपेक्षाओं, परिचालन के तरीकों आदि सहित परिचालन की लागत को

फसल–वार वित्तमान नियत करते समय ध्यान में रखा जाता है। किसानों को पर्याप्त ऋण की समानता तथा उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ये वित्तमान देश के प्रत्येक जिले में सभी बैंकों द्वारा अपनाए जा रहे हैं। जहां तक गुजरात राज्य का संबंध है वर्ष 1999–2000 के लिए विभिन्न फसलों के लिए वित्तमान नियत करने वाली तकनीकी समूह की बैठकें विभिन्न जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) द्वारा आयोजित की जाती है और अब तक ऐसी 9 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने उधार की उत्पादनोन्मुख प्रणाली के विभिन्न घटकों को परिष्कृत करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं ताकि किसानों को ऋण का सहज प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके। इनमें ये शामिल हैं : तीन वर्ष में एक बार सहकारी बैंकों द्वारा ऋण सीमा संबंधी आवेदनों को तैयार करना एवं उन्हें अद्यतन बनाना, जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा जिले में उगाई जाने वाली प्रत्येक फसल के लिए पर्याप्त वित्तमान नियत करना, अपनी पसंद के उपयुक्त निर्विष्ट कर पाने में किसानों को समर्थ बनाने के लिए बैंकों को नकदी रूप में ऋण संवितरण की स्वतंत्रता प्रदान करना, उदार प्रतिभूति मानदंड जिसके अंतर्गत 25,000/– रु. तक के अल्पावधि ऋण के लिए किसी समपार्श्विक प्रतिभूति पर जोर न दिया जाना, विपणन मौसम के साथ मेल खाने वाली ऋण वसूली की वास्तविक देय तारीखें नियत करना आदि। इसके अतिरिक्त वर्ष 1997–98 के दौरान नाबार्ड द्वारा गुजरात में सहकारी ऋण संस्थाओं के शेयर पूंजी अंशदान में 11.19 करोड़ रु. के ऋण मंजूर किए गए हैं।

रेशम के आयात पर प्रतिबंध

1066. श्री के. एच. मुनियप्पा : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेशम के धागे के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए देश के विशेषकर कर्नाटक से रेशम बनुकरों, रीलर्स और शहतूत उत्पादकों से लगातार मांग आ रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) घरेलू रेशम उत्पादन क्षेत्र की रक्षा करने के लिए शहतूती अपरिष्कृत रेशम का आयात निषिद्ध सूची में है। तथापि, निर्यातकों को उत्कृष्ट रेशम प्रदान करने के लिए शुल्क छूट योजना (डीईएस) के अंतर्गत शहतूती अपरिष्कृत रेशम का आयात करने की सुविधा उपलब्ध है। निर्यातक इस आशय का प्रतिवेदन कर रहे हैं कि उनकी मांग को पूरा करने के लिए उच्च ग्रेड की अपरिष्कृत रेशम की घरेलू उपलब्धता पर्याप्त नहीं है। इस मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने दिनांक 8 अक्टूबर, 1998 की सार्वजनिक सूचना के अंतर्गत आयात लाइसेंस के बिना सरणीकरण के माध्यम से अपरिष्कृत रेशम के आयात की अनुमति दी थी। सरणीकरण की अनुमति देने के लिए इस नीतिपरक निर्णय के विरुद्ध विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न प्रकार के अभ्यावेदन प्राप्त होने के कारण कि इस प्रकार का कदम घरेलू क्षेत्र को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा, सरकार ने उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना को रद्द कर दिया है तथा विशेष आयात लाइसेंस (एसआईएल) के अंतर्गत केवल ग्रेड–2 ए तथा उपर्युक्त शहतूती अपरिष्कृत रेशम के आयात की अनुमति इस शर्त पर दी है कि अभ्यर्पित एस आई एल के सी आई एफ (लागत, बीमा और भाड़ा) मूल्य आयातित सामान के सी आईएफ मूल्य से तिगुना होगा।

यू. टी. आई. का कार्यनिष्पादन

1067. श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री मधुकर सरपोतदार :

श्री अनन्त गंगाराम गीते :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक लेखापरीक्षा की रिपोर्टों में भारतीय यूनिट ट्रस्ट के कार्यनिष्पादन की आलोचना की गई है और यू. टी. आई. के कार्यकरण में पूर्ण रूप से परिवर्तनकरने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो लेख परीक्षा के निष्कर्षों और दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यू. टी. आई. की विभिन्न योजनाओं का कार्यनिष्पादन संतोषजनक न होने के क्या कारण हैं; और

(घ) यू. टी. आई. की हालत में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) यू. टी. आई. ने बताया है कि पिछले वर्षों से संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्टों में सांविधिक लेखापरीक्षकों ने मुख्यतः यूनिट पूंजी, अन्तः–कार्यालय

लेखों, निवेश धारिताओं और आय वितरण–बैक लेखों के संबंध में मदों के सामंजस्य से संबंधित क्षेत्रों पर टिप्पणी की है। तथापि, ये क्षेत्र विशिष्ट योजनाओं से संबंधित थे और समग्र रूप में यू. टी. आई. कार्यकरण से संबंधित नहीं थे।

(ग) और (घ) परिपक्व हो चुकी सभी आय योजनाओं के अंतर्गत यू.टी.आई. ने सांकेतिक आय से अधिक अथवा उसके बराबर आय दी है। न्यास द्वारा शुरु की गई 21 इक्विटी योजनाओं में से 18 योजनाओं ने संवेदी सूचकांक (अर्थात् 86 प्रतिशत) से बेहतर प्रदर्शन किया है। यूनिट योजना 1964 (यू. एस.–64), यूनिट सहबद्ध बीमा योजना (यूलिप) धर्मार्थ और धार्मिक न्यास और पंजीकृत समितियों के लिए यूनिट योजना (सी. आर. टी. एस. 81) आदि जैसी न्यास की अन्य प्रमुख योज़नाओं में यूनिट धारकों को सतत लाभांश प्रदान किया गया है।

अनिवासी भारतीयों को प्रोत्साहन

1068. श्री एन. डेनिस :

श्री सुरेश वारपुरडकर :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में परमाणु परीक्षण से भारतीयों द्वारा भारत में पूंजी निवेश प्रभावित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा अनिवासी भारतीयों द्वारा भारत में पूंजी के प्रोत्साहन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) जी,नहीं। परमाणु परीक्षणों के बाद अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश के परिदृश्य में कोई स्पष्ट परिवर्तन नहीं आया है। मई, 1998 से अक्टूबर, 1998 तक की अवधि के दौरान 46 अनुमोदन दिए गए, जिनमे 441.85 करोड़ रुपये के अनिवासी भारतीय निवेश की परिकल्पना की गई है जबकि 1997 में इसी अवधि के दौरान 47 अनुमोदन दिए गए थे जिनमें 495.52 करोड़ रु. के अनिवासी भारतीय निवेश की परिकल्पना की गई थी। देश को भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा जारी किए गए रिसजेंट इंडिया बांड के माध्यम से अनिवासी भारतीयों से 4.16 बिलियन अमरीकी डालर का निवेश भी प्राप्त हुआ है।

(ग) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए विदेशी कम्पनियों हेतु उपलब्ध सामान्य नीति व सुविधाएं अनिवासी भारतीयों के लिए भी पूर्णतः लागू होती हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने विशेष रूप से अनिवासी भारतीयों तथा विशेषतया अनिवासी भारतीयों के स्वामित्वाधीन ओ.सी.बी. (विदेशी निगम निकायों) के लिए कुछ रियायतें दी हैं। इनमें ये शामिल हैं (1) यद्यपि अचल सम्पदा क्षेत्र में विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है, लेकिन अनिवासी भारतीयों/ओ.सी.बी. को अचल सम्पदा और आवास क्षेत्रों में 100 प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति है, (2) घरेलू उड़ान सेवा क्षेत्र में 100 प्रतिशत अनिवासी भारतीय/ओ सी बी निवेश की अनुमति है, जबकि विदेशी निवेश 40 प्रतिशत तक ही सीमित है, (3) अनिवासी भारतीयों/ओ सी बी को बैंकिंग क्षेत्र में 40 प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति है जबकि बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा किए गए निवेश को छोड़कर केवल 20 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी की अनुमति है, (4) यद्यपि लघु औद्योगिक एककों के मामले में विदेशी इक्विटी और ओ. सी. बी. इक्विटी की सीमा 24 प्रतिशत है, लेकिन अनिवासी भारतीय ऐसे एककों में पहली बार में 24 प्रतिशत से अधिक निवेश कर सकते हैं, बशर्ते कि किसी अन्य औद्योगिक उपक्रम में उनकी पूंजी लगी न हो और (5) अनिवासी भारतीय/ओ. सी. बी. औद्योगिक नीति तथा पद्धति पुस्तिका के अनुबंध – II में शामिल उद्योगों/मदों में 100 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं।

राज्य सरकारों को ऋण

1069. डा. रामचन्द्र डोम :

श्री तथागत सत्पथी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं और आठवीं योजना अवधि के दौरान राज्य–वार राज्यों को कुल कितना विश्व बैंक ऋण स्वीकृत किया गया है;

(ख) राज्यों को विश्व बैंक ऋण स्वीकृत करने के लिए क्या मानदंड अपनाया गया है;

(ग) भिन्न–भिन्न राज्यों द्वारा केन्द्र, वित्तीय संस्थाओं, विश्व बैंक और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से आज तक कुल कितना आंतरिक और बाहय ऋण लिया गया है;

(घ) प्रत्येक राज्य द्वारा लिए गए ऋण पर प्रतिवर्ष कितना ब्याज अदा किया गया;

(ङ) क्या कुछ राज्य सरकारें ऋण की पुनः अदायगी करने में समर्थ नहीं हैं; और

(च) यदि हां, तो ऋण को लौटाने के लिए राज्यों को प्रदान की गई छूट का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

महंगाई भत्ता

1070. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल :

श्री माधवराव सिंधिया :

श्रीमती जयन्ती पटनायक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा उपभोग की आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए क्या प्रयास किए गए;

(ख) उन प्रयासों के फलस्वरूप विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में कहां तक कमी आई है;

(ग) इसका उपभोक्ता सूचकांक पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या इसके फल्स्वरूप केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले मंहगाई भत्ते की कोई अतिरिक्त किस्त देय हो गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए, (i) खाद्य तेलों के आयात शुल्क में 25% से 15% की कमी करना, (ii) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए आपूर्ति के लिए खाद्य तेलों का आयात, (iii) दालों और प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने तथा (iv) दालों के आयात पर लागू 10% ड्यूटी को समाप्त करना और घरेलू सुलभता में वृद्धि करने के लिए खुले सामान्य लाइसेंस (ओपन जनरल लाइसेंस) के अंतर्गत दालों तथा प्याज के ड्यूटी मुक्त आयात की अनुमति देने, जैसी कई नीतिगत पहल की गई है।

(ख) नवम्बर, 1998 से सब्जियों की कीमतों में कुछ कमी देखी गई है।

(ग) खाद्यान्न के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उच्च सापेक्ष भार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रा स्फीति दर को थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रा स्फीति की दर से बढ़ा कर लगभग दोगुना कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ता वर्ष में दो बार संशोधित होता है और यह संशोधित दरें 1 जनवरी और 1 जुलाई से लागू होती हैं। अतः मंहगाई भत्ते की अगली किस्त 1 जनवरी 1999 को देय होगी।

केरल द्वारा मांगी गयी सहायता

1071. श्री जी. एम. बनातवाला :

श्री टी. गोविन्दन :

श्री पी. एस. गढ़वी :

श्री वी. पी. राघवन :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में सरकारी और निजी क्षेत्र में क्रमशः वस्त्र मिलों की संख्या कितनी है;

(ख) इन मिलों में क्षेत्रवार कितने व्यक्ति कार्यरत हैं;

(ग) वित्तीय संकट के कारण राज्य में कितनी मिलें बंद कर दी गई हैं;

(घ) क्या केरल सरकार ने सहायता और राहत उपायों के लिए केन्द्र सरकार को लिखा है;

(ङ) यदि हां, तो मांगी गई सहायता और राहत का ब्यौरा क्या है; और

(च) उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) केरल में सरकारी और निजी क्षेत्र में सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलों की संख्या तथा (31.3.1998 तक की स्थिति के अनुसार) नियोजित व्यक्तियों की क्षेत्रवार संख्या निम्नानुसार है:–

क्षेत्र	मिलों की संख्या	नियोजित व्यक्तियों की संख्या
सरकारी (केन्द्रीय)	4	2950
सरकारी (राज्य)	9	4183
निजी	19	9860
सहकारी	4	2385
कुल	36	19378

(ग) केरल मे वित्तीय कमी के कारण कोई मिल बंद नहीं पड़ी है।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) एक विवरण संलग्न ह।

विवरण

उद्योग व समाज कल्याण मंत्री, केरल राज्य सरकार ने अनुरोध किया है कि केरल में वस्त्र उद्योग को नवीकृत करने के लिए निम्नलिखित मदों के संबंध में सहायता दी जाए :–

1. रूग्ण एककों को ब्याजमुक्त उत्पाद शुल्क ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया को पुनः शुरू करना।

2. चरम मौसम में ब्याज की कम दर पर ऋण की उपलब्धता

3. दीर्घावधि ऋणों के आधार पर देय राशि की अनुसूची को पुनः तैयार करना ताकि पात्र मिलों को आवधिक ऋणों के पुनर्भुगतान के आधार पर ऋण स्थगन की अनुमति दी जा सके।

4. उचित कीमतों पर उत्कृष्ट कपास की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

5. हैंक यार्न दायित्व को कम करना।

6. कताई मिलों को प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि की सुविधा प्रदान करना।

7. राज्य सरकार के क्षेत्र के एककों को राष्ट्रीय नवीकरण निधि की सुविधा प्रदान करना।

मद सं. (1), (2) तथा (3) को वित्त मंत्रालय के साथ उठाया गया है जो कि उनसे संबंधित है। इसके अतिरिक्त वस्त्र मंत्रालय ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों तथा उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ अनेक बैठकें की हैं। (जिनमें वस्त्र मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक भी शामिल है) तथा इनमें वस्त्र क्षेत्र को पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध कराने की समस्या पर विचार किया गया। बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने उद्योग को सहायता देने के संकेत दिए हैं। राज्य मंत्री (राजस्व, बैंकिंग और बीमा) ने भी वस्त्र संघों के प्रतिनिधियों और बैंकों व वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है ताकि वस्त्र उद्योग की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं पर विचार किया जा सके।

मद सं. 4 के संबंध में सरकार कपास बाजार में तब तक हस्तक्षेप नहीं करती है जब तक कि अपरिष्कृत कपास की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे न चली जाएं।

मद सं. 5 के संबंध में सरकार ने घरेलू टैरिफ क्षेत्र बेचे जाने वाले यार्न के लिए हैंक यार्न दायित्व को पूरा करने के तथा सूती यार्न के निर्यात को संबद्ध करने की प्रथा समाप्त कर दी है। प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के लिए औपचारिक निर्णय अभी प्राप्त होना है हालांकि लाभभोगी क्षेत्रों को अभिज्ञात कर लिया गया है तथा योजना के क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों को निर्णय के प्राप्त होने के तुरंत बाद तय किया जाएगा।

मद सं. 7 के संबंध में मामले को उद्योग मंत्रालय के साथ उठाया गया है क्योंकि यह मामला उनसे संबंधित है।

उत्तर प्रदेश में पर्यटन का विकास

1072. श्री अशोक प्रधान :

श्री राजवीर सिंह :

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में पर्यटन उद्योग के विस्तार और विकास के लिए कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) से (ग) पर्यटन का विकास करना एक सतत प्रक्रिया है और मुख्यतया यह राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। तथापि, भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट परियोजना प्रस्तावों और धन की उपलब्धता के आधार पर पर्यटम अवसंरचना के विकास के लिए सहायता प्रदान कराता है। केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के लिए नीचे दिए अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की है:–

वर्ष	स्वीकृति (लाख रु. में)
1995–96	31.10
1996–97	237.78
1997–98	221.10

निर्यात ऋण पर राजसहायता

1073. डा. रवि मल्लू :

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने 11 जून, 1998 को केन्द्र सरकार द्वारा निर्यात ऋण पर घोषित की गई राजसहायता मंजूर करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देश का ब्यौरा क्या है;

(ग) किस तारीख से यह योजना लागू होगी; और

(घ) किस हद तक यह सहायक होगी?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्यातकों को 12.6.98 से 31.12.99 तक की एक विशेष सुविधा के तहत ऋण प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत बैंकों ने निर्यातकों को अप्रैल, 1997 से मार्च, 1998 तक के वित्तीय वर्ष के दौरान उनके द्वारा निर्यातों में प्राप्त स्तर से अधिक उनके निर्यातों के लिए 6.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर रुपया ऋण प्रदान करना था। 6.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की यह ब्याज की दर 180 दिनों की अवधि तक के लदान-पूर्व रुपया ऋण और 90 दिनों की अवधि तक के लदान-पश्च रुपया ऋण पर लागू की जानी थी। बैंकों और निर्यातकों के विचार-विमर्श करने के पश्चात भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बाद में यह योजना वापस ले ली गई क्योंकि ऐसा महसूस किया गया कि बढ़ते हुए निर्यातों, जिन पर यह योजना आधारित थी, का हिसाब लगाना कठिन हो सकता था।

कोयला उद्योग को बुनियादी क्षेत्र का दर्जा दिया जाना

1074. श्री नादेन्दला भास्कर राव : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला उद्योग को बुनियादी क्षेत्र का दर्जा देने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार ने इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसी वित्तीय पैकेज और रियायतें देने की घोषणा की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) कोयला उद्योग को ऐसे कुछ वित्तीय प्रोत्साहन और रियायतें दिए जाने का प्रस्ताव है, जो बुनियादी क्षेत्र को दिए जा रहे हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता है।

राजस्थान के बैंकों में धोखाधड़ी

1075. कर्नल सोनाराम चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में राष्ट्रीयकृत और प्राइवेट बैंकों में धोखाधड़ी, गबन और दुर्विनियोग के कुल कितने मामले पकड़े गए;

(ख) क्या इन मामलों की जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन मामलों में शामिल व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है तथा दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों में हुई धोखाधड़ियों से संबंधित राज्य-वार आंकड़े उनके द्वारा एकत्रित नही किए जाते हैं। तथापि वर्ष 1995, 1996 और 1997 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित धोखाधड़ियों की संख्या और धोखाधड़ियों के अंतर्ग्रस्त होने के कारण इन वर्षों के दौरान कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई निम्नलिखित है:-

		1995	1996	1997
1.	धोखाधड़ियों की संख्या	1890	1954	1796
2.	अंतर्ग्रस्त राशि (करोड़ रुपए में)	115.51	319.38	290.03
3.	दोषसिद्ध कर्मचारियों की संख्या	33	46	57
4.	बड़ा/छोटा दण्ड प्राप्त कर्मचारियों की सं.	1160	1207	1486

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि एक करोड़ रुपए और इससे अधिक की धोखाधड़ियों की भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय द्वारा विशेष रूप से निगरानी की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि जनवरी, 1996 में स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर की जयपुर (एमआईरोड) शाखा में एक

खाते में 1.38 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के एक मामले की सूचना दी गई थी। यह सूचित किया गया था कि शाखा प्रबंधक के साथ साठगांठ करके उधारकर्ता ने वित्तीय विवरणों में हेरफेर की थी, जिसके आधार पर बैंक से ऋण सुविधाएं प्राप्त की गई थीं। इस मामले की सूचना केन्द्रीय जांच ब्यूरो को दी गई थी, जिसने जांच करने के बाद प्रबंधक के अभियोजन हेतु न्यायालय में एक मामला दायर किया है। बैंक ने 1.38 करोड़ रुपए का मूलधन वसूल कर लिया है।

अनुपयोज्य आस्तियों की वसूली को कम किए जाने संबंधी लक्ष्य

1076. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :

डा. जयन्त रंगपी :

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

डा. चिन्ता मोहन :

डा. सुशील इन्दौरा :

डा. विजय सोनकर शास्त्री :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों से बैंकों में अनुपयोज्य आस्तियों में बढ़ोत्तरी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक के लिए अनुपयोज्य आस्तियों की वसूली को कम किए जाने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है और क्या इसकी आवधिक रूप से निगरानी की जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बैंक-वार और माह-वार क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं;

(ङ) निजी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में अनुपयोज्य आस्तियों को वसूल/कम करने हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई है और बैंक-वार और माह-वार कितनी राशि वसूल की गई है;

(च) क्या सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है जो इसके लिए जिम्मेदार है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) गत पांच वर्षों के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंक-वार और वर्ष-वार कितनी धनराशि माफ कर दी गई है और यह निर्णय किस स्तर पर लिया गया था?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 1996 को सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल तथा निवल अनुपयोज्य आस्तियों 41660.94 करोड़ रु. और 18297 करोड़ रुपए थीं जो कि कुल अग्रिमों और निवल अग्रिमों का क्रमशः 18.01% और 8.90 % रहीं और 31 मार्च, 1998 को ये क्रमशः 45653 करोड़ और 21176.18 करोड़ रुपए थी जो कि कुल तथा निवल अग्रिमों का क्रमशः 16.02% तथा 8.13% बनी।

निजी क्षेत्र के बैंकों की अनुपयोज्य आस्तियों का विवरण इस प्रकार है:-

वर्ष के अंत में	कुल अनुपयोज्य आस्तियां	कुल अग्रिमों की तुलना में %	निवल अनुपयोज्य आस्तियां	निवल अग्रिमों की तुलना में %
31.3.96	1474.34	7.99	747.42	4.61
31.3.97	2542.31	9.03	1650.06	6.12
31.3.98	4067.67	12.14	1848.48	5.60

उपरोक्त आंकड़ों से यह पता चलता है कि कुल अनुपयोज्य आस्तियों में समग्र रूप से तथा उनके प्रतिशत दोनों में वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक प्रत्येक बैंक के लिए अलग-अलग लक्ष्य नियत नहीं करता है। बैंकों द्वारा स्वयमेव अनुपयोज्य आस्तियों में एक विशेष स्तर तक कमी किए जाने का वचन देना 19 राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्य निष्पादन दायित्वों और प्रतिबद्धताओं का एक महत्वपूर्ण घटक है अनुपयोज्य आस्तियों के कोटि उन्नयन समझौता/बट्टे खातों और वसूलियों के कारण सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनुपयोज्य आस्तियों में कमी की 31 मार्च, 1998 की स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण-। में दिया गया है।

(ङ) जैसा कि आरबीआई ने सूचित किया है, सभी वाणिज्यक बैंकों को अपनी-अपनी ऋण नीति और ऋण वसूली

नीति आदि तैयार करने और अपने–अपने निदेशक मंडल से उनकी जांच कराए जाने की सलाह दी गई है। इसलिए अब प्रत्येक बैंक से यह अपेक्षा की गई है कि उनकी अपनी एक वसूली नीति भी हो जिसमें उनके द्वारा दी गई राशियों की वसूली का तरीका, लक्षित कमी का स्तर (अवधिवार) अनुज्ञेय माफी/छूट कारकों के मानदंडों का भी उल्लेख हो जिनका उल्लेख उन्हें छूट देने के निर्णय लेने से पूर्व उच्चाधिकारियों को बतलाने और बट्टे खाते/छूट के मामलों की जांच करने के लिए किया जाता है। हालांकि, ये नीतियां बैंक के ऋण पोर्टफोलियो, ऋण संमिश्र आदि जैसे कारकों के कारण प्रत्येक बैंक के लिए भिन्न–भिन्न हो सकती हैं।

(च) और (छ) बैंक उस समय एनपीए में स्टाफ उत्तरदायित्व के पहलू पर ध्यान देते हैं जब ऋण सुविधाएं पुनः एनपीए बन रही हों और जब बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण और वसूली नीति के एक भाग के रूप में समझौता/निपटान वार्ता की जांच की जा रही हो तथा जहां बैंक आवश्यक समझता है अपेक्षित कार्रवाई करता है।

(ज) 1995–96, 1996–97 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बट्टे खाते डाली गई राशियां संलग्न विवरण–II में दी गई हैं।

विवरण – II

सरकारी क्षेत्र के बैंक – 31.03.1998 की स्थिति के अनुसार अनुपयोज्य आस्तियों में कमी (अनन्तिम)

(करोड़ रुपए)

बैंक का नाम	वर्ष के प्रारम्भ में अनुपयोज्य आस्तियां %	कोटि उन्नयन	अनुपयोज्य आस्तियों की तुलना में वसूली/कमी का %	समझौते/बट्टे खाते	अनुपयोज्य आस्तियों की तुलना में वसूली/कमी का %	वसूली	अनुपयोज्य आस्तियों की तुलना में वसूली/कमी का %	अनुपयोज्य आस्तियों की कुल कमी/वसूली	अनुपयोज्य आस्तियों की तुलना में कमी/वसूली का %	वर्ष के दौरान जमा	वर्ष के अन्त में अनुपयोज्य आस्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
भारतीय स्टेट बैंक	10961.54	716.00	28.23	667.00	26.30	1153.00	45.47	2536.00	22.12	3039.82	11465.36
स्टेट बैंक आफ बीका. एंड जयपुर	454.99	17.51	12.53	59.66	42.70	62.55	44.77	139.72	30.17	147.77	463.04
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	849.42	75.65	21.73	117.52	33.75	156.00	44.52	348.17	36.09	463.42	964.67
स्टेट बैंक आफ इंदौर	266.76	7.32	9.89	24.52	33.12	42.20	57.00	74.04	24.69	107.11	299.83
स्टेट बैंक आफ मैसूर	457.06	45.49	40.88	26.15	23.50	39.63	35.62	111.27	20.65	183.04	538.83
स्टेट बैंक आफ पटियाला	454.80	29.85	22.02	91.78	67.72	13.90	10.26	135.53	26.33	195.48	514.75
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	326.40	15.45	22.33	18.69	27.01	35.06	50.66	69.20	18.97	107.58	364.78
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	586.85	46.90	32.06	39.13	26.74	60.28	41.20	146.31	16.06	470.46	911.00
एसबीआई समूह का योग	14367.82	954.17	26.80	1044.45	29.34	1561.62	43.86	3560.24	22.94	4714.68	15522.26
इलाहाबाद बैंक	1302.89	64.09	26.45	115.78	47.77	62.48	25.78	242.35	16.61	398.39	1458.93
आन्ध्रा बैंक	365.68	4.46	3.91	81.44	71.38	28.20	24.72	114.10	33.43	89.72	341.30
बैंक आफ बड़ौदा	3116.00	77.00	8.44	419.00	45.94	416.00	45.61	912.00	29.14	925.28	3129.28
बैंक आफ इंडिया	2275.00	231.00	24.87	310.00	33.37	388.00	41.77	929.00	34.81	1323.00	2669.00
बैंक आफ महाराष्ट्र	749.43	15.42	7.26	128.37	60.41	68.70	32.33	212.49	29.97	172.15	709.09
केनरा बैंक	3323.72	226.00	27.97	156.00	19.31	426.00	52.72	808.00	22.56	1065.09	3580.31
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	2520.00	76.00	19.74	147.00	38.18	162.00	42.08	385.00	15.95	279.53	2414.53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
कॉरपोरेशन बैंक	316.78	5.59	8.49	21.56	32.75	38.69	58.76	65.84	19.26	90.92	341.86
देना बैंक	674.21	160.00	51.28	67.00	21.47	85.00	27.24	312.00	40.27	412.58	774.79
इंडियन बैंक	3303.00	165.00	47.49	23.37	6.73	159.04	45.78	347.41	10.13	472.80	3428.39
इंडियन ओवरसीज बैंक	1317.00	38.00	8.15	268.00	67.51	160.00	34.33	466.00	37.13	404.00	1255.00
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	367.56	0.00	0.00	61.08	48.48	64.90	51.52	125.98	31.71	165.65	397.23
पंजाब एंड सिंध बैंक	1089.90	34.58	17.66	97.28	49.69	63.90	32.64	195.76	18.84	144.76	1038.90
पंजाब नेशनल बैंक	2426.14	67.00	9.87	386.00	56.85	226.00	33.28	679.00	27.75	699.36	2447.00
सिडिकेट बैंक	1291.78	9.98	3.65	102.24	37.36	161.44	58.99	273.66	23.09	167.17	1185.29
यूको बैंक	1872.62	13.92	3.75	176.33	47.54	180.66	48.71	370.91	20.83	278.59	1780.30
यूनियन बैंक आफ इंडिया	987.80	26.41	12.55	16.47	7.83	167.49	79.62	210.37	17.61	417.30	1194.73
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	1398.00	10.00	10.31	12.00	12.37	75.00	77.32	97.00	6.69	150.00	1451.00
विजया बैंक	511.96	10.23	10.35	28.17	28.50	60.45	61.15	98.85	18.55	119.84	532.95
राष्ट्रीयकृत बैंक का योग	29209.47	1234.68	18.04	2617.09	38.23	2993.95	43.73	6845.72	22.72	7766.63	30130.38
निजी क्षेत्र के बैंक का योग	43577.29	2188.85	21.03	3661.54	35.19	455.57	43.78	10405.96	22.79	12481.31	45652.64

विवरण – II

पिछले दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण

(राशि करोड़ में)

क्रं. सं.	बैंक का नाम	1995–96	1996–97
1	2	3	4
1.	इलाहाबाद बैंक	6.71	21.39
2.	आन्ध्रा बैंक	1.95	37.42
3.	बैंक आफ बड़ौदा	46.42	70.17
4.	बैंक आफ इंडिया	307.08	217.15
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	56.52	47.30
6.	केनरा बैंक	169.49	18.20
7.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	138.44	156.83
8.	कार्पोरेशन बैंक	19.13	0.94
9.	देना बैंक	51.92	58.76
10.	इंडियन बैंक	115.94	10.28
11.	इं ओवरसीज बैंक	75.01	375.73
12.	ओरियंटल बैंक आफ कॉमर्स	0.82	46.22
13.	पंजाब नेशनल बैंक	53.14	150.34
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	2.86	9.93
15.	सिंडिकेट बैंक	8.03	58.79
16.	यूनियन बैंक	38.81	30.57
17.	यूको बैंक	110.98	220.57
18.	यूनाइटेड बैंक	36.51	65.48
19.	विजया बैंक	13.26	12.72
	कुल	1253.02	1608.79

भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों द्वारा विगत दो वर्षों के दौरान अशोध्य ऋणों को बट्टे–खाते डालना

(राशि करोड़ रुपये)

क्रं. सं.	बैंक का नाम	1995–96	1996–97
1	2	3	4
1.	भारतीय स्टेट बैंक	398.69	293.67
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	24.98	26.45
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	15.85	136.69

1	2	3	4
4.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	6.04	26.02
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	5.72	12.09
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	4.93	19.62
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	4.02	2.38
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	28.96	36.29
	योग	489.19	553.21

असम में यात्री निवास

1077. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में राज्य यात्री निवास के निर्माण के लिए सरकार की ओर से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो 1997–98 के दौरान राज्य को इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) इस समय राज्य में यात्री निवासों की संख्या कितनी है और ये कहां–कहां पर स्थित हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) से (ग) पर्यटन मंत्रालय ने बारपेटा, भुबन–सिल्चर और बेटाद्रावा में वर्ष 1997–98 के दौरान यात्री निवासों के निर्माण के लिए 76 लाख रुपयों की धनराशि प्रदान की है।

गुवाहटी में वर्ष 1991–92 में एक और यात्री निवास स्वीकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के लिए कई पर्यटक परिसर, लॉज और कुटीरें स्वीकृत की गई हैं।

कश्मीर घाटी में उद्योग

1078. प्रो. सैफुद्दीन सोज : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कश्मीर घाटी में लगाने योग्य उद्योगों के लिए कोई सर्वेक्षण/अनुसंधान करवाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) जम्मू–कश्मीर राज्य सरकार ने बताया है कि उन्होंने कश्मीर घाटी सहित समूचे जम्मू –कश्मीर राज्य के लिए निम्नलिखित सर्वेक्षण/अध्ययन किए हैं:–

(1) भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद के माध्यम से जम्मू–कश्मीर में लघु उद्योगों के विकास हेतु अध्ययन।

(2) केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान, चेन्नई के माध्यम से जम्मू–कश्मीर में चमड़ा तथा चमड़े पर आधारित उद्योगों का तकनीकी–आर्थिक सर्वेक्षण।

(3) भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, अहमदाबाद के माध्यम से रुगण एककों की पुर्नस्थापना।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बैंकों में घाटे में वृद्धि

1079. श्री राम टहल चौधरी :

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक कर्मचारियों की लापरवाही और कदाचार के कारण बैंकों के घाटे में बढ़ोतरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान क्या उपचारात्मक और दण्डात्मक उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने समूह में वर्ष 1996–97 और 1997–98 के लिए शुद्ध लाभों की सूचना दी है। गत तीन वर्षों में हानि उठाने वाले सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा सूचित की गई कुल हानियां नीचे दर्शाई गई हैं:

को समाप्त वर्ष	हानि की सूचना देने वाले पीएसबी की संख्या	सूचित की गई कुल हानि
31.3.96	8	2590.41 करोड़ रु.
31.3.97	3	678.96 करोड़ रु.
31.3.98	2	397.72 करोड़ रु.

विगत में सरकारी क्षेत्र के कुल बैंकों द्वारा घाटे में चलने के मुख्य कारणों में अन्य बातों के साथ–साथ उच्च प्रशासनिक लागत, कर्मचारियों की निम्न उत्पादकता, अनुपयोज्य आस्तियों का

उच्च स्तर और अपेक्षित सीमा तक प्रौद्योगिकी उन्नयन को स्वीकार न करना, सम्मिलित है।

सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) बैंकों से इस बात पर जोर देते रहे हैं कि वे अपनी ऋण मूल्यांकन मशीनरी को सुदृढ़ बनाएं और अग्रिमों पर बारीकी से पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखें, अनुपयोज्य आस्तियों की वसूली में सुधार लाने के लिए प्रभावी उपाए करें, साथ ही अपने उपख्यियों में कमी करें। जब कभी स्टाफ की जिम्मेवारी सिद्ध हो जाती है तो बैंक लागू आचरण नियमों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करते हैं।

[अनुवाद]

सहकारी बैंकों और समितियों को आयकर की छूट

1080. डा. वल्लभभाई कथीरिया :

श्रीमती भावना कर्दम दवे :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात में आयकर अधिकारी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और सहकारी बैंकों को आयकर विवरणी दाखिल करनी चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का है कि वे संस्थान जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं और जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 (पी) (2) में विर्निदिष्ट व्यवसाय के अलावा अन्य कोई व्यवसाय नहीं कर रहे हैं उन्हें आयकर विवरणियां दाखिल करने की बाध्यता से उन्मुक्ति प्राप्त है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय ऐसी संस्थाओं को आयकर विवरणियां दाखिल करने की बाध्यता से उन्मुक्ति देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जापान एअर लाइन्स के कार्यक्रम में आयकर विभाग का सर्वेक्षण

1081. श्री भगवान शंकर रावत :

श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 नवम्बर, 1998 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "इन्कमटैक्स सिल्यूथस सर्वे जापानीज एअर लाइन्स आफिसिज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रिपोर्ट के क्या तथ्य हैं;

(ग) क्या आयकर विभाग ने जापानी एअर लाइन्स के अधिकारियों द्वारा घोषित आय में किसी प्रकार की अनियमितताएं पाई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) आयकर अधिनियम की धारा 133 क के अंतर्गत मैसर्स जापान एयरलाइन्स कं. लि. के क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली के परिसरों पर दिनांक 8.10.98 को एक सर्वेक्षण अभियान चलाया गया था। सर्वेक्षण से पता चला है कि जापान एयरलाइन्स कं. लि. ने अपनी टीडीएस विवरणियों में भारत में नौकरी करने वाले प्रवासी कर्मचारियों को भारत के बाहर दिए गए वेतन के भाग को शामिल नहीं किया है। सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप कम्पनी को धारा 201 (1क) के अंतर्गत ब्याज लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस और धारा 271 ग के अंतर्गत अर्थदण्ड नोटिस और धारा 276ख के अंतर्गत अभियोजन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप जापान एयरलाइन्स कं. लि. ने कर और ब्याज के रूप में 1,76,51,821रु. की धनराशि (कर 1,10,77,808 रु., ब्याज 65,74,013 रु.) अदा की है।

[हिन्दी]

रुग्ण इकाइयों को फिर से शुरू करना

1082. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदर्भ विकास निगम, मराठवाड़ा विकास निगम, कोंकण विकास निगम जैसी रुग्ण इकाइयों और उनकी सहायक इकाइयों को सहायता करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने इस संबंध में केन्द्र सरकार से कोई सहायता मांगी है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को कितनी सहायता प्रदान की गई है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आलू के निर्यात पर प्रतिबंध

1083. श्री मदन पाटील :

श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :

श्री एस. एस. ओवेसी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आलू, प्याज और कुछ अनाजों की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए हाल ही में इन वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने और सामान्य मुक्त लाइसेंस के अंतर्गत दालों का आयात करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस निर्णय का घरेलू बाजार पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या सरकार ने इन वस्तुओं का निर्यात न करने के कारण होने वाली विदेशी मुद्रा की हानि का आकलन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन वस्तुओं के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध को कब तक हटा दिया जाएगा?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) आलू का निर्यात 27 अक्तूबर, 98 से प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्याज भी 31 जनवरी, 1999 तक निर्यात के लिए प्रतिबंधित किया गया है। खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत दालों का पहले से ही मुक्त रूप से आयात करने की अनुमति दी गई है। जहां तक अनाज का संबंध है निर्यातों की कतिपय शर्तों/प्रतिबंधों के साथ अनुमति दी जाती है।

(ग) से (ङ) खुले बाजार में कीमतों पर इस निर्णय के प्रभाव और निर्यात न होने के कारण विदेशी मुद्रा की हानि का मूल्यांकन करना सामयिक नहीं समझा जाता है।

(च) इन मदों के निर्यात को प्रतिबंधित करने के निर्णय की घरेलू उपलब्धता और इन मदों की कीमतों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा की जाएगी।

अप्रत्यक्ष करों की वसूली

1084. श्री एम. बागा रेड्डी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1998–99 की प्रथम तिमाही के दौरान अप्रत्यक्ष करों की कम वसूली के कारण सरकार के वित्त में कमी आई है जिसके कारण इसे अतिशय रूप से अग्रिम के माध्यम का सहारा लेना पड़ा है;

(ख) 30 जून 1998 को समाप्त हो रही पहली तिमाही में उत्पाद शुल्क में कुल कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या 1998–99 के दौरान बजट में सीमाशुल्क वसूली में 17.4 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया था, जिसमें पिछले वर्ष की पहली तिमाही की वसूली की अपेक्षा 0.7 प्रतिशत की गिरावट आई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) सरकार द्वारा की जाने वाली प्राप्तियां मौसमी प्रकृति की होती हैं। सामान्यतया, वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में कर वसूलियां सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय के बराबर नहीं होती जिसके परिणामस्वरूप और उपाय और साधन तलाशने पड़ते हैं और अग्रिमों का सहारा लेना पड़ता है। तथापि वित्तीय वर्ष के अंत में जाकर स्थिति में धीरे–धीरे सुधार हो जाता है।

(ख) जून, 1998 को समाप्त होने वाली पहली तिमाही के दौरान कुल उत्पाद शुल्क की राशि 9782.61 करोड़ रुपए

(अनंतिम) थी, जबकि वर्ष 1997–98 की इसी अवधि के दौरान कुल उत्पाद शुल्क की राशि 9297.00 करोड़ रुपए (अनंतिम) थी, अर्थात् इसमें 5.2% की वृद्धि हुई।

(ग) वर्ष 1998–99 के बजट में सीमाशुल्क राजस्व की राशि 1997–98 में की गई वास्तविक वसूली की अपेक्षा 19.7% अधिक आंकी गई थी। जून 98 को समाप्त होने वाली तिमाही में वित्तीय वर्ष 1997–98 की इसी अवधि के दौरान की गई वसूली की तुलना में लगभग 0.7% कम वसूली हुई।

(घ) राजस्व वसूली में सुधार लाने के लिए सभी प्रशासनिक कदम उठाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

अनिवासी भारतीयों द्वारा रुग्ण वस्त्र एककों को अपने हाथ में लेना

1085. श्रीमती शीला गौतम :

श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश को आकर्षित करने की नीति के तहत कुछ अनिवासी भारतीयों की फर्मों ने भारत में रुग्ण वस्त्र एककों को अपने हाथ में लेने तथा उनके पुनरुद्धार में रुचि दिखाई है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे वस्त्र एककों का ब्यौरा क्या है जिनको अनिवासी भारतीयों के फर्मों ने अपने हाथ में ले लिया है तथा उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है जिन पर बातचीत चल रही है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) भारत में रुग्ण वस्त्र एककों का अधिग्रहण करने के लिए अनिवासी भारतीयों से कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त होने के बारे में नहीं बतलाया गया है।

हथकरघा बनुकरों के लिए आरक्षित मदें

1086. श्री सुरेश चन्देल : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हथकरघा बुनकरों के लिए उत्पादन हेतु आरक्षित मदों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आरक्षित मदों का विनिर्माण गैर–हथकरघा क्षेत्र द्वारा भी किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो गैर–हथकरघा क्षेत्र को इन मदों का विनिर्माण करने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार हथकरघा बुनकरों को विपणन सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार ने बुनकरों द्वारा विनिर्मित माल के बाजार में विक्रय हेतु कौन–कौन से कदम उठाए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) 11 वस्त्र वस्तुओं का अनन्य रूप से हथकरघों पर उत्पादन के लिए आरक्षित किया गया है अर्थात : 1. साड़ी, 2. धोती, 3. तौलिया, गमछा और अंगवस्त्रम् 4. लुंगी, 5. खेस, बैडशीट, बैडकवर, पलंगपोश, फर्नीशिंग (जिसमें टेपेस्ट्री, अपहोजरी शामिल है) 6. जामाकालम दूरी या डुरट 7. ड्रेस मेटेरियल 8. बैरक कम्बल, कम्बल या कम्बली 9. शाल, लोई, मफलर पंखी इत्यादि 10. ऊनी कपड़ा 11. चादर में खला/फाणिक।

(ख) हां, समय–समय पर उल्लंघन के उदाहरण देखे गये हैं।

(ग) (1) हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम 1985 तथा हथकरघा आरक्षण आदेश को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए कार्यान्वयन अभिकरणों जैसे राज्य/संघ शसित प्रदेशों को आदेश जारी किए गए हैं कि यह उनकी जिम्मेदारी है कि अधिनिमय को ठीक प्रकार से कार्यान्वित करें।

2. केन्द्रीय प्रवर्तन तंत्र दिल्ली के साथ–साथ तीन क्षेत्रीय प्रवर्तन कार्यालय कलकत्ता, चैन्नई एवं अहमदाबाद में स्थापित हो चुके हैं।

3. राज्य/संघ शासित क्षेत्रों, केन्द्रीय सरकार एवं बुनकर सेवा केन्द्रों को आरक्षण अधिनियम को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए शक्तियां प्रदान कर दी गई।

4. आरक्षण अधिनियम/आदेशों का सुचारु रूप से पालन करने हेतु कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यंक वर्ष पावरलूम का निरीक्षण करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं।

5. अधिनियम के अधीन प्रावधान के अनुसार अगर कोई अधिनियम/आदेशों का उल्लंघन करता है तो प्राधिकृत अधिकारियों के द्वारा जांच टीम के साथ मामले दर्ज किये जाते हैं।

6. आरक्षण अधिनियम/आदेशों का सुचारु रूप से

कार्यान्वयन करने हेतु राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में प्रवर्तन तंत्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

7. उपरोक्त परिमाणस्वरूप अब तक 3,76,726 पावरलूमों का निरीक्षण किया गया, 718 उल्लंघन के मामले दर्ज किए गए तथा 5 मामलों में दोषी, ठहराये गये।

(घ) सरकार हथकरघा अभिकरणों/बुनकरों को राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो, एवं जिला स्तर के मेले, उत्पाद विशेष प्रदर्शनी, शिल्प मेले आयोजित कर एवं विपणन कम्पलैक्स स्थापित करके विपणन सहायता प्रदान करती है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उड़ीसा को धनराशि का आबंटन

1087. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा के अविभाजित कालाहांडी, बोलनगीर और कोरापुट (के.बी.के.) जिलों के लिए धनराशि का विशेष आबंटन करने का है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इन जिलों के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) वर्ष 1998–99 के दौरान कितनी राशि आबंटित की गई है; अथवा आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) उड़ीसा राज्य सरकार को दीर्घावधिक कार्य योजना (एल.टी.ए.पी.) के तहत उसके कालाहंडी, बोलनगीर और कोरापुट (के.बी.के.) जिलों के लिए ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन विभाग, कृषि और सहकारिता विभाग, पशुपालन और दुग्ध उद्योग विभाग तथा गैर परंपरागत ऊर्जा मंत्रालय इन सभी स्रोतों को मिलाकर 1995–96, 1996–97 तथा 1997–98 के लिए क्रमशः 164.03 करोड़, 181.82 करोड़ तथा 193.26 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति की जा चुकी है।

(ग) राज्य सरकार ने 1998–99 के लिए संशोधित एल.टी.ए.पी. हेतु 606.51 करोड़ रुपए आबंटित किए जाने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि इसमें से कुछ योजनाएं अभियाचना प्रेरित हैं और कुछ मानकों में ढील दिए जाने से जुड़ी हैं, अतः धनराशि का वास्तविक प्रवाह कार्य की प्रगति इत्यादि पर निर्भर करेगा। फिर भी इन जिलों में निधियों के एक निश्चित स्तर को सुनिश्चित करने के लिए रोजगार आश्वासन योजना के तहत पहली किस्त को दुगुना करने समेत अनेक कदम उठाए गए हैं और उड़ीसा की 1998–99 की वार्षिक योजना में के.बी.के. जिलों के लिए 37 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा आकस्मिक खाद्य कार्यक्रम के लिए 7 करोड़ रुपए तथा आधारभूत न्यूनतम सेवा (बी.एम. एस.) के तहत् सचल स्वास्थ्य यूनिटों हेतु 2 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

1088. श्री दिन्शा पटेल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वैच्छिक संगठनों, सहकारिता और गैर–सरकारी संगठनों के लिए सरकार द्वारा प्रस्तुत केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है और ऐसी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए क्या अर्हता संबंधी मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान इस तरह की सभी योजनाओं का राज्यवार और वर्षवार कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या सरकार केन्द्र प्रायोजित कुछ पुरानी योजनाओं में संशोधन करने और कुछ नई योजनाएं शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) सरकार द्वारा निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं:–

1. प्रोजेक्ट पे पैकेज स्कीम।
2. निर्यात योग्य उत्पादों तथा उनके विपणन का विकास।
3. थ्रिफट फंड स्कीम।
4. समूह बीमा स्कीम।

ऐसी स्कीमों का लाभ उठाने के लिए मानक योग्यता :-

1. प्रोजेक्ट पैकेज स्कीम :

इस स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय/राज्य हथकरघा निगमों/

अभिकरणों संघों आदि शीर्ष/प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियां, गैर सरकारी/स्वैच्छिक संस्थाओं कापार्ट से सहायता प्राप्त करने के लिए मानक पूरा करने पर साफ रिकार्ड, अच्छे निष्पादन का रिकार्ड, चयनित प्रबंधन होने पर राज्य की विशिष्ट सिफारिशों पर सहायता प्रदान करने के योग्य है।

2. निर्यात योग्य उत्पादों तथा उनके विपणन का विकासः

राष्ट्रीय स्तर के निगमों/शीर्ष समितियों तथा प्राथमिक आदि निर्यात के लिए योग्यता रखने वाले तथा अपना विपणन करने वाले स्कीम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के योग्य हैं।

3. थ्रिफ्ट फंड स्कीम :

बुनकर जो समिति के नियमित सदस्य हैं, स्कीम के अंतर्गत सहायता के लिए योग्य है। यद्यपि समिति के बाहर के सदस्य भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं अगर वे विकास आयुक्त हथकरघा तथा संबंधित राज्य के विशिष्ट अनुमोदन के अधीन अपने आपको संतोषजनक समूह में एकत्रित करते हैं। राज्य हथकरघा विकास निगम से संबद्ध बुनकर भी योग्य होंगे।

4. समूह बीमा स्कीम :

सभी बुनकर चाहे पुरुष एवं महिला जो थ्रिफ्ट फंड स्कीम के अंतर्गत आते हैं वे समूह बीमा स्कीम के द्वारा अपने आप, शामिल हो जाते हैं। विशेष स्थिति में विकास आयुक्त हथकरघा के अनुमोदन के अधीन थ्रिफट फंड स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं हुए बुनकर बीमा स्कीम के अंतर्गत शामिल किये जा सकते हैं। बुनकर संगठनों जिनके बुनकर थ्रिफट फंड स्कीम के अंतर्गत भी शामिल हैं स्कीम के अंतर्गत बुनकरों के लिए बीमा पॉलिसी भी लेने के योग्य होंगे।

(ख) सरकार द्वारा प्रोजेक्ट, पैकेज स्कीम के द्वारा व्यय राशि को दर्शाने वाला विवरण–I संलग्न है, थ्रिंफट फंड स्कीम तथा समूह बीमा स्कीम के संबंध में विवरण–I तथा निर्यातयोग्य उत्पादों तथा उनके विपणन स्कीम के विकास के बारे में विवरण–III संलग्न है।

(ग) और (घ) नई स्कीमों की प्रस्तावना तथा संशोधन एक नियमित प्रक्रिया है तथा राज्य सरकारों की सहमति से जब भी अपेक्षित होता है, किया जाता है।

विवरण –I

प्रोजेक्ट पैकेज स्कीम

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	1995–96 जारी की गई राशि	1996–97 जारी की गई राशि	1997–98 जारी की गई राशि	कुल जारी की गई राशि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	138.9100	402.5900	610.6400	1152.1400
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–
3.	असम	246.2150	394.6700	765.8500	1406.7350
4.	बिहार	64.6800	6.2500	36.7500	107.6800
5.	दिल्ली	–	–	–	–
6.	गुजरात	6.2000	10.5600	3.6000	20.3600
7.	हरियाणा	7.5000	24.5710	10.8900	42.9610
8.	हिमाचल प्रदेश	51.3300	58.1850	79.1150	188.6300

1	2	3	4	5	6
9.	जम्मू व कश्मीर	47.0500		159.7450	206.7950
10.	कर्नाटक	12.1450	48.7100	51.1400	111.9950
11.	केरल	225.2000	147.8100	518.9500	891.9600
12.	मध्य प्रदेश	80.1600	39.9800	84.4765	204.6165
13.	महाराष्ट्र	94.2800	6.9300	54.3500	155.5600
14.	मणिपुर	–	–	–	–
15.	मेघालय	–	–	–	–
16.	मिजोरम	10.0000	–	20.0000	30.0000
17.	नागालैंड	37.8400	372.8250	572.0600	982.7250
18.	उड़ीसा	114.7300	87.4100	69.0825	271.2225
19.	पांडिचेरी	–	–	–	–
20.	पंजाब	–	–	–	–
21.	राजस्थान	312.1975	17.7500	2.5000	332.4475
22.	सिक्किम	–	–	–	–
23.	तमिलनाडु	176.4350	103.4200	419.0315	698.8865
24.	त्रिपुरा	33.6000	4.7500	9.5000	47.8500
25.	उत्तर प्रदेश	42.3500	34.1000	419.2750	495.7250
26.	पश्चिम बंगाल	51.1800	18.6500	55.8000	125.6300
	कुल	1752.0025	1779.1610	3942.7555	7473.9190

विवरण – II

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	समूह बीमा स्कीम			थिफट फंड स्कीम		
		95–96	96–97	97–98	95–96	96–97	97–98
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	14.01	16.00	–	81.50	90.60	135.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	–	–	–	–	–	–
4.	बिहार	4.04	–	–	–	–	–
5.	दिल्ली	–	–	–	–	–	–
6.	गोवा	–	–	–	–	–	–
7.	गुजरात	–	4.13	–	–	1.00	–
8.	हरियाणा	–	–	–	–	–	–
9.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–
10.	जम्मू व कश्मीर	–	–	–	–	–	–
11.	कर्नाटक	10.00	10.00	–	5.00	14.00	10.00
12.	केरल	–	–	–	–	–	–
13.	मध्य प्रदेश	–	–	2.92	–	11.49	7.10
14.	महाराष्ट्र	–	–	–	–	–	–
15.	मणिपुर	–	0.60	–	11.19	–	–
16.	मेघालय	–	–	–	–	–	–
17.	मिजोरम	–	–	–	–	–	–
18.	नागालैंड	–	–	–	–	–	–
19.	उड़ीसा	10.00	10.00	–	30.00	–	30.00
20.	पांडिचेरी	–	–	–	–	–	–
21.	पंजाब	–	–	–	–	–	–
22.	राजस्थान	–	–	–	1.00	2.00	–
23.	सिक्किम	–	–	–	–	–	–
24.	तमिलनाडु	26.06	27.28	33.69	192.14	140.05	180.00
25.	त्रिपुरा	–	–	–	–	–	0.23
26.	उत्तर प्रदेश	10.00	–	–	22.50	–	1.14
27.	पश्चिम बंगाल	3.00	2.00	3.00	12.00	–	27.00
	कुल	77.11	70.01	39.61	355.33	259.14	390.47

विवरण-III

निर्यात योग्य उत्पादों एवं उनके विपणन का विकास

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	जारी की गई राशि	
		1996–97	1997–98
1.	असम	17.50	–
2.	गुजरात	–	12.50
3.	हरियाणा	14.00	–
4.	जम्मू व कश्मीर	2.60	8.75
5	केरल	6.50	11.00
6.	मध्य प्रदेश	7.00	27.75
7.	तमिलनाडु	–	13.50
8.	त्रिपुरा	17.50	–
9.	उत्तर प्रदेश	10.02	58.78
10.	पश्चिम बंगाल	–	33.50
	कुल	75.12	165.78

स्कीम 1996–97 में लागू हुई थी।

आंतरिक कर्ज

1089. श्री संदीपान थोरात : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश केन्द्र सरकार एवं सभी राज्य सरकारों के मामले में आंतरिक कर्ज के सबंध में 1981 में 48000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,80,000 करोड़ रुपए हो जाने वाले कमर–तोड़ आंतरिक कर्ज के बोझ के जाल की ओर बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो 30.9.1998 तक की स्थिति के अनुसार केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार–वार आंतरिक कर्ज के भार का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इसमें कितनी वृद्धि हुई और चालू वर्ष तथा अगले पांच वर्षों के लिए केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों पर कितने ऋण का भार पड़ने का अनुमान है और उस पर उन्हें कितना ब्याज देना पड़ेगा; और

(घ) आंतरिक ऋण के जाल से बचने हेतु उठाए गए/प्रस्तावित बहु–उद्देशीय कदमों/व्यापक उपायों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (घ) राज्य सरकारों का आंतरिक ऋण बोझ, अपना ऋण चुकाना और उसे नियंत्रण में रखने के उपायों का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है। केन्द्रीय सरकार के आंतरिक ऋण और अन्य देयताओं के संबंध में ब्यौरे निम्नानुसार हैं:–

(करोड़ रुपए)

	1994–95	1995–96	1996–97	1997–98 सं. अ.	1998–99 बजट अनुमान
वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया आंतरिक ऋण और अन्य देयताएं	487683	554984	621437	718299	810911
ऋण शोधन					
(क) *मूलधन की वापसी–अदायगी	57562	66888	65444	74885	92595
(ख) ,ब्याज का भुगतान	40034	45631	55255	61550	70808
कुल ऋण–शोधन	97596	112519	120699	136435	163403

*91–दिवसीय/14–दिवसीय/28–दिवसीय राजकोषीय हुंडियों की चुकौती, अर्थोपाय अग्रिम, प्रारक्षित निधियां और निर्ब्याज जमा राशियां तथा उचन्त लेनदेनों को छोड़कर।

आगामी पांच वर्षों के आंकड़े भविष्य में ली जाने वाली अतिरिक्त उधारों और उनकी परिपक्वताओं पर निर्भर करेंगे।

केन्द्र सरकार के बकाया ऋण में वृद्धि आवर्ती राजकोषीय घाटों के कारण है जो कुल व्यय (वापसी–अदायगी को घटाकर) और ऋण–भिन्न प्राप्तियों के बीच अंतर प्रतिबिंबित करते हैं। सरकार चालू वर्ष के दौरान ऋण–भिन्न प्राप्तियों को अधिकतम करके और व्यय को नियंत्रित करके तथा उसकी निरंतरता को भी देखते हुए राजकोषीय घाटे की रोकने का प्रयास करेगी।

[हिन्दी]

पर्यटन को निर्यात उद्योग का दर्जा

1090. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्री दत्ता मेघे :

श्री अभयसिंह एस. भोंसले :

श्री शान्तिलाल पुरूषोत्तमदास पटेल :

श्री चेतन चौहान :

श्री विठ्ठल तुपे :

श्री पंकज चौधरी :

श्री माधवराव पाटील :

श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :

श्री गुरूदास कामत :

श्री पी. शंकरन :

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पर्यटन को निर्यात उद्योग का दर्जा देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप पर्यटन क्षेत्र को कितना विकसित किए जाने की संभावना है और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होगी;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई समिति गठित की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) और (ख) होटल, यात्रा अभिकर्ता, यात्रा प्रचालक, पर्यटक वाहन प्रचालक, भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की दिनांक 26.11.98 की अधिसूचना सं. 33 द्वारा निर्यात गृह/सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउस के रुप में अभिनिर्धारित किए जाने के लिए पात्र होंगे। परिणामस्वरूप वे क्रियाविधि पुस्तिका (खण्ड–1) के अध्याय 12 में विनिर्दिष्ट ऐसे लाभ पाने के पात्र होंगे।

(ग) निर्यात गृह का दर्जा दिए जाने और इसके परिणामस्वरूप मिलने वाले लाभों से पर्यटन के विकास में मदद मिलेगी जिससे अंततः विदेशी मुद्रा आय और अधिक बढ़ेगी।

(घ) और (ङ) पर्यटन, वित्त एवं वाणिज्य मंत्रियों ने अपनी पहली चर्चा के दौरान, पर्यटन, वित्त और वाणिज्य मंत्रालयों के सचिवों की एक समिति गठित करने का निर्णय लिया था। जिसकी सिफारिशों पर तीनों मंत्री पर्यटन उद्योग के विभिन्न घटकों को निर्यात गृह का दर्जा देने का निर्णय करेंगे।

कृषि क्षेत्र के लिए ऋण सीमा में वृद्धि

1091. श्री प्रभुदयाल कठेरिया : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि क्षेत्र को बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की सीमा बढ़ाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) की शर्त के अनुसार, वाणिज्यिक बैंकों से आशा की जाती है कि वे अपने शुद्ध बैंक ऋणों के न्यूनतम 18 प्रतिशत कृषि क्षेत्र को उधार दें। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों से कृषि क्षेत्र को ऋण के प्रवाह में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है जो मार्च, 1992 के 18265 करोड़ रुपए के स्तर से बढ़कर मार्च, 1998 में 34304 करोड़ रुपए हो गई है। बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली ऋण सीमा को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

खादी और ग्रामोद्योग आयोग

1092. श्रीमती कमल रानी : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कितनी औद्योगिक इकाइयां प्रायोजित की गई हैं अथवा इसके प्रशासनिक नियंत्रण में है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान तथा अब तक प्रत्येक वर्ष इन उद्योग द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अंतर्गत कार्य कर रहे कितने खादी और ग्रामोंद्योगों/संस्थानों को सहायता प्रदान की गई है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) खादी ग्रामोद्योग आयोग सामान्यतः उन संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो उसके पास सीधे पंजीकृत होते हैं। बदले में, ये पंजीकृत संस्थान अपने–अपने प्रचालन क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करते हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश का संबंध है, के.वी.आई. क्षेत्र में 2060 पंजीकृत संस्थान कार्य कर रहे हैं जबकि संपूर्ण भारत में 4869 संस्थान कार्यरत हैं।

(ख) उत्पादन, रोजगार, बिक्री और आय के संदर्भ में पिछले तीन वर्षों के लिए के. वी. आई. सी. की सभी कार्यान्वयन एजेंसियों का संचयी निष्पादन इस प्रकार है:–

(करोड़ रुपये में)
(रोजगार लाखों में)

	1995–96	1996–97	1997–98
उत्पादन	4028.45	4880.00	5043.84 (पी)
बिक्री	4429.12	4814.00	5065.28
रोजगार	56.72	60.22	60.15 (पी)
आय	1363.89	1532.55	1546.34

(ग) विभिन्न राज्य के.वी.आई बोर्डों के तहत कार्यरत ऐसे पंजीकृत संस्थानों/सहकारी समितियों और व्यष्टियों की कुल संख्या नीचे दी गई है जिन्हें के.वी.आई. सी. के स्त्रोतों से वित्तीय सहायता दी गई थी:

पंजीकृत संस्थान	4,869
सहकारी समितियां	30,112
व्यष्टि	7.80 लाख

गाडगिल-मुखर्जी फार्मूला

1093. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को योजना सहायता के विवरणार्थ "गाडगिल–मुखर्जी फार्मूला" नामक कोई फार्मूला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस फार्मूले में मरुस्थल क्षेत्र, मूलधन ढांचे की सूची, जनसंख्या की पद्धति आदि जैसी बातों की ओर ध्यान दिया गया है;

(घ) क्या इस फार्मूले की समीक्षा करने की कोई मांग है;

(ङ) यदि हां, तो इस मांग का क्या आधार है;

(च) क्या इस फार्मूले की समीक्षा की जा रही है और इसमें संशोधन किए जाने की संभावना है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दिसम्बर, 1991 में यथा स्वीकृत गाडगिल मुखर्जी फार्मूले के आधार पर राज्य योजनाओं के लिए राज्यों को सामान्य केन्द्रीय सहायता आबंटित कर दी गई है। इस फार्मूले में जनसंख्या, प्रतिव्यक्ति आय, कर उपलब्धता, राजकोषीय प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण कारकों और जनसंख्या नियंत्रण (रोकथाम), निरक्षरता उन्मूलन, बाहय सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ई.ए.पी.) को यथा समय पूरा करने और भूमि सुधार जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों के संबंध में की गई उन्नति को महत्व दिया गया है।

(घ) से (छ) जी, हां। इस फार्मूले में संशोधन करने के लिए राज्य सरकारों ने अपने विचार भेजे हैं और राष्ट्रीय विकास परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए इन विचारों का संकलन किया गया है।

[हिन्दी]

अधिक विदेशी पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिए नई पर्यटन नीति

1094. श्री अरविंद काम्बले :

डा. शकील अहमद :

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अधिक से अधिक विदेशी पर्यटकों को आकृष्ट करके विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने और प्रत्येक वर्ष उनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए नई पर्यटन नीति को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) इस संबंध में उन बिन्दुओं का ब्यौरा क्या है जिन पर विशेष जोर दिया गया है;

(ग) क्या उन राज्यों में सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उक्त नीति में कोई विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिनकी पर्यटन उद्योगों के क्षेत्र में उपेक्षा की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस नीति के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले ऐसे राज्यों का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) जी, नहीं।

(ख) पर्यटन मंत्रालय द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय पर्यटन नीति के प्रारूप में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष बल दिया गया है:

(i) पर्यटन के लाभ के बारे में जागरूकता का सृजन

(ii) पर्यटन के विकास में निजी क्षेत्र और जनता को शामिल करना; और

(iii) विकास गतिविधियों में निरन्तरता सुनिश्चित करना।

(ग) और (घ) नीति के प्रारूप में, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, जम्मू व कश्मीर आदि की विशेष महत्व के क्षेत्रों के रूप में पहचान की गई है।

एंटी बायोटिक्स का निर्यात

1095. श्री के. एस. राव :

डा. उल्हास वासुदेव पाटील :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय संघ ने कतिपय "ब्रॉडस्पेक्ट्रम एन्टीबायोटिक्स" के भारतीय निर्यात पर पांच वर्ष के लिए "काउन्टरवैलिंग शुल्क" लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार लगाए गए शुल्क से निर्यात पर भी प्रभाव पड़ेगा;

(घ) क्या भूतकाल में भी ऐसा शुल्क लगाया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो इन्हें कब तक लगाया गया था और इसका निर्यात पर कब से कैसा प्रभाव पड़ा है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) जी, हां। यूरोपीय आयोग ने दिनांक 6 अक्तूबर, 1998 से तीन ब्रॉड स्पैक्ट्रम एंटीबायोटिक के भारतीय निर्यातों पर निश्चयात्मक प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाए हैं। ये शुल्क सहकारी कंपनियों के बारे में 4.6% से लेकर 12% तक हैं और गैर–सहकारी कंपनियों के लिए 14.6% की एक समान दर है।

(ग) सम्बन्धित कंपनियों द्वारा किया जाने वाला लक्ष्यित ब्रॉड स्पैक्ट्रम एंटीबायटिक्स का निर्यात प्रभावित होगा। वर्ष 1997 में तीनों एंटीबायटिक्स का निर्यात उसी अवधि में यूरोपीय संघ को हुए औषध तथा भेषजों के 1200 करोड़ रु. के कुल मूल्य के निर्यात में से 41 करोड़ रु. का हुआ है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक लाइसेंस

1096. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बावजूद लाल फीताशाही और सरकार के अत्यधिक नियंत्रण के कारण भारत में उद्यमियों का अभी भी उद्यमिता विशेष रूप से प्रौद्योगिक उद्यमिता के लिए परमिट और लाइसेंस प्राप्त करने में अनेक कठिनाइयों को सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या लाइसेंस राज को पूरी तरह से

समाप्त करने और प्रौद्योगिकी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाए जा रहे हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) से (ग) जुलाई, 1991 में औद्योगिक नीति संबंधी विवरण पटल पर रखने के बाद, जिसका परिणाम आर्थिक सुधारों और उदारीकरण के युग के रूप में सामने आया, सरकार द्वारा निरंतर उन मदों की सूची की समीक्षा की जाती रही है जिनके लिए लाइसेंस आवश्यक है। मात्र छः उद्योगों की एक संक्षिप्त सूची के अलावा, जो सुरक्षा और सामरिक महत्व, सामाजिक कारणों, खतरनाक रसायनों और अतिहत्वपूर्ण पर्यावरण मामलों से संबंध रखते हैं, अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंसीकरण समाप्त कर दिया गया है। इन क्षेत्रों में भी औद्योगिक लाइसेंस प्रदानगी के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गयी है और उसका पालन किया जा रहा है।

अनिवार्य लाइसेंस के तहत न आने वाली मदों के विनिर्माण संबंधी नयी परियोजनाओं, अथवा उनमें पर्याप्त विस्तार के मामले में जरूरत केवल यही है कि औद्योगिक उपक्रम द्वारा उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक सहायता सचिवालय में निर्धारित फार्म में एक ज्ञापन दायर किया जायेगा।

उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विदेशी प्रौद्योगिकी के समझौतों के लिए स्वतः अनुमति प्रदान की जा रही है। विदेशी तकनीकीशियनों को किराये पर लेने के लिए देश में ही विकसित प्रौद्योगिकी के विदेशी परीक्षण हेतु अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।

सरकार द्वारा नीतियों, प्रक्रियाओं और विधियों का सरलीकरण एक सतत् प्रक्रिया है। सुरक्षा और सामरिक महत्व, सामाजिक कारणों और अतिमहत्वपूर्ण पर्यावरण कारणों से अनिवार्य लाइसेंसीकरण जारी रहेगा।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों की मदों को आरक्षित सूची से हटाया जाना

1097. प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लघु उद्योगों के लिए आरक्षित कुछ मदों को आरक्षित सूची से हटाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने वर्ष 1998-99 के केन्द्रीय बजट पेश करते वक्त लघु उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण के लिए आरक्षित खेती के साधनों तथा औजारों को अनारक्षित करने का प्रस्ताव किया है ताकि किसानों को खेती के साधन तथा औजारों की विस्तृत श्रृंखला, प्रतिस्पर्द्धात्मक मूल्य पर मिल सके तथा बिक्री के उपरांत अपेक्षित सेवा लाभ मिल सकें। इसे जल्दी लागू करने के लिए उचित कार्यवाही शुरू की जा चुकी है।

"फेरा" के अंतर्गत गिरफ्तारी

1098. श्री नरेन्द्र बुडानिया : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए अनेक व्यक्तियों को रिहा कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी गत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त अधिनियम के अंतर्गत मामलों में की जा रही कार्यवाही की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों के संबंध में आंकड़े राज्यवार रखे नहीं जाते। गत तीन वर्षों के दौरान गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के क्षेत्रवार आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

	1996	1997	1998 (अक्तूबर तक)
अहमदाबाद	*	04	13
बंगलौर	**	03	07
कलकत्ता	29	11	06
चेन्नई	47	31	15
दिल्ली	19	32	08
जालंधर	28	23	06
मुम्बई	100	55	22
	223	159	77

* मुम्बई क्षेत्र के आंकड़ों में शामिल कर दिए गए हैं।

** चेन्नई क्षेत्र के आंकड़ों में शामिल कर दिए गए हैं।

(ग) और (घ) अधिकतर गिरफतार व्यक्तियों को जमानत पर छोड़ दिया जाता है क्योंकि फेरा के मामलों में प्रायः जांच पड़ताल विस्तृत, लम्बी एवं समय लेने वाली होती है, जो कि न्यायालय द्वारा प्रदान की गई रिमांड की 60 दिन की कानूनी अवधि में पूरी नहीं होती।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

1099. डा. प्रभा ठाकुर : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन लोगों की संख्या जानने के लिए कोई आंकड़ा एकत्र किया है/ सर्वेक्षण कराया है, जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है और स्वः रोजगार प्राप्त करने में समर्थ हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु कोई ठोस योजना तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (घ) भारतीय उद्योग के औद्योगिक पुनर्संरचना, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा आधुनिकीकरण से प्रभावित कर्मचारियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय नवीकरण निधि के अंतर्गत पुनर्गठित कर्मचारियों के परामर्श, पुनः प्रशिक्षण तथा पुनः नियुक्ति तैनाती हेतु एक योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस वैकल्पिक योजना में मनोवैज्ञानिक तथा वित्तीय परामर्श, व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा वेतन/स्व–रोजगार को सरल बनाने के लिए अनुवर्ती सेवा करना सम्मिलित है। 31 अक्तूबर, 1998 की स्थिति के अनुसार, उक्त योजना के तहत 91288 व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया, 46,994 व्यक्तियों को परामर्श दिया गया 33242 व्यक्तियों को पुनः प्रशिक्षित किया गया तथा 10,215 व्यक्तियों की पुनः तैनाती की गयी।

[अनुवाद]

एल. आई. सी. कर्मचारियों द्वारा आंदोलन

1100. श्री प्रमथेस मुखर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों ने बीमा क्षेत्र को देशी और विदेशी भागीदारों के लिए खोलने पर देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एल. आई. सी. के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा कौन–कौन से उपचारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि श्रेणी–III और श्रेणी–IV के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ कर्मचारी संघों ने बीमा क्षेत्र को खोलने के विरुद्ध आन्दोलन करने का आह्वान किया है। आन्दोलन कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ–साथ दिनांक 3.12.1998 को धरना देना, दिनांक 8.12.98 को "संसद चलो" कार्यक्रम और बीमा क्षेत्र के निजीकरण और इसे विदेशी तथा भारतीय प्राइवेट कम्पनियों के लिए खोले जाने का विरोध करना शामिल है।

(ग) प्रतियोगिता की चुनौतियों का सामना करने हेतु जीवन बीमा निगम के कार्यानिष्पादन को सुधारने के लिए विगत में अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें निगम के बोर्ड क्षमता को बढ़ाकर पूरा करना; निवेश के मामले में जीवन बीमा निगम को सरकार द्वारा शक्तियों प्रत्यायोजन; आधारभूत ढांचे के और क्षेत्रों को शामिल कर समाजोन्मुख क्षेत्र के दायरे को बढ़ाना; आंचलिक, मंडलीय और शाखा कार्यालयों को और अधिक वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित करना ताकि दावों का शीघ्रता से निपटान सुनिश्चित हो सके; मुम्बई, चेन्नई और बंगलौर में मैट्रो एरिया नेटवर्क सिस्टम और इन्टर–एक्टिव वाइस रेस्पोंस सिस्टम को लागू करके और फिर इसे अन्य बड़े शहरों तथा महानगरों तक बढ़ाने के प्रावधान सहित सूचना प्रौद्योगिकी का उन्नयन करना; ग्राहक सेवाओं को सुधारने के लिए निगम द्वारा सिटिजन्स चार्टर को उपयोग में लाना; न्यायपालिका के भूतपूर्व सदस्यों को समाविष्ट करके आंचलिक दावा पुनरीक्षा समितियों को सुदृढ़ करना आदि शामिल है।

[हिन्दी]

रेशम के धागे की तस्करी

1101. श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चीन

और कोरिया से रेशम के धागे की बड़े पैमाने पर बिहार के भागलपुर जिले में तस्करी की जा रही है और जिसके परिणामस्वरूप स्वदेशी रेशम के उत्पादन मे भारी गिरावट आ गई है;

(ख) क्या सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग और केन्द्रीय सीमा–शुल्क विभाग के माध्यम से भागलपुर में विदेशी रेशम को आने से रोकने के लिए कोई कार्रवाई कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) ऐसी कोई विशेष सूचना उपलब्ध नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि चीन एवं कोरिया से रेशमी धागे की बिहार के भागलपुर जिले में बड़ी मात्रा में तस्करी हो रही है और इसके परिणामस्वरूप स्वदेशी रेशम के उत्पादन में भारी कमी आई है। तथापि, प्राप्त रिपोर्टों/आसूचना से, भारत–नेपाल सीमा से बिहार में रेशमी धागों की तस्करी करने के छुट–पुट मामलों का अवश्य पता चलता है।

(ख) और (ग) राजस्व आसचूना निदेशालय तथा सीमा–शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के क्षेत्रीय कार्यालय देश में निषिद्ध माल तथा रेशमी धागों की तस्करी के मामलों का पता लगाने और उसे रोकने और साथ ही भागलपुर में रेशमी धागों की लगातार की जा रही तस्करी को रोकने के लिए सतर्क हैं। बिहार के भागलपुर नगर में सीमा–शुल्क अधीक्षक की अध्यक्षता में एक सीमा शुल्क निवारक सर्किल गत दो वर्षों से कार्य कर रहा है ताकि इस क्षेत्र में तस्करी रोधी प्रयासों को और मजबूत बनाया जा सके। इसके अलावा, सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, पटना की निवारक पार्टियां भागलपुर ज़िले के अधिकार क्षेत्र में किसी भी प्रकार की तस्करी का पता लगाने के कार्य पर निगरानी रखने एवं आकस्मिक जांच करने के कार्य में पूर्णतः सक्रिय हैं। गत तीन वर्षों के दौरान, बिहार के भागलपुर ज़िले के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सीमा शुल्क विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किए गए रेशमी धागों के अभिग्रहणों का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

वर्ष	मामलों की सं.	अभिगृहीत रेशमी धागों की मात्रा (कि.ग्रा. में)	अभिगृहीत माल का मूल्य (लाख रु. में)
1996–97	07	304.400	4.70
1997–98	13	931.900	21.74
1998–99	21	682.850	17.33
(अक्तूबर, 98 तक)			

(घ) उपरोक्त (ख) और (ग) को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा बिहार को सहायता

1102. श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन वर्षों के दौरान बिहार में कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग में राष्ट्रीय कृषि और विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दी गयी वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) नाबार्ड ने किन क्षेत्रों में और कितनी मात्रा में निवेश किया है; और

(ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में अपने निवेश को बढावा देने के लिए क्या नीति बनाई जा रही है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उसने वर्ष 1995-96 से 1997-98 के दौरान बिहार के कोडरमा, गिरिडीह तथा हजारीबाग जिलों में नीचे दर्शाए गए अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की है:–

(रुपए लाख में)

जिले	1995–96	1996–97	1997–98
कोडरमा	12.552	44.572	72.957
गिरिडीह	196.073	420.866	377.176
हजारीबाग	258.907	410.311	398.495

नाबार्ड ने विभिन्न कार्यक्रमों में पुनर्वित्त के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ ये शामिल

हैं–लघु सिंचाई, फार्म यंत्रीकरण, मुर्गीपालन/बागवानी, डेयरी विकास, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, गैर–कृषि क्षेत्र, स्वयं सहायात समूह तथा अल्पावधि ऋण आदि। इसके अलावा, नाबार्ड ने वर्ष 1998–99 के लिए लघु सिंचाई के उद्देश्य से ग्रामीण ढांचागत विकास निधि (आर आई डी एफ)–III के अंतर्गत जिला गिरिडीह को 30.24 लाख रुपए और जिला हजारीबाग को 18.26 लाख रुपए स्वीकृत किए। नाबार्ड ने सूचित किया है कि उसने कोडरमा जिले में आर आई डी एफ के अंतर्गत, मंजूरी के लिए कोई परियोजना प्राप्त नहीं की है।

(ग) नाबार्ड ने सूचित किया है कि बिहार में सहकारी बैंकों का वसूली निष्पादन बहुत कम (14 प्रतिशत) होने के कारण नए ऋण प्रवाह पर प्रभाव पड़ा है जिसके परिणामस्वरूप अतिदेय राशियों के रूप में संसाधन अवरुद्ध हो गए। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए नाबार्ड ने अपनी तथा मौसमी कृषि परिचालनों जैसे निकटतम वसूली मानदण्ड (मांग का 40 प्रतिशत) को माफ करना, मांग नहीं प्रमाणपत्र को माफ करना, मौसमी अनुशासन तथा केन्द्रीय जिला सहकारी बैंकों द्वारा अपने संसाधनों के शामिल होने में कमी को क्षमा करना आदि अल्पावधि पुनर्वित्त के विस्तार को शासित करने वाले परिचालित मानदण्डों में ढील की है। इसके अतिरिक्त नाबार्ड ने, अनुमोदित प्रतिभूतियों के बंधक के बदले बिहार राज्य सहकारी बैंकों को उचित अल्पावधि ऋण देना भी शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त, बिहार राज्य सरकार से यह भी कहा गया है कि वह आर आई डी एफ के अंतर्गत वित्तीय सहायता के योग्य पहचाने गए प्राथमिकता क्षेत्र के तहत तकनीकी रूप से साध्य और आर्थिक रूप से अर्थक्षम परियोजनाएं प्रस्तुत करें।

मोटर वाहन इकाइयों का कार्य निष्पादन

1103. श्री रंजीब बिस्वाल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वाणिज्यिक वाहनों का उत्पादन करने वाली विभिन्न मोटर वाहन इकाइयों के कार्य निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी गत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 1997–98 के दौरन वाणिज्यिक वाहनों के उत्पादन और उनकी बिक्री में अत्यधिक गिरावट आई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) विशिष्ट उद्योगों की कार्य निष्पादन की समीक्षा, जिससे यह मंत्रालय सम्बद्ध है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उद्योगों के साथ विभिन्न स्तरों और विभिन्न मंचों पर समय–समय पर परस्पर कार्यवाही की जाती है, जो विशेष रूप से बजट से पूर्व बजट के बाद की जाती है।

पिछलें तीन वर्षों के दौरान आयोजित कुछ महत्वपूर्ण बैठकों के विवरण इस प्रकार है:–

1 आटोमोबाइल तथा सम्बद्ध उद्योगों की विकास परिषद की बैठक सितंबर, 1996 में की गई थी।

2. उद्योग मंत्री ने जून, 1997 में आटोमोटिव क्षेत्र के कार्य निष्पादन की समीक्षा की।

3. आटोमोटिव क्षेत्र के कार्य निष्पादन की समीक्षा अक्तूबर, 1997 में प्रधानमंत्री स्तर पर भी की गई थी।

4. संयुक्त सचिव ने जुलाई, 1998 में आटोमोटिव उद्योग के साथ व्यापक स्तर पर परस्पर कार्यवाही की थी।

5. आटोमोबाइल तथा संबद्ध उद्योगों की विकास परिषद की एक बैठक 6.11.1998 को सचिव (औद्योगिक नीति और संवर्धन) की अध्यक्षता में की गई।

हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा गठित एक कार्य दल ने भी आटोमोटिक उद्योग में वाणिज्यिक वाहन क्षेत्र के कार्यनिष्पादन की व्यापक समीक्षा की ताकि उद्योग के संवर्धन के लिए अपेक्षित उपायों का पता लगाया जा सके।

(ग) और (घ) जी, हां। 1997–98 के दौरान वाणिज्यिक वाहनों के उत्पादन और बिक्री में तीव्र गिरावट के मुख्य कारण आर्थिक मंदी के फलस्वरूप मांग की कमी और साथ ही समूचे उद्योग के लिए आधारभूत परियोजनाओं पर अपर्याप्त खर्च तथा अंतराष्ट्रीय स्तर पर मंदी का रूख होना भी था।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में आयकर छापे

1104. श्री श्रीराम चौहान :

श्री नरेश पुगलीया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष के सितम्बर माह के दौरान दिल्ली में आयकर प्राधिकारियों ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर छापे मारे थे और इसमें करोड़ों रुपये मूल्य के आय कर संबंधी अनियमितताएं पायी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन तथ्यों का ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या इसमें संलिप्त बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को काली सूची में रखा जायेगा और उनके साथ व्यापारिक मुद्दों पर सरकार के साथ कोई संबंध नहीं रखा जायेगा;

(घ) यदि हां, तो क्या कानून के तहत उनके विरुद्ध कोई आगे कार्यवाही की जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) आयकर निदेशालय (जांच), दिल्ली द्वारा सितम्बर, 1998 के महीने में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर कोई छापे नहीं मारे गए हैं।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

कोयले के नमूने की संयुक्त रूप से जांच

1105. श्रीमती भावना देवराज भाई चिखलिया : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत हाल में विद्युतघरों में कोयले के नमूने की संयुक्त रूप से जांच करने की प्रक्रिया प्रचलन में थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोल इंडिया लि. द्वारा इस प्रक्रिया को एकतरफा बंद कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या गुजरात सरकार ने इस प्रक्रिया को पुनः चालू करने का अनुरोध किया है;

(च) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(छ) क्या सरकार का विचार इस योजना को पुनः चालू करने का है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) से (ज) वर्ष 1982 तक कोयला कंपनी कोयले का नमूना अपने लदान स्थल पर लेती थी। अगस्त, 1982 में तत्कालीन ऊर्जा मंत्रालय ने निर्णय लिया कि परीक्षण के तौर पर नमूना लेने की कार्रवाई और गुणवत्ता की जांच संयुक्त रूप से उतराई स्थल पर की जाए। बाद में दिसम्बर, 1986 में ऊर्जा मंत्रालय ने निर्णय लिया कि नमूना लेने की कार्रवाई और गुणवत्ता की जांच केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) के अंतर्गत एक स्वतंत्र निकाय के द्वारा लदान स्थल पर कार्रवाई की जाए। चूंकि सी.ई.ए. द्वारा इस निर्णय को क्रियान्वित नहीं किया जा सका, अतः अक्तूबर 1991 में सचिवों की समिति ने निर्णय लिया कि कोयला नियंत्रक द्वारा नमूना लेने की कार्रवाई और गुणवत्ता का निर्धारण लदान स्थल पर किया जाएगा। बुनियादी ढांचे पर मंत्रिमंडल समिति द्वारा जून, 1995 में उक्त निर्णय पर संशोधन के साथ सहमति दी गई। उक्त संशोधन में यह निर्दिष्ट है कि संभरक और उपभोक्ता के बीच वैज्ञानिक रूप से अनुबंध लागू किया जाना है और नमूना लेने की कार्रवाई और गुणवत्ता का निर्धारण लदान स्थल पर संयुक्त रूप से किया जाए।

चूंकि अधिकांश राज्य विद्युत बोर्ड इस संबंध में कोयला कंपनियों को सहयोग नहीं दे रहे थे, सचिव (कोयला) ने विद्युत उपयोगिता परिषद के साथ एक बैठक की जिसमें सिद्धांत रूप में एक व्यवस्था पर सहमति हुई, जिसके अनुसार लदान स्थल और उतराई स्थल पर एक ही अभिकरण द्वारा कोयले के नमूने लिए जाएंगे। संबद्ध राज्य विद्युत बोर्ड और कोयला कंपनियां उस अभिकरण का निर्धारण करेंगे, जिसे कोयले के नमूने लिए जाने का कार्य सौंपा जा सकता है। लदान और उतराई, दोनों ही स्थलों पर कोयले का नमूना लेने वाले अभिकरणों को विनिर्दिष्ट कर दिया गया है। अब वैयक्तिक विद्युत गृह सहित गुजरात विद्युत बोर्ड और कोयला कंपनियों द्वारा भूमि संबंधी ब्यौरे तैयार किए जाने हैं।

[हिन्दी]

बैंक परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम का प्रयोग

1106. श्री रामानन्द सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थानों के नाम क्या हैं जिनमें सीधी भर्ती और विभागीय परीक्षाओं में हिन्दी में

उत्तर लिखने का विकल्प नहीं है और प्रश्न–पत्र दोनों भाषाओं अर्थात् अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों में मुद्रित नही होते हैं; और

(ख) हिन्दी में उत्तर लिखने के लिए विकल्प कब तक दिया जाएगा और द्विभाषी प्रश्न पत्र कब से तैयार किये जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

निर्यातकों को सुविधायें

1107. श्री सुरेश वरपुडकर : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा दक्षिण एशिया वरीयता व्यापार समझौते (साफ्टा) के अंतर्गत सार्क देशों विशेषरूप से पाकिस्तान के निर्यातकों को दिए जा रहे प्रोत्साहन/सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पाकिस्तान द्वारा दक्षिण एशिया वरीयता (साफ्टा) व्यापार समझौते के अंतर्गत भारत को दिए जा रहे प्रोत्साहन/सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पाकिस्तान द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहन भारत द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहनों के बराबर हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा भारत और पाकिस्तान द्वारा एक दूसरे को दिए जा रहे प्रोत्साहनों/सुविधाओं में व्याप्त असुंतलनों, यदि कोई हों, को दूर करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (घ) सार्क क्षेत्र में टैरिफ रियायतों के लिए सार्क अधिमानी व्यापार व्यवस्था (साप्टा) के प्रावधानों के आधीन सतत वार्ताएं की जा रही हैं। अभी एक तीन दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं तीसरे दौर की वार्ता 23 नवम्बर, 1998 को संपन्न हुई थी। इन वार्ताओं में केवल अल्पविकसित सदस्य देशों (एक डी सी) को छोड़कर विविध देशों द्वारा दी गई रियायतों को बहुपक्षीय रूप से लागू किया जाता है। प्रथम और दूसरे दौरे में सदस्य देशों के बीच आदान–प्रदान की गई रियायतों में क्रमशः 226 टैरिफ मदें और 1975 टैरिफ मदें शामिल थीं। इनमें से भारत ने प्रथम और दूसरे दौरे में क्रमशः 106 टैरिफ मदों और 911 टैरिफ मदो में रियायत देने की पेशकश की थी तीसरे दौरे में सदस्य राष्ट्रों ने 3000 से भी अधिक टैरिफ मदों में रियायतों का आदान प्रदान किया जिसमें से भारत ने लगभग 2000 टैरिफ मदों में रियायतों की पेशकश की थी। भारत द्वारा [illegible]कश की गई रियायतों में से केवल 43 टैरिफ मदें गैर–अल्प वि[illegible]सत सदस्य देशों (पाकिस्तान एवं श्रीलंका) के लिए उपलब्ध [illegible]।

औद्योगिक क्षेत्र में निवेश

1108. श्री पी. सी. थामस : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक क्षेत्र में निवेश को बढ़ाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल में इस क्षेत्र में निवेश कम है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि निवेश की गई है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उद्योग में राज्य–वार यूनिट निवेश की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) जी, हां। औद्योगिक क्षेत्र में निवेश, उदारीकरण के पहले की अवधि की तुलना में उदारीकरण के बाद की अवधि में बढ़ा है जिसे निम्नरूप में उद्योगों में निवेशित पूंजी के उपलब्ध आंकड़ों से देखा जा सकता है:–

1990–91	194913 करोड़ रु.
1994–95	387535 करोड़ रु.

इस अवधि में कुल प्रतिशत बढोत्तरी 49.70% है।

(ग) और (घ) वर्ष 1994–95 में, केरल में औद्योगिक क्षेत्र में निवेश 6329 करोड़ रुपए था जो कि उद्योग में कुल निवेशित पूंजी का 1.63% हैं। केरल में 1994–95 से 1996–97 अर्थात तीन वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र में केन्द्रीय निवेश निम्नवत हैं:–

1994–95	174.52 करोड़ रु.
1995–96	195.10 करोड़ रु.
1996–97	271.55 करोड़ रु.

(ङ) इस संबंध में उपलब्ध सूचना केवल 1994–95 तक की है।

[हिन्दी]

रुपए का मूल्य

1109. श्री अमर पाल सिंह :

श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले एक वर्ष के दौरान अमेरिकी डालर के मुकाबले रुपए के मूल्य में जबरदस्त कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रूबल के अवमूल्यन से डालर के मुकाबले में रुपए की मूल्य में भी गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो रूबल के अवमूल्यन से ठीक पहले तक और उसके तत्काल बाद तथा उसके बाद माह–दर–माह डालर की तुलना में रुपए का मूल्य कितना गिर गया है;

(ङ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने भी रुपए के मूल्य में वृद्धि करने पूंजी बाजार और अर्थव्यवस्था को सुदृढ बनाने हेतु उपायों के पैकेज की घोषणा की है; और

(च) यदि हां, तो इस पैकेज का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) अमरीकी डालर की तुलना में रुपए की विनिमय दर में एक वर्ष पहले अर्थात् 27 नवम्बर, 1997 को 38.45 रु. प्रति अमरीकी डालर की दर की तुलना में 27 नवम्बर, 1998 को 42.53 रु. प्रति अमरीकी डालर की दर पर लगभग 9.5 प्रतिशत की गिरावट आई। तथापि, अगस्त, 1998 के अंत से अमरीकी डालर की तुलना में रुपए की विनिमय दर में मामूली अधिमूल्यन दिखाई दिया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। सितम्बर, 1998 माह में रूसी रूबल में अमरीकी डालर की तुलना में लगभग 52.8 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं दूसरी ओर सितम्बर, 1998 और अक्तूबर, 1998 के महीनों के दौरान, अमरीकी डालर की तुलना में भारतीय रुपए के मूल्य में क्रमशः 0.55 प्रतिशत और 0.45 प्रतिशत का सुधार हुआ है।

(ङ) और (च) रुपए की विनिमय दर बाजार द्वारा निर्धारित होती है। विनिमय दर में उतार–चढ़ाव को सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) दोनों के द्वारा बारीकी से मॉनीटरी किया जाता है। बाजार के उतार–चढ़ावों को जहां विनिमय दर के निरूपण जैसे कि विदेशी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार को सुरक्षित रखना, में परिलक्षित होने की अनुमति दी जाती है, वहीं भारतीय रिजर्व बैंक जब कभी जरूरी हो, विदेशी मुद्रा बाजारों में हस्तक्षेप करता है और उपयुक्त मौद्रिक और अन्य उपाय लागू करता है। घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार में सट्टेबाजी की प्रवृतियों को जड़ जमाने से रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अभी बिल्कुल हाल ही में 20 अगस्त, 1998 को कई उपाय किए गए। इनमें ये शामिल हैं :– फालतू नकदी मुद्रा की खपत करने के लिए नकदी प्रारक्षित अनुपात में 10.0 प्रशित से 11.0 प्रतिशत की अस्थायी वृद्धि; नकदी निधि स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवधिक रूप से दर की समीक्षा करने के प्रावधान सहित रिपो दर को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत करना; आयातों के लिए निरस्त किए गए वायदा संविदाओं को पुनः दर्ज करने की सुविधा को वापिस लेना; किसी वचन बद्धता के लिए वायदा और हाजिर चरणों को अलग–अलग करने की सुविधा को वापस लेना; केवल असाधारण परिस्थितियों में ही निर्यात संबंधी प्राप्तियों के प्रत्यार्वतन के लिए समय सीमा के विस्तार की अनुमति दिए जाना; और प्राधिकृत डीलरों (ए डी) की उच्चतम अंतः दिवस स्थितियों को बारीकी से मॉनीटर करना। इस के अतिरिक्त, प्राधिकृत डीलरों को विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ. आई. आई.) को उनके निवेश के 15 प्रतिशत की सीमा तक वायदा कवर की पेशकश करने की अनुमति दी गई तथा विनियम अर्जक विदेशी मुद्रा (ई. ई. एफ. सी.) खातों के प्रयोग से लचीलेपन की अनुमति दी गई।

स्थाई खाता संख्या

1110. श्री रिज़वान जहीर खां :

श्री विठ्ठल तुपे :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने नया खाता खोलने के लिए "स्थाई खाता संख्या" अनिवार्य कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि इस निर्णय के परिणामस्वरूप लघु बचत पर निर्भर आम जनता को कठिनाई होगी;

(ग) क्या इस मुद्दे पर सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच वैचारिक मतभेद हैं;

(घ) क्या स्थाई खाता संख्या के कारण कालाबाजारी करने वाले बैंकों में खाता खोलने से बचेंगे और इस प्रकार धन को छुपाने का प्रयत्न करेंगे; और

(ङ) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 18.11.1998 के परिपत्र डी बी ओ डी सं. बी पी बी सी 110/21.02.051/98 के तहत केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई दिनांक 9.10.98 की अधिसूचना की ओर सभी वाणिज्यिक बैंकों का ध्यान आकर्षित किया है, जो बैंकिंग कम्पनियों में 50,000/–रु. से अधिक की मियादी जमा, प्रतिभूतियों के क्रय एवं विक्रय के लिए 10 लाख रुपये से अधिक की धनराशि की संविदा और बैंकिंग कम्पनी में खाता खोलने से संबंधित सभी दस्तावेजों में स्थायी खाता संख्या (पैन) अथवा सामान्य अनुक्रमणिका रजिस्टर संख्या (जी आई आर संख्या) का उल्लेख करने के बारे में है। इस परिपत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास न तो स्थायी खाता संख्या है, न ही सामान्य अनुक्रमणिका रजिस्टर संख्या, वे फार्म सं. 60 में घोषणा कर सकते हैं और कृषि आय वाले ऐसे व्यक्ति जिनकी कोई कर प्रभार्य आय नहीं है, वे फार्म संख्या 61 में घोषणा कर सकते हैं। बैंकों को यह सलाह दी गई है कि वे फार्म सं. 60 एवं 61 को मुद्रित करा लें तथा ग्राहकों की सुविधा के लिए शाखाओं में इनका पर्याप्त भण्डार रखें।

(ख) स्थायी खाता संख्या अथवा सामान्य अनुक्रमणिका रजिस्टर संख्या का उल्लेख करने से संबंधित उपबंध के बारे में कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि इनमें से किसी एक को भी न रखने वाला व्यक्ति अपने आवासीय पते को प्रमाणित करने के निमित एक साधारण घोषणा दायर करके बैंक का खाता खोल सकता है। उक्त अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि घोषणा दायर करने की अपेक्षा तभी आवश्यक है जब विनिर्दिष्ट लेन–देन रेखांकित चैक अथवा रेखांकित बैंक ड्राफ्ट की अपेक्षा नकदी अथवा अन्य रूप में हो।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उन उपबंधों के माध्यम से पद्धति में प्रवेश पाने वाले बेनामी खातों के विरुद्ध नियंत्रण लगाने तथा लेखाबाह्य रकम को सुरक्षित आश्रय प्रदान किये जाने की आशा की जाती है जिसकी अब सुगमता से तलाशी ली जा सकेगी और जिस पर सर्वेक्षण कार्य किया जा सकेगा।

[अनुवाद]

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. का पुनरुद्धार

1111. श्री ‌ ‌ देव आचार्य : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा क ‌े ‌ :

(क) क्या आई. सी. आई. सी. आई. ने ईस्टर्न कोलफिल्ड्स के पुनरुद्धार हेतु कदम सुझाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. की कई खानें अनुत्पादक हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. से कुछ ब्लाक निकालकर एक संयुक्त उद्यम बनाया जाना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के पुनरुद्धार हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) जी, हां।

(ख) अपनी रिपोर्ट के भाग–। में ई.को.लि. के पुनरुद्धार के लिए आई.सी आई.सी.आई. ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:–

(i) अव्यवहार्य खानों को बंद करना।

(ii) श्रम शक्ति का यौक्तिकीकरण।.

(iii) भूमिगत और ओपनकास्ट, दोनों ही खानों से उत्पादन, उत्पादकता बढ़ाना।

(iv) उच्च बिक्री वसूली द्वारा बिक्री – राजस्व में वृद्धि।

(ग) जी, हां।

(घ) इसके निम्न कारण हैं:–

(i) 11 ऐसे क्षेत्र हैं, जहां ई.को.लि. के कुल उत्पादन का 38.94% उत्पादन होता है, लेकिन वहां कंपनी की 68.83% श्रमशक्ति नियोजित है। ई.को. लि. का लगभग 80% औसत वार्षिक घाटा इन्हीं 11 क्षेत्रों से होता है।

(ii) कोल इंडिया लि. की अन्य अनुषंगी कंपनियों की तुलना में ई.को.लि. में क्षमता उपयोगिता और प्रति व्यक्ति उत्पादकता (प्रतिपाली प्रति व्यक्ति) बहुत ही कम है।

(iii) सामान्यतया देश में ओपनकास्ट खानों की तुलना मे भूमिगत खानों में उत्पादकता कम है। ई.को.लि. में हो रहे कुल उत्पादन की तुलना में भूमिगत उत्पादन का अनुपात अधिक है। ई.को. लि. की भूमिगत खानों से रेत भराई की आवश्यकता से उत्पादन बढ़ गई है। अधिकांश भूमिगत खानें पुरानी हैं और इनमें से अत्याधिक खानों में मजदूरों द्वारा उत्खनन किया जाता है।

(iv) ई.को.लि. की कई भूमिगत खानों में खड़ी और बहु–सीमें, आग लगने की घटनाएं और जलमग्न पुरानी खदानों जैसी भू–खनन संबंधी समस्याएं विद्यमान हैं।

(v) खान का आकार उत्पादन की अर्थव्यवस्था को निर्धारित करता है। कुछ खानों के पुनर्गठन किए जाने के बाद भी विभिन्न सबंधी समस्याओं के कारण कुल मिलाकर ई. को. लि. में खानों का औसत आकार छोटा है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न के (ङ) के भाग के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

बैंकों द्वारा वस्त्र उद्योग को वित्तीय सहायता

1112. **डा. सुगुण कुमारी चलामेला** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक वस्त्र मिलों को ऋण दिया जाने वाला क्षेत्र नहीं मानते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वस्त्र मिलों की वित्तीय मांगों को पूरा करने हेतु बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को निर्देश देने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षण के अंतर्गत वित्तीय संस्थानों द्वारा बनाए गए मानदंडों के अनुसार ही किसी क्षेत्र को उधार दिया जाता है। उद्योग द्वारा सामना की जा रही ऋण की समस्याओं के बारे में कतिपय वस्त्र उद्योग परिसंघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। मंत्रालय ने वस्त्र मंत्री की अध्यक्षता वाली तथा उद्योग के प्रतिनिधियों तथा संबंधित वित्तीय संस्थानों द्वारा भाग ली गयी बैठक सहित अनेक बैठकें बुलाने की पहल की है। चर्चा के दौरान उद्योग के कुछ प्रतिनिधियों ने कहा कि वस्त्र क्षेत्र को बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा अधिक जोखिम वाला क्षेत्र माना जाता है। लेकिन वित्तीय संस्थानों द्वारा ऐसा स्वीकार नहीं किया गया। बैठक में, बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों से, जहां भी संभव हो, वस्त्र उद्योग की वर्तमान आवश्यकताओ को समायोजित करने के लिए उधार देने के लिए मानदंडों में ढील देने का आग्रह किया गया। राज्य मंत्री ने भी (राजस्व, बैंकिंग एवं बीमा) वस्त्र उद्योग की कार्यशील पूंजी की जरूरतों पर विचार करने के लिए बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की।

इस्पात का डम्पिंग

1113. **श्री के. पी. नायडू :**

श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

श्री डी. एस. अहिरे :

श्री अभयसिंह एस. भोंसले :

श्री जी. गंगा रेड्डी :

श्री विठ्ठल तुपे :

श्री ए. वेंकटेश नायक :

श्री माधवराव पाटिल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देश भारत मे कतिपय किस्म के इस्पात डम्प कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस्पात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने घरेलू इस्पात उद्योग को बचाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) और (ख) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत नियुक्त मनोनीत अधिकारी ने रूस, कजाकिस्तान एवं उक्रेन के उद्‌गम वाले या वहां से नियातित हॉट रोल्ड क्वायल्स, शीट्स, प्लेट्स और स्ट्रीप्स के पाटन के बारे में पाटन रोधी जांच का संचालन किया है। मनोनीत अधिकारी ने अंतिम जांच निष्कर्षों को अधिसूचित किया है जिसमें प्राधिकारी ने निष्कर्ष निकाला है कि:

(i) रूस, कजाकिस्तान और उक्रेन के उद्गम वाले या वहां से निर्यात किए गए कजाकिस्तान के उद्गम वाले हॉट रौल्ड क्वायल्स को छोड़कर हॉट रौल्ड क्वायलों, प्लेटों, चादरों, पट्टियों (स्ट्रीप्स) का उनके सामान्य मूल्य से कम पर भारत मे निर्यात किय गया है जिसके परिणास्वरूप पाटन हुआ है।

(ii) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है;

(iii) संदर्भाधीन देशों के उद्गम वाली या वहां से निर्यात की गई संदर्भाधीन वस्तुओं के निर्यात से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

(ग) से (ड) मनोनीत अधिकारी के सुझाव के आधार पर केन्द्र सरकार ने उक्त उत्पादों के आयात पर पाटन रोधी शुल्क लगाया है।

[हिन्दी]

स्वदेशी उद्योग

1114. श्री मित्रसेन यादव : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कच्चे माल के क्षेत्र में स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में बनाई गई योजनाओं तथा दी जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में हुई प्रगति के क्या परिणाम निकले हैं;

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) औद्योगिक कच्चे माल में इस्पात, सीमेंट, अलोहे धातु, रसायन, कोयला, आदि जैसे अर्ध-परिष्कृत तथा परिष्कृत उत्पाद शामिल हैं। सरकार ने सड़क, दूरसंचार, विद्युत, निर्माण कार्यकलाप आदि जैसे अवसंरचना क्षेत्रों के लिए विभिन्न उपायों की घोषणा की है। इन उपायों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप कच्चे माल की मांग में वृद्धि होने की आशा है, शुल्क ढांचे में कमी और और प्रशुल्क युक्तिकरण कुछ ऐसे राजकोषीय उपाय हैं, जिनसे कच्चे माल के क्षेत्र के स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा मंत्रालय ने कागज, आटोमोबाइल, विद्युत उत्पाद, आदि जैसे क्षेत्रों से संबंधित विषय-निर्वाचन समूहों का सृजन किया है, जो इस बारे में उत्युक्त उपायों के सुझाव के लिए उद्योग से परामर्श कर रहे हैं।

(ग) विभिन्न उद्योगों की स्वदेशी कच्चे माल में विभिन्न अर्ध परिष्कृत तथा परिष्कृत उत्पादों की आवश्यकता संबंधी सूचना मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है। विभिन्न अंतिम-प्रयोक्ताओं को कच्चे माल की मांग विभिन्न क्षेत्रों में उनके उपयोग पर निर्भर करती है। सरकार की विभिन्न योजनाओं का उद्देश्य इसे आवश्यक प्रोत्साहन देना है। आशा है कि चालू वर्ष के दौरान उक्त योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव होगा।

बीमा क्षेत्र में लोकपाल की नियुक्ति

1115. डा. अशोक कुमार पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बीमा क्षेत्र में लोकपाल नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह नियुक्ति कब तक किए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) बीमा क्षेत्र में "लोक पाल" नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार ने हाल ही में लागत प्रभावी, कारगर और निष्पक्ष तरीके से बीमा कम्पनियों में लम्बित दावों के निपटान से संबधित सभी शिकायतों के निराकरण हेतु (औम्बडसमैंन) की स्कीम अधिसूचित की है। स्कीम की मुख्य-मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

ओम्बड्समैन स्कीम की मुख्य बातें

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने "लोक शिकायत निवारण नियम 1998" बनाए हैं जिनके अंतर्गत व्यक्तिगत किस्त के दावों के शीघ्र और अविलम्ब निपटान हेतु ओम्बड्समैन की नियुक्ति की जाएगी। ओम्बड्समैंन के पास बीमाकर्त्ता द्वारा आंशिक अथवा पूर्ण रूप से अस्वीकृत किसी भी प्रकार के दावों, पालिसी के बारे में अदा किए गए अथवा देय प्रीमियम के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद, किसी प्रकार की कानूनी पालिसी बनने पर होने वाले किसी भी प्रकार के विवाद, दावों के निपटान में विलंब और प्रीमियम प्राप्त होने के पश्चात ग्राहकों को किसी प्रकार का बीमा दस्तावेज जारी न करने से संबंधित विवादों को लेने और उन पर विचार करने की शक्तियां होंगी।

जब तक कि "ओम्बडसमैन" को शिकायत करने पूर्व शिकायतकर्ता ने शिकायत में नामजद बीमाकर्ता को लिखित अभ्यावेदन न दिया हो और या तो बीमाकर्ता ने शिकायत को नामंजूर कर दिया हो या फिर उसके अभ्यावेदन को संबंधित बीमाकर्ता द्वारा प्राप्त होने के बाद एक महीने की अवधि के अंदर शिकायतकर्ता को कोई उत्तर न मिला हो अथवा बीमाकर्ता द्वारा दिए गए उत्तर से शिकायतकर्ता संतुष्ट न हो तब तक "ओम्बड्समैन" के पास कोई शिकायत नहीं की जा सकेगी।

"ओम्बड्समैंन वैयक्तिक दावों के संबंध में सिफारिश करने अथवा अधिनिर्णय देने के लिए अधिकृत किया गया है जो बीमाकर्ता के लिए बाध्यकारी होंगी लेकिन ओम्बड्समैन द्वारा की गयी सिफारिशों अथवा अधिनिर्णय से शिकायतकर्ता सहमत हो सकता है अथवा नहीं भी।

तथापि, "ओम्बड्समैन" बीमित जोखिम के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में किसी मुआवजे का अधिनिर्णय नहीं देगा तो शिकायतकर्ता को हुई हानि को पूरा करने के लिए यथावश्यक राशि से अधिक हो अथवा ऐसी राशि जो 20 लाख रुपए से अधिक न हो (अनुग्रह तथा अन्य खर्चों सहित) इनमें जो भी कम हो।

[अनुवाद]

भारतीय जीवन बीमा निगम का वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश

1116. श्री अन्नासाहिब एस. के. पाटील : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम का विचार वाणिज्यिक बैंकिंग के क्षेत्र में प्रवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ कोई समिति गठित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त समिति ने क्या सिफारिशें की हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (घ) भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र में निगम के प्रवेश की व्यवहार्यता की जांच हेतु उसने तीन वरिष्ठ अधिकारियों की एक आंतरिक समिति का गठन किया है। भारतीय जीवन बीमा निगम समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद मामले पर गौर करेगी।

औद्योगिक रुग्णता

1117. श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

श्री डी. एस. अहिरे :

श्री अभयसिंह एस. भोंसले :

श्री विट्ठल तुपे :

श्री ए. वेंकटेश नायक :

श्री माधवराव पाटील :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेष रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में औद्योगिक रुग्णता का बढ़ता स्तर बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सेंटर फार मानीटरिंग इंडियन इकोनामिकी रिपोर्ट के अनुसार इन राज्यों के अधिकांश औद्योगिक एककों को बैंकों को देय भारी बकाया धनराशि वापस करना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन राज्यों के औद्योगिक एककों की रुग्णता के क्या कारण हैं, और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) देश में बैंकों द्वारा सहायता प्रदत्त रुग्ण उद्योग एककों के आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संकलित किए जाते हैं। मार्च, 1997 को समाप्त उपलब्ध अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक की औद्योगिक रुग्णता तथा बकाया बैंक क्रैडिट की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के कई कारण, जो अक्सर कांबिनेशन में काम करते हैं, औद्योगिक रुग्णता के लिए उत्तरदायी हैं। मुख्य कारणों में ये शामिल हैं–आयोजना, प्रबंधन, विपणन इत्यादि में कमियां। आर. बी. आई. रिपोर्ट में सरकारी नीतियों में परिवर्तन संबंधी उल्लेख है जो बाह्य कारकों में से एक कारक है।

(ङ) सरकार ने औद्योगिक रुग्णता के पुनरुज्जीवन हेतु अनेक कदम उठाए हैं जिसमें अन्य कदमों के साथ ये कदम शामिल हैं :– भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को मार्ग–निर्देश, रुग्ण एककों का स्वस्थ एककों के साथ विलय, रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम के तहत औद्योगिक वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी.आई.एफ. आर.), राष्ट्रीय नवीकरण निधि, राष्ट्रीय इक्विटी निधि आदि की स्थापना।

विवरण

मार्च, 1997 तक महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में रुग्ण औद्योगिक लघु उद्योग तथा गैर लघु उद्योग एककों और शेष बकाया बैंक क्रेडिट दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	श्रेणी		एककों की संख्या	बकाया बैंक क्रेडिट (करोड़ रुपए में)
1.	महाराष्ट्र	(क)	लघु उद्योग – रुग्ण	19360	764.53
		(ख)	गैर लघु उद्योग – रुग्ण	340	1614.89
2.	गुजरात	(क)	लघु उद्योग – रुग्ण	6510	196.80
		(ख)	गैर लघु उद्योग – रुग्ण	174	583.67
3.	पश्चिम बंगाल	(क)	लघु उद्योग – रुग्ण	53451	371.67
		(ख)	गैर लघु उद्योग – रुग्ण	216	1033.43
4.	कर्नाटक	(क)	लघु उद्योग – रुग्ण	6937	203.26
		(ख)	गैर लघु उद्योग – रुग्ण	110	556.06

अन्य देशों के साथ व्यापार विस्तार

1118. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने पिछले छह महीनों के दौरान भारत के साथ व्यापार संबंधों के विस्तार में गहरी रुचि दिखाई है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में उन देशों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र. सं.	उन देशों के नाम जिन्होंने पिछले छः महीनों के दौरान भारत के साथ व्यापार संबंध बढ़ाने में रुचि प्रदर्शित की है।	प्राप्त प्रस्ताव और ब्यौरे
1	2	3
1.	म्यामांर, न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड, विएतनाम और सिंगापुर	आमतौर पर ये देश भारत के साथ व्यापार संबंध बढ़ाने के इच्छुक रहे हैं। विचार विमर्श किए गए विशेष प्रस्तावों में शामिल हैं:– म्यामांर के साथ द्विपक्षीय और सीमा व्यापार के लिए प्रस्ताव, आस्ट्रेलिया के साथ ऊर्जा संबंधी एक संयुक्त कार्य दल का गठन, न्यूजीलैंड के साथ एक द्विपक्षीय संघरोध करार को अंतिम रूप देना, मलेशिया के साथ एक व्यापार करना।
2.	जापान, चीन जनवादी गणराज्य चीन गणराज्य (ताइवान), कोरिया, लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य, कोरिया गणराज्य और मंगोलिया	व्यापार शिष्ट मंडलों के दौरों, जेबी सी की बैठकों इत्यादि के जरिए इन देशों के साथ व्यापार विनियम।

1	2	3
3.	रूस	भारत रूसी अंतर सरकारी आयोग की 26–28 नवम्बर, 98 को मास्को में बैठक हुई थी और इस बैठक में अन्य बातों के साथ–साथ दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ाने संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई थी।
4.	बेला रूस	संयुक्त आयोग की दिनांक 26–27 अक्तूबर, 1998 को मिंस में एक बैठक हुई थी और इस बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के बारे में व्यापक मुद्दों पर चर्चा की गई थी।
5.	मध्य एशिया	अगले कुछ सप्ताहों में अंतर सरकारी आयोग की एक बैठक के लिए उजबेकिस्तान और कज़ाकिस्तान के साथ चर्चा प्रगति पर है इससे इन देशों के साथ व्यापार संबंधों में बढ़ोत्तरी होने की आशा है।
6.	जिम्बावे, केन्या	संयुक्त व्यापार समितियों का आयोजन क्रमशः हरारे और नई दिल्ली में किया गया है।
	सेशेल्स	दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत और सेशेल्स के बीच एक औपचारिक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
7.	अर्जेन्टीना	1998 के पूर्वार्द्ध में भारत–अर्जेन्टीना संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव है।
	क्यूबा	(I) संयुक्त उद्यम परियोजनाओं, खनन प्रोसेसिंग तथा निकेल के विपणन के बारे में विचार–विमर्श किए गए । (II) क्यूबा के अनुरोध पर भारत सरकार ने क्यूबा को 12,500 मी. टन के आठ ट्रॉचेंज में एक लाख मी. टन गैर–बासमती चावल का निर्यात करने का निर्णय लिया है।
8.	यूरोपीय संघ	अनेक व्यापारिक मुद्दों पर ईसी प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में 18–19 नवम्बर, 98 को द्विपक्षीय बातचीत तथा उसके साथ–साथ चर्चाएं की गईं।
9.	बेल्जियम साइप्रस फ्रांस	ऐसे व्यापार और निवेश के लिए द्विपक्षीय बैठके आयोजित की गईं जिनकी पहचान और जिनके बारे में संकेत सहमति प्राप्त कार्यवृत्त में किया गया है।
10.	पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका	इस क्षेत्र के सभी देशों ने भारत के साथ अपने व्यापार संबंधों को बढ़ाने में व्यावहारिक तौर पर रुचि दिखाई है।
11.	दक्षिण एशिया	पाकिस्तान के साथ नई दिल्ली में 10 नवम्बर, 98 को व्यापार वार्ताएं की गईं। प्रस्तावित द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते के बारे में 16–17 नवम्बर, 98 को श्रीलंकाई प्रतिनिधि मंडल के साथ नई दिल्ली में वार्ताएं की गईं।

1	2	3
		पारगमन समझौते के बारे में नई दिल्ली में 17–20 नवम्बर, 1998 को नेपाल के साथ वार्ताएं की गईं।
		साप्टा वार्ताओं के तीसरे दौर को सम्पन्न करने के लिए काठमाण्डू में साप्टा के अंतर्गत आईजीसी की तीसरी बैठक आयोजित की गई।
12.	पोलैण्ड	व्यापार और आर्थिक मुद्दों पर कार्यकारी विचार–विमर्श 22–23 जून, 1998 को वार्सा में किया गया था।
	बुल्गारिया	भारत–बुल्गारिया संयुक्त आयोग की बैठक 22–25 सितम्बर, 1998 को सोफिया में आयोजित की गई।
	चेक गणराज्य	भारत–चेक संयुक्त समिति की बैठक 5–6 अक्तूबर, 98 को प्राग मे आयोजित की गई।
	स्लोवाक गणराज्य	भारत–स्लोवाक संयुक्त समिति की बैठक 7–8 अक्तूबर, 98 को ब्रातिस्लावा मे आयोजित की गई।
	क्रोएशिया	भारत–क्रोएशिया संयुक्त समिति की बैठक 16–17, नवम्बर, 98 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

जम्मू और कश्मीर में उद्योग

1119. प्रो. चमन लाल गुप्तः क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1998 के अंत तक जम्मू और कश्मीर में सरकारी, अर्द्धसरकारी तथा निजी क्षेत्र की पंजीकृत विभिन्न प्रकार की कितनी औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं;

(ख) इनमें से कितनी इकाइयां रुग्ण हैं;

(ग) उनकी रुग्णता के क्या कारण हैं;

(घ) जम्मू और कश्मीर में औद्योगिक विकास के लिए गत तीन वर्षों के दौरान किए गए खर्च का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस इन रुग्ण इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जम्मू व कश्मीर सरकार के उद्योग निदेशालय के पास 40,098 औद्योगिक इकाइयां विधिवत रूप से पंजीकृत हैं।

(ख) भरतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, जम्मू व कश्मीर में सितम्बर 1997 की स्थिति के अनुसार 5273 औद्योगिक इकाइयां बीमार अभिज्ञात हुई हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के कई कारण जो अक्सर कांबिनेशन में काम करते हैं, औद्योगिक बीमारी के लिए जिम्मेदार हैं। मुख्य कारणों में शामिल हैं–आयोजना, प्रबंधन, मार्केटिंग आदि में कमियां। जम्मू व कश्मीर सरकार के उद्योग तथा वाणिज्य विभाग द्वारा संचालित सर्वेक्षण के अनुसार, वित्ती संस्थानों द्वारा कार्यकारी पूंजी की मनाही, औद्योगिक इकाइयों की बीमारी का मुख्य कारण पाया गया है।

(घ) जम्मू व कश्मीर में औद्योगिक अभिवृद्धि के लिए पिछले 3 वर्षों के दौरान किया गया व्यय निम्नलिखित है:–

वर्ष	व्यय
1995–96	1524.71 लाख रु.
1996–97	2345.27 लाख रु.
1997–98	2041.82 लाख रु.

(ङ) औद्योगिक बीमारी को ठीक करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिनमे अन्य कदमों के साथ–साथ ये कदम शामिल हैं:– भारतीय रिजर्व बैंक की बैंकों को मार्ग निदेश, स्वस्थ इकाइयों में बीमार इकाइयों का विलय, बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम के तहत औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड, राष्ट्रीय नवीकरण निधि राष्ट्रीय इक्विटी निधि आदि की स्थापना।

[हिन्दी]

सीमा शुल्क ढांचा

1120. श्री आनंद रत्न मौर्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सराकर का विचार उत्पादन शुल्क और सीमा–शुल्क ढांचे को सुचारु बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या इस दिशा में प्रभावी कदम उठाने के लिए कोई कृत्तक बल गठित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इन कृत्तक बलों द्वारा किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क ढांचे को सरल और कारगर बनाने की प्रक्रिया एक निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है और सरकार द्वारा इसे वार्षिक बजट के एक अंग के रूप में किया जाता है। मुख्य–मुख्य विशेषताओं में अन्य बातों के साथ–साथ शुल्क दरों को युक्तिसंगत बनाना, दरों की बहुलता कम करना, असंगतियों को सुधारना, विभिन्न कर छूटों/रिआयतों की समीक्षा करना और कर वसूली संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाना शामिल है।

(ग) और (घ) सरकार ने उद्योग के छह क्षेत्रों, अर्थात् टैक्सटाइल फाइबर, यार्न एवं फैब्रिक, पूंजीगत माल, लोह एवं अलोह धातुओं; बिल्डिंग ब्लॉकों और पॉलीमरों; सेवा कर और उत्पाद शुल्क ढांचे को युक्तिसंगत बनाने के बारे में विशेषज्ञ दलों का गठन किया है। दो विशेषज्ञ दलों ने पहले ही अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और अन्य दल अपनी रिपोर्टों को अंतिम रूप देने वाले हैं।

[अनुवाद]

क्वालिटी डिजाइन हेतु हथकरघा क्षेत्र को सहायता

1121. डा. असीम बाला : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्यात की संभावनाएं बढ़ाने के लिए क्वालिटी डिजाइन में सुधार करने हेतु हथकरघा क्षेत्र को कोई सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उन बुनकरों को कोई सहायता प्रदान करने पर विचार कर रही है जिनके पास अपने स्वयं के बुनाई के औजार हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) जी, हां, भारत सरकार निर्यात योग्य उत्पादों तथा उनके विपणन के विकास स्कीम के अंतर्गत राज्य/कार्यान्वयन अभिकरणों के लिए विदेशी के साथ–साथ भारतीय डिजाइनकारों की नियुक्ति हेतु सहायता प्रदान करती है। इन डिजाइनकारों को हथकरघा गहन क्षेत्रों में डिजाइन के सुधार के कार्य के लिए पहचान किये गये अभिकरणों के साथ लगाया जाता है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि निर्यात बाजार की मांग को पूरा करने के विचार से, पारम्परिक डिजाइनों की विविधता के लिये कार्य करेंगे।

(ग) और (घ) भारत सरकार बुनकरों के सामाजिक–आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत एक समन्वित तथा एकीकृत तरीके से बुनकरों को सहायता प्रदान कर रही है। स्कीमें जिनके अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है वे हैं–प्रोजेक्ट पैकेज स्कीम, हथकरघा विकास केन्द्रों तथा उत्कर्ष रंगाई इकाईयों की स्थापना की, स्कीम निर्यातयोग्य उत्पादों तथा उनके विपणन के विकास की स्कीम, कल्याण स्कीमें जैसे:– कार्यशाला–सह–आवास स्कीम, थ्रिफ्ट फंड स्कीम, समूह बीमा स्कीम, हथकरघा बुनकरों के लिए नई बीमा स्कीम आदि।

[हिन्दी]

विस्थापित व्यक्तियों से संबंधित मामलों का निपटान

1122. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. में अनेक स्थानों पर शिविर लगाकर विस्थापित व्यक्तियों से संबंधित मामलों का निपटान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो किन–किन स्थानों पर ये शिविर लगाए गए थे; और

(ग) वर्ष 1998 के दौरान आज तक कितने मामलों का निपटान किया गया?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) जी, हां।

(ख) कोल इंडिया लि॰ से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 1998 के दौरान विस्थापित व्यक्तियों के मामलों का निपटान किए जाने के लिए उरीमरी, फुसरी, इचकडीह, चलकारी, नागरा, अमलो, बहेड़ा, कल्याणपुर और झुझको में शिविर आयोजित किए गए।

(ग) वर्ष 1998 में अब तक 133 मामलों का निपटान किया जा चुका है।

व्यापार घाटा

1123. श्री मोहन सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, 1997 की तुलना में अगस्त, 1998 के दौरान निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी रिकार्ड की गई और उस माह के दौरान व्यापार घाटे में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई;

(ख) व्यापार घाटे में वृद्धि होने की वजह से भारत का भुगतान संतुलन किस हद तक प्रभावित होगा; और

(ग) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा चलाई गई उच्चाकांक्षी योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगडे) : (क) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) से प्राप्त अनंतिम आंकडों के अनुरूप अगस्त, 1997 की तुलना में अगस्त 1998 में निर्यात में रुपए के रूप में 24.35% और डालर के रूप में 4.47% की वृद्धि दर्ज हुई है। व्यापार घाटा अगस्त 97 से 319.02 मिलियन यू एस डालर से बढ़कर अगस्त 1998 में 456.51 मिलियन यू एस डालर हो गया है।

(ख) व्यापार घाटा को निर्यात की तुलना में ज्यादा आयात के रूप में मापा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप विदेशी मुद्रा बाहर जाती है। जिससे भुगतान संतुलन की स्थिति प्रभावित होती है। तथा भुगतान संतुलन, विदेशों को सप्लाई की लाने वाली सेवाओं तथा पूंजी बहाव के कारण होने वाले बर्हिगमन जैसे अन्य कारणों से भी प्रभावित होता है।

(ग) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें शामिल हैं:–निर्यात ऋण पर ब्याज दरों को कम रना, विकेन्द्रीकरण तथा प्रक्रियाओं का सरलीकरण करके व्यापार लागत मे कमी करना, एवं एक्जिम नीति यथावर्णित विभिन्न अन्य उपाय करना, बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय प्रयासों, प्रस्ट क्षेत्रों एवं फोक्स क्षेत्रों की पहचान के द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए हैं। निर्यात निष्पादन के लिए विदेश व्यापार संबंधी मंत्रीमंडल समिति भी स्थापना की गई है।

[अनुवाद]

लंबित औद्योगिक लाइसेंस

1124. श्री डी. एस. अहिरे :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1998 की स्थिति के अनुसार सरकार के पास उद्योगवार और राज्यवार औद्योगिक लाइसेंस की स्वीकृति हेतु कितने आवेदन–पत्र लंबित हैं;

(ख) उपरोक्त लंबित आवेदन–पत्रों में से प्रत्येक आवेदन–पत्र के लंबित होने के क्या कारण हैं;

(ग) सभी लंबित आवेदन–पत्रों को कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी; और

(घ) लंबित आवेदन–पत्रों के शीघ्र निपटान हेतु कौन से कदम उठाए जाने पर विचार किया जा रहा है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) 31 अक्तूबर, 1998 तक की स्थिति के अनुसार, सरकार के पास स्वीकृति हेतु आशय पत्र की मंजूरी के लिए कुल 63 औद्योगिक लाइसेंस आवेदन लंबित हैं इन प्रस्तावों का उद्योग–वार तथा राज्यवार ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ख) से (घ) आवेदनों के शीघ्र निपटान के लिए सभी कदम उठाये गये हैं। आवेदनों का वास्तविक निपटान, प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अपनाई गई क्षेत्रीय नीति, विशिष्ट मामलों में उनकी सिफारिशों तथा साथ ही आवेदकों द्वारा संगत सूचना प्रस्तुत करने पर निर्भर करता है।

विवरण

31-10-1998 को स्थिति के अनुसार स्वीकृति के लिए लंबित औद्योगिक लाइसेंस आवेदकों के राज्यवार/उद्योगवार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम	वस्त्र	विस्फोटक	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	0	6	4	10
2.	आसाम	0	2	0	2
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0
5.	दिल्ली	1	0	0	1
6.	गोवा	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	1	1
8.	हरियाणा	0	0	2	2
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	1	1	2
11.	कर्नाटक	1	1	1	3
12.	केरल	0	0	0	0
13.	मध्यप्रदेश	0	4	2	6
14.	महाराष्ट्र	0	2	6	8
15.	मणिपुर	0	0	0	0
16.	मेघालय	0	0	0	0
17.	मिजोरम	0	0	0	0
18.	नागालैंड	0	0	0	0
19.	उड़ीसा	0	4	0	4
20.	पांडिचेरी	0	0	0	0
21.	पंजाब	0	0	2	2
22.	राजस्थान	0	1	1	2
23.	सिक्किम	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	5	2	4	11
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	1	3	4
27.	पश्चिम बंगाल	0	0	1	1
28.	अंडमान और निकोबार द्वीप	0	0	0	0
29.	चंडीगढ़	0	0	0	0
30.	दादरा और नगर हवेली	0	0	1	1
31.	दमन और दीव	0	0	0	0
32.	लक्ष्यद्वीप	0	0	0	0
33.	एक से अधिक राज्य	2	1	0	3
	योग	9	25	*29	*63

* इनमें "पोटेबल अल्कोहल" तथा "बीयर" के आवेदन शामिल नहीं हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कार्रवाई नहीं की जा रही है।

[हिन्दी]

बैंकों में भ्रष्टाचार

1125. श्री के. डी. सुल्तानपुरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकों के कितने अधिकारी और उच्च अधिकारी भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े गए तथा उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जो कथित रूप से भ्रष्टाचार में शामिल है। किंतु विगत छह महीनों से सेवानिवृत्त हो चुके हैं; और

(ख) उनमें भ्रष्टाचार में लिप्त कितनी राशि वसूल की जानी है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचित किया है कि 1.1.98 से 30.11.98 की अवधि के दौरान, भ्रष्टाचार के 10 मामलों में जांच के दौरान 17 बैंक कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। इन मामलों में कुल लगभग 66.41 करोड़ रुपए की राशि अंतर्ग्रस्त है। जहां तक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति का संबंध है, अधिकारी सेवा विनियमन के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत अधिवर्षिता से पूर्व शुरू की गई अनुशासनिक कार्यवाहियां इस प्रकार जारी रहती हैं, मानों संबंधित अधिकारी अभी सेवा में हो और तब तक जारी रहती है, जब तक कि कार्यवाहियां पूर्ण नहीं हो जातीं। इसके अलावा, अपराधियों के सेवानिवृत्त होने पर आपराधिक कार्यवाहियां समाप्त नहीं होती हैं। सामान्यतया बैंकों द्वारा ऐसे मामलों में मुकदमें दायर करके और जहां–कहीं बीमा कवच उपलब्ध हो, वहां बीमा कम्पनियों से दावा करके वसूलियां की जाती हैं।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में वित्तीय संकट

1126. श्री तथागत सत्पथी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सरकारी क्षेत्र के बैंकों का ब्यौरा क्या है जो वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं;

(ख) उन सरकारी क्षेत्र के बैंको का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) ये बैंक कब से साधनों की कमी का सामना कर रहे हैं;

(घ) वर्ष 1996–97, 1997–98 के दौरान और 1998–99 में अब तक इन बैंकों को कितना घाटा उठाना पड़ा; और

(ङ) इन बैंकों को घाटे से बचाने और उनके कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए क्या कार्य योजना, यदि कोई है, बनाने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) कोई भी सरकारी क्षेत्र का बैंक वित्तीय संकट का सामना नहीं कर रहा है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

कपास उत्पादों के निर्यात का लक्ष्य और उपलब्धियां

1127. श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया :

श्री सी. पी. राधाकृष्णन :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कपास उत्पादों के निर्यात का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया और इसकी कितनी उपलब्धि रही;

(ख) गत वर्ष के दौरान और वर्ष 1998–99 के पहले छः माह में कपास उत्पादों के निर्यात में अत्यधिक गिरावट के क्या कारण हैं; और

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) सूती वस्त्र के निर्यात के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान निर्धारित लक्ष्य तथा उसकी सूचित उपलब्धि निम्नानुसार है:–

(मिलियन अमरीकी डालर में)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1995–96	2600	3124.99
1996–97	3570	3835.38
1997–98	4320	4075.92 (अनंतिम)

विशेष तौर पर सूती परिधानों के निर्यात के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते हैं। सूती परिधानों का निर्यात विगत तीन वर्षों के दौरान निम्नानुसार रिपोर्ट की गयी थी।

वर्ष	मूल्य (अमरीकी डालर में)
1995–96	3150.20
1996–97	3418.40
1997–98	3411.40 (अनंतिम)

(ख) और (ग) सूती वस्त्र के निर्यात के संबंध में वर्ष 1997–98 के दौरान थोड़ी गिरावट थी। तथापि, चालू वित्तीय वर्ष के प्रथमार्द्ध में, सूती परिधान निर्यात में कथित रूप से लगभग 6.5% की एक वृद्धि हुई है। सूती वस्त्रों के निर्यात के मामले में, विगत वर्ष में कोई गिरावट नहीं हुई है। तथापि, सूती वस्त्रों के निर्यात में लगभग 7% की गिरावट चालू वर्ष (1998–99) के प्रथमार्द्ध के दौरान हुई। पश्चिमी यूरोप में मांग की मंदी तथा दक्षिण–पूर्व एशियायी में मुद्रा संकट हमारे निर्यात में गिरावट में वृद्धि दर के प्रमुख कारण हैं। वस्त्र के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं, जिसमें क्रेता–विक्रेता बैठकों, मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहित करना, निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्क पर पूंजीगत सामान के आयात का सुलभ बनाना, निर्यात उत्पादन के लिए कच्चे माल के शुल्क मुक्त आयात के लिए विशेष व्यवस्था आदि शामिल है।

आर्थिक सुधार

1128. श्री विलास मुत्तेमवार :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्र विशेष के लिए पैकेज की श्रृंखला घोषित करके सरकार आर्थिक सुधारों पर नए सिरे से जोर देने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रक्रियात्मक ढांचे तथा विधि प्रणाली में प्रस्तावित परिवर्तन श्रम, पूंजी तथा उत्पाद बाजार के निर्बाध कार्यकरण में सहायक बने इस हेतु विचाराधीन/जिन्हें अंतिम रूप दिया गया विशेष क्षेत्र सुधार पैकेज का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन विशिष्ट क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिन पर जोर दिया गया है तथा कानूनी और प्रक्रियात्मक ढांचे में कौन–कौन सी कठिनाइयां महसूस की गई हैं; और

(घ) वित्तीय क्षेत्र के लिए पैकेज के घटकों और निगमित क्षेत्र में प्रस्तावित इक्विटी मार्किट और ढांचागत सुधारों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (घ) प्रधान मंत्री ने 24 अक्तूबर, 1998 को भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल परिसंघ (एफ. आई. सी. सी. आई.) के 71वें वार्षिक सत्र को सम्बोधित करते हुए अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कई आर्थिक पहलों की घोषणा की है। ये पहलें पूजी बाजार के विकास, विनिवेश, बीमा क्षेत्र को भारतीय निजी क्षेत्र के लिए खोलने, निवेशक के संरक्षण तथा उनका विश्वास फिर से कायम करने के लिए किए जाने वाले उपायों से संबंधित हैं।

आधारभूत ढांचे के विकास के लिए घोषित अन्य उपायों में कश्मीर से कन्याकुमारी और सिल्चिर से सौराष्ट्र को जोड़ने वाले 7,000 किलोमीटर सड़क मार्ग का निर्माण, विश्व श्रेणी के पांच अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का निर्माण, एक नई इंटरनेट नीति तथा स्टेट–ऑफ–द–आर्ट राष्ट्र व्यापी दूरसंचार नेटवर्क की व्यवस्था के लिए नई दूरसंचार नीति तैयार करना तथा ग्रामीण दूरभाष सेवाओं में तेजी लाना शामिल है।

सरकार ने इस्पात और वाणिज्यिक वाहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कतिपय राजकोषीय और अन्य उपायों की घोषणा भी की है।

[हिन्दी]

रबड़ उद्योग

1129. श्री चिन्मयानंद स्वामी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रबड़ उद्योग अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक रबड़ संगठन के लगभग समाप्त होने के कारण रबड़ की आपूर्ति में सम्भावित कमी को देखते हुए चिंतित है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संकट को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

फॉरन करेंसी रेटिंग ऑफ इंडिया को कम करना

1130. श्री माधवराव सिंधिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डफ एण्ड फेल्पस क्रेडिट रेटिंग कंपनी (डी. सी. आर.) ने भारत की फॉरन करेंसी रेटिंग को नीचे कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसे कितना नीचे किया गया है;

(ग) राजकोषीय घाटा फॉरन करेंसी रेटिंग को लाने का कहां तक आधार बना; और

(घ) मध्यवर्ती अवधि के दौरान इससे भारत का आयात और निर्यात कितना प्रभावित हुआ और इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) मैसर्स डफ एंड फेल्पस् क्रेडिट रेटिंग कंपनी (डी. सी. आर.) ने भारत के दीर्घावधि विदेशी मुद्रा क्रम–निर्धारण के बी. बी. बी.– (तीन–बी घटा) से दर्ज घटाकर बी. बी.+(दो–बी जमा) कर दिया है।

(ग) डफ एंड फैल्पस् क्रेडिट रेटिंग कंपनी (डी.सी.आर.) द्वारा भारत के प्रभुसत्ता संपन्न क्रम–निर्धारण प्रवृत्ति में संशोधन करने हेतु हिसाब में लिए गए कारकों में अन्य बातों के साथ–साथ राजकोषीय पैरामीटर शामिल हैं।

(घ) आयात और निर्यात उधार के क्रम–निर्धारण से सीधे संबंधित नहीं हैं।

बंद किए गए सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों की परिसम्पतियां

1131. **श्री शान्तिलाल पुरूषोत्तमदास पटेल : क्या उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रमों को शीघ्र बंद या परिसमाप्त करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या प्रभावित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पास ऐसी अचल परिसम्पति है जिसके माफिया द्वारा प्रभावित होने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन परिसम्पत्तियों के उचित मूल्यांकन हेतु कार्यवाही नहीं की है और वह उन अचल परिसम्पतियों का कोई वैज्ञानिक मूल्यांकन किये बिना ही उपक्रमों की इकाइयों के निपटान की कार्रवाई कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल): (क) सरकार ने, भारी उद्योग विभाग के सरकारी क्षेत्र के निम्नलिखित अजैव्य उपक्रमों, जो बंद होने की संभावना का सामना कर रहे हैं, के कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लाभ पहुंचाने का निर्णय लिया है। अंतिम रूप से बंद करना या फिर इन इकाइयों के निर्णय बी.आई.एफ.आर./न्यायालयों के निर्णय के अनुसार होंगे।

क्रम सं.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	कर्मचारियों की सं.	स्थिति
1.	नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि. (एन. आई. एल.)	863	बी. आई. एफ. आर. द्वारा बंद करने का प्रथम दृश्य निष्कर्ष
2.	भारत आप्थल्मिक ग्लास लि. (बी. ओ. जी. एल.)	472	बी. आई. एफ. आर. द्वारा बंद करने का प्रथम दृश्य निष्कर्ष
3.	वेबर्ड इंडिया लि. (डब्ल्यू.आई.एल)	183	बंद करने के लिए बी.आई.एफ.आर. द्वारा अंतिम निर्णय।
4.	नेशनल बाइसिकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	676	बंद करने के लिए बी.आई.एफ.आर. द्वारा अंतिम निर्णय। न्यायालय ने स्थगन आदेश दे दिया है।
5.	साइकिल कारपोरेशन ऑफ इडिया लि. (सी. सी. आई. एल.)	1718	बी. आई. एफ. आर. द्वारा बंद करने का प्रथम दृश्य निष्कर्ष
6.	माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन	4217	बी. आई. एफ. आर. द्वारा बंद करने का प्रथम दृश्य निष्कर्ष। न्यायालय ने स्थगन आदेश दे दिया है।
7.	टेनरी एंड फुटवियर कारपोरेशन लि. (टेफ्को)	1400	बंद करने के लिए बी.आई.एफ.आर. का अंतिम निर्णय।
8.	रिहेबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (आर. आई. सी.)	1272	विनिवेश आयोग ने संचलन को बंद करने की सिफारिश की है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लि. (बी.पी.एम.ई.एल.) के शेष कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम (वी.आर.एस.) की अवधि को और तीन महीने के लिए बढ़ाने का भी निर्णय लिया है जिसके लिए सरकार ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम (वी.आर.एस.) देने संबंधी निर्णय सितम्बर, 1997 में लिया था। बी.आई.एफ.आर. ने इस कंपनी को बंद करने के लिए अपनी अंतिम सिफारिश दे दी है।

(ख) से (घ) सरकार ने इन इकाइयों को बेचने के लिए कोई निर्णय नही लिया है।

*बी.आई.एफ.आर.–औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड

[हिन्दी]

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के प्रपत्रों का हिन्दी में मुद्रण

1132. **श्री चेतन चौहान** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट के कितने प्रपत्रों का मुद्रण अभी भी केवल अथवा अधिकतर अंग्रेजी भाषा में ही होता है;

(ख) कितने प्रपत्रों को केवल हिन्दी भाषा में ही भरना होता है;

(ग) विभिन्न योजनाओं के प्रपत्रों को हिन्दी भाषा में भरने का विकल्प न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसी व्यवस्था कब तक किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने सूचित किया है कि इसके सभी आवेदनपत्र अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में मुद्रित किए जाते हैं।

(ग) और (घ) निवेशकों को अपनी इच्छानुसार फार्म अंग्रेजी या हिन्दी में भरने का विकल्प उपलब्ध है।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में कर वंचन

1133. **वैद्य विष्णु दत्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में आय कर वंचको के विरुद्ध कितने मामले दर्ज हैं;

(ख) क्या इन वंचकों को प्रत्यक्ष आय कर के अंतर्गत लाने हेतु कोई योजना तैयार किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) जम्मू एवं कश्मीर राज्य में तेरह करदाताओं के संबंध में अभियोजन कार्यवाहियां शुरू की गई हैं। ये मामले न्यायालयों में लम्बित हैं और सामान्य तरह से उन पर कार्यवाही की जानी है।

सिगरेट के पुनः निर्यात से अर्जित राजस्व

1134. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बांडेड वेयर हाउसेस के माध्यम से आयातित सिगरेट के पुनः निर्यात में वर्षवार कुल कितने राजस्व की प्राप्ति हुई है;

(ख) पुनः निर्यात किए जाने में शामिल एजेंसियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें प्रत्येक एजेंसियों की कितनी भागीदारी है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन–पटल पर रख दी जाएगी।

बैंक ऋण में गिरावट

1135. **श्री सुब्रत मुखर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में बैंकों का कुल ऋण प्रतिशत 1969 के मुकाबले 1997 में घट गया है और अन्य राज्यों में इस प्रतिशत में वृद्धि हुई है या वही रहा है जो 1969 में था; और

(ख) यदि हां, तो केवल पश्चिम बंगाल में ही इसमें गिरावट आने के क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य

मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) 31 दिसम्बर, 1969 और 1997 की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बैंक ऋणों का राज्य–वार संवितरण और कुल बैंक ऋणों की तुलना में उसका प्रतिशत संलग्न विवरण में दिया गया है। उपर्युक्त अवधि के दौरान, न केवल पश्चिम बंगाल में बैंक ऋणों का हिस्सा कम हुआ है, बल्कि गुजरात एवं महाराष्ट्र में भी और मामूली रूप से तमिलनाडु ओर गोवा में भी कम हुआ है।

(ख) दिसम्बर 1969 की तुलना में दिसम्बर 1997 में कुल बैंक ऋण में से जिन चार प्रमुख राज्यों (अर्थात् महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात और तमिलनाडु) का हिस्सा कम हुआ है, 1969 में उनका हिस्सा मुख्य रूप से बड़ी औद्योगिक इकाइयों और अपेक्षाकृत बड़े [illegible]गारिक क्रियाकलापों वाले शहरी/महानगरीय क्षेत्रों में बैंक ऋणों [illegible] अधिकता के कारण कुल बैंक ऋणों का 67 प्रतिशत था। परंतु, राष्ट्रीयकरण के बाद की अवधि के दौरान, ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में शाखा बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार होने और बैंक ऋण का अधिक संवितरण हाने की वजह से इस अवधि में कुल बैंक ऋणों में से अन्य राज्यों के हिस्से में वृद्धि हुई है और इसके परिणामस्वरूप इस अवधि में उपर्युक्त चार राज्यों के (पश्चिम बंगाल सहित) का हिस्सा कम हुआ है।

विवरण

दिनांक 31 दिसम्बर 1969 और 1997 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बैंक ऋण का राज्यवार संवितरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ऋण (लाख रु. में)		कुल बैंक ऋण की प्रतिशत	तुलना में प्रतिशत (अखिल भारत)
		1969	1997	1969	1997
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	163,82	21505,97	4.4	7.8
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	51,59	–	
3.	असम	28,65	1925,83	8.6	8.6
4.	बिहार	58,57	6612.85	1.4	2.2
5.	गोवा	23,51	1826,86	8.6	8.3
6.	गुजरात	232.31	15236.47	6.2	5.8
7.	हरियाणा	38,28	4724,89	8.9	1.5
8.	हिमाचल प्रदेश	3,98	878,61	8.1	8.3
9.	जम्मू व कश्मीर	4,28	1899,74	0.4	8.6
10.	कर्नाटक	185,56	19656,48	5.8	6.4
11.	केरल	113,71	11281,86	3.8	3.7
12.	मध्य प्रदेश	78,52	18293,19	1.9	3.4
13.	महाराष्ट्र	1132.61	77871,14	30.4	25.2
14.	मणिपुर	–	163,52	–	8.1
15.	*मेघालय	–	141,98	–	..

1	2	3	4	5	6
16.	मिजोरम	–	44,42	–	
17.	नागालैंड	18	183,13	–	
18.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हिन्दी	288,31	48181,43	5.4	13.1
19.	उड़ीसा	17,79	3668,80	8.5	1.3
20.	पंजाब	76,78	9786,99	2.8	3.2
21.	राजस्थान	46,64	7822,33	1.3	2.3
22.	सिक्किम	–	47,65	–	
23.	तमिलनाडु	418,28	33796,88	11.2	11.8
24.	त्रिपुरा	27	273,76	–	8.1
25.	उत्तर प्रदेश	198,52	15737,47	5.1	5.1
26.	पश्चिम बंगाल	716,54	18524,46	19.2	6.1
27.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	–	31,76	–	
28.	चंडीगढ़	26,88	3282,53	8.7	1.8
29.	दादरा व नगर हवेली	–	18.52	–	
30.	***दमन व दीप	–	45,39	–	
31.	लक्षद्वीप	–	2,82	–	
32.	पांडिचेरी	4,80	314.37	8.1	8.1
	**अखिल भारत	3729,82	38588,486	100.0	100.0

(.) नगण्य (–) : उपलब्ध नहीं

* वर्ष 1969 के लिए मेघालय के आंकडे असम के साथ शामिल हैं.

** वर्ष 1969 के लिए अखिल भारतीय आंकड़ों में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, अंडमान और निकोबार, दादरा और नगर हवेली शामिल है।

*** वर्ष 1969 के लिए दमन एवं दीव के आंकड़े गोवा के साथ शामिल हैं।

महानदी कोलफील्ड्स लि. में दुर्घटना

1136. श्री भर्तृहरि मेहताब : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान महानदी कोलफील्ड्स लि. में हुई दुर्घटनाओं में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(ख) प्रत्येक दुर्घटना का कारण क्या था; और

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को दोषी पाया गया और उन्हें क्या दण्ड दिया गया?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) पिछले 2 वर्षों में महानदी कोलफील्ड्स लि. के अंतर्गत आने वाली कोयला खानों में हुई दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की संख्या और दुर्घटना के कारणो का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

कारण	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	
	1996	1997
रूफ/साइड फॉल	–	2
डम्पर	2	1
ट्रक	2	3
वस्तु/व्यक्ति के गिरने से	2	–
विविध	1	–
जोड़ :	7	6

(ग) कोल इंडिया लि. ने सूचित किया है कि पीड़ित व्यक्ति को छोड़कर 7 व्यक्ति 1996 में और 3 व्यक्ति 1997 में दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराए गए। वर्ष 1996 में एक एजेंट एक प्रबंधक तथा एक अवर प्रबंधक को रिकार्ड–योग्य चेतावनी दी गई। एक डंपर ऑपरेटर की पदोन्नति रोक दी गई और दो ड्राइवरों की सेवाएं समाप्त कर दी गईं। वर्ष 1997 में एक डंपर आपरेटर को निलंबित कर दिया गया और उसे नीचे के ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया गया तथा दो ट्रक ड्राइवरों की सेवाएं समाप्त कर दी गईं।

झींगा पालन हेतु दूर संवेदी प्रौद्योगिकी

1137. श्री के. येरननायडु : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (मैरिन प्रोडक्टस एक्सपोर्ट डवलपमेंट अथॉरिटी) ने वर्ष 1994 के दौरान झींगा पालन हेतु दूर संवेदी प्रौद्योगिकी शुरू की थी; और

(ख) यदि हां, तो उस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम का गठन

1138. श्री रामपाल सिंह : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हथकरघा उद्योग के विकास के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा हथकरघा उद्योग के विकास के लिए पहले ही एक राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि. की स्थापना की गई है। जो कि 1983 से प्रचलन में है। निगम का मुख्यालय लखनऊ में है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बैंकों में जाली फर्मों के खाते

1139. डा. विजय सोनकर शास्त्री : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जाली आयतकों ने निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जाली फर्मों के नाम से खाते खुलवाकर बैंकिंग उद्योग के साथ धोखाधड़ी की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार के कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए कोई कार्य प्रक्रिया निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो उचित सतर्कता बरतने में असफल रहे और भारतीय रिजर्व बैंक की कार्याविधि की अनदेखी करने वाले बैंकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई या किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक स्टेट बैंक आफ इन्दौर, वैश्य बैंक लिमिटेड जैसे बैंकों में उक्त मामलों की जांच कर रहा था; और

(च) यदि हां, तो ऐसी जांचों के क्या परिणाम रहे?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (च) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे कुछ बैंक शाखाओं में कपटपूर्ण लेन–देनों के कुछ दृष्टांत मिले हैं। चूंकि बैंकों ने निर्धारित सावधानियां नहीं बरती थीं, इसलिए ये कपटपूर्ण खाते खुले थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने संबंधित बैंकों से कहा है कि वे मामलों की छानबीन करें तथा कर्मचारियों की जिम्मेदारी के पहलुओं पर गौर करें। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस तरह की धोखाधड़ियों की घटनाओं को रोकने के लिए सावधानी बरतने के लिए कुछ विस्तृत मार्गनिर्देश भी जारी किए हैं। ऐसे मामलों की

सूचना प्रवर्तन निदेशालय को भी दी जाती रही है। ताकि जांच–पड़ताल और आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

कागज मिलों के लिए कच्ची सामग्री

1140. श्री अनन्त कुमार हेगड़े : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कागज मिलों की स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) कागज मिलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वन उत्पादों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्योग के लिए कच्चे माल के वैकल्पिक स्रोतों के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) कागज उद्योग, जिसके अंतर्गत लुगदी, कागज और गत्ता आता है, एक लाइसेंसमुक्त उद्योग है। 380 कागज मिलें हैं जिनकी कुल क्षमता लगभग 40.00 लाख मी. टन वार्षिक है। वर्ष 1997–98 के दौरान 29.22 लाख मी. टन कागज का उत्पादन हुआ था। औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में 145 मिलें रुग्ण एककों के रूप में पंजीकृत हैं। रुग्ण एककों सहित कागज उद्योग में लगभग 75% क्षमता का उपयोग होता है।

(ख) भारत में कागज उद्योग कच्चे माल के रूप में मुख्यतया कृषि अवशेषों और रद्दी कागज पर निर्भर करता है। उत्पादन किए जा रहे कागज में से केवल 38% ही कच्चे माल के रूप में लकड़ी पर निर्भर है। इनमें से कुछ मिलें बांस जैसे वन्य उत्पादों का उपयोग करती हैं।

(ग) 75% अथवा इससे अधिक अपारंपरिक कच्चे माल के प्रयोग से बने कागज और गत्ते के प्रथम 15000 टन उत्पादन पर 5% रियायती उत्पाद शुल्क लगाया जाता है और 15000 टन से अधिक उत्पाद पर 8% लगाया जाता है। केन्द्रीय लुगदी तथा कागज अनुसंधान संस्थान ने कागज के विनिर्माण के लिए जूट, गेहूं की भूसी और चावल की भूसी जैसे वैकल्पिक कच्चे माल के प्रयोग पर व्यापक अनुसंधान कार्य किया है।

[हिन्दी]

कांडला बन्दगाह पर चक्रवात के कारण आयात/निर्यात पर प्रभाव

1141. श्रीमती सूर्यकांता पाटिल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1998 के दौरान कच्छ, गुजरात में आये चक्रवात के कारण कांडला बन्दरगाह और पोर्ट ट्रस्ट को हुए नुकसान के कारण देश का आयात/निर्यात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो देश को इस घटना के कारण कितना राजस्व और विदेशी मुद्रा का नुकसान उठाना पड़ा; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त हानियों की भरपाई के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) से (ग) कांडला पत्तन न्यास द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार जून, 1998 में आए चक्रवात द्वारा हुई तबाही से विदेश व्यापार प्रभावित हुआ तथा नीचे दी गई मात्रा तक नुकसान हुआ।

(लाख रु. में)

(i)	कांडला पत्तन	निर्यात	आयात
	जून 1997	26,641.49	12,761.58
	जून 1998	8,357.63	9,999.69
	जुलाई 1997	32,752.09	24,144.76
	जुलाई 1998	23,617.06	56,169.37

(ii) कांडला पत्तन न्यास को उपकरण, संयंत्र तथा मशीनरी आदि को हुई क्षति के कारण 133.25 करोड़ रु. का कुल नुकसान हुआ।

(घ) भारतीय नौसेना, सीमा सुरक्षा बल, कोस्ट गार्ड, स्थानीय पुलिस बल तथा पत्तन न्यास के अधिकारियों और कर्मचारियों की सहायता से पत्तन के संकार्यों को शीघ्रतिशीघ्र फिर से बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर सभी उपाय किए गए थे। पत्तन के संकार्य एक माह के भीतर पूरी तौर पर फिर से शुरु हो गए थे।

अन्य उपायों में ये शामिल थे : क्षति का शीघ्रता से निर्धारण करना तथा बीमा कंपनियों द्वारा दावों का शीघ्रता से निपटान, नकद ऋण सीमाओं, पैकिंग सीमाओं, निर्यात ऋण कार्य शील पूंजी के बारे में निर्यातकों/आयातकों के अनुरोध पर भलीभांति विचार करने के लिए वित्तीय संस्थानों को सलाह देना।

कांडला पत्तन पर सुविधाओं को बहाल करने के अतिरिक्त

कांडला पत्तन से दूसरे पत्तनों पर लाए गए कार्गो को हैंडल करने के लिए भी प्रबंध किए गए थे।

[अनुवाद]

स्वैच्छिक आय घोषणा योजना से प्राप्त धन

1142. श्री अर्जुन सेठी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1998 के दौरान घोषित आय की स्वैच्छिक घोषणा के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धन का हस्तांतरण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को हस्तांतरित किए गए धन का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) स्वैच्छिक आय घोषणा योजना, 1997 में मार्च, 1998 में प्रत्येक राज्य सरकार को किए गए हिस्से के भुगतान दर्शाने वाला विवरण संलग्न किया जाता है।

विवरण

स्वैच्छिक आय घोषणा योजना, 1997 में राज्यों का हिस्सा दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए)

	राज्य	मार्च, 1998 में किए गए भुगतान की राशि
	1	2
1.	आंध्र प्रदेश	642.83
2.	अरुणाचल प्रदेश	12.91
3.	असम	211.42
4.	बिहार	976.66
5.	गोवा	13.67
6.	गुजरात	307.25
7.	हरियाणा	94.01
8.	हिमाचल प्रदेश	53.46
9.	जम्मू और कश्मीर	83.31
10.	कर्नाटक	405.44
11.	केरल	294.27
12.	मध्यप्रदेश	629.54
13.	महाराष्ट्र	465.21
14.	मणिपुर	21.41
15.	मेघालय	21.49
16.	मिजोरम	11.32
17.	नागालैंड	13.75
18.	उड़ीसा	341.35
19.	पंजाब	110.95
20.	राजस्थान	421.54
21.	सिक्किम	9.57
22.	तमिलनाडु	504.01
23.	त्रिपुरा	28.71
24.	उत्तर प्रदेश	1352.57
25.	पश्चिम बंगाल	567.35
	जोड़	7594.00

[हिन्दी]

चमड़े के कारखानों का बंद होना

1143. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च न्यायालय ने देश में विशेषकर कानपुर में चमड़े के उन कारखानों को सील करने के आदेश दिए हैं जिन्होंने प्राथमिक शोधन संयंत्र स्थापित नहीं किए हैं;

(ख) यदि हां, तो अभी तक कितनी चर्म शोधनालयों को सील किया गया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जाएगी?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने अपने दिनांक 25 मई, 1998 तथा 11 अगस्त, 1998 के आदेश के तहत ऐसे सभी चमड़े के कारखानों को बन्द करने को सुनिश्चित करने के आदेश दिये हैं जिन्होंने कानपुर में प्राथमिक शोधन संयंत्र स्थापित नहीं किये हैं। दिनांक 11 अगस्त, 1998 के आदेश में यह भी उल्लेख किया था कि कानपुर स्थित सभी चमड़े के कारखानों का व्यापक सर्वेक्षण किया जाये तथा किसी भी चमड़े के कारखाने को तब तक संचालन की अनुमति न दी जाये जब तक ऐसे सभी कारखानों द्वारा प्राथमिक शोधन संयंत्र स्थापित न किये गये हों।

(ख) और (ग) माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन मे कुल 118 चमड़े के कारखानों को बंद किया गया था। इनमें से 74 चमड़े के कारखानों ने तब से अपनी प्राथमिकता उत्सर्जन शोधन संयंत्रों को अधिष्ठापित कर लिया है और उन्हें संचालन की अनुमति दे दी है। ताकि उनकी प्राथमिक उत्सर्जन शोधन संयंत्र की दक्षता की जांच की जा सके। इनमें से 44 चमड़े के कारखाने अभी भी बंद पड़े हैं क्योंकि उन्होंने अपनी प्राथमिक उत्सर्जन शोधन संयंत्रों को अधिष्ठापित नहीं किया है।

सोने का आयात

1144. श्री माधवराव पाटील : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान अब तक कितना सोना आयात किया गया है;

(ख) चालू वर्ष की शेष अवधि के दौरान कितना सोना आयात किए जाने की संभावना है;

(ग) सोना किन–किन देशों से और किस दर पर आयात किया गया;

(घ) सरकार ने किन–किन बैंकों और एजेंसियों को प्राधिकृत किया है;

(ङ) उन्हें प्राधिकृत करने के लिए कौन–कौन से मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(च) क्या प्राधिकृत किए गए बैंक/एजेंसियां मानदण्डों को पूरा करते हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो उन्हें प्राधिकार मंजूर करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) तीन अलग–अलग चालू योजनाओं के अंतर्गत यात्रियों, व्यापारी वर्ग अथवा नामित बैंक/एजेंसियों द्वारा शुल्क की अदायगी करके चालू वर्ष में 31.10.98 तक आयात किए गए सोने की मात्रा 508.264 मीट्रिक टन है।

(ख) ऐसे संभावित आयातों के कोई निश्चित अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) आयातक संयुक्त राज्य अमरीका, संयुक्त अरब अमीरात, शारजाह, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंग्डम, आस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैण्ड जैसे विभिन्न देशों से स्वयं सोना प्राप्त करते हैं। जिस कीमत पर सोने का आयात किया जाता है वह हर दिन बदलती रहती है।

(घ) सोने के आयात के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत बैंकों के नाम इस प्रकार हैं:–

(1) ए.बी.एन. आमरो बैंक (2) इलाहाबाद बैंक (3) बैंक ऑफ इंडिया (4) बैंक आफ नोवा स्कोटिया (5) केनरा बैंक (6) कॉर्पोरेशन बैंक (7) स्टैन्डर्ड चार्टर्ड बैंक (8) इंडियन ओवरसीज बैंक (9) भारतीय स्टेट बैंक (10) ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (11) बैंक ऑफ बड़ौदा।

अन्य प्राधिकृत एजेंसियां इस प्रकार हैं : मिनरल और मैटल ट्रेडिंग कार्पोरेशन्स, हैंडलूम्स हैंडिक्राफ्ट एक्सपोर्ट कॉरर्पोरेशन, दि प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट ऑफ इंडिया लि.।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सोने के आयात के लिए बैंकों को प्राधिकृत करने के लिए यह मानदण्ड अपनाया गया है कि आवेदक को एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होना चाहिए, इसका कुल अक्षत पूंजी 300 करोड़ रुपए होनी चाहिए, इसका जोखिम का प्रतिशत भारत परिसंपतियों में कुल पूंजी जोखिम का 9 प्रतिशत या उससे अधिक होना चाहिए, इसके पास विकसित जोखिम प्रबंध पद्धति, सोने से संबंधित कारोबार में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन रिकार्ड और पूर्व अनुभव अथवा जानकारी होनी चाहिए।

(च) जी हां, सोने के आयात के लिए नामित बैंक निर्धारित मानदण्डों का बराबर अनुपालन करते हैं।

(छ) ऊपर (च) के उत्तर को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नागालैंड के लिए निधि

1145. श्री के. ए. सांगतम : *क्या वित्त मंत्री कई निगमों* से संबंधित अपनी देनदारियों को पूरी करने के संबंध में नागालैंड राज्य को निधि के आबंटन के बारे में 10 जुलाई, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3451 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) सूचना सभा पटल पर कब तक रख दी जाएगी?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) से (ग) नागालैंड राज्य को निधियों के आबंटन के बारे में दिनांक 10 जुलाई, 1998 के लिखित प्रश्न संख्या 3451 के संबंध में आश्वासन के उत्तर के लिए सूचना एकत्र और विश्लेषित की जा रही है।

(घ) अंतिम रूप देने पर सूचना को सदन के सभा पटल पर शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा।

[हिन्दी]

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण

1146. श्री अमन कुमार नागरा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों द्वारा जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को किसी प्रतिभूति के बगैर ऋण उपलब्ध कराया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वस्तुस्थिति क्या है;

(ग) क्या हरियाणा में दो प्रतिभूतियों के बगैर ही ऋण उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं;

(घ) यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सरकार का हरियाणा में विशेष रूप से अम्बाला में पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों द्वारा प्राप्त किए गए आवेदन पत्रों के संबंध में आसूचना विभाग द्वारा जांच कराने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में कौन–कौन से निवारक उपाय किए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ङ) जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई) एक केन्द्रीयकृत प्रायोजक कार्यक्रम है जिसे ग्रामीण बेरोजगार और अल्प रोजगार गरीबों को मजदूरी रोजगार प्रदान करने के लिए अप्रैल, 1989 में निरंतर चल रही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम का विलय कर प्रारंभ किया गया था। यह योजना मजदूरी रोजगार के माध्यम से और सामुदायिक और सामाजिक सम्पत्तियों के सृजन के माध्यम से आय के स्रोत उपलब्ध कराती है। इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को लाभ पहुंचाना है। जे. आर. वाई. के अंतर्गत बैंको द्वारा ऋण उपलब्ध नहीं करवाया जाता है।

ए.सी.सी. लिमिटेड, कानपुर द्वारा शेयरधारकों के साथ धोखाधड़ी

1147. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में ए.सी.सी. लिमिटेड़, कानपुर द्वारा शेयरधारकों के साथ धोखाधड़ी किए जाने का कोई मामला आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है तथा अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार उक्त कंपनी द्वारा एक हजार करोड़ रुपए से भी अधिक धनराशि के राज्य तथा केन्द्रीय कर अपवंचन से संबंधित मामले के संबंध में कोई जांच करायेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (घ) सूंचना एकत्र की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

असम में कॉटन यार्न बैंक स्थापित किया जाना

1148. श्रीमती रानी नरह : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार असम में "काटन यार्न बैंक" स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को असम सरकार से राज्य में हथकरघा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) कॉटन यार्न बैंक राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एन.एच.डी.सी.) लि. के माध्यम से भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित मिल गेट कीमत स्कीम के अंतर्गत किसी भी अनुमोदित राज्य हथकरघा अभिकरण द्वारा स्थापित किया जा सकता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राजसहायता विरोधी और पाटनरोधी प्रकोष्ठ

1149. श्री तारिक अनवर : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजसहायता और पाटनरोधी जांच प्रकोष्ठ का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) सरकार ने वाणिज्य मंत्रालय के अधीन पाटन रोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय का गठन किया है। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत नियुक्त किया गया निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय का प्रभारी है और वह पाटनरोधी एवं सब्सिडी रोधी कार्रवाई के लिए मामलों की जांच करता है। पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय को वर्तमान कार्यभार के अनुसार प्रर्याप्त बुनियादी सुविधाएं मुहैया की गई हैं।

[हिन्दी]

चूककर्ताओं को ऋण

1150. श्री हरिभाई चौधरी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान बैंक–वार राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कुल कितनी धनराशि का अशोध ऋण माफ कर दिया;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन बैंकों ने चूककर्ता लोगों को दुबारा ऋण दे दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा भेजे गए अनुसार वर्ष 1995–96 और 1996–97 (अद्यतन उपलब्ध) के दौरान, राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बट्टे–खाते डाली गई अशोध्य ऋण की राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को सचेत करने और अन्य उधारदाता संस्थाओं के चूककर्ताओं से बचाने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के कुल 1 करोड़ रुपए और उससे अधिक की बकाया राशि वाले उधारकर्ताओं के बारे में विवरण एकत्रित करने के लिए एक योजना प्रारम्भ की है। इन्हें "संदिग्ध" अथवा "घाटे–वाले" के रूप में वर्गीकृत किया गया है अथवा प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च और 30 सितम्बर को उनके विरुद्ध मुकदमे दायर किए गए हैं। उन उधारकर्ताओं की सची (कुल 1 करोड़ रुपए और उससे अधिक की बकाया वाले) जिनके विरुद्ध प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च को मुकदमे दायर किए जाते हैं, को प्रकाशित किया जाता है। ऐसे मुकदमा दायर किए गए खाते की सूचना साथ ही 1 करोड़ रुपए के अन्य संदिग्ध और हानि सम्पत्तियों के सम्बन्ध में गोपनीय सूचना, फलापी के रूप में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को प्रचारित की जाती है।

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से कहा जाता है कि चूककर्ता उधारकर्ता इकाईयों, उनके मालिकों/भागीदारों/निदेशकों आदि से नई अथवा अतिरिक्त सीमाओं के लिए प्राप्त अनुरोधों पर गुण–दोषों के आधार पर विचार करते समय उपरोक्त विवरण का उपभाग करें। बैंक, कभी–कभी पुनरुज्जीवन/पुनर्वास के लिए चूककर्ता इकाइयों आदि को गुण–दोषों के आधार पर ऋण/अतिरिक्त सुविधा मंजूर करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने उन्हें ऐसा कोई मार्गनिर्देश जारी नहीं किया है जिसमें उन्हें चूककर्ताओं को नई/अतिरिक्त सीमा मंजूर करने से रोका गया हो और बैंक और वित्तीय संस्थाएं, वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर अपना स्वयं का ऋण निर्णय करने के लिए स्वतंत्र हैं।

विवरण

पिछले दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बट्टेखाते डाले गए अशोध्य ऋण

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	1995–96	1996–97
1	2	3	4
1.	इलाहाबाद बैंक	6.71	21.39
2.	आंध्रा बैंक	1.95	37.42

1	2	3	4
3.	बैंक आफ बड़ौदा	46.42	70.17
4.	बैंक आफ इंडिया	307.08	217.15
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	56.52	47.30
6.	केनरा बैंक	169.49	18.20
7.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	138.44	156.83
8.	कार्पोरेशन बैंक	19.13	0.94
9.	देना बैंक	51.92	58.76
10.	इंडियन बैंक	115.94	10.28
11.	इं. ओवरसीज बैंक	75.01	375.73
12.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	0.82	46.22
13.	पंजाब नेशनल बैंक	53.14	150.34
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	2.86	9.93
15.	सिंडिकेट बैंक	8.03	58.79
16.	यूनियन बैंक	38.81	30.57
17.	यूको बैंक	110.98	220.57
18.	युनाइटेड बैंक	36.51	65.48
19.	विजया बैंक	13.26	12.72
	कुल	1253.02	1608.79

अपराह्न 12.01

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

इलेक्ट्रानिक्स सर्विस एंड ट्रेनिंग सेंटर, इत्यादि का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा-परीक्षित लेखे और इनके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा इत्यादि

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल): महोदय, मैं श्री सिंकदर बख्त की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) (एक) इलेक्ट्रानिक्स सर्विस एंड ट्रेनिंग सेंटर, नैनीताल के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा–परीक्षित लेखे।

(दो) इलेक्ट्रानिक्स सर्विस एंड ट्रेनिंग सेंटर, नैनीताल के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 1587/98]

(2) (एक) इंडो–जर्मन टूल रूम, औरंगाबाद के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा–परीक्षित लेखे।

(दो) इंडो–जर्मन टूल रूम, औरंगाबाद के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 1588/98]

(3) (एक) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिजाइन, हैदराबाद के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा–परीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिजाइन, हैदराबाद के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 1589/98]

(4) (एक) सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर, कलकत्ता के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा–परीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर, कलकत्ता के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 1590/98]

(5) (एक) सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर, भुवनेश्वर के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा–परीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 1591/98]

(दो) सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर, भुवनेश्वर के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) इन्डो–डेनिश टूल रूम, जमशेदपुर के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) इंन्डो–डेनिश टूल रूम, जमशेदपुर के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 1592/98]

(7) (एक) इन्डो–जर्मन टूल रूम, अहमदाबाद के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) इन्डो–जर्मन टूल रूम, अहमदाबाद के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 1593/98]

(8) (एक) इन्डो–जर्मन टूल रूम, इन्दौर के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) इन्डो–जर्मन टूल रूम, इन्दौर के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 1594/98]

(9) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ऑफ इलैक्ट्रीकल मेजरिंग इंस्ट्रूमैंट्स, मुम्बई के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ऑफ इलैक्ट्रीकल मेजरिंग इंस्ट्रूमैंट्स, मुम्बई के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 1595/98]

(10) (एक) सैन्ट्रल टूल रूम, लुधियाना के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) सैन्ट्रल टूल रूम, लुधियाना के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 1596/98]

(11) (एक) आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन आफ इंडिया, पुणे के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन आफ इंडिया, पुणे के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 1597/98]

(12) (एक) सैन्ट्रल पल्प एंड पैपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सहारनपुर के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) सैन्ट्रल पल्प एंड पैपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सहारनपुर के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 1598/98]

(13) पेटेन्ट अधिनियम, 1970 की धारा 155 के अंतर्गत पेटेन्ट डिजाइन और ट्रेड मार्क महानियंत्रक के वर्ष 1997–98 के छब्बीसवें वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 1599/98]

(14) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का. आ. 874 (अ) जो 25 सितम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा मैसर्स कसात पेपर एंड पल्प लिमिटेड, पुणे को अखबारी कागज उत्पादन करने वाले मिल के रूप में अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी) संस्करण।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1600/98]

(15) विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 18 की उपधारा (8) के अंतर्गत गैस सिलेन्डर (संशोधन) नियम, 1998 जो 10 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 487 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1601/98]

(16) व्यापार और पण्य वस्तु चिह्न अधिनियम, 1958 की धारा 126 के अंतर्गत पेटेन्ट, डिजाइन और ट्रेड मार्क महानियंत्रक के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1602/98]

(17) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद की वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद की वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 1603/98]

इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट, सूरत का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे, इसके कार्यकारण की समीक्षा इत्यादि।

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट, सूरत के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट, सूरत के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 1604/98]

(3) भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन और वाणिज्य मंत्रालय के बीच वर्ष 1998–99 के लिए हुए समझौता ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल.टी. 1605/98]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, आयकर अधिनियम, 1961 इत्यादि के अधीन अधिसूचनाओं की प्रतियां।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (दसवां संशोधन) नियम, 1998 जो 18 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 501 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 1998 जो 24 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 515 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (बारहवां संशोधन) नियम, 1998 जो 1 सितम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 551 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (तेरहवां संशोधन) नियम, 1998 जो 2 सितम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 552 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) दिनांक 7 सितम्बर, 1998 की तदर्थ छूट आदेश संख्या 68/6/98–के.उ.शु. जिसमें 'चाइल्ड रिलीज एण्ड यू', कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली द्वारा बधाई कार्ड, केलेंडरों, टेलीफोन/पतों की पुस्तकों आदि में प्रयुक्त किए जाने वाले कागज को सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) दिनांक 7 अक्तूबर, 1998 की तदर्थ छूट आदेश संख्या 70/8/98 के.उ.शु. जिसमें मेसर्स काइनेटिक हौंडा मोटर लिमिटेड, पुणे द्वारा विकलांग/अपंग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किये गए काइनेटिक हौंडा (डी.एक्स. मॉडल) स्कूटर्स जिनकी पूर्ति विकलांग विकास मित्र मंडल, मुम्बई को की जाती है, को उन पर उद्ग्रहणीय उत्पादन शुल्क की उतनी राशि से छूट जो मूल्यानुसार 8 प्रतिशत की दर से परिकलित राशि से अधिक हो, प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) दिनांक 17 नवम्बर, 1998 की तदर्थ छूट आदेश संख्या 71/9/98–के.उ.शु. जिसमें मैसर्स सीमेन्स लिमिटेड, मुम्बई द्वारा पूर्ति किए जाने वाले मोबाइल अस्पताल, जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की अनुसूची के अंतर्गत आता है को उस पर उदग्रहणीय उत्पाद शुल्क की उतनी राशि से छूट प्रदान की गई है जो मूल्यानुसार 8 प्रतिशत की दर से परिकलित राशि से अधिक हो तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) दिनांक 17 सितम्बर, 1998 की तदर्थ छूट आदेश संख्या 69/7/98–के.उ.शु. जिसमें मैसर्स मारुती उद्योग लिमिटेड़, गुडगांव द्वारा सेना मुख्यालय को पूर्ति की जाने वाली 18 हस्तचलित आटोमेटिक ट्रांसमिशन मारुती जेन कारों पर उदग्रहणीय उत्पाद शुल्क की उतनी राशि से छूट प्रदान की गई है, जो मूल्यानुसार 8 प्रतिशत की दर से परिकलित राशि से अधिक है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 1606/98]

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) सा.का.नि. 393 (अ) जो 17 जुलाई, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिसके द्वारा 13 जून, 1998 की अधिसूचना संख्या 34/98–सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 415 (अ) जो 30 जुलाई, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिसके द्वारा 2 जून, 1998 की अधिसूचना संख्या 23/98–सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 469 (अ) जो 3 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिसके द्वारा क्रमशः 22 जून, 1994 और 3 जून, 1997 की 2 अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किये गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 407 (अ) जो 3 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिसके द्वारा 1 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना संख्या 29/97–सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 492 (अ) जो 11 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिसके द्वारा 1 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना संख्या 29/97–सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा.का.नि. 522 (अ) जो 25 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिसके द्वारा शुल्क–छूट पास बुक योजना (डीईपीबी) के अंतर्गत जोधपुर स्थित अंतर्देशीय कन्टेनर डिपो से माल को आयात और निर्यात करने की सुविधा प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 609 (अ) जो 9 अक्तूबर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिसके द्वारा 1 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना संख्या 29/97–सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.निं. 610 (अ) जो 9 अक्तूबर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिसके द्वारा उनमें उल्लिखित विद्यमान चार अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किये गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) कूरियर आयात और निर्यात (निकासी) विनियमन, 1998 जो 9 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 662 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सीमा शुल्क (सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा सेवा प्रदान करने के लिए शुल्क), विनियमन, 1998 जो 4 सितम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 558 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 1607/98]

(3) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) आयकर (उन्नीसवां संशोधन) नियम, 1998 जो 13 अक्तूबर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 902 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) आयकर (बाईसवां संशोधन) नियम, 1998 जो 23 अक्तूबर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 923 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) आयकर (तेईसवां संशोधन) नियम, 1998 जो 23 अक्तूबर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 924 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) आयकर (चौबीसवां संशोधन) नियम, 1998 जो 23 अक्तूबर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 925 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गईं। **देखिये** संख्या एल.टी. 1608/98]

(4) सेन्टर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा, लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल.टी. 1609/98]

(5) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 27 के अंतर्गत डिपोजिटरीज (अपील टू द सेन्ट्रल गवर्नमेंट) रूल्स, 1998 जो 28 जुलाई, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 413 (अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 1610/98]

(6) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत, भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (केन्द्रीय सरकार से अपील) संशोधन नियम, 1998 जो 4 सितम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 557 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल.टी. 1611/98]

(7) (एक) सेन्टर फॉर डेवलपमेंट इकनॉमिक्स एट द देहली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स, दिल्ली के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्टर फॉर डेवलपमेंट इकनॉमिक्स एट द देहली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स, दिल्ली के वर्ष 1997–98 के वार्षिक लेखाओं की एक

प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 1612/98]

(8) मद्रास स्कूल ऑफ इकॉनोमिक्स, चेन्नई के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 1613/98]

(9) नेशनल कांउन्सिल ऑफ अप्लाइड इकॉनोमिक रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 1614/98]

(11) नेशनल कांउन्सिल ऑफ एप्लाइड इकॉनोमिक रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 1615/98]

(12) (एक) भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 19 की उपधारा (5) और धारा 24 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय निर्यात-आयात बैंक, मुम्बई के वर्ष 1997-98 वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय निर्यात आयात बैंक, मुंबई, के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 1616/98]

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचनायें

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केन्द्रीय विक्रय कर (पंजीकरण और आवर्तन) संशोधन नियम 1998 जो 7 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 483 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) केन्द्रीय विक्रय कर (पंजीकरण और आवर्तन) संशोधन नियम, 1998 जो 20 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 695 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 1617/98]

अपराह्न 12.02 बजे

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश राज्य सभा और राज्य सभा द्वारा यथा पारित विधेयक

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है:-

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 3 दिसम्बर, 1998 को हुई अपनी बैठक में पारित दिल्ली विकास प्राधिकरण (अनुशासन शक्तियों का विधिमान्यकरण) विधेयक, 1998 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

2. महोदय, मैं 3 दिसम्बर, 1998 को राज्य सभा द्वारा यथापारित दिल्ली विकास प्राधिकरण (अनुशासन शक्तियों का विधिमान्यकरण) विधेयक, 1998 सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02½ बजे

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन तथा आरक्षण संबंधी प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री कड़िया मुण्डा (खूंटी) : मैं अनुसूचित जातियों और

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और उनसे संबंधित समिति की बैठकों के कार्यवाही वृत्तान्तों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:–

(एक) इलाहाबाद बैंक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और रोजगार तथा बैंक द्वारा उन्हें उपलब्ध कराई गई ऋण सुविधाओं के संबंध में वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के तीसरे प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।

(दो) मॉर्डन फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और रोजगार के संबंध में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।

(तीन) इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और रोजगार।

(चार) केनरा बैंक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और रोजगार द्वारा उन्हें उपलब्ध कराई गई ऋण सुविधाएं।

(पांच) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और रोजगार तथा उसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए प्रवेश में आरक्षण सहित।

अपराह्न 12.03 बजे

वाणिज्य सम्बधी स्थायी समिति

पैंतीसवां और छत्तीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री मुरासोली मारन (मद्रास मध्य) : महोदय, मैं वाणिज्य संबन्धी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक–एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:–

(एक) भारत और विश्व व्यापार संगठन संबंधी पैंतीसवां प्रतिवेदन; और

(दो) पूर्वोत्तर क्षेत्र में वाणिज्य विकास की संभावना संबंधी छत्तीसवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03½ बजे

परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति

चौंतीसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री पी. सी. चाक्को (इदुक्की) : मैं वाणिज्य पोत परिवहन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1998 पर परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति का चौंतीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.03 ¾ बजे

परिवहन और पर्यटन संबधी स्थायी समिति

साक्ष्य

[हिन्दी]

श्री पी. सी. चाक्को (इदुक्की) : मैं वाणिज्य पोत परिवहन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1998 पर परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिये गए साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

सभा का कार्य

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि सोमवार, 7 दिसम्बर, 1998 से प्रारंभ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा:–

1. वर्ष 1989–91 के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के तत्कालीन आयुक्त के 38वें प्रतिवेदन पर चर्चा।

2. केन्द्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश, 1998 और केन्द्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1998 का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा और केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1998 पर विचार और पारित करना।

3. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में दिल्ली विकास प्राधिकरण (अनुशासनात्मक शक्तियों का विधिमान्यकरण) विधेयक, 1998 पर विचार और पारित करना।

4. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना:–

(1) उच्च मूल्य बैंक नोट (विमुद्रीकरण) संशोधन विधेयक, 1998

(2) रेल दावा अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1998

(3) विस्फोटक पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 1998

(4) उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय (सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक; 1998

(5) काफी (संशोधन) विधेयक, 1998

5. वर्ष 1998–99 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगे (सामान्य) पर चर्चा और मतदान।

6. बीमा विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 1998 पर विचार और पारित करना।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम सदस्यों के निवेदनों को लेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया निवेदनों के बाद।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : आपने कहा था कि डा. मुरली मनोहर जोशी जी स्टेटमेंट देंगे...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी वक्तव्य देने वाले हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चैल) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के नव सृजित जिले कोशाम्बी, फतेहपुर, इलाहाबाद नैशनल हाईवे पर दिन–प्रतिदिन बढ़ते हुए ट्रैफिक के कारण अक्सर जाम लगा रहता है, फलस्वरूप आए दिन बहुत सी गंभीर दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। कई स्थानीय लोग भी दुर्घटनाग्रस्त होकर मारे गए हैं। ऐसी स्थिति में अक्सर वहां तनाव बना रहता है। जनहित में भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए वहां पर एक बाईपास का बनाया जाना नितान्त आवश्यक है। संभवतः उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस बाईपास के निर्माणार्थ कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन लम्बित है परन्तु अभी तक इस पर कोई कारगर कार्यवाही नहीं हो पाई है।

विषय को गंभीरता को देखते हुए मैं चाहूंगा कि इसे आगामी सप्ताह की सूची में समाहित किया जाए।

श्री चन्द्रशेखर साहू (महासमुद्र) : अध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह हेतु कार्यसूची में निम्नलिखित प्रस्ताव शामिल करने हेतु अनुरोध करता हूं:–

1. भारतीय संघ में छत्तीसगढ़ के 16 नए जिलों को मिलाकर नए राज्य संबंधी विधेयक शीघ्र प्रस्तुत किए जाएं।

2. छत्तीसगढ़ (म. प्र.) के अकाल प्रभावित क्षेत्र के संबंध में विशेषकर देवभोग, मैनपुर, बागबहारा, महासमुन्द, बसवा, पिथौरा विकासखंड को डी.पी. ए. पी. के तहत शामिल किए जाने के संबंध में।

श्री रामनारायण मीणा (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, कृपया निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित किया जाए:–

1. ट्रेन नं. 2019 एवं 2020 देहरादून एक्सप्रैस को जनहित में काप्रेण स्टेशन पर ठहराव किया जाए।

2. ऐतिहासिक स्थल चित्तौड़गढ़ से प्रमुख शहर बूंदी, कोटा, बीना होकर भोपाल तक एक द्रुतगामी ट्रेन चला कर आम जनता की मांग की पूर्ति की जाए।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित करने की अनुमति प्रदान करें:–

1. उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले तथा उत्तर भारत के प्रमुख औद्योगिक नगर कानपुर के औद्योगिक स्वरूप को बचाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा मूलभूत ढांचा स्थापित करने हेतु तथा आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु योजना तैयार करना।

2. उत्तर भारत के प्रमुख औद्योगिक नगर कानपुर में पेयजल, सीवर व्यवस्था, जल निकासी, विद्युत व्यवस्था

तथा सड़कों के निर्माण हेतु प्रदेश सरकार के पास संशोधन के आभाव में केन्द्र सरकार द्वारा विश्व बैंक अथवा किसी अन्य स्रोत से संसाधन उपलब्ध कराकर 40 लाख की जनसंख्या वाले इस नगर को मूलभूत जनसुविधाएं उपलब्ध कराना।

प्रो. अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आज संसदीय कार्य मंत्री को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित करने क लिए निम्नलिखित सुझाव देने की अनुमति चाहता हूं:–

1. समस्तीपुर जिला (बिहार) के दक्षिणी छोर पर गंगा के कटाव को नियंत्रित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार राज्य को आवश्यक तकनीकी सलाह एवं पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने पर विचार।

2. बिहार राज्य के समस्तीपुर जिले में हलसिंह सराय रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे की अतिरिक्त भूमि पर रेलवे अथवा अन्य उपयुक्त एजेंसी द्वारा मैंकेंट परिसर का निर्माण कर दुकानदारों को आबंटित करने पर विचार।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं अगले सप्ताह की कार्यसूची के लिए निम्नलिखित निवेदन करना चाहता हूं:–

1. आंध्र प्रदेश में 5000/– रुपए में महिलाओं को बेचे जाने के मामले पर चर्चा।

2. आसनसोल –दुर्गापुर को एस.टी.डी. के बजाय, 'लोकल काल डायलिंग' सुविधाओं के अंतर्गत लाए जाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाना।

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : मैं अनुरोध करता हूं कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किया जाएं:–

"देश के विभिन्न भागों में निर्दोष मुस्लिमों की गिरफ्तारियों और उनके घरों की व्यापक तलाशी ली जा रही है और मुस्लिम अल्पसंख्यकों को डराने का प्रयास किया जा रहा है। मुस्लिम अल्पसंख्यकों को परेशान किए जाने से बचाने के लिए सरकार की ओर से वक्तव्य और कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है।

श्री बीर सिंह महतो (पुरुलिया) : मेरा अनुरोध है कि अगले सप्ताह के कार्य में निम्नलिखित विषय शामिल किए जाएं:

(1) विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा विगत तीन वर्षों के लिए विभिन्न परियोजनाओं की स्वीकृति।

(2) सार्वजनि[illegible] [illegible]त्र के आठ उपक्रमों, विशेष रूप से जिनके [illegible] बंगाल में एकक हैं, को बंद करने पर पुनर्विचार [illegible]रना।

अपराह्न 12.12 बजे

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

[अनुवाद]

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि:–

"कि सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 4(3) (ग) और सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972 के नियम 4(एक) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:–

"कि सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 4(3) (ग) और सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972 के नियम 4(एक) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) निःशक्त व्यक्तियों के लिए समान अवसर हेतु केन्द्रीय समन्वय समिति

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि:–

"कि निशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 की धारा 3(2) (ज)

के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन सभा के सदस्य रहने तक की अवधि के लिए केन्द्रीय समन्वय समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:-

"कि निशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 की धारा 3(2) (ज) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन सभा के सदस्य रहने तक की अवधि के लिए केन्द्रीय समन्वय समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.14 बजे

[अनुवाद]

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव – समय का बढ़ाया जाना

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि यह सभा आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1998 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के लिए समय शीतकालीन सत्र, 1998 के अंतिम सप्ताह के अंतिम दिन तक बढ़ाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1998 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के लिए समय शीतकालीन सत्र, 1998 के अंतिम सप्ताह के अंतिम दिन तक बढ़ाये।"

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से अधिकतर सदस्य इसके पक्ष में हैं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अधिकतर सदस्य इसके पक्ष में नहीं हैं। हम मत विभाजन चाहते हैं। महोदय, हम कालाबाजारियों और मुनाफाखोरों के साथ रह रहे हैं...*(व्यवधान)* जो हम मत-विभाजन के लिए कहते हैं तो आपको इसकी अनुमति देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: संसदीय कार्यमंत्री बोल रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : किस बारे में? ...*(व्यवधान)* समिति का समय बढ़ाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री राजेश पायलट (दौसा) : मुझे माननीय मंत्री तथा सभा को बताना है कि उस दिन जब सरदार सुरजीत सिंह बरनाला इस संशोधन को लाए थे तो पूरी सभा में असंतोष था कि इस संशोधन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, हमने इस संशोधन को उस दिन अस्वीकार कर दिया था। मेरे विचार से माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने इसे स्वयं प्रवर समिति को भेजा है। हमने उसे प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था। हमने उस संशोधन को अस्वीकार कर दिया था। किंतु अब आप उसे प्रवर समिति के माध्यम से पुनः ला रहे हैं।

[हिन्दी]

संसदीय कार्यमंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : सलेक्ट कमेटी नहीं संयुक्त समिति है।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : मुझे खेद है। मैं वहां था। श्री इन्द्रजीत गुप्त वहां थे। हमने उस संशोधन को अस्वीकार कर दिया था। इसलिए इसे सभा ने नहीं आपने स्थीय समिति को भेजा है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी ने बनाई है, मैंने नहीं बनाई है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : इस विधेयक पारित करते समय हम इसका विरोध करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : कृपया मंत्री को उत्तर देने दें। श्री बसुदेव आचार्य कृपया बैठ जाइए। मंत्री जी को उत्तर देने दें।

श्री बसुदेव आचार्य : वे विधेयक का महत्व कम करना चाहते हैं। वे क्या उत्तर देने जा रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी को उत्तर देने दें।

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवेलीकारा) : हम नहीं चाहते कि

मंत्री उत्तर दें...(व्यवधान) सरकार कुछ भी कह सकती है। हम मंत्री जी से उत्तर नहीं चाहते हैं। कृपया आप नियम देखें।

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझने की कोशिश कीजिए उन्होंने सिर्फ समय बढ़ाने के लिए कहा है। कृपया आप कार्यसूची देखें।

प्रो. पी. जे. कुरियन : यहां यहीं विवाद है। हां, उसके लिए मत-विभाजन का प्रावधान है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझने की कोशिश करें। उन्होंने समय बढ़ाने के लिए कहा है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : वे विधेयक का महत्व कम कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मैंने खुद लैटर लिखा है...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : समय पर्याप्त था। अब यह सभा के समक्ष है। सभा इसे स्वीकार कर सकती है या अस्वीकार कर सकती है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य कृपया समझिए, यह प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के लिए समय बढ़ाने का प्रस्ताव है। "कि यह सभा आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1998 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के लिए समय शीतकालीन सत्र, 1998 के अंतिम सप्ताह के अंतिम दिन तक बढ़ाए।"

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मैं आपको बता दूं कि यह कमेटी मैंने नहीं बनाई है, आपने बनाई है...(व्यवधान) मैंने खुद चेयरमैन को लैटर लिखा है इस बिल का एक्सटेंशन नहीं, इसे इसी सत्र में लाएं। एक्सटेंशन आपने किया है, मैंने नहीं दिया है। मैंने इसी सत्र में रिपोर्ट के लिए आग्रह किया है।

[अनुवाद]

श्री पी. शिवशंकर (तेनाली) : महोदय, जब यह संशोधन विधेयक लाया गया था तो विपक्ष में हम सब लोगों ने इसका विरोध किया था। उस समय हमने कहा था कि यदि इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जाता है तो हमें कोई एतराज नहीं होगा किंतु लाए गए सभी संशोधन हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अब हम कह रहे हैं कि आपको इन्हें वापस लेना चाहिए। इसके विपरीत, आप समय बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। समय बढ़ाने की बात करने के बजाए आपको इस संशोधन को वापस लेना चाहिए। हम यही तो कह रहे हैं। कृपया इसके लिए सहमत हों। आप पूरे विधेयक को वापस लें।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी के कमरे में बैठ कर बात कर लेते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि हम इसके एक्सटेंशन के पक्ष में नहीं हैं। हम इसी सत्र में लाना चाहते हैं। आप बैठ जाएं। ...(व्यवधान) मुझे कोई एतराज नहीं है।...(व्यवधान) आप अध्यक्ष के कमरे बैठ जाए। जो आप कहेंगे, हमें मंजूर है। हमें इसमें कुछ नहीं कहना है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, जब संशोधन लाया गया था तो हम सभी ने इसका विरोध किया था ...(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : मेरा सुझाव है कि आप अपने कक्ष में एक बैठक बुलाइए।

[हिन्दी]

दोनों पक्ष सुनकर आपने अगर इसको विदड्रॉ करना है क्योंकि यह कमेटी आपने बनाई है, मैंने नहीं बनाई है। ...(व्यवधान) आपने विदड्रॉ करना है तो विदड्रॉ कर लीजिए। यह आपको अधिकार है। ...(व्यवधान) यह आपके अधिकार में है। मेरे नहीं ...(व्यवधान) आप विदड्रॉ कर लीजिए ...(व्यवधान) कोई नया रूल लाना चाहते हैं तो ले आइए, मुझे कोई एतराज नहीं है... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : हां, इसे वापस लीजिए ...(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? कृपया एक-एक करके बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय जब संशोधन लाया गया था हम सभी ने इसका विरोध किया था। हम चाहते थे कि इस विधेयक में और अधिक कठोर उपाय किए जाने चाहिए। वे इसका

महत्व कम करना चाहते हैं। वे दंड को कम करना चाहते हैं।... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उसको स्ट्रिक्ट किया जाए, इसलिए भेजा था। ... *(व्यवधान)* यह डाइल्यूटेड तो था ही। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ऐसे कैसे करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : जो बिल पहले पेश किया गया *(व्यवधान)* जो स्टैंडिंग कमेटी है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : हमने उस पर आपत्ति की थी। संयुक्त प्रवर समिति का गठन जुलाई में किया गया था...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात इस प्रकार कैसे सुन सकता हूं? कृपया समझने का प्रयास कीजिए। कृपया एक–एक करके बोलिए। हमें श्री पी. शिवशंकर को सुनें।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : इस संयुक्त प्रवर समिति ने तीन माह तक कुछ नहीं किया। अब वे पुनः समय बढ़ाने के लिए प्रस्ताव लेकर आए हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, मैंने श्री पी. शिवशंकर का नाम पुकारा है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय हम चाहते हैं कि यह संशोधन वापस लिया जाए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया, मैंने श्री पी. शिवशंकर का नाम पुकारा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : असल बात तो हमने बता दी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. शिवशंकर : महोदय, मैं सभा को याद दिलाना चाहता हूं कि यह संशोधन विधेयक जो सभा में लाया गया है। 1981 के अधिनियम में प्रावधानों में संशोधन के लिए हैं और इस का आशय संशोधनों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के महत्व को कम करना है। इसलिए उस समय हम सबने इसका विरोध किया था। जब हमने इसका विरोध किया तो मेरे मित्रों ने एक प्रस्ताव रखा और हम उस पर सहमत हो गए थे कि ठीक है, इसे प्रवर समिति को भेजा जा सकता है। वे अब वापस लेने के लिए सहमत हो रहे हैं। यद्यपि यह विधेयक सभा की संपत्ति है किंतु मेरा निवेदन है कि यदि सरकार द्वारा इस विधेयक को वापस लेने का नीतिगत निर्णय लिया जाता है तो पूरी सभा इससे सहमत होगी। वह इसे वापस ले सकते हैं और फिर समय बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता। अतः उन्हें कहने दीजिए कि वह इसे वापस लेते हैं। फिर वह सोमवार को अपने प्रस्ताव के साथ आगे आयेंगे इसे वापस लिया जा सकता है फिर समय बढ़ाने का प्रश्न स्वयं ही समाप्त हो जाता है। मामला यही समाप्त हो जाएगा। वह समस्या क्यों खड़ी कर रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : यह कहा जा रहा है कि इस सरकार ने डाइल्यूट किया है। यह मेरे पास स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है। इसमें आपके हस्ताक्षर हैं। ...*(व्यवधान)* यह स्टैंडिंग कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड कंज्यूरमर अफेयर्स ...*(व्यवधान)* एसेंशियल कमोडिटीज एंड अमेंडमेंट बिल, ...*(व्यवधान)* इस रिपोर्ट के अदंर ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. शिव शंकर : आपने यह विधेयक प्रस्तुत किया है। इसे स्थायी समिति से क्या लेना देना है? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : यह बिल पास नहीं हो सकता। ...*(व्यवधान)* अमेंडमेंट पास करा लें, बिल बाद में ले आएं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मदन लाल खुराना : महोदय, मेरा सुझाव यह है कि आप इसे सोमवार तक के लिए स्थगित कर दीजिए और शाम की बैठक बुला लीजिए...*(व्यवधान)* इसकी जगह क्या लें, यह तो बता दीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री पी. शिव शंकर : आप अध्यक्ष महोदय को उलझन में नहीं डाल सकते हैं...*(व्यवधान)*

श्री सत्य पाल जैन (चण्डीगढ़) : महोदय, मैं इस समिति

का सदस्य हूं। मैं दो बातें सभा के ध्यान में लाने की कोशिश करूंगा और फिर सभा को निर्णय लेने दीजिए, जैसा भी वह चाहें।

महोदय, यह तथ्य है कि यह समिति माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा गठित की गई है। इसमें 30 सदस्य हैं और यह सदस्य भिन्न–भिन्न राजनीतिक दलों के हैं। श्री के. डी. सुल्तानपुरी सदस्य हैं। श्री मोहन सिंह भी सदस्य हैं। इसमें एक सदस्य सी. पी. आई. (एम.) का भी है। महोदय, हमारे पास....(*व्यवधान*)। मैं जवाब दे रहा हूं।...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, हम इसकी विशेषताओं का उल्लेख नहीं कर रहे हैं।

(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : ट्रेडर्स सक्रिय हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करे।

(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

(*व्यवधान*)*

श्री सत्य पाल जैन : महोदय, इस समिति ने पहले से ही सभी बातों पर विचार कर लिया है। मैं यह बात सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने पहले ही समिति को लिख कर दे दिया है कि उसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब यदि हम अन्यथा निर्णय लें तो इसका प्रभाव अध्यक्ष महोदय पर भी पड़ेगा। कृपया ऐसा नहीं करिए। अध्यक्ष महोदय ने पहले ही समय बढ़ाने की अनुमति दे दी है।...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, होर्डर्स की मदद हो रही है।

[अनुवाद]

श्री पी. शिवशंकर : अध्यक्ष महोदय ने इसे प्रवर समिति को भेजकर केवल सभा की इच्छा को ही व्यक्त किया है...(*व्यवधान*)

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 367 में विभाजन के संबंध में प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, कृपया स्थान ग्रहण करें।

* कार्यवाही वृतांन्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, मैं नियम संख्या 367 पढ़ूंगा। नियम का दूसरा भाग विभाजन के संबंध में है। मैं पूरा नियम पढ़ूंगा। इसमें कहा गया है:

"(1) किसी वाद–विवाद की समाप्ति पर अध्यक्ष प्रश्न रखेगा और जो प्रस्ताव के पक्ष में हों उनसे "हां" और जो प्रस्ताव के विरुद्ध हों उनसे "न" कहने के लिये कहेगा।

(2) अध्यक्ष तब कहेगा : मैं समझता हूं कि "हां" (या यथास्थिति "न") वाले जीत गये हैं"। यदि किसी प्रश्न के विनिश्चय के संबंध में अध्यक्ष की राय पर आपत्ति न की जाये तो वह दो बार कहेगा : "हां" (या यथास्थिति "न") "वाले जीत गये" और सभा के समक्ष प्रश्न तदनुसार निर्धारित किया जाएगा।"

महोदय, नियम का अगला भाग और महत्वपूर्ण है। यह संबद्ध भाग है।

(3) (क) यदि किसी प्रश्न के विनिश्चय के संबंध में अध्यक्ष की राय पर आपत्ति की जाये तो वह "सभाकक्ष" खाली किये जाने का आदेश देगा।

महोदय, यहां बचने का कोई तरीका नहीं है क्योंकि प्रस्ताव पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है और अध्यक्ष की राय को चुनौती दी गई है। जो न केवल एक सदस्य द्वारा बल्कि अनेक सदस्यों द्वारा दूहरायी गयीं हैं। वास्तव में यदि इस नियम की कोई मान्यता है तो नियमानुसार इस मुद्दे को सभा के मत–विभाजन के लिए रखने के अलावा इससे बचने का कोई उपाय नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : प्रो. कुरियन, कृपया समझिए।

(*व्यवधान*)

श्री राजेश पायलट : महोदय, मुझे ईमानदारी से इसे प्रस्तुत करने दीजिए ...(*व्यवधान*)

श्री मदन लाल खुराना : इसे आपके कार्य–काल के दौरान पारित किया गया था। ...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमें भी बोलने का मौका दिया जाए। ...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री पी. सी. चाक्को।

श्री पी. सी. चाक्को : महोदय, इस समय विधेयक के

गुण–दोष के संबंध में अथवा अन्यथा कोई चर्चा करना प्रासांगिक नहीं है। प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए प्रस्तुत कर दिया है और अब केवल एक ही विकल्प है कि विभाजन करवाया जाए और विभाजन के परिणामों के अनुसार मामले के संबंध में निर्णय लिया जाए। इस समय किसी अन्य चर्चा की आवश्यकता नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : महोदय, कृपया मुझे सभा के समक्ष बहुत ईमानदारी से कुछ कहने दीजिए। सभा के मूड को देखते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह मेरे तर्क पर ध्यान दें। जिस दिन चर्चा हुई, उस दिन हम सब और उनके सदस्य वर्ष 1981 में संशोधित किए गए 1951 के अधिनियम में संशोधन करने के विरुद्ध थे। सभी यह महसूस कर रहे थे कि अधिनियम के प्रभाव को कम किया जा रहा है। श्री इन्द्रजीत गुप्त और मैं बैठे थे। श्री शिव शंकर भी वहां बैठे थे। दोनों उठ खड़े हुए और उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया। जब श्री बरनाला ने मुझसे पूछा था तो मैंने कहा था कि मुझे लग रहा है कि अधिनियम के प्रभाव को कम किया जा रहा है। वह चुप रहे। उसके बाद, इसे प्रवर समिति को भेजे जाने का निर्णय लिया गया। कल की चर्चा में, अनेक सदस्यों ने इस बात का उल्लेख किया था और मैंने खंडवार इसका उल्लेख किया था कि वह कैसे संशोधित किए जाने वाले विधेयक के प्रभाव को कम कर रहे हैं। यदि उनका इसके प्रभाव को कम करने का कोई इरादा नहीं है तो वह इस विधेयक को वापस क्यों नहीं ले लेते हैं? लेकिन वह इसे सरल बनाना चाहते हैं और आगे बढ़ना करना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)* अब, प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री के. येरननायडु।

श्री के. येरननायडु (श्रीकाकुलम) : माननीय अध्यक्ष महोदय...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : महोदय, हम विधेयक के गुण–दोषों पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत है। इसे मतदान के लिए रखा जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे सुनने दीजिए कि वह क्या कह रहे हैं। श्री येरननायडू।

(व्यवधान)

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण (कराड) : महोदय, नियम पूर्णतः स्पष्ट है।...*(व्यवधान)*

श्री. के. येरननायडू : महोदय, सभा में व्यवस्था नहीं है। प्रो. कुरियन एक वरिष्ठ सदस्य हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री यरननायडू को बोलने की अनुमति दी है।

श्री के. येरननायडू : महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सभा में बहुत गंभीरता से मूल्य–वृद्धि के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* मैं अपने दल की भावनाओं को प्रकट करना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी : उनका व्यवस्था का प्रश्न है। इसे स्पष्ट होने दीजिए।

श्री के. येरननायडू : महोदय, सभा में सर्वसम्मिति है क्योंकि प्रत्येक दल इस अधिनियम को अथवा इस संशोधन विधेयक को वापस लेने के पक्ष में है। समय बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है और उन्हें इसे वापस ले लेना चाहिए। आपका खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री को बुलाना चाहिए जो कि इसकी घोषणा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। फिर हम इस पर बाद से चर्चा करेंगे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रो. कुरियन, आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है लेकिन हम नियम 367 के अंतर्गत विभाजन के संबंध में प्रक्रिया के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं।

प्रो. पी. जे. कुरियान : चाहें कुछ भी हो, प्रश्न सभा के समक्ष है। इस नियम पुस्तिका का कुछ महत्व है, प्रश्न सभा के समक्ष रख दिया गया है। महोदय, आप, आपके विवेक पर ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं, कृपया मेरी बात सुनिए।

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, आप भी यहां बैठ सकते हैं। नियम अनुल्लंघनीय है। नियमों के अंतर्गत आपने सभा के समक्ष प्रश्न रखा है। मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि आपको नियमों के अनुसार चलना चाहिए अथवा आपको यह कह देना चाहिए कि नियमों का उल्लंघन किया जा सकता है। मैं इससे सहमत नहीं हो सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस बात को समझिए कि हम अब नियम 367 के अंतर्गत प्रक्रिया के संबंध में चर्चा नहीं कर रहे हैं।

प्रो. पी. जे. कुरियन : प्रश्न सभा के समक्ष रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह समय बढ़ाने के संबंध में है।

प्रो. पी. जे. कुरियन : हम इससे सहमत नहीं हैं। हम विभाजन करवाने के लिए कह रहे हैं। खुराना जी, हम उसके

लिए यहां उपस्थित हैं। यहां मामले के गुण–दोष पर विचार करने का प्रश्न नहीं है। मामला सभा के समक्ष रखा गया है।

श्री मदनलाल खुराना : यह हमारा प्रस्ताव नहीं है, यह आपका प्रस्ताव है।

प्रो. पी. जे. कुरियन : मामले के गुण–दोष पर विचार करने का प्रश्न ही नहीं है। यह प्रश्न सभा के समक्ष रखा गया है। सभा को इस बारे में निर्णय लेना है। यहां इस विषय के गुणदोष पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता। यह मामला सभा के समक्ष रखा गया है और सभा को निर्णय लेना है। महोदय, नियम सभी तरह से....

अध्यक्ष महोदय : प्रो. करियन, कृपया समझिए कि हम प्रक्रिया के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं यह चर्चा संयुक्त समिति का समय बढाने के लिए है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात स्पष्ट कर दूं। ...*(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, हमें तो ये बोलने ही नहीं दे रहे हैं।

श्री विजय गोयल : अध्यक्ष जी, उधर से ही लोग बोल रहे हैं, इन्हें तो बोलने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष जी, होर्डर्स की सपोर्ट में सब काम हो रहा है। हमें पूरा संदेह है कि होर्डर्स की मदद यहां हो रही है।...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल : आपने तो साइन कर रखे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : आप होर्डर्स की मदद कर रहे हैं।

[अनुवाद]

प्रो. पी. जे. कुरियन : आप नियमानुसार क्यों नहीं चलते? महोदय, आपको नियमों के अनुसार चलना चाहिए। यह कैसी बात है कि आप नियमों के अनुरूप नहीं चलना चाहते हैं? मैं तो केवल नियम बता रहा हूं। कृपया आप अपना विनिर्णय दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप इस बात को समझिए कि हम मत विभाजन के संबंध में प्रक्रिया के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। कृपया आप समझिए कि यह चर्चा समय बढ़ाने के लिए चल रही है।

प्रो. पी. जे. कुरियन : चाहे कुछ भी हो, यह मुद्दा सभा के समक्ष आ गया है और सभा को निर्णय करना है। यदि इसे कोई चुनौती देता है तो मतविभाजन होगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रो. कुरियन, कृपया आप समझिए।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय मैं एक तर्कसंगत बात कहना चाहता हूं। कृपया मुझे बोलने की अनुमति दी जाए।

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : महोदय, आप मुझे बोलने की अनुमति दीजिए। एक सदस्य तीन बार बोल चुका है...*(व्यवधान)*

श्री पी. शिव शंकर : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस विधेयक के बारे में काफी संशोधन हेर–फेर की मांग की गई है। इसमें काफी शोर शराबा हुआ है। सरकार के लिए यही कहना सर्वोत्तम होगा कि वे इस विधेयक को वापस लेते हैं। अन्यथा इस पर मत विभाजन होगा और मत विभाजन उन्हें मंहगा पड़ेगा। यदि वे इस विधेयक को वापस लेना नहीं चाहते तो मत विभाजन होने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री शिव शंकर, हम अभी मत विभाजन की प्रक्रिया के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं हम अभी संयुक्त समिति के समय को बढ़ाए जाने के मुद्दे पर बात कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री पी. शिव शंकर : हम इस विस्तार के विरुद्ध हैं और हमारा यही मुद्दा है हम समिति का समय बढ़ाने के खिलाफ हैं और इसलिए हम मत विभाजन के लिए कह रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, कृपया हमें भी बोलने की अनुमति दीजिए।

श्री पूर्णो ए. संगमा (तुरा) : मैं केवल दो मिनट लूंगा। मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

श्री मधुकर सरपोतदार : हमारी बात भी सुनी जानी चाहिए। ..*(व्यवधान)*

श्री पूर्णो ए. संगमा : महोदय सभा के समक्ष प्रश्न है क्या आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने हेतु समय बढ़ाया जाना चाहिए। अथवा नहीं। समय बढ़ाए जाने के संबंध में एक प्रस्ताव रखा गया है। अब सभा को इस बारे में निर्णय करना है कि क्या सभा बढाया

जाना चाहिए अथवा नहीं। सभा का निर्णय किस प्रकार लिया जाएगा?

महोदय, जहां तक सभा के निर्णय का सम्बन्ध है यह लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 364, 365, 366 और 367 द्वारा संचालित होता है सभा का निर्णय किस प्रकार लिया जाए इस बारे में नियम अत्यंत स्पष्ट है। अब सभा के निर्णय हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है केवल नियम 367, जो प्रो॰ कुरियन द्वारा पढ़ा गया है, को लागू रहेगा।

मैं समझता हूं कि अब माननीय अध्यक्ष महोदय को निर्णय लेना है कि सभा का निर्णय ध्वनि मत से लिया जाये अथवा नहीं। चूंकि इस पर आपत्ति की गई है इसलिए यह निर्णय लिया जाना है, कि इसे ध्वनि मत से किया जाए अथवा मत विभाजन से। केवल यही एक प्रश्न है। हमें विधेयक के गुण और अवगुणों के बारे में निर्णय नहीं करना है। यह प्रक्रिया का प्रश्न है और प्रक्रिया अत्यन्त स्पष्ट है कि सभा का निर्णय नियम 364, 365, 366 और 367 के अनुसार लिया जाना चाहिए। इन सभी नियमों में से नियम 367 नियम लागू रहता है। मैं प्रो॰ कुरियन के साथ सहमत हूं कि इस पर मत विभाजन किया जाना चाहिए।

श्री मधुकर सरपोतदार : अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव द्वारा समय बढ़ाए जाने का मुद्दा है।

श्री पी. चिदम्बरम (शिवगंगा) : प्रस्ताव को या तो पारित किया जाएगा या अस्वीकार कर दिया जाएगा।

श्री मधुकर सरपोतदार : श्री संगमा जी द्वारा जो कुछ भी कहा गया है वह बिल्कुल सही है। मैं इससे इंकार नहीं करता हूं... *(व्यवधान)*

श्री के. करूणाकरन (तिरूअनन्तपुरम) : यह मुद्दा अत्यन्त स्पष्ट है। प्रस्ताव को पहले ही सभा के समक्ष रखा जा चुका है ... *(व्यवधान)* अब आप सभा का मत लीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, अब इस मामले का क्षेत्र काफी संकुचित और सीमित हो गया है लेकिन इस विशेष अवसर पर लाभ उठाते हुए अनावश्यक शंकाएं उठाई गई हैं। मैं इस मोमले की तकनीकी मुद्दे और कानूनी पहलू को समझता हूं लेंकिन कोई व्यक्ति ऐसे आरोप क्यों लगाए कि लोगों का एक वर्ग व्यापारियों के पक्ष में हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। यह अत्यन्त तकनीकी मामला है ...*(व्यवधान)* यदि आप इस प्रकार चिल्लाते हैं तो मैं भी चिल्ला सकता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सरपोतदार कृपया शांत रहिए।

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, मेरा मत है कि नियम 367 के अंतर्गत अपनाई गई प्रक्रिया बिल्कुल सही है। मेरा सभा से सविनय अनुरोध है कि केवल प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा गया है और समय दिया जाना चाहिए...*(व्यवधान)* यदि विधेयक को पारित नहीं किया जाना है, तो पूरी सभा इसके लिए तैयार है...*(व्यवधान)* इस प्रस्ताव पर सभा का निर्णय ध्वनिमत से ले लिया गया है और अब सभा की कार्यवाही चलने दीजिए। क्या हम ऐसे विषय पर फिर से चर्चा करेंगे जिस पर निर्णय लिया जा चुका है? ...*(व्यवधान)* यही मेरा निवेदन है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, असैंशियल कमोडिटीज एक्ट संयुक्त समिति में लम्बित है। इसका समय बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव संयुक्त प्रवर समिति के चेयरमैन की तरफ से आया है। हम अभी इस पर विचार कर रहे हैं। यह टैक्निकल विषय हो गया है। इससे संबंधित जो अध्यादेश था, वह लैप्स हो गया। अब होर्डर्स के खिलाफ वह कानून नहीं है। जो कड़ा कानून था, वह लैप्स हो गया। यदि वह अध्यादेश बरकरार रहता तो सदन को उसमें कोई आपत्ति नहीं थी। चाहें तो इसे छः महीने के लिए, एक साल के लिए या दो साल के लिए इसको आगे करते रहते, लेकिन चूंकि होर्डर्स के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने वाला कानून इसमें नहीं है और जो पहले कानून था वह लैप्स हो गया है, इसलिए समय बढ़ाना समिति की तरफ से होर्डर्स की मदद करना है और देश को लुटवाने की तरह है। इसलिए यदि सरकार चाहती है कि होर्डर्स के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए और मंहगाई को रोकना चाहिए तो 16 वर्षों से लागू 1981 के अधिनियम में जो स्पेशल प्रोविजन दिया गया है उसे लागू करें, नहीं तो हम डिवीजन के अलावा और कोई दूसरी बात नहीं मानेंगे। इसलिए डिवीजन होना चाहिए। हम लोग सहमत हैं कि किसी भी हालत में होर्डर्स की मदद नहीं होने देंगे...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कई माननीय सदस्य : महोदय, हम मत-विभाजन चाहते हैं।

सभापति महोदय : मैंने जयपाल रेड्डी का नाम पुकारा है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : महोदय, आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में मद संख्या 12 तक कोई प्रस्ताव नहीं है और मदसंख्या 13 के आगे प्रस्ताव दिए गए हैं। मंत्री महोदय के पास प्रस्ताव को पटल पर नहीं रखने का विकल्प था। परन्तु उन्होंने पहले ही प्रस्ताव रख दिया है। इसीलिए अब सभा को मतदान ही करना है। इस पर और चर्चा आवश्यक नहीं है। कृपया मतदान कराएं।

अध्यक्ष महोदय : श्री मदन लाल खुराना।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मैंने आपसे पहले कहा है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, अब अधिक चर्चा की आवश्यकता नहीं है। कृपया सभा में मतदान कराइए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय बोल रहे हैं। कृपया आप लोग बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। कृपया आप लोग बैठ जाएं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मैंने कुछ दिनों पहले खुद ही कमेटी को चिट्ठी लिखी कि वे इसका और एक्सटेंशन मत मांगें, और सदन में लायें। मैं एक्सटेंशन के पक्ष में नहीं हूं। दूसरी बात यह है जिसे मैं आपके सामने स्पष्ट रूप से रखना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आप वाद-विवाद क्यों होने दे रहे हैं?...*(व्यवधान)* हम इस संबंध में बहुत चर्चा सुन चुके हैं... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : वाद-विवाद की आवश्यकता नहीं है...*(व्यवधान)* प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, आप टाइम दे चुके हैं,यह मोशन आपकी तरफ से है, हमारी तरफ से नहीं है। ..*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मदन लाल खुराना जो बोल रहे हैं उसके अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मैं फिर आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, आज शाम तक का टाइम है....*(व्यवधान)* शिवशंकर जी स्थिति अब यह है कि अध्यक्ष जी समय दे चुके हैं और यह मोशन अध्यक्ष जी की तरफ से है। आप उनके साथ बाद में बैठ जाएं और रास्ता निकालें। यदि आप विदड्राल के लिए कहेंगे तो मैं विदड्रा करने के लिए तैयार हूं। मुझे कोई एतराज नहीं है...*(व्यवधान)*..अध्यक्ष जी आप मीटिंग बुला लें और उनमें फैसला कर लें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह सब क्या हो रहा है? आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं। क्या सभा में इस तरह का व्यवहार किया जाता है?

(व्यवधान)

श्री के. करूणाकरन : महोदय, क्या सभा इस तरह से कार्यसूची की मदों को ले पाएगी? अब इस विषय पर अध्यक्ष महोदय निर्णय करें।...*(व्यवधान)*

श्री पी. शिव शंकर : उन्हें निर्णय करना चाहिए। क्या वे प्रस्ताव को वापस लेना चाहते हैं? क्या वे प्रस्ताव को वापस लिए जाने से सहमत है या नहीं? यदि वे वापस लिए जाने से सहमत नहीं हैं तो हम इस प्रस्ताव के विरुद्ध है और हमें मत-विभाजन चाहते हैं। सीधी सी बात है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया पहले मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, दो विकल्प हैं। या तो विधेयक को वापस लिया जाए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, जब प्रस्ताव सभा में है तो इस पर वाद–विवाद का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, अब आपको सभा में मतदान कराना चाहिए। अब आप मत–विभाजन के लिए कहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : यह डाइल्यूटेड है, मगर डाइल्यूट हमने नहीं किया। यह आप लोगों ने किया है। हम इसको ठीक करना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : क्या करना चाहते हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया मेरी बात समझिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : जॉइंट सेलेक्ट कमेटी में कांग्रेस के मेम्बर भी थे। वहां यूनैनिमसली निर्णय हुआ था। ...*(व्यवधान)*

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री विजय गोयल : यह उनके द्वारा लिया गया सर्वसम्मत निर्णय था।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस समय हम किसी भी विषय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रश्न पर आपको डिविजन करना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम मत–विभाजन के संबंध में नियम 367 के अंतर्गत जो प्रक्रिया दी गई है उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को समझता हूं। अपना विनिर्णय सुनाने से पहले, मैं सभी सदस्यों से अपील करता हूं, मेरे विचार से, मेरे कक्ष में सभी दलों के नेताओं से चर्चा करना उचित रहेगा। इसके बाद मैं अपना विनिर्णय सुनाऊंगा।

(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : नहीं महोदय, ...*(व्यवधान)*

प्रो. पी. जे. कुरियन : यह नियम 367 का उल्लंघन है... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस समय हम मत–विभाजन पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : हम अभी मत–विभाजन चाहते हैं।

अपराह्न 12.48 बजे

इस समय प्रो. पी. जे. कुरियन, श्री बसुदेव आचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 1.30 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.49 बजे

तत्पश्चात, लोक सभा अपराह्न 1.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 1.34 बजे

लोक सभा अपराह्न 1.34 बजे पुनः समवेत हुई।

(श्री के. येरननायडू *पीठासीन हुए)*

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव – समय का बढाया जाना – जारी

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम कार्यसूची के अगले मद पर विचार करेंगे।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : जब तक इस मद पर विचार–विमर्श पूरा नहीं हो जाता तब तक हम अगले मुद्दे को नहीं उठा सकते हैं।

श्री भुवनेश्वर कालिता (गुवाहटी) : महोदय, हमें प्रस्ताव पर विचार–विमर्श समाप्त करना है।...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(*व्यवधान*)

श्री बसुदेव आचार्य : प्रस्ताव सभा के समक्ष है। इस पर कार्यवाही पूरी की जानी है। ....(*व्यवधान*) मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।....(व्यवधान)

सभापति महोदय : सदस्यगण कृपया बैठ जाएं।

(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : आप सभी पहले बैठ जाएं।

(*व्यवधान*)

श्री भुवनेश्वर कालिता : महोदय, आप विनिर्णय दीजिए। आपका विनिर्णय क्या है? कृपया अपना विनिर्णय दीजिए...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : कृपया पहले बैठ जाएं। मुझे आपसे कुछ कहना है। कृपया पहले बैठ जाएं। आप अध्यक्षपीठ को बोलने का अवसर नहीं दे रहे हैं।

(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाएं। मैं आपको अवश्य बताऊंगा। कृपया बैठ जाएं। अब इसकी क्या आवश्यकता है?

(*व्यवधान*)

श्री भुवनेश्वर कालिता : महोदय, पहले आप इस विषय पर कार्यवाही पूरी कीजिए और उसके बाद अगले विषय पर आइए... (*व्यवधान*)

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(*व्यवधान*)*

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आप बाद में कुछ भी पूछ सकते हैं। कृपया पहले बैठ जाएं। श्री राधाकृष्णन, कृपया बैठ जाएं।

(*व्यवधान*)

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महोदय, जैसाकि प्रस्ताव सभा के समक्ष है और मुझे सभा का सदस्य होने के कारण इस मुद्दे पर मतदान की मांग करने का अधिकार है। महोदय, मैं इस विषय पर मत–विभाजन की मांग करता हूं।...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाएं। केवल इसी विषय पर सभा स्थगित हो चुकी है। कृपया बैठ जाएं।

(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया बैठ जाएं।

(*व्यवधान*)*

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया बैठ जाएं। श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, कृपया बैठ जाएं।

(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : मैं आपको बाद में अवसर दूंगा। कृपया एक मिनट रूकिए। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आप अनावश्यक रूप से ऐसा क्यों कर रहे हैं। सभा के समक्ष कोई विषय नहीं है। आप इसे अनावश्यक रूप से क्यों उठा रहे हैं?

(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं आपको बाद में अवसर दूंगा। आप किस विषय पर बोलेंगे? सभा इसी विषय पर स्थगित हो चुकी है।

(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। कृपया एक मिनट के लिए बैठ जाइए। इस मुद्दे पर सभा को स्थगित किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय इस मुद्दे पर सभा के नेताओं के साथ चर्चा कर रहे हैं। इसलिए, हम दूसरी मद पर चर्चा करेंगे।

(*व्यवधान*)

कुछ माननीय सदस्य : जी, नहीं। ...(*व्यवधान*)

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण (कराड़) : महोदय, आप ऐसा नहीं कर सकते। नियमों को ऐसे ही नहीं माना जा सकता । ...(*व्यवधान*)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : माननीय अध्यक्ष महोदय इस मुद्दे पर

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

दल के सभी नेताओं के साथ चर्चा कर रहे हैं। इसलिए, यह सभा अपराह्न 2.15 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.38 बजे

तत्पश्चात, लोक सभा अपराह्न 2.15 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.15 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.15 बजे पुनः समवेत हुई।

(**श्री के. येरननायडू** *पीठासीन हुए*)

[अनुवाद]

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव— समय का बढ़ाया जाना—जारी

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। मुझे बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इस मुद्दे को जल्दी ही सुलझा लिया जाएगा। इसलिए, यह सभा अपराह्न 2.45 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.19 बजे

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न 2.45 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.47 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.47 बजे पुनः समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव— समय का बढ़ाया जाना—जारी

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, इस पर एक मिनट सुन लिया जाये। अध्यक्ष महोदय, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, 1955 वाला जो विषय है, वह सॉफ्ट कानून था, सरकार के मंत्री का यही कहना था कि वह सॉफ्ट कानून है। कड़ा करके एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1981 (स्पेशल प्रोवीजन) वाला है, उसमें सख्त वाला कानून था। उस सख्ती वाले कानून को मुलायम करते—करते आर्डिनेंस हो गया और वह आर्डिनेंस लैप्स कर गया और उससे मंहगाई वृद्धि हुई। इसलिए इस सरकार को आर्डिनेंस को फिर से री—प्रोमलगेट करना चाहिए था, जो आठ जुलाई को खत्म हो गया और फिर सिलैक्ट कमेटी में गया। यदि आर्डिनेंस लागू रहता, तब जोइंट सलैक्ट कमेटी में जाने से और देर करने में कोई हर्ज नहीं है। इसीलिए हम सरकार से आग्रह करते हैं कि 1981 (स्पेशल प्रोवीजन) वाला जो कड़ा कानून था, उसको तुरंत लायें। हम लोग हाउस में वचन देते हैं कि 1981 वाला कड़ा कानून लागू होगा तो हम लोग उसका समर्थन करेंगें। आर्डिनेंस में वह कानून है ही नहीं, कड़ा कानून है ही नहीं।

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन हुए, प्राइम मिनिस्टर ने चीफ मिनिस्टर्स की कांफ्रेंस बुलाई, उसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिये गये। उनमे से एक फैसला यह भी था कि

[अनुवाद]

आवश्यक वस्तु अधिनियम की तुरंत ही इस दृष्टि से समीक्षा की जानी चाहिए कि किस प्रकार राज्य सरकारों, केन्द्र शासित प्रदेशों को इतना अधिकार सम्पन्न बनाया जा सके कि उन लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा सके जो न केवल अनाजों बल्कि सब्जियों खाद्य तेलों इत्यादि जैसे आम की खपत की चीजों की जमाखोरी करके कृत्रिम कमी पैदा करते हैं। केबिनेट सचिव की अध्यक्षता में अधिकारियों के वर्ग को नामित किया जाना चाहिए जो इस अधिनियम तथा इस पद्धति को लागू करने में सुधार के लिए किए जाने वाले उपायों में संशोधन भी कर सकें। इस समूह में कुछ राज्यों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जा सकता है।

[हिन्दी]

यह फैसला लिया गया था। इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहूता हूं कि हम जो बिल लाना चाहते हैं, इसी हाउस में लाएंगे, उसमें स्ट्रिंजेंट मेजर्स इस्तेमाल करेंगे। यह सारे हाउस की राय है कि जैसे हालात देश में चल रहे हैं, उसके लिए स्ट्रिंजेंट मेजर्स होने चाहिए। हमारी भी राय यही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कई दिन हुए, यह फैसला दिया था, इसलिए जो भी बिल ला रहे हैं, वह स्ट्रिंजेंट मेजर्स पर ला रहे हैं ताकि कोई ब्लैक मार्केटियर, कोई होर्डर छूट न सके।

कोई भी यह काम करता है तो उसे सख्त सजा दी जाए। हम कोशिश करेंगे कि इसी सत्र में यह आ जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों जो कुछ माननीय मंत्री जी ने कहा है उसे ध्यान में रखते हुए मैं आशा करता हूं कि यह सभा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए संयुक्त समिति को बुधवार, 9 दिसम्बर, 1998 तक का समय देगी। मैं आशा करता हूं कि इस संशोधन के अध्यधीन यह सभा इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए सहमत होगी।

अब, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य प्रो. पी. जे. कुरियन अभी भी अपने व्यवस्था के प्रश्न पर जोर दे रहे है।

(व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय माननीय सदस्य द्वारा दिए गए इस आश्वासन को ध्यान में रखते हुए कि ठोस उपायों वाला विधेयक सभा में लाया जा रहा है तथा माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिए गए विनिर्णय से इतर मैं अपने व्यवस्था के प्रश्न की बात नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : इसलिए, मैं संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि यह सभा आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 1998 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के लिए बुधवार, 9 दिसम्बर, 1998 तक समय बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब यह सभा मद संख्या 16 पर चर्चा करेगी।

अपराह्न 2.52 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के छठे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 3 दिसम्बर, 1998 को सभा में प्रस्तुत किए गये कार्य मंत्रणा समिति के छठे प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 3 दिसम्बर, 1998 को सभा में प्रस्तुत किए गये कार्य मंत्रणा समिति के छठे प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री पी. शिव शंकर जी बोलेंगे।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : स्पीकर साहब, मैं एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। देहरादून में एक गुरुद्वारा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री पी. शिव शंकर जी को बोलने के लिए बुलाया है।

श्री पी. शिव शंकर (तेनाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही मजबूरी में कुंठा और दुख के साथ इस सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि तटीय आंध्र प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत राशि देने में चूक हुई है।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है। यह सही है कि पीछे हुए चक्रवात ने आपके संसदीय क्षेत्र, अमलापुरम को बुरी तरह प्रभावित किया था। हुआ यह था कि किसानों, नौकरी पेशा गरीब लोगों, विशेषकर के *लंकास* में रहते हैं, की हालत काफी दयनीय हो गई है। अब, जहां तक सरकार का संबंध है, खेती के लिए वे प्रति हेक्टेयर पर 1250 रुपये की क्षतिपूर्ति राशि दे रही है। जिसका अर्थ है प्रति एकड़ केवल 500 रुपये ही दिए जाते हैं। जो किसी भी कीमत पर पर्याप्त नहीं हैं। वे ऋण के भार से दबे हुए हैं। उनके पास अच्छे बीज नहीं हैं। उनके पास उर्वरक भी नहीं हैं। सड़कें खराब हैं। प्राधिकारी सड़कें बनाने में असमर्थ हैं। स्थिति यह हे कि गरीबों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों, पिछड़े वर्गों के लोगों और ऊंची जाति के गरीबों, जिनके घर पूर्णता नष्ट हो गए हैं, को केवल एक हजार रुपये ही दिए गए हैं। टूटे हुए घरों के लिए केवल 500 रुपये ही दिए गए हैं। अगर उनके सारे बरतन खो गए हैं तो 500 रुपये दिए गए हैं। अगर उनके कपड़े नहीं रहे हैं तो 500 रुपये दिए गए हैं। इतनी ही सहायता की गई है। और इसका परिणाम यह है कि लोग अभी तक संकट से उभर नहीं पाए हैं। राहत कार्य सहीं ढंग से नहीं किया गया है और लोग अपना सामान्य जीवन जीने की स्थिति में नहीं आ सकते हैं।

महोदय, मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि मैंने एक पत्र लिखकर आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री और

माननीय प्रधानमंत्री को स्वयं दिया था। मैंने माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध किया था कि इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार गरीब लोगों के घरों का निर्माण करने के लिए पूरी राशि देती है और मेरा अनुरोध है कि हर *'लंका'* में 150 घर बनाए जाने चाहिए जिससे गरीबों को कम से कम रहने की सुविधा मिल सके। महोदय, कुछ भी नहीं किया जा रहा है। जहां तक गरीबों का संबंध है अब तक राहत सामग्री नहीं पहुंच रही है।

मैं आपके ध्यान में यह बात भी लाना चाहूंगा कि मजदूरी पाने वाले काफी समय से बेरोजगार हैं। दो-तीन महीनों से वे बिना काम के हैं। वे कमाते हैं, वे खर्च करते हैं और जीवित रहते हैं। वे कमा नहीं रहे हैं और इसका परिणाम यह है कि उनपर कर्ज बढ़ गया है और उन्हें बहुत सी परेशानियां उठानी पढ़ रही हैं। वर्तमान स्थिति में जब कई हफ्तों से कोई राहत नहीं मिली और लोग इस तरह दुख उठा रहे हैं, तो मेरे पास केवल एक ही रास्ता था कि इस तथ्य से इस माननीय सभा को अवगत कराऊं जिससे यह सभा इस मुद्दे को समझ सके।

भारत सरकार ने 200 करोड़ रुपये की अनुदान राशि दी है। जहां तक आंध्र प्रदेश के लोगों का संबंध है, हम अब भी महसूस कर रहे हैं कि यह केवल अनुदान की राशि है। अग्रिम राशि नहीं है। मैंने माननीय प्रधान मंत्री से यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया कि क्या यह अनुदान राशि है। अब तक कुछ भी उत्तर नहीं दिया गया है। जहां तक आंध्र प्रदेश का संबंध है हमारे ऊपर काफी भार है। यह 200 करोड़ रुपये भारत सरकार के लिए अधिक नहीं हैं। वे केवल इतनी घोषणा कर सकते थे कि यह अनुदान है जो वे अब तक नहीं कर रहे हैं। जहां तक भारत सरकार का संबंध है, सरकार ने इसका पता लगाने तथा मूल्यांकन करने के लिए कि कितना नुकसान हुआ है अधिकारियों को भेजा है और उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उस रिपोर्ट का क्या हुआ? उसका अब तक कुछ नहीं पता चला। मेरा कहना यह है कि गरीबों को दी जाने वाली राहत की उचित निगरानी रहनी चाहिए। उन तक राहत सामग्री नहीं पहुंच रही है।

महोदय, मैं यह कहने के लिए बाध्य हूं कि दी जा रही राहत के संबंध में यह कहना दुख की बात है कि मैं स्वयं वहां गया था— मैंने एक से अधिक बार यह देखा कि जिन्हें कांग्रेस का मतदाता कहा जाता है उनकी मदद नहीं की जा रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण हैं। ऐसी स्थिति में हम आपदाओं के रहते तरक्की नहीं कर सकते। ...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू (श्री काकुलम) : अगर आप पूरे देश का जायजा लेंगे तो आप पाएंगे कि आंध्र प्रदेश की सरकार सबसे अच्छा काम कर रही है। वे प्रति हेक्टेयर 1250 रुपये दे रहे हैं। देश में कहीं भी इतनी राशि नहीं दी जाती। आप ब्यौरे एकत्र कीजिए। ...*(व्यवधान)* यह ठीक नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री पी. शिवशंकर : श्री नायडू, मैंने आपके और आपकी सरकार के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों से लोगों की मदद करने की आशा की जाती है, जिनसे लोगों को राहत देने की आशा की जाती है वे लोग कांग्रेस दल के समर्थकों को राहत नहीं पहुंचा रहे हैं। या जहां कांग्रेस के मतदाता होने की सम्भावना है वहां वे राहत नहीं पहुंचा रहे हैं। मैं यह बात पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। मैं यह जिम्मेवारी इसलिए लेता हूं क्योंकि मेरा निर्वाचन क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। ...*(व्यवधान)* मैंने जाकर लोगों से मिला है। ...*(व्यवधान)* महोदय, ऐसी स्थिति में आपदाओं के रहते कोई भी उन्नति नहीं कर सकता।

इसलिए, मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत सरकार *लंकास* के प्रति विशेष ध्यान दें और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करें। क्योंकि वे हर बार प्रभावित होते हैं। इसलिए, मेरा अनुरोध यह है कि 200 करोड़ रुपये में से—जिसे मैं अनुदान राशि समझता हूं — अधिकांश भाग इन क्षेत्रों को जाना चाहिए क्योंकि ये हर बार प्रभावित होते हैं। तटीय आंध्र प्रदेश एक काफी संवेदनशील क्षेत्र है। जहां प्रायः चक्रवात आते रहते हैं और यह क्षेत्र प्रभावित हो जाता है। जब तक भारत सरकार राज्य सरकार की सहायता के लिए आगे नहीं आती तब तक कुछ नहीं किया जा सकता। मेरे विचार से मुझे इस बात से इस सभा को अवगत करवाना चाहिए।

अपराह्न 3.00 बजे

अध्यक्ष महोदय : श्री वैको।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री वैको का नाम पुकारा है।

(व्यवधान)

श्री वैको (शिवकाशी) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। ...*(व्यवधान)* डा. सुब्बारामी रेड्डी, कृपया मुझे अपनी बात बोलने दें। अध्यक्ष महोदय ने मुझे अनुमति दी है।....*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : आपने प्रस्ताव स्वीकार किया है। ....*(व्यवधान)*

श्री वैको : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के ध्यान में एक ऐसा मामला लाना चाहता हूं जिसके बारे में तमिलनाडु के लाखों लोगों में अत्यधिक रोष व्याप्त है और चिंतित हैं तथा जिसके बारे में तमिलनाडु के सभी संसद सदस्यों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भारत सरकार और भारत के माननीय प्रधानमंत्री को एक

ज्ञापन दिया। यह मामला तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक लिमिटेड की समस्याओं के बारे में है।

महोदय, वर्ष 1921 में तमिलनाडु के पिछड़े नादर समुदाय ने "नादर बैंक" नामक एक बैंक शुरू किया जिसका नाम बाद में तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक लिमिटेड रखा गया। समुदाय के प्रर्वतकों के प्रयासों के कारण बैंक ने प्रगति की और अब इस बैंक की 143 शाखाएं हैं तथा लगभगम 1600 करोड़ रुपये की जमा पूंजी है। ऐसी स्थिति में मैसर्स एस्सार ग्रुप ने तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैक के शेयर अर्जित करना शुरू कर दिया।

मैसर्स एस्सार द्वारा ग्रुप 67.29 प्रतिशत शेयर खरीदे गए थे। इस बात से चिंतित होकर कि बैंक उनके हाथ से निकल रहा है। तमिलनाडु में नादर समुदाय एकजुट हुआ और एस्सार ग्रुप से शेयर पुनः प्राप्त करने के लिए नादर महाजन बैंक शेयर निवेशक मंच नामक एक मंच की स्थापना की।

महोदय, इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप के कारण, एस्सार ग्रुप द्वारा तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक के अर्जित किए गए शेयर उसके नाम पर हस्तांतरित नहीं किए गए। इन शेयरों को मूल प्रर्वतकों समुदाय को वापस करने के बजाए एस्सार ग्रुप ने इन शेयरों को भी शिवशंकरन नामक एक अनिवासी भारतीय के पक्ष मे बेच दिया जो अब उन शेयरों को हस्तांतरित करने का भरसक प्रयास कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आपको पूरा मामला पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री वैको : महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। सारा राज्य इस बारे में चिंतित है, आप वहां की समस्याएं नहीं जानते हैं, मरे राज्य में सभी राजनीतिक दल इस बारे में चिंतित हैं, इस महत्पवपूर्ण मुद्दे पर कई बार प्रदर्शन किया जा चुका है। मैं इस बात को सरकार के ध्यान में इसलिए ला रहा हूं क्योंकि सरकार को उस अनिवासी भारतीय को उन शेयरों को हस्तांतरित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए जिसने कतिपय अनियमितताएं बरती है और उन शेयरों को खरीदने के बारे में जिसकी विश्वसनीयता संदेह के घेरे में है जिनके बारे में भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले आपत्ति की है।

इस अनिवासी भारतीय ने विभिन्न वित्तीय संस्थानों को ऋण सीमा के लिए अपने आवेदन में घोषणा की कि उसने एस्सार ग्रुप से 135 करोड़ रुपये में तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक के विवादित शेयर खरीदे हैं। साथ ही एस्सार ग्रुप के श्री शशी रूइया ने 22 अगस्त, 1997 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को लिखे अपने पत्र में कहा है कि एस्सार ग्रुप को उक्त शेयरों की बिक्री के लिए केवल 90 करोड़ रुपये का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि श्री शिवशंकरन ने विभिन्न सांविधिक/संवैधानिक प्राधिकारियों को झूठे वक्तव्य दिए हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप इस वक्तव्य को नहीं पढ़ सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री वैको : मैं केवल एक मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा, मैं भारत सरकार से इस मामले का संज्ञान लेने व संबंधित प्राधिकारियों का सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए निर्देश देने की अपील करता हूं ताकि बैंक का प्रबंधन मूल प्रवर्तक समुदाय को पुनः सौपा जा सके।

सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को औपचारिक या अनौपचारिक रूप से श्री शिवशंकरन को निर्देश देना चाहिए कि वह इस मामले पर मंच के साथ, जो नादर महाजन बैंक शेयर निवेशक मंच का प्रतिनिधित्व करता है, बातचीत करके इस मामले का समाधान करले। ऐसा न होने पर सरकार भारतीय रिजर्व बैंक को कड़ा, रुख अपनाना चाहिए कि श्री शिव शंकरन के स्वाम्त्वि वाली कंपनियों के नाम पर इन शेयरों को कभी भी हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः श्री वैको आप पुनः वहीं बात कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री वैको : इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री एस. सुधाकर रेड्डी (नालगोंडा) : अध्यक्ष महोदय, मैं सभा का ध्यान लाखों किसानों विशेष रूप से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के किसानों की एक गंभीर चिंता की ओर खींचना चाहता हूं।

मोनसोन्टों कंपनी नामक एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने अपनी समनुषंगी कंपनी महिको सीड्स आफ इंडिया के सहयोग से टर्मिनेटर बीज नामक एक खतरनाक परीक्षण शुरु किया है। महोदय, यह जानकर आघात लगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में परीक्षण करने के लिए भारतीय किसानों की गिनी-पिग जैसा समझ रही हैं। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार टर्मिनेटर बीज बहुत खतरनाक हैं और इनका बीजों, फसलों, और उन लोगों जो लोग इनका भोजन लेते हैं और अन्य बातों पर विषैला प्रभाव पड़ता है.. *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सुधारकर रेड्डी हमारे पास अधिक समय नहीं है। कृपया एक या दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री एस. सुधाकर रेड्डी : मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का प्रयास कर रहा हूं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कि सान पहले ही प्रदर्शन कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश भारत सरकार कह रही है कि मोनसोन्टो कंपनी या उसकी समनुषंगी कंपनी को भारत में टर्मिनेटर बीजों का परीक्षण करने का लाइसेंस नहीं दिया गया है।

किंतु जो कुछ हो रहा है यदि उसके साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं तो राष्ट्रहित व देश के किसानों के हित में उसे तत्काल रद्द किया जाना चाहिए। अन्य प्रकार के परीक्षण वोसीलास थोरांगेसिस को भी विषैला जीवाणु कहा जाता है। यह भी बहुत खतरनाक है क्योंकि इसका भी विषैला प्रभाव होता है। इसलिए कर्नाटक, आंध प्रदेश और देश के अन्य भागों में लाखों किसानों में, इस मुद्दे पर रोष व्याप्त है। हमारे कृषि वैज्ञानिक इस प्रकार के परीक्षण करने में पूर्ण सक्षम हैं। इसलिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों को ऐसे परीक्षणों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

महोदय, मैं इस सम्मानीय सभा से चिली की दशा को याद करने का अनुरोध करता हूं जहां पर बहुराष्ट्रीय नियमों के लाभ को बचाने के लिए लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी। इसलिए इस बहुराष्ट्रीय निगम को यहां इस परीक्षण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हमारे वैज्ञानिक किसी भी प्रकार से अमेरिकी वैज्ञानिकों से निकृष्ट नहीं हैं। जो भारत में इस परीक्षण को करने का प्रयास कर रहे है।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : अध्यक्ष महोदय, कल कुछ शरारती लोगों ने देहरादून के नजदीक राजपुर में गुरू रामदास अकादमी को तोड़ा। वहां 700--800 लोग चले गए। वहां गढ़वाल शिक्षक संघ के लोगों ने बैनर लगा दिया और कहा कि आप उत्तरांचल में उद्यमसिंह नगर को मिलाने नहीं देते इसलिए हम यहां कोई अकादमी नहीं चलने देंगे। पंजाब के जो स्टुडेंट्स अंदर थे उनको लॉक लगाकर वहां के मैनेजमेंट ने संभाल कर रखा। वहां पेरेंट्स जा नहीं सकते। सबसे शर्म की बात यह है कि वहां 12 घंटे किसी ने एफआईआर नोट नहीं की और शरारती लोगों को किसी ने नहीं पकड़ा। स्टेट्मैन में आया है कि होली गुरू ग्रंथ साहब, जिसको सिख अपना गुरू मानते हैं उसको भी डैमेज किया गया।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि शरारती लोगों को पकड़ा जाए और पार्लियामेंट की एक कमेटी बना कर वहां भेजी जाए तथा जिन लोगों ने शरारत की है उनको सजा दी जाए। हम इस देश के नागरिक हैं, हमारे साथ अगर ऐसा सलूक किया जाएगा तो हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकेगा। कुछ लोग शरारत करके देश में अफरा--तफरी फैलाना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों ने पहले भी देश का माहौल खराब किया था। सरकार इसको गंभीरता से ले। उन शरारती लोगों को अंदर किया जाए। आज ही सरकार की और से बयान आना चाहिए कि सरकार इस पर क्या सोचती है? ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, आज सुबह ही सरदार राजा सिंह जी मुझ से इस केस के बारे में मिले थे, जो इस स्कूल के मालिक हैं। मामला काफी गंभीर है। ...*(व्यवधान)*

महोदय, मेरा यह कहना है कि वह मुझे सुबह साढ़े नौ बजे मिले। मामले की गंभीरता को देखते हुए मैं स्वयं साढ़े 11 बजे होम मिनिस्टर साहब से मिला, उन्हे सारी बात बताई। जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है उनके डेलीगेशन को मैंने होम मिनिस्टर साहब के साथ एक बजे का एपाइंटमेंट लेकर दिया। उन्होंने बात कर ली होगी। मुझे उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस बारे में सख्त कार्रवाही की जाएगी।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : अध्यक्ष महोदय, यह बड़े शर्म की बात है कि अल्पसंख्यकों पर अनेक अत्याचार हो रहे हैं... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री थामस कृपया मेरी बात सुनिए। आपने, प्रो. पी. जे. कुरियन और श्री पी. सी. चाको सभी ने अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों के बारे में मामला उठाने के लिए सूचना दी है। हम इस मामले पर सोमवार को चर्चा करेंगे।

श्री पी. सी. थामस : महोदय, यह एक गंभीर मुद्दा है जिसके बारे में आज राष्ट्रीय स्तर पर "विरोध दिवस" मनाया जा रहा है।

सर्वत्र रैलियां निकाली जा रही हैं। यहां भी रैली आयोजित की गई थी। वे प्रधानमंत्री व अध्यक्ष महोदय, को भी मिले। यह बहुत गंभीर मुद्दा है। हम इस पर उस दिन चर्चा करेंगे।

मुझे भी आज गुजरात सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में कुछ कहने की अनुमति दी जाए, आज लोकतांत्रिक ढंग से विरोध का प्रदर्शन किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा है कि यदि विरोध प्रदर्शन किया गया तो शिक्षण संस्थाओं सहित सभी ईसाई संस्थाओं को सहायता नहीं दी जाएगी...*(व्यवधान)* यह बड़े

शर्म की बात है...(*व्यवधान*) हम इसका विरोध करते हैं...(*व्यवधान*) यह एक लोकतांत्रिक देश है। ...(*व्यवधान*) यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: अब श्री टी. आर. बालू बोलेंगे।

श्री पी. सी. थामस : इस बारे में सरकार को वक्तव्य देना चाहिए ...(*व्यवधान*)

श्री मदन लाल खुराना : महोदय, वे मुख्य मंत्री के वक्तव्य की जिम्मेदारी ...(*व्यवधान*) क्या वे उस बात की जिम्मेदारी ले रहे हैं जो वे कह रहे हैं?

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, चीफ मिनिस्टर ने जो कुछ कहा है क्या ये उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं...(*व्यवधान*)

श्रीमती जयाबहन भरतकुमार ठक्कर (वडोदरा) : अध्यक्ष जी, मुझे इनकी बात पर एतराज है। यह सदन को और पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं?...(*व्यवधान*)

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : अध्यक्ष जी, इस तरह का जुल्म एक माइनोरिटी पर ही नहीं हो रहा है, सब पर हो रहा है। यह सरकार जब तक रहेगी माइनोरिटीज पर जुल्म बढ़ता रहेगा, चाहें मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हों यह सब के साथ हो रहा है, सब धर्मों पर हमला हो रहा है...(*व्यवधान*)

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे (चिमूर) : स्पीकर साहब, दलितों, ईसाइयों, सिखों, मुसलमानों, सब पर यह अत्याचार हो रहा है।... (*व्यवधान*)

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष जी, सदन में पूरी तरह से गलत-बयानी हो रही है। गुजरात के बारे में जो कहा जा रहा है वह सब गलत कहा जा रहा है। गुजरात के एम. पी. यहां पर हैं उन्हें बोलने का मौका दिया जाए तथा इस विषय पर हमको भी बोलने का मौका दिया जाए।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न किया जा रहा है। ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह ठीक तरीका नहीं है।

(*व्यवधान*)

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवेलीकारा) : श्री खुराना, इस बारे में प्रेस ने खूब खबरें दी हैं...(*व्यवधान*) यदि वे इसका खंडन कर सकते हैं तो उन्हें इसका खंडन करना चाहिए..(*व्यवधान*) कृपया इसका खंडन करें ...(*व्यवधान*)

श्री जी. एम. नातवाला (पोन्नानी) : हम इस निवेदन का समर्थन करते हैं।

अध्यक्ष मह य : ठीक है।

(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला इसका समर्थन करते हैं। श्री अकबर अहमद, डा. शकील अहमद और प्रो. कुरियन भी इसका समर्थन करते हैं। अब श्री बालू।

(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : अध्यक्ष जी, कुरियन साहब गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप गुजरात से जो एम. पी. हैं वह बोलना चाहती हैं उन्हें आप मौका दीजिए।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवेलीकारा) : उन्हें एक वक्तव्य देने दीजिए...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है।

(*व्यवधान*)

प्रो. पी. जे. कुरियन : चूंकि माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह घोषणा की है कि सोमवार को चर्चा की जाएगी इसलिए मैं इस बारे में और कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है .....(*व्यवधान*) चूंकि समाचार पत्रों में यह पहले ही बताया जा चुका है कि उन संस्थाओं को जिन्हें विरोध स्वरूप बंद कर दिया जाता है और जिन्होंने अपना लोकतांत्रिक विरोध व्यक्त किया है, सरकार द्वारा सहायता नहीं दी जाएगी। मैं आपसे यह पता लगाने का अनुरोध कर रहा हूं कि क्या यह रिपोर्ट सही है अथवा नहीं। क्या गुजरात के मुख्य मंत्री द्वारा ऐसा कोई वक्तव्य जारी किया गया है? यदि ऐसा है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस मामले को प्रधानमंत्री जी के साथ उठाएं इस मामले पर मुख्य मंत्री का खण्डन हासिल करें। ...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : अध्यक्ष जी, हर बात को यह "इफ" लगाकर कह रहे हैं और यह गलत कह रहे हैं तथा सदन को गमुराह कर रहे हैं।.....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

प्रो. पी. जे. कुरियन : मैं बस यही कहना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : सोमवार को इस पर डिबेट है, आप उसमें अपनी बात कहियेगा।...*(व्यवधान)*

श्रीमती जयाबहन भरतकुमार ठक्कर : अध्यक्ष जी, गुजरात के बारे में जो बातें कही गयी हैं वह गलत है। ये लोग सदन को और पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। गुजरात में ऐसी कोई बात नहीं हुई है।...*(व्यवधान)*

श्री कृष्ण लाल शर्मा (बाहरी दिल्ली) : आप कोई वाइल्ड एलीगेशन मत लगाइये। कोई सच्ची बात हो ,तो कहिये।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री टी. आर. बालू (दक्षिण मद्रास) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत दुख के साथ इस सभा का ध्यान ....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती जयाबहन भरतकुमार ठक्कर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने गुजरात के बारे में जो कुछ कहा, वहां ऐसा कुछ नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अवसर दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : महोदय, कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित कीजिए।

[हिन्दी]

श्रीमती जयाबहन भरतकुमार ठक्कर : इन्होंने पूरे राष्ट्र और सदन को मिसलीड किया। इस पर हमें आपत्ति है। मेरी मांग है कि वह इसके लिए माफी मांगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री टी. आर. बालू : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत दुख के साथ माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री का ध्यान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के दस हजार कर्मचारियों की दुखद स्थिति की ओर दिलाना चाहूंगा। जो कि पिछले एक महीने से दक्षिण चेन्नई, खड़गपुर, कानपुर, दिल्ली और मुम्बई में आन्दोलन कर रहे हैं।

उनकी मांग है कि पूर्वगामी तिथि अर्थात 13.9.1986 से भर्ती और 'कैरियर' विकास योजना को पुनः लागू किया जाए। इसलिए उनके द्वारा लिए जा रहे वेतनमान किसी भी स्थिति में पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों से कम नहीं होने चाहिए। सपोर्टिंग स्टाफ अर्थात् श्रेणी 'ख', 'ग' और 'घ' के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष तक बढ़ा देनी चाहिए।

महोदय, इन सब वर्षों में, जो कुछ उनको मिला है, अब उन्हें चौथे तथा पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण उससे वंचित किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बालू, यह किसी विषय पर चर्चा नहीं है। हमारे पास कार्य सूची में अन्य कई विषय हैं।

श्री टी. आर. बालू : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। लोग पिछले एक महीने से भूखों मर रहे हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एक शैक्षणिक संस्थान है। लेकिन इसके बावजूद लोगों को उनको दिए जाने वाले वेतनमान से वंचित किया जा रहा है...*(व्यवधान)* उन्हें प्रोन्नति के अवसर प्रदान नहीं किए जा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे माननीय मंत्री महोदय से एक सूचना प्राप्त हुई है।

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदय, माननीय मंत्री महोदय किस समय वक्तव्य देने जा रहे हैं? ....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : अध्यक्ष महोदय, एक बजे स्टेटमेंट देने की बात कही गई थी, उसका क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर साहब स्टेटमेंट देंगे।

[अनुवाद]

श्री टी. आर. बालू : महोदय, सपोर्टिंग स्टाफ की हिम्मत टूट गई है। इसलिए मैं मानव संसाधन विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वह तत्काल इस पहलू पर विचार करें और मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप सरकार को निर्देश दें कि कम से कम वह बातचीत द्वारा समझौता की पहल करें ताकि सभी मुद्दे सही तरीके से निपटाए जा सकें।

श्री नादेन्दला भास्कर राव (खम्माम) : महोदय, यह एक गंभीर ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल सूची से ही नाम बुला रहा हूं।

श्री नादेन्दला भास्कर राव : *माननीय अध्यक्ष महोदय,* आंध्र प्रदेश, पश्चिमी गोदावरी जिले के इलुरु नगर में 5,000 रु. से 30,000 रु. में महिलाएं बेची जाती हैं। यहां तक कि छः महीने अथवा एक वर्ष अथवा दो वर्ष के लिए किराए पर भी दे दिया जाता है। ये महिलाएं 16 से 30 वर्ष की बीच की आयु की होती हैं।

महोदय, आंध्र प्रदेश में इन सब घटनाओं को रोकने के लिए अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम तथा अन्य आवश्यंयक अधिनियम विद्यमान हैं लेकिन सरकार ने इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं। इसलिए अनेक लड़कियां अन्य राज्यों में बेची गई हैं। यह आज के समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है... *(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू : यह आज के समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है कि सरकार आवश्यक कदम उठा रही है..*(व्यवधान)*

श्री नादेन्दला भास्कर राव : महोदय, कुछ महिलाएं तेनाली निदादावोलु, वेलपुरू, तानुकु और तादेपालीगुडम की हैं। अभी हाल में ही में लगभग 10 महिलएं बेची गई हैं और सबसे ऊंची बोली 30,000 रुपये की लगाई गई...*(व्यवधान)* जिस काम में वह लगाई गई है और जिस कारण वह बेची गई हैं, यह सभी जानते हैं, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। अतः इस कार्य पर अंकुश लगना ही चाहिए और सरकार को इसे रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। यह आंध्र प्रदेश सरकार की असफलता है। महोदय, मेरा अनुरोध है कि अध्यक्ष-पीठ द्वारा राज्य सरकार को निर्देश दिए जाने चाहिए कि वह इसे रोकने के लिए तत्काल कार्यवाही करें।

श्रीमती मिनाती सेन (जलपाईगुडी) : महोदय, मैं एक मुद्दा उठाना चाहूंगी जो कि महिलाओं के विरुद्ध एक गंभीर अपराध है। यह आज के *दि इण्डियन एक्सप्रैस* में प्रकाशित हुआ है। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि महिलाएं बेची जाती हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : महोदया, उन्होंने पहले ही ब्यौरा दे दिया हैं आप उनकी बात का समर्थन कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती मिनाती सेन : महोदय, यह एक महत्वपूर्ण मामला है...*(व्यवधान)*

डा. शकील अहमद (मधुबनी) : महोदय, बिहार में बाढ़ के बारे में मेरी सूचना का क्या हुआ...*(व्यवधान)*

श्रीमती मिनाती सेन : महोदय, हम अपनी स्वतंत्रता के पचाव वर्ष पूरे होने पर इसकी स्वर्ण जयन्ती मना रहे हैं और आज *हमारे देश में महिलाएं बेची जा रही हैं। महोदय, इस गंभीर मामले पर हम चर्चा करना चाहते हैं।*

[हिन्दी]

श्री चेतन चौहान (अमरोहा) : अध्यक्ष जी, ग्रामीण स्वास्थ्य जनसेवक गांव-गांव जाकर सरकार की तरफ से स्वास्थ्य संबंधी कार्य करते हैं। गांव में फैलने वाली महामारी की सूचना भी वह देते हैं। देशभर में ऐसे स्वास्थ्य जनसेवकों की संख्या 5 लाख है। यह बड़े दुख की बात है कि गत बीस सालों से उनको 60 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा है। इन लोगों की हालत बहुत खराब हो गई है। इन में से बहुत से लोग मर चुके हैं। इनको देखने वाला कोई नहीं है। सरकार भी इन स्वास्थ्य जनसेवकों की सेवाओं का पूरा उपयोग नहीं कर पा रही है। अतः मेरी सरकार से मांग है कि जनसेवकों को पूरे तौर पर सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाये और सरकारी कर्मचारियों की भांति ही इन लोगों को वेतन दिया जाये। ये लोग परिवार नियोजन कार्यक्रमों में सरकार की और मदद कर सकते हैं। इसलिये अच्छी तनख्वाह देकर इनसे काम लिया जाये।

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष जी, श्री चेतन चौहान जी ने जो कहा, उससे स्वयं को जोड़ते हुये यह कहना चाहता हूं कि यह मामला बहुत गंभीर है। ऐसे बहुत से लोग स्वास्थ्य रक्षा के कार्यों में लगे हुये हैं, उनको कई वर्षों से 60 रुपये वेतन भी नहीं मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी के शासन में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री स्व. श्री राज नारायण ने यह योजना प्रारंभ की थी लेकिन उसके बाद से इस योजना की बराबर उपेक्षा की जा रही है। मेरा निवेदन है कि सरकार इसको गंभीरता से ले और उन गरीब लोगों की सहायता अवश्य करे।

डा. शकील अहमद (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदय उत्तर बिहार में नेपाल की नदियों से हर वर्ष बड़ी गंभीर बाढ़ आती है जिसमें लाखों लोग बेघर हो जाते हैं और हजारों एकड़ भूमि बर्बाद हो जाती है। सैकडों करोड़ रुपये की फसल नष्ट हो जाती है। हम मेवेशियों के चारे की बात करते हैं, उन लोगों को राहत देने की बात कहते हैं लेकिन जब बाढ़ समाप्त हो जाती है तो सरकारी लोग निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं। मेरा मानना है कि जब तक भारत सरकार नेपाल सरकार से बात करके उन नदियों पर डैम बनाने की सुनिश्चित व्यवस्था करके नदियों के दानों तरफ ऐम्बैन्कमैट बनाने का काम नहीं करेगी, तब तक बाढ़ रोकना उत्तर बिहार में असंभव है। यह केवल दो राज्यों की बात नहीं है। यह बात सही है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में नेपाल की नदियों में बाढ़ आती है, मगर उत्तर प्रदेश और बिहार

राज्य इसको टैकल करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि यह दोनों देशों के बीच का मामला होगा। इसलिए जब तक भारत सरकार नेपाल सरकार से बात करके कोई समाधान नहीं करेगी, तब तक हर साल बाढ़ आती रहेगी, हर साल हजारों–करोड़ रुपये की फसल का नुकसान होगा। करोड़ों लोग बेघर होंगे, मवेशी और मनुष्य मारे जाएंगे। इसलिए मेरा आग्रह है कि भारत सरकार इस पर ध्यान दे और नेपाल सरकार से जल्दी से जल्दी बात करने का काम करे जिससे पूरे उत्तर बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों को हम बाढ़ में बचा सकें। होता क्या है कि नेपाल के लोग पानी को रोककर रखते हैं और एकाएक जब पानी अधिक हो जाता है तो वह पानी छोड़ देते हैं, जिससे एकाएक काफी फ्लैश फ्लड आता है, जिससे यह बरबादी होती है। इसलिए जब तक नेपाल सरकार से समझौता करके योजना नहीं बनेगी, तब तक यह रुक पाना संभव नहीं है। इसलिए भारत सरकार नेपाल सरकार से इस विषय में बात करके कोई निश्चित समाधान करे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको अन्य सदस्यों से अच्छा समर्थन प्राप्त है।

[हि·न्दी]

श्री आरिफ मोहम्मद खान (बहराइच): अध्यक्ष महोदय, मैं भी माननीय सदस्य की बात का समर्थन करता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री आरिफ मोहम्मद खां भी आपको समर्थन दे रहे हैं। श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी भी आपको समर्थन देते हैं।

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, अयोध्या और फैजाबाद पूरे हिन्दुस्तान में एक मशहूर स्थान है। यह धार्मिक स्थल है।

6 दिसम्बर, 1992 को जो बाबरी मस्जिद शहीद की गई, उसी के उपलक्ष में बाबरी मस्जिद शहीद करने वाले साम्प्रदायिक शौर्य दिवस मनाते हैं। 6 दिसम्बर को शौर्य दिवस मनाने की तैयारी बड़े पैमाने पर चल रही है। उसमें संगठन के पदाधिकारी अशोक सिंघल और तमाम दूसरे पदाधिकारी तैयारी कर रहे हैं।... *(व्यवधान)*

श्री राजवीर सिंह : ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यह सब अपने वोट बैंक के लिए बोल रहे हैं।...*(व्यवधान)* दो दिन पहले इन्होंने कर्नाटक का मामला उठाया और आज यह मामला उठा रहे हैं। यह अखबार दिखा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर) : लोक सभा के लिए समाचार पत्र कोई आधार नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री कोनिजेटी रोसैया को अपना मुद्दा उठाने के लिए बुलाता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने बोलने के लिए श्री कोनिजेटी रोसैया का नाम पुकारा है।

(व्यवधान)

श्री कोनिजेटी रोसैया (नरसारावपेट) : महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, अक्तूबर के महीने में ....*(व्यवधान)*

श्री चेतन चौहान (अमरोहा) : महोदय मैं केवल कार्यवाही वृतान्त को सही करना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही निदेश दे दिया है कि इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री कोनिजेटी रोसैया : महोदय, आपने मुझे आंध्र प्रदेश में बाढ़ में परिवर्तित होने वाली भारी वर्षा के बारे में कहने का अवसर प्रदान किया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। महोदय, आप भी आंध्र प्रदेश से हैं और आपको भी इसके बारे में अच्छी जानकारी है।

अध्यक्ष महोदय : श्री रोसैया, यह मामला श्री शिवशंकर द्वारा पहले ही उठाया जा चुका है। यह राज्य का विषय है। आपने भी उसी मामले पर सूचना दी है।

श्री कोनिजेटी रोसैया : एक ने नहीं, हमने करीब दस ने इस संबंध में सूचना दी है यह अत्यंत गंभीर मामला है। दी जाने

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

वाली राहत वास्तव में प्रभावित व्यक्तियों को नहीं पहुंच पा रही है। राष्ट्रीय आपदा कोष में केन्द्र सरकार का अंश 75% है। अतः भारत सरकार का उत्तरदायित्व बन जाता है कि वह इसका पता लगाए कि आंध्र प्रदेश में क्या हो रहा है। राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह सहायता प्रदान करे।

मैं इसे स्वीकार करता हूं। लेकिन इसके साथ-साथ भारत सरकार को अपने उत्तरदायित्व से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए और यह कहे कि यह राज्य सरकार से संबंधित है और केन्द्र का कुछ लेना-देना नहीं है। ऐसा नहीं है।

महोदय, जैसाकि आप जानते हैं कि पूर्वी गोदावरी में आए तूफान के दौरान कई नारियल के वृक्ष प्रभावित हुए थे। क्षतिपूर्ति के रूप में लगभग 6,000 रू की राशि दी गई थी। आपको तो पता होगा कि इस समय नारियल उगाने वाले उत्पादकों को दिया गया मुआवजा क्या है। यह केवल 155 रु. है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती आभा महतो (जमशेदपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत घाटशिला/मुसावनी स्थित इंडियन कॉपर काम्पलेक्स और हिंदुस्तान कापर लिमिटेड बंद होने के कगार पर हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कोनिजेटी रोसैया : केवल सत्ता पक्ष के कुछ लोगों के पास दिल नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : महिला सदस्य के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती आभा महतो (जमशेदपुर) : मुझे जानकारी मिली है कि उक्त आई. सी. सी./एच. सी. एल. की मध्य प्रदेश के मलाजखंड से जो कंसन्ट्रेट दिया जा रहा था उसे आगामी 10.12. 98 से बंद कर देने की सूचना प्रबंधन द्वारा दी गई है। यदि कंसन्ट्रेट देना बंद कर दिया जायेगा तो चाटशिला/मुसावनी स्थित आई. सी. सी./एच. सी. एल. के करीब आठ हजार मजदूर बेकार हो जायेंगे। ...*(व्यवधान)* ऐसी परिस्थिति में उन मजदूरों के आश्रित और उस क्षेत्र का व्यवसाय ठप पड़ जायेगा और क्षेत्र में भुखमरी फैलेगी। इससे पहले वहां करीब दो हजार मजदूरों को वी. आर. एस. दिया गया है।

अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि इस कारखाने के आठ

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

हजार मजदूरों को बचाये रखने के लिए सरकार जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब हम गैर सरकारी सदस्यों के विधयकों पर चर्चा आरंभ करेंगे। शून्य काल समाप्त हो गया हैं

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैंने नोटिस दिया है, मेरे साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है....*(व्यवधान)* ?

ڈاکٹر شفیق الرحمن برق (مرآداباد): اسپیکر صاحب، میں نے نوٹس دیا ہے، میرے ساتھ ناانصافی کیوں ہو رہی ہے؟...(مداخلت)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : महोदय, मैंने विशेषाधिकार सूचना दी हुई है।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. शफीकुर्रहमान बर्क : आपने और लोगों को बुलवाया है मुझे क्यों नहीं बुलवा रहे हैं?....*(व्यवधान)*

ڈاکٹر شفیق الرحمن برق (مرآداباد): آپ نے اور لوگوں کو بلوایا ہے مجھے کیوں نہیں بلا رہے ہیں؟...(مداخلت)

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं, सोमवार को।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरा आपसे अनुरोध हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। अपराह्न के 3.30 बज चुके हैं।

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

डा. शफीकुर्रहमान बर्क : अध्यक्ष महोदय, मैंने नोटिस दिया है, मुझे बताइये कि मैं क्या करूं....*(व्यवधान)* मुझे भी एक–दो मिनट का टाइम दे दीजिए...*(व्यवधान)*

ڈاکٹر شفیق الرحمن برق (مرآداباد): اسپیکر صاحب، میں نے نوٹس دیا ہے، مجھے بتایئے کہ میں کیا کروں...(مداخلت) مجھے بھی ایک دو منٹ کا ٹائم دے دیجئے...(مداخلت)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी वक्तव्य दे रहे हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : मंत्री जी बाहर चले गए हैं मैं जानना चाहता हूं क्या माननीय मंत्री जी आज वक्तव्य देंगे अथवा नहीं देंगे।

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य, बहुत हो गया । आप बार–बार एक ही बात कहे जा रहे हैं।

(व्यवधान)

अपराह्न 3.35 बजे

इस समय डा. शफीकुर्रहमान बर्क आए और सभापटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपने स्थान पर जाइए। आप सभा का समय बरबाद कर रहे हैं। मंत्री जी आएंगे और वक्तव्य देगें। यह क्या है? कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए।

अपराह्न 3.36 बजे

इस समय डा. शफीकुर्रहमान बर्क अपने स्थान पर वापस चले गए।

अध्यक्ष महोदय : अब हम गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर चर्चा आरंभ करेंगे।

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 3.37 बजे

विशेष शैक्षणिक सुविधाएं (गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले माता-पिता के बच्चों के लिए) विधेयक*

[अनुवाद]

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्तनम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले माता–पिता के बच्चों के लिए विशेष शैक्षाणिक सुविधाएं और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

''कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले माता–पिता के बच्चों के लिए विशेष शैक्षाणिक सुविधाएं और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.37½ बजे

विद्युत (ग्रामीण क्षेत्रों और कृषि क्षेत्र को अग्रता प्रदाय) विधेयक*

[अनुवाद]

श्री आर. साम्बासिवा राव (गुंटूर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों और कृषि क्षेत्र को विद्युत की अनिवार्य आपूर्ति के लिए विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है:

''कि ग्रामीण क्षेत्रों और कृषि क्षेत्र को विद्युत की अनिवार्य आपूर्ति के लिए विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आर. साम्बासिवा राव : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.38 बजे

संविधान (संशोधन) विधेयक*
(अनुच्छेद 324 का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री आर. साम्बासिवा राव (गुंटूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 2, दिनांक 4.12.98 में प्रकाशित।

कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आर. साम्बासिवा राव : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.38½ बजे

राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक*
(नई धारा 4 का अंतःस्थापन)

[अनुवाद]

श्री आर. साम्बासिवा राव (गुंटूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आर. साम्बासिवा राव : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.39 बजे

विवाह समारोह पर अत्याधिक व्यय प्रतिषेध विधेयक*

[अनुवाद]

श्री आर. साम्बासिवा राव (गुंटूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विवाह समारोहों पर अत्याधिक और अनावश्यक व्यय के प्रतिषेध करने और उससे संसक्त अथवा आनुषंगिक विषयों का उपाबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विवाह समारोहों पर अत्यधिक और अनावश्यक व्यय के प्रतिषेध करने और उससे संसक्त अथवा आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आर. साम्बासिवा राव : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.39½ बजे

भारत की विदेशी सहायता निधि विधेयक*

[अनुवाद]

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापतनम्) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी सहायता के उपयोग को विनियमित करने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विदेशी सहायता के उपयोग को विनियमित करने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.40 बजे

गंदी बस्ती क्षेत्र तथा झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र उन्मूलन विधेयक*

[अनुवाद]

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापतनम्) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि गंदी बस्ती और झुग्गी झोपड़ी बस्तियों और गंदी बस्ती क्षेत्रों के उन्मूलन तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि गंदी बस्ती और झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों और गंदी बस्ती क्षेत्रों के उन्मूलन तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 2, दिनांक 4.12.98 में प्रकाशित।

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 2, दिनांक 4.12.98 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.40½ बजे

छोटा परिवार (अभिप्रेरण) विधेयक*

[अनुवाद]

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापतनम्) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि छोटे परिवार सन्नियम को प्रोत्साहन देने तथा उससे संबद्ध मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि छोटे परिवार सन्नियम को प्रोत्साहन देने तथा उससे संबद्ध मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.41 बजे

जामिया मिलिया इस्लामिया (संशोधन) विधेयक*
(पूरा नाम आदि का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी. एम. बनातवाला : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.41½ बजे

बेरोजगारी उन्मूलन विधेयक*

[अनुवाद]

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में बेराजगारी का उन्मूलन करने की योजना के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि देश में बेराजगारी का उन्मूलन करने की योजना के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी. एम. बनातवाला : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.42 बजे

[अनुवाद]

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) संशोधन विधेयक*

(धारा 1 आदि का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970 में और संशोधन करने का उपन्बध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970 में और संशोधन करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.42½ बजे

पिछड़ा क्षेत्र विकास बोर्ड विधेयक*

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के चहुंमुखी विकास हेतु एक स्वायतशासी बोर्ड की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 2, दिनांक 4.12.98 में प्रकाशित।

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 2, दिनांक 4.12.98 में प्रकाशित।

"कि देश के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के चहुंमुखी विकास हेतु एक स्वायतशासी बोर्ड की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत बचदा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.43 बजे

नगर-भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) संशोधन विधेयक*
(धारा 10 का संशोधन)

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नगर-भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 में संशोधन करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि नगर-भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 में संशोधन करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.43½ बजे

वाणिज्यिक विज्ञापनों में और उपभोक्ता वस्तुओं के पैकेट पर भारतीय भाषाओं का उपयोग विधेयक*

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वाणिज्यिक विज्ञापनों में और उपभोक्ता वस्तुओं के पैकेटों पर हिन्दी भाषा और संविधान की आठवीं अनुसूची में विर्निदिष्ट किसी एक अन्य भारतीय भाषा के उपयोग को अनिवार्य करने तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि सभी वाणिज्यिक विज्ञापनों में और उपभोक्ता वस्तुओं के पैकेटों पर हिन्दी भाषा और संविधान की आठवीं अनुसूची में विर्निदिष्ट किसी एक अन्य भारतीय भाषा के उपयोग कों अनिवार्य करने तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.44 बजे

[अनुवाद]

संविधान(अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधयेक*
(अनुसूची का संशोधन)

श्री वैको (शिवकाशी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वैको : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.44½ बजे

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
(मेरठ में स्थायी न्यायपीठ की स्थापना विधेयक)*

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र शर्मा (कैराना) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मेरठ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थायी

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 2, दिनांक 4.12.98 में प्रकाशित।

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 2, दिनांक 4.12.98 में प्रकाशित।

न्यायपीठ की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि मेरठ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थायी न्यायपीठ की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र शर्मा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.44 2/3 बजे

[अनुवाद]

विदर्भ राज्य विधेयक*

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वर्तमान महाराष्ट्र राज्य का पुनगर्ठन करके विदर्भ राज्य का निर्माण करने और उससे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि वर्तमान महाराष्ट्र राज्य का पुनगर्ठन करके विदर्भ राज्य का निर्माण करने और उससे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री विलास मुत्तेमवार : महोदय, मैं विधेयक** पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.45 बजे

संविधान (संशोधन) विधेयक*
(नए अनुच्छेद 330 क आदि का अंतःस्थापन)

[अनुवाद]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 2, दिनांक 4.12.98 में प्रकाशित।
** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मोहन सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.45 1/3 बजे

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक*
(अनुसूची का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री माधव राजवंशी (मंगलदाई) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री माधव राजवंशी : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.45 2/3 बजे

स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक
(धारा 2 आदि का संशोधन)

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 2, दिनांक 4.12.98 में प्रकाशित।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.46 बजे

विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक*
(पूरा नाम आदि का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम, 1988 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम, 1988 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मोहन सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.46 1/3 बजे

संविधान (संशोधन) विधेयक*
(अनुच्छेद 84 और 173 का संशोधन)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर साहू (महासुमन्द) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर साहू : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.46 2/3 बजे

पर्यावरण संरक्षण परिषद विधेयक*

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए केन्द्र, प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में एक परिषद की स्थापना करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए केन्द्र प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में एक परिषद की स्थापना करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा': महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.47 बजे

विवाह पंजीकरण विधेयक*

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत में विवाहों के अनिवार्य पंजीकरण तथा उससे संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि भारत में विवाहों के अनिवार्य पंजीकरण तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा': महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.47 1/3 बजे

भारतीय शिक्षा बैंक विधेयक*

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : महोदय, मैं

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 2, दिनांक 4.12.98 में प्रकाशित।

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 2, दिनांक 4.12.98 में प्रकाशित।

प्रस्ताव करता हूं कि छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु ऋण देने के लिए एक बैंक की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु ऋण देने के लिए एक बैंक की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.47 2/3 बजे

फर्जी विज्ञापन और प्रचार निवारण विधेयक*

[अनुवाद]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्थापित वस्तुओं या सेवाओं के फर्जी विज्ञापनों और प्रचार तथा तत्संबंधी मामलों का निवारण करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि प्रस्थापित वस्तुओं या सेवाओं के फर्जी विज्ञापनों और प्रचार तथा तत्संबंधी मामलों का निवारण करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मोहन सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.48 बजे

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक*
(धारा 167 आदि का संशोधन)

[अनुवाद]

श्रीमती जयन्ती पटनायक (बरहामपुर) (उड़ीसा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 2, दिनांक 4.12.98 में प्रकाशित।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

अपराह्न 3.48 1/3 बजे

राष्ट्रीय बाल आयोग विधेयक*

[अनुवाद]

श्रीमती जयन्ती पटनायक (बरहामपुर) (उड़ीसा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि राष्ट्रीय बाल आयोग के गठन और उसमें संसक्त तथा आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रीय बाल आयोग के गठन और उसमें संसक्त तथा आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

अपराह्न 3.48 2/3 बजे

महिला विकास बैंक विधेयक*

श्रीमती जयन्ती पटनायक (बरहामपुर) (उड़ीसा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि अनन्यतः महिलाओं के विकास के लिए एक बैंक की स्थापना और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि अनन्यतः महिलाओं के विकास के लिए एक बैंक की स्थापना और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 2, दिनांक 4.12.98 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.49 बजे

आनुकल्पिक ईंधन संपदा बोर्ड विधेयक*

[अनुवाद]

श्री अन्नासाहिब एम. के. पाटील (इरन्दोल) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि देश में अल्कोहल का आनुकल्पिक ईंधन के रूप में अनुसंधान और उपयोग तथा उसरो संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि देश में अल्कोहल का आनुकल्पिक ईंधन के रूप में अनुसंधान और उपयोग तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अन्नासाहिब एम. के. पाटील : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.49½ बजे

महिलाओं के लिए विशेष-न्यायालय विधेयक*

श्रीमती जयन्ती पटनायक (बरहामपुर) (उड़ीसा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि अनन्यतः महिलाओं के विरुद्ध किए गए अत्याचारों से निपटने के लिए विशेष न्यायालयों के गठन और तत्संबंधी मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

कि अनन्यतः महिलाओं के विरुद्ध किए गए अत्याचारों से निपटने के लिए विशेष न्यायालयों के गठन और तत्संबंधी मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

अपराह्न 3.50 बजे

कृषक (ऋणग्रस्तता निराकरण) विधेयक*

[अनुवाद]

श्री वैको (शिवकाशी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिए गए कृषक ऋणों के निपटारे और ऐसे बैंकों और संस्थाओं द्वारा कृषकों के ऋणों को विनियमित करने के लिए मार्गनिर्देशों का निर्धारण करने और तत्सम्बन्धी मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिए गए कृषक ऋणों के निपटारे और ऐसे बैंकों और संस्थाओं द्वारा कृषकों के ऋणों को विनियमित करने के लिए मार्गनिर्देशों का निर्धारण करने और तत्सम्बन्धी मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वैको : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.50½ बजे

संचार विधिक (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

श्री वैको (शिवकाशी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय तार अधिनियम, 1885 और भारतीय डाक घर अधिनियम, 1898 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि भारतीय तार अधिनियम, 1885 और भारतीय डाक घर अधिनियम, 1898 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वैको : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.51 बजे

सिविल अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक*
(धारा 2, आदि का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 2, दिनांक 4.12.98 में प्रकाशित।

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 2, दिनांक 4.12.98 में प्रकाशित।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मोहन सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.52 बजे

संविधान (संशोधन) विधेयक–जारी
(अनुच्छेद 15 आदि का संशोधन)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम श्री जी. एम. बनातवाला द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेंगे। श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन पहले बोल चुके हैं। वे आज उपस्थित नहीं हैं; और श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण जी भी उपस्थित नहीं हैं। क्या अन्य माननीय सदस्य गण में से कोई इस पर बोलना चाहता है?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, आज प्राइवेट मेम्बर्स डे है....*(व्यवधान)* हमें बताएं कि मंत्री जी का स्टेटमेंट होगा या नहीं?

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : महोदय, मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि वे वक्तव्य देंगे। यह एक संवेदनशील मामला है।

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : कृपया मार्शल को भेजकर मंत्री महोदय को यहां बुलवाइये। यह एक संवदेनशील मामला है। उन्हें वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : क्या श्री जी. एम. बनातवाला द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव आगे चर्चा के लिए कोई अन्य माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं?

(व्यवधान)

श्री ई. अहमद : हम माननीय मंत्री जी का वक्तव्य सुनना चाहते हैं लेकिन मंत्रीजी ने सभा के प्रति असम्मान प्रकट किया है। उन्हें याहं उपस्थित होना चाहिए था। उन्हें वक्तव्य देना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें आश्वासन दिया था। यदि वह मंत्री यहां पर नहीं है तो उन्हें किसी अन्य मंत्री को प्राधिकृत करना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री जी को बुला रहा हूं।

प्रो. रीता वर्मा (धनबाद) : समाज कल्याण मंत्री यहां पर है। आप कल्याण मंत्री की ही मांग कर रहे थे न?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : मैं यहां पर आधे घण्टे से प्रतीक्षा कर रही हूं। मैं श्री जी. एम. बनातवाला के विधेयक पर वक्तव्य देने जा रही हूं।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में बात कर रहे हैं।

श्रीमती मेनका गांधी : परन्तु यह गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के प्रत्युत्तर में है।

महोदय, मैंने पिछले सत्र में माननीय सदस्य द्वारा उठाये गए तथ्यों को ध्यान से सुना था और मैं माननीय संसद सदस्य के रचनात्मक विचारों और चिन्ता को समझती हूं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए पूरी लगन के साथ प्रयास किए जाने चाहिए क्योंकि प्रत्येक स्तर पर उनमें और जनसंख्या के गैर पिछड़े वर्गों में असमानता रही है। सरकार इस बात से भलीभांति अवगत है कि गैर–पिछड़े वर्गों की तुलना में उन्हें एक समान अवसर उपलब्ध कराये जाने हैं।

भारत सरकार सम्पन्न वर्ग की पहचान के लिए बनाए गए वर्तमान मानदण्ड की समीक्षा के लिए प्रयास कर रही है। और इसे उपयुक्त रूप से परिवर्द्धित किया जाना है। उच्चतम न्यायालय ने इन्दिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मण्डल मामले में 16.11.92 को दिए गए अपने निर्णय में यह राय व्यक्त की कि अनुच्छेद 16 के खण्ड 4 में दर्शाया गया आरक्षण ग्रेड, कॉडर या सेवा में किसी भी वर्ष 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि 50 प्रतिशत का नियम होगा, तब भी देश और लोगों की असीम विभिन्नता में अन्तर्निहित असाधारण परिस्थिति को ध्यान में रखना आवश्यक है, परन्तु ऐसा करते समय अत्याधिक सावधानी रखी जानी चाहिए और विशेष मामला बनाया जाना चाहिए। किसी भी सेवा या संवर्ग में आरक्षण केवल तभी दिया जा सकता है जब राज्य संतुष्ट हो कि इसमें पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है।

उच्चतम न्यायालय ने 16 नवम्बर, 1992 को इन्दिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में दिए गए अपने निर्णय में केन्द्र एवं राज्य सरकारों को सामाजिक रूप से उन्नति कर चुके व्यक्तियों और वर्गों अर्थात् सम्पन्न वर्ग को आरक्षण के अधिकार से अलग करने के लिए संगत और अनिवार्य सामाजिक–आर्थिक मानदण्ड को लागू करने के आधार को स्पष्ट करने का निदेश दिया था। तदनुसार, अलग किए जाने के नियम के अधीन आने वाले व्यक्तियों/वर्गों को दर्शाते हुए 8 सितम्बर, 1993 को एक संशोधित सरकारी आदेश जारी किया गया। उपरोक्त निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 16(4) के अन्तर्गत पदों पर नियुक्तियों में आरक्षण आरंभिक नियुक्तियों पर ही लागू होगा और प्रोन्नति के मामले में आरक्षण हेतु लागू नहीं किया जा सकेगा।

इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसे विधान का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए अनुरोध है कि माननीय सदस्य गैर सरकारी विधेयक को वापस ले लें।

श्री ई. अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता कि उनके पड़ोस में बैठे माननीय स्वास्थ्य मंत्री इस बात से सहमत होंगे क्योंकि पर्याप्त प्रतिनिधित्व को प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में श्री बनातवाला और अन्य सदस्यों ने पहले ही बताया था कि देश में कई पिछड़े वर्गों के लिए अनुपातिक आरक्षण नहीं हैं। हमने वर्तमान स्थिति को क्रमबद्ध रूप में दर्शाया था। पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है....*(व्यवधान)*

श्री जी. एम. बनातवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा पेश किया गया विधेयक अत्याधिक महत्वपूर्ण है और मैं विधेयक पर विचार व्यक्त करने के लिए उन सभी सदस्यों का जिन्होंने इस संबंध में अपने विचार व्यक्त किए तथा वाद–विवाद का उत्तर देने के लिए माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद करता हूं। विधेयक के उपबन्ध कभी भी विवादग्रस्त नहीं रहे हैं। यहां तक सरकार भी अपने नेशनल एजेण्डा फॉर गवर्मैन्स के कारण विधेयक के उपबंधों के लिए प्रतिबद्ध है।

अपराह्न 4.00 बजे

पहली बात तो यह है कि इस विधेयक का उद्देश्य कई राज्यों द्वारा किए गए आरक्षण कोटे को संरक्षण प्रदान करना है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु राज्य में, जहां आरक्षण का कोटा 50 प्रतिशत से ज्यादा है, इस बात की न्यायालय द्वारा आलोचना की गई है। यदि आज कोटे को कम किया जाता है तो यह न केवल अन्यायपूर्ण, सामाजिक न्याय नीति के विरोध में होगा अपितु इससे अत्याधिक असन्तोष की भावना भी उत्पन्न होगी।

महोदय, सरकार में सम्मिलित प्रमुख दल और सहयोगी दल उनके द्वारा अपने राज्यो में तय किए गए *कोटे* के संरक्षण के लिए आन्दोलन कर रहे हैं। सरकार के अपने शासन हेतु राष्ट्रीय एजेण्डे में लिखा हुआ है कि इस कोटे की रक्षा की जाएगी। इसीलिए मैं सरकार से इस मामले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करता हूं। कई बार प्रधानमंत्री भी आश्वस्त कर चुके हैं कि कई राज्यों में जारी 'कोटा' को पूर्ण संरक्षण दिया जाएगा। न्यायालय के निर्णय को देखते हुए वैधानिक संरक्षण आवश्यक है। आज मुझे पूरा यकीन है कि सरकार द्वारा दर्शाए जा रहे उदासीन दृष्टिकोण के कारण दक्षिण के कुछ राज्यों जहां पर *'कोटा'* खतरे में है, असंतोष पनप सकता है। यह चौंकाने वाली बात है कि सरकार स्वयं ही अपना शासन के लिए राष्ट्रीय एजेण्डा भूल गई है।

अध्यक्ष महोदय, यदि उनका कोई गुप्त एजेण्डा है जिसके चलते वे अपने घोषित शासन के लिए राष्ट्रीय एजेण्डे को स्वीकारना नहीं चाहते हैं तो यह दूसरी बात है। परन्तु वक्तव्य काफी निराशाजनक हैं और इस सम्बन्ध में पूरे राष्ट्र को दिए गए आश्वासनों के अनुरूप नहीं हैं और ऐसे आश्वासनों की ओर मैंने विधेयक पर सभा में विचार किए जाने की संस्तुति करते समय पहले ही ध्यान दिलाया था।

महोदय, एक अन्य महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि न्यायालय ने कहा है कि कुछ क्षेत्रों में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। राष्ट्रीय कार्य–कलापों के कतिपय क्षेत्रों को आरक्षण की सीमा से हटा दिया गया है, यह आरक्षण की वास्तविक नीति के लिए एक और आघात है और मेरे विधेयक का आशय सरकार का ध्यान इस विशेष मामले की ओर आकर्षित करना है।

तीसरी बात तथाकथित क्रीमी लेयर (संपन्न वर्ग) के संबंध में है। मैंने विस्तार में यह उल्लेख करते हुए पहले ही निवेदन किया है कि जैसा कि न्यायालय ने सोचा है क्रीमी लेयर की यह अवधारणा संविधानेत्तर है। यह संविधान के अनुरूप नहीं है और इस प्रकार यह पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय करता है और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की अवधारणा को समाप्त करता है, क्रीमी लेयर की अवधारणा न होने पर भी पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों को नहीं भरा जाता है और मैंने सभा के सामने उन विभिन्न क्षेत्रों को दर्शाते हुए विस्तृत आंकड़े दिए हैं जिनमें क्रीमी लेयर के बावजूद आरक्षित पदों को नहीं भरा जा सका है। इसलिए यह कहना गलत है कि तथाकथित क्रीमी लेयर, जो कल्पना की उड़ान है, में उन लोगों के साथ कोई अन्याय होता है। जो किन्हीं पिछड़े वर्गों से बहुत नीचे हैं।

जैसा मैंने कहा है यदि आप तथाकथित क्रीमी लेयर की

काल्पनिक अवधारणा को भी लें तो भी किसी विशेष पिछड़े, वर्ग के लिए आरक्षित पदों को नहीं भरा जाता है। अब क्रीमी लेयर की अवधारणा के आने से आरक्षण का मुद्दा, आरक्षण का मूल उद्देश्य और आरक्षण की नीति ही नष्ट हो जाएगी।

महोदय, सामजिक न्याय के हित में यह भी आवश्यक है कि पदोन्नति में भी आरक्षण हो, इन विभिन्न तथ्यों को इस विधेयक में सम्मिलित किया गया है। अनेक राज्यों में आरक्षण को संरक्षण देने के संबंध में कोई विवाद नहीं है। प्रत्येक पार्टी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सदैव यह कहती आई है कि आरक्षण जारी रखा जाएगा और आज हम सरकार की ओर से सकारात्मक दृष्टिकोण का अभाव पाते हैं। जिसने लगता है अपने आश्वासन और यहां तक अपने राष्ट्रीय एजेंडा को भी नकार दिया है।

महोदय, मैं सामाजिक न्याय से संबंधित इस मामले में कोई बाधा डालना नहीं चाहता हूं।

अपराह्न 4.07 बजे

*[**श्री रघुवंश प्रसाद सिंह** पीठसीन हुए]*

मैं अभी भी सरकार से इस मामले पर पुनर्विचार करने और इसे इस तरह निष्ठुरता से किनारे न करने की अपील करता हूं। महोदय, मैं उस दिन के बारे में सोचता हूं जब सरकार अपने राष्ट्रीय एजेंडा में देश को दिए गए वचन को महसूस करेगी, जो बहुत दूर नहीं है और उस दिन की सोचता हूं जब सरकार को सद्बुद्धि आए ...*(व्यवधान)* यदि यह सरकार नहीं तो अगली सरकार ...*(व्यवधान)*

इसलिए सामाजिक न्याय जैसे महत्पपूर्ण प्रश्न के बारे में सरकार के दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने की अपील के साथ मैं अपने विधेयक को वापस लेने की सभा से अनुमति लेता हूं। ...(व्यवधान)

श्री ई. अहमद : महोदय, यह मद अभी भी सभा के समक्ष है और माननीय मंत्री जी जा रही हैं। इस मद का अभी निपटान नही हुआ है...*(व्यवधान)*

श्री पी. सी. चाक्को (इदुक्की) : महोदय, यह क्या है? यह मामला अभी सभा के समक्ष है। इस मद का अभी निपटान नहीं हुआ है और मंत्री जी जा रही हैं...*(व्यवधान)* वे कैसी उपेक्षा का इजहार कर रही हैं? उन्हें समझना चाहिए, उन्होंने कई बार सभा की उपेक्षा की है। महोदय, यह विधेयक अभी भी सभा के समक्ष है। इसका अभी निपटान नहीं हुआ है...*(व्यवधान)* मंत्री, महोदया किस प्रकार का रवैया अपना रही है। यह बहुत हो गया।

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, विधेयक को वापस लेने की अनुमति सभा द्वारा दी जाएगी। उसके बाद ही इसका निपटान हो सकता है। किंतु मंत्री महोदया, उससे पहले ही जा रही हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फतमी : महोदय, इन्हें सॉरी बोलना चाहिए।

कुछ माननीय सदस्य : इन्होंने सॉरी बोला है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदय, सुखद भविष्य की आशा में, मैं विधेयक वापस लेता हूं।

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : महोदय, कुछ देर पहले अध्यक्ष महोदय ने माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री को एक वक्तव्य देने को कहा था। उन्होंने अभी तक वक्तव्य नहीं दिया है किंतु वे सभा से चले गए हैं।...*(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : अब समय चार बजकर दस मिनट हो गए हैं। वक्तव्य कब दिया जा रहा है?

[हिन्दी]

सर, अलीगढ़ के बारे में स्टेटमेंट करवा दीजिए, बहुत सारे लोग इंतजार में बैठे हैं।

श्री चन्द्रशेखर साहू (महासुमन्द) : सभापति जी, इसमें काहे की अब स्टेटमेंट की जरूरत है....*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : सभापति जी, डा. जोशी स्टेटमेंट देने के लिए आये थे लेकिन साढ़े तीन बजे का समय हो गया और नॉन--ऑफिशियल टाइम शुरु हो गया तो वे चले गये।...*(व्यवधान)* अगर ये अब

कहते हैं तो हम उनको बुलवा लेते हैं, नहीं तो मन्डे को स्टेटमेंट होगा। ...*(व्यवधान)* इस तरह से होता नहीं है जैसे आज ये कह रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : वक्तव्य सोमवार को क्यों दिया जाए।

श्री ई. अहमद : मंत्री जी कैसे जा सकते हैं? उन्हें वक्तव्य देने के लिए यहां होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : सभापति जी, इस पर एक लड़का ''टिल डैथ'' स्ट्राइक पर बैठा हुआ है।

डा. शुफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : अगर वह लड़का मर गया तो क्या खुराना साहब जिम्मेदारी लेंगे।

ڈاکٹر شفیق الرحمن برق (مرآداباد): اگر وہ لڑکا مر گیا تو کیا کھورانہ صاحب ذمے داری لیں گے۔

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति जी, जब चेयर की तरफ से घोषणा हो गयी तो चाहे प्राइवेट मैंम्बर बिजनैस हो या कुछ और हो, यह मैम्बर का अधिकार नहीं है या किसी मिनिस्टर का अधिकार नहीं है, यह अधिकार चेयर का है कि किसी भी काम को रोक कर डायरेक्शन दे सकता है, डायरेक्ट कर सकता है। जब हमने बार–बार कहा कि प्राइवेट मैंम्बर डे है और सारे मैम्बर इसक लिए बैठे हैं कि मिनिस्टर बयान देंगे।

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : सारे मैम्बर कहां बैठे हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : जब कोई ऑफिशियल बात कहनी होती है तो आप लोग कह देते हैं कि नॉन–ऑफिशियल डे है। आज साढ़े तीन बजे तक मिनिस्टर साहब बैठे थे, तब आपने यह बात क्यों नहीं उठाई। लेकिन अगर आप अब कहते हैं तो हम उनको बुलवा लेते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राम विलास पासवान : यह उचित नहीं है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आपने सवाल उठाया है कि अब आप उन्हें सुन लीजिए।

[अनुवाद]

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवेलीकारा) : मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री मदन [illegible] न खुराना ने कहा कि डा. मुरली मनोहर जोशी यहां अ[illegible] उनका इरादा वक्तव्य देने का था लेकिन क्योंकि गैर सर[illegible] सदस्यों के कार्य का समय आरंभ हो चुका था इसलिए वे वापस चले गए। क्या उन्होंने वक्तव्य देने का इरादा व्यक्त किया था?

श्री राम विलास पासवान : क्या उन्होंने अध्यक्ष पीठ को सूचना दी?

प्रो. पी. जे. कुरियन : क्या उन्होंने यहां सभा में अपना इरादा व्यक्त किया?

श्री मदन लाल खुराना : वे सभा में आए थे और उन्होंने माननीय अध्यक्ष को सूचित किया था।

श्री रामविलास पासवान : यह संसदीय कार्य मंत्री का कर्तव्य है। कम से कम उन्हें संसदीय कार्य मंत्री को सूचित करना चाहिए था और संसदीय कार्यमंत्री को अध्यक्ष पीठ को सूचित करना चाहिए था। क्या संसदीय कार्यमंत्री ने अध्यक्ष पीठ को सूचना दी? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। माननीय अध्यक्षजी ने कहा कि आज एक वक्तव्य दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष ने सभा को आश्वासन दिया कि आज एक वक्तव्य दिया जाएगा। आप कृपया कार्यवाही वृतान्त को देखें।

श्री ई. अहमद : यह सरकार के दृष्टिकोण को दर्शाता है।

प्रो. पी. जे. कुरियन : माननीय अध्यक्ष ने कहा कि वक्तव्य आज ही दिया जाएगा। कृपया सरकार को निर्देश दें कि वे मानव संसाधन विकास मंत्री को वक्तव्य देने के लिए बुलाएं। यह आपके अधिकार में है। यह आपके विशेषाधिकार में है कि सरकार को मंत्री जी को बुलाने और उन्हें वक्तव्य देने का निर्देश दें।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : सभापति जी, उस समय चेयर पर स्पीकर साहब थे, मैंने उनको बतला दिया था।

सभापति महोदय : ठीक है, जितनी जल्दी हो सके माननीय मंत्री जी उपस्थित होकर अपना वक्तव्य दे दें। अब सदन की कार्यवाही आगे चले।

श्री राम विलास पासवान : लेकिन आज स्टेटमेंट होगा या नहीं, यह तो बतला दें।

श्री मदन लाल खुराना : होंगे तो होगा।

श्री राम विलास पासवान : सभापति जी, मंत्री जी कह रहे हैं कि "होंगे तो होगा।" अगर आज स्टेटमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा। जैसा मैंने कहा हंगर–स्ट्राइक पर लड़का बैठा हुआ है।

सभापति महोदय : विषय की गंभीरता को देखते हुए सरकार की तरफ से कहा गया था कि इस पर वक्तव्य होगा। माननीय सदस्यों ने यह सवाल उठाया। अतः इसकी अहमियत को देखते हुए आसन से डायरैक्शन दिया गया कि माननीय सदस्य यथाशीघ्र वक्तव्य दें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : उनके आने में समय तो लगेगा।

अपराह्न 4.15½ बजे

संविधान (संशोधन) विधेयक*
(नए अनुच्छेद 51 ख का अंतःस्थापन)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव पारित हुआ।

श्री प्रभुनाथ सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.16 बजे

भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक,
(धारा 16 आदि के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : सदन की सहमति हो तो इस विधेयक के लिए दो घंटे का समय निर्धारित किया जाए।

अनेक माननीय सदस्य : हम सब की इस पर सहमति है।

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, मैं भूमि अर्जन लैंड एक्विजिशन बिल के माध्यम से इसे प्रस्तुत कर रहा हूं। किसानों की समस्या भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। इसलिए मैं इसे सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं।

महोदय, देश के विकास में किसानों के संदर्भ में बातें बहुत कही जाती हैं लेकिन सबसे ज्यादा किसान लुटता है। अगर आप कोई चीज बेचना चाहते हैं तो अपनी इच्छा से बेच सकते हैं और जो मूल्य मांगना चाहते हैं, मांग सकते हैं लेकिन किसान की जमीन पर चाहे सरकार की, चाहे स्थानीय निकाय की और चाहे किसी कम्पनी की गिद दृष्टि जाए, जिस ने कहा कि जमीन चाहिए, उसके लिए अनिवार्य रूप से अधिग्रहित कर लिया जाता है। उसके परिवारजनों की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है।

महोदय, 1894 में भूमि अधिग्रहण कानून बना था। गुलामी का अवशेष और समाजवाद का प्रतीक यह कानून स्वतंत्र भारत में अभिशाप बना हुआ है। यह किसान को लूटता है। किसान की लहलहाती भूमि उसके जीवकोपार्जन का साधन होती है। उसका पूरा परिवारजन उस भूमि के माध्यम से अपने खून को पसीना बना कर, धरती का पेट चीर कर, अपना भरण–पोषण ही नही करता है, समूचे देश का भी भरण–पोषण करता है। उस किसान के घर में रातोंरात डकैती डाल कर कानून के माध्यम से उसे लूट लिया जाता है। डकैती डालने के सरकारी तंत्र ने उसे कानूनी अधिकार दिया है कि जब चाहो लूट लो, उसे विस्थापित बना कर सड़क के चौराहे पर खड़ा कर दो और उसके परिवारजनों को भूख से मरने के लिए विवश कर दो। इसलिए मैं यह संशोधन लेकर आया हूं।

आज समाजवादी व्यवस्था की बात की जाती है लेकिन समाजवादी व्यवस्था में किसान सबसे ज्यादा लुटता है–चाहें वह अरबन लैंड सीलिंग एक्ट के माध्यम से या लैंड एक्विजिशन एक्ट के माध्यम से। आर्थिक नीतियों के बदलते हुए परिवेश में सामाजिक न्याय की बात की जाती है लेकिन इसमें कुछ लोग अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए उसके अर्थ का उसके अनर्थ करते हैं। आज किसान को सामाजिक न्याय दिलाने की आवश्यकता है। किसानों को रातोंरात विकास के नाम पर लूट लिया जाता है। उसे अपनी जमीन से वंचित कर दिया जाता है। भूखो मरने के लिये विवश कर दिया जाता है। इसलिए मैं इस संशोधन के माध्यम से इस सदन में 2–4 बिंदु यहां रख रहा हूं जो समूचे देश का नेतृत्व करते हैं और लोग किसानों की बातें करते हैं, लेकिन किसानों के दर्द को समझने की कोशिश नहीं करते है। यह कहा जाता है कि हम जमीन का अमुक योजना के लिये

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 2, दिनांक 4.12.98 में प्रकाशित।

[श्री भगवान शंकर रावत]

अधिग्रहण कर रहे हैं और वह जीमन अधिगृहित कर ली जाती है। यह भी बताया जाता है कि वह परियोजना अत्यंत आवश्यक है और एक लम्बी– चौड़ी कहानी बता दी जाती है कि इसके लिए यह जमीन अधिगृहित कर ली गई है। देखने में यह आया है कि सरकारी परियोजनाओं के लिये, चाहें वह स्थानीय निकायों के लिये हो, चाहें पंजीकृत कम्पनियों के लिये हो, भूमि का अधिग्रहण तो कर लिया जाता है। किन्तु दस–दस साल तक वह जमीन खाली पड़ी रहती है, अनुपयोगी रहती है, उसका उपयोग नहीं किया जाता है और किसानों से कब्जा भी ले लिया जाता है। उसके बाद एक और अन्न उत्पादन की समस्या पैदा होती है तो दूसरी ओर जमीन का अतिक्रमण शुरू हो जाता है। इसलिये मेरा इस संदर्भ में यह संशोधन है कि जिस जमीन को जिस परियजना के लिये लिया गया हो, उसको पूरा करना चाहिये, उस पर काम प्रारम्भ हो जाना चाहिये। अगर परियोजना बड़ी है और काम पूरा नहीं हो सकता है तो उस जमीन पर कुछ कार्य शुरू हो जाना चाहिये। उसके लिये यह बताना होगा कि यह जमीन जिस परियोजना के लिये ली गई थी, उसके लिये कार्य शुरू कर दिया गया है। यदि दस साल के बाद भी उस पर कार्य शुरू नहीं किया जाता है तो वह जमीन किसानों को वापस मिल जानी चाहिये। साथ ही रजिस्ट्रेशन की राशि वापस न मांगी जाये बल्कि कहा जाये कि जितना मुआवजा दिया गया है, वह मुआवजा वापस कर दो और जमीन वापस ले लो।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जमीन का मुआवजा देने की प्रक्रिया इतनी विचित्र और जटिल है कि जिससे किसान हमेशा लुटता रहता है। भूमि अधिग्रहण का मामला वकील के लिये एक पैराडाइज हो सकता है, किन्हीं चालाक, चतुर या बुद्धिमान लोगों के लिये व्यवसाय हो सकता है लेकिन उस गरीब किसान को कानून से न्याय नहीं मिलता है। कानून में कहा गया है कि अगर भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है तो 90 दिन के अंदर जिलाधिकारी को आपत्ति दे दे कि वह आपत्ति करना चाहता है तब तो मुआवजे की राशि के बारे में जिलाधिकारी न्यायिक प्राधिकरण को उस मुआवजे की राशि का क्वांटम कम होने के कारण उसकी आपत्ति अग्रसारित करता है अन्यथा नहीं करता है। वह गरीब किसान कानून नहीं जानता है और वह लुटता और कटता रहता है। उसके बाद वह पत्थर से मारा जाता है, मुआवजे की पूरी राशि उसे नहीं मिलती है और न्यायिक प्राधिकरण में वह अपनी बात कह नहीं पाता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि 90 दिन के बाद भी यह कोई वैध कारण हो तो किसान को आपत्ति दर्ज करने का अधिकार मिलना चाहिये।

तीसरा सुझाव इस संशोधन के माध्यम से यह है कि किसान के लिये यह बाध्यता कहने के लिये है कि 90 दिन के अंदर अर्जित भमि के बारे में या उस मुआवजे की राशि के बारे में वह आपत्ति दर्ज कर दें, र दे नहीं करता है तो हमेशा के लिये उसे रोक दिया जाता है ।। अगर जिलाधिकारी दस साल तक उस प्रार्थना पत्र को ३ ,फ्तर में रोके रखता है और न्यायिक प्राधिकरण को नही भजा तो जिलाधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। इस सबके बाद वह गरीब किसान चक्कर पर चक्कर काटता रहता है। इसलिये मेरा कहना है कि 90 दिन के अंदर जिलाधिकारी को वह संदर्भ भेजना आवश्यक होना चाहिये। अगर जिलाधिकारी न्यायिक प्राधिकरण को नहीं भेजता है तो उस किसान को यह अधिकार मिलना चाहियें कि वह सीधे न्यायिक प्राधिकरण में जाकर अपनी आपत्ति रख सके, अपना प्रार्थना–पत्र दे सके।

सभापति महोदय, मैं एक–दो बातें और रखना चाहता हूं। एक तो यह कि प्रक्रिया इतनी जटिल कर दी गई है कि इस मुआवजे को देने के लिये तीन नियम बनाये गये हैं। एक कहता है कि हम बाजार मूल्य दे रहे हैं और दूसरा कहता है कि हम सांत्वना राशि दे रहे हैं। तीसरा कहता है कि जिस दिन से नोटिफिकेशन हुआ, उसके बाद से जब अवार्ड बना, उस राशि में 12 प्रतिशत ब्याज की राशि देंगे। बाजार मूल्य पर तो ब्याज मिल जाता है, चाहें वह 10 वर्ष बाद मिले तो उसका ब्याज देंगे, लेकिन सांत्वना राशि जिसे सेल्शियम कहते हैं, उस राशि पर ब्याज नहीं मिलता है। वह किराए की राशि जो नोटिफिकेशन के बाद अवार्ड होने तक की समयावधि की होती है, उस पर भी ब्याज नहीं मिलता है। परिणाम यह होता है कि कहने को सरकार किसान को मुआवजे की राशि का ब्याज दे रही है, पर वास्तविकता यह है कि किसान लुट जाता है। 10–20 साल तक मुकदमें चलते हैं लेकिन उसके बाद भी उसको ब्याज के नाम पर केवल एक अंश का ब्याज मिलता है और बाकी पैसा रह जाता है। बढ़ती हुई महंगाई और गिरते हुए रुपये की क्रयशक्ति के कारण उसका पैसा खीखड़ी बन जाता है। वह लुट जाता है। इसलिए मेरा कहना है कि सब राशियों पर उसको ब्याज मिलनी चाहिए।

एक और बड़ी विचित्र कहानी है कि जमीन का अधिग्रहण किया जाता है किसी स्थानीय निकाय के लिए, किसी सरकारी परियोजना के लिए, चाहें वह राज्य सरकार की हो या केन्द्र सरकार की हो, चाहे किसी लोकल बॉडी के लिए की जाती हो, विकास प्राधिकरणों के लिए की जाती हो, या नगर निगम के लिए की जाती हो या किसी कंपनी के लिए की जाती हो, उस राशि को देने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होती है और होनी भी चाहिए। लेकिन जिलाधिकारी के साथ–साथ वह जो लाभान्वित होने वाला पक्ष है, चाहें वह स्थानीय निकाय हो या दूसरा प्राधिकारी हो, जो उस जमीन का उपयोग कर रहा है, उसके ऊपर मुआवजे की राशि को चुकाने की जिम्मेदारी नहीं होती है।

परिणाम यह होता है कि जब होई कोर्ट से फैसला होता है, न्यायाधिकरण से फैसला होता है तो उस बढ़ी हुई राशि और जो लैण्ड एक्वीजीशन अधिकारी राशि तय करता है, जब उसको चुनौती दी जाती है कि यह राशि कम है और उसके बाद न्यायाधिकरण फैसला करता है या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है और उसमें अगर किसान जीत गया तो जीतने के बाद भी बढ़ी हुई राशि की वसूली नहीं हो पाती। क्योंकि वह प्राधिकारी जो उस जमीन का उपयोग करता है उसकी मुआवजा देने की कोई जिम्मेदारी कानून के अंदर नहीं हैं। कलेक्टर साहब कहते हैं कि मुझे जितना पैसा मिला, उतना मैंने लैण्ड ऐक्वीजीशन ऑफिस में जमा करा दिया। नतीजा यह है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की डिग्रियां लिये हुए, चोंदूए का पट्टा जिसे हम देहात में बोलते हैं, जिस आदेश का कोई महत्व नहीं है, कागज का वह टुकड़ा शौ पीस बना रहता है और किसान दर–दर की ठोकरें खाता है। वह कभी नेताओं के चक्कर लगाता है और कभी अधिकारियों के चक्कर लगाता है और वह अधिकारी अगर भ्रष्ट हुआ तो उसकी मजबूरियों का भ्रष्टाचार के दरवाजे से फायदा उठाते हैं, उसको परेशान करते हैं। अगर कोई बहुत होशियार व्यक्ति हुआ, किस्मत का धनी हुआ और वह अटक ही गया कि मर जाऊंगा लेकिन मुआवजा नहीं छोडूंगा तो पहले कलेक्टर साहब की कुर्की लेने के लिए वह सोचता है कि कलेक्टर साहब मुझसे नाराज न हो जाएं, इसलिए वह अधिकारी नहीं जाता है। कलेक्टर को इतनी शक्तियां राज्य सरकार ने दी हैं कि कलेक्टर से बिगाड़कर कोई अधिकारी काम नहीं कर सकता, लेकिन अगर कुर्की भी कर दी तो पी॰ एल॰ ए॰ का आपको पता होगा। बेसिक शिक्षा के विद्यालयों के जो अध्यापक हैं, उनका वेतन उसमें जमा रहता है, उसकी कुर्की हो जाती है। या किसी विकास कार्य के लिए जमा धनाराशि की कुर्की हो जाती है। उसका परिणाम होता है कि विकास कार्य जिनके लिए धन जमा हुआ है, वह कुर्क हो जाता है और वह विकास कार्य रुक जाता है। कभी–कभी कर्मचारियों के वेतन का पैसा भी इस तरह से चला जाता है। इससे एक नयी समस्या खड़ी होती है और जब जिलाधिकारी राज्य सरकार से कहता है कि पैसा दीजिए तो वह पैसा नहीं मिलता है। पैसा क्यों नहीं मिलता? क्योंकि राज्य सरकार या जो भी सरकार है जिसके आदेश पर ऐक्वीजीशन हुआ, वह कहते हैं कि हमारा निजी हित नहीं है। इसलिए मेरा कहना है कि जो बेनिफिशियरी है जिसके लिए लैण्ड ऐक्वीजीशन हो रहा है, उसकी भी जिम्मेदारी सांझे रूप में डाली जाए कि जब मुआवजे की राशि बढ़ गई तो उसकी राशि की देयता की जिम्मेदारी उसकी होगी। यह नैसर्गिक और प्राकृतिक न्याय की बात है।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि एक और बड़ा विचित्र फैसला दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, लेकिन यह जनता की सर्वोच्च अदालत है, संविधान इसका प्रावधान है। वह कहते हैं कि नैसर्गिक न्याय हर जगह सुप्रीम कोर्ट देता है। कहता है कि देरी हो जाए तो सेक्शन 5 में जनरल क्लाजिज एक्ट कंडोनेशन ऑफ डिले का प्रावधान है, लेकिन वह नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत इन गरीब किसानों पर लागू नहीं होता। यह सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर कहीं डिले होता है किसी काम में, तो कंडोनेशन ऑफ डिले को जो प्रोविजन है, जो नैसर्गिक काननू अधिकांश मामलों में भारत के अंदर लागू होता है, उस प्रावधान का लाभ यहां भी किसान को मिलना चाहिए। एक और बड़ा विचित्र प्रावधान बन गया है न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से कि अगर न्यायिक प्राधिकारी न जिला जज की हैसियत का होता है, अगर उसने किसी किसान की अधिग्रहीत जमीन के मुआवजे का मूल्य बढ़ा दिया तो उसका फायदा तो किसान को मिल सकता है लेकिन हाई कोर्ट के अंदर अगर कोई फैसला हो गया और वहां पर ज्यादा राशि बढ़ा दी गई तो होई कोर्ट के फैसले जो सारे मामलों में जंजीर बनते हैं, अगर किसी व्यक्ति ने सरेआम चौराहे पर हत्या भी की है और ऐसे किसी मामले में उसको छोड़ दिया गया तो वह उस तकरीर के आधार पर साम्य होने के कारण छूट जाता है, लेकिन किसान के पक्ष में आदेश हो तो उसको उसका फायदा नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वैसे ही ममालों में जो फैसले होते हैं, उसका लाभ किसानों को नहीं होता है। उसको कहा जाता है कि अलग से वकील करो और उच्चतम न्यायालय के चक्कर काटो और मुकदमा लड़ो। मेरा निवेदन है कि वह व्यवस्था भी इसमें की जानी चाहिए।

महोदय, 1894 का जो यह कानून है यह सामन्ती प्रवृति का प्रतीक है और इसलिए मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि गुलामी की इस कालिमा को समाप्त करिये जब हम किसानों के हित की बात करते हैं तो हमें एक ब्रॉड आउटलुक और खुले मन से किसान के हित के बारे में सोचना होगा। शहरों के इर्द–गिर्द की जमीनें जो ऐग्रीकल्चर लैण्ड्ज हैं, वह किसी न किसी आधार पर अधिग्रहण के कारण, चाहें वह अर्बन लैण्ड सीलिंग एक्ट के माध्यम से हुई हों या वह लैण्ड ऐक्वीजीशन ऐक्ट के माध्यम से हुई हों, लेकिन उन कानूनों के कारण उन जमीनों पर पैदावार बंद कर दी गई। किसान देखता है कि वह खेत न जोत सकता है, न बो सकता है। भूखों मरने को वह विवश होता है और उसके बाद अगर ऐक्वीजीशन का कुल्हाड़ा उसके ऊपर चल गया तो उसके बच्चों के लिए कानून में प्रावधान है कि अगर किसी की जमीन अधिग्रहीत हो रही है तो उसके परिवारजनों को नौकरी देंगे उत्तर प्रदेश आवास–विकास परिषद के अध्यक्ष से मेरी बात हुई।

[श्री भगवान शंकर रावत]

उन्होंने कहा कि कानून की किताब में तो लिखा है लेकिन हमारे पास इतनी नौकरियां नहीं हैं। उनके परिवारजनों तथा आश्रितों को वह एक भी नौकरी नहीं दे सकते। चाहे वह उत्तर प्रदेश आवास–विकास परिषद हो या दिल्ली विकास प्राधिकरण हो, किसानों के परिवारजन बेरोजगार ही घूमते हैं जबकि कानून में उनको नौकरी देने का प्रावधान है, लेकिन उसको अनिवार्य रूप से ऐनफोर्स नहीं किया जाता है। उनका मजाक उड़ाया जाता है और कहा जाता है कि अब तुम्हारे लिए नौकरी कहां से लाएं। यह गरीब लोगों के मुंह से निवाला तो छीन सकते हैं लेकिन उनको पीने को पानी नहीं दे सकते हैं। इसलिए इस कानून के आमूल–चूल परिवर्तन की आवश्यकता है और इसलिए मैंने प्रयास किया है कि सदन के माननीय सदस्यों के माध्यम से और आपके माध्यम से इसके बारे में गंभीरता से विचार किया जाए और राजनीति से ऊपर उठकर विचार किया जाए और समूचे देश में भूमि अधिग्रहण की जो व्यवस्था है, उसके लिए बने हुए जो विभिन्न कानून हैं, उनके अंदर एकरूपता लाई जाए और इस प्रकार के प्रावधान किये जाएं जो ऐण्टी पीपल न हो। इस संशोधन विधेयक के माध्यम से मैंने यह प्रयास किया है ओर मेरा विश्वास है कि सदन में मेरे सभी सहयोगी साथी इस मानवीय, आर्थिक और सामाजिक समस्या को समवेत करके इसके बारे में एक निर्णय लेंगे और इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करेंगे। मैं सरकार से भी कहना चाहूंगा कि सरकार भी इसमें प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाये और सरकार सोचे कि परिवर्तन की जो आंधी इस देश में चली है, वह आंधी रुकेगी नहीं। इसलिए सोच में परिवर्तन लाइये और ऐसे काले कानूनों को जो जनता के हितों के विरोधी और शोषक हैं, इनको बदलने में आप अग्रदूत बनिये, वाहक बनिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत–बहुत धन्यवाद।

डा. शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : सभापति महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जी अभी नहीं आये उनको आधा घंटा हो गया है।

ڈاکٹر شفیق الرحمن برق (مرآداباد): اسپیکر صاحب، پارلیمانی امور کے منتری جی ابھی نہیں آئے، اُن کو آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے۔

डा. शकील अहमद (मधुबनी) : आधा घंटा हो गया है, मंत्री जी नहीं हैं। पहले एजूकेशन मिनिस्टर चले गये अब पार्लियामेन्ट्री अफेयर्स मिनिस्टर चले गये हैं।

सभापति महोदय : माननीय संसदीय कार्य मंत्री को बुलाने के लिए गये हैं।

अब रेल से संबंधित हाल की दुर्घटना के संबंध में माननीय रेल मंत्री का वक्तव्य होगा।

अपराह्न 4.36 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

मध्य रेलवे के भुसावल मंडल के मनमाड-जलगांव सेकशन में कुर्ला-हावड़ा का पटरी से उत्तर जाना।

[हिन्दी]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : जैसा कि माननीय श्री नीतीश कुमार, रेल मंत्री द्वारा कल सूचित किया गया था, मैंने सदस्य इंजीनियरी और सदस्य बिजली, रेलवे बोर्ड के साथ जलगांव के निकट दुर्घटना स्थल का दौरा किया। हम जलगांव के सिविल हॉस्पिटल में भी गये।

उपर्युक्त दुर्घटना के परिणामस्वरूप, 9 व्यक्तियों (3 रेल कर्मचारियों सहित) की जानें गईं, 11 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए तथा 23 यात्रियों को मामूली चोटे आईं। घायल व्यक्तियों को सिविल हास्पिटल, जलगांव में भर्ती करा दिया गया है तथा उनका यथासंभव बेहतर इलाज करने पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। बहरहाल, कुछ घायल यात्रियों को उनके अनुरोध पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।

इस दुर्घटना में मरने वाले यात्रियों के लिए 25000/– रुपये, गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों के लिए 5000/– रुपये तथा मामूली रूप से घायल व्यक्तियों के लिए 500/–रुपये अनुग्रह राशि की घोषणा की गई थी। दावा फार्मों को भरने में घायल यात्रियों की सहायता करने के लिए रेल अधिकारियों को निर्देश भी दे दिये गये हैं, ताकि वे रेल दावा अधिकरण से शीघ्र मुआवजा प्राप्त कर सकें। इस दुर्घटना में जिला प्रशासन अर्थात पुलिस कर्मियों और सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टरों के अलावा, कुछ स्वयं सेवी संगठनों ने भी घायल व्यक्तियों को तुरंत सहायता पहुंचाई।

डाउन लाइन पर आज सुबह 8.35 बजे यातायात बहाल कर दिया गया है। रेल संरक्षा आयुक्त, मध्य सर्कल ने पहले ही जांच शुरू कर दी है तथा उन्हें इसे शीघ्र पूरा करने के लिए कहा गया है। जैसी कि कल सूचना दी गई थी, पहली नजर में दुर्घटना के कारण रेल पटरी में वेल्डिंग की खराबी का होना प्रतीत होता है। रेल संरक्षा आयुक्त से दुर्घटना के कारणों के संबंध में जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध तथा ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की जायेगी।

रेलवे की तरफ से, और स्वयं मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के प्रति हार्दिक सहानुभूति व्यक्ति करता हूं। मुझे विश्वास है, यह सदन भी दुखी परिवारों के प्रति हृदय से अपनी संवेदना प्रकट करने में मेरे साथ है।

अपराह्न 4.39 बजे

भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक–जारी
(धारा 16 आदि के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : श्री रावत जी के विधेयक पर जो बहस चल रही है, उस पर श्री मोहन सिंह जी बोलिये।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, मैं पहले माननीय भगवान शंकर रावत जी को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने लोक कल्याणकारी एक अच्छे विधेयक को इस सदन के सामने रखा है। मेरा विश्वास है कि जो सरकार आज पदारूढ़ है, किसानों के भविष्य और उनके हित को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक की मंशा को समझाते हुए जैसे इस सदन में सरकार ने अर्बन सीलिंग एक्ट को खत्म करने का विधेयक रखा है, उससे भी खराब कानून इस देश में 1894 का भूमि अधिग्रहण अधिनियम कानून हैं। यह अंग्रेजी राज की जोर–जबरदस्ती और भारत की गरीब जनता की लूट का एक बड़ा अवशेष है, इस अवशेष के बारे में सरकार को विचार करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 1993 में एक सरकार बनी थी और उसने इस कानून को अपने राज्य में स्थगित कर दिया था और यह कहा था कि किसानों की भूमि को किसी सार्वजनिक उद्देश्य से जो अधिगृहीत करने का सरकार का अधिकार है, इस अधिकार को हम अपने राज में स्थगित करते हैं। जब सरकार को सार्वजनिक उपयोग के लिए किसी भूमि की आवश्यकता है तो जो मार्किट रेट है या जिस रेट पर किसान अपनी भूमि बेचने के लिए तैयार हो जाये, सरकार उसको खरीद सकती है। इस परिपाटी की शुरूआत 1993 की उत्तर प्रदेश की सरकार ने की थी। बहुत अच्छा होता क्योंकि जिस मकसद से हम आम तौर पर देखते हैं, उलाहना होता है, बहाना होता है, किसी सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए आसान किश्तों पर जिसको जिलाधिकारी चाहते हैं, दे देते हैं। कानून में तो लिखा है, उसको परिवर्तित भी कर दिया गया है कि मार्केट रेट है, उसके आधार पर जमीन का अधिग्रहण किया जाये लेकिन मार्केट रेट का भी निर्धारण स्थानीय जिलाधिकारी करता है। जिलाधिकारी की जैसी रुचि होती है, जैसी भावना होती है और जितनी भूमि की उसको आवश्यकता होती है, सरकार की मंशा के अनुसार उस इलाके की भूमि के मुआवजे का निर्धारण या उस भूमि की किस्म का निर्धारण या किस्म के आधार पर उसकी कीमत का निर्धारण उस इलाके का जिला मजिस्ट्रेट करता है। जिसका नतीजा यह होता है कि जो कमजोर किस्म के किसान होते हैं, वह उनके एरिया की जमीन का बहुत औने–पौने दाम निर्धारित कर देता है। जो प्रभावशाली किसान होते हैं, जिनकी किसी खास उद्देश्य के लिए बड़े अधिकारियों, बड़े नेताओं के पास पहुंची होती है तो वे उनसे अपनी भूमि का स्वामित्व अधिगृहीत करना चाहते हैं। किसी लिटीगेशन वगैरह में है तो उस एरिया की कीमत वह मनमानी निर्धारित करता है और एक अच्छी खासी रकम पा लेता है। इस तरह का दोहरा व्यवहार हम आम तौर पर देखते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि लखनऊ विकास प्राधिकरण अपनी कुछ आवासीय योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए कुछ इलाके का अधिग्रहण करना चाहती थी। इसकी जानकारी सभी अधिकारियों को हो गई जो इस व्यवस्था के हामी या इस चीज को जानते थे। उन्होंने कुछ इलाके में औने–पौने दामों में किसानों की जमीन खरीद ली। कुछ दिनों के बाद अपनी उस जमीन का लखनऊ विकास प्राधिकरण को मनमानी कीमत पर जैसी कीमत वह चाहते थे, उसे बेच दी। उन्होंने वह जमीन 10 हजार रुपए, 12 हजार रुपए या 20 हजार रुपए बीघा में खरीदी थी और एक साल बाद वही जमीन डेढ़ लाख रुपए बीघा के हिसाब से लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिगृहित करवा दी। इस तरह जो भूमाफिया हैं या जिनको हम मोटे तौर पर ऐसा कह सकते हैं कि भूमि के खरीद–फरोख्त के व्यवसाय के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं, इस धंधे में प्रवीण है और अपनी जमीन के मनमाना दाम निर्धारित करवाकर एक अच्छी खासी रकम लेने में सफल हो जाते हैं।

दूसरी व्यवस्था यह है कि कहीं किसी स्थान पर सरकार को कचहरी का निर्माण करना था। किसान की जमीन का अधिग्रहण किया लेकिन उसके बाद सरकार ने विचार त्याग दिया या उसका 10 एकड़ में ही काम चल गया। यदि उसने 20 एकड़ जमीन ली है तो बाकी की 10 एकड़ उसने किसी अन्य काम से दूसरे व्यक्ति या दूसरी संस्था को दे दी। दूसरी संस्था ने उस जमीन का अधिग्रहण करके उसको दुगुने या तिगुने दाम पर सरकार को ही बेचने का काम कर दिया। जिस व्यक्ति से मूल रूप से जमीन अधिगृहित की गई, उसको वह बहुत ही मिट्टी के मोल में पड़ी। यह बड़ी विचित्र किस्म की विडम्बना है। इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि रावत जी का जो विचार है, किसान और भूस्वामी को लाभ पहुंचाने के लिए उनकी जो मंशा है, वह बहुत उचित है लेकिन इसमे केवल संशोधन की बात कही गई है । मैं इस पूरे के पूरे कानून को जैसे हदबंदी कानून को समाप्त करने का विचार यह सरकार रखती है, इस भूमि अर्जन कानून को भी समाप्त किया जाना चाहिए, यह मांग मैं करना चाहता हूं। मैं यह आग्रह करता हूं कि इस कानून को समाप्त करने के लिए सरकार को गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए। इस विधेयक से आगे जाकर मेरी कुछ बातें हैं इसलिए मूल रूप से विधेयक का ही समर्थन करने की इस कानून में थोड़ा फेर–बदल करने से किसान का लाभ नहीं होने

[श्री मोहन सिंह]

वाला है। गरीब किसानों का कोई लाभ नहीं होने वाला है। यदि आपने उनको लाभ पहुंचाना है तो पूरे कानून को खत्म कर देना चाहिए और सरकार के पास केवल इतना अधिकार रहना चाहिए कि जिस कीमत पर वहां किसान जमीन बेचना चाहें, यदि किसी सार्वजनिक काम के लिए सरकार को जमीन की जरूरत है तो किसान अपनी मर्जी से जिस कीमत पर बेचना चाहें, सरकार खरीद ले। यही व्यवस्था होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ इस विधेयक द्वारा प्रस्तुत भावना का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं।

श्री के. डी. सुल्तानपुरी (शिमला) : सभापति महोदय, श्री भगवान शंकर रावत ने यह जो प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव बहुत अच्छा है क्योंकि यदि देखा जाए तो सारे देश में किसानों का बहुत शोषण होता है। बड़े–बड़े पूंजीपति, जो इंडस्ट्री वाले हैं, वे किसानों की जमीन सस्ते भाव पर खरीदकर महंगे भाव पर देते हैं। वे स्टैम्प ड्यूटी कम लगाते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। वे सरकार से लोन लेते हैं, लोन में ज्यादा दिखाते हैं, जमीन का भाव–बढ़ाकर बताते हैं लेकिन किसानों को कम पैसा देते हैं। उद्योगपतियों ने रियासतों में, हर राज्य में इस तरह से किया है।

यहां डी.डी.ए. है लेकिन हमारे वहां हाउसिंग बोर्ड है। राज्य सरकार जो मकान बनाती है, हाउसिंग बोर्ड वाले एक–एक मकान 4–5 लाख रुपये में बेचते हैं इस तरह से किसानों को उनकी जमीन की सही कीमत नहीं मिलती और वह गरीबी की रेखा से भी नीचे चले जाते हैं। बड़े किसान, बड़े जमीदार गरीब लोगों की जमीन खरीदकर उसे महंगे भाव पर बेचते हैं। इससे भी वे परेशान होते हैं। जैसे यहां कहा गया, इस एक्ट को सौ साल होने जा रहे हैं लेकिन हर रियासत का बंदोबस्त अलग–अलग है। रियासत में हदबंदी नहीं होती कि कौन सी जमीन किसकी है। इससे शैडयूल्ड कास्ट्स के लोगों का सबसे ज्यादा शोषण हुआ है। वे शरीफ थे इसलिए जमीदार नहीं बन सके। उनको डंडे से मारकर मातहत कर दिया गया। इसी तरह से माईनोरिटीज के लोगों को भी दुख झेलना पड़ा है। वे पढ़े–लिखे नहीं थे इसलिए आज तक उनका शोषण होता रहा। अंग्रेजों ने इस तरह के कानून बनाए जिससे अपने लिए शहरों में बड़े–बडे मकान बना लिए।

मोहन सिंह जी ने ठीक कहा है। यदि आप देखें, सारे देश में जो बड़े–बडे उद्योगपति हैं, उन्होंने इंडस्ट्री के लिए लोन लेकर इंडस्ट्री स्थापित की लेकिन आज वह बंद पड़ी है। इससे हजारों मजदूर बेकार हो गए हैं। ग्रांट का पैसा लिया, सबसिडी हासिल की लेकिन इंडस्ट्री वैसे ही बेकार पड़ी है। यदि सारे राज्यों के मुख्य मंत्री, उद्योग मंत्री कौन्फ्रैंस करके इसे देखें तो उनके करोड़ों रुपये भारत सरकार की तरफ निकलेंगे। उन्होंने जो फायदा उठाना था, उठा लिया। हाउसिंग बोर्ड की ओर से इंडस्ट्री के लिए प्लाट दिए जाते हैं। उसका अधिग्रहण करने के लिए सरकार को कहते हैं कि इसे नोटिस दो। इस तरह से उनको कुछ कम्पैंसेशन नहीं मिलता। आप देखें कि मुआवजे की राशि क्या होनी चाहिए। आज जो नेशनल हाईवे बने हैं और स्टेट हाईवे बने है, उसमें किसानों की जमीनें गई हैं, चाहें किसी भी रियासत में हों, किसी भी स्टेट में हों। मैं यह कहना चाहता हूं कि किसानों को कभी भी पैसा उसके हिसाब से नहीं मिला। जिनको जमीन की जरूरत नहीं है, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, वे हर जगह अपने मकान बना लेते हैं, कनाट प्लेस में बना लेते हैं और गरीब आदमी, जिन्होंने ये जमीनें दीं, उनको कोई नहीं पूछता है। उनके पास जमीनें नहीं हैं, वे बेचारे भटकते फिरते हैं कि हमारा अपना मकान होना चाहिए, लेकिन उनके पास मकान नहीं हैं। उनके पास न दुकान है, न मकान है, वे भारत माता की जय बोलते रहते हैं।

सारे राष्ट्र के अन्दर इस तरह का माहौल बन गया है कि यह जो सरकार है, यह ऐसे आदमियों की मदद करती है, जो बड़े–बडे पूंजीपति हैं। वहीं इंडस्ट्रीज लगाते हैं, वहीं उनकी जमीनों को हथियाते हैं, वहीं मजदूरों का शोषण करते हैं, वही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों का शोषण करते हैं। अगर आप सही मायनों मे सारे देश के अंदर इस तरह का कोई वातावरण तैयार करना चाहते हैं तो मैं यह कहना चाहूंगा कि आपको चाहिए कि आप कम से कम राज्य सरकारों से तो पूछिये कि तुम्हारे इलाके में भारत सरकार के बैंको ने कितना लोन दिया, किस–किस आदमी को दिया। वही आदमी आपको दिल्ली में मिलेगा, वही उत्तर प्रदेश में मिलेगा, वही मध्यप्रदेश में मिलेगा, वही आदमी हिमाचल में मिलेगा, बस उनके नाम बदल जाएंगे। एक इंडस्ट्री का नाम बदलकर दूसरी इंडस्ट्री का नाम वे दे देंगे और किसान का हमेशा शोषण होता जायेगा। अगर आप चाहते हैं कि किसानों का भला करना है तो हमारे ऊपर रहम करो, हमारे ऊपर दया करो और जो पिछड़े वर्ग हैं, गरीब लोग हैं, शैड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं, उनका भी इस राष्ट्र में हिस्सा है। उनको मजबूत करने के लिए जो उनके ऊपर मार–पीट करते हैं और उनका शोषण होता है, उनको बचाने के लिए आपका कोई काम साझा प्रोग्राम में हो तो वह जरा लोगों को बताइये। अगर यहां साझा प्रोग्राम होना है कि प्याज हमसे तो पांच रुपये किलो खरीदेंगे और यहां 60 रुपये किलो बेचेंगे तो हमारा शोषण तो होगा ही, क्योंकि हम प्याज और आलू तो खा नहीं सकेंगे। हम उनको पैदा जरूर कर सकते हैं, लेकिन खुराना जी, हम उनको खा नहीं सकते।

मैं आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि जहां तक इस देश के

किसानों का ताल्लुक है, चाहे वे पैदावार करते हैं, चाहे अनाज सारे मुल्क को देते हैं। बरनाला जी बैठे हुए हैं, आपने भाव तो 95 रुपये बढ़ा दिया, दूसरी चीजों के भाव भी बढ़ा दिये, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिन किसानों की आज जमीनें गई हैं और उस जगह चंडीगढ़ और बड़े शहर बने हैं, शिमला आज बिल्कुल ऐसा बन गया है, चाहें आप दिल्ली आयें, चाहें शिमला जायें, कोई भी शहर आप देखें, सारे किसानो की जमीनें सस्ते भाव से खरीदकर प्रापर्टी डीलरों ने बेच दी हैं। उनको खुली छुट्टी है, उन्होंने अपने फट्टे लगाये हुए हैं और प्रापर्टी डीलर इन्कम टैक्स से भी वैसे ही बच जाते हैं, क्योंकि वे इधर का पैसा उधर करते हैं, वे सब कुछ कर सकते हैं। यहां वित्त मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहूंगा कि आप थोडा सा इसको भी देखिये कि आज हमारा जो ज्यादातर धन है, वह ऐसी इंडस्ट्रीज में लगा हुआ है, जो बिल्कुल बन्द पड़ी हैं और किसानों की जमीनें उन्होंने मुफ्त के भाव खरीदी हुई हैं। गवर्नमेंट ने उनको पैसा दिया है, उनको पांच साल हो गये, दस साल हो गये और फिर भी इंडस्ट्रीज बन्द पड़ी हैं।

मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस तरह तवज्जो दें। मैं समझता हूं कि रावत साहब अच्छा प्रस्ताव लेकर आए हैं और मैं इसकी ताईद करता हूं। मैं आशा करता हूं कि वे इसे वापस नहीं लेंगे, क्योंकि आप सरकारी पार्टी के सदस्य हैं, अगर वापस लेंगे तो किसानों का शोषण होगा। इसलिए हम इनका समर्थन करते हैं। मेरा रावत साहब से अनुरोध है कि आपके नाम के साथ भगवान शंकर लगा है, आप शंकर जी की तरह मजबूत रहें, पीछे न हट जाएं और 18 दलों की जो यह सरकार है इससे इसको पास कराएं। हम भी इसमें आपको सहयोग देंगे।

अपराह्न 4.56 बजे

मशहूर लेखक श्री अली मियां के पैतृक घर पर छापा

[हिन्दी]

सभापति महोदय : हिन्दुस्तान के मशहूर लेखक अली मियां के घर से सम्बन्धित मामले पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : सभापति जी, पिछले दो–तीन दिनों से संसद में यह मामला चल रहा है कि अल्पसंख्यकों के साथ बहुत अत्याचार हो रहे हैं। बार–बार एक उदाहरण भी दिया जाता है कि अली मियां के घर छापा पड़ा है। इससे एक गलत मैसेज गया। इसलिए मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से बातचीत की। उन्होंने आडवाणी जी को एक चिट्ठी भेजी है, उसकी कापी मुझे भेजी है। मैं सदन के सामने उस चिट्ठी का मजमून पढ़ना चाहता हूं।

"समाचार पत्रों में एक घटना प्रकाशित हुई है जिसमें यह बताया गया है कि जनपद रायबरेली ग्राम तकियाकलां में मदरसा स्थित मौलाना हसन अली नदवी उर्फ अली मियां के पैतृक निवास स्थान पर दिनांक 2.11.1998 की रात्रि में कतिपय व्यक्तियों द्वारा प्रवेश किया एवम् तलाशी ली गई। प्रसंगगत घटना के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा शासन को यह अवगत कराया गया है, कि उनके ध्यान में किसी भी जांच एजेंसी द्वारा कोई तलाशी नहीं ली गई है। इस मामले की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल यह निर्णय लिया गया कि सम्पूर्ण घटना की उच्चस्तरीय जांच करा ली जाए, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि किन व्यक्तियों द्वारा और किस उद्देश्य से मौलाना अली मियां के पैतृक आवास पर उनके द्वारा प्रवेश किया गया। तदनुसार 25.11.1998 को एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान, श्री ए. के. सरन हैं, एवम् अपर पुलिस महानिदेशक, कानून और व्यवस्था, श्री अजय राज शर्मा और अपर पुलिस महानिदेशक, श्री हिमांशु कुमार सदस्य हैं। समिति तत्काल जांच कर शासन को दस दिन के अदर अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराएगी। सम्प्रति समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया जा चुका है और मौलाना हसन नक्वी से सम्पर्क करके उनका साक्ष्य भी लिया जा चुका है। इस समिति को अंतिम रूप में 8.12.1998 तक आख्य उपलब्ध कराने हेतु पुनर्निर्देशित किया गया है।

हमारी सरकार प्रत्येक वर्ग के महानुभावों को पूर्ण सुरक्षा और प्रतिष्ठा देने के लिए कटिबद्ध है। अतः तत्काल समिति गठन का निर्णय लेकर यह कार्यवाही सुनिश्चित की गई है।

ह.

आपका कल्याण सिंह

मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार।"

सभापति जी, मैंने पत्र इसलिए पढ़ा है ताकि सदन को और देश को मालूम हो सके। ...*(व्यवधान)* यह चर्चा की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने छापा मारा है दूसरा पक्ष जो उत्तर प्रदेश सरकार का है, वह भी सदन में आ जाए इसलिए मैंने यह कहा है...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : कल मैंने इसे उठाया था और एलीगेशन भी लगाया था। जांच कमेटी की रिपोर्ट जांच होने के बाद आएगी। 1994 में भी इसी तरीके से हुआ था। उस समय भी जांच की गई थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट यहां पेश नहीं की गई। इसलिए क्या हुआ, यह हमें पता नहीं चलता। क्या

आप 1994 वाली कमेटी की रिपोर्ट और इस जांच समिति की रिपोर्ट सदन के सभा पटल पर रखेंगे और इस रिपोर्ट के आ जाने पर मंत्री महोदय वक्तव्य देंगे, इसका हम आपसे आश्वासन चाहते हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

श्री मदन लाल खुराना : जो रिपोर्ट है, वही आपके सामने रखूंगा। ....*(व्यवधान)*

डा. शकील अहमद (मधुबनी) : तीस दिन बरेली से लखनऊ आप खुद समझिए। ....*(व्यवधान)* दो तारीख को घटना हुई है....*(व्यवधान)* यह बहुत शर्म की बात है। ....*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : मैं मुख्य मंत्री जी से बात करके बताऊंगा।....*(व्यवधान)* मैं मुख्य मंत्री जी से बात करूंगा। ....*(व्यवधान)* जैसे मैंने अभी बात की है, उसी तरह से रिपोर्ट आने के बाद भी मैं उनसे आग्रह करूंगा कि संसद के सदस्यों की भावना है कि वह रिपोर्ट क्या है, उसके बारे में भी हमको बताया जाए।....*(व्यवधान)*

डा. शकील अहमद (मधुबनी) : 23 दिन बरेली से लखनऊ आने में, आप खुद समझिए। क्या तीस दिन समिति गठित करने में लगते हैं?....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : श्री अली मियां अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति के घर पर छापा मारा गया। इस देश में ऐसा कैसे हुआ?

[हिन्दी]

सभापति महोदय : समिति बैठ रही है। रिपोर्ट आएगी।

(व्यवधान)

डा. शकील अहमद : यह सरकार का निकम्मापन है या नहीं? उनको समिति गठित करने में 23 दिन लगे हैं।...*(व्यवधान)* बरेली में घटना हुई है और लखनऊ में बैठकर तेईस दिन के बाद समिति गठित कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* आपने खुद स्वीकार किया कि इससे ज्यादा बड़े निकम्मेपन का और कोई सबूत नहीं हो सकता तथा मैलाफाइड इंटेशन से उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा किया है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से संबधित घटनाओं के बारे में मानव संसाधन विकास मंत्री श्री जोशी जी द्वारा वक्तव्य होगा।

अपराह्न 5.20 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से संबंधित घटनाएं

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : माननीय सदस्यों को जैसा कि ज्ञात होगा कि पिछले कुछ समय से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के परिसर में असन्तोष की स्थिति है। विश्वविद्यालय के अधीन मैडिकल कालेज के जूनियर डॉक्टरों द्वारा कुछ समय से केन्द्र सरकार द्वारा कालेज व विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए स्वीकृत किये गये संशोधित वेतनमानों के तुरंत क्रियान्वयन की मांग की जा रही थी। चूंकि इस मामले पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ध्यान दे रहा था अतः कुलपति द्वारा उस समय उनके स्तर पर कोई कार्रवाई की जानी संभव नहीं थी। दुर्भाग्यवश, लगभग उन्हीं दिनों मेडिकल कालेज के एक जूनियर डॉक्टर को एक महिला रोगी के साथ छेड़खानी के आरोप के कारण निलंबित करना पड़ा। तत्पश्चात् जूनियर डॉक्टरों ने संशोधित वेतनमानों के क्रियान्वयन तथा उस जूनियर डॉक्टर की बहाली के लिये हड़ताल कर दी थी। यह घटना 28 सितम्बर, 1998 की है।

[अनुवाद]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : महोदय, यह सही नहीं है।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : मेरे पास जो जानकारी है, मैं वही तो सदन के सामने रखूंगा।

हड़ताल 5 अक्तूबर, 1998 को इस आश्वासन के बाद वापिस ले ली गई कि उनकी शिकायतों पर विचार किया जाएगा लेकिन उन्होंने 14 अक्तूबर, 1998 से पुनः हड़ताल शुरु कर दी। उनके आन्दोलन को ध्यान में रखकर मैडिसिन फैकल्टी अनिश्चितकाल के लिये बंद कर दी गई। हड़ताली डॉक्टरों द्वारा इसके बाद हादी हसन हॉल के अध्यक्ष के आवास पर धरना आरंभ कर दिया गया।

4 नवम्बर, 1998 को जूनियर डॉक्टरों की मैस में दो समूहों के बीच अप्रिय झड़पें हुई जिसमें 13 जूनियर डॉक्टर घायल हो गए। जूनियर डॉक्टरों का आरोप था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष के इशारे पर शरारती तत्वों के एक समूह द्वारा उन पर हमला किया गया। इस घटना के बाद जूनियर डॉक्टर क्रुद्ध हो गये तथा रेक्टर की कार को क्षतिग्रस्त

कर दिया और सम–कुलपति के आवास का घेराव किया और उसे आग भी लगा दी। पुलिस की सहायता से स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया। विश्वविद्यालय को तब से अनिश्चितकाल के लिये बंद कर दिया गया।

सरकार सदन के सदस्यों द्वारा इन विचारों से सहमत है कि तेजी से सामान्य स्थिति बहाल की जानी चाहिए तथा तदनुसार, कुलपति को सलाह दी गई है कि वह विश्वविद्यालय को पुनः खोलने के समुचित तथा अत्यावश्यक कदम तुरंत उठाए। कुलपति को यह सलाह भी दी गई है कि वे उच्च–न्यायालय के एक सेवानिवृत न्यायाधीश की सहायता लेकर इस पूरे घृणित प्रकरण की जांच करवाएं। सरकार जिला प्रशासन तथा राज्य सरकार से भी संपर्क बनाए हुए हैं ताकि छात्रों में पुनः विश्वास की भावना पैदा की जा सके और सामान्य स्थिति बहाल करने हेतु जरूरी माहौल सुनिश्चित किया जा सके। मैं इस अवसर पर सभी माननीय सदस्यों से अपील करना चाहूंगा कि वे इस प्रक्रिया में अपना पूरा सहयोग दें।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : सभापति महोदय, मैं केवल एक मिनट लूंगा।....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सरकार के बयान के बाद स्पष्टीकरण पूछने का कोई प्रावधान नहीं है।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : अभी जो अधिकार है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री जी से वक्तव्य के बाद प्रश्न पूछने का नियम में कोई प्रावधान नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : सब एक साथ बोले रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : वहां के वाइस चांसलर को हटाकर निष्पक्ष जांच कराई जाए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सब एक साथ बोलेंगे, तो क्या सुनेंगे।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : महोदय, क्या मैं एक निवेदन करूं? ...*(व्यवधान)* माननीय मंत्री महोदय, ने कुछ तथ्य दिए हैं। उन्होंने केवल कुलपति द्वारा उन्हें दिए गए तथ्यों को ही प्रस्तुत किया है। वर्ष 1996 के चुनावों के बाद मुझे इस सभा द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोर्ट के लिए निर्वाचित किया गया था। उस कोर्ट की कोई एक भी बैठक नहीं हुई थी। वहां न कोई लोकतंत्र था और न ही किसी का उत्तरदायित्व *(व्यवधान)* मंत्री जी ने तथ्य नहीं बताए। सरकार ने कुछ नहीं कहा कि वह विश्वविद्यालय खोलने के लिए, स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं....*(व्यवधान)* सरकार का नैतिक अधिकार तथा वैधानिक जिम्मेवारी है। कुछ भी नहीं किया गया।

महोदय, मैं इस वक्तव्य से बहुत असन्तुष्ट हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : इस पर बहस नहीं होगी।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मंत्री जी के बयान के बाद बहस का नियम में कोई प्रावधान नहीं है।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद अली आशरफ फातमी : सारे डैमोक्रेटिक इन्सटीचूशन को बर्बाद कर दिया।....*(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : महोदय, वाइस चांसलर के आचरण की जांच भी जुडिशियल कमीशन करे...*(व्यवधान)* मैं कहना चाहता हूं कि वाइस चांसलर के आचरण की भी जांच जज साहब करें। इस बात को जोड़ने में सरकार को ऐतराज क्यों है। वाइस चांसलर की भी जांच हो...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर साहू (महासुमन्द) : सभापति महोदय, यह जो संशोधन विधेयक, 1998 प्रस्तुत हुआ है इस पर गंभीरता और संजीदगी से चर्चा होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नियम में कोई प्रावधान नहीं हैं।

[अनुवाद]

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, मैं मंत्री जी द्वारा दिए गए वक्तव्य के संबंध में आपकी कृपा दृष्टि चाहता हूं। वक्तव्य द्वारा सरकार के बहुत ही कठोर और तटस्थ रवैये का पता चलता है। *(व्यवधान)*

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।...*(व्यवधान)*

प्रो. पी. जे. कुरियन : किस नियम के अंतर्गत? *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। जब कभी ऐसी चर्चा चल रही हो और आपने विशेष अनुमति द्वारा मंत्री जी को बुलाया हो।...*(व्यवधान)* उन्होंने वक्तव्य भी दिया।...*(व्यवधान)* वक्तव्य देने के बाद रूल के मुताबिक ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण या चर्चा हो। मैं इस पर आपकी रूलिंग चाहता हूं। इस प्रकार से चर्चा को रोका जाए और जो विधेयक पर चर्चा चल रही है उसको जारी किया जाए।... *(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : उसमें वाइज चांसलर के कंडक्ट को रखा जाएगा या नहीं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. पी. जे. कुरियन : मैं केवल निवेदन कर रहा हूं कि माननीय मंत्री महोदय, द्वारा दिया गया वक्तव्य ....

[हिन्दी]

सभापति महोदय : इस पर नियम में बहस का कोई प्रावधान नहीं है।

[अनुवाद]

प्रो. पी. जे. कुरियन : आप कृपया बैठ जाइए।

श्री मोहन सिंह : मैं क्यों बैठूं? क्या आप सभापति हैं?... *(व्यवधान)*

प्रो. पी. जे. कुरियन : आप इतना समय क्यों ले रहे हैं?

श्री मोहन सिंह : आप बहुत समय ले रहे हैं।

[हिन्दी]

मैं सभापति महोदय से कह रहा हूं। यह मुझे बैठाने वाले कौन होते हैं, हम क्यों बैठें? मैं मंत्री जी से केवल यह बात जानना चाहता हूं कि यह जूडिशियल कमीशन, जूडिशियल इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, क्या उसमें वाइस चांसलर के कंडक्ट की भी जांच कराएंगे। इतनी सी बात के लिए इतना समय नष्ट हुआ है। मंत्री जी एक शब्द में कह सकते हैं कि कराएगें।

[अनुवाद]

श्री राम विलास पासवान : उपकुलपति स्वयं इसमें शामिल हैं और आप उनके आचरण के बारे में इंकार कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : सभापति महोदय, मुझे एक मिनट बोलने का मौका दिया जाए। मामला सिर्फ एक इंसीडेंट का नहीं है, इनके वाइज चांसलर के पूरे टेन्योर का है। जिसकी वजह से आज यह स्थिति बनी है कि वाइज चांसलर का जो दौर है उसके अंदर चार मर्तबा यूनिवर्सिटी बंद हुई, सैंकड़ों लड़के यूनिवर्सिटी से निकाले गए। वह वहां डिक्टेटर की तरह कर रहा है। वह न आपके पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को कुछ समझता है। पार्लियामेंट ने कानून बनाया है कि बड़े मुल्कों में कोर्ट फैसला करेगी लेकिन वहां तीन साल से कोर्ट की मीटिंग नहीं हुई....*(व्यवधान)* मेरा यह कहना है कि सीबीआई की इंक्वायरी हो, यूनिवर्सिटी खोली जाए।

सभापति महोदय : श्री साहू के अलावा किसी का रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : जो दोषी हैं उन पर एक्शन हो। हम लोग वाकआउट करने के लिए मजबूर होंगे। हम मजबूर होकर सदन का बायकाट कर रहे हैं। *(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री पी. एम. सईद (लक्षद्वीप) : *(व्यवधान)* उप कुलपति को सही तरीके से कार्य करने के लिए कहना पड़ेगा।

[हिन्दी]

डा. शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : सभापति जी, ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बर्बाद करना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

ڈاکٹر شفیق الرحمن برق (مرآداباد): چیرمین صاحب، یہ مسلم یونیورسٹی کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔...(مداخلت)

डा. शकील अहमद (मधुबनी) : सभापति जी, यह मुस्लिम यूनिर्सिटी को बर्बाद कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बर्बाद करना चाहते हैं...*(व्यवधान)*

डा. शफीकुर्रहमान बर्क : सभापति जी, हमारी बात पर अमल नहीं किया जा रहा है, इसलिए हम सदन का बहिष्कार करते हैं। वी. सी. के खिलाफ इंक्वायरी करायी जाए।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

ڈاکٹر شفیق الرحمن برق (مرآداباد): چیر مین صاحب، ہماری بات پر عمل نہیں کیا جارہا ہے، اسلئے ہم ہاؤس کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ وی۔ سی۔ کے خلاف انکوائری کرائی جائے۔

अपराह्न 5.16 बजे

इस समय डा. शफीकुर्रहमान बर्क तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गए।

श्री चन्द्रशेखर साहू : सभापति जी, इस सदन में एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हो रही है।

[अनुवाद]

प्रो. पी. जे. कुरियन : मैं पिछले 15 मिनट से कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूं। कृपया मुझे कुछ कहने की अनुमति दें।

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : मैं इसके विरोध में बाहर जा रहा हूं।

अपराह्न् 5.17 बजे

इस समय श्री ई. अहमद सभा भवन से बाहर चले गए।

प्रो. पी. जे. कुरियन : कृपया एक मिनट। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : आप नहीं बोलेंगे। आसन ने इनको पुकारा है, आपको नहीं।

सभापति महोदय : प्रभुनाथ सिंह, हम फैसला करेंगे, आप बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर साहू : सभापति जी, इनकी सारी बातें हो गयी हैं, हमें बोलने दीजिए। आपने हमारा नाम पुकारा है।

[अनुवाद]

प्रो. पी. जे. कुरियन : आपने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वास्तविक मुद्दों को नहीं उठाया है। आपने वास्तविक मुद्दों को छोड़ दिया है और दुर्भाग्यवश आपका वक्तव्य एक–पक्षीय है। इसलिए सभी सदस्य उतेजित हैं। उस विश्वविद्यालय में सामान्य स्थिति बनाए रखना सरकार का कर्तव्य है। लेकिन उस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इसकी बजाए वह उस व्यक्ति को प्रोत्साहित कर रहे हैं। जो कि विश्वविद्यालय में मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्य कर रहा है। ताकि वह वहां समस्याएं उत्पन्न करे। अतः हम इस वक्तव्य से संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए कांग्रेस दल के सदस्य भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रति अपनाए जा रहे तटस्थ रवैये के विरोध में सभा से बाहर जा रहे हैं।

[हिन्दी]

डा. शकील अहमद : आप जान–बूझकर यूनिवर्सिटी को बर्बाद करना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 5.18 बजे

इस समय प्रो. पी. जे. कुरियन और श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गए।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर साहू : सभापति महोदय, आधा घंटा हो गया, इस पर जबर्दस्ती चर्चा हुई है। मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। यह जो भू–अर्जन अधिनियम पर संशोधन की बात चल रही है उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वारकला राधाकृष्णन् (चिरायिंकिल) : माननीय सभापति महोदय, इसके विरोध में मुझे कुछ कहना है। यह वक्तव्य एक–पक्षीय है। मैं भी, सी. पी. आई. (एम.) की ओर से सभा–भवन से बाहर जाने में इनका साथ दे रहा हूं।

अपराह्न 5.19 बजे

इस समय श्री वारकला राधाकृष्णन् सभा भवन से बाहर चले गए।

भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक–जारी

(धारा 16 आदि के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर साहू (महासुमन्द) : सभापति जी, यह जो स्टेंडिंग कमेटी की आठवीं रिपोर्ट है उसमें भी लैंड एक्विजीशन के बारे में स्पष्ट अभिमत है। उसमें रिक्मेंडिटरी नोट्स हैं और 16 बिंदुओं पर स्टेंडिंग कमेटी की जो आठवीं रिपोर्ट दसवीं लोक सभा में प्रस्तुत हुई, उसमें लैंड एक्विजीशन एक्ट में जिक्र है कि क्या–क्या उसमें संशोधन करने चाहिए और क्या–क्या उसमें विसंगतियां हैं, इस पर विस्तार से चर्चा है। यही आधार बना है इस विधेयक का। माननीय भगवान शंकर रावत जी ने अपने सात खंडों में जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदू

[श्री चन्द्रशेखर साहू]

जमीन की वापसी का है। इस हिंदुस्तान में जब जमीन की वापसी होने लगेगी तो जो अन्नदाता कहे जाते हैं, जो किसान हैं, जो हर प्रकार से पीड़ित हैं और जो इस देश के पीड़ितों को पालने वाले हैं उनकी किस्मत जाग जायेगी। आपके दिल में भी दर्द है। इसलिए दो घंटे निर्धारित किए लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि आधा–पौना सदन में व्यर्थ गया। संजीदगी से चर्चा करने वाले जिस विधेयक पर लाखों–करोड़ों लोगों का भविष्य निर्भर है, उस पर वे चर्चा नहीं करना चाहते हैं। इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में जो प्रावधान है, उसमें एक बहुत महत्वूपूर्ण बिन्दु जमीन वापसी का है। भूमि अर्जन कानून 1894 से लागू है। इस कानून के 105 साल पूरे हो रहे हैं। आप किसान को गुलामी के समय से लेकर आज तक गुलाम रखना चाहते हैं। आजादी के 50 साल बाद भी लाखों–करोड़ों की संख्या में किसान जमीन के मुआवजे के लिए भटक रहा है। सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि किसानों की जमीन का बांध, सड़क बनाने के लिए अधिग्रहण हुआ लेकिन उसे आज तक मुआवजा नहीं मिला। मेरे क्षेत्र में कुलार बांध बना थ। उसके कारण लाखों की संख्या में आदिवासी विस्थापित हुए। उन्हें मुआवजा नहीं मिला और ब्याज दर का भुगतान नहीं हुआ। स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में एक प्रावधान स्पष्ट रूप से है जिसे मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। इसके पैराग्राफ 16 में लिखा है कि

[अनुवाद]

> "इसमें यह भी सिफारिश की गई की धारा 28 में "जब उसने भूमि का कब्जा लिया अथवा निर्णय लिया गया जो भी पहले हो" शब्दों को जोड़कर उसमें भी संशोधन किया जाए।"

[हिन्दी]

आज भी सैक्शन 28 के बदलने की बात को लेकर स्टैंडिंग कमेटी एकमत है। उसने इस बारे में सिफारिश भी की है। इससे कोई बाधा आने वाली नहीं है।

भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यह सरकार चल रही है। उसने अपने घोषणा पत्र के पेज 26 के 18वें बिन्दु में कहा है:

> "परिष्कृत भूमि अधिग्रहण कानून निम्नलिखित लक्ष्यों के साथ (क) किसानों को उसके जमीन के लिए बाजार मूल्य पर तुरन्त एवं पूर्ण क्षति पूर्ति (ख) ऐसे किसान जिन्हें औद्योगिक या नगरीकरण योजनाओं के लिए अपनी भूमि देनी पड़ी हो उन्हें इन योजनाओं में शेयर धारक बनाया जाना चाहिए। (ग) अगर कोई सार्वजनिक या निजी संस्था जो एक विशेष योजना के लिए कृषि योग्य भूमि ग्रहण करती हो और एक नियत समय में कार्यान्वित नहीं कर पाता है तो सरकार उसे उसके संवर्द्धकों से वापस ले लेगी।"

यह एक महत्वपूर्ण बात है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और कार्यकर्ता होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि घोषणा पत्र पर अमल करने की दृष्टि से इस विधेयक को कहीं न कहीं तरजीह दी जाए और जमीन वापसी के प्रावधान को पूरी तरह से लागू किया जाए। इससे आर्थिक आजादी का रास्ता खुलेगा और नया अध्याय बनेगा। इससे आजादी के 50 वें साल में हम कह सकते हैं कि 105 साल पुराने कानून में सुधार हुआ। 1984 में इसमें कुछ परिवर्तन हुआ। मुआवजे के विषय में विधेयक के खंड पांच में रावत जी ने स्पष्ट किया है कि अभी तक मुआवजे के बारे में कोई स्पष्टीकरण और कोई स्पष्ट परिभाषा प्रस्तुत नहीं हुई है। उसमें उन्होंने साफ कह दिया है कि स्पष्टीकरण अभिव्यक्ति प्रतिकर, जैसाकि इस धारा और धारा 34 में दिया गया है कि उसके अंतर्गत देय सभी रकम शामिल होंगी। उमसें बाजार दर पर उनके प्रतिकर के साथ ब्याज और उसके साथ संदाय देयतायें शामिल होकर विधेयक में यह प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय, यदि सारे भारत के आंकड़े देखे जायें या राज्यवार आंकड़े दिये जायें तो आज किसान की जो स्थिति है, उसमें कम से कम प्रत्यैक जिले में सैंकड़ों, लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो आज भी मुआवजे से वंचित हैं। जो लोग न केवल सरकारी बल्कि गैर-सरकारी योजनाओं के लिये योजना के निमित्त उजाड़े गये हैं या जिनकी जमीन ली गई है, वे आज भी मुआवजे से वंचित हैं। यदि सब के आंकड़े इस सदन में रखे जायें तो आप लोगों को आश्चर्य होगा।

सभापति महोदय, आज जो वैश्वीकरण का युग चल रहा है, उसमें भी एक उद्देश्य और कारणों के संबंध में स्पष्टीकरण देते हुये कहा गया है। जहां तक सतत् न्यायिक मत रहा है कि अर्जन के वैश्वीकरण परिस्थिति होने के कारण अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत संदाय देय राशि प्रतिकर का अभिन्न भाग है।

सभापति महोदय, लिटीगेशन के मामले में किसान न्यायालय के दरवाजे खटखटाने में आज सक्षम नहीं है। आप उनकी माली हालत अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसी स्थिति में उसे मुआवजा राशि के लिये भटकना पड़ता है जो प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। इसलिये ये जो 7 खंड प्रस्तुत हुये हैं, यद्यपि अशासकीय विधेयक हैं लेकिन पूरे तौर पर एप्रोपरियठ विधेयक हैं और सारे अनुभवों के आधार पर यह बिल तैयार किया गया है। श्री रावत जी इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं और उनके द्वारा पूरे अनुभवों के आधार पर बिल बनाया गया है। अतः हम सब लोग समवेत रूप से इस विधेयक का समर्थन करते हैं और आप सब सदस्यों से इस सदन के माध्यम से गुजारिश करते हैं कि इसे समूल रूप से पारित करके अपने विशाल हृदय का परिचय दे और किसानों

के हक में न्याय प्रदान करें। आज समय की मांग है। इसलिये इसी भावना को ध्यान में रखते हुए इस अशासकीय विधेयक का समर्थन करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इस चर्चा में भाग लेने के लिये आपने समय दिया।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री भगवान शंकर रावत भूमि अधिग्रहण बिल के जरिये इस सदन के सामने किसानों की पीड़ा को चर्चा के रूप में लाये हैं और इस बिल के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, मैं रावत जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने किसानों की पीड़ा को इस सदन में चर्चा का विषय बनाया।

सभापति महोदय, भूमि अधिग्रहण बिल में किसानों की बहुत सारी कठिनाइयां हैं। हर सत्र में इस सदन के अंदर किसानों की समस्याओं के बारे में पक्ष और विपक्ष दोनों द्वारा चर्चा की जाती है। लेकिन किसानों की एक समस्या नहीं हैं। वह अनेक समस्याओं से परेशान है जिसमें प्रमुख रूप से भूमि अधिग्रहण कानून है। भूमि अधिग्रहण कानून के माध्यम से सार्वजनिक उद्योगों के लिये जो भूमि अर्जित की जाती है, उसमें जिलाधिकारी को अधिकार मिलता है कि भूमि का मूल्य कितना तय करना है और कितना मुआवजा दिया जाना है। इस प्रक्रिया में बड़े किसान इसलिये प्रभावित नहीं होते क्योंकि उनकी पहुंच या तो कलक्टर तक होती है या नेताओं तक और मंत्रियों तक पहुंच होती है लेकिन छोटे और मंझौले किसान बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। उनके माध्यम से वह अपनी जमीन बचाने में सक्षम हो जाते हैं, लेकिन जो मझौले और छोटे किसान हैं, जिनकी पहुंच कहीं नहीं है, उनका जो भूमि अधिग्रहण होता है तो सच पूछिये तो उनको बाजार मूल्य तक नहीं मिलता है। व्यावहारिक रूप में आप जानते हैं क्योंकि आप गांव से जुड़े हुए लोगों में हैं, कि जब किसान की जमीन अधिग्रहीत कर ली जाती है तो मूल्य निर्धारित करवाने के लिए भी वह कार्यालय के चक्कर लगाते हैं और उस कार्यालय के चक्कर में भी उन्हें जमीन का मुआवजा तो बाद मे मिलता होगा, पहले कार्यालय का मुआवजा उन्हें चुकाना पड़ता है। कार्यालय का मुआवजा चुकाने के बाद भी उचित बाजार मूल्य का निर्धारण नहीं हो पाता है। कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जमीन अधिग्रहीत हो गई, किसान उस भूमि पर जाने से भी वंचित हो गया, लेकिन मुआवजा पांच-दस वर्ष बाद भी किसानों को नहीं मिलता है और दस वर्षों तक किसान कलेक्टर के कार्यालय से लेकर अंचल कार्यालय तक, भू-हदबंदी कार्यालय तक चक्कर लगाया करते हैं। हमको लगता है कि छोटे किसान को जितनी जमीन का मुआवजा मिलता होगा, उससे ज्यादा खर्च उनके कार्यालय के चक्कर लगाने में लग जाता है और जो पांच-दस वर्षों का गैप होता है, उस बीच में यदि वह उस पूंजी से कुछ कर पाता, तो पूंजी नहीं होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति चरमरा जाती है। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि किसानों की जमीन का जब अधिग्रहण किया जाए तो उसका बाजार मूल्य निर्धारित किया जाए और जब से अधिग्रहण कर लिया जाता है, किसान को उस जमीन पर जाने से वंचित कर दिया जाता है, उसके जितने दिन बाद उसको पैसे का भुगतान होता है उस बीच का सूद भी किसानों को दिलवाया जाए।

तीसरा उसके साथ एक और शर्त लगाई जाए और पांच दस वर्षों की सीमा निर्धारित कर दी जाए कि यदि किसान की जमीन पर उतने समय में कोई सार्वजनिक उपक्रम तैयार नहीं हुआ तो किसान की जमीन दस वर्ष बाद वापस कर दी जाएगी। हम बिहार की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे कि कैसे वहां किसानों को कठिनाई होती है। आपकी बिहार सरकार की समय की बात नहीं बल्कि पहले की कांग्रेसी सरकारों को हुकूमत का मैं उदाहरण देना चाहता हूं। किसानों की जमीन का अधिग्रहण नहर निकालने के नाम पर किया गया। सिंचाई विभाग द्वारा अधिग्रहण किया गया और उस पर नहर खुदवाने का काम शुरू हुआ। अरबों रुपया खर्च हुआ होगा लेकिन बिहार में नहरों का काम पूरा नहीं हुआ। उससे कितना नफा-नुकसान किसानों को उठाना पड़ता है कि एक तरफ तो सिचांई का लोभ दिया गया कि खेतों के लिए पानी सुविधा दी जाएगी और किसनों की जमीन गई, लेकिन उन्हें पानी की सुविधा नहीं दी गई। जिस समय खेतों में पानी चाहिए उस समय पानी नहीं मिलता है और जिस समय पानी की आवश्यकता नहीं है, उस समय पानी आ जाता है जिसके कारण बाढ़ की स्थिति हो जाती है। नहरों में बालू भर जाती है और पानी खेतों में आ जाता है जिससे किसान की फसल बरबाद हो जाती है। विकास कार्यालय के कर्मचारी अगल-बगल किसानों पर वारंट निकालते हैं कि उनकी लापरवाही से खेतों में पानी भर गया और उन पर जुर्माना करते हैं। पैसे न चुकाने पर उनके मवेशी तक खोलकर ले जाते हैं। सिंचाई विभाग का कार्यालय भी वहां खुला हुआ है। वहां ऐक्जीक्यूटिव इंजीनियर है और तमाम अधिकारी है, चपरासी है, लेकिन पांच वर्षों में हमें लगता है कि बिहार के 75 सिंचाई के कार्यालय बंद हो चुके हैं। किसानों की जमीन चली गई। विकास के नाम पर कार्यालय खोले लेकिन कार्यालयों में तालाबंदी है। इसी तरह बिहार के कई जिलों में, खासकर हमें लगता है कि नये जिले छोड़कर पुराने जितने जिले हैं, उनमें आवास विभाग की तरफ से जमीन का अधिग्रहण आवास बनाने के नाम पर किया गया। कई जिलों में बहुत से आवास बने भी हैं, लेकिन उनका आबंटन सही नहीं होता। आज उनकी छत गिर रही है, नींव निकल रही है और गांव

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

के लोग ईंटें निकालकर मवेशियों को खिलाने के लिए नदहा बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को सोचना चाहिए कि जिस काम के लिए हम जमीन का अधिग्रहण कर रहे हैं, उसमें सरकार कितनी सक्षम है। जब तक सरकार सक्षमता तय नहीं करेगी, तब तक किसानों की जमीन को नहीं लेना चाहिए, यह हमारा निवेदन है। खुराना जी किसानों की पीड़ा को नहीं समझ सकते हैं, आप जरूर समझ सकते हैं। इनके नसीब में किसानों की पीड़ा को नजदीक से देखने का अवसर नहीं आया। हम आपसे और सरकार से आग्रह करेंगे कि इस पर सरकार अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाये और माननीय रावत जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उस प्रस्ताव को सरकार स्वीकार करे। जितने भी पक्ष और विपक्ष के सदस्य बोले हैं, कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव के खिलाफ नहीं बोला है, सभी ने इसका समर्थन किया है। हमें विश्वास है कि इससे सदन सहमत है, इसलिए सरकार भी सहमत होगी। हमें आप पर यह विश्वास भी है कि यदि सदन सहमत नहीं होगा तो आप आसन की तरफ से सदन को सहमत कराने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चैल) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे श्री भगवान शंकर रावत जी द्वारा लैंड एक्वीजीशन अमेंडमेंट बिल पर बोलने के लिए मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अभी जैसा पूर्व के सम्मानित सदस्यों ने अपनी बाते यहां रखी थीं, उनसे मैं अपने आपको सम्बद्ध करते हुए कुछ सुझाव के तौर पर इस सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि आज ज्यादातर जो भूमि का अधिग्रहण हो रहा है, उसमें विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, इंडस्ट्रीज या सरकारी आफिसेज बनाने के लिए किसानों की भूमि का अधिग्रहण हो रहा है। उसमें बहुतेरे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों की भूमि होती है। मुआवजे की राशि सरकारी नोमिनल रेट पर उन्हें दी जा रही है। जबकि वर्तमान में बहुत से ऐसे भू-माफिया और दलाल हैं जो प्राधिकरण या सरकारी आफिसेज से मिलकर महंगी जमीने बेचकर आज किसानों का शोषण कर रहे हैं। मैं इस सदन से मांग करूंगा कि इस बिल में यह बात जरूर रखी जाए कि जब भी किसानों की भूमि का अधिग्रहण हो तो उन्हें वाजिब बाजार मूल्य पर मुआवजा दिया जाए। यहां तक होता है कि बहुत से सरकारी आफिसेज या इंडस्ट्रीज बनाये जाते हैं तो उनके परिवारों को प्रलोभन देने के नाम पर कहा जाता है कि उनको विभाग में नौकरी दी जायेगी। आज तमाम वायदों के बावजूद बहुत से ऐसे किसान परिवार पीड़ित हैं, जिन्हें नौकरी नहीं दी गई। कालोनियों के नाम पर हरे-भरे पेड़ों और बगीचों को काटा जाता है और कालोनियां बनाई जाती हैं। इन कालोनियों से किसानों को कोई उचित फायदा मुआवजे के नाम पर नहीं मिल पा रहा है। तमाम माननीय सदस्य यहां बैठे हुए हैं वे सभी जानते हैं कि माननीय उच्च न्यायालयों में आज भी तमाम ऐसे मुकदमें विचाराधीन हैं, जिससे किसान बहुत त्रस्त है। उन्हें वाजिब मूल्य पर जो मुआवजा मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पा रहा है।

सभापति महोदय, इसी प्रकार से मैं सदन के माध्यम से मांग करूंगा कि इस अमेंडमेंट बिल में यह बात भी आनी चाहिए कि किसानों की भूमि जब भी अधिग्रहण हो तो उन्हें पट्टे की ऐसी जमीने दी जाए जो खेती योग्य हों। अक्सर देखा जाता है कि ऊसर जमीनें उन्हें दी जाती हैं, विवादित जमीनें उन्हें दी जाती हैं, जहां किसान खेती नहीं कर पाते हैं। इस तरह से किसानों का खुले रूप से शोषण हो रहा है। तमाम जिलों के जिलाधिकारियों के पास मुआवजे की धनराशि जाती है, लेकिन मुआवजे की धनराशि देने में जिलाधिकारी सकरात्मक रवैया नहीं अपना पा रहे हैं, वे भी किसानों का शोषण कर रहे हैं। वे उन्हें मुआवजे की सही धनराशि नहीं दिये हैं, आधी दिये हैं और आधी रोके हुए हैं, कहते हैं कि सरकार की तरफ से अगर इसमें कुछ परिवर्तन होगा तो उसका भुगतान कराया जायेगा। साथ ही साथ नवनिर्माण उसी अधिग्रहित भूमि पर कराया जाए, जहां भी गांव सभा की तमाम ऐसी ऊसर जमीनें पड़ी हैं, उनका अधिग्रहण करके उन पर नवनिर्माण किया जाए।

इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में 15 ऐसे नये जनपद सृजित हुए हैं, जहां सरकारी आफिसेज खुलने हैं, तमाम सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के रेसीडेंस बनने हैं। वहां कृषि योग्य जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है और किसानों का शोषण किया जा रहा है। हमें मालूम है और जैसा कि पूर्व सदस्यों ने कहा है कि उनको वाजिब मूल्य नहीं मिल पायेगा और न ही उन किसानों को सरकारी नौकरी दी जायेगी। इसलिए मैं मांग करूंगा कि जो नये 15 जनपद बने हैं, जहां पर सरकारी आफिसेज खुलेंगे, आवास बनेंगे, वहां तमाम ऊसर जमीने पड़ी हैं, उन जमीनों का अधिग्रहण करके उन पर निर्माण कराया जाए। हमारे इलाहाबाद क्षेत्र में विकास प्राधिकरण है। इलाहाबाद के अमरूद पूरे देश में मशहूर हैं। वहां पर विकास प्राधिकरण ने अमरूद के हरे-भरे पेडों को काटकर कालोनी बनाई है। आज तक उन किसानों को मुआवजा नहीं मिला पाया है। उस कालोनी में न तो इनको मकान ही मिलता है न ही उनको जमीन मिलती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि ऐसे काले कानून में अमेंडमेंट हो। साथ ही साथ आप देखें कि शहर के ज्यादातर बड़े-बड़े लोगों के फार्म हाउस बने हुए हैं। पांच-दस या पन्द्रह बीघा जमीन पर बड़े-बड़े लोगों के फार्म हाउस बने हुए हैं। बहुत से लोगों के ऐसे बंगले भी

हैं जिसमें बीघों जमीन खाली पड़ी हुई है। उनकी जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाता है। किसानों के पास अगर कृषि योग्य चार–पांच बीघा जमीन है तो उनकी जमीन का पहले अधिग्रहण किया जाता है। क्योंकि वे कमजोर हैं। बड़े लोगों की जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाता है।

माननीय भगवान शंकर रावत जी ने यहां पर जो बिल पेश किया है, उस पर मैं बल देता हूं और साथ ही साथ इस सदन से मांग करता हूं कि शहरी भूमि सीमा रोपण जिसमें शहर से देहात को टच करते हुए 25–30 किलोमीटर का एरिया लिया गया है, उस शहरी भूमि सीमा रोपण को भी समाप्त किया जाना चाहिए ताकि किसानों के पास जो कृषि योग्य भूमि है, जहां पर फलों की पैदावार होती है, शहरों के लिए सब्जियां उगाई जाती हैं और बाद में शहर में आती है जिसको सभी वर्ग के लोग खाते हैं, उसका अधिग्रहण न हो। ऐसे शहरी भूमि सीमा रोपण के अधिनियम को समाप्त करते हुए इस काले कानून को समाप्त किया जाना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें आमूल–चूल परिवर्तन करके इस काले कानून में परिवर्तन किया जाये। भगवान शंकर रावत जी द्वारा जो लैंड एक्वीजीशन संबंधी बिल है, उस पर मैं बल देता हूं और उनसे मेरा निवेदन है कि वे इस बिल को वापिस न लें बल्कि इस बिल पर जोर दें ताकि इस बिल में अमेंडमेंट हो। वर्तमान समय में बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए जो पुराना कानून है और जो संशोधन बिल रखा गया है, उसमें परिवर्तन लाया जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एम. सेल्वारासु (नागापट्टीनम) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। मैं भूमि अर्जन अधिनियम की कुछ कमियों को आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

महोदय, जब हरिजनों तथा पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए मकान बनाने के उद्देश्य से पट्टे पर भूमि वितरित करने के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तो भूस्वामी न्यायालय चले जाते हैं और ऐसी भूमि की खरीद पर स्थगन आदेश ले लेते हैं और वे समाज के दलित लोगों के लिए बनाई गई कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब करते हैं। अतः इस अधिनियम को उपयुक्त तरीके से संशोधित करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भूस्वामियों को न्यायालय जाने और स्थगन आदेश लेने की अनुमति न मिल सके ताकि कल्याण योजनाओं को शीघ्र कार्यान्वित किया जा सके।

फिर, जब औद्योगिक उद्देश्य अथवा सिंचाई तथा अन्य–सभी कार्यों के लिए सरकार द्वारा उपयोग किए जाने के उद्देश्य से भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। तो ऐसी भूमि के स्वामियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ–साथ स्थानीय लोगों को अनेक वचन दिए जाते हैं। लेकिन उन आश्वासनों और वचनों को कभी पूरा नहीं किया जाता है। मेरे अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इस तरह के अनेक अनुभव हैं। यहां तक कि जब उद्योग पूर्णतः आरंभ हो जाते हैं तो उस पार्टी अथवा भूमि के स्वामी को उचित मुआवजा भी नहीं दिया गया है। अधिकतर मामलों में, ऐसी भूमि के स्वामियों को रोजगार देने से भी इंकार कर दिया जाता है। एक ऐसा ही अनुभव नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन के मामले में है। राजस्व विभाग ने वहां के भूमिहीन लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए अनेक आश्वासन दिए थे। लेकिन अब तक जिन लोगों की भूमि को अधिग्रहीत कर लिया गया है और वह लोग जो उस भूमि का उपयोग कर रहे थे, उन को सरकार के सम्बन्धित विभाग द्वारा रोजगार नहीं मिला है यह एक सच्चाई है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मद्रास रिफाइनरी लिमिटेड नामक कम्पनी है। उन्होंने कई आश्वासन दिए और बड़े–बड़े वायदे किए लेकिन अभी भी बहुत से मामले उनके पास लम्बित पड़े हुए हैं। अभी तक किसी को रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है। जिन लोगों की भूमि अधिग्रहीत की गई थी, वे इस मामले पर क्षुब्ध हैं और वे सड़क पर आ गए हैं।

जब भूमि पर खेती काश्तकार द्वारा की जा रही है तो मामला और भी बदतर है। आम तौर पर काश्तकार उपज का 25 प्रतिशत भू स्वामी को देता है और उपज का शेष 75 प्रतिशत स्वयं लेता है। यह काश्तकार का अर्थ है। तथापि, भूमि का अधिग्रहण करते समय राजस्व अधिकारी भूस्वामी से सीधे सम्पर्क करते हैं और मुआवजा की पूरी राशि दे देते हैं। उपज का 75 प्रतिशत अंश प्राप्त करने वाले काश्तकार को इसकी सूचना तक नहीं दी जाती है। उसे उसकी अजीविका से वंचित कर दिया जाता है। उसके परिवार को भूखमरी के लिए छोड़ दिया जाता है। विधेयक में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए कि काश्तकार को मुआवजे का 75 प्रतिशत भाग मिले जैसा कि उपज के 75 प्रतिशत पर उसका अधिकार होता है। इस संबंध में उच्च न्यायालय में अनेक मामले लंबित पड़े हुए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। जब उन्हें कोई मुआवजा अदा नहीं किया जाता है तो ऐसे लोगों के पास सड़क में आने के सिवाय कोई चारा नहीं रहता है। काश्तकार वह व्यक्ति होता है जिसके पास उस भूमि का पट्टा नहीं होता है जिस पर वह खेती करता है। यह अत्यन्त गम्भीर मामला है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस ममालें पर अत्यन्त

[श्री एम. सेल्वारासु]

गम्भीरता से विचार करें और कानून में संशोधन करे ताकि काश्तकार को भी मुआवजा दिया जा सके। मैंने देखा है कि भूमि उपयोगकर्ता के लिए स्थिति कितनी दर्दनाक हो जाती है जब उस भूमि का सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। राजस्व प्राधिकारी भूमि का अधिग्रहण करते हैं क्योंकि उन्हें उसका अधिग्रहण करना पड़ता है। वे भूमि का अधिग्रहण करते समय मानवीय पहलूओं पर विचार नहीं करते हैं। अतः मैं सरकार से पुनः अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले की छानबीन करें और संशोधन लाए ताकि भूमि उपयोगकर्ता को मुआवज़ा 75 प्रतिशत भाग दिया जा सके।

मैं अत्यन्त संवेदनशील मामले संबंधी इस विधेयक को सभा में लाने के लिए श्री रावत को बधाई देता हूं। मैं कामना और आशा करता हूं कि यह इस सभा में पारित हो जाएगा।

श्री बी. एम. मेनसिंकाई (धारवाड़ दक्षिण) : सभापति महोदय, मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अधिग्रहण के सम्बन्ध में राय व्यक्त करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के पास लोक उपयोगिता के उद्देश्य हेतु किसी भूमि का अधिग्रहण करने का अधिकार है। इस बारे में कानून स्पष्ट हैं। लेकिन इसके बाद मुआवजे का प्रश्न आता है। जब मुआवजे का प्रश्न आता है तो बाजार मूल्य निश्चित किया जाता है। लेकिन बाज़ार मूल्य पर विचार करते समय, पंजीकरण कार्यालय में खरीद और बिक्री के दस्तावेज की रजिस्ट्री करते समय वहां काले धन का उपयोग किया जाता है। मान लो भूमि का मूल्य बाजार में 100 रु. फुट है पंजीकरण कार्यालय में इसे 50 रु. फुट की दर से लगाया गया है। इसी प्रकार यदि प्रति एकड़ भूमि का मूल्य 50,000 रु. है तो रजिस्ट्री के समय पंजीकरण कार्यालय में इसे 25,000 रु. लिया जाएगा। अतः सरकार के लिए किसानों की सम्पति के अधिग्रहण के लिए उसके वास्तविक बाजार मूल्य का पता लगाना अत्यन्त कठिन है।

दूसरी, वे कहते हैं कि हरजाना राशि 30 प्रशित की दर से अदा की जाएगी। अतः हरजाना के साथ भूमि की कीमत भी भूस्वामी को एकमुश्त दी जाए ताकि वह उस पूंजी का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन हेतु कर सके।

तीसरी, मैं कहना चाहता हूं कि भूमि का अधिग्रहण करते हुए उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। यदि उसका अधिग्रहण किया जाता है तो इससे वह सम्पति औद्योगिक, आवासीय और कुछ अनय प्रयोजनों के रूप में हमेशा के लिए बेकार हो जाएगी। इस प्रकार अधिग्रहण की गई भूमि के उस हिस्से से उपजाऊ भूमि के पूरे क्षेत्र में कमी आएगी। अतः मै सुझाव देता हूं और जोर देता हूं कि सरकार को बहुत ही उपजाऊ भूमि को अधिग्रहण नहीं करना चाहिए। महोदय, विधेयक में शर्त लगानी चाहिए कि य : औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। तो उद्योग प्रदूषण रहित उद्योग होने चाहिए।

चौथी बेघर और निराश्रय लोगों को भूमि का वितरण करने के प्रयोजन हेतु, मैं अनुरोध करूंगा कि शहर के निकट के क्षेत्र की बजाय पहाड़ी क्षेत्रों का अधिग्रहण किया जाना चाहिए क्योंकि शहर के निकट की भूमि सबसे महंगी होती है। उसे कृषि भूमि के रूप में बनाए रखना चाहिए। इसीलिए मैं सुझाव देता हूं कि जहां कहीं भी लोगों को आश्रय दिया जाए, कम से कम उसके लिए उपजाऊ भूमि नहीं ली जानी चाहिए। इसके लिए उन लाभार्थियों के जीवनयापन के लिए प्रावधान किया जाए।

पांचवीं और अंतिम, मैं कहना चाहूंगा कि यदि सरकार अथवा कुछ अन्य निजी एजेंसियों द्वारा उस भूमि का उपयोग नहीं किया गया है तो ऐसी भूमि को वापस लौटते समय उसे अपने पास 10 वर्ष तक रखा जा सकेगा। यह व्यवस्था विधेयक में मौजूद है। मैं नहीं समझता कि यह उपयुक्त है कि यदि वह भूमि काश्तकार को वापस लौटाई जाती है तो इससे उपयोगिता प्रभावित होगी। यहां तक की भू–स्वामी पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा।

अतः मैं सरकार से जोर देकर कहना चाहता हूं कि इन संशोधनों और सुझावों के साथ इस विधेयक को अधिनियम में बदले जाने की अनुमति दी जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री नकली सिंह (सहारनपुर) : माननीय सभापति जी, हमारे विद्वान साथी आदरणीय भगवान शंकर रावत जी द्वारा भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करने का जो प्राइवेट मेंबर्स बिल प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं।

कहने के लिए तो 'उत्तम खेती मध्यम बान, निपट चाकरी भीख निदान' पर आज कानूनों के कारण उल्टी स्थिति हो गई है। सन 1894 से अब तक चला आ रहा है। देश को आजाद हुए भी 50 साल हो गए हैं और यह 105 साल पुराना कानून अभी तक ज्यों का त्यों अमल में है। संविधान में भी कितने संशोधन हो गए होंगे, लेकिन इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। यह भी कहा जाता है कि किसान धरतीपुत्र है, सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा उपभोक्ता है, सबसे बड़ा मतदाता है, अन्नदाता और प्राणदाता है। लेकिन आज उसकी स्थिति देखे कि क्या है। जब चाहें

सरकार उसकी खेती योग्य जमीन का अधिग्रहण कर सकती है। मुआवजा भी कितना दिया जाता है, यह सभी को मालूम है। वह इस सम्बन्ध में कहीं अपील भी नहीं कर सकता। अगर कोर्ट में जाए तो उसमें सालों–साल लग जाते हैं। यह सबको मालूम है कि जिस गति से उसकी ली हुई जमीन पर निर्माण कार्य चलते हैं उनको पूरा होने में दस–साल लग जाते हैं, लेकिन न तो उसे पूरा मुआवजा मिलता है और न ही जमीन वापस मिलती है। इन सब बातों को देखते हुए लगता है कि उत्तम खेती निपट चाकरी से तो अच्छा है उत्तम चाकरी निपट खेती, क्योंकि आज चाकरी उत्तम हो गई है।

यह भी कहा जाता है कि भारत कृषि प्रधान देश है। अवर कन्ट्री इज एग्रीकल्चर है। मगर हकीकत में किसानों की दुर्दशा है। किसान की कृषि योग्य भूमि अधिग्रहित की जाती है। शहरों के आसपास जितनी भी ग्रीन बैल्ट है वह सारी कृषि योग्य उत्तम भूमि है। वहां सब्जियां पैदा होती हैं और सब्जी अच्छी जमीन में पैदा होती हैं। उत्तम जमीन लेने के बावजूद भी किसानों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा है, यह समझ में नहीं आता।

इस देश में किसान 80 प्रतिशत हैं। यही किसान हैं जिनके लड़के सेना में शामिल होकर नेफा और कश्मीर की सीमाओं पर देश की रक्षा करते हैं। लेकिन सारी परिस्थितियों पर नजर डालें तो लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए माननीय रावत जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और सरकार से निवेदन करता हूं कि सारी पृष्ठभूमि को देखते हुए सरकार भी इसको पास करने की कृपा करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है।

किसान इतना उदार है, वह और कोई काम नहीं कर सकता । वह और कोई काम जानता भी नहीं है। किसान खेती करते हैं इसलिए सामान्य रूप से बाकी लोगों से कम जानकार होते हैं। अगर किसान की जमीन ले ली जाए तो वह बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर दुकानदार की दुकान चली जाए तो वह दूसरी दुकान कर लेगा, इसी तरह से कारखानेदार का कारखाना चला जाए तो वह दूसरा कारखाना लगा लेगा, लेकिन किसान सिवाय खेती के कुछ नहीं कर सकता। दिल्ली के अंदर देख लें, जहां हम बैठे हुए हैं वह संसद भवन और राष्ट्रपति भवन किसानों की जमीन पर ही बने हुए हैं, लेकिन उनकी महिलाएं यहां घास खोदने का काम करती हैं। खेतों का काम सबसे कम दिमाग का काम है। बाजार में किसान अपना गन्ना आदि लेकर बुग्गी या ट्रैक्टर–ट्राली पर लेकर जाता है तो लोग रास्ते में गन्ना खींचकर चूसने लगते हैं। यहीं अगर शहर में किसी मूंगफली वाले की रेहड़ी से एक दाना भी उठा लें तो देखिए क्या तमाशा होता है, रास्ता जाम हो जाएगा।

मेरा अनुरोध है कि अगर कलेक्टर किसान की जमीन का अधिग्रहण करे तो उसे उचित नहीं, बाजार का दाम भी नहीं, बल्कि किसान जिसे स्वीकार करे, वह दाम मिलना चाहिए। क्योंकि किसान धरती को अपनी मां मानता है इस प्रकार वह अपनी मां आपको दे रहा है, जिससे देश का भला हो। देश के भले के लिए उसको उतना पैसा दिया जाना चाहिए कि वह संतुष्ट हो सके। आज यह भी व्यवस्था है कि उसकी जमीन लेने पर उसके परिवार में से एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी, लेकिन यह बात अमल नहीं होती है। इसके लिए हमने देखा है 90 प्रतिशत किसान कलेक्टर के आफिस में धक्के खाते रहते हैं। वह कलेक्टर से तो बात करना जानता नहीं इसलिए चपरासी के सामने गिड़गिड़ाता रहता है। अगर कभी डी.एम. साहब के दर्शन हो भी जाते हैं तो वे कहते हैं अभी मेरे पास समय नहीं है। इससे आपने अनुमान नहीं लगाया कि उसे कितना नुकसान होता है। जब आखिर में उसे मुआवजा मिलता है तो उसके पहले ही उसके हजारों रुपए खर्च हो चुके होते हैं, उस पर कर्जा बढ़ गया होता है। फिर उस पर यह होता है कि उसे देर से मिले मुआवजे का ब्याज भी नहीं मिलता।

इसलिए भगवान शंकर रावत जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है वह बहुत ही अच्छा है और किसान तथा देशहित में है। अगर किसान उठेगा तो गांव उठेगा, गांव उठेगा तो देश उठेगा। शहर वालों की खुशहाली भी गांव में और किसान की खुशहाली में छिपी है।

अपराह्न 6.00 बजे

अस्सी प्रतिशत लोग, जब इनकी जेब में पैसे होंगे तो इनके गांव में भी खुशहाली होगी। किसान जब खुशहाल होगा तो गांव का कुम्हार भी खुशहाल होगा। दुकानदार, सुनार खुश होगा और जब सारे लोग शहर की और चलेंगे और इनकी जेब में पैसे होंगे तो शहर में मोटर साइकिल वाले की साइकिल बिकेगी, कपड़े वाले का कपड़ा बिकेगा, लोहे वाले का लोहा बिकेगा और भट्टे वाले की ईंट बिकेगी। यह बात सही है कि गांव वालों की खुशहाली में शहर वालों की खुशहाली छिपी हुई है और शहर वालों की खुशहाली में गांव वालों की खुशहाली छिपी हुई है।

इसलिए प्राइवेट मेम्बर बिल के द्वारा रावत जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और सरकार से भी विनम्र निवेदन करता हूं कि वह भी अपनी स्वीकृति प्रदान करें।

डा. शकील अहमद (मधुबनी) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं

[डा. शकील अहमद]

भगवान शंकर रावत जी को इतना महत्वपूर्ण बिल लाने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं सरकार से भी कहूंगा कि 1894 का मामला है। लगभग एक सदी से ज्यादा समय गुजर चुका है। किसानों की इस बीच में क्या स्थिति हुई है? हमारे देश मे कल–कारखाने बड़े हैं और सबके बढ़ने के लिए हमने सबसे ज्यादा टैक्स वसूल किया है और वह किसानों की जमीन वसूल की है। किसानों की अब यह हालत है कि गांव में कोई भी सोशल काम के लिए, मैं अपने गांव की बात करता हूं। जब नहर की बात आती है, नहर बन चुकी है और बाकी जो विस्तार होना है, किसानों के पास जमीन नहीं है। किसान नहर में बिजली का सब–स्टेशन मांगता है। लोगों की इच्छा है कि हम अपनी जमीन दें लेकिन सरकार की भूमि–अधिग्रहण की नीति इतनी दोषपूर्ण है कि कोई भी आदमी हृदय से भूमि देने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए मैं सरकार से और माननीय सदस्य से आग्रह करता हूं कि वह अपने बिल पर डटे रहें और अगर आज किसी कारण विदड्रॉ करेंगे क्योंकि सरकारी पक्ष है, हो सकता है। मैं सरकार से कहूंगा कि वह कभी एक्ट लाकर इसमें सुधार करे क्योंकि इसमें सुधार की आवश्यकता है क्योंकि एक तो मार्केट रेट पर जमीन नहीं मिलती। मार्केट रेट से बहुत कम करके सरकार जमीन का एक्विजिशन करती है और किसान कलप कर, मजबूरी में जमीन देता है। सौ रुपये में एक कट्ठा जमीन मिलती है और जब उसका भुगतान होता है, तो उस समय उसी जमीन की कीमत बहुत बढ़ गई होती है। जो पैसे का अंतर है, उसे पैसे का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए एक निश्चित कानून बनना चाहिए कि आज किसान से जमीन ली है तो उसको मार्केट–रेट पर जो जमीन का दाम मिलेगा, उसकी एक निश्चित अवधि फिक्स होनी चाहिए कि इस अवधि के अंदर उसे भुगतान मिल जाएगा। अगर किसी टैक्नीकल बाधा के कारण किसान को भुगतान नहीं मिल पाता है तो इसमें किसान का कोई दोष नहीं होता। इसमें बाबुओं, अधिकारियों और पदाधिकारियों का दोष होता है। इसलिए, अगर किसी कारणवश किसान को भुगतान नहीं हो पाता तो जो बैंक का इंटरेस्ट रेट मिलता है, सरकार वह किसानों को दे, ऐसा प्रावधान इस बिल में होना चाहिए। चूंकि एक मिनट का समय है, छः बज चुके हैं। अतः मैं ज्यादा समय न लेते हुए सरकार से आग्रह करता हूं कि अगर माननीय सदस्य, मैं उनकी मजबूरी जानता हूं, वह बिल वापस भी लेते हैं तो सरकार एक्ट लाकर, कानून बनाकर इस एक्ट को बदलने का काम करे और किसानों को उनका जो उचित मुआवजा है, वह देने की कृपा करे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा सोमवार, 7 दिसम्बर, 1998 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 6.04 बजे

तत्पश्चात लोक सभा सोमवार, 7 दिसम्बर, 1998/16 अग्रहायण, 1920 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी० एल० एस० — 48/6/5/98 (एन०)
220

© 1998 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।